चतुर्दश माला, खंड 25, अंक 7

मंगलवार, 6 मार्च, 2007

15 फाल्गुन, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. F-025
Block 'G'
Acc. No.....62.....
Dated.....3 Jan 2008

(खण्ड 25 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 25, दसवां सत्र, 2007/1928 (शक)
अंक 7, मंगलवार, 6 मार्च, 2007/15 फाल्गुन, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-2
प्रश्नों के लिखित उत्तर	2-912
तारांकित प्रश्न संख्या 81-100 (5-3-2007)	2-210
तारांकित प्रश्न संख्या 101-120 (6-3-2007)	210-269
अतारांकित प्रश्न संख्या 703-853 (5-3-2007)	269-543
अतारांकित प्रश्न संख्या 854-1045 (6-3-2007)	543-912
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (5-3-2007)	913-914
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (5-3-2007)	914-920
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (6-3-2007)	921-922
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका (6-3-2007)	922-928
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (5-3-2007)	929-930
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (5-3-2007)	929-930
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (6-3-2007)	931-932
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (6-3-2007)	931-932

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 6 मार्च, 2007/15 फाल्गुन, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो मुझे सभा को अपने एक सम्मानित मित्र श्री सुनिल कुमार महतो के दु:खद निधन की सूचना देनी है, जिनकी हत्या 4 मार्च, 2007 को उस समय कर दी गयी जब वह झारखंड की पूर्वी सिंहभूम जिले के बुगरिया स्थित अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक खेलकूद समारोह में उपस्थित थे। श्री महतो चौदहवीं लोक सभा में झारखंड के जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित वर्तमान सदस्य थे।

श्री महतो एक समर्पित, सामाजिक और सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया। सभा में चर्चाओं के दौरान उन्होंने अनेक बार आदिवासियों और समाज के अन्य वंचित वर्गों के हितों के लिए प्रभावी आवाज उठायी। श्री महतो व्यवसाय से कृषक थे। उन्होंने झारखंड राज्य की स्थापना के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया। वह राज्य की जनता के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यकलाप से जुड़े थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक अग्रणी नेता थे। खेलों से उनका काफी लगाव था तथा खेलकूद को बढ़ावा देने में उन्होंने गहरी रुचि दिखाई।

श्री महतो की जघन्य हत्या की भर्त्सना देश के सभी वर्गों द्वारा की जा रही है और की भी जानी चाहिए। संवेदनशून्य हिंसा द्वारा एक होनहार संसद सदस्य के जीवन का अंत कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के समुचित कार्य-निष्पादन पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और साथ ही इससे असुरक्षा एवं कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं।

हत्यारों की गोलियों के शिकार बने श्री सुनिल कुमार महतो का निधन 41 वर्ष की अल्प आयु में हुआ।

हम एक घृणित अपराध द्वारा हुए अपने इस मित्र के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से एवं सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं प्रेषित करता हूं।

अब सभा दिवंगत सदस्य के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़ी रहेगी।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

लम्बित सिंचाई परियोजनाए

***81. प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्री अनन्त नायक:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू की गई अनेक केन्द्रीय सहायता प्राप्त बड़ी/मध्यम सिंचाई परियोजनाएं अभी भी अधूरी पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजनावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए गठित किए गए कार्यदल ने सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं;

(घ) यदि हां, तो शेष परियोजनाओं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की जाने वाली नई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या भावी रूपरेखा तैयार की गई है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को राज्यवार और परियोजनावार कितना ऋण/अनुदान प्रदान किया गया है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) से (ङ) 15 फरवरी, 2007 तक, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 212 वृहद/मध्यम परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी। इसमें से, आठवीं योजना के अंतिम वर्ष में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की सहायता के अंतर्गत 52 परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया था तथा शेष 160 परियोजनाओं को 9वीं एवं 10वीं योजनाओं के दौरान प्रारंभ किया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक 55 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। राज्य

सरकारों ने समझौता ज्ञापन के अनुसार मार्च, 2007 तक 30 परियोजनाएं पूरी कर लिए जाने की संभावना व्यक्त की है।

ग्यारहवीं योजना के लिए योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

केन्द्र सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए बहुत से उपाय प्रारंभ किए हैं जिसमें परियोजनाओं की तीव्र मानीटरी, क्षमता सृजन के संबंध में केन्द्रीय सहायता के उपयोजन को वास्तविक उपलब्धियों से जोड़ना, समझौता ज्ञापन और उपयोग प्रमाणपत्र के आधार पर अनुदान राशि जारी करना, परियोजना का लक्ष्य प्राप्त न होने के स्थिति में दिए गए अनुदान को ऋण में परिवर्तन करना शामिल हैं।

ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना में वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से कुल 50.98 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता के सृजन का विचार है। ग्यारहवीं योजना में दसवी योजना से आगे लाई गई चालू परियोजनाएं, कृषि समस्या से ग्रस्त जिलों के लिए प्रधान मंत्री के राहत पैकेज की चालू और नई परियोजनाएं, सूखा प्रवण/जनजातीय क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाएं, राष्ट्रीय औसत से नीचे सिंचाई विकास वाले राज्यों को लाभान्वित करने वाली परियोजनाएं एवं अन्य चुनिन्दा परियोजनाएं शामिल हैं।

निर्माणाधीन त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम परियोजनाओं के राज्यवार नाम, ए.आई.बी.पी. में शामिल करने का वर्ष, पूरा होने की वर्तमान स्थिति, विगत तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता, ए.आई.बी.पी. के तहत लक्षित क्षमता और मार्च, 2006 तक सृजित क्षमता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(हजार हेक्टेयर)

क्र.सं.	राज्य/परियोजना का नाम (प्रारंभ की योजना)	ए.आई.बी.पी. में शामिल किए जाने की योजना	ए.आई.बी.पी. में शामिल किए जाने का वर्ष	पूर्ण	निर्धारित समयानुसार/ विलंबित	ए.आई.बी.पी. के तहत लक्ष्य क्षमता	मार्च, 2006 तक सृजित क्षमता	क्षमता सृजन की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं							
	आन्ध्र प्रदेश							
1.	श्रीराम सागर (चरण-I) (III) (पूर्ण)	VIII	1996-97	हां, 2005-06		70.5160	70.5160	100.00
2.	चेय्वेरू (अन्नामाया) (V) (पूर्ण)	VIII	1996-97	हां, 2003-04		1.2140	1.2140	100.00
3.	जुराला (VI)	IX	1997-98		विलंबित	40.1600	40.1600	100.00
4.	सोमसिला (V)	IX	1997-98		विलंबित	10.6920	10.6920	100.00
5.	नागार्जुनसागर (II) (पूर्ण)	IX	1998-99	हां, 2005-06		15.3380	15.338	100.00
6.	मड्डुवालसा (V) (पूर्ण)	IX	1998-99	हां, 2005-06		9.3920	9.392	100.00
7.	गुन्डालवागु (V)	IX	2000-01		विलंबित	1.0450	0.000	0.00
8.	मड्डीगेड्डा (V)	IX	2000-01		विलंबित	1.4150	0.0000	0.00
9.	कानुपुर नहर (III)	IX	2000-01		विलंबित	0.5610	0.0000	0.00
10.	येर्राकालवा (V)	IX	2000-01		विलंबित	6.9610	3.0400	43.67
11.	वम्सधारा फेज-I	X	2003-04		निर्धारित समयानुसार	17.1030	8.0940	47.33
12.	एस.आर.एस.पी. की बाढ़ प्रवाह नहर	X	2005-06		निर्धारित समयानुसार	40.0000	0.0000	0.00
13.	श्रीराम सागर परियोजना-II	X	2005-06		निर्धारित समयानुसार	178.0660	0.0000	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	स्वर्णमुखी मध्यम सिंचाई परियोजना							
14.	ताटीपुड़ी एल.आई.एस.	X	2006-07			83.6090		
15.	पुष्कारा एल.आई.एस.	X	2006-07			75.2400		
16.	रालीवागु	X	2006-07			2.4280		
17.	गोल्लावागु	X	2006-07			3.8450		
18.	मथाडीवागु	X	2006-07			3.4400		
19.	पेड्डावागु	X	2006-07			6.0730		
	गुंडलाकम्मा जलाशय							
		उप जोड़ 1				**567.0980**	**158.4460**	**27.94**
फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता								
	नागार्जुनसागर परियोजना (II) (पूर्ण)	IX	2001-02	हां, 2005-06		12.6060	9.4540	75.00
	सोमसिला (V)	IX	2001-02		विलंबित	27.7830	11.9780	43.11
	श्रीराम सागर परियोजना चरण-I (III) (पूर्ण)	IX	2001-02	हां, 2005-06		66.5240	41.5410	62.45
	अन्नामाया (चेय्येरू) (V)	IX	2001-02	हां, 2003-04		7.8910	7.8910	100.00
	मड्डुवालसा (V) (पूर्ण)	IX	2001-02	हां, 2005-06		0.6080	0.0000	0.00
20.	गुंडलाकम्मा जलाशय	X	2005-06		निर्धारित समयानुसार	32.4000	0.0000	0.00
21.	थोटापल्ली बैराज	X	2005-06		निर्धारित समयानुसार	48.5630	0.0000	0.00
22.	ताराकरमा तीर्थ सागरम परियोजना	X	2005-06		निर्धारित समयानुसार	10.0000	0.0000	0.00
23.	स्वर्णमुखी मध्यम सिंचाई परियोजना	X	2005-06		निर्धारित समयानुसार	4.6560	0.0000	0.00

24.	पालेमवागु	X	2005-06		निर्धारित समयानुसार	4.1000	0.0000	0.00
		उप जोड़ 2				**215.1310**	**70.8640**	**32.94**
		(आन्ध्र प्रदेश) कुल				**782.2290**	**229.3100**	**29.31**
	असम							
25.	पहुमारा (वा.यो. 1978-80)	VIII	1996-97		विलंबित	11.7550	9.3000	79.12
26.	हवाईपुर एल.आई.एस. (VI)	VIII	1996-97		विलंबित	3.8870	3.8870	100.00
27.	रूपाही एल.आई.एस. (वा.यो. 1978-80) (पूर्ण)	VIII	1996-97	हां, 2001-02		2.7680	2.7680	100.00
28.	घनसिरी (V)	VIII	1996-97		विलंबित	68.3660	18.5000	27.06
29.	चम्पामती (VI)	VIII	1996-97		विलंबित	24.9940	10.4500	41.81
30.	बोरोलिया (वा.यो. 1978-80)	VIII	1996-97		विलंबित	13.5620	1.3000	9.59
31.	कोलोगा (V) (डी)	VIII	1996-97		लघु सिंचाई में स्थानान्तरित	2.6900	0.000	0.00
32.	बुढ़ीदिडांग एल.आई.एस. (वा.यो. 1978-80)	IX	1997-98		विलंबित	4.4900	1.9250	42.87
33.	बोर्दीकराई (V) पूर्ण)	IX	1997-98	हां, 2004-05		8.5900	7.4060	86.22
34.	जमुना सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण (IX)	IX	2001-02		विलंबित	13.7580	8.5000	61.78
35.	कोलोग बेसिन में समेकित सिंचाई स्कीम (V)	IX	1997-98		विलंबित	8.6470	5.2250	60.43
		(असम) – कुल				**163.5070**	**69.2610**	**42.36**
	बिहार							
36.	पश्चिमी कोसी नहर (III)	VIII	1996-97		विलंबित	212.0500	52.0500	24.55
37.	ऊपरी क्यूल (V)	VIII	1996-97		विलंबित	12.1800	12.1800	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.	दुर्गावती (V)	VIII	1996-97		विलंबित	20.2970	3.3000	16.26
	बाणसागर (V)	IX	1997-98		विलंबित	0.0000	0.0000	
39.	ओरनी जलाशय (V)	IX	1997-98		विलंबित	9.5570	9.4590	98.97
40.	बिलासी जलाशय (V) (पूर्ण)	IX	1997-98	हां, 2000-01		4.0000	4.0000	100.00
41.	सोन नहर आधुनिकीकरण (VII)	IX	1998-99		विलंबित	314.5800	264.6400	84.12
42.	बठाने (V)	IX	2000-01		विलंबित	2.4900	0.8300	33.33
		(बिहार) – कुल				**575.1540**	**346.4590**	**60.24**
	छत्तीसगढ़							
43.	हसदेव बांगो (वा.यो. 1978-80)	IX	1997-98	2006-07		39.6500	39.6500	100.00
44.	शिवनाथ डाईवर्जन (V) (पूर्ण)	IX	1997-98	हां, 2002-03		5.2380	5.2380	100.00
45.	जोंक डाईवर्जन (IV)	IX	1999-2000	2006-07		9.5690	7.7800	81.30
46.	कोसेरटेडा	X	2002-03		निर्धारित समयानुसार	11.1200	0.0000	0.00
47.	महानदी जलाशय	X	2005-06		निर्धारित समयानुसार	13.8830	2.8450	20.49
		उप जोड़ 1				**79.4600**	**55.5130**	**69.86**
फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता								
48.	बरनाई	X	2002-03		विलंबित	1.5080	1.5080	100.00
	हसदेव बांगो (वा.यो. 1978-80)	X	2002-03		निर्धारित समयानुसार	46.8500	36.9290	78.82
		उप जोड़ 2				**48.3580**	**38.4370**	**79.48**
		(छत्तीसगढ़) - कुल					**93.9500**	

	गोवा							
49.	सलोली चरण-1 (IV)	IX	1997-98	2006-07		9.3000	9.3000	100.00
50.	तिल्लारी (V)	IX	2000-01		विलंबित	24.6180	0.4460	1.81
		(गोवा) - कुल				**33.9180**	**9.7460**	**28.73**
	गुजरात							
51.	सरदार सरोवर (VI)	VIII	1996-97		विलंबित	1376.4900	211.4840	15.36
52.	झुज (वा.यो. 1978-80) (पूर्ण)	VIII	1996-97	हां, 1999-2000		2.9070	2.9070	100.00
53.	सिपु (वा.यो. 1978-80) (पूर्ण)	VIII	1996-97	हां, 1999-2000		1.0160	1.0160	100.00
54.	मुक्तेश्वर (VI)	VIII	1996-97		विलंबित	5.0660	4.5660	90.13
55.	हरनव-II (V) (पूर्ण)	VIII	1996-97	हां, 1997-98		0.0000	0	
56.	उमरिया (V) (पूर्ण)	VIII	1996-97	हां, 1996-97		0.1620	0.1620	100.00
57.	दमनगंगा (IV) (पूर्ण)	IX	1997-98	हां, 1999-2000		6.6860	6.6860	100.00
58.	कर्जन (V) (पूर्ण)	IX	1997-98	हां, 1999-2000		5.9890	5.9890	100.00
59.	सुखी (V) (पूर्ण)	IX	1997-98	हां, 1999-2000		3.4880	3.4880	100.00
60.	देव (V) (पूर्ण)	IX	1997-98	हां, 1997-98		0.1030	0.1030	100.00
61.	बतरक कदाना आर.वी. नहर (वा.यो. 1978-80) (पूर्ण)	IX	1997-98	हां, 1999-2000		3.7140	3.7140	100.00
62.	अजी-IV (IX)	IX	2000-01		विलंबित	3.7500	0.930	24.80
63.	ओजट-II (VIII)	IX	2000-01		विलंबित	1.8000	0.500	27.78
64.	ब्राह्मणी-II (IX)	IX	2000-01		विलंबित	1.0000	0.000	0.00
65.	भादर-II	X	2002-03		निर्धारित समयानुसार	1.5000	0.0000	0.00
		उप जोड़ 1				**1413.6710**	**241.5450**	**17.09**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता								
	सरदार सरोवर परियोजना (VI) (एफ.टी.पी.-I)	IX	2001-02			100.0000	100.7730	100.77
	सरदार सरोवर परियोजना (VI) (एफ.टी.पी.-II)	X	2003-04			84.7800	84.0070	99.09
		उप जोड़ 2				**184.7800**	**184.7800**	**100.00**
		(गुजरात) - कुल				**1598.4510**	**426.3250**	**26.67**
	हरियाणा							
66.	गुड़गांव नहर (III) (पूर्ण)	VIII	1996-97	हां, 2003-04		20.0000	0.0000	
67.	डब्ल्यू.आर.सी.पी. (VIII)	VIII	1996-97		विलंबित	131.9700	109.0860	82.66
68.	जे.एल.एन. लिफ्ट सिंचाई (V) (डी)	IX	1997-98		विलंबित	69.0000	0.0000	0.00
		(हरियाणा) - कुल				**220.9700**	**109.0860**	**49.37**
हिमाचल प्रदेश								
69.	शाह नहर सिंचाई परियोजना (VIII)	IX	1997-98		विलंबित	24.7600	2.5100	10.14
70.	सिघाता (IX)	IX	2000-01		विलंबित	5.3480	0.1450	2.71
71.	चंगेर लिफ्ट (IX)	IX	2000-01		विलंबित	3.0410	0.0000	0.00
		हिमाचल प्रदेश - कुल				**33.1490**	**2.6550**	**8.01**
	जम्मू-कश्मीर							
72.	मारवल लिफ्ट @ (IV) (डी)	VIII	1996-97		विलंबित	11.3900	0.0000	0.00
73.	लेथपोरा लिफ्ट @ (IV)	VIII	1996-97		विलंबित	2.6580	2.6580	100.00
74.	कोयल लिफ्ट @ (V) (डी)	VIII	1996-97		विलंबित	2.1500	0.0000	0.00

75.	रणवीर नहर का आधुनिकीकरण (VII)	IX	1999-2000		विलंबित	7.6660	1.7590	22.95
76.	प्रताप नहर का आधुनिकीकरण (VII)	IX	1999-2000		विलंबित	1.2300	1.2090	98.29
77.	कथुवा नहर का आधुनिकीकरण (VII)	IX	1999-2000		विलंबित	3.2070	3.2070	100.00
78.	राजपुरा लिफ्ट (वा.यो. 1978-80)	IX	2000-01		विलंबित	2.4300	0.0000	0.00
79.	ट्राल लिफ्ट (वा.यो. 1978-80)	IX	2000-01		विलंबित	6.0000	0.0000	0.00
80.	ईगोफे (IX)	IX	2000-01		विलंबित	3.4730	3.4730	100.00
81.	रफीयाबाद लिफ्ट सिंचाई (IX)	IX	2001-02		विलंबित	2.9320	0.0000	0.00
82.	जैगीर नहर (IX)	IX	2001-02	2006-07		2.1400	2.1400	100.00
83.	डावी नहर परियोजना का आधुनिकीकरण	X	2006-07		निर्धारित समयानुसार	2.5733	0.0000	
		(जम्मू-कश्मीर) - कुल				**47.8493**	**14.4460**	**30.19**
	झारखंड							
84.	गुमानी (V)	IX	1997-98		विलंबित	16.1940	0.0000	0.00
85.	तोरई (V) (डी)	IX	1997-98		विलंबित	8.0000	0.0000	0.00
86.	लवरातु (VII) (पूर्ण)	IX	1997-98	हां, 2002-03		6.1000	6.1000	100.00
87.	कंसजोर (VII)	IX	1997-98		विलंबित	6.2900	4.0000	63.59
88.	सोनुवा (VI)	IX	1997-98		विलंबित	8.0100	0.0000	0.00
89.	सुरंगी (VII)	IX	1997-98		विलंबित	2.6010	0.0000	0.00
90.	टपकारा जलाशय स्कीम (VI) (पूर्ण)	IX	1997-98	हां, 2002-03		1.8190	1.5200	83.56
91.	ऊपरी शंख (V)	X	2004-05		निर्धारित समयानुसार	7.0690	1.4100	19.95
92.	पंचखेरो	X	2004-05		निर्धारित समयानुसार	3.0850	0.0000	0.00
		(झारखंड) - कुल				**59.1680**	**13.0300**	**22.02**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	कर्नाटक							
93.	**यू.के.पी.** चरण-I (IV)	VIII	1996-97		**विलंबित**	169.0050	143.9260	85.16
94.	मलप्रभा (III)	VIII	1996-97		विलंबित	48.0900	28.4150	59.09
95.	हीरेहल्ला (VI)	VIII	1996-97		विलंबित	1.3400	1.3400	100.00
96.	घटप्रभा (V)	IX	1997-98		विलंबित	139.9620	84.4830	60.36
97.	करन्जा (V)	IX	1997-98		विलंबित	7.8550	7.8550	100.00
98.	यू.के.पी. चरण-II (IX)	IX	2001-02		विलंबित	178.3210	108.3780	60.78
99.	गंडोरीनाला (VIII)	IX	2001-02		विलंबित	8.0940	4.6760	57.77
		उप जोड़ 1				**552.6670**	**379.0730**	**68.59**
फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता								
	हीरेडल्ला	X	2002-03		विलंबित	6.9900	1.8680	26.72
	करंजा	X	2002-03		विलंबित	23.1110	4.9830	21.56
100.	मस्कीनाला (पूर्ण)	X	2002-03	हां, 2003-04		3.0010	3.0010	100.00
		उप जोड़ 2				**33.1020**	**9.8520**	**29.76**
		(कर्नाटक) - कुल				**585.7690**	**388.9250**	**66.40**
	केरल							
101.	कल्लाडा परियोजना (III) (पूर्ण)	VIII	1996-97	हां, 2004-05		9.2760	9.2760	100.00
102.	मुआतुपुजा (V)	IX	2000-01		विलंबित	32.1050	25.0140	77.91
		(केरल) - कुल				**41.3810**	**34.2900**	**82.86**

	मध्य प्रदेश							
103.	इंदिरा सागर (VI)	VIII	1996-97		विलंबित	85.2140	0.398	0.47
104.	बाण सागर (यूनिट-I) (V)	VIII	1996-97		विलंबित	0.0000	0.000	
	बाण सागर (यूनिट-II) (V)	X	2003-04		विलंबित	154.5430	25.000	16.18
105.	ऊपरी वेनगंगा (V) (पूर्ण)	VIII	1996-97	हां, 2002-03		28.2550	28.255	100.00
	राजघाट बांध (V)	IX	1998-99		विलंबित	0.0000	0.000	
106.	सिंध चरण-II (VI)	IX	1998-99		विलंबित	83.2880	38.9300	46.74
107.	सिंध चरण-I (IV)	IX	1999-2000		विलंबित	10.5800	4.3450	41.07
108.	माही (VI)	IX	2000-01		विलंबित	26.4290	5.0000	18.92
109.	बरीयारपुर (V)	IX	2000-01		विलंबित	43.8500	0.0000	0.00
110.	उर्मिल (V) (पूर्ण)	IX	2000-01	हां, 2002-03		2.1230	2.1230	100.00
111.	बंजर (V) (पूर्ण)	IX	2000-01	हां, 2002-03		1.0950	1.0950	100.00
112.	बाबनवाडी (VI)	X	2003-04		निर्धारित समयानुसार	29.1420	0.0000	0.00
113.	महान (VI)	X	2003-04		निर्धारित समयानुसार	19.7400	0.0000	0.00
114.	ओंकारेश्वर (VIII)	X	2003-04		निर्धारित समयानुसार	54.6600	0.0000	0.00
–	बारगी बांध आर.बी.सी. 15 कि.मी.-63 कि.मी. (V)	X	2005-06		निर्धारित समयानुसार	21.1940	0.0000	0.00
–	बारगी डायवर्जन प्रोजेक्ट नहर (63 कि.मी. से 104 कि.मी.)	X	2005-06		निर्धारित समयानुसार	31.8990	0.0000	0.00
		उप जोड़ 1				**592.0120**	**105.1460**	**17.76**
फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता								
115.	बरगी बांध आर.बी.सी. 15 कि.मी.-63 कि.मी. (V)	IX	2001-02		हटा ली गई	0.0000	0.0000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	बरगी डिवीजन प्रोजेक्ट नहर (63 कि.मी. से 104 कि.मी.)	X	2002-03		हटा ली गई	0.0000	0.0000	
		उप जोड़ 2					**0.0000**	
		(मध्य प्रदेश) - कुल				**592.0120**	**105.1460**	**17.76**
	महाराष्ट्र							
116.	गोसीखुर्द (VI)	VIII	1996-97		विलंबित	18.9050	9.7100	51.36
117.	सूर्या (वा.यो. 1978-80) (डी)	VIII	1996-97		विलंबित	2.9680	0.4600	15.50
118.	वाघुर (V)	VIII	1996-97		विलंबित	26.3250	0.0000	0.00
119.	भीमा (III)	IX	1997-98		विलंबित	58.7580	44.0170	74.91
120.	अपर तापी (IV) (पूर्ण)	IX	1997 98	हां, 2004-05		1.3980	1.3980	100.00
121.	अपर वर्धा (V)	IX	1997-98		विलंबित	37.2580	34.5220	92.66
122.	वान (VI) (पूर्ण)	IX	1998-99	हां, 2005-06		15.2750	14.9210	97.68
123.	जायकवाड़ी (V) (पूर्ण)	IX	2000-01	हां, 2004-05		7.2730	7.2730	100.00
124.	विष्णुपुरी (वा.यो. 1978-80) (पूर्ण)	IX	2000-01	हां, 2004-05		2.6360	2.6360	100.00
125.	बहुला (V)	IX	2000-01	2006-07		4.3020	1.6680	38.77
126.	कृष्णा (III)	X	2002-03		निर्धारित समयानुसार	19.5880	11.0010	56.16
127.	कुकाडी (वा.यो. 1966-69)	X	2002-03		निर्धारित समयानुसार	53.1430	35.2150	66.26
128.	ऊपरी मनार	X	2002-03		निर्धारित समयानुसार	8.2800	0.0000	0.00
129.	हेतवाने	X	2002-03		निर्धारित समयानुसार	6.1680	0.5460	8.85
130.	चस्कमन	X	2002-03		निर्धारित समयानुसार	26.1890	21.8960	83.61

131.	ऊपरी पेनगंगा	X	2004-05		निर्धारित समयानुसार	24.6220	6.6500	27.01
–	वावनथाडी	X	2004-05		निर्धारित समयानुसार	27.7080	0.0000	0.00
132.	लोअर दूधाना	X	2005-06		निर्धारित समयानुसार	29.1230	0.0000	0.00
–	तिल्लारी	X	2005-06		निर्धारित समयानुसार	6.5000	0.0000	0.00
133.	वर्ना	X	2005-06		निर्धारित समयानुसार	54.7490	0.0000	0.00
134.	वान फेज II	X	2006-07		निर्धारित समयानुसार	0.3540		
135.	पुनाद	X	2006-07		निर्धारित समयानुसार	10.8460		
136.	पोथरा नल्ला	X	2006-07		निर्धारित समयानुसार	5.9600		
137.	उतावली	X	2006-07		निर्धारित समयानुसार	5.0700		
138.	पूर्णा	X	2006-07		निर्धारित समयानुसार	7.5100		
	शिवना तकली	X	2006-07		निर्धारित समयानुसार			
		उप जोड़ 1				**460.9080**	**191.9130**	**41.64**
फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता								
139.	खड़कवासला (III) (पूर्ण)	X	2002-03	हां, 2004-05		0.6240	0.624	100.00
140.	कदवी (पूर्ण)	X	2002-03	हां, 2004-05		0.3650	0.3650	100.00
141.	कसारसाई (पूर्ण)	X	2002-03	हां, 2004-05		3.0360	3.0360	100.00
142.	जावलगांव (पूर्ण)	X	2002-03	हां, 2004-05		1.8070	1.8070	100.00
143.	कुंभी	X	2002-03		विलंबित	5.4340	3.6040	66.32
144.	कसारी (पूर्ण)	X	2002-03	हां, 2004-05		1.2350	1.2350	100.00
145.	पतगांव	X	2004-05		निर्धारित समयानुसार	1.9920	0.0000	0.00
146.	मदन टैंक	X	2005-06		निर्धारित समयानुसार	3.2800	1.2000	36.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
147.	डोगरगांव	X	2005-06		निर्धारित समयानुसार	2.7660	0.0000	0.00
148.	शिवाना तकली	X	2005-06		निर्धारित समयानुसार	6.3890	2.0000	31.30
149.	अमरावती	X	2005-06		निर्धारित समयानुसार	2.6060	2.0000	76.75
150.	गुल मध्यम सिंचाई परियोजना	X	2005-06		निर्धारित समयानुसार	3.0250	0.0000	0.00
		उप जोड़ 2				**32.5590**	**15.8710**	**48.75**
		(महाराष्ट्र) - कुल				**493.4670**	**207.7840**	**42.11**
	मणिपुर							
151.	खुगा (VI)	VIII	1996-97		विलंबित	15.0000	0.0000	0.00
152.	थोबल (वा.यो. 1978-80)	IX	1997-98		विलंबित	29.4000	0.0000	0.00
153.	दोलाईथाबी बैराज परियोजना	X	2002-03		निर्धारित समयानुसार	7.5450	0.0000	0.00
		(मणिपुर) - कुल				**51.9450**	**0.0000**	**0.00**
	मेघालय							
154.	रोंगाई घाटी (VIII)	IX	2000-01		विलंबित	4.7750	0.0000	0.00
		(मेघालय) - कुल				**4.7750**	**0.0000**	**0.00**
	उड़ीसा							
155.	अपर इंद्रावती (आर.बी.सी.) (वा.यो. 1978-80)	VIII	1996-97		विलंबित	52.6760	28.6500	54.39
156.	सुवर्णरेखा बहुउद्देश्यीय (VII)	VIII	1996-97		विलंबित	36.9000	1.0000	2.71
157.	रेंगाली (IV)	VIII	1996-97		विलंबित	20.6000	0.1600	0.78
158.	आनंदपुर बैराज (IV)	VIII	1996-97			5.8770	5.877	100.00
	एकीकृत आनंदपुर बैराज	X	2005-06		विलंबित	60.0000	0.0000	0.00

159.	अपर कोलाब (V) (पूर्ण)	IX	1997-98	हां, 2004-05		21.4000	21.4000	100.00
160.	तितलागढ़ (VIII)	IX	1998-99		विलंबित	2.2000	0.0000	0.00
161.	लोअर इंदिरा (IX)	IX	1999-2000		विलंबित	29.9000	0.0000	0.00
162.	लोअर सुकतेल (IX)	IX	1999-2000		विलंबित	40.4240	0.0000	0.00
163.	पोट्टेरू (IV) (पूर्ण)	IX	2001-02	2004-05		0.0000	0.0000	
164.	नराज बैराज (IX)	IX	2001-02			0.0000	0.0000	
165.	तेलेनगिरि सिंचाई स्कीम (के.बी.के.)	X	2003-04		निर्धारित समयानुसार	9.9500	0.000	0.00
166.	रेत सिंचाई परियोजना (के.बी.के.)	X	2003-04		निर्धारित समयानुसार	8.5000	0.000	0.00
167.	कानुपुर (VIII)	X	2003-04		निर्धारित समयानुसार	29.5780	0.000	0.00
168.	छेलीगडा बांध	X	2003-04		निर्धारित समयानुसार	3.0000	0.000	0.00
		उप जोड़ 1				**321.0050**	**57.0870**	**17.78**
फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता								
	सुवर्णरेखा परियोजना (VII)	IX	2001-02		हटा ली गई	0.0000	0.0000	
	नराज बैराज के गेट कार्य (IX)	IX	2001-02			0.0000	0.0000	
	रेगाली बांयी नहर का निष्पादन (IV)	IX	2001-02		हटा ली गई	0.0000	0.0000	
	पोट्टेरू (IV) (पूर्ण)	IX	2001-02	हां, 2004-05		7.2800	7.2800	100.00
169.	सासन नहर का सुधार (पूर्ण)	X	2002-03	हां, 2004-05		16.2820	16.2820	100.00
170.	सालंदी बांयी मुख्य नहर	X	2002-03			3.6500	0.0000	0.00
171.	साल्की सिंचाई परियोजना का सुधार (पूर्ण)	X	2003-04	हां, 2004-05		20.1400	20.1400	100.00
		उप जोड़ 2				**47.3520**	**43.7020**	**92.29**
		(उड़ीसा) - कुल				**368.3570**	**100.7890**	**27.36**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	पंजाब							
172.	रणजीत सागर बांध (VI) (पूर्ण)	VIII	1996-97	हा, 2000-01		0.0000	0.0000	
173.	यू.बी.डी.सी. की रिमॉडलिंग (IX)	IX	2000-01		विलंबित	100.9900	100.9900	100.00
174.	तलवाड़ा के नीचे एच.पी. तक सिचाई (IX)	IX	2000-01		विलंवित	0.0000	0.0000	
175.	शाहपुर कांडी (IX)	IX	2001-02		विलंबित	0.0000	0.0000	
176.	कांडी नहर का विस्तार चरण-II	X	2002-03		विलंबित	0.0000	0.0000	
		उप जोड़ 1				**100.9900**	**100.9900**	**100.00**
फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता								
	यू.बी.डी.सी. का रिमाडलिंग (IX)	X	2005-06		निर्धारित समयानुसार	17.0100	10.5000	61.73
	कांडी नहर चरण-II का विस्तार (आर.डी. 59.50 कि.मी. से 130.00 कि.मी.)	X	2005-06		निर्धारित समयानुसार	23.3260	4.6660	20.00
		उप जोड़ 2				**40.3360**	**15.1660**	**37.60**
		(पंजाब) - कुल				**141.3260**	**116.1560**	**82.19**
	राजस्थान							
177.	जैसमंद (आधुनिकीकरण) (VI) (पूर्ण)	VIII	1996-97	हां, 2000-01		2.3980	2.3980	100.00
178.	छापी (V) (पूर्ण)	VIII	1996-97	हां, 2004-05		1.7020	1.7020	100.00
179.	पंचाना (V) (पूर्ण)	IX	1997-98	हां, 2004-05		2.3850	2.3850	100.00
180.	आई.जी.एन.पी. चरण-II (V)	IX	1997-98		विलंबित	485.0000	327.000	67.42
181.	बिसालपुर (VII) (डी)	IX	1998-99		विलंबित	1.8000	1.800	100.00
182.	नर्मदा नहर (VI)	IX	1998-99		विलंबित	73.1600	0.000	0.00

183.	गंभीरी (आधुनिकीकरण) (VI) (पूर्ण)	IX	1998-99	हां, 2000-01		0.9250	0.9250	100.00
184.	चौली (VIII)	IX	1998-99		विलंबित	8.9630	8.9630	100.00
185.	माही बजाज सागर (IV)	IX	1999-2000		विलंबित	18.4060	18.4060	100.00
186.	गंग नहर का आधुनिकीकरण (VI)	IX	2000-01		विलंबित	48.1030	19.7910	41.14
		उप जोड़ 1				**642.8420**	**383.3700**	**59.64**
फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता								
	पंचाना (V) (पूर्ण)	X	2002-03	हां, 2004-05		3.7210	3.7210	100.00
	छापी (पूर्ण)	X	2002-03	हां, 2004-05		5.2890	4.8540	91.78
	गंग नहर का आधुनिकीकरण (VI)	X	2003-04		विलंबित	21.5990	21.5990	100.00
		उप जोड़ 2				**30.6090**	**30.1740**	**98.58**
		(राजस्थान) - कुल				**673.4510**	**413.5440**	**61.41**
	त्रिपुरा							
187.	गुमती (V)	VIII	1996-97		विलंबित	5.3300	3.1590	59.27
188.	मानु (VI)	VIII	1996-97		विलंबित	7.6000	1.06	13.95
189.	खोवाई (VI)	VIII	1996-97		विलंबित	9.3200	2.4800	26.61
		(त्रिपुरा) - कुल				**22.2500**	**6.6990**	**30.11**
	तमिलनाडु							
190.	डब्ल्यू.आर.सी.पी. (VIII)	VIII	1996-97			0.0000	0.0000	
		(तमिलनाडु) - कुल				**0.0000**	**0.0000**	
	उत्तर प्रदेश							
191.	अपर गंगा और मध्य गंगा (V) (पूर्ण)	VIII	1996-97	हां, 2003-04		17.2700	17.2700	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
192.	शारदा सहायक (III) (पूर्ण)	VIII	1996-97	हां, 2000-01		388.4600	366.6800	94.39
193.	सरयू नहर (V)	VIII	1996-97		विलंबित	505.0000	384.7000	76.18
194.	एच.के. दोआब में खरीफ चैन्नल (VII) (पूर्ण)	VIII	1996-97	हां, 2004-05		11.0400	11.0380	99.98
195.	राजघाट बांध (V) (पूर्ण)	VIII	1996-97	हां, 1996-97		0.0000	0.0000	
196.	गुंता नाला बांध (VI) (पूर्ण)	VIII	1996-97	हां, 1999-2000		3.8800	3.8800	100.00
197.	बाणसागर (V)	IX	1997-98		विलंबित	150.1320	0.0000	0.00
198.	लखवर व्यासी (V) (डी)	IX	1997-98		विलंबित	0.0000	0.0000	
199.	टेहरी (VII)	IX	1999-2000		विलंबित	270.000	81.000	30.00
200.	ज्ञानपुर पंप नहर (VII) (पूर्ण)	IX	1999-2000	हां, 2001-02		1.5000	1.5000	100.00
201.	पूर्वी गंगा नहर (V)	IX	1999-2000		विलंबित	72.2860	38.4430	53.18
202.	राजघाट नहर (V)	IX	2000-01		विलंबित	43.3530	37.087	85.55
203.	आगरा नहर का आधुनिकीकरण (V)	X	2002-03		निर्धारित समयानुसार	35.0000	17.0000	48.57
204.	जरौली पंप नहर (1990-91)	X	2003-04		निर्धारित समयानुसार	39.7480	0.0000	0.00
205.	लहचुरा बांध का आधुनिकीकरण	X	2005-06		निर्धारित समयानुसार	14.5750	0.0000	0.00
		उप जोड़ 1				**1552.2440**	**958.5960**	**61.76**
फास्ट्र ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता								
	अपर गंगा आधुनिकीकरण परियोजना (V) (पूर्ण)	IX	2001-02	हां, 2003-04		1.0000	1.0000	100.00

	मध्य गंगा नहर परियोजना (V) (पूर्ण)	IX	2001-02			35.9050	20.5600	57.26
		उप जोड़				**36.9050**	**21.5600**	**58.42**
		(उत्तर प्रदेश) - जोड़				**1589.1490**	**980.1580**	**61.68**
	पश्चिम बंगाल							
206.	तीस्ता बैराज (V)*	VIII	1996-97		विलंबित	174.3900	50.2700	28.83
207.	कंग्सावती (II) (पूर्ण)	IX	1997-98	हां, 2001-02		82.0600	17.8000	21.69
208.	डी.वी.सी. की बैराज और सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण (VI)	IX	1997-98		विलंबित	8.0000	4.8960	61.20
209.	तटको (V)	IX	2000-01		विलंबित	1.1980	0.424	35.39
210.	पठलोई (V)	IX	2000-01		विलंबित	2.1580	0.091	4.22
211.	हनुमता (VII)	IX	2000-01		विलंबित	1.2540	1.059	84.45
212.	सुवर्णरेखा बैराज (VII)+	IX	2001-02		विलंबित	136.0140	0.000	0.00
		(पश्चिम बंगाल) - कुल				**405.0740**	**74.5400**	**18.40**
	कुल जोड़					8483.3513	3742.2990	44.11

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/परियोजना का नाम (प्रारंभ की योजना)	जारी किए गयी सी.एल.ए./अनुदान						
		2003-04	2004-05			2005-06 अनुदान	2003-04 से 2005-06 तक	15-2-2007 तक जारी की गई राशि
			ऋण	अनुदान	कुल			
1	2	10	11	12	13	14	15	16
	वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं							
	आन्ध्र प्रदेश							
1.	श्रीराम सागर (चरण-I) (III) (पूर्ण)						0.0000	219.2200
2.	चेय्येरू (अन्नामाया) (V) (पूर्ण)						0.0000	15.3300
3.	जुराला (VI)	47.4900	41.7410	17.8890	59.6300	17.8890	125.0090	245.1890
4.	सोमसिला (V)						0.0000	44.5250
5.	नागार्जुनसागर (II) (पूर्ण)						0.0000	26.4300
6.	मड्डुवालसा (V) (पूर्ण)						0.0000	41.8000
7.	गुन्डालवागु (V)	2.3350					2.3350	4.0050
8.	मड्डीगेड्डा (V)	1.8920	0.6300	0.2700	0.9000		2.7920	3.7920
9.	कानुपुर नहर (III)						0.0000	1.9200
10.	येर्राकालवा (V)	12.5680	4.0873	1.7517	5.8390		18.4070	28.4630
11.	वम्सधारा फेज-I	9.2550	14.8246	6.3534	21.1780		30.4330	37.1160
12.	एस.आर.एस.पी. की बाढ़ प्रवाह नहर					120.0000	120.0000	183.7000
13.	श्रीरामसागर परियोजना-II					2.2690	2.2690	38.2690

	स्वर्णमुखी मध्यम सिंचाई परियोजना							5.9310
14.	ताटीपुड़ी एल.आई.एस.						0.0000	48.2200
15.	पुष्कारा एल.आई.एस.						0.0000	33.1155
16.	रालीवागु						0.0000	6.7095
17.	गोल्लावागु						0.0000	28.3500
18.	मथाडीवागु						0.0000	28.3500
19.	पेड्डावागु						0.0000	50.6250
	गुंडलाकम्मा जलाशय							39.7425
	उप जोड़ 1	73.5400	61.2829	26.2641	87.5470	140.1580	301.2450	1130.8025
फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता								
	नागार्जुनसागर परियोजना (II) (पूर्ण)	23.5400					23.5400	50.7100
	सोमसिला (V)	60.0000					60.0000	120.0000
	श्रीराम सागर परियोजना चरण-I (III) (पूर्ण)						35.9500	107.9500
	अन्नामाया (चेय्येरू) (V)	35.9500					0.0000	10.0000
	मड्डुवालसा (V) (पूर्ण)	12.5000					12.5000	25.0000
20.	गुंडलाकम्मा जलाशय					59.6100	59.6100	59.6100
21.	थोटापल्ली बैराज					63.1410	63.1410	63.1410
22.	ताराकरमा तीर्थ सागरम परियोजना					33.0060	33.0060	33.0060
23.	स्वर्णमुखी मध्यम सिंचाई परियोजना					5.9310	5.9310	5.9310
24.	पालेमवागु					9.5355	9.5355	9.5355
	उप जोड़ 2	**131.9900**				**171.2235**	**303.2135**	**484.8835**
	(आन्ध्र प्रदेश) कुल	**205.5300**	**61.2829**	**26.2641**	**87.5470**	**311.3815**	**604.4585**	**1615.6860**

1	2	10	11	12	13	14	15	16
	असम							
25.	पहुमारा (वा.यो. 1978-80)		0.0075	0.0675	0.0750	1.7550	1.8300	6.1400
26.	हवाईपुर एल.आई.एस. (VI)						0.0000	4.9650
27.	रूपाही एल.आई.एस. (वा.यो. 1978-80) (पूर्ण)						0.0000	0.6550
28.	धनसिरी (V)	2.8700					2.8700	31.6900
29.	चम्पामती (VI)	0.7330					0.7330	13.7330
30.	बोरोलिया (वा.यो. 1978-80)					3.6000	3.6000	12.5370
31.	कोलोगा (V) (डी)						0.0000	0.5000
32.	बुढ़ीदिडांग एल.आई.एस. (वा.यो. 1978-80)						0.0000	4.2240
33.	बोर्दीकराई (V) पूर्ण)						0.0000	7.0130
34.	जमुना सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण (IX)	4.7000				7.2450	11.9450	16.2800
35.	कोलोग बेसिन में समेकित सिंचाई स्कीम (V)	1.1250					1.1250	12.9820
	(असम) - कुल	**9.4280**	**0.0075**	**0.0675**	**0.0750**	**12.6000**	**22.1030**	**110.7190**
	बिहार							
36.	पश्चिमी कोसी नहर (III)	33.0000	13.9160	5.9640	19.8800	5.9640	58.8440	173.0490
37.	ऊपरी क्यूल (V)	2.0840	0.9345	0.4005	1.3350	0.0750	3.4940	22.5790
38.	दुर्गावती (V)	18.0600				1.4000	19.4600	65.0900
	बाणसागर (V)						0.0000	83.5000

39.	ओरनी जलाशय (V)						0.0000	11.4005
40.	बिलासी जलाशय (V) (पूर्ण)						0.0000	3.3900
41.	सोन नहर आधुनिकीकरण (VII)	21.5000	11.2000	4.8000	16.0000	8.7990	46.2990	119.9590
42.	बठाने (V)						0.0000	3.3350
	(बिहार) - कुल	**74.6440**	**26.0505**	**11.1645**	**37.2150**	**16.2380**	**128.0970**	**482.3025**
	छत्तीसगढ़							
43.	हसदेव बांगो (वा.यो. 1978-80)						0.0000	105.9400
44.	शिवनाथ डाईवर्जन (V) (पूर्ण)						0.0000	3.5400
45.	जोंक डाईवर्जन (IV)	1.3300					1.3300	7.6000
46.	कोसेरटेडा	4.7100	2.0475	0.8775	2.9250	1.5640	9.1990	12.1990
47.	महानदी जलाशय					6.1005	6.1005	6.1005
	उप जोड़ 1	**6.0400**	**2.0475**	**0.8775**	**2.9250**	**7.6645**	**16.6295**	**135.3795**
फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता								
48.	**बरनाई**	1.3500					1.3500	2.6500
	हसदेव बांगो (वा.यो. 1978-80)	67.2400					67.2400	137.8400
	उप जोड़ 2	**68.5900**				**0.0000**	**68.5900**	**140.4900**
	(छत्तीसगढ़) - कुल	**74.6300**	**2.0475**	**0.8775**	**2.9250**	**7.6645**	**85.2195**	**275.8695**
	गोवा							
49.	सलोली चरण-1 (IV)	2.0000	0.4550	0.1950	0.6500		2.6500	17.7500
50.	तिल्लारी (V)						0.0000	113.3000
	(गोवा) - कुल	**2.0000**	**0.4550**	**0.1950**	**0.6500**	**0.0000**	**2.6500**	**131.0500**

1	2	10	11	12	13	14	15	16
	गुजरात							
51.	सरदार सरोवर (VI)	557.0000	420.0000	18.0000	438.0000	339.6000	1334.6000	4042.8500
52.	झुज (वा.यो. 1978-80) (पूर्ण)						0.0000	4.7400
53.	सिपु (वा.यो. 1978-80) (पूर्ण)						0.0000	6.4550
54.	मुक्तेश्वर (VI)	0.2250					0.2250	10.8630
55.	हरनव-II (V) (पूर्ण)						0.0000	0.0650
56.	उमरिया (V) (पूर्ण)						0.0000	0.1350
57.	दमनगंगा (IV) (पूर्ण)						0.0000	9.4700
58.	कर्जन (V) (पूर्ण)						0.0000	7.6000
59.	सुखी (V) (पूर्ण)						0.0000	5.6500
60.	देव (V) (पूर्ण)						0.0000	0.5000
61.	बतरक कदाना आर.वी. नहर (वा.यो. 1978-80) (पूर्ण)						0.0000	3.1100
62.	अजी-IV (IX)	0.0930					0.0930	11.1080
63.	ओजट-II (VIII)	0.3350					0.3350	12.1100
64.	ब्राह्मणी-II (IX)						0.0000	4.0000
65.	भादर-II	0.2060					0.2060	0.8660
	उप जोड़ 1	**557.8590**	**420.0000**	**18.0000**	**438.0000**	**339.6000**	**1335.4590**	**4119.5220**
फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता								
	सरदार सरोवर परियोजना (VI) (एफ.टी.पी.-I)						0.0000	188.0000

	सरदार सरोवर परियोजना (VI) (एफ.टी.पी.-II)	92.5000	64.7500	27.7500	92.5000		185.0000	185.0000
	उप जोड़ 2	**92.5000**	**64.7500**	**27.7500**	**92.5000**	**0.0000**	**185.0000**	**373.0000**
	(गुजरात) - कुल	**650.3590**	**484.7500**	**45.7500**	**530.5000**	**339.6000**	**1520.4590**	**4492.5220**
	हरियाणा							
66.	गुड़गांव नहर (III) (पूर्ण)						0.0000	2.5000
67.	डब्ल्यू.आर.सी.पी. (VIII)	7.7350	7.7945	3.3405	11.1350	6.0000	24.8700	72.8700
68.	जे.एल.एन. लिफ्ट सिंचाई (V) (डी)						0.0000	12.0000
	(हरियाणा) - कुल	**7.7350**	**7.7945**	**3.3405**	**11.1350**	**6.0000**	**24.8700**	**87.3700**
हिमाचल प्रदेश								
69.	शाह नहर सिंचाई परियोजना (VIII)	13.5570				8.8340	22.3910	63.6150
70.	सिघाता (IX)	0.5700	0.1125	1.0125	1.1250	6.0750	7.7700	10.7700
71.	चंगेर लिफ्ट (IX)	0.5650	0.0640	0.5760	0.6400	1.1475	2.3525	3.3675
	हिमाचल प्रदेश - कुल	**14.6920**	**0.1765**	**1.5885**	**1.7650**	**16.0565**	**32.5135**	**77.7525**
	जम्मू-कश्मीर							
72.	मारवल लिफ्ट @ (IV) (डी)						0.0000	0.3000
73.	लेथपोरा लिफ्ट @ (IV)		0.0445	0.4008	0.4453	0.3008	0.7461	3.3161
74.	कोयल लिफ्ट @ (V) (डी)						0.0000	0.5000
75.	रणवीर नहर का आधुनिकीकरण (VII)	5.4500				7.5600	13.0100	29.1930
76.	प्रताप नहर का आधुनिकीकरण (VII)	2.8800				2.9160	5.7960	9.4060
77.	कथुवा नहर का आधुनिकीकरण (VII)	2.8800				0.9990	3.8790	7.6160
78.	राजपुरा लिफ्ट (वा.यो. 1978-80)		0.1416	1.2744	1.4160	4.7700	6.1860	15.2340

1	2	10	11	12	13	14	15	16
79.	ट्राल लिफ्ट (वा.यो. 1978-80)		0.1550	1.3950	1.5500	4.4208	5.9708	19.9468
80.	ईगोफे (IX)	1.0000	0.0500	0.4500	0.5000	0.2700	1.7700	9.6300
81.	रफीयाबाद लिफ्ट सिंचाई (IX)		0.2391	2.1521	2.3912	2.8270	5.2182	12.5298
82.	जैगीर नहर (IX)	0.3450	0.1002	0.9018	1.0020	0.6992	2.0452	4.8492
83.	डावी नहर परियोजना का आधुनिकीकरण						0.0000	3.2670
	(जम्मू-कश्मीर) - कुल	**12.5550**	**0.7304**	**6.5741**	**7.3045**	**24.7628**	**44.6223**	**115.7879**
	झारखंड							
84.	गुमानी (V)					1.3620	1.3620	27.3020
85.	तोरई (V) (डी)						0.0000	2.5000
86.	लवरातु (VII) (पूर्ण)						0.0000	2.1300
87.	कंसजोर (VII)					0.4800	0.4800	11.0400
88.	सोनुवा (VI)	1.8330	4.1965	1.7985	5.9950	0.7080	8.5360	18.3460
89.	सुरंगी (VII)		1.7675	0.7575	2.5250		2.5250	12.1500
90.	टपकारा जलाशय स्कीम (VI) (पूर्ण)						0.0000	0.5150
91.	ऊपरी शंख (V)		5.7890	2.4810	8.2700	1.4400	9.7100	9.7100
92.	पंचखेरो		3.1465	1.3485	4.4950	1.0470	5.5420	5.5420
	(झारखंड) - कुल	**1.8330**	**14.8995**	**6.3855**	**21.2850**	**5.0370**	**28.1550**	**89.2350**
	कर्नाटक							
93.	यू.के.पी. चरण-I (IV)		81.0971	17.3781	98.4752	17.3778	115.8530	853.8530
94.	मलप्रभा (III)		8.4000	3.6000	12.0000	6.0000	18.0000	90.5600

95.	हीरेहल्ला (VI)						0.0000	40.7500
96.	घटप्रभा (V)	13.0150	43.4630	18 6270	62.0800	18.5000	94.6050	267.1050
97.	करन्जा (V)						0.0000	77.1400
98.	यू.के.पी. चरण-II (IX)	163.4830	168.4970	36.1830	204.6800	95.3571	463.5201	988.5701
99.	गंडोरीनाला (VIII)		13.3350	5.7150	19.0500	2.5410	21.5910	46.9610
	उप जोड़ 1	**176.4980**	**314.7921**	**81.5031**	**396.2952**	**140.7759**	**713.5691**	**2364.9391**
फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता								
	हीरेडल्ला	14.7100					14.7100	23.4900
	करंजा	75.2700					75.2700	99.6400
100.	मस्कीनाला (पूर्ण)						0.0000	3.2200
	उप जोड़ 2	**89.9800**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**89.9800**	**126.3500**
	(कर्नाटक) - कुल	**266.4780**	**314.7921**	**81.5031**	**396.2952**	**140.7759**	**803.5491**	**2491.2891**
	केरल							
101.	कल्लाडा परियोजना (III) (पूर्ण)	4.0000					0.4000	32.5000
102.	मुआतुपुजा (V)	27.0000	34.6080	14.8320	49.4400	9.3591	85.7991	129.3117
	(केरल) - कुल	**31.0000**	**34.6080**	**14.8320**	**49.4400**	**9.3591**	**89.7991**	**161.8171**
	मध्य प्रदेश							
103.	इंदिरा सागर (VI)	190.1540	87.4580	37.4820	124.9400	41.9504	357.0444	700.0544
104.	बाण सागर (यूनिट-I) (V)	95.8360	19.9717	8.5593	28.5310	15.6000	139.9670	343.5470
	बाण सागर (यूनिट-II) (V)	40.6400	47.6000	20.4000	68.0000	18.1420	126.7820	126.7820
105.	ऊपरी वेनगंगा (V) (पूर्ण)	1.0160					1.0160	50.1060
	राजघाट बांध (V)	2.4000	8.4000	3.6000	12.0000		14.4000	42.2030

1	2	10	11	12	13	14	15	16
106.	सिंध चरण-II (VI)	128.6800	79.9540	34.2660	114.2200	24.5290	267.4290	373.3890
107.	सिंध चरण-I (IV)	8.0560					8.0560	14.8760
108.	माही (VI)	28.4560	22.4000	9.6000	32.0000	8.2600	68.7160	90.5910
109.	बरीयारपुर (V)	29.0560	18.3330	7.8570	26.1900	6.3750	61.6210	73.6810
110.	उर्मिल (V) (पूर्ण)	0.4560					0.4560	2.3910
111.	बंजर (V) (पूर्ण)						0.0000	1.4000
112.	बाबनवाडी (VI)	18.3300	19.5230	8.3670	27.8900	2.4501	48.6701	48.6701
113.	महान (VI)	5.4000	8.0990	3.4710	11.5700	4.8000	21.7700	21.7700
114.	ओंकारेश्वर (VIII)	20.1640	49.9520	21.4080	71.3600	9.1119	100.6359	100.6359
–	बारगी बांध आर.बी.सी. 15 कि.मी.-63 कि.मी. (V)					25.5480	25.5480	25.5480
–	बारगी डायवर्जन प्रोजेक्ट नहर (63 कि.मी. से 104 कि.मी.)					11.3302	11.3302	11.3302
	उप जोड़ 1	**568.4400**	**361.6907**	**155.0103**	**516.7010**	**168.0966**	**1253.4416**	**2026.9746**
फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता								
115.	बरगी बांध आर.बी.सी. 15 कि.मी.-63 कि.मी. (V)						0.0000	98.0300
	बरगी डिवीजन प्रोजेक्ट नहर (63 कि.मी. से 104 कि.मी.)						0.0000	65.0000
	उप जोड़ 2	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**163.0300**
	(मध्य प्रदेश) - कुल	**568.4400**	**361.6907**	**155.0103**	**516.7010**	**168.0966**	**1253.4416**	**2190.0046**

	महाराष्ट्र							
116.	गोसीखुर्द (VI)	6.8700	106.9586	45.8394	152.7980	30.0477	189.7157	219.1957
117.	सूर्या (वा.यो. 1978-80) (डी)						0.0000	13.5500
118.	वाघुर (V)	17.2400	10.7380	4.6020	15.3400	7.6068	40.1868	102.6668
119.	भीमा (III)						0.0000	44.5050
120.	अपर तापी (IV) (पूर्ण)						0.0000	7.7000
121.	अपर वर्धा (V)	6.0000	30.7580	13.1820	43.9400		49.940C	168.9560
122.	वान (VI) (पूर्ण)	9.7400	4.5710	1.9590	6.5300		16.2700	59.5636
123.	जायकवाड़ी (V) (पूर्ण)	15.6900					15.6900	43.7350
124.	विष्णुपुरी (वा.यो. 1978-80) (पूर्ण)					1.4145	1.4145	5.4145
125.	बहुला (V)		3.5000	1.5000	5.0000	0.5700	5.5700	11.5240
126.	कृष्णा (III)	25.3000	20.6850	8.8650	29.5500	13.9200	68.7700	164.8866
127.	कुकाडी (वा.यो. 1968-69)	48.4300	44.0636	18.8844	62.9480	24.2880	135.6650	173.1040
128.	ऊपरी मनार	8.8000	11.9980	5.1420	17.1400	5.3960	31.3360	35.5735
129.	हेतवाने	12.9800	24.5000	10.5000	35.0000		47.9800	50.4955
130.	चस्कमन	11.6600	33.9500	14.5500	48.5000	10.3032	70.4632	73.7752
131.	ऊपरी पेनगंगा		35.0840	15.0360	50.1200	2.4765	52.5965	58.4906
–	बावनथाडी		21.3290	9.1410	30.4700	13.5990	44.0690	44.0690
132.	लोअर दूधाना					24.0000	24.0000	48.0818
–	तिल्लारी					8.1600	8.1600	8.1600
133.	वर्ना					9.0000	9.0000	9.0000

1	2	10	11	12	13	14	15	16
134.	वान फेज II						0.0000	2.0295
135.	पुनाद						0.0000	15.9813
136.	पोथरा नल्ला						0.0000	5.6255
137.	उतावली						0.0000	10.2546
138.	पूर्णा						0.0000	22.1211
	शिवनातकली							11.9677
	उप जोड़ 1	**162.7100**	**348.1352**	**149.2008**	**497.3360**	**150.7817**	**810.8277**	**1410.4265**
फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता								
139.	खड़कवासला (III) (पूर्ण)		1.9460	0.8340	2.7800		2.7800	5.5600
140.	कदवी (पूर्ण)		4.9000	2.1000	7.0000		7.0000	14.0000
141.	कसारसाई (पूर्ण)	1.6850					1.6850	3.3700
142.	जावलगांव (पूर्ण)		0.9555	0.4095	1.3650		1.3650	2.7300
143.	कुंभी		6.5100	2.7900	9.3000		9.3000	18.6000
144.	कसारी (पूर्ण)		0.5285	0.2265	0.7550		0.7550	1.5100
145.	पतगांव		7.5250	3.2250	10.7500	3.2250	13.9750	13.9750
146.	मदन टैंक					1.5105	1.5105	1.5105
147.	डोगरगांव					1.5090	1.5090	1.5090
148.	शिवाना तकली					4.4325	4.4325	4.4325
149.	अमरावती					1.1820	1.1820	1.1820

150.	गुल मध्यम सिंचाई परियोजना					4.7415	4 7415	4.7415
	उप जोड़ 2	**1.6850**	**22.3650**	**9.5850**	**31.9500**	**16.6005**	**50.2355**	**73.1205**
	(महाराष्ट्र) - कुल	**164.3950**	**370.5002**	**158.7858**	**529.2860**	**167.3822**	**861.0632**	**1483.5470**
	मणिपुर							
151.	खुगा (VI)	4.5000	0.8000	7.2000	8.0000	31.6260	44.1260	113.5980
152.	थोबल (वा.यो. 1978-80)	8.0000	0.3500	3.1500	3.5000	36.7650	48.2650	119.0850
153.	दोलाईथाबी बैराज परियोजना					1.9125	1.9125	10.1625
	(मणिपुर) - कुल	12.5000	1.1500	10.3500	11.5000	70.3035	94.3035	242.8455
	मेघालय							
154.	रोंगाई घाटी (VIII)						0.0000	4.0000
	(मेघालय) - कुल	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**4.0000**
	उड़ीसा							
155.	अपर इंद्रावती (आर.बी.सी.) (वा.यो. 1978-80)	15.4800	12.4320	5.3280	17.7600	31.6170	64.8570	189.3070
156.	सुवर्णरेखा बहुउद्देश्यीय (VII)					12.4272	12.4272	114.6672
157.	रेंगाली (IV)					7.4688	7.4688	191.4743
158.	आनंदपुर बैराज (IV)						0.0000	21.8500
	एकीकृत आनंदपुर बैराज					1.4400	1.4400	3.6855
159.	अपर कोलाब (V) (पूर्ण)	2.0200	1.4966	0.6414	2.1380	1.9242	6.0822	56.5122
160.	तितलागढ़ (VIII)	7.0000				4.1040	11.1040	32.3765
161.	लोअर इंदिरा (IX)	37.3250				64.5395	101.8645	256.3603

1	2	10	11	12	13	14	15	16
162.	लोअर सुकतेल (IX)	17.4800				13.6440	31.1240	78.6548
163.	पोट्टेरू (IV) (पूर्ण)						0.0000	9.8700
164.	नराज बैराज (IX)						0.0000	4.6700
165.	तेलेनगिरि सिंचाई स्कीम (के.बी.के.)	17.5700				4.0950	21.6650	21.6650
166.	रेत सिंचाई परियोजना (के.बी.के.)	13.5600				2.9205	16.4805	28.0915
167.	कानुपुर (VIII)	5.4900					5.4900	5.4900
168.	छेलीगडा बांध	5.6000					5.6000	7.5935
	उप जोड़ 1	**121.5250**	**13.9286**	**5.9694**	**19.8980**	**144.1802**	**285.6032**	**1022.2678**
फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता								
	सुवर्णरेखा परियोजना (VII)						0.0000	17.4200
	नराज बैराज के गेट कार्य (IX)	13.6850					13.6850	31.1350
	रेगाली बांयी नहर का निष्पादन (IV)						0.0000	14.0000
	पोट्टेरू (IV) (पूर्ण)						0.0000	15.5600
169.	सासन नहर का सुधार (पूर्ण)	4.7300				3.8190	8.5490	26.0090
170.	सालंदी बांयी मुख्य नहर	3.0950					3.0950	6.1900
171.	साल्की सिंचाई परियोजना का सुधार (पूर्ण)	4.3250	3.0275	1.2975	4.3250		8.6500	8.6500
	उप जोड़ 2	**25.8350**	**3.0275**	**1.2975**	**4.3250**	**3.8190**	**33.9790**	**118.9640**
	(उड़ीसा) - कुल	**147.3600**	**16.9561**	**7.2669**	**24.2230**	**147.9992**	**319.5822**	**1141.2318**
	पंजाब							
172.	रणजीत सागर बांध (VI) (पूर्ण)						0.0000	249.7900

173.	यू.बी.डी.सी. की रिमॉडलिंग (IX)						0.0000	93.3300
174.	तलवाड़ा के नीचे एच.पी. तक सिंचाई (IX)					6.0966	6.0966	38.0966
175.	शाहपुर कांडी (IX)						0.0000	29.8500
176.	कांडी नहर का विस्तार चरण-II						0.0000	10.5000
	उप जोड़ 1					**6.0966**	**6.0966**	**421.5666**
फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता							0.0000	
	यू.बी.डी.सी. का रिमाडलिंग (IX)					6.0000	6.0000	6.0000
	कांडी नहर चरण-II का विस्तार (आर.डी. 59.50 कि.मी. से 130.00 कि.मी.)					14.2200	14.2200	14.2200
	उप जोड़ 2					**20.2200**	**20.2200**	**20.2200**
	(पंजाब) - कुल					**26.3166**	**26.3166**	**441.7866**
	राजस्थान							
177.	जैसमंद (आधुनिकीकरण) (VI) (पूर्ण)						0.0000	3.1250
178.	छापी (V) (पूर्ण)						0.0000	19.3500
179.	पंचाना (V) (पूर्ण)						0.0000	22.4070
180.	आई.जी.एन.पी. चरण-II (V)	111.0600	81.5290	34.9410	116.4700	23.8002	251.3302	582.7202
181.	बिसालपुर (VII) (डी)						0.0000	41.5600
182.	नर्मदा नहर (VI)	291.1250	83.8936	35.9544	119.8480	46.7520	457.7250	523.0450
183.	गंभीरी (आधुनिकीकरण) (VI) (पूर्ण)						0.0000	1.3150
184.	चौली (VIII)	8.2320	6.1810	2.6490	8.8300	1.9590	19.0210	47.1510
185.	माही बजाज सागर (IV)	11.2200	26.5832	11.3928	37.9760	10.8960	60.0920	113.6520
186.	गंग नहर का आधुनिकीकरण (VI)					6.8880	6.8880	49.8630
	उप जोड़ 1	**421.6370**	**198.1868**	**84.9372**	**283.1240**	**90.2952**	**795.0582**	**1404.1882**

1	2	10	11	12	13	14	15	16
फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता								
	पंचाना (V) (पूर्ण)						0.0000	20.9700
	छापी (पूर्ण)	8.4200					8.4200	18.8750
	गंग नहर का आधुनिकीकरण (VI)	69.7800	48.8460	20.9340	69.7800		139.5600	139.5600
	उप जोड़ 2	**78.2000**	**48.8460**	**20.9340**	**69.7800**	**0.0000**	**147.9800**	**179.4050**
	(राजस्थान) - कुल	**499.8370**	**247.0328**	**105.8712**	**352.9040**	**90.2952**	**943.0362**	**1583.5932**
	त्रिपुरा							
187.	गुमंती (V)	0.7650	0.0750	0.6750	0.7600	1.3500	2.8650	13.9527
188.	मानु (VI)	0.8374	0.1125	1.0125	1.1250	6.7500	8.7124	18.5274
189.	खोवाई (VI)	0.3370	0.1125	1.0125	1.1250	8.1000	9.5620	17.3400
	(त्रिपुरा) - कुल	**1.9394**	**0.3000**	**2.7000**	**3.0000**	**16.2000**	**21.1394**	**49.8201**
	तमिलनाडु							
190.	डब्ल्यू.आर.सी.पी. (VIII)						0.0000	20.0000
	(तमिलनाडु) - कुल					**0.0000**	**0.0000**	**20.0000**
	उत्तर प्रदेश							
191.	अपर गंगा और मध्य गंगा (V) (पूर्ण)						0.0000	149.6400
192.	शारदा सहायक (III) (पूर्ण)						0.0000	131.0000
193.	सरयू नहर (V)	101.2100	37.8420	16.2180	54.0600	45.0000	200.2700	552.7750
194.	एच.के. दोआब में खरीफ चैन्नल (VII) (पूर्ण)	8.0000	6.4890	2.7810	9.2700		17.2700	73.2700
195.	राजघाट बांध (V) (पूर्ण)						0.0000	3.0000

196.	गुंता नाला बांध (VI) (पूर्ण)						0.0000	1.0000
197.	बाणसागर (V)	40.8650	21.2730	9.1170	30.3900	32.1000	103.3550	277.5615
198.	लखवर व्यासी (V) (डी)						0.0000	20.0000
199.	टेहरी (VII)	64.0000	24.5000	10.5000	35.0000	25.0230	124.0230	589.7530
200.	ज्ञानपुर पंप नहर (VII) (पूर्ण)						0.0000	30.9000
201.	पूर्वी गंगा नहर (V)	25.7000	25.2000	10.8000	36.0000	15.2220	76.9220	147.0469
202.	राजघाट नहर (V)	14.6700				7.9020	22.5720	64.0780
203.	आगरा नहर का आधुनिकीकरण (V)	10.6800	7.8400	3.3600	11.2000	4.9200	26.8000	33.1990
204.	जरौली पंप नहर (1990-91)	5.0600				0.5610	5.6210	5.6210
205.	लहचुरा बांध का आधुनिकीकरण					2.4000	2.4000	5.3340
	उप जोड़ 1	**270.1850**	**123.1440**	**52.7760**	**175.9200**	**133.1280**	**579.2330**	**2084.1784**
फास्ट्र ट्रैक कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी केन्द्रीय ऋण सहायता								
	अपर गंगा आधुनिकीकरण परियोजना (V) (पूर्ण)	4.6000					4.6000	84.0500
	मध्य गंगा नहर परियोजना (V) (पूर्ण)							
	उप जोड़ 2	**4.6000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**0.0000**	**4.6000**	**84.0500**
	(उत्तर प्रदेश) - कुल	**274.7850**	**123.1440**	**52.7760**	**175.9200**	**133.1280**	**583.8330**	**2168.2284**
	पश्चिम बंगाल							
206.	तीस्ता बैराज (V)*	2.9890	9.2288	3.9552	13.1840		16.1730	130.9940
207.	कंग्सावती (II) (पूर्ण)						0.0000	26.7100
208.	डी.वी.सी. की बैराज और सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण (VI)						0.0000	1.0000

1	2	10	11	12	13	14	15	16
209.	तटको (V)						0.0000	0.8920
210.	पठलोई (V)		0.0896	0.0384	0.1280		0.1280	1.5930
211.	हनुमता (VII)	0.1550	0.1043	0.0447	0.1490	0.0287	0.3327	1.7227
212.	सुवर्णरेखा बैराज (VII)+						0.0000	13.2880
	(पश्चिम बंगाल) - कुल	**3.1440**	**9.4227**	**4.0383**	**13.4610**	**0.0287**	**16.6337**	**176.1997**
	कुल जोड़	3023.2844	2077.7909	695.3408	2773.1317	1709.2253	7505.8454	19632.6575

@वर्ष 1996-97 के दौरान जारी की गई सी.एल.ए. वर्ष 1998-99 में रणवीर नहर को हस्तांतरित कर दी गई

-अंतर्राज्यीय परियोजना डी-आस्थागित

टिप्पणी: मध्य प्रदेश को वर्ष 2003-04 के दौरान जारी की गई सी.एल.ए. में 0.204 करोड़ रुपये की जारी की गई अधिक राशि शामिल हैं जिसमें बंजार परियोजना के संबंध में कटौती कर दी गई है।

*स्वर्णरेखा को वर्ष 2002-03 के दौरान जारी की गई 11.238 करोड़ रुपये की सी.एल.ए. में से 10.25 करोड़ रुपये को वर्ष 2003-04 में तीस्ता बैराज को हस्तांतरित कर दिया गया।

- रेखांकित आंकड़े अनन्तिम हैं।

[अनुवाद]

गेहूं का उत्पादन

*82. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के कुछ जिलों में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए चयनित किए गए जिलों के नाम क्या हैं;

(ग) इन चयनित जिलों को प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन चयनित जिलों के लिए बेहतर किस्म के बीज का आबंटन कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ङ) सरकार ने नौ राज्यों नामत: बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 138 अभिज्ञात जिलों में गेहूं का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए तीन वर्षीय योजना तैयार की है। अभिज्ञात जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इस योजना के अधीन गेहूं की उन्नत किस्मों के गुणवत्ताप्रद बीज पद्धतियों के उन्नत पैकेज के प्रदर्शन, सूक्ष्म-प्रेषकों, उन्नत कृषि उपकरणों और डीजल हेतु सब्सिडी के लिए किसानों को सहायता देने का प्रस्ताव है। वर्ष 2006-07 के दौरान विभिन्न गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की उन्नत किस्मों के 47,935 कुंतल गुणवत्ताप्रद बीजों का वितरण किया गया ताकि वे बृहत् प्रबंधन कार्यक्रम की चल रही स्कीम के अधीन खेतों पर प्रदर्शन कर सकें।

विवरण

वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान गेहूं का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की क्षमता वाले विभिन्न राज्यों के अभिज्ञात जिले

क्र.सं.	राज्य	अभिज्ञात जिले
1.	बिहार	1. अररिया
		2. भागलपुर
		3. बांका
		4. भबुआ
		5. चम्पारन (पू.)
		6. चम्पारन (प.)
		7. दरभंगा
		8. जमुई
		9. कटिहार
		10. खगड़िया
		11. किशनगनी
		12. मधुबनी
		13. मधेपुरा
		14. मुज्जफरपुर
		15. नालंदा
		16. पुर्णिया
		17. रोहतास
		18. समस्तीपुर
		19. सारण
		20. सुपौल
		21. सीतामढ़ी
		22. वैशाली
		23. मुंगेर
		24. नवादा
		25. शेखपुरा
2.	गुजरात	26. अहमदाबाद
		27. साबरकांठा
		28. बनासकांठा

क्र.सं.	राज्य	अभिज्ञात जिले
		29. मेहसाना
3.	हरियाणा	30. भिवानी
		31. अम्बाला
		32. गुड़गांव
		33. जमुनानगर
		34. रोहतक
		35. झज्जर
		36. महेन्द्रगढ़
4.	मध्य प्रदेश	37. बैतूल
		38. मिंड
		39. छत्तरपुर
		40. दमोह
		41. देवास
		42. ईस्ट निमाड
		43. गुना
		44. हरदा
		45. इन्दौर
		46. जबलपुर
		47. कटनी
		48. रायसेन
		49. राजगढ़
		50. रीवा
		51. सागर
		52. सतना
		53. सिहोर
		54. सिवनी
		55. शिवपुरी
		56. सीधी
		57. टीकमगढ़
		58. उज्जैन
		59. विदिशा
		60. बालाघाट
		61. धार
		62. डिंडोरी
		63. झाबुआ
		64. मण्डला
		65. पन्ना
		66. शहडोल
5.	महाराष्ट्र	67. अहमदनगर
		68. औरंगाबाद
		69. धूले
		70. नागपुर
		71. नासिक
		72. परभनी
		73. पुणे
		74. शोलापुर
6.	पंजाब	75. हशियारपुर
		76. रोपड़
		77. भटिण्डा
		78. रूपनगर
		79. अमृतसर
		80. संगरूर

क्र.सं.	राज्य	अभिज्ञात जिले
		81. गुरदासपुर
7.	राजस्थान	82. अजमेर
		83. बांसवाड़ा
		84. भीलवाड़ा
		85. बीकानेर
		86. जयपुर
		87. जालौर
		88. झालावाड़
		89. कोटा
		90. नागौर
		91. पाली
		92. सवाई माधोपुर
		93. सीकर
		94. सिरोही
		95. टोंक
		96. उदयपुर
8.	उत्तर प्रदेश	97. इलाहाबाद
		98. अम्बेडकर नगर
		99. आजमगढ़
		100. बहराइच
		101. बलिया
		102. बलरामपुर
		103. बरेली
		104. बस्ती
		105. चन्दोली
		106. चित्रकूट
		107. देवरिया
		108. फैजाबाद
		109. फतेहपुर
		110. गाजीपुर
		111. गोण्डा
		112. गोरखपुर
		113. हमीरपुर
		114. हरदोई
		115. जौनपुर
		116. झांसी
		117. कौशाम्बी
		118. ललितपुर
		119. लखनऊ
		120. महाराजगंज
		121. महोबा
		122. मऊ
		123. मिर्जापुर
		124. प्रतापगढ़
		125. रायबरेली
		126. रविदासनगर
		127. संतकबीर नगर
		128. श्रावस्ती
		129. सिद्धार्थनगर
		130. सीतापुर
		131. सुलतानपुर
		132. उन्नाव

क्र.सं.	राज्य	अभिज्ञात जिले	
		133.	सोनभद्र
		134.	वाराणसी
9.	पश्चिम बंगाल	135.	जलपाईगुडी
		136.	कूचबिहार
		137.	दीनाजपुर (एन)
		138.	दीनाजपुर (एस)

[हिन्दी]

जैव-उर्वरकों के लिए मानदंड निर्धारित करना

***83. श्रीमती नीता पटैरिया:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मार्च, 2006 में जैव-उर्वरकों के लिए मानदंड निर्धारित करके इसकी सूचना राज्य सरकारों को भेज दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त मानदंडों के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों के लिए कोई समय-सीमा भी निर्धारित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने अभी तक उक्त मानदंडों को क्रियान्वित नहीं किया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने विनियामक प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए समय-सीमा को 30 जून, 2007 तक बढ़ा दिया है।

शुष्क भूमि कृषि को बढ़ावा

***83. श्री गिरधारी लाल भार्गव:**

श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में "शुष्क भूमि कृषि" हेतु कोई विशेष कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत शुष्क भूमि कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश के शुष्क और अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में राज्यवार कौन-कौन से विभिन्न कार्य/परियोजनाएं शुरू की गई हैं; और

(घ) उक्त प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) कृषि मंत्रालय सात राज्यों नामत: राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के अभिज्ञात शुष्क एवं अर्द्ध-शुष्क जिलों में शुष्क भूमि क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए एक नई स्कीम "शुष्क भूमि कृषि प्रणाली की संधारणीयता बढ़ाना" पर विचार कर रहा है। वर्षा, नमी सूचकांक और सिंचाई कवरेज के आधार पर पहचाने गए जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इस स्कीम में वर्षा जल संचयन और इसके कुशल उपयोग, स्व-स्थाने नमी संरक्षण, जैविक खादों के उपयोग, वैकल्पिक भू-उपयोग और उन्नत शुष्क भूमि कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। वार्षिक योजना 2007-08 में 200.00 करोड़ रुपए (बजट अनुमान) का आबंटन किया गया है।

विवरण

प्रस्तावित नई स्कीम "शुष्क भूमि कृषि प्रणालियों की संधारणीयता बढ़ाना" के लिए अभिज्ञात जिलों की सूची

राज्य	क्र. सं.	जिला	वार्षिक वर्षा (मि.मी.)	निवल बुआई क्षेत्र (हैक्टेयर)	सिंचाई (%)	नमी सूचकांक
1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान	1.	बाड़मेर	261.40	1304041	7.95	-85.92

1	2	3	4	5	6	7
20	2.	बीकानेर	247.60	1063628	16.51	-86.02
	3.	चुरू	371.70	1211415	4.99	-77.21
	4.	हनुमानगढ़	309.90	643967	52.74	
	5.	जैसलमेर	163.70	353534	20.06	-92.07
	6.	जालौर	438.00	529016	42.88	-76.25
	7.	जोधपुर	324.40	1060902	13.43	-82.39
	8.	नागौर	407.70	1200172	21.59	-75.48
	9.	पाली	487.60	545582	28.65	-70.29
	10.	अजमेर	495.50	364635	23.17	-68.36
	11.	भीलवाड़ा	678.00	339593	33.40	-56.51
	12.	डुंगरपुर	727.40	119148	18.17	-51.60
	13.	जयपुर	586.80	666305	53.91	-66.37
	14.	झुनझुनु	487.60	426731	49.96	-69.41
	15.	करौली	689.10	198609	46.90	
	16.	राजसमंद	529.30	90757	22.77	
	17.	सीकर	467.90	514629	42.59	-68.87
	18.	सिरोही	658.00	126749	38.30	-62.49
	19.	टोन्क	619.80	475531	39.78	-61.19
	20.	उदयपुर	650.20	233887	20.50	-52.88
गुजरात	1.	अहमदाबाद	694.90	574900	31.43	-58.59
11	2.	बनासकांठा	665.80	840800	45.47	-66.46
	3.	मेहसाना	715.90	690900	52.32	-63.99
	4.	पाटन	577.60	404609	24.32	-63.99
	5.	अमरेली	566.20	498100	14.60	-69.83
	6.	जामनगर	500.20	575000	10.94	-70.85
	7.	भावनगर	608.00	628800	21.56	-66.48

1	2	3	4	5	6	7
	8.	कच्छ	404.90	491300	26.73	-79.42
	9.	पोरबंदर	671.70	132257	14.62	-50.39
	10.	राजकोट	613.60	728200	19.69	-71.38
	11.	सुरेन्द्रनगर	531.20	685300	18.93	-73.04
महाराष्ट्र	1.	अहमदनगर	595.00	1154600	26.44	-62.93
7	2.	धुले	677.20	704600	13.76	-60.47
	3.	नासिक	656.50	852800	22.91	-60.43
	4.	सांगली	739.40	582900	22.78	-54.36
	5.	शोलापुर	660.60	1055800	21.97	-63.32
	6.	बीड़	733.70	774000	27.20	-54.32
	7.	जालना	749.80	568400	12.79	-52.91
मध्य प्रदेश	1.	बड़वानी	742.10	233478	28.90	
1						
आन्ध्र प्रदेश	1.	मेडक	749.60	451856	31.32	-57.36
3	2.	चित्तुर	539.30	477177	38.02	-65.34
	3.	कुरनूल	718.40	899977	19.97	-60.70
तमिलनाडु	1.	विल्लोर	657.10	215916	52.63	
1						
कर्नाटक	1.	बीदर	731.30	372345	10.22	-58.33
12	2.	धारवाड़	631.80	331471	13.14	-62.05
	3.	गुलबर्गा	626.20	1152143	13.67	-67.30
	4.	कोप्पल	741.90	349942	30.55	
	5.	रायचूर	584.70	503664	28.72	-70.03
	6.	बंगलौर (ग्रा.)	725.60	298621	17.59	
	7.	बेल्लारी	739.90	487573	32.86	-57.43
	8.	कामराजनगर	634.50	154472	30.29	

1	2	3	4	5	6	7
	9.	देवगिरी	534.00	384748	34.40	
	10.	हासन	660.40	364399	19.47	-53.03
	11.	मन्डेया	740.50	246662	43.79	-51.88
	12.	मैसूर	702.10	389921	29.24	-54.26
		कुल जिले 55				

[अनुवाद]

उर्वरकों की खपत

***85. श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में उर्वरकों की राज्यवार औसत प्रति हेक्टेयर खपत कितनी रही;

(ख) उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर विश्व औसत खपत कितनी है;

(ग) समेकित पोषक प्रबंधन रणनीति से देश में उर्वरकों के प्रयोग को कम करने में कितनी सहायता मिल रही है; और

(घ) देश में कार्बनिक खेती को बढ़ावा देने हेतु क्या संवर्धनात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में उर्वरकों (एन.पी.के. पोषक तत्व) की औसत प्रति हैक्टेयर खपत का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) कृषि भूमि में प्रति हैक्टेयर उर्वरकों (एन.पी. के पोषक तत्व) की खपत का विश्व औसत 105.50 कि.ग्रा. है।

(ग) समेकित पोषक प्रबंधन (आई.एन.एम.) में जैव खाद और बायो उर्वरकों के संयोजन में रासायनिक उर्वरकों का मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग निहित है। आई.एन.एम. मृदा परीक्षण और जैव खादों और बायो उर्वरकों से प्राप्त अनुपूरक पोषण तत्वों की दृष्टि से आंकी गई मृदा की पोषक आपूर्ति क्षमता पर आधारित फसलों की पोषक तत्व संबंधी जरूरतों को संतुलित करता है।

(घ) राष्ट्रीय जैव खेती परियोजना के माध्यम से जैव खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए संवर्धनात्मक उपायों में सेवा प्रदायकों के माध्यम से क्षमता निर्माम, जागरूकता लाने के लिए प्रशिक्षण और प्रदर्शन, विपणन विकास और जैव आदानों की वाणिज्यिक उत्पादन इकाइयों को वित्तीय सहायता शामिल हैं।

विवरण

वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान उर्वरकों की राज्यवार प्रति हैक्टेयर खपत

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उर्वरक खपत (एन.पी.के. पोषक तत्व) कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर		
		2003-04	2004-05	2005-06*
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	149.83	158.57	203.61
2.	कर्नाटक	80.33	99.51	117.34
3.	केरल	65.01	56.74	57.00

1	2	3	4	5
4.	तमिलनाडु	134.14	159.07	183.67
5.	पाण्डिचेरी	1067.03	1086.30	1100.26
6.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	15.33	10.92	12.63
7.	लक्षद्वीप	3.33	0.00	0.00
8.	गुजरात	89.85	99.49	111.07
9.	मध्य प्रदेश	49.70	53.42	47.13
10.	छत्तीसगढ़	43.36	65.19	67.36
11.	महाराष्ट्र	64.82	74.68	84.52
12.	राजस्थान	35.94	31.33	36.29
13.	गोवा	36.09	34.08	32.66
14.	दमन व दीव	0.00	3.33	0.00
15.	दादर व नगर हवेली	35.67	41.25	43.97
16.	हरियाणा	159.97	155.10	166.72
17.	पंजाब	194.56	194.56	210.06
18.	उत्तर प्रदेश	127.78	134.13	140.37
19.	उत्तरांचल	101.86	88.93	94.24
20.	हिमाचल प्रदेश	49.22	47.00	48.75
21.	जम्मू-कश्मीर	72.23	66.30	81.31
22.	दिल्ली	35.11	13.08	10.51
23.	चण्डीगढ़	3.33	9.09	0.00
24.	बिहार	86.92	99.78	125.32
25.	झारखण्ड	50.88	62.10	67.61
26.	उड़ीसा	37.77	51.59	57.33
27.	पश्चिम बंगाल	114.99	129.73	127.50
28.	असम	47.78	41.25	49.26

1	2	3	4	5
29.	त्रिपुरा	37.75	34.74	39.21
30.	मणिपुर	125.71	85.97	59.84
31.	मेघालय	17.35	18.05	17.98
32.	नागालैण्ड	1.74	1.46	1.50
33.	अरुणाचल प्रदेश	2.78	2.98	2.94
34.	मिजोरम	15.00	15.85	25.45
35.	सिक्किम	3.64	5.01	2.83
	अखिल भारत	88.05	94.52	104.50

*2004-05 के अनन्तिम सकल सस्यगत क्षेत्र पर आधारित

[हिन्दी]

खनन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट

***86. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:**

श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) ने वर्ष 2005 के दौरान देश के विभिन्न भागों के पर्वतों विशेषकर राजस्थान के ब्रज पर्वतों में खनन करने के बारे में कोई रिपोर्ट दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) ब्रज रक्षक दल, मथुरा से प्राप्त शिकायत के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) ने नवम्बर, 2005 में राजस्थान राज्य के भरतपुर जिला और उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिला में प्रभावित क्षेत्रों में गतिविधियों का सर्वेक्षण किया था। यह देखा गया था कि क्षेत्र में पर्वत वानस्पतिक आवरण रहित है, कुछ स्थानों पर अत्यधिक खनन का प्रसार देखा गया और स्टोन क्रशर्स पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपायों के बिना कार्य कर रहे थे।

उपरोक्त को देखते हुए, सी.पी.सी.बी. की रिपोर्ट में समाविष्ट किए गए महत्वपूर्ण सुझावों में से कुछ सुझाव खनन क्षेत्र को मिट्टी से भरकर पौध रोपण करना, परित्यक्त खान क्षेत्रों से रॉक ब्लास्टर्स और अन्य तकनीकी साधनों को हटाने के साथ-साथ अन्य सुधारात्मक उपायों के संबंध में है।

(ग) से (ङ) उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य सरकारों और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से इस बारे में उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

तटीय पारिस्थितिकी का संरक्षण

***87. श्री रामदास आठवले:**

डा. एम. जगन्नाथ:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत की तटरेखा के अध्ययन हेतु एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित करने के लिए कोई कदम उठाये हैं; अथवा उठाने का विचार है ताकि तटीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अद्यतन ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) सरकार के पास मामले से संबंधित कोई नया प्रस्ताव नहीं है।

(ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में जुलाई 2004 को एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी जो तटीय विनियम क्षेत्र अधिसूचना, 1991 के कार्यान्वयन और संशोधन, यदि कोई हो, की पुनरीक्षा करेगी और सिफारिशें देगी। विशेषज्ञ समिति ने अपनी सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अप्रैल, 2005 को स्वीकार किया था। मुख्य सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) एक समान विनियामक पहुंच के स्थान पर एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन।

(ii) प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरों को ध्यान में रखते हुए तटीय भंगुरता के आधार पर तटीय क्षेत्रों के तटों का विकास।

(iii) विनियमन के लिए समुद्री जोन को शामिल करना।

(iv) नीतिगत और कानूनी मुद्दों से निपटने के लिए तटीय जोन प्रबंधन संस्थान स्थापित करना।

(v) तटीय क्षेत्रों और समुद्री जल का समयबद्ध रूप से प्रदूषण निवारण।

(vi) कच्छ वनस्पति, प्रवाल, कछुआ प्रजनन क्षेत्रों जैसे तटीय पारि-संवेदी क्षेत्रों का अभिनिर्धारण और नक्शे तैयार करना।

(vii) तटीय जैवी सुरक्षा का विकास।

(ग) मंत्रालय ने उक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित उपाए किए है:-

(i) भूमि आधारित कार्यों से होने वाले तटीय जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करना।

(ii) भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, अहमदाबाद और भू-विज्ञान अध्ययन केन्द्र, तिरुवनंतपुरम नामक वैज्ञानिक संगठनों के माध्यम से अभिनिर्धारित तट के क्षेत्रों के किनारे भंगुर लाइन के सीमांकन के लिए बड़े पैमाने पर अध्ययन करना।

(iii) तट रेखा के किनारे पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों की मैपिंग, भूमि आधारित कार्यकलापों से हो रहे तटीय जल में प्रदूषण पर नियंत्रण और क्षमता निर्माण तथा संस्थागत विकास से संबंधित सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त करना।

[अनुवाद]

परीक्षण करने वाली प्रयोगशालाओं से खतरे

***88. श्री सर्वे सत्यनारायण:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने परीक्षण करने वाली प्रयोगशालाओं के जैव-रासायनिक खतरों का आकलन करने, उन्हें विनियमित करने तथा उन्हें नियोजित करने के लिए देश की प्रथम पर्यावरण प्रबंधन कार्य योजना प्रकाशित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में विश्व बैंक की क्या भूमिका है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) जी, नहीं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) ने पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के मूल्यांकन करने और उन्हें मान्यता देने के लिए और पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के प्रचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए दिशानिर्देश तैयार किये हैं। दिशानिर्देशों में अवसंरचना, उपकरण और उपस्कर, जो नमूनों के विश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं, एगजॉस्ट आऊटलेट्स की व्यवस्था करना, विषैले अथवा अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री को प्रबंधन हेतु सुविधाएं और प्रयोगशालाओं से उत्सर्जित, पारा आदि जैसे विषैले प्रदूषकों वाले द्रव बहिस्रावों के निपटान हेतु प्रावधानों सहित सुरक्षित प्रयोगशाला प्रक्रियाओं का प्रावधान करता है। इन दिशानिर्देशों में अपशिष्ट के पृथककरण की आवश्यकताओं और इसके उचित भंडारण का भी उल्लेख किया गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने ऐसी प्रयोगशालाओं हेतु पर्यावरण, स्वस्थ्य और सुरक्षा (ई.एच.एस.) योजना तैयार करने और क्रियान्वित करने के लिए खाद्य और औषध की प्रयोगशालाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा पोषित एक क्षमता निर्माण परियोजना भी शुरू की है। ई.एच.एस. प्रबंधन योजना में परिकल्पित गतिविधियों में विषैले रसायनों को संभालने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं, प्रयोगशाला रसायनों को संभालने के लिए सावधानियां, मूल्यांकन, जोखिमों को कम करके आंकने से बचना और वायु जनित पदार्थों के प्रभावन की रोकथाम शामिल है। इस परियोजना में इस प्रकार की औषध

और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में खतरनाक रसायनों और उत्पादित अपशिष्टों को संभालने और प्रबंधन के लिए क्षमता बढ़ाना भी परिकल्पित है।

असंगठित क्षेत्र के मजूदरों के लिये पेंशन संबंधी विधेयक

*89. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:**
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन देने संबंधी विधेयक की एक प्रति प्रसारित की है और इससे प्रभावित व्यक्तियों से सुझाव आमंत्रित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितने सुझाव प्राप्त हुए हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे प्रभावित व्यक्तियों का यह कहना है कि यह विधेयक बहुत ही सामान्य है और इसमें कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है जैसाकि दिनांक 08 फरवरी, 2007 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(च) इस विधेयक को संसद में कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) मंत्रालय ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007 के प्रारूप की एक प्रति दिनांक 29-01-2007 को अपनी वेबसाइट पर प्रसारित थी जिसमें सभी पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स) और आम जनता की टिप्पणियां तथा सुझाव 15 फरवरी, 2007 तक आमंत्रित किये गये थे। यह तारीख 15 मार्च, 2007 तक के लिये बढ़ा दी गई है।

(ख) से (ङ) 28-02-2007 तक, 10 पणधारियों से सुझाव तथा टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं जिनकी मंत्रालय में जांच की जा रही है। कुछ पणधारियं ने यह दावा किया है कि विधेयक की प्रकृति व्यापक नहीं है और उन्होंने रोजगार और मजदूरी के विनियमन, मर्यादित कार्यदशाओं तथा महिला श्रमिकों को यौन उत्पीड़न से संरक्षण सहित सभी सामाजिक सुरक्षा तथ्यों को कवर करने जैसे कतिपय संशोधनों के सुझाव दिये हैं।

(च) संसद में विधेयक को यथाशीघ्र पुर:स्थापित करने के लिये ठोस प्रयास किये जा रहे हैं।

दुग्ध उत्पादन

*90. **श्री ई. पोन्नुस्वामी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश का कुल वार्षिक दुग्ध उत्पादन कितना है और विश्व में इसका कौन सा स्थान है;

(ख) विश्व बाजार में दूध और दूध उत्पादों के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है;

(ग) देश में दूध का उत्पादन करने वाले राज्यों के रैंकवार क्या नाम हैं;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इन राज्यों में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार डेयरी उद्योग में उपयोग की जाने वाली उच्च गुणवत्ता वाली मशीनों के आयात पर कर छूट देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) देश में वर्ष 2005-06 के लिए अनुमानित दुग्ध उत्पादन 97.1 मिलियन टन है। अद्यतन उपलब्ध वर्ष 2004 के लिए एफ.ए.ओ. सांख्यिकी के अनुसार, कुल दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है।

(ख) उद्यतन उपलब्ध वर्ष 2004 के लिए एफ.ए.ओ. सांख्यिकी के अनुसार विश्व में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के निर्यात में भारत का 0.18% हिस्सा है।

(ग) जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है योजनाओं के अलावा, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजनाओं के जरिए राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति कर रहा है:-

1. राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना
2. सघन डेयरी विकास कार्यक्रम
3. गुणवत्ता एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण

4. पशुधन बीमा योजना

5. सहकारिताओं को सहायता

8. डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूंजी कोष

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश में दुग्ध उत्पादन करने वाले राज्यों के रैंकवार नाम तथा उनका 2005-06 के दौरान अनुमानित दुग्ध उत्पादन

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	दुग्ध उत्पादन (000 टन)
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	17356
2.	पंजाब	8909
3.	राजस्थान	8713
4.	आन्ध्र प्रदेश	7624
5.	गुजरात	6960
6.	महाराष्ट्र	6760
7.	मध्य प्रदेश	6283
8.	तमिलनाडु	5474
9.	हरियाणा	5299
10.	बिहार	5060
11.	कर्नाटक	4022
12.	पश्चिम बंगाल	3891
13.	केरल	2063
14.	जम्मू-कश्मीर	1400
15.	उड़ीसा	1342
16.	झारखण्ड	1353
17.	उत्तराखण्ड	1206
18.	हिमाचल प्रदेश	869
19.	छत्तीसगढ़	839
20.	असम	747
21.	दिल्ली	310
22.	त्रिपुरा	87
23.	मणिपुर	77
24.	नागालैण्ड	74
25.	मेघालय	73
26.	गोवा	56
27.	सिक्किम	48
28.	अरुणाचल प्रदेश	48
29.	चण्डीगढ़	46
30.	पाण्डिचेरी	43
31.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	20
32.	मिजोरम	15
33.	दादरा एवं नगर हवेली	5
34.	लक्षद्वीप	2
35.	दमन एवं दीव	1
	अखिल भारत	97066

[हिन्दी]

कीटनाशक रोधी क्षमता वाले पैथोजेन्स

***91. श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण फसलों में रोग फैलाने वाले पैथोजेन्स में कीटनाशक रोधी क्षमता विकसित हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार और अधिक प्रभावी कीटनाशक विकसित करने के लिए कोई अनुसंधान कार्यक्रम चला रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कीटनाशकों के प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर कीटनाशकों का उपयोग किए बिना फसलों को पैथोजेन्स से बचाने के लिए एक नई प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु अनुसंधान कार्य शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) भारत में संस्तुत कीटनाशकों, जिनका प्रयोग अच्छी कृषि क्रियाओं के अंतर्गत किया जाता है उनके प्रति किसी भी फसल में रोगजनकों की प्रतिरोधिता के विकास के बारे में कोई प्रामाणिक रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) रासायनिक कीटनाशकों के संभावित प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखते हुए रोग प्रभाव को कम करने के लिए रासायनिक कीटनाशकों के प्रति एक वैकल्पिक विकल्प के रूप में जैव-कूटनाशकों के साथ-साथ उपयुक्त जैव-नियंत्रण कारकों का विकास करने के लिए अनेक अनुसंधान कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

जैविक नियंत्रण परियोजना निदेशालय, राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंधन केन्द्र तथा राष्ट्रीय कृषि संबंधी महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीव ब्यूरो सहित अनुसंधान संस्थान विशिष्ट पादप रोगजनकों के लिए जैव-नियंत्रण कारकों के आशाजनक प्रभेदों की पहचान करने तथा विकास करने में लगे हुए हैं।

(ङ) और (च) रोग प्रबंधन के लिए संश्लेषित रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करने वाले अनुसंधान कार्यक्रमों ने लक्षित रोगों के प्रतिरोधी/सहिष्णु अनेक जीन प्ररूपों का विकास किया है। समेकित रोग प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत फसल की रोग प्रतिरोधी किस्मों के रोग प्रबंधन की कृषि विधियों के अतिरिक्त जैविक नियंत्रण, जैव-कीटनाशकों जैसे गैर-रासायनिक विकल्पों के साथ खेती करने की सिफारिश की जाती है।

कवक विरोधी (जैसे *ट्राइकोडर्मा विरीडी, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम* और *ट्राइकोडर्मा विरेन्स*), जीवाणु विरोधी, जैसे *स्यूडोमोनास फ्लोरेसेन्स* की फसली पौधों में अनेक रोगजनकों के लिए पहचान की गई है तथा कृषि फार्मों में उपयोग करने हेतु उनकी बहु-उत्पादन तकनीकों को वाणिज्यिक उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बनाया जाता है।

[अनुवाद]

निर्णय लेने में कामगारों की भागीदारी

***92. श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्णय लेने के स्तर पर कामगारों को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मसले को सुलझाने के लिए एक त्रिपक्षीय बैठक बुलायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ङ) प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी संबंधी एक व्यापक योजना 1983 में अधिसूचित की गई थी। यह योजना सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, उन उपक्रमों को छोड़कर जिन्हें इस योजना के संचालन से विशेष रूप से छूट प्राप्त है, पर लागू होती है। केन्द्रीय सरकार के विभागीय रूप से संचालित सभी उपक्रम इस योजना से बाहर हैं।

इस योजना में दुकान तथा संयंत्र स्तरों पर द्विपक्षीय मंचों के गठन की व्यवस्था है। उपयुक्त समझे गये उद्यमों में, यह बोर्ड स्तर पर भागीदारी की भी व्यवस्था करती है। इस योजना में उत्पादन, गुणवत्ता, लक्ष्यों, प्रौद्योगिकीय सुधार, सुरक्षा, कल्याण उपायों, वातावरण संबंधी मुद्दों, अनुपस्थिति, उद्यम के वित्तीय निष्पादन आदि कार्य से संबंधित कतिपय मुद्दों पर द्विपक्षीय विचार किये जाने का प्रावधान है।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 के अंतर्गत बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात्, सरकार ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से अपने बोर्डों में कर्मचारी निदेशक, एक कामगारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तथा दूसरा अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिये, नियुक्त करने की अपेक्षा की है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिक संघ की सदस्यता का सत्यापन, प्रतिनिधि संघ की पहचान और प्रतिनिधि संघ द्वारा सरकार के लिये प्रस्तावित तीन नामों के पैनल से कामगार निदेशक की

नियुक्ति करना अपेक्षित है। कर्मचारी निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष का होना था।

प्रबंधन में कामगार सहभागिता विधेयक, 1990 राज्य सभा में 30-05-1990 को राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया था जिसमें 1990 से आर्थिक और सामाजिक मानदंडों में परिवर्तनों को दर्शाने के लिये कुछ संशोधन करना अपेक्षित होगा। त्रिपक्षीय मंचों में सामाजिक साझेदारों के साथ विचार-विमर्श/परामर्श के पश्चात् कुछ संशोधनों के साथ इस विधेयक को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है।

प्रबंधन में कामगार सहभागिता विधेयक, 1990 पर 14-02-2006 को आयोजित एक त्रिपक्षीय समिति की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। लेकिन कोई आम राय नहीं बन सकी। इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाना अभी बाकी है।

[हिन्दी]

गेहूं, दालों और तिलहनों की खेती

***93. श्री मो. ताहिर:**

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष की तुलना में गत तीन वर्षों के दौरान गेहूं, दालों, तिलहनों और चने की खेती और उनके उत्पादन के संबंध में, राज्य-वार, कितना क्षेत्र दर्ज किया गया है;

(ख) क्या गेहूं और दालों की खेती के क्षेत्र में वृद्धि होने के कारण मोटे अनाज की खेती और उत्पादन के क्षेत्र में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) मोटे अनाज और तिलहनों के उत्पादन और उनकी मांग के बीच अंतर को पाटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) निम्न सारणी में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गेहूं, चना, दालों, मोटे अनाजों और तिलहनों का अखिल भारतीय क्षेत्र और उत्पादन दर्शाया गया है। तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

ए: क्षेत्र (मिलियन हैक्टेयर), पी: उत्पादन (मिलियन टन)

वर्ष	गेहूं		चना		दालें		मोटे अनाज		तिलहन	
	ए	पी	ए	पी	ए	पी	ए	पी	ए	पी
2003-04	26.59	72.16	7.05	5.72	23.46	14.91	30.80	37.60	23.66	25.19
2004-05	26.38	68.64	6.71	5.47	22.76	13.13	29.03	33.46	27.52	24.35
2005-06	26.48	69.35	6.90	5.58	22.36	13.36	29.06	34.07	27.86	27.98
2006-07*	27.11	72.50	7.38	6.16	22.31	14.52	28.10	32.02	25.64	23.62

2003-04 की तुलना में वर्ष 2004-05 में गेहूं, दालों और मोटे अनाजों के अन्तर्गत क्षेत्र घट गया। वर्ष 2005-06 में हालांकि गेहूं और मोटे अनाजो का क्षेत्र आंशिक रूप से बढ़ा, यह दालों के अन्तर्गत घट गया। चालू वर्ष 2006-07 में गेहूं के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ गया है जब कि दालों और मोटे अनाजों के अन्तर्गत यह घट गया है। इस प्रकार ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाये कि गेहूं और दालों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ने के कारण मोटे अनाजों का क्षेत्र और उत्पादन घट गया है।

(घ) देश में मोटे अनाजों की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। हालांकि खाद्य तेलों के सम्बंध में मांग-आपूर्ति में अन्तर था जिसे 2005-06 में 4.17 मिलियन टन और अप्रैल से सितम्बर 2006 तक 2.16 मिलियन टन के आयात से पूरा किया गया। देश में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना तिलहन, दालों, खजूर तेल, तथा मक्का की एक संघटित स्कीम (आईसोपाम) को लागू कर रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच 75:25 प्रतिशत के आधार पर भिन्न निवेशों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

राज्य	गेहूं							
	क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)				उत्पादन ('000 टन)			
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	12.0	9.0	11.0	8.0	7.0	5.0	9.0	6.0
अरुणाचल प्रदेश	4.2	4.3	4.0	#	6.3	8.7	6.1	#
असम	70.0	63.9	50.0	61.0	73.0	68.1	53.7	65.0
बिहार	2076.8	2027.6	2003.7	2034.0	3688.9	3263.4	3239.0	3239.0
छत्तीसगढ़	106.1	96.6	102.4	95.0	108.6	82.4	90.7	72.0
गोवा	*	*	*	*	*	*	*	*
गुजरात	759.5	727.4	916.0	1150.0	2036.5	1805.5	2473.0	3110.0
हरियाणा	2315.0	2322.0	2304.0	2365.0	9114.0	9058.0	8857.0	9697.0
हिमाचल प्रदेश	361.0	362.0	358.5	366.0	498.0	684.0	679.0	373.0
जम्मू-कश्मीर	254.7	248.4	248.0	254.0	459.4	474.4	444.0	469.0
झारखण्ड	75.0	63.0	58.0	100.0	118.0	150.0	77.7	200.0
कर्नाटक	232.0	242.0	253.0	240.0	96.2	179.0	217.0	148.0
केरल	*	*	*	*	*	*	*	*
मध्य प्रदेश	4091.1	4136.2	3692.8	3693.0	7364.6	7176.6	5957.7	6062.0
महाराष्ट्र	665.0	756.0	933.0	1202.0	778.0	1016.0	1300.0	1527.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मणिपुर	*	*	*	*	*	*	*	*
मेघालय	0.9	0.9	0.7	#	1.5	1.6	1.2	#
मिजोरम	*	*	*	*	*	*	*	*
नागालैण्ड	10.0	8.2	1.2	#	20.0	13.0	1.9	#
उड़ीसा	5.1	4.0	3.3	5.0	7.5	5.0	4.5	7.0
पंजाब	3444.0	3482.0	3468.0	3425.0	14489.0	14698.0	14493.0	14500.0
राजस्थान	2103.0	2010.1	2123.9	2093.0	5875.8	5706.6	5865.3	5670.0
सिक्किम	5.7	5.7	6.5	#	8.1	8.3	9.0	#
तमिलनाडु	*	*	*	*	*	*	*	*
त्रिपुरा	1.2	1.1	1.1	#	5.1	2.8	2.9	#
उत्तर प्रदेश	9150.1	8999.8	9163.9	9172.0	25566.7	22513.9	24073.8	25500.0
उत्तरांचल	397.0	394.0	395.0	380.0	745.0	803.0	645.0	780.0
पश्चिम बंगाल	425.7	400.1	366.7	418.0	985.7	841.5	773.5	947.0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	*	*	*	*	*	*	*	*
दादरा नगर हवेली	0.5	0.6	0.6	#	1.0	1.1	1.1	#
दिल्ली	29.1	18.0	18.3	#	102.3	71.0	79.4	#
दमन और दीव	*	*	*	*	*	*	*	*
पांडिचेरी	*	*	*	*	*	*	*	*
अन्य	**	**	**	46.0	**	**	**	128.0
समस्त भारत	26594.7	26382.9	26483.6	27107.0	72156.2	68636.9	69354.5	72500.0

राज्य	तिलहन							
	क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)				उत्पादन ('000 टन)			
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1	10	11	12	13	14	15	16	17
आन्ध्र प्रदेश	2546.3	2918.4	2922.0	2174.0	1614.1	2209.4	2041.0	1262.0
अरुणाचल प्रदेश	26.5	25.9	27.1	#	27.3	27.0	22.7	#
असम	299.0	277.4	243.4	275.0	157.0	146.8	113.2	140.0
बिहार	140.6	131.8	139.0	128.0	123.8	116.9	136.5	111.0
छत्तीसगढ़	293.9	290.7	302.1	301.0	127.0	123.7	126.5	104.0
गोवा	3.3	3.4	3.3	#	5.7	5.4	7.9	#
गुजरात	2979.4	3016.1	3032.0	2784.0	5665.0	2986.9	4682.0	2576.0
हरियाणा	644.8	714.6	734.2	674.0	997.8	840.5	825.2	1039.0
हिमाचल प्रदेश	16.2	19.0	15.1	15.0	9.2	12.0	5.2	8.0
जम्मू-कश्मीर	63.0	110.4	6.3	64.0	42.1	124.2	2.7	41.0
झारखण्ड	34.0	29.0	27.3	196.0	8.0	7.0	8.5	128.0
कर्नाटक	2267.4	2674.0	2857.0	2275.0	934.1	1570.0	1715.0	1027.0
केरल	3.9	2.4	3.9	2.0	2.3	1.9	2.6	3.0
मध्य प्रदेश	5362.1	5760.2	5668.3	5999.0	5623.6	4797.7	5721.9	5452.0
महाराष्ट्र	2763.0	3359.0	3648.0	3669.0	2921.0	2744.1	3373.0	3504.0
मणिपुर	0.8	1.8	0.1	#	0.4	0.8	0.7	#
मेघालय	9.8	9.8	9.8	#	6.4	6.5	6.7	#

1	10	11	12	13	14	15	16	17
मिजोरम	7.5	7.3	4.8	#	5.4	5.6	5.4	#
नागालैण्ड	58.2	70.3	67.8	#	66.8	81.9	62.8	#
उड़ीसा	304.5	316.0	332.0	326.0	156.9	179.5	187.7	182.0
पंजाब	87.3	91.4	81.7	150.0	103.8	100.4	89.6	201.0
राजस्थान	3226.1	5133.4	5257.0	4260.0	3996.8	5541.1	5964.0	5300.0
सिक्किम	9.9	9.9	9.9	#	7.4	7.6	7.2	#
तमिलनाडु	695.0	715.7	709.9	695.0	963.6	1061.1	1152.9	993.0
त्रिपुरा	5.2	5.4	5.5	#	3.8	3.9	3.9	#
उत्तर प्रदेश	1088.7	1105.6	1073.5	864.0	927.8	952.3	1066.5	824.0
उत्तरांचल	37.0	41.0	35.0	30.0	34.0	38.0	30.0	29.0
पश्चिम बंगाल	683.7	677.5	641.1	627.0	650.7	652.9	610.4	569.0
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	*	*	*	*	*	*	*	*
दादरा और नगर हवेली	0.1	0.1	0.1	#	0.1	0.1	0.1	#
दिल्ली	4.2	4.1	3.8	#	1.7	5.0	2.9	#
दमन और दीव	*	*	*	*	*	*	*	*
पांडिचेरी	1.5	1.7	1.8	#	2.5	3.3	3.2	#
अन्य	**	**	**	127.0	**	**	**	126.0
समस्त भारत	23662.3	27523.3	27862.8	25635.0	25186.1	24353.5	27977.9	23619.0

*05-02-2007 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान

#अन्य में शामिल

** : उपलब्ध नहीं

* : या तो फसल पैदा नहीं होती या क्षेत्र 60 हैक्टेयर/उत्पादन 50 टन से कम

6 मार्च, 2007

राज्य	चना							
	क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)				उत्पादन ('000 टन)			
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	422.0	341.0	394.0	529.0	457.0	345.0	627.0	628.0
अरुणाचल प्रदेश	*	*	*	*	*	*	*	*
असम	2.0	2.1	2.0	2.0	1.0	1.1	1.0	1.0
बिहार	80.3	72.1	62.2	72.0	78.6	60.2	56.1	65.0
छत्तीसगढ़	204.7	210.5	231.5	231.0	197.3	114.1	163.4	104.0
गोवा	*	*	*	*	*	*	*	*
गुजरात	149.6	122.7	167.0	235.0	132.3	98.5	142.0	204.0
हरियाणा	123.0	107.0	130.0	125.0	100.0	91.0	72.0	125.0
हिमाचल प्रदेश	1.0	3.0	1.3	1.0	1.0	4.0	0.7	1.0
जम्मू-कश्मीर	0.3	0.2	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0
झारखण्ड	*	*	*	110.0	*	*	*	165.0
कर्नाटक	509.5	418.0	418.0	725.0	171.1	224.0	229.0	406.0
केरल	*	*	*	*	*	*	*	*
मध्य प्रदेश	2791.3	2746.5	2560.7	2318.0	2584.9	2548.9	2371.2	1674.0
महाराष्ट्र	795.0	830.0	1020.0	1277.0	421.0	466.0	705.0	1046.0
मणिपुर	*	*	*	*	*	*	*	*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मेघालय	0.5	0.5	0.5	#	0.3	0.3	0.3	#
मिजोरम	*	*	*	*	*	*	*	*
नागालैण्ड	1.5	1.0	0.4	#	2.0	1.0	0.4	#
उड़ीसा	28.6	32.8	35.3	40.0	17.7	19.9	22.8	31.0
पंजाब	6.0	5.1	4.0	10.0	5.4	4.4	3.0	9.0
राजस्थान	1117.5	1035.2	1081.9	820.0	707.2	773.0	478.9	808.0
सिक्किम	*	*	*	*	*	*	*	*
तमिलनाडु	6.6	6.7	5.9	35.0	4.3	4.4	4.0	23.0
त्रिपुरा	0.4	0.4	0.4	#	0.2	0.2	0.2	#
उत्तर प्रदेश	760.6	738.6	739.6	795.0	787.1	672.2	660.6	825.0
उत्तरांचल	1.0	3.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0
पश्चिम बंगाल	46.5	38.0	40.0	48.0	47.7	38.9	36.5	43.0
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	*	*	*	*	*	*	*	*
दादरा और नगर हवेली	0.2	0.2	0.2	#	0.1	0.1	0.1	#
दिल्ली	0.0	0.0	0.1	#	0.1	0.1	0.1	#
दमन और दीव	*	*	*	*	*	*	*	*
पांडिचेरी	*	*	*	*	*	*	*	*
अन्य	**	**	**	2.0	**	**	**	2.0
समस्त भारत	7048.1	6714.6	6896.2	7377.0	5717.5	5469.4	5575.4	6162.0

राज्य	दालें							
	क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)				उत्पादन ('000 टन)			
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1	10	11	12	13	14	15	16	17
आन्ध्र प्रदेश	2185.0	1803.8	1781.7	1851.0	1239.0	1019.0	1376.0	1208.0
अरुणाचल प्रदेश	6.8	6.5	7.7	#	7.4	6.8	8.3	#
असम	115.0	107.6	100.5	112.0	64.0	61.4	54.0	63.0
बिहार	691.3	657.9	596.9	653.0	562.6	466.9	446.8	506.0
छत्तीसगढ़	955.1	932.2	949.7	962.0	580.7	367.8	453.2	453.0
गोवा	9.8	10.4	11.0	#	9.2	9.4	11.5	#
गुजरात	832.6	710.2	777.0	943.0	622.4	479.3	547.0	591.0
हरियाणा	199.0	184.2	189.8	209.0	143.1	146.0	118.1	190.0
हिमाचल प्रदेश	29.3	32.3	27.5	27.0	9.0	18.1	19.6	10.0
जम्मू-कश्मीर	27.6	30.7	26.8	27.0	13.3	15.1	13.5	14.0
झारखण्ड	266.0	273.0	260.9	433.0	135.0	160.0	147.8	416.0
कर्नाटक	1874.3	2106.0	1981.0	1834.0	569.2	792.0	964.0	748.0
केरल	6.0	3.4	8.9	6.0	5.0	2.9	6.9	7.0
मध्य प्रदेश	4585.4	4519.7	4284.9	3945.0	3488.0	3429.2	3232.6	2484.0
महाराष्ट्र	3446.1	3384.0	3432.0	3745.0	1960.0	1664.0	2005.0	2260.0
मणिपुर	6.3	7.9	8.6	#	3.2	3.0	4.5	#
मेघालय	4.7	2.6	4.8	#	3.5	3.6	3.6	#

1	10	11	12	13	14	15	16	17
मिजोरम	5.2	3.7	6.5	#	4.5	4.8	7.9	#
नागालैण्ड	33.5	31.6	31.0	#	33.5	25.2	39.7	#
उड़ीसा	714.8	642.5	809.2	698.0	272.7	249.6	336.3	294.0
पंजाब	47.9	39.6	32.6	46.0	39.4	31.7	26.2	39.0
राजस्थान	3860.9	3571.1	3444.6	3023.0	2278.4	1337.4	898.1	1764.0
सिक्किम	7.1	6.9	6.8	#	6.8	6.6	6.1	#
तमिलनाडु	537.0	599.3	525.3	650.0	200.8	245.6	177.0	286.0
त्रिपुरा	8.4	8.9	8.9	#	5.2	5.5	5.6	#
उत्तर प्रदेश	2698.4	2803.7	2750.7	2750.0	2400.3	2375.0	2331.5	2888.0
उत्तरांचल	42.0	45.0	61.0	56.0	29.0	28.0	36.0	37.0
पश्चिम बंगाल	251.9	225.7	222.0	249.0	211.7	167.1	174.3	187.0
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.7	0.7	0.8	#	0.4	0.4	0.4	#
दादरा और नगर हवेली	6.0	6.5	6.5	#	5.1	5.4	5.6	#
दिल्ली	0.1	0.3	0.5	#	0.8	0.3	0.5	#
दमन और दीव	1.3	1.3	1.3	#	1.1	1.2	1.1	#
पांडिचेरी	2.6	3.8	3.7	#	0.9	1.2	1.2	#
अन्य	**	**	**	88.2	**	**	**	77.2
समस्त भारत	23458.1	22763.0	22361.1	22307.2	14905.2	13129.5	13359.9	14522.2

*05-02-2007 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान

#अन्य में शामिल

** : उपलब्ध नहीं

* : या तो फसल पैदा नहीं होती या क्षेत्र 60 हैक्टेयर/उत्पादन 50 टन से कम

2003-04 से 2006-07 के दौरान मोटे अनाजों का क्षेत्र और उत्पादन

राज्य	क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)				उत्पादन ('000 टन)			
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	1635.0	1368.0	1393.0	1241.0	3498.0	2771.0	3862.0	2656.0
अरुणाचल प्रदेश	60.9	60.2	64.7	#	75.8	76.4	80.3	#
असम	28.0	27.2	26.7	28.0	18.0	18.0	17.6	18.0
बिहार	659.1	655.1	695.4	517.0	1513.3	1501.9	1405.5	1239.0
छत्तीसगढ़	365.9	353.9	346.6	165.0	212.9	189.5	159.3	125.0
गोवा	0.6	0.6	0.5	#	1.2	1.1	1.0	#
गुजरात	1766.4	1601.1	1608.0	1442.0	2635.4	1734.5	1836.0	1076.0
हरियाणा	771.0	706.0	723.0	788.0	1146.0	882.0	813.0	1146.0
हिमाचल प्रदेश	335.8	363.3	332.7	339.0	771.8	788.2	570.7	525.0
जम्मू-कश्मीर	357.1	360.1	348.1	360.0	552.7	517.3	467.7	535.0
झारखण्ड	246.0	251.1	222.8	318.0	342.0	324.1	259.6	441.0
कर्नाटक	3701.5	3907.0	3877.0	3579.0	3346.4	5977.0	6564.0	4572.0
केरल	5.9	1.2	2.9	1.0	4.0	0.9	1.5	2.0
मध्य प्रदेश	2393.2	2194.6	2042.7	1909.0	3353.8	2330.0	2348.4	1881.0
महाराष्ट्र	6367.0	6946.3	6866.0	6609.0	4750.0	5696.7	6087.0	6611.0
मणिपुर	2.3	3.2	2.9	#	7.5	8.9	7.9	#
मेघालय	19.6	19.5	19.6	#	28.1	26.3	26.4	#

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मिजोरम	10.5	7.5	11.7	#	20.3	15.7	22.7	#
नागालैण्ड	64.1	63.0	74.5	#	108.3	105.5	120.1	#
उड़ीसा	167.0	181.2	165.2	158.0	143.0	169.1	159.9	154.0
पंजाब	187.7	185.7	175.0	186.0	545.0	504.0	472.0	540.0
राजस्थान	7908.4	6372.4	6772.7	6658.0	9674.8	4956.4	4528.6	5256.0
सिक्किम	44.1	46.6	45.8	#	63.8	67.4	63.7	#
तमिलनाडु	930.6	823.8	741.1	1020.0	983.0	868.0	730.2	1082.0
त्रिपुरा	2.2	2.8	2.2	#	2.2	3.0	2.2	#
उत्तर प्रदेश	2386.8	2151.0	2148.1	2232.0	3260.7	3391.8	2971.2	3317.0
उत्तरांचल	299.0	293.0	272.0	262.0	381.0	358.0	323.0	349.0
पश्चिम बंगाल	77.7	66.3	70.5	77.0	150.0	162.0	150.3	190.0
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.2	0.1	0.1	#	0.2	0.1	0.1	#
दादरा और नगर हवेली	2.2	2.2	2.2	#	2.7	2.7	2.7	#
दिल्ली	5.0	11.0	10.8	#	9.3	16.5	13.9	#
पांडिचेरी	0.4	0.4	0.4	#	0.8	0.7	0.8	#
अन्य	*	*	*	211.0	*	*	*	300.0
समस्त भारत	30801.2	29025.4	29064.9	28100.0	37602.0	33464.7	34069.3	32015.0

*05-02-2007 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान

#अन्य में शामिल

* : उपलब्ध नहीं

[अनुवाद]

समुद्री जीव-जंतुओं संबंधी अध्ययन

***94. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून ने गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नैशनल पार्क की प्रबंध योजना बनाने के लिए गल्फ ऑफ मन्नार की अंतर्जलीय संपदा विशेषकर प्रवाल-भित्ति और अन्य अनुसूचित समुद्री जीव-जंतुओं के बारे में अध्ययन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अध्ययन के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून को तमिलनाडु के गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फेयर रिजर्व ट्रस्ट द्वारा जनवरी 2006 में "गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क और बायोस्फेयर रिजर्व के लिए प्रबंध योजना का विकास करना" शीर्षक से एक परियोजना का कार्य सुपुर्द किया गया था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फेयर रिजर्व के लिए 10 वर्ष की प्रबंध योजना विकसित करना था। प्रबंध योजना से निम्नलिखित उद्देश्यों सहित, क्षेत्र की जैव विविधता का संरक्षण और पारिस्थितकीय रूप से एकीकृत करने के मुद्दों का समाधान किया जायेगा।

(1) प्रवाल भित्तियों का पुनरुद्धार और सुरक्षा योजना और उनकी स्थिति की नियमित रूप से मानीटरी करने के लिए गल्फ ऑफ मन्नार क्षेत्र में प्रवाल भित्ति के वास-स्थलों में स्थायी मानीटरी प्लॉट्स स्थापित करना।

(2) क्षेत्र के अनुसूचित समुद्री जीव-जंतुओं की समुत्थान योजना का सुझाव देना।

(ग) इस परियोजना के मार्च 2007 तक पूरा होने की संभावना है।

[हिन्दी]

डी.ए.वी.पी. के माध्यम से विज्ञापनों को जारी किया जाना

***95. श्री अबु अयीश मंडल:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सभी विज्ञापनों को विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) के माध्यम से जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डी.ए.वी.पी. के पास पंजीकृत समाचार पत्रों/पत्रिकाओं एवं पैनल में शामिल प्रकाशनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के संगठनों को 'डी.ए.वी.पी. नॉन-इम्पैनल्ड' प्रकाशनों को विज्ञापन जारी करने के संबंध में कोई निदेश जारी किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) जी, हां। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त विज्ञापनों को जारी करने के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। इन विज्ञापनों को भारत सरकार की विज्ञापन नीति के अनुसार जारी किया जाता है जिसके तहत केन्द्र सरकार के सभी विज्ञापनों को डी.ए.वी.पी. के माध्यम से निकाला जाएगा। मंत्रालय/विभागों के अधीन सभी संबद्ध कार्यालय, स्वायत्तशासी संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी अपने विज्ञापन डी.ए.वी.पी. के माध्यम से निकालेंगे।

(ग) इस समय 3687 समाचारपत्र और आवधिकियां डी.ए.वी.पी. के पैनल में शामिल हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वन/पर्यावरण/वन्यजीव संबंधी अनुसंधान

***96. श्री सुब्रत बोस:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव संबंधी अनुसंधान करने के लिए धनराशि प्रदान की गई थी;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे अनुसंधानों के विषयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त में से पूरे किए गए अनुसंधानों का ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है; और

(ङ) आज की तिथि के अनुसार पूरे किए गए उन अनुसंधानों का ब्यौरा क्या है जिनको अब उपयोग में लाया जा रहा है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय आरम्भ से ही वन संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा, जैव विविधता को सूचीबद्ध करने, पर्यावरण प्रबंधन प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय अवक्रमण आदि के स्वास्थ्य पर प्रभाव जैसे पर्यावरण से संबंधित विभिन्न विषयों में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों में पर्यावरणीय अनुसंधान के बहुविषयक पहलुओं में अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता दे रहा है। पर्यावरणीय अनुसंधान परियोजनाओं को उपलब्ध करवाए गए धन का उद्देश्य कार्यनीतियों और पद्धतियों के विकास में उपयोग के लिए सूचना एकत्र करना और सुदृढ़ पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए वैज्ञानिकों एवं अवसंरचना के संदर्भ में क्षमताओं का निर्माण करना है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान अनुसंधान परियोजनाओं को उपलब्ध कराए गए धन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें से 92 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। प्रत्येक परियोजना पर व्यय किए गए धन सहित इन परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है। मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के निष्कर्षों/एकत्र की गई सूचना को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रोफेशनल जनरल/किताबों सहित प्रयोग के लिए मंत्रालय की वैबसाइट, एनवीरो न्यूज आदि जैसे एक या अनेक माध्यमों से प्रसारित किया जाता है। अनुसंधान निष्कर्ष न केवल पर्यावरणीय संरक्षण और सक्षम प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा प्रबंधन के लिए कार्य योजनाओं/कार्यनीतियों/पद्धतियों आदि को तैयार करने में सहायता करते है बल्कि नीति आयोजन के लिए भी सूचना उपलब्ध करवाते हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान परियोजनाओं को जारी धनराशि

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संस्थान/संगठन का नाम	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6
1.	बिहार और उड़ीसा के आमरन और खानों के लिए पारि-पुनरुद्धार मॉडल का विकास	वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून	2,12,210	–	3,47,665
2.	चयनित स्वच्छ जल आर्द्रभूमियों के ट्रोफिक डायनामिक्स के संबंध में पेंटिट स्ट्राक की जाली पारिस्थितिकी पर फील्ड अध्ययन	पर्यावरण विज्ञानों का विभाग, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली	1,69,050	2,08,923	5,50,483
3.	उत्तरांचल राज्य में धारचूला के भोटियास द्वारा रखे गए औषधीय पौधों के पारम्परिक ज्ञान का प्रलेखन: नई दवाओं के विकास की संभावन	गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली	4,34,880	–	2,75,280
4.	दक्षिण पश्चिम बंगाल के वनों पर संयंत्र इनवेजन की स्लाइड पर वानस्पतिक विविधता विस्तार क्षेत्र	महिला कालेज, गोप पैलेस मिदनापुर पश्चिम बंगाल	85,000	1,44,733	2,68,361
5.	सिक्किम हिमालय में स्थानीय लोगों के जीवनयापन मामलों पर वन ह्रास के साथ ही साथ वन संसाधनों का लोगों द्वारा उपयोग	एंथोपोलाजी तथा ह्यूमन जेनेटिक यूनिट कोलकाता	–	1,44,650	36,000

1	2	3	4	5	6
6.	मणिपुर में विभिन्न इन्सेक्ट पेस्टस के हायमेनोपेटर्म पेरासिटोओइडस की जैव विविधता और विवरण पैटर्न	मणिपुर, विश्यविद्यालय, मणिपुर	98,000	2,07,450	70,000
7.	पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के संरक्षित क्षेत्रों में जैव विविधता का मूल्यांकन और इथनो-बोटेनिकल अध्ययन	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	–	3,17,500	2,26,000
8.	होर्स्ट पैरासाइट संबंध और बाह्यस्थाने संरक्षण के संदर्भ में पश्चिमी घाटों के केरल भागों वन कीड़ों के साथ संबद्ध माइक्रोबियल पैथोजीन्स	केरल फोरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, पीची, केरल	–	–	5,17,462
9.	शोलस और ग्रास लैडफ्स का जैव विविधता अध्ययन तथा नीलगिरी पठार, दक्षिण भारत में उनका पुनरुद्धार	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय	2,57,040	1,28,742	2,26,406
10.	झारखंड की दुर्लभ और संकटापन्न इथोवोटोनिकल महत्वपूर्ण संयंत्र प्रजातियों की संभावना की बायो-प्रोस्पेक्टिग	राष्ट्रीय जैविक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	1,25,500	2,13,402	2,36,800
11.	भद्रा वन्यजीव अभयारण्य की वानस्पतिक विविधता का अध्ययन कर्नाटक	कृष्णमूर्ति कुवेमपुर विश्वविद्यालय, कर्नाटक	2,04,400	1,36,000	1,60,800
12.	झारखण्ड राज्य की चयनित संकटापन्न आर्थिक पौध प्रजातियों के संरक्षण के लिए वेसीकुलर आर्बसकुलर माईकोरीहीजल जैवविविधत	भागलपुर विश्वविद्यालय, बिहार	1,02,000	1,48,189	2,07,480
13.	कृषि-पर्यावरण में इनसेक्टिवोरस पक्षियों की पारिस्थितिकी और विविधता (नागापट्टीनाम जिला-तमिलनाडु)	एवीसी कालेज (स्वायत्त) मैलाडुथुरुई, तमिलनाडु)	3,95,000	1,62,323	2,37,678
14.	अरवसुलार माईकोरिजा और बेनिफिशियल बैक्टरिया का प्रभाव	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जी के वी के, बंगलौर	2,90,400	1,44,000	1,67,000
15.	पश्चिम बंगाल की विभिन्न एग्रो-क्लोइमेटिक स्थिति के अन्तर्गत वाटरशेड की चयनित मृदा श्रेणी की अनुवर्रता का मूल्यांकन	विधान चन्द्रा कृषि विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल	3,24,000	1,52,290	2,79,600

1	2	3	4	5	6
16.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के स्वच्छ जल मछलियों के लिए जैव विविधता मूल्यांकन	सलीम अली स्कूल ऑफ इकोलोजील एण्ड एन्वायरमेंटल साईंसिस पांडिचेरी	–	1,97,000	–
17.	ईकौसिस्टम स्वास्थ्य के लिए इनसेक्टस के रूप में बायो-इंडीकेटर	विश्व भारती विश्वविद्यालय शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल	2,88,000	–	2,51,000
18.	अड़यान क्रेक की स्थिति और पारिस्थितिकी	सलीम अली सेंटर फॉर और्थिनोलोजी और नेचुरल हिस्ट्री कोयम्बटूर	3,10,000	–	2,36,972
19.	तमिलनाडु वन में औषधीय पौधों का फंगल एन्डोफायट्स	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	2,10,000	–	2,75,000
20.	अंडमान द्वीप समूह के उष्णकटि-बंधीय वर्षा वन में बीज प्रजनन और प्राकृतिक पुनरुद्धार	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3,16,200	–	3,21,120
21.	असम के एमफिबियन फोना का अध्ययन	आर्य विद्यापीठ कालेज, गुवाहाटी, असम	5,09,880	–	2,13,000
22.	प्राकृतिक ओक वन में लीफ लिटर डिकम्पोजिशन के दौरान माइक्रो-बियल जैवविविधता और मृदा जैविक प्रक्रियाएं और मणिपुर में रोपण उत्तर-पूर्व	मणिपुर विश्वविद्यालय	5,61,880	1,92,560	1,32,600
23.	टोपिकल माइस्ट डेसिडुअस वन के विभिन्न स्ट्रेटा में वानस्पतिक जल और प्रकाश के उपयोग की विशेषताएं	केरल वन अनुसंधान संस्थान, पीची, केरल	9,65,000	1,97,000	2,70,640
24.	संदल के चयनित क्षेत्रों में एन्टो-मोफेनोल विविधता का अध्ययन और विचार विमर्श	काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर	1,85,000	69,000	2,71,303
25.	दक्षिणी केरल में मिस्ट्रिका स्वाम्स की जैव विविधता का मानचित्रण	केरल वन अनुसंधान संस्थान, पीची; केरल	3,47,640	–	3,82,080
26.	भारत के दक्षिणी तट के किनारे टीबीटी संदूषण के संभावित इण्डेक्स के लिए मेराइन गेस्ट्रोपोउ का इम्पोसेक्सस	सुगांभी देवादासन मेराइन रिसर्च इन्स्टीट्यूट, तमिलनाडु	6,66,000	–	2,53,564

1	2	3	4	5	6
27.	पौध जैव विविधता विशिष्टीकरण सामुदायिक ढांचा और नागालैंड के सामुदायिक वनों पर कुछ महत्वपूर्ण पौध प्रजातियों के लिए सामुदायिक संरचना और जनसंख्या व्यवहार	फजल अली गर्वनमेंट कालेज, नागालैंड	–	3,64,800	3,14,000
28.	राजमहल हिल्स की जैव विविधता पर खनन का प्रभाव: एक दशक के बाद मूल्यांकन	टी.एम. भागलपुर, यूनिवर्सिटी, भागलपुर	–	1,32,000	1,29,000
29.	ऊपरी असम में कोयले के अधिक खनन के कारण अवक्रमित मृदाओं का पुनरुद्धार	इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांसड स्टडी इन साइंस एण्ड टैक्नोलोजी (आई.ए.एस.एस.टी.) गुवाहाटी, असम	–	2,28,000	–
30.	जैव विविधता, जैव मूल्यांकन पारिस्थितिकी और संरक्षण भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सेरिसिजिनियस इन्सेक्ट की प्रणालियां	नागालैंड विश्वविद्यालय	–	2,83,800	–
31.	पोलिनेशल वायोलोजी जर्मप्लाजम कलेक्शन और टरमिनिलिया चेबुला रेंट्ज और टरमिनिलिया बेलीरिक्स (गेरटरनर) आरोक्सव के बेहतर प्लांटिंग स्टाक का उत्पादन	इन्स्टीट्यूट ऑफ फोरेस्ट जेनेटिक्स और ट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर	–	–	4,95,000
32.	गढ़वाल हिमाचल में राष्ट्रीय ओंक वनो पर डिस्टरवेल्स ग्रेडिएंट के किनारे पुनरुद्धार और पौध जैवविविधता स्थिति	एचएनबी गढ़वाल यूनीवर्सिटी उत्तराखंड	–	–	3,39,250
33.	गिर राष्ट्रीय उद्योग और अभ्यारण्य में स्ट्राइपड हिना की स्थिति, पारिस्थितिकी और संरक्षण	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	–	–	10,11,000
34.	सरिस्का बाघ रिजर्व के पक्षी समुदायों में देखी गई जैव विविधता संरक्षण मूल्यों के वन उपयोग का प्रभाव	सामाजिक विकास परिषद, नई दिल्ली	–	–	2,46,000
35.	दून वेली की नियमित नदी में जलीय जैव विविधत और हाईफोरिक वायोरोप का कार्य	एच.एन.बी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड	–	–	4,51,680

1	2	3	4	5	6
36.	हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में प्राकृतिक घासभूमियों पर बेहतरी के लिए एडेपटिव रिसर्च	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय सिरमौर	1,08,784	1,36,620	1,80,363
37.	हिमालयन मोंगल का प्रबन्धन-पर्यावास पारिस्थितिकी और व्यवहार	एच.एन.वी. गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड	–	–	4,39,622
38.	लोनर क्रेटर पारिव्यवस्था का पारि-स्थितिकी और जैव विविधता अध्ययन	अहमद नगर कालेज अहमद नगर	1,74,800	3,29,766	2,60,766
39.	तमिलनाडु की तटीय रेखा का मेयो-वेनथिक विविधता	नया कालेज चेन्नई	1,93,000	2,19,920	3,48,013
40.	इकोटायपिक मूल्यांकन और चयनित पौध प्रजातियों में विट्रो मल्टीपिकेशन तमिलनाडु के विभिन्न एग्रोकालाई-मेटिक जोन के लिए	अन्ना विश्वविद्यालय, अन्ना नगर, तमिलनाडु	–	2,81,000	1,51,203
41.	राजस्थान के थार मरुथल में फ्रौनल जैवविविधता का अध्ययन	मरुस्थल अनुसंधान स्टेशन, जोधपुर राजस्थान	12,48,400	–	–
42.	हिमाचल क्षेत्र के वानस्पतिक जर्म-प्लाजम में उच्च एलटीट्यूड को सुरक्षित रखने में चम्बल की जैव-विविधता और इसकी भूमिका	पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला	1,00,000	–	–
43.	लेटराइट वेस्टलेडन्स में नवीकरण के पारिस्थितिकीय मूल्यांकन मृदा माइक्रोओर्थोपोड्स की विविधता और माइक्रोन्यूट्रीटेन्टस का मोबाइलेशन	विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन	1,79,500	50,339	64,741
44.	टिशू तथा आर्गन कल्चर टेक्नीक के द्वारा कश्मीर घाटी के कुछ महत्वपूर्ण कानीफर का रेपिड क्लोनल गुणन	काश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर काश्मीर	–	3,19,000	–
45.	सीड टैक्नोलोजी वन वृक्षों की: पोस्ट हारवेस्ट हैडलिंग और वाक्स सीटू भण्डारण	पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रामपुर	3,66,316	–	–
46.	खुले सौराष्ट्र गुजरात के अन्तर ज्वारीय जोन की पारिस्थितिकी	गुजरात पारिस्थितिकीय सोसायटी, वडोदरा	2,20,838	3,07,680	3,10,711

1	2	3	4	5	6
47.	गढ़वाल हिमालय में चीर फेंजेट के संरक्षण के लिए: वर्तमान स्थिति वितरण पर्यावास पारिस्थितिकी और व्यवहार	एच.एन.वी. गढ़वाल विश्वविद्यालय पौढ़ी कैम्पस उत्तराखण्ड	86,250	–	99,519
48.	कच्छ के इमोवोटेनिकल संस्थान के पारम्परिक ज्ञान पर अध्ययन इमोनोवोटोनिकल डाटावेस के सृजन के द्वारा प्राकृतिक संस्थान संरक्षण का दृष्टिकोण	गुजरात इन्स्टीट्यूट ऑफ मरुस्थल पारिस्थितिकी, वडोदरा	–	–	3,29,147
49.	राइसफील्डस, ग्रासलैड और संलग्न बमखाना डेल्टा लोब ऑफ सुन्दरवन पश्चिम बंगाल से होमोपेटरन पेस्ट (लीफ प्लाट होपररस का पारिस्थितीकीय और फानीस्टिक सर्वेक्षण	मेराइन वायोलोजिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट सुन्दरवन, पश्चिम बंगाल	–	–	1,74,524
50.	पारिव्यवस्था डायनामिक्स ऑफ डिस्बर्ड और अनडिस्टर्वड ट्रोपोकिल रेन फारेस्ट अरुणाचल प्रदेश	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान और औद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश	3,13,703	–	–
51.	केन्द्रीय तमिलनाडु के वानस्पर्तिक पुनर्मूल्यांकन के लिए संरक्षणोन्मुख	सेंट जोजफ कालेज, थिरुचिरापल्ली	–	11,600	–
52.	मिजोरम की वृक्ष सुधार वांस प्रजातियों पर विकास और प्रबंध अध्ययन	सेंट जोसफ कालेज, थिरुचिरापल्ली	–	1,10,240	–
53.	फ्रूट नेटस और ओरचड को खतरा	मदुरई कामराज विश्वविद्यालय	1,16,725	–	–
54.	कोरोमण्डल की वनस्पति अरवा-नाइजेशन से स्ट्रेस के अन्तर्गत	सेंट जोसफ कालेज, थिरुचिरापल्ली	2,48,400	–	1,46,534
55.	मणिपुर और नागालैंड के थाएसानोपेट्रर्न फौना, उत्तर पूर्वी भारत	मणिपुर विश्वविद्यालय	62,000	44,109	–
56.	मानव व्यवस्था, मानव कार्य और राजस्थान के विशेष संदर्भ में उत्तर भारत के आदिवासियों और जाति समूह	दिल्ली विश्वविद्यालय	–	–	39,622
57.	पश्चिमी राजस्थान में स्तनधारियों की स्थिति पर इंदिरा गांधी नहर सिंचाई का प्रभाव	द स्कूल ऑफ डेजर्ट साइंसिस राजस्थान	–	–	1,17,859

1	2	3	4	5	6
58.	हिमाचल प्रदेश की भिड हिल की फारेस्ट फायर ऑन फ्लोरिस्ट और प्रजातियां विविधता की प्रभावोत्पादकता	बागवानी विश्वविद्यालय और वानिकी, सोलन, हिमाचल प्रदेश	92,000	40,000	24,527
59.	स्क्रब वन पारिव्यवस्था प्लांट गाल इकोलोजी	प्रेजिडेंस कालेज मद्रास	2,75,388	70,000	56,846
60.	डायनामिक्स ऑफ ओर्थोपेटर्स कम्युनिटी ऑफ तमिलनाडु- ए स्टडी इन वायोडायवरसिटी	जी.एस. गिल रिसर्च इन्स्टीट्यूट गुरु नानक कालेज चेन्नई	2,10,000	–	–
61.	मेरिन वायोडरविसिटी टेक्सोनोमी ऑफ इंडियन एसिडियनसस	ए.पी.सी. महालक्ष्मी कॉलेज ऑफ वुमन टूटीकोरिन	1,65,383	–	1,22,207
62.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की कुछ दुर्लभ देशज एवीफोना की पारिस्थितिकी स्थिति और संरक्षण संभावनाओं का अध्ययन	ओरनीथोलोजी तथा प्राकृतिक विज्ञान के लिए सलीम अली केन्द्र	–	–	33,431
63.	पर्यावरण पर पोंम फ्रूट प्रोडक्शन आपरेशन का प्रभाव-हिमाचल प्रदेश में मूल्यांकन	क्षेत्रीय होर्टिकलचरल अनुसंधान केन्द्र शिमला	–	–	1,87,956
64.	स्वच्छ जल जोन-टारगेट पशुओं पर प्रभाव सहित फैमिली इमूहों विमासिएई के मालू सिसिडल का अध्ययन	गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर	–	2,58,699	–
65.	जैव विविधता और भू जल, सतही जल इकोटोन (हाईपोरहेक पर्यावास) ऑफ माऊटेंन फलयूवियाल, पारि-विकास, गढ़वाल, हिमालय	राच एनवी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड	–	–	1,28,629
66.	जैवविविधता और स्थानीय रूप से उपलब्ध प्लांटसो एवनोक्सिमस वीडी की कुशलता, हिमाचल प्रदेश में मुख्य कीटनाशकों तथा ऑयल सीड क्राप की बीमारियां	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	1,89,719	–	41,528
67.	उप-मृदा और भूजल पर्यावरण में मल्टी काम्पोनेंट ट्रांसपोर्ट तथा पेस्टीसाइड्स रेजिडेन्ट्स	कालेज ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर	4,83,600	–	3,05,000

1	2	3	4	5	6
68.	काटन निटवियर इन्डस्ट्री से एकजास्टिड रिएक्टिव डाईनाथ में कुल घुलनशील ठोसों का प्रबंध	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	6,18,000	–	3,40,000
69.	लॉ राश/वेनिफिशिएटिड नॉन कुकिंग कोल का प्रयोग करते हुए हाई कन्सन्ट्रशेन स्लकी की तैयारी के लिए एडिरेटेटिव का विकास	रीजनल रिसर्च, लेवोटरी, भुवनेश्वर	1,56,000	–	1,50,000
70.	19-16/2002-आर.ई. औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए लो टाक्सिसिटी पर्यावरणीय मैत्री जेल कार्स्टिग व्यवस्था का विकास	डा. बी.पी. सिंह रीजनल रिसर्च लेवोटरी, भुवनेश्वर-751013	2,77,000	–	2,30,500
71.	विकेन्द्रीकृत सीवरेज शोधन के लिए माड्यर हाऊस होल्ड्स सेमीटेशन डिवाइस का विकास	रीजनल रिसर्च लेवोटरी, त्रिवेन्द्रम	30,000	–	–
72.	प्लास्टिक वुड को वन वे के लिए नवीकरणीय वेसिन वेस्ड वाइड्स साथ ठोस औद्योगिक अपशिष्ट का उपयोग	सेन्ट्रल बिल्डिंग इन्स्टीट्यूट रूड़की उत्तराखंड	10,00,000	–	3,95,361
73.	बच्चों के (7-15 वर्ष) के श्वास प्रतिश्वास कार्य पर आन्तरिक वायु प्रदूषण का प्रभाव	पटेल चेस्ट इन्स्टीट्यूट दिल्ली यूनिवर्सिटी	1,40,000	–	3,88,400
74.	इलेक्ट्रोप्लेरिग उद्योगों से बाहिस्रावों का शोधन और करेक्टरलाइजेशन का अध्ययन	संत लोंगोवाल इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी लोंगोवाल	3,35,000	–	4,83,000
75.	एयरबोर्न मेटल प्रिसक्रियशन के लिए वायोमानीटर की इन्टेनसिटी तथा शुमवाई, देशज मोसिस	बरेली कालेज बरेली, उत्तर प्रदेश	8,52,000	–	4,83,000
76.	सलाइनसोइल्स की पौध प्रजातियों का परिमाणन फाइट्रोमेडिएशन चमन करकेक्टराईजेशन	चौधरी चरणसिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार	6,50,000	3,24,000	2,80,800
77.	शहरी मेघालय में मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में सामान्य एडिवल्स हेवी मेटल और पोल्यूटेंस की स्थिति का मूल्यांकन	उत्तरी पूर्व हिल यूनिवर्सिटी, शिलॉग, मेघालय	1,35,600	–	30900

1	2	3	4	5	6
78.	औद्योगिक अपशिष्ट से टॉक्सीक धुताओं के इमोबीलाइजेशन के लिए लो थर्मल होर्टिंग बेसड फेज ट्रासफोरमेशन का विकास	रीजनल रिसर्च लेवाटरी, भोपाल	–	8,10,000	1,25,000
79.	ऑयल एक्सचेंज तथा कुछ हाइड्रिक फाईब्रयूस मेटिरियल का विशिष्टीकरण और उनके पर्यावरणीय अनुप्रयोग	अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़	–	1,15,040	1,25,000
80.	सी.एफ.सी. के लिए नोन ओलोन डिप्लीटिंग सब्सीट्यूट के लिए परफ्यूओरानलकनीस का इलेक्ट्रोसिनथिसिस	सेन्ट्रल इलेक्ट्रो केमिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट कराईकुडी, तमिलनाडु	–	–	2,90,000
81.	वोलाटाइल आर्गेनिक कम्पाउंडस का जैविक नियंत्रण	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी उत्तर प्रदेश	–	–	2,20,000
82.	कापर और जैविक प्रदूषकों की इलेक्ट्रोलाइट रिकवरी, कॉपर फायथोलोसाइन डाई प्रोसेसिंग स्ट्रीम	सेन्ट्रल इलेक्ट्रो केमिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट कराईकुडी, तमिलनाडु	–	1,62,600	–
83.	मेघालय में एसिड माइन ड्रैनेज का प्रबन्ध	रीजनल रिसर्च लेवोटरी जोरहट असम	–	1,44,000	–
84.	एक्वेटिक पारि सिस्टम से मेटल रिमूयल साइमोवेक्टारिया का एकपेतोटाइजेश मेटल वाइर्डिंग के लिए	इंडियन इन्स्टीट्यूट टेक्नोलॉजी खड्गपुर, पश्चिम बंगाल	–	72,000	–
85.	रिकवरी आफ वेल्यू एडिड प्रोडक्ट फोर्म शिम्प प्रोसेसिंग वेस्ट	सेन्ट्रल फूड टेक्नोलोजीगल रिसर्च इन्स्टीट्यूट मैसूर कर्नाटक	–	4,20,000	90,000
86.	ऑयल सैंपल सं लो मालक्यूल मास आर्गेनिक ग्रीलेटर के प्रयोग से कम्पलैक्स मिक्चर से तेल का निकलना पर्यावरणीय खतरा	सेन्ट्रल साल्ट एण्ड मैरीन कैमीकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर	–	84,000	90,000
87.	चंक रबर कम्पोजिट में वेस्ट रबर का अधिक प्रयोग	ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, थाणे	–	6,78,000	–
88.	मैरीन इंजीनियरिंग एलाय को कोरो-जाइन एण्ड बायो फाउलिंग विशिष्टताओं का तटीय जल गुणता पर प्रभाव	सेन्ट्रल इलैक्ट्रो कैमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कराईकुडी, तमिलनाडु	–	1,74,000	2,01,205

1	2	3	4	5	6
89.	बहिस्राव शोधन के लिए गोथाइटी का प्रयोग	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर	–	10,800	–
90.	जल प्रदूषण एलीवीएशन प्रौद्योगिकियों में प्रयोग के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट में जैव अवक्रमणियता को लागू करना	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	–	5,40,000	70,000
91.	आर्गेनोटाक्सिन के लिए निगरानी और नियंत्रण कार्य नीति के लिए टारगेट अरिएंटिड लियोलाइट एनएलोग्रस	राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर	–	1,20,000	–
92.	पालीमर फार्मूलेशन के लिए फिलर के रूप में फासफोजिप्सन के प्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी का विकास	श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डस्ट्रीयल रिसर्च, बंगलौर	–	1,44,000	–
93.	चुने हुए पर्यावरणीय परिवेश में एनथ्रोपांजैनिक मरकरी की स्पेरियल वेरीएबिलटी और प्रभाव अध्ययन	पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर	–		1,71,900
94.	लखनऊ शहर में मृदा और गोमती नदी तलछट में पायसायविल एटोमैटिक हाइड्रोकार्बन की पहचान और प्रमात्रीकरण	इण्डियन टैक्सीकोला जीकल रिसर्च सेंटर, लखनऊ	–	90,000	–
95.	संसाधन प्राप्ति के माध्यम से नेवल ठोस अपशिष्ट उपचार का विकास और टिटानियम मिनरल्स प्रौसैसिंग उद्योग की उत्पादन की नवीन पद्धति	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, त्रिवेन्द्रम	–	2,55,000	–
96.	इंजीनियरड नेचुरल फाइबर से बायो-कम्पोजिटिंग	काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान बंगलौर	–	1,32,000	1,84,000
97.	बीकानेर जिला, राजस्थान में जल कृषि और पर्यावरण पर इसके प्रभाव की पारम्परिक पद्धति	गवर्नमेंट डूंगर कालेज, बीकानेर राजस्थान	–	–	57,500
98.	जैविक निगरानी के माध्यम से वीसीबी का मानव पर प्रभाव का आकलन	राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद	–	–	1,68,000
99.	इन्टरनल कम्बयूशन इंजनों में टायर पायरोलायसिस ऑयल के प्रयोग का पर्यावरण पर प्रभाव की प्रयोगात्मक जांच	राजलक्ष्मी इंजी. कालेज, चेन्नई	–	–	10,41,900

1	2	3	4	5	6
100.	थर्मल और कैटेलिरिक क्रेकिंग द्वारा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की पैट्रोलियम रिफाइनरी ठोस अपशिष्ट से तरल फ्यूल के उत्पादन के लिए प्रक्रिया का विकास	कैमीकल इंजीनियरिंग क्षेत्रीय अनुसंधान, प्रयोगशाला, जोरहाट	–	–	3,60,000
101.	खतरनाक अपशिष्टों द्वारा संदूषित मृदा, तलछट और जल की स्थान बाह्य उपचार भौतिक-रसायन	सेंटर फार इनवोसाइंस एण्ड इंजी. आई.आई.टी., मुंबई	–	–	3,33,120
102.	अपशिष्ट जल के लिए प्रभावी कोगुलेटिंग और फ्लोकुलेटिंग एजेंट का माइक्रोवेव सहायता प्राप्त ग्राफटिंग ऑफ विनि मोनोमर्रस	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश	–	–	4,65,750
103.	पर्यावरणीय प्रदूषकों के उद्भासन के कारण यूरीनरी ब्लैडर मूकीसा में एन.ए.टी. 2 जीनी पोलीमोर फिसम	मौलाना आजाद मेडीकल कॉलेज नई दिल्ली	–	–	7,17,000
104.	कारबीयांग जिला, असम में राक/ मृदा/जल प्रणाली में फ्लोराइड तत्व का भू-रसायन आकलन	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट	–	–	2,40,000
105.	बायो-फाइबर रीइन्फोर्सड सैण्डविच ढांचे का विकास	आर.वी. कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, बंगलौर	–	–	75,550
106.	शोधित नगरीय मार्जीनल ठोस अपशिष्ट के प्रयोग से प्री-कास्ट स्टेबलाइजड ब्लाक की पर्यावरणीय स्वीकार्यता	आर.वी. कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, बंगलौर	–	–	7,67,050
107.	एक्सनोहाबुडुस नीगराफोलुस से नवीन जैव-कीटनाशी की खोव	जवाहरलाल नेहरू, विश्वविद्यालय, , नई दिल्ली	1,84,000	9,53,690	4,68,419
108.	लकया ऑयल फील्ड बहिस्राव शोधन संयंत्र स्लज खतरनाक अपशिष्ट का प्रयोग करके कामन मैसोनरी ईंट तैयार करने के लिए फील्ड परीक्षण	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट	3,41,250	–	–
109.	पर्यावरणीय रूप से धारा क एन 2 ओ गैस के डीकंपीटिशन के लिए नवीन हाइड्रोटेसीटी आधारित क्रीमिका मोनोलिथ तैयार करना और आप्टी-मिक्सेशन	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट	5,94,500	–	–

1	2	3	4	5	6
110.	औद्योगिक ठोस अपशिष्ट की पर्यावरणीय निगरानी और पारिस्थितिकी जोखिम आकलन	डा. आर.एम.एल अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	2,15,500	–	–
111.	अपशिष्ट अल्युमीनियम ड्रास आक्साइड का शोधन	क्षेत्रीय अनुसंधान, प्रयोगशाला, भुवनेश्वर	2,11,000	–	–
112.	हिमाचल प्रदेश में आडू की फसल को मुख्य कीड़ों से नियंत्रण के लिए पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी रूप से प्ररक्षण पद्धति का विकास	डा. वाई.एस. परमार कृषि एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश	74,750	–	–
113.	इलैक्ट्रो कैमीकल आयोन एटस-चेंव के प्रयोग मैटल फिनिशिंग अपशिष्ट जल से क्रोमियम की प्राप्ति	इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एण्ड इन्टीग्रेटिड बायोलाजी दिल्ली	1,31,100	–	–
114.	औद्योगिक अपशिष्ट जल में प्रदूषित भार का निर्धारण करने के लिए बी.ओ.डी. बायोसीनोट पर आधारित मिक्सड कल्चर की व्यापक टेस्टिंग	इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एण्ड इन्टीग्रेटिड बायोलाजी दिल्ली	4,24,000	–	–
115.	कीमती/जहरीले धातु निहित बहिस्राव का शोधन और इलैक्ट्रो डायलसिस द्वारा इसकी प्राप्ति	सेन्ट्रल साल्ट एण्ड मैटीन कैमीकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, भावनगर	1,35,000	–	–
116.	चर्म शोधन के लिए बायोप्रौद्योगिकी का विकास और प्रदर्शन	कोंगु इंजीनियरिंग कालेज, इरोड, तमिलनाडु	–	–	–
117.	नीम और नीम आधारित जैव-कीटनाशी से सब्जी की फसलों में पारि-मैत्री नीमारोडी प्रबंधन प्रौद्योगिकी का विकास	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	2,80,000	–	–
118.	पर्यावरणीय नमूनों में पोली-क्लोरीनेटिड बायफिनायल के निर्धारण के लिए तकनीक का विकास	राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर	80,000	–	–
119.	भारी धातु प्रदूषण जल निकायों के विशेष संदर्भ में असम में दीर्घ अवधि कोयला खनन का पर्यावरणीय प्रभाव	गुवाहाटी विश्वविद्यालय गुवाहाटी	1,10,000	–	–
120.	हाजा (सी.ओ.एच.) और डस्ट मास मानीटर के माइक्रो कंट्रोलर आधारित को-एफीशिएंट	सेन्ट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट आर्गेनाइजेशन, चण्डीगढ़	1,89,750	–	–

1	2	3	4	5	6
121.	मैम्बटेन रिएक्टर के प्रयोग से डिस्टिलरी बहिस्राव में पा P ग P प्रदूषकों के जैव अवक्रमण के लिए विकास के लिए अध्ययन	नेशनल कैमिकल प्रयोगशाला, पुणे	–	2,15,000	–
122.	मृदा में हैवी मैटल डायनमिक्स, उनकी सचलता इनइकोसिस्टम और मृद्दा उत्पादिकता पर उनका प्रभाव	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बतूर	2,80,000	–	–
123.	जैव ब्लीचिंग के माध्यम से ब्लीच संयंत्र में उन्नत पर्यावरणीय प्रबंधन	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की	1,60,000	–	–
124.	लक्वा ऑयल फील्ड बहिस्राव शोधन संयंत्र स्लव खतरनाक अपशिष्ट के प्रयोग से कामन मैसोनरी ईंटें तैयार करने के लिए फील्ड परीक्षण	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट	3,41,250	–	–
125.	सैलीलुस निहित सामग्री के प्रयोग से हैवी मैटल प्रदूषण निवारण	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई	1,38,000	34,000	–
126.	कृषि अपशिष्ट उत्पादों के पर्यावरणीय प्रदूषण का अध्ययन और महत्वपूर्ण कीटनाशी के प्रबंधन के लिए उपयोग	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	2,07,338	1,14,400	–
127.	पूर्वोत्तर कोल फील्डों में और उसके आसपास मृदा और गुणता अवक्रमण का पर्यावरणीय अवक्रमण	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जोरहाट	1,74,000	–	–
128.	डाइ अपशिष्ट जल शोधन के लिए एकीकृत एडवांसड आक्सीडेशन और माइक्रोबायल प्रौद्योगिकी का विकास	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	2,76,000	–	–
129.	अवक्रमित स्थलों पर फिट और स्प्रूस सीडलिंग के पुनरुत्पादन के लिए माइक्रोबायल प्रौद्योगिकी	एस.के. विश्वविद्यालय, श्रीनगर जम्मू और कश्मीर	3,09,014	–	–
130.	आड़ू की व्हाइट रोड (सेक्लीरोटिना सीलीरोप्टिम) का जैव नियंत्रण	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय सिरमौर	1,26,500	–	–
131.	अर्थवार्म पर औद्योगिक बहिस्राव और स्लव के प्रभाव का अध्ययन और पर्यावरणीय पुनस्थापन में टालरेंट स्ट्रेन की संभावना	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट	73,613	62,270	–

1	2	3	4	5	6
132.	पर्यावरणीय रूप से खतरनाक एन 2 ओ गैस के डीकम्पोजीशन के लिए सरमिक मोनोलिथ आधारित नवीन हाइड्रोटेलिसिट तैयार करना और आप्टीमिक्सेशन	इण्डियन टाक्सी-क्लावी अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ	94,500	–	–
133.	जल, मृद्दा और खनन प्रणाली प्रबंधन के लिए नई पालीमीटिक सामग्री का विकास	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	1,03,558	–	–
134.	थिरूसुर जिला, केरल में करुनवर नदी बेसिन के चुने हुए जैवभौतिक और सामाजिक आर्थिक पहलुओं का भूमि प्रयोग परिवर्तन और इसका प्रभाव	केरल, वन अनुसंधान संस्थान, पीची, केरल	4,20,000	4,85,023	–
135.	तमिलनाडु के पश्चिम घाटों में कौली हिल्स के स्थानीय संकटापन्न और आर्थिक रूप से उपयोगी पौधों का माइक्रो प्रोयागेशन के माध्यम से संरक्षण और पुनरुद्धार	सेंट जोसिफ कालेज, त्रिचूरापल्ली	5,78,000	4,30,000	–
136.	पश्चिम घाटों में संरक्षण योजना के लिए प्राकृतिक और बाधित पर्यावासों में संकटापन्न स्थानीय पेसराइन सफेद बीलाइड शार्टविंग की फोरोविंग आवश्यकताओं का आकलन	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	1,72,140	2,31,000	–
137.	मालीक्यूलर प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पश्चिमी घाटों की कुछ दुर्लभ और संकटापन्न वृक्ष प्रवासियों की जेनेटिक विविधता का जैविक संरक्षण, प्रसार और आकलन का अध्ययन	क्षेत्रीय पौध अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर	6,30,000	3,46,000	–
138.	उड़ीसा में खान स्थलों के आसपास भारी धातु संदूषित तेल में माइक्रो-बायल समुदायों का विश्लेषण	केरल वन अनुसंधान संस्थान पीची, केरल	1,62,000	2,80,000	70,000
139.	पश्चिमी घाटों में वन उल्लुओं की पारिस्थितिकी और व्यवहार और उनके संरक्षण के लिए पर्यावास माडल का विकास	केरल वन अनुसंधान संस्थान, पीची, केरल	–	2,13,600	4,45,000 3,78,000

1	2	3	4	5	6
140.	दक्षिण पश्चिमी घाटों के चुने हुए संकटापन्न औषधीय पौधों का स्थान बाह्य संरक्षण और पुनःस्थापना	इंस्टीट्यूट ऑफ लोयला कालेज, चेन्नई	–	1,46,400	–
141.	दक्षिण केरल की फरन की वर्गिकी और सपोरी माफोलावी का अध्ययन	सेंट जेवियर कालेज, तमिलनाडु	–	2,70,000	2,00,000
142.	कर्नाटक के पश्चिम घाटों में पुंगल विविधता	कर्नाटक विश्वविद्यालय, कर्नाटक, बंगलौर	–	4,32,000	2,88,000
143.	नारियल पिथ अपशिष्ट से एक्टिवेटिड कार्बन का बेंच स्केल उत्पादन और अनुप्रयोग	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला	–	3,39,600	–
144.	पश्चिम घाटों के फर्न का संरक्षण और कृषि	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	–	2,31,150	–
145.	संकटापन्न स्थानीय पैसाराइन की फोटेगिंग आवश्यकता का आकलन पश्चिम घाटों में प्राकृतिक और बाधित पर्यवासों के लिए संरक्षण	राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांसड स्टडीज, बंगलौर	1,72,140	1,21,200	2,31,000 1,78,000
146.	आंध्र प्रदेश के कोनासीमा क्षेत्र में सतही और भूजल संसाधनों की गुणता पर विकासात्मक कार्यों के प्रभाव का अध्ययन	आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम	–	–	2,75,000 2,56,000
147.	पश्चिम घाटों में क्रोमीलीयत ओडोराटा इन्वेशन, कारण, परिणाम और प्रबंधन	सेंटर फार एंवायमेंटल, मैनेजमेंट ऑफ डीग्रेडिड इकोसिस्टम, स्कूल ऑफ एन्वायरमेंटल स्टडीज	–	–	4,41,120
148.	विभिन्न वन किस्मों में इक्टोमाइकिजल फुंगल विविधता का अध्ययन और तिरूवनंतपुरम के पश्चिमी घाट वनों में स्थानीय, देशज और एक्जाटिक प्रजातियों के साथ उनका सम्बंध	दिल्ली विश्वविद्यालय, ट्रापिकल बोटोनिक गार्डन और रिसर्च इंस्टीट्यूट, केरल	–	–	2,25,630
149.	महिला स्वयं सहायता दल के माध्यम से अगस्थर पहाड़ पश्चिम घाट, भारत की जैवविविधता के सतत सामाजिक आर्थिक विकास और संरक्षण के लिए जनजाति वनस्थिति ज्ञान की खोज	सेंटजेवियर कालेज, पलायमकोट्टी, तमिलनाडु	–	–	1,33,100

1	2	3	4	5	6
150.	भारतीय ग्रे हार्न बिल (ओकीरोस बायोस्ट्री) की परस्थीतिकी के विशेष संदर्भ में दक्षिण पश्चिम घाटों में बीजों के बिखराव में इसकी भूमिका	सलीम अली सेंटर फार आरनोथोलाजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री	–	–	90,000
151.	जलाशयों में रसायनिक भार : पश्चिम घाट केरल में पेरियर नदी के चुने हुए वाटरशेड से जांच	सेंटर फार अर्थ साइंस स्टडीज, तिरूवनंतपुरम	–	–	2,90,000
152.	अपर वेगई प्लेटू पश्चिम घाट, भारत के हरपेट्रो फूनाल समुदायों का अध्ययन	सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृति विज्ञान	–	–	1,90,000
153.	पश्चिमी घाटों के विभिन्न वनों के पत्तों के कूड़े में माइक्रो-फंगी की विविधता	रामाकृष्णा मिशन विवेकानन्द कालेज, भायलापोर, चेन्नई	1,70,000	–	25,438
154.	केरल सहित दक्षिण पश्चिम घाटो के यूपलमिदा (हाइमेनोपटेरा) के पेरासिटिक वास्पों के बायोसिस्टे-मैटिक अध्ययन	कालीकट विश्वविद्यालय, केरल	–	2,17,350	2,29,425
155.	पश्चिम घाटों के चुने हुए स्थानीय वृक्षों के फलों और बीजों से सम्बद्ध फंगी और की खोज	काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर	–	–	1,95,400
156.	वन पारिप्रणाली की जैवविविधता के विनियमन में कीट प्रीडेटर की भूमिका	सेंट जेवियर कालेज, पलायमकोट्टी, तमिलनाडु	–	–	2,47,200
157.	पश्चिम घाट, केरल में मकड़ी की जैव पारिस्थितिकी	सेक्रेड हार्ट कालेज, थिवारा, केरल	–	–	6,60,000
158.	पापीर और गरसिना में जैव विविधता और पश्चिम घाटों में मसाल की समृद्धता के स्थल का अभिनिर्धारण	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, केरल	–	–	5,18,650
159.	दक्षिण भारत के पश्चिम घाटों के कुछ फर्मो साथ सम्बद्ध हर्बवीरस आर्थोपोड फ्यूना	मद्रास क्रिश्चियन कालेज, चेन्नई	–	–	3,40,000
160.	भारत के पश्चिम घाटों से नाकटू-ओडिया : लेपीडोपटेरा) परियार पर वर्गीकी अध्ययन	पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	–	2,63,000	23-3-2006

1	2	3	4	5	6
161.	भारत में आर्द्रभूमि की पारिस्थितिकी सेवाओं का आकलन	इण्डियन सांख्यकी संस्थान, कोलकाता	–	–	7,02,650
162.	भारत में विभिन्न जैव भौगोलिक जोन में वन भूमि के आर्थिक महत्व का आकलन - ए पद्धति	एंवायमेंट एण्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यूनिट इंस्टीट्यूट ऑफ इक्नामिक ग्रोथ विश्वविद्यालय, दिल्ली	–	–	7,91,200
163.	महाराष्ट्र के केन्द्र पश्चिम घाटों में जैव विविधता का आकलन	फरगुसन कालेज, पुणे	2,24,480	–	–
164.	कंप्यूटर एडिड अभिनिर्धारण के साथ केरल सुपलीमेंटिड के वृक्ष वनस्पति पर विस्तृत मैनुअल	केरल वन अनुसंधान संस्थान, पीची, केरल	1,25,000	1,90,000	1,31,926
165.	पारिस्थीतिकी सक्सेशन के विशेष संदर्भ के साथ लिटर इंसैक्ट डायनमिक्स और पश्चिम घाटों के वायलाड और वेटिरग एल्टीट्यूड के साथ रसायन पारिस्थितिकी	सेंट जोसफ कालेज, देवगिरी, कालीकट	1,84,000	79,675	3,65,000
166.	आर्थिक बांस संसाधन उपयोगिता की अधिकतम खेती और प्रश्च खेती प्रौद्योगिकी	केरल, वन अनुसंधान संस्थान, पीची, केरल	2,55,875	65,581	–
167.	पश्चिमी घाटों की तीन आर्थिक रूप से उपयोगी वन वृक्ष प्रजातियों की पुनउत्पादक जैविकी और आनुवंशिक विविधता	दिल्ली विश्वविद्यालय	4,45,000	4,82,300	–
168.	दक्षिण पश्चिम घाटों सहित केरल राज्य के यूलोफिड पारसटोडिया का जैव प्रणालिय अध्ययन	कालीकट विश्वविद्यालय	1,69,625	2,17,350	–
169.	तमिलनाडु के पश्चिम घाट क्षेत्रों में डायसोप्राब बाफ लिटर डीकम्पोविशन के रूप में नीमाटोडी की भूमिका का अध्ययन	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय	2,28,000	2,63,913	23,402
170.	खाद्य अपमिश्रो के पूर्वी और पश्चिमी घाटों से महत्वपूर्ण वन उत्पादों का प्रयोग	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, अनुसंधान संस्थान, मैसूर कर्नाटक	–	2,56,750	–
171.	विशाखापट्टनम के पूर्वी छायें और आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के पेरसराईन बड्र्स बनाम फ्लोरल सिन्ड्रोम और सीड डिसपर्सल	आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम	2,35,000	–	–

1	2	3	4	5	6
172.	केरल के चुनिंदा वृक्ष एनडेमिक्स की पारिस्थितिकी और संरक्षण	केरल वन अनुसंधान, संस्थान	3,62,900	–	–
173.	पश्चिमी घाटों के केरल स्थित हिस्से में प्लांट पैथोजैनिक फंगाई की जैवविविधता	केरल वन अनुसंधान संस्थान	2,96,150	2,82,230	–
174.	कोकोनट हस्क रैट्टिंग में हाईड्रोजन सल्फाइड और मीथेन के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय प्रदूषण का मूल्यांकन और उपशमन	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, तिरुवनन्तपुरम	2,03,997	–	54,333
175.	ग्रेहैडिड बुलबुल पाईकनो मोटस पैरासिफालस का स्थिति संवितरण और पारिस्थितिकी	सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान केन्द्र	1,50,989	–	–
176.	नीलगिरी वुड पिजन (कोल्युबो एलफाईन्स्टोनी) और नीलगिरी पिपिट (एन्थस मिलग्रीन्सिस) की स्थिति और पारिस्थिति	सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान केन्द्र	2,65,900	1,24,700	51,910
177.	भारत के पश्चिमी-तटीय क्षेत्र के निकट स्थित कस्बों और गांवों में डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर वायरस, मोसकीटो वैक्टर, ऐडीज एजीप्टी (एल) के संवितरण की प्रसार संख्या	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विरोलॉजी	1,43,750	1,94,317	–
178.	उड़ीसा के पूर्वी घाट क्षेत्र की हर्पीटोफाउनल विविधता का मूल्यांकन	राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना	–	–	–
179.	पश्चिमी घाटों के संकटापन्न औषधीय पादपों का माईक्रोप्रोपोगेशन और जर्मप्लाजम संरक्षण	राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना	3,47,600	90,000	–
180.	संकटापन्न और देशज प्रजातियों के विशेष संदर्भ में पालनीहिल्स में पक्षी समुदाय संरचना का पुनर्संरक्षण	मुम्बई प्राकृतिक विज्ञान सोसाइटी, मुम्बई	2,26,214	–	–
181.	जैवविविधता मानचित्रण और संरक्षण के लिए जी.आई.एस. तथा रिमोट-सैंसिग पद्धतियों का अनुप्रयोग। कच्छ जिला, गुजरात का केस अध्ययन	गुजरात मरु पारिस्थितिकी संस्थान, भुज कच्छ	3,83,400	–	–

1	2	3	4	5	6
182.	रिमोटसैंसिंग एवं अन्य आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए गोवा और बंगलौर के बीच स्थित पश्चिमी घाटों के क्षेत्र की बायोजियोकैमिस्ट्री	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली	2,34,600	2,12,050	–
183.	रिमोटली सैंस्ड डाटा और भौगोलिक सूचना प्रणाली का प्रयोग करते हुए राष्ट्रव्यापी वन अतिक्रमण का मान-चित्रण	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अहमदाबाद	21,28,000	–	–
184.	उत्तरी गुजरात क्षेत्र, गुजरात के संबंध में जैवविविधता का मूल्यांकन और संरक्षण तथा योजना तैयार करना	गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट ईकोलोजी, भुज कच्छ	12,13,250	–	8,40,650
185.	इन्टैलीजैन्ट जी.आई.एस. का प्रयोग करते हुए मरुस्थलीकरण की मोनीटरिंग हेतु एकीकृत तकनीक	भारतीय प्रौद्योगिकीय अनुसंधान, मुंबई	13,09,920	–	–
186.	वन्यजीव अभयारण्यों तथा/राष्ट्रीय उद्यानों का मानचित्रण	भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून	72,50,830	–	–
187.	भारत के वनों के वन प्रकार का मानचित्रण	भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून	25,00,000	84,05,000	73,13,000
188.	पश्चिमी बंगाल के कोयला खनन क्षेत्रों के लिए जी.आई.एस. आधारित पर्यावरणीय सूचना प्रणाली का विकास	बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज, हावड़ा	–	84,537	1,07,858
189.	हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य में और उसके आस-पास स्थित गंगा घास भूमि कार्यप्रणाली के जैय स्त्रोत करेक्ट्राइजेन हेतु रिमोट-सैंसिंग का अनुप्रयोग	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़	–	2,12,750	–
190.	स्नो और ग्लेशियर का अध्ययन	स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर, अम्बावादी विस्तार, अहमदाबाद	–	10,00,000	2,46,35,982
191.	तटीय जोनों का अध्ययन	स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर, अम्बावादी विस्तार, अहमदाबाद	–	–	4,43,00,000
192.	लैंड यूज डायनामिक्स पर पारि-प्रणाली अनुसंधान परियोजना तथा	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	–	–	35,56,000

1	2	3	4	5	6
	रिमोट सैंसिंग और जी.आई.एस. तकनीकों द्वारा छत्तीसगढ़ की कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, नाइट्रोजन साइकलिंग कटीबंधीय कार्य प्रणालियों की जैव-विविधता पर उसके प्रभाव का अध्ययन				
193.	नर्मदा जिले में राजपिपला डिविजन में वनों की सुरक्षा और विकास पर संयुक्त वन प्रबंधन का प्रभाव - आरएस-जीआईएस प्रणाली	एम.एस. यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वड़ौदरा	–	–	10,60,800
194.	नागालैंड वन एटलस	नागालैंड विश्वविद्यालय	–	–	13,14,000
195.	कुद्रेमुख नेशनल पार्क एरिया, कर्नाटक में पर्यावरण प्रभाव स्टेटमैंट/ बन्द की गई खनन (कच्चा लोहा) गतिविधि	कर्नाटक स्टेट रिमोट सैंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर	–	–	5,62,797
196.	तमिलनाडु फेस-II के पूर्वी घाटों के विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों पर मूल्यांकन और जीओकोडिडस्पेटियल डिजिटल डाटाबेस तैयार करना	सेन्ट जोजेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली	–	–	10,24,397
197.	रिमोट सैंसिंग डाटा उदयपुर (राजस्थान) की नम भूमियों का उनकी जैवविविधता संरक्षण के विशेष संदर्भ में अध्ययन	एम.एल. सुखाड़िया यूनिवर्सिटी	–	–	6,99,430
198.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में वनस्पति आवरण परिवर्तन का ट्रैंड तथा लिविंग एनवायरनमैंट पर उसका तापीय प्रभाव	हरियाणा वन विभाग	–	–	15,75,500
199.	राजीव गांधी और बांदीपुर नेशनल पार्क (पश्चिमी घाट) में रिमोट सैंसिंग तकनीक का उपयोग करते हुए वन दावानल डायनॉमिक्स और वेजिटेशन विशलेषण	बंगलौर विश्वविद्यालय	–	–	11,00,000
200.	भारत में पारिस्थितिकीय दृष्टि सं प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रों की पारिस्थितिकी का संरक्षण रिमोट सैंसिंग और जी.आई.एस. द्वारा एक एकीकृत अप्रोच	एन.आर.एस.ए. हैदराबाद	–	–	14,83,759

1	2	3	4	5	6
201.	डेहांग, देबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में मानीटरिंग, माडलिंग और लैंड यूज तथा जैवविविधता	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	–	–	1,95,680
202.	औद्योगिकीकरण के कारण पर्यावरणीय परिवर्तनों की मानीटरी तथा गोल्डन कोरिडोर के वापी-वडोदरा भाग में प्रमुख स्थलों की पहचान	रिमोट सैंसिंग एंड जी.आई.एस. डिपार्टमैंट, स्कूल ऑफ प्लानिंग, अहमदाबाद	–	4,74,401	–
203.	परंपरागत ग्राउंड सर्वेक्षणों और सैटेलाइट रिमोट सैंसिंग के कंजक्टिव प्रयोग द्वारा पाल्क बायोरिसोर्स का मूल्यांकन	अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई नगर तमिलनाडु	–	5,50,007	2,23,417
204.	रिमोट सैंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली का प्रयोग करते हुए खोल्ली हिल्स, तमिलनाडु के प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का मूल्यांकन	सैंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु	–	60,916	–
205.	बानस ड्रेनेज बेसिन राजस्थान में जियोएनवायरनमेंटल अध्ययन और जियोएनवायर नमेंटल डाटाबेस तैयार करना	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, जयपुर	–	–	6,730
206.	औद्योगिकीकरण के कारण पर्यावरणीय परिवर्तनों की मानीटरी तथा गोल्डन कोरिडोर के वापी-वडोदरा भाग में प्रमुख स्थलों की पहचान	रिमोट सैंसिंग एंड जी.आई.एस. डिपार्टमैंट, स्कूल आफ प्लानिंग, अहमदाबाद	–	4,74,401	–
207.	परंपरागत ग्राउंड सर्वेक्षणों और सैटेलाइट रिमोट सैंसिंग के कंजक्टिव प्रयोग द्वारा पाल्क बायोरिसोर्स का मूल्यांकन	अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई नगर, तमिलनाडु	–	5,50,007	2,23,417
208.	रिमोट सैंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली का प्रयोग करते हुए खोल्ली हिल्स, तमिलनाडु के प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का मूल्यांकन	सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु	–	60,916	–
209.	वानस ड्रेनेज बेसिन राजस्थान में जियोएनवायरनमेंटल अध्ययन और जियोएनवायरनमैंटल डाटाबेस तैयार करना	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, जयपुर	–	–	6,730

1	2	3	4	5	6
210.	गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, आई.सी.एफ.आर.ई., (देहरादून) में अल्प ज्ञात मेंग्रोव्स विविधता और पारिस्थिति की जांच	वुड साइंस एंड टैक्नोलॉजी, बंगलौर	1,80,000	–	2,14,200
211.	भारत में दुर्लभ प्रजातियों का उनके प्रभावी संरक्षण के संबंध में अध्ययन	अन्नामलाई विश्वविद्यालय	–	4,29,675	–
212.	भीतर कनिका मैगनेज पारिप्रणाली, उड़ीसा में माइक्रोबियल कम्यूनिटी का सूचीकरण और केरेक्ट्राइजेन	रीजनल प्लांट रिसोर्स, भुवनेश्वर	6,10,000	–	–
213.	केरल रीजनरेशन और लारवा रिकरुटमेंट पैटर्न का मूल्यांकन करने के लिए रीप्रोडक्टिव बायोलॉजी पर अध्ययन	एस.डी.एम.आर.आई., टुटीकोरिन	–	–	6,08,000
214.	कोरल्स का उनके व्यवस्थित ढंग से संरक्षण करने के संदर्भ में जीनोम विश्लेषण	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा	–	6,46,600	–
215.	गुजरात की प्रमुख मैंग्रोव स्पीसिज की पोलीनेशन बायोलॉजी और रीप्रोडक्खि ईकोलॉजी	जी.ई.ई.आर. फाउंडेशन, गुजरात	–	4,14,340	1,91,860
216.	कोरिंगा ब्रेंग्रोव्स् फॉरेस्ट, आंध्र प्रदेश में पोलीनेशन बायोलॉजी ऑफ सीरि-आप्स टागल एंड सिरियोप्स डीकेंडरा (रीजोफोरेसिया)	आन्ध्र यूनिवर्सिटी	–	2,10,555	–
217.	ब्रूगुरिया और सीरिओप्स में जनसंख्या संरचना और रीप्रोड्क्शन संरक्षण पर प्रभाव	इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट-2 जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, कोयंबटूर	–	–	5,56,800
218.	सस्टेनेबल कंजर्वेशन एंड मैनेजमैंट के संदर्भ में भारतीय मैग्राव्स की बीज बायोलॉजी	डिपार्टमैंट ऑफ सीड साइंस एंड टैक्नोलॉजी, पश्चिमी बंगाल	–	6,21,200	–
219.	सुंदरवन बायोरफीयर रिजर्व, पश्चिम बंगाल की पादप विविधता का मूल्यांकन तथा मैग्राव्स के डाटाबेस तैयार करना	भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण	–	7,18,400	–

1	2	3	4	5	6
220.	मैंग्रोव्स पादपों की एक्वेटिक एपीफाइटिक माइक्रोबियल विविधता का व्यवस्थित मूल्यांकन और मैंग्रोव्स पौधशाला उगाने के लिए कार्यनीति	भरतीदासन युनिवर्सिटी तिरुचिरापल्ली	–	1,72,730	–
221.	उत्तरी तट, आन्ध्र प्रदेश के भावनापादू (मैंग्रोव) दलदलों का पारिस्थितिकी मूल्यांकन और जैव विविधता संरक्षण	आंध्रा विश्वविद्यालय	–	3,62,995	–
222.	मेरीन माइक्रोबियल, फ्लोरल तथा लिटल अंडमान दीपों की फाइनल जैवविविधता का मूल्यांकन	अन्नामलाई यूनिवर्सिटी	–	–	4,58,940
223.	भारत में (ओक्टोकोल्लिया एल्सीयो-नेशिया) सॉफ्ट कोरल्स की वर्गीकी और जैवविविधता	केरल यूनिवर्सिटी	–	9,20,600	–
224.	स्टडीज ऑन दी डायवर्सिटी एंड सक्सेंशन ऑफ फाउना इन मैंग्रोव इकोसिस्टम इन मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, पश्चिमी बंगाल	भारतीय प्राणी सर्वेक्षण	86,000	1,26,000	–
225.	केरल के कोस्टल हैंडस्केप में मैंग्राव्स वैजिटेशन के संरक्षण और पुन:स्थापन हेतु पारिस्थितिकीय अध्ययन	केरल वन अनुसंधान संस्थान, केरल	–	5,12,000	–
226.	भीतार कनिका एस्चुअरी में मैंग्रोवस की संख्या पर रिड्यूस्ड फ्रेश वाटर फ्लों थ्रू, ब्राहमनी-बैतरनी रीवर सिस्टम का प्रभाव	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर-751013 उड़ीसा	4,25,000	–	7,99,000
227.	कच्छ की खाड़ी में कोरल रीफ्स की रिक्रूटमैंट तथा ग्रोथ स्टडी	जी.ई.ई.आर. फाउंडेशन, गांधीनगर	2,06,000	–	2,77,000
228.	केरल में प्लांट क्रेब एसोसिएशन इनद मैंग्रोव्स ईको सिस्टम	टी.बी.जी.आर.आई., तिरुवनंतपुरम	–	–	9,18,200
229.	कृष्णा और गोदावरी एस्चुअरीज की मैंग्रोव्स पर अध्ययन	टी.एन.ए.यू.	–	9,22,000	2,19,000
230.	रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क, अंडमान की कोरल रीफ्स और उनसे संबंधित फाडना की विविधता और प्रसार संस्था	भारतीय प्राणी सर्वेक्षण	–	–	7,50,800

1	2	3	4	5	6
231.	भारत में मैंग्रोव्स का मूल्यांकन	भारतीय वन सर्वेक्षण	15,00,000	40,00,000	–
232.	भारत में कोरल रीफ्स का मूल्यांकन	भारतीय वन सर्वेक्षण	15,52,200	1,88,920	–
233.	दक्षिण भारत के मैंग्रोव्स में हर्बिबोरर्स के विशेष संदर्भ में कीट-पादप संबंध	आई.डब्ल्यू.एस.टी., बंगलौर	–	4,62,000	–
234.	कन्वेशन ऑन बायो-लॉजिकल डायवर्सिटी के अनुसरण तथा अन्य बहुपक्षीय पर्यावरणीय करारों समझौतों के संबंध में विषय की सिनर्जीज और लिंकेज के अध्ययन के अनुसार कोस्टल और मेरीन जैवविविधता के संरक्षण पर प्रोफैशनल तथा विश्लेषणात्मक सहायता	वर्ल्डवाइड फंड (डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ.)	–	–	1,51,140
235.	लिटल अंडमान आइलैंड के इर्दगिर्द रीफ्स की पारिस्थितिकीय विभिन्नताओं का जी.आई.एस. आधारित मानचित्रण और विश्लेषण	जेडएसआई, अंडमान और निकोबार क्षेत्रीय स्टेशन, पोर्ट ब्लेयर	–	–	14,85,400
236.	पश्चिम बंगाल के चुनिंदा कोस्टल जोनों में बाईकैश नुकसान का सर्वेक्षण और सूचीकरण तथा जैव-विविधता पर इसका प्रभाव	पश्चिम बंगाल पशु और मत्स्य पालन विज्ञान विश्वविद्यालय, मोहन पुर, पश्चिम बंगाल	–	7,20,800	–
237.	ईंडियन ई.ई.जेड में मेरिन फिश जैवविविधता की जांच	पशु पालन विभाग, फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया, कृषि मंत्रालय, मुंबई	–	–	6,71,218
238.	उत्तरी बंगाल में हाथीमानव संघर्ष की घटनाओं की समस्या को हल करना-ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कॉलर्स का प्रयोग करते हुए हाथियों का पता लगाकर एक पूर्व चेतावनी प्रणाली तैयार करना	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर	13,84,320	–	–
239.	केरल राज्य में एक्सप्लोसिव एक्वेटिक वीड ग्रोथ, उनकी वर्गीकी और पारि-स्थितिकी का मूल्यांकन तथा कुट्टानंद वेटलैंड पारिप्रणाली का प्रभाव	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय	10.98	–	–
240.	महाराष्ट्र में उच्च प्राथमिकता वाली नमभूमियों के लिए एक एक्शन-ओरिएंटिड लोकल स्पेसिफिक संरक्षण जागरुकता	भारती विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी, पूना	5.60	–	–

1	2	3	4	5	6
241.	अपर लेक, भोपाल की एक्वेटिक माइक्रोफाइट्स में भारी धातुओं का मूल्यांकन	पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला, भुज नमभूमि परियोजना (ईपीसीओ)	1.64	–	–
242.	रुटजोन सिस्टम का प्रयोग करते हुए कम्यूनिटी सीवेज का शोधन	बरकातुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल	2.95	–	–
243.	राजस्थान की नमभूमियों में पारि-स्थितिकीय दृष्टि से दो अलग-अलग वासस्थलों में ग्रेटर फ्लैमिंगों का ईको बिहेवियरल अध्ययन	डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट सोसायटी, ए/51, मानसरोवर, अजमेर	–	1,00,000	–
244.	कियोलाडियो नेशनल पार्क, राजस्थान की नेमारोड फाइनल जैवविविधता	अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़	–	60,00,000	–
245.	त्रिपुरा की व्यापक नमभूमि (रुद्रसागर) में प्रोग्रेसिव यूट्रोफिकेशन का प्रभाव, पारिस्थितिकीय परिणाम और रेस्टोरेशन स्ट्रेटेजीज	त्रिपुरा युनिवर्सिटी	–	50,00,000	–
246.	सास्थमकोटा लेक-केरल राज्य की एक प्रमुख नमभूमि की जैवविविधता प्रबंधन और संरक्षण पर अध्ययन	एनवायरनमैंट रिसोर्सेज रिसर्च सेंटर (ई.आर.आर.सी.), तिरुवनंतपुरम	–	2,42,664	–
247.	राजस्थान की नमभूमियों में पारि-स्थितिकीय दृष्टि से दो अलग-अलग वासस्थलों में ग्रेटर फ्लैमिंगों का ईको बिहेवियरल अध्ययन	डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट सोसायटी, मानसरोवर, अजमेर	–	1,77,800	–
248.	कुमाउं हिमालयन लेकों के विषाक्त प्रदूषण का मूल्यांकन सेडीमेंट केस अध्ययनों से भूत और वर्तमान के प्रदूषण इंडीसीज।	आई.आई.टी., रुड़की	–	4,53,600	–
249.	गुजरात में भाल नमभूमिकी वनस्पति-जात का जैवविविधता और आर्थिक उपयोगिता	भाव नगर यूनिवर्सिटी, गुजरात	–	9,43,920	–
250.	दक्षिण उड़ीसा, भारत की नमभूमियों के पादप संसाधनों का फ्लोरिक सर्वेक्षण और मूल्यांकन	बेहरामपुर विश्वविद्यालय, गुजरात	–	4,53,840	–
251.	सुरहाताल लेख और आसपास की नमभूमियों की पारिस्थितिकीय रूप से बेहतर और सतत् पारि-विकास के लिए पादप सर्वेक्षण और मूल्यांकन	बनारस हिंदु विश्वविद्यालय	–	1,83,840	–

1	2	3	4	5	6
252.	आरथामुदी रामसर साइटपारिस्थिकी, जैवविविधता और पारिप्रणाली संरक्षण के संदर्भ में एस्चुअराइन नमभूमि और काल्लडा नदी पर अध्ययन	केरल विश्वविद्यालय	–	2,66,160	–
253.	वडोदरा शहर में और उसके क्षेत्र में नमभूमियों का संरक्षण	गुजरात पारिस्थितिकी सोसायटी, गुजरात	–	2,73,600	–
254.	चिल्का लैगून की पारिप्रणाली पर आउटर चैनल की डीसिल्टेशन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए पर्यावरणीय मानीटरिंग	चिल्का विकास प्राधिकरण	–	1,93,600	–
255.	गोवा राज्य में नमभूमियों को प्राथमिकता तथा रिमोट सैंसिंग डाटा का प्रयोग करते हुए उनका पोटेंशियल सस्टेनेबल मूल्यांकन	गोवा स्टेट कौंसिल ऑफ साईंस एंड टैक्नोलॉजी, गोवा	–	–	2,72,500
256.	सास्थमकोटा लेक-केरल राज्य की एक प्रमुख नमभूमि की जैवविविधता प्रबंधन और संरक्षण पर अध्ययन	एनवायरनमैंट रिसोर्सेज रिसर्च सैंटर (ई.आर.आर.सी.), तिरुवनंतपुरम	–	–	3,16,707
257.	आन्ध्र प्रदेश के कोलेरु वैटलैंड क्षेत्र की हाईड्रोलिक और पर्यावरणीय गुणवत्ता के पहलु के सुधार और प्रबंधन के लिए रणनीतियां	आन्ध्र विश्वविद्यालय	–	–	2,06,647
258.	रुट जोन सिस्टम का प्रयोग करते हुए कम्यूनिटी सीवेज का शोधन	बर्कतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल	–	–	1,97,862
259.	जैवविविधता, यूट्रोफिकेशन और एन्थ्रोपोजेनिक दबावों के विशेष संदर्भ में गुजरात में नमभूमि नाल-सरोवर का पर्यावरणीय अध्ययन	एनवी पटेल पीजी कॉलेज बल्लभ विद्यानगर	–	–	2,58,856
260.	महाराष्ट्र में उच्च प्राथमिकता वाली नमभूमियों के लिए एक एक्शनओरिएंटिड लोकल स्पेसिफिक संरक्षण जागरुकता	भारती विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी, पूना	–	–	3,63,080
261.	केरल राज्य में एक्सप्लोसिव एक्वेटिक वीड ग्रोथ, उनकी वर्गीकी और पारि-स्थितिकी का मूल्यांकन तथा कुट्टानंद वेटलैंड पारिप्रणाली का प्रभाव	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय	–	–	5,28,537

1	2	3	4	5	6
262.	वडोदरा शहर में और उसके क्षेत्र में नमभूमियों का संरक्षण	गुजरात पारिस्थितिकी सोसायटी, गुजरात	–	–	2,44,840
263.	कुमाउं हिमालयन लेकों के विषाक्त प्रदूषण का मूल्यांकन सेडीमेंट केस अध्ययनों से भूत और वर्तमान के प्रदूषण इंडीसीज	आई.आई.टी., रुड़की	–	–	1,20,000
264.	माइग्रेटरी वाटर फाउल पर विशेष ध्यान देते हुए समयपुर नमभूमि (राय बरेली) की पारिस्थितिकीय सत्ता	आई.आई.टी., रुड़की			2,18,500
265.	कियोलाडियो नेशनल पार्क, भरतपुर की माइक्रोब्रियल जैवविविधता के मूल्यांकन और संरक्षण पर अध्ययन-औषधि, कृषि उद्योग और पर्यावरणीय प्रबंधन में पोटेंशियल प्रयोग	जीवा जी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर	–	–	5,59,000
266.	नई जेनेटिक बैरिएबिलिटी का विकास और युरेल फेरोक्स (मखाना) का सुधार	नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ	–	–	2,19,650
267.	पूर्वोत्तर जलीय जैवविविधता के लिए स्पेटियल डाटाबेस तैयार करना ओर माहसीर फिशिज के वासस्थल का मानचित्रण	असम विश्वविद्यालय	–	–	4,91,700
268.	पूर्व कोलकाता वैटलैंड ई को सिस्टम पर उसके संरक्षण और बेहतर सतत प्रबंधन के संदर्भ में व्यापक पारि-स्थितिकीय जांच	इंस्टीट्यूट ऑफ वैटलैंड मैनेजमैंट एंड इकोलॉजिकल डिजाइन	–	–	2,61,050
269.	दक्षिण उड़ीसा, भारत की नमभूमियों के पादप संसाधनों का फ्लोरिक सर्वेक्षण और मूल्यांकन	बेहरामपुर विश्वविद्यालय, गुजरात	–	–	1,51,864
270.	फिशरीज और माइग्रेट वाटर बड्र्स के लिए एक अभिनिर्धारित रामसर साइट प्वाइंट कैलीमर (द ग्रेट विडारनयम स्वैंप का रेस्टोरेशन)	बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी	–	–	4,57,700
271.	डिब्रुगढ़ सिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रुगढ़ और तिनसुखिया जिला, असम में प्लान जैवविविधता का अध्ययन और संरक्षण	भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण	2,87,212	–	–

1	2	3	4	5	6
272.	डा. राज. एस. सिंह, सीएमआरआई, धनबाद द्वारा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में एकीकृत पारिस्थितिकीय अध्ययन	सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद	1,35,550	–	–
273.	पी दत्ता क्षेत्रीय औषधीय अनुसंधान केन्द्र, डिब्रुगढ़, असम द्वारा अपर असम के मानस डिब्रुसिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व के सदाबहार वनों में मच्छरों की जैव-विविधता का अध्ययन	क्षेत्रीय औषधीय केन्द्र, नार्थ ईस्टर्न क्षेत्र, आई.सी.एम.आर.	1,15,000	–	–
274.	देहांद-देबांग बायोस्फीयर रिजर्व के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एथनिक ज्ञान का प्रलेखन, सूचीकरण और उपयोग	नार्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी	2,64,920	–	–
275.	डा. एम.पी.एस. बिहार, जियोलॉजी विभाग की देखरेख में भूमि संसाधनों के लिए डाटाबेस तथा नन्दादेवी बायोस्फीयर रिजर्व, गढ़वाल, हिमालय में उनके प्रबंधन के लिए कार्यनीति	एच.एन. बहुगुणा विश्वविद्यालय, उत्तराखंड	3,06,853	50,000	–
276.	ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ईकोसिस्टम डायनामिक्स में जैव-विविधता का संरक्षण और जैव-विविधता का रखरखाव	दिल्ली विश्वविद्यालय	8,15,079	–	–
277.	केरल के पश्चिमी घाटों में नेल्लीयाम-पथी आर.एफ. में कटिबंधीय नम व सदाबहार वनों में पादप विविधता का मूल्यांकन और सैलेक्शन फैल्ड गैप्स की रैंकिंग	केरल वन अनुसंधान संस्थान	2,36,900	–	–
278.	उत्तर पश्चिमी हिमालय में ठंडे मरुस्थल और लाहूलवल्ली में जैव संसाधनों से संबंधित एंथ्रोपोजेनिक गतिविधियों का प्रभाव	जी.बी. पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एन्वायरनमैंट एंड डेवलपमेंट	1,45,000	–	–
279.	केरल, नालगिरि बायोस्फीयर के एक भाग में पुनःस्थापन कार्यनीतियां अभिनिर्धारित करने के लिए पारिप्रणाली के मूल्यांकन हेतु वनों और कृषि पारि-प्रणाली का विश्लेषण	केरल वन अनुसंधान	3,90,840	–	3,59,740

1	2	3	4	5	6
280.	मन्नार की खाड़ी में गल्फ ऑफ लोबास्टोर का संरक्षण	फिशरीज कालेज एंड रिसर्च, तमिलनाडु	4,69,200	–	–
281.	नीलगिरि, पश्चिमी घाटों के शाल्स में हर्बिसियस बायोरिसोर्स के सतत उपयोग के लिए संरक्षण कार्यनीतियों का मूल्यांकन	कोंगुनाडु आर्ट्स एंड साईंस कालेज, कोयम्बटूर	2,15,000	–	–
282.	फारेस्ट फ्रेगमेंटेशन पर अध्ययन तथा कंचनजोंगा बीआर की संकटापन्न और ईथो मेडिसिनल प्लांट्स की प्रजातियों की संख्या पारिस्थितिकी पर प्रभाव	नार्थ ईस्ट ने हिल्स यूनिवर्सिटी, शिलांग	6,62,400	–	–
283.	डिब्रुसिखोवा और असम के मानस बायोस्फीयर की माइक्रोबियल जैव-विविधता	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टैक्नोलॉजी, गुवाहाटी	4,42,865	–	–
284.	नेशनल पार्क को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में विकसित करना	बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी	2,97,600	–	–
285	उत्तरांचल में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बफर जोन में जंगली और कल्टीवेटिड फ्रूट्स का प्रयोग करके महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति करना	सोसायटी फॉर हिमालयन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमैंट, पीओ अगस्त्यामुनि, जिला चमोली--246 421 उत्तर प्रदेश	2,57,360	–	–
286.	वातावरण से बायोस्फीयर में प्रदूषकों के स्थानांतरण पर जोर देते हुए सुन्दरवन बायोस्फीयर रिजर्व की परिवेशी वायु गुणवत्ता का अध्ययन	सेंटर फॉर स्टडी मैन एंड एन्वायरनमैंट कोलकाता	–	93,900	–
287.	ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ईकोसिस्टम डायनामिक्स में जैव-विविधता का संरक्षण और जैव-विविधता का रखरखाव	दिल्ली विश्वविद्यालय	–	9,11,196	–
288.	पचमढ़ी मल्कुली क्षेत्र के विशेष संदर्भ में पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का सामाजिक आर्थिक अध्ययन	सेंटर फॉर रुरल डेवलपमैंट एंड एनवायरनमैंट, भोपाल	–	1,63,185	–
289.	केरल के पश्चिमी घाटों में नेल्लीयाम-पथी आर.एफ. में कटिबंधीय नम व सदाबहार वनों में पादप विविधता का मूल्यांकन और सैलेक्शन फैल्ड गैप्स की रैकिंग	केरल वन अनुसंधान संस्थान	–	1,00,000	–

1	2	3	4	5	6
290.	पूर्वोत्तर भारत विशेषकर डिब्रुसाइखोया बायोस्फीयर रिजर्व के आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पादपों के गाल फार्मिंग कीटों की जैवविविधता	मणिपुर विश्वविद्यालय	–	1,87,450	–
291.	नन्दा देवी जीवमण्डल रिजर्व गढ़वाल हिमालय में उनके प्रबंधन के लिए भूमि संसाधन और कार्य नीति के लिए डाटा आधार	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड	–	50.000	–
292.	नीलगिरी जीवमण्डल रिजर्व के केरल भाग में काष्ठ बोरिंग वियरणों का अध्ययन	केरल वन अनुसंधान संस्थान	–	19,480	–
293.	मनास जीवमण्डल रिजर्व में जैव-विविधता स्थिति का अध्ययन	गुवाहाटी विश्वविद्यालय	–	1,28,263	–
294.	रूपकुण्ड भूमि, पिन्डारी क्षेत्र नन्दादेवी जीवमण्डल रिजर्व में पर्यावरण पर पर्यटन का प्रभाव	वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून	–	3,04,000	–
295.	सुन्दरबन की कच्छ वनस्पति और कृषि, बागवानी की पायरोफागस और प्रोडेटरी माइट फ्यूना जैविक नियंत्रण में संभाव्यता के लिए मुख्य माइट फारस्ट और उनके प्रभावी प्रोडेटरी माइटस का अभिनिर्धारण	एस.डी. मैरीन बायोलाजीकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पश्चिम बंगाल	–	1,59,968	–
296.	अरुणाचल में प्रस्तावित नामदस्ता जीवमण्डल में वृक्ष विविधता का सूचीकरण और संग्रह और उच्च महत्व टाक्सा का प्रसार	जी.बी. पंत हिमालय पर्यावरण और विकास की सूची	–	67,739	–
297.	ग्रेट निकोबार जीवमण्डल रिजर्व और इसकी पारिस्थितिकी के समुद्री जैविक संसाधनों का आकलन	अन्नामलय यूनिवर्सिटी	–	4,69,674	–
298.	नीलगिरी जीवमण्ड़ल रिजर्व में गिरे पेड़ों के साथ सम्बद्ध कीट और फुंगी की डिटराइटस प्रणाली की समुदाय पारिस्थिति	काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद्, बंगलौर	–	91,020	–
299.	अपर असम, डिब्रूगढ़ शेखोवा जीव-मण्डल रिजर्व में सदाबहार वन वर्षा में मच्छरों की जैयविविधता का अध्ययन	क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, आईसीएनआर	–	1,60,000	–

1	2	3	4	5	6
300.	अलगी से इदन्ताकारी की सर्वेक्षण जांच और समुद्री स्वरूप फिको-कोलोड, आयोडीन, फीटी एसिड और एसएलएफ उत्पादन के लिए रामेश्वरम बेल्ट, मनार की खाड़ी क्षेत्र	बी.ओ. चिदम्बरम कालेज, तूतीकोरिन तमिलनाडु	–	7,27,000	–
301.	नन्दादेवी जीवमण्डल रिजर्व की मेक्रोफुंगल जीवमण्डल और इन-वितरो संरक्षण	पंजाब विश्वविद्यालय	–	5,05,600	–
302.	नन्दादेवी जीवमण्डल रिजर्व के बफरजोन में पशु पर्यावास इन्ट्रेक्शन पर अध्ययन	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून	–	1,38,000	–
303.	नीलगिरी जीवमण्डल रिजर्व की विभिन्न वन पारिप्रणाली की अर्थवर्क प्रजाति विविधता अध्ययन	भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून	–	1,99,400	–
304.	अगरकंटक जीवमण्डल रिजर्व मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के जैविक संसाधनों का अध्ययन और पारम्परिक ज्ञान के दस्तावेज तैयार करना	भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, कोलकाता	–	11,35,200	–
305.	दीहांग दीबांग जीवमण्डल रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश की पुष्पीय विविधता की खेप और दस्तावेज तैयार करना	भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, अरुणाचल प्रदेश	–	–	3,00,000
306.	सिक्किम हिमालय में एग्रीकलेस जैवविविधता अध्ययन	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता	–	–	3,89,000
307.	मनार की खाड़ी मैरीन जीवमण्डल रिजर्व एगार यीलडिंग सी वीड (गीलीडिला गिलीडियम और ग्रेसी-लेरिया) (स्थान बासे और स्वस्थाने) संरक्षण और प्रसार	सेन्ट्रल साल्ट एण्ड मैरीन कैमीकल अनुसंधान संस्थान, भावनगर	–	–	1,68,000
308.	ट्रांस और उत्तर पश्चिम हिमालय के प्रस्तावित शीत मरूस्थल जीवमण्डल रिजर्व में पौधों की जैव विविधता अध्ययन और संरक्षण स्थिति	जी.बी. पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान	–	–	2,25,000

1	2	3	4	5	6
309.	पचमढ़ी जीवमण्डल रिजर्व में ब्रायो-फट्स विविधता का अध्ययन और उनकी संरक्षण कार्यनीति	राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	–	–	3,54,000
310.	निलगिरी जीवमण्डल रिजर्व में गिरी हुई लकड़ी के साथ जुडे कीटों और फुंगी डीट्रीटस प्रणाली की सामुदायिक पारिस्थितिकी	काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान	–	–	1,48,288
311.	मनार की खाड़ी में लोबसटर का संरक्षण	तमिलनाडु वैटरनरी और एनिमल साइंस विश्वविद्यालय	–	–	3,12,345
312.	निलगिरी पश्चिम घाटों के शोलास में हरबीक्युस बायोरिसोर्स के सतत् प्रयोग के लिए संरक्षण कार्य नीति का आकलन	कोन्गुन्डु आर्ट और साइंस कालेज, कोयम्बतूर, तमिलनाडु	–	–	1,67,000
313.	भारत में निलगिरी जीवमण्डल रिजर्व में माइक्रो-हिल्स प्रणाली का दोहन	वन अनुवंशी और वृक्ष प्रजनन वन संरक्षण संस्थान	–	–	1,92,330
314.	अगस्थयार हिल जीवमण्डल रिजर्व की बेट प्रजाति की सूची और पारि-स्थितिकी सर्वेक्षण और उनका प्रभाव	सलाह टक्कर कालेज, तिरुतवेली तमिलनाडु	–	–	2,85,000
315.	निलगिरी जीवमण्डल रिजर्व के केरल भाग में पारिप्रणाली स्वास्थ्य और पुनर्वास कार्यनीति निर्धारण आकलन के लिए वन और कृषि पारिप्रणाली विश्लेषण	के.एल.आर.आई., केरल	–	–	3,59,740
316.	डिट्रिस प्रणाली का पारिस्थितिकी समदाय-निलगिरी जीवमण्डल में कटे वृक्षों में कीट और फुगी	काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान	–	–	1,52,426
317.	पचमढ़ी जीवमण्डल रिजर्व की पचमढ़ी अभयारण्य में और आसपास कुछ संकटापन्न रोडीन मैमेलियन प्रजातियों की अत्यधिक संख्या	बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल	–	–	1,32,000
318.	दीहांग-दीबांग जीवमण्डल और इसके आसपास अरुणाचल प्रदेश में तितली विविधता का अध्ययन	राज्य वन अनुसंधान संस्थान, केरल	–	–	3,80,000
319.	निलगिरी जीवमण्डल रिजर्व की तितलियों पर हैण्डबुक	केरल वन अनुसंधान संस्थान, केरल	–	–	1,08,000

1	2	3	4	5	6
320.	नोकटीक जीवमण्डल रिजर्व मेघालय की वनस्पति विविधता का अध्ययन	बी.एस.आई. शिलांग	–	–	2,90,000
321.	अगस्थ्यमलय जीवमण्डल रिजर्व, तमिलनाडु की दुर्लभ, संकटापन्न और खतरे में पड़ी पुष्पीय पौधों का अध्ययन	सेंट जॉन कालेज तमिलनाडु	–	–	4,50,000
322.	मितोसा इनविसा मरयत का जैविक नियंत्रण-विध्वंसक एलीन वीड थ्रेटनिंग काजीरंगा पार्क	वर्ष वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट	–	–	1,70,000
323.	पायटोरेमीडेशन तकनीक के माध्यम से जाजमऊ, कानपुर के आसपास के क्षेत्रों में यू.ए.एस.बी. चर्मशोधन वन बहिस्राव और संदूषित मृदा से कोमियम का संदूषण हटाना	एन.बी.आर.आई., लखनऊ	1,93,568	1,70,000	–
324.	यमुना नदी के जल प्रवाह को बढ़ाना	ज.ला.ने. विश्वविद्यालय, दिल्ली	1,12,861	–	–
325.	वाराणसी में गंगा नदी में भारी धातु भार की निगरानी (पटना विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन पूरा किया गया)	पटना विश्वविद्यालय	–	–	1,14,509
326.	ऊपरी पश्चिमी घाटों के राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में आनुवंशिक विविधता अध्ययन	जीनी कैंपेन, दिल्ली	5,47,200	–	–
327.	पश्चिमी बंगाल में कुछ संकटापन्न जनसंख्या की प्रवृति का आकलन	प्राकृति पर्यावरण और वन्यजीव सोसायटी, कोलकाता	1,83,750	–	1,40,280
328.	हवाई चित्र दस्तावेजों के प्रयोग से डांगस सुगंधित वनों से वन्यजीव पर्यावास परिवर्तन	पर्यावरणीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान	1,24,077	–	1,55,760
329.	गेंगटिक डाल्फिन के पर्यावास प्रेफरेंस जनसंख्या व्यवहार	पटना विश्वविद्यालय	11,24,000	16,00,525	16,52,000
330.	मनार की खाड़ी, मेरीन राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी और डूगोंग पर्यावास का पर्यावरण आर्थिकता का आकलन	बम्बई प्राकृतिक विज्ञान सोसायटी	6,35,900	–	–
331.	संरक्षण के विशेष संदर्भ में पुलीकर झील के पक्षियों का पारिस्थितिकी लेखा	बम्बई प्राकृतिक विज्ञान सोसायटी	2,25,450	–	–
332.	अलीकोनीफोर्मिस प्रजातियों का स्थान-बाह्य संरक्षण का स्थिति सर्वेक्षण	गुजरात पारिस्थितिकी शिक्षा अनुसंधान फाउंडेशन	–	6,00,000	1,00,000

1	2	3	4	5	6
333.	फ्लाइंग स्कवेरल की दो प्रजातियों में निच-पार्टीटोनिंग और व्यवधान का प्रभाव और फ्रेगमेंटेशन: पश्चिम घाटों/त्रावणकोर की बड़ी फ्लाइंग स्क्येरल	राष्ट्रीय भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर	–	5,00,000	–
334.	फारेस्ट स्पाटिड ओलेट का पारि-स्थितिकी अध्ययन	बम्बई प्राकृतिक विज्ञान सोसायटी	–	1,83,000	–
335.	मध्य भारत में ब्लू पीफायुल और ग्रे फैंकोलिन पर कीटनाशी के प्रयोग का प्रभाव	वन्यजीव पीसेंट एसोसिएशन, दिल्ली	–	4,98,000	4,06,920
336.	गैलीफोर्मस के संरक्षण के लिए ग्रासरूट कार्रवाई शुरू करना	वन्यजीव पीसेंट एसोसएशन, दिल्ली	–	–	2,10,250
337.	महाराष्ट्र में सिंधु दुर्ग और कोल्हापुर जिले में मानव-हाथी संघर्ष के प्रबंधन का अध्ययन	पर्याखोव पुणे	–	–	90,000
338.	गुजरात में कलोजियल ब्रीडिंग जल-पक्षी अध्ययन	बम्बई प्राकृतिक विज्ञान सोसायटी	–	–	2,39,000
339.	गुजरात में ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड की वितरण स्थिति और पर्यावास सर्वक्षण	गुजरात पारिस्थितिकी शिक्षा अनुसंधान फाउंडेशन	–	–	2,50,000
340.	पश्चिम घाटों की पक्षी समुदायों के पर्यावास नष्ट होने और परिवर्तन का प्रभाव	बम्बई प्राकृतिक विज्ञान सोसायटी	–	–	4,39,600
341.	वन स्पाटिड आउलेट का पारिस्थितिकी अध्ययन	बम्बई प्राकृतिक विज्ञान सोसायटी	–	–	5,49,000
342.	भारत में विन्टरिंग पक्षियों में एविएन इंफ्लुएंजा सर्वेलियंस	बम्बई प्राकृतिक विज्ञान सोसायटी	–	–	7,60,000

विवरण-II

कुल व्यय की गई धनराशि सहित पूर्ण परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना का शीर्षक	संस्था/संगठन का नाम	कुल व्यय की गई धनराशि
1	2	3	4
1.	हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में प्राकृतिक घास मैदानों के सुधार पर एडैप्टिव अनुसंधान	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश	5,67,217

1	2	3	4
2.	हिमालयन मोनल हैबिटेट इकॉलाजी एंड विहैवियर का प्रबंधन	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड	10,26,378
3.	लोनार क्रेटर पारिप्रणालियों का पारिस्थितिकी और जैवविविधता अध्ययन	अहमदनगर कॉलेज, अहमदनगर	11,92,880
4.	तमिलनाडु के फोस्टल लाइन के मी इम्बेथिक फाउना की विविधता	न्यू कॉलेज, चेन्नई	8,97,920
5.	तमिलनाडु के विभिन्न एग्रो कलाइमेटिक जोनों की चयनित वृक्ष प्रजातियों का ईकोटाइपिक मूल्यांकन और इन विट्रो मल्टीप्लीकेशन	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर, तमिलनाडु	7,40,403
6.	राजस्थान के चार मरुस्थल में फाउनल विविधता का अध्ययन	डेजर्ट अनुसंधान स्टेशन, जेडएसआई, झालामांड, जोधपुर, राजस्थान	69,04,790
7.	बम्बल बी विविधता और हिमालय क्षेत्र में हाई एलिटीचूड वेपीटेशन जर्मप्लाज्म में इसकी भूमिका	पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला	8,99,900
8.	सॉयल माइक्रोआर्थोपोड्स और मोबिलाइजेशन ऑफ माइक्रो-न्यूट्रिएण्ट्स : लैटराइट नमभूमियों में वनीकरण का पारिस्थितिकीय मूल्यांकन	विश्वभारती, विश्वविद्यालय, शान्तिनिकेतन	12,91,080
9.	टिश्यू और ऑर्गेनकल्चर तकनीक द्वारा कश्मीर घाटी की कुछ महत्वपूर्ण कॉनिफर्स की रैपिड क्लोनल मल्टीपलीकेशन	कश्मीर विश्वविद्यालय कश्मीर, जम्मू-कश्मीर	15,68,820
10.	वन वृक्षों की बीज प्रौद्योगिकी: पोस्ट हार्वेस्ट हैण्डलिंग और बाह्य स्थाने संग्रहण	पं. रविशुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर	11,79,396
11.	ओपन सौराष्ट्र गुजरात की इंटर टाइडल जोन की पारिस्थितिकी	गुजरात पारिस्थितिकीय सोसाइटी, बड़ोदरा	11,81,968
12.	गढ़वाल हिमालय में चीयर फीसेण्ट का संरक्षण: वर्तमान स्टेट्स, वितरण, पर्यावास पारिस्थितिकी और व्यवहार	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी कैम्पस, उत्तराखंड	6,77,269
13.	कच्छ के एथनोबॉटनिकल संसाधनों के पारम्परिक ज्ञान का अध्ययन: एथनोबॉटनिकल डाटाबेस बनाकर प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की एक एप्रोच	गुजरात डेजर्ट इकॉलाजी संस्थान, बड़ोदरा	9,13,149
14.	पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के नामखासा डेल्टा-ब्लोव से जुड़ी नाममूमियां, घास के मैदानों, सागर महाद्वीपों और धान के खेतों से होमोरटख पेस्ट्र्स (लीफ प्लांट होपर्स) का फैमिस्टिक और पारिस्थिति सर्वेक्षण	एस.डी. मेरीन बायोलाजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट पश्चिम बंगाल	9,85,864

1	2	3	4
15.	अरुणाचल प्रदेश के डिस्टर्ब्ड और अनडिस्टर्बड उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की पारिप्रणाली डाइनामिक्स का अध्ययन	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश	13,17,703
16.	मध्य तमिलनाडु की वनस्पति का संरक्षण उन्मुख पुनर्मूल्यांकन	सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली	9,75,598
17.	मिजोरम के बांस वृक्ष प्रजातियों में सुधार में वृद्धि और प्रबंधन का अध्ययन	उत्तर पूर्वी हिल विश्वविद्यालय, शिलांग	10,57,868
18.	फ्रूट्स, बैट्स और फ्लोद्यानों का नुकसान	मदुरई कामराज, विश्वविद्यालय	9,75,324
19.	शहरीकरण के दबाव से पौधरोपण पर जोर देते हुए क्रोमाडल तटीय वनस्पति का मूल्यांकन	सेंट मॉस कालेज, तिरूचिरापल्ली	1,02,834
20.	मणिपुर और नागालैण्ड उत्तर भारत के फाउना का थाइसेनोप्टरम	मणिपुर विश्वविद्यालय	6,92,107
21.	राजस्थान का विशेष संदर्भ देते हुए उत्तरी भारत के जनजातीय और जाति वर्गों के ह्यूमन सेटलमेंट, मानवीय गतिविधियों और स्वास्थ्य का स्तर	दिल्ली विश्वविद्यालय	15,36,710
22.	पश्चिमी राजस्थान में मम्मल के स्तर पर इण्डियन गांधी केनाल सिंचाई का प्रभाव	द स्कूल ऑफ डेजर्ट साइंसेज, जोधपुर राजस्थान	12,71,622
23.	हिमाचल प्रदेश के मिड हिल्स की फलोरिस्टिक और प्रजातीय विविधता पर दावाग्नि के प्रभाव	यूनीवर्सिटी ऑफ हार्टीकल्चर एण्ड फारेस्ट्री, सोलन, हिमाचल प्रदेश	5,15,747
24.	स्क्रब वन पारिप्रणाली में प्लांट गाल पारिस्थितिकी	प्रेसीडेंस कॉलेज, मद्रास	9,08,630
25.	तमिलनाडु की आर्थोप्ट्रेरन समुदाय की डाइनामिक्स: जैवविविधता का एक अध्ययन	जी.एस. गिल रिसर्च संस्थान, गुरुनानक कॉलेज, चेन्नई	11,57,903
26.	इंडियन एसीडियन्स की समुद्री जैवविविधता टैक्सोनॉमी	ए.पी.सी. महालक्ष्मी कॉलेज ऑफ वीमन, तूतीकोरिन	9,69,330
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों की कुछ दुर्लभ प्रास्पेक्टिव एविफाउना की पारिस्थितिकी, स्तर और संरक्षण का अध्ययन	सलीम अली सेन्टर फॉर ओमिथोलोजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री	8,10,980
28.	पॉम फ्रूट उत्पादन शुरू करने का पर्यावरण पर प्रभाव - हिमाचल प्रदेश में एक अध्ययन	रीजनल हार्टीकल्चरल रिसर्च रटेशन, शिमला	6,03,922
29.	फेमिली यूफोबियासी के कुछ सामान्य पौधों की मुलुसिडिबल गतिविधि और उसका नॉन-टार्गेट पशुओं के फ्रेश वाटर पर पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन	गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	10,55,979

1	2	3	4
30.	गढ़वाल हिमालय के माउंटेन फ्लूवियल पारि प्रणाली का जैवविविधता और भूमि जल सतह जल इकोटोन (हाइपोरहिक पर्यावास)	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड	10,37,288
31.	हिमाचल प्रदेश में ऑयल सीड फसलों की बीमारियों और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्लांटसो एब्नाकिसक्ड खरपतबारों के लिए प्रमुख इंसेक्ट-पेस्टों की जैवविविधता और एलिकेसी	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, सिरमौर हिमाचल प्रदेश	7,74,447
32.	औद्योगिक ठोस अपशिष्टों का पारिस्थितिकीय जोखिम मूल्यांकन और पर्यावरणीय मानीटरिंग	डा. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद	6,62,620
33.	अपशिष्ट एलुमिनियम ड्रास आक्साइड का उपचार	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर	2,11,000
34.	हिमाचल प्रदेश में मदद की फसलों में प्रमुख इंसेक्ट-पेस्टों के नियंत्रण के लिए पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय रूप से सुरक्षित विधियों का विकास	डा. वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टी-कल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोल्स, हिमाचल प्रदेश	74,750
35.	इलेक्ट्रोकेमिकल आमन एक्सचेंज का प्रयोग करते हुए मेटल फिनिशिंग अपशिष्ट जल से क्रोमिमम का रिसाइक्लिंग	सेन्ट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल्स रिसर्स इन्स्टीट्यूट कराईकुडी	2,69,100
36.	औद्योगिक अपशिष्ट जल के प्रदूषित भार को निर्धारित करने के लिए बीओडी बायोसेंसर आधारित विकसित मिश्रित कल्चर के लिए व्यापक परीक्षण नॉन-कन्वेंशनल मानीटरिंग	इन्स्टीट्यूट ऑफ जिनोमिक्स तथा इन्टीग्रेटिड बायोलोजी दिल्ली	8,38,000
37.	बहिस्राव का शोधन वेल्यूऐवल/टाससीस मेटल आमन्स को शामिल करते हुए इलेक्ट्रो-डायलिसिस द्वारा इसकी वसूली	सेन्ट्रल साल्ट और मेराइन केमिकल्सड रिसर्च इन्स्टीट्यूट भावनगर	4,25,950
38.	टैनरी शोधन के लिए वायोटैक्नोलोजी का विकास और प्रदर्शन	कोंगु इंजीनियरिंग कालेज पेरिनदुरई इरोड-638052	6,10,650
39.	नीम और नीम आधारित बायोपेस्टीसाइड में इको फ्रेडली नेमाटोड प्रबंध प्रौद्योगिकी का विकास	इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूसा कैम्पस, नई दिल्ली	5,94,000
40.	पर्यावरणीय सैम्पल्स में वामफिनियल के निर्धारण के लिए तकनीक का विकास	नेशनल राम्बाम सेंटर इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट नागपुर	3,22,462
41.	भारी धातु प्रदूषण जल निकायों के विशेष संदर्भ में असम में दीर्घावधि कोयला खनन का पर्यावरणीय प्रभाव	गुवाहाटी यूनिवर्सिटी गोवाहाटी	19,21,133

1	2	3	4
42.	माइक्रोकन्ट्रोलर आधारित कान्फिशिएन्ट ऑफ हाजा (सी.ओ.एच.)	सेन्ट्रल साईंटिफिक इन्स्ट्रयूमेन्ट्स आर्गनाइजेशन चण्डीगढ़	10,14,750
43.	मेम्ब्रेन रियकर्टस का प्रयोग करके डिस्टलरी बिहस्रावों में विद्यमान प्रदूषकों के जैव अवक्रमण के लिए प्रसंस्करण के विकास का अध्ययन	नेशनल कैमिकल लैबोट्री, पुणे	6,63,000
44.	पारि-प्रणाली और मृदा उत्पादकता में मृदा में भारी धातु डायनमिक "उनकी गतिशीलता में बाधाएं"	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर	8,50,500
45.	बायो-ब्लिचिंग द्वारा पौध ब्लीच में उन्नत पर्यावरणीय प्रबंधन	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	8,91,215
46.	लकवा ऑयल फिल्ड बहिस्राव शोधनसंयंत्र स्लज खतरनाक अपशिष्टों का उपयोग करके सामान्य ईंटों को तैयार करने के लिए फिल्ड परीक्षण	नेशनल कैमिकल लैबोट्री, पुणे	3,41,250
47.	सैलूलोस वाले पदार्थों का प्रयोग करके भारी धातु प्रदूषण निवारण	मुम्बई यूनिवर्सिटी	6,20,500
48.	महत्वपूर्ण कीटनाशकों के प्रबंधन के लिए कृषि अपशिष्ट उत्पादों के पर्यावरणीय प्रदूषण और खरपतवार और उनकी उपयोगिता पर अध्ययन	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश	8,65,738
49.	उत्तर-पूर्वी कोयला फिल्डों में और इनके चारों ओर मृदा और जलगुणता बिगड़ाव का पर्यावरणीय आकलन	केरल फारेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट, पीची केरल	7,52,736
50.	रंजक अपशिष्ट जल शोधन के लिए एकीकृत एडवांस ऑक्सिडेशन और सूक्ष्म जीविय प्रौद्योगिकी का विकास	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	10,86,175
51.	अवक्रमित स्थलों पर फिर और स्पर्स के पुनर्रुद्धार के लिए सूक्ष्मजीविय प्रौद्योगिकी	एस.के. यूनिवर्सिटी, श्रीनगर	12,56,476
52.	मटर के सफेद रोट (सैलरोटिनीया सैलरोटायोरम) का जैव नियंत्रण	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश	5,34,080
53.	पर्यावरणीय पुनर्रुद्धार में अर्थवोम और टोलरेंट स्ट्रेन के सक्षमों पर औद्योगिकी बहिस्राव और स्लज के प्रभाव पर अध्ययन	इंडियन टैक्सिकोलॉजीकल रिसर्च सेंट, लखनऊ	2,85,883

1	2	3	4
54.	पर्यावरण हानिकारण एन 2 ओ गैस के डी-कम्पोजिशन के लिए नए हाइड्रोटल साइट आधारित सीरामिक मोनोलिथ की तैयारी और औपटी मिक्सेसन	रिजनल रिसर्च लैबोरेटरी, जोरहाट	5,94,500
55.	जल मृदा और खनन प्रणाली के प्रबंधन के लिए नए पोलिमृक पदार्थों का विकास	हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला	13,60,470
56.	उड़ीसा में खनन स्थलों के चारों ओर हैवी मैटल संदूषित मृदा में सूक्ष्मजीवी समुदायों का विश्लेषण	रिजनल प्लांट रिसोसिस सेंटर, भुवनेश्वर	5,12,000
57.	पश्चिमी घाटों में संरक्षण योजना के लिए संकटापन्न दुर्लभ पासरिन, सफेद बैली लघु पंख की प्राकृतिक और डिस्टर्ब वास स्थलों में फोरेजिंग आवश्यकताओं का आकलन	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस कैम्पस, बैंगलोर	7,02,340
58.	महाराष्ट्र के मध्य पश्चिमी घाटों में बैट विविधता का मूल्यांकन	फेरगुसन कॉलेज, पुणे	5,09,220
59.	कम्प्यूटर सहायता से अभिनिर्धारित करने सहित केरल के वृक्ष जात पर व्यापक मन्युअल	केरल फारेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट, पीची, केरल	6,45,125
60.	पश्चिमी घाटों के वायनाड और कुर्ग वनों में विभिन्न ऊंचाइयों पर पारिस्थितिकीय और रसायन पारिस्थितिकी के संदर्भ में लिटर इन्सैक्ट डायनमिक	सेंट, जोसेफंस कॉलेज	12,09,074
61.	बांस स्रोत उपयोगिता की आर्थिकता के लिए इनकी कटाई और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी को बढ़ाना	केरल फारेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट, पीची, केरल	7,76,276
62.	पश्चिमी घाटों की तीन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वन वृक्ष प्रजातियों के जैनेटिक विविधता और पुर्नजनन जीव विज्ञान	यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली	20,71,544
63.	दक्षिण-पश्चिमी घाटों सहित केरल राज्य के यूलोफिड पैरासाइटोड (हाइमनोपरेरा, यूलोफिडाय) पर जैव पद्धतीय अध्ययन	यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट	8,43,863
64.	तमिलनाडु के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में नीमैटोड्स की लिटर डी-कम्पोजिशन का डाइसोप्रोब की भूमिका पर अध्ययन	तमिलनाडु एग्रीकलचरल यूनिवर्सिटी	6,64,348
65.	पूर्वी और पश्चिमी घाटों से महत्वपूर्ण उत्पादों का खाद्य मिश्रण के रूप में उपयोगिता	सेंटरल फूड टैक्नॉलोजिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट, मैसूर	3,66,000

1	2	3	4
66.	आंध्र प्रदेश के विशाखापटनम और पूर्वी गोदावरी जिले के पूर्वी घाटों में पासेरिन पक्षियों बनाम वनस्पति लक्षणों और बीज वितरण	आंध्रा यूनिवर्सिटी	6,96,054
67.	केरल की चयनित स्थानीय वृक्षों की पारिस्थितिकी और संरक्षण	केरल फारेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट, पीची केरल	7,66,267
68.	पश्चिमी घाटों के केरल भाग में पौध पैथोजैनिक फंगस की जैव विविधता	केरल फारेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट, पीची केरल	13,14,380
69.	नारियल हस्क रैटिंग में हाइड्रोजन सल्फाइड और मिथेन के कारण पर्यावरणीय प्रदूषण का आकलन और निवारण	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, औद्योगिक स्टेट, तिरुवंतपुरम	76,09,000
70.	स्लेटी सिर वाली बुलबुल पाइक्नोटस पैरीस्फिलस की वितरण और पारिस्थितिकी स्थिति	सलीम अली सेंटर फार ओरिंथोलोजी और नेचुरल हिस्ट्री	3,00,989
71.	नीलगिरी काष्ठ कबूतर (कोलुबु एल्फिस्टोनी) और नीलगिरी पिपिट (एंथस मिल घेरीनिस्स) की स्थिति और पारिस्थिकी	केरल फारेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट, पीची केरल	8,38,510
72.	भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के साथ शहरों और ग्रामों में एडीस इजपिटी. डेंगू के मच्छर, चिकनगुनिया और यलो-फिवर जीवाणुओं के फैलने पर अध्ययन	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ वीरोलोजी, पुणे	9,26,814
73.	उड़ीसा के पूर्वी घाट क्षेत्रों में हरपिटो फोनल विविधता का आकलन	नेशनल कैमिकल लैबोट्री, पुणे	2,60,000
74.	पश्चिमी घाटों के संकटापन्न औषधीय पौधों का माइक्रोप्रोपेगेशन और जर्मप्लाज्म संरक्षण	नेशनल कैमिकल लैबोट्री, पुणे	8,93,600
75.	संकटापन्न और स्थानीय प्रजातियों के विशेष संदर्भ में पन्नि चोटियों में पक्षी समुदायों संरचना का पुर्नआकलन	बोम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी	5,43,862
76.	गोल्डन कोरिडोर के वापी - वडादरा में होट-स्पोटों का अभिनिर्धारण और औद्योगिकरण के कारण पर्यावरणीय परिवर्तनों की निगरानी	रिमोट सेंसिंग एण्ड जी.आई.एस., डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ प्लानिंग सीईपीटी. अहमदाबाद	4,74,401
77.	पारंपरिक भू-सर्वेक्षण और सैटेलाइट आर.एस. के निरंतर प्रयोग से पाक जैव संसाधनों का आकलन	अन्नामलाई यूनिवर्सिटी	7,73,424

1	2	3	4
78.	रिमोट सेंसिंग और भू-सूचना प्रणाली का उपयोग करके खोली पहाड़ियों, तमिलनाडु के प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का आकलन	सेंट जोसेफ कॉलेज, तमिलनाडु	60,916
79.	बानस ड्रिनेज बेसिन, राजस्थान में भू-पर्यावरणीय अध्ययन और भू-पर्यावरणीय डाटा बेस की तैयारी	बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, जयपुर-302 001	6,730
80.	डा. एम.पी.एस. बिष्ट भू-विज्ञान विभाग के मार्ग-निर्देश के अंतर्गत नंदा देवी जैव मण्डल, गढ़वाल हिमालय में भू-संसाधनों और उनके प्रबंधन के लिए कार्यनीतियों का डाटाबेस	एच.एन. बहुगुणा यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड	3,06,853
81.	केरल में नीलगिरी जैवमंडल में पारि-प्रणाली का आकलन और पुनर्वास कार्यनीतियों के अभिनिर्धारण के लिए वानिकी और कृषीय पारि-प्रणाली आकलन	केरल फारेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट, पीची, केरल	3,59,740
82.	राष्ट्रीय उद्यान का जैवमंडल रिजर्व के रूप में विकास	बोम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाईटी	2,97,600
83.	पचमढ़ी-मटकुली क्षेत्र के विशेष संदर्भ में पचमढ़ी जैवमंडल रिजर्व का सामाजिक-आर्थिक अध्ययन	सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एण्ड इंवायरनमेंट, भोपाल	8,61,785
84.	उत्तर-पूर्वी भारत विशेषकर डिब्रुड-साईखोवा जैव-मंडल रिजर्व के आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के गाल बनाने वाले कीटों की जैव-विविधता	मणिपुर यूनिवर्सिटी, इंफाल	4,83,000
85.	ग्रेट निकोबार जैवमंडल रिजर्व के समुद्री जैवीय संसाधनों का आकलन और इसकी पारिस्थितिकी	अन्नामलाई यूनिवर्सिटी	46,89,674
86.	पचमढ़ी जैव मंडल रिजर्व की पचमढ़ी अभयारण्य में और इसके चारो ओर कुछ संकटापन्न रोडन स्तनधारी प्रजातियों की जनसंख्या डायनमिक	बर्कतुल्ला यूनिवर्सिटी, भोपाल	4,72,250
87.	गंगा नदी में भारी धातुओं की मानीटरिंग	पटना यूनिवर्सिटी, पटना	15,21,525
88.	ऊपर पश्चिमी घाटों के राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में जैनिटिक विविधता	जेना कम्पैन, दिल्ली	9,66,000
89.	पश्चिमी घाटों के पक्षी समुदायों पर वास स्थल नष्टीकरण और अल्टकेशन का प्रभाव	बाम्बो नेचुरल हिस्ट्री सोसाईटी	6,39,600
90.	वन स्पोटेड आउलेट पर पारिस्थिकीय अध्ययन	बाम्बो नेचुरल हिस्ट्री सोसाईटी	9,15,000
91.	पश्चिमी बंगाल में कुछ संकटापन्न वन्यजीवों की संख्या का अनुमान	नेचुरल इंवायरनमेंट एण्ड वाइल्ड लाइफ सोसाईटी, कोलकाता	4,90,140
92.	हवाई चित्र डाकुमेंटेशन का प्रयोग करके डांग्स के खंडित वनों में वन्यजीव वास स्थल परिवर्तन	इंस्टिट्यूट ऑफ इंवायरनमेंट एजुकेशन एण्ड रिसर्च	3,84,900

शीतागारों और गोदामों की अनुपलब्धता

*97. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त गोदामों एवं शीत भण्डारण सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण प्रति वर्ष काफी मात्रा में खाद्यान्नों, फलों एवं सब्जियों की क्षति होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्ष 2007-08 के दौरान किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में शीतागारों एवं गोदामों को स्वीकृति प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य-वार कितने शीतागारों एवं गोदामों की अब तक स्थापना की गयी है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) जी हां। फसलोपरान्त हानियों और ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डारण गोदामों तथा शीतागार सुविधाओं की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण खाद्यान्नों, फलों तथा सब्जियों की काफी क्षति होती है। कृषि उत्पाद की हानियों को न्यूनतम करने के लिए, "ग्रामीण भण्डारण योजना" संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम देश में वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता के सृजन के लिए ग्रामीण गोदामों के निर्माण/नवीकरण के लिए वर्ष 2001 से कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत 50 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ परियोजना लागत के 33.33% की दर पर ऋण से जुड़ी पश्च-अन्त (क्रैडिट लिंक्ड बैक एंडेड) राजसहायता प्रदान की जाती है बशर्ते परियोजनायें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों के लिए और पूर्वोत्तर राज्यों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में अवस्थित हों। अन्य श्रेणी के किसानों के लिए राजसहायता 37.50 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ परियोजना लागत के 25% की दर पर उपलब्ध है। बागवानी फसलों के लिए, सरकार ने दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें आरम्भ की यथा - 2001-02 से "पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन" जिसे 2003-04 के दौरान हिमालयी राज्यों जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड में विस्तारित किया गया और शेष राज्यों के लिए 2005-06 के दौरान "राष्ट्रीय बागवानी मिशन"। इन स्कीमों में पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के लिए 60.00 लाख रुपए प्रति इकाई की अधिकतम सीमा के साथ परियोजना लागत के 33.33% की दर पर और अन्य क्षेत्रों के लिए 50.00 लाख रुपये प्रति इकाई से अनधिक की परियोजना लागत के 25% की दर पर पश्च अन्त राजसहायता के रूप में शीतागार सुविधाओं सहित फसलोपरान्त अवसंरचना के सृजन के लिए सहायता की व्यवस्था है। इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.) "बागवानी उत्पाद के लिए शीतागार/भण्डार गृहों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम के माध्यम से बागवानी उत्पाद की हानियों को कम करने के उद्देश्य वाले कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है जिसके मानदण्ड भी इसी प्रकार के हैं।

वर्ष 2007-08 के दौरान "ग्रामीण भण्डारण योजना" के अन्तर्गत 15 लाख एम.टी. क्षमता के ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए 70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" के अंतर्गत 97.50 करोड़ रुपये से 195 शीतागार इकाइयों के निर्माण का लक्ष्य है। चूंकि ग्रामीण गोदामों और शीतागारों का निर्माण मांग संचालित तथा उद्यमी आधारित है, कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते। तथापि, वर्ष 2007-08 के दौरान किसानों की जरूरत को पूरा करने के लिए शीतागारों के निर्माण के लिए सभी स्कीमों में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। वर्ष 2006-07 के दौरान स्वीकृत गोदामों और शीतागारों की संख्या क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

विवरण-I

ग्रामीण गोदाम स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 के लिए स्वीकृत ग्रामीण गोदामों की संख्या (31 जनवरी, 2007 की स्थिति)

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	27
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	37
4.	बिहार	8
5.	छत्तीसगढ़	10
6.	गुजरात	474
7.	कर्नाटक	82
8.	केरल	2
9.	मध्य प्रदेश	66
10.	महाराष्ट्र	163
11.	नागालैण्ड	4

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या
12.	पंजाब	283
13.	राजस्थान	149
14.	तमिलनाडु	114
15.	उत्तर प्रदेश	27
16.	उत्तरांचल	21
17.	पश्चिम बंगाल	154
18.	नेफेड	2
19.	एन.सी.सी.एफ.	1
	कुल	1625

विवरण-II

वर्ष 2006-07 वित्तीय वर्ष के दौरान "बागवानी उत्पाद के लिए शीतागार और भण्डारगृहों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश राजसहायता" स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा (31 जनवरी, 2007 की स्थिति)

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या
1.	पंजाब	3
2.	हरियाणा	2
3.	तमिलनाडु	11
4.	उत्तर प्रदेश	53
5.	महाराष्ट्र	5
6.	राजस्थान	3
7.	कर्नाटक	6
8.	गुजरात	11
9.	मध्य प्रदेश	0
10.	छत्तीसगढ़	6
11.	पश्चिम बंगाल	3
12.	आन्ध्र प्रदेश	26
13.	असम	6
14.	बिहार	10
15.	केरल	2
	योग	147

सेवा प्रदाताओं का उत्तरदायित्व

***98. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए कंपनियों एवं सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने हेतु कानून में उपबंध करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने वाली सरकारी एजेंसियों एवं विभागों ने ऐसे उपबंधों से छूट दिए जाने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस कदम से इन कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले उत्पादों एवं उनकी सेवाओं के स्तर में कितनी वृद्धि होने और उसमें सुधार आने की संभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) जी, हां। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में आगे और संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसमें अन्य बातों के अलावा कम्पनियों और सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ताओं के प्रति अधिक जबावदेह बनाने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव अभि प्रारंभिक चरण में है।

(ग) और (घ) उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने वाली कुछ सरकारी एजेंसियों/विभागों ने आपत्ति व्यक्त की है और प्रस्तावित संशोधनों के कवरेज से छूट मांगी है जिसको प्रारूप संशोधन प्रस्तावों को अंतिम रूप देते समय ध्यान में रखा गया है।

(ङ) प्रस्तावित संशोधनों से उपभोक्ता आश्वासित सेवा की

अधिक प्रभावशाली ढंग से मांग कर सकेंगे जिसके परिणामस्वरूप कम्पनियों और सेवा प्रदाताओं को अपने उत्पादों/सेवाओं में सुधार करना अपेक्षित होगा।

संकटापन्न पेड़-पौधों की सुरक्षा

*99. **श्री विजय कृष्ण:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पहचान किए गए संकटापन्न पेड़-पौधों का ब्यौरा क्या है और इनमें से कितने पेड़-पौधे लुप्त होने के कगार पर है;

(ख) क्या ऐसे पेड़ पौधों का अवैध कारोबार हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) देश में 155 संकटापन्न प्रजातियां है। इसी प्रकार भारत में लगभग 120 पौध प्रजातियां पहले ही लुप्तप्राय हो गई हैं। ये संकटापन्न पौध प्रजातियां अधिकतर पश्चिमी घाटों, हिमालय और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के हाटस्पाट क्षेत्रों में फैली हुई हैं/रिकार्ड की गई है। अधिकतर संकटापन्न प्रजातियां लुप्तप्राय होने की कगार पर हैं। यद्यपि अत्यधिक संकटापन्न पौधों के लुप्तप्राय होने के खतरे को निश्चित सीमा/लुप्तप्राय होने के खतरे की जानकारी नहीं है।

जल-निकास प्रणाली में सुधार

*100. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:**
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल-निकास प्रणाली में सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को आबंटित की गई धनराशि का राज्यों द्वारा उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत की गई अनुवीक्षण रिपोर्ट से भी योजना के खराब निष्पादन का पता चलता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं जिसके कि इस योजना के अंतर्गत आबंटित धनराशि का इष्टतम उपयोग हो सके?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) और (ख) जी, नहीं, "देश के गंभीर क्षेत्रों में जल निकास सुधार" नामक स्कीम के तहत केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित निधि (केन्द्रीय हिस्सा) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

(ग) उत्तर प्रदेश जहां भूमि अधिग्रहण के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, के अतिरिक्त सभी राज्यों में स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति संतोषजनक है।

(घ) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा प्रगति की मानीटरी की जाती है तथा राज्य सरकारों से परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए आग्रह किया जा रहा है।

एन.एस.जी. सुरक्षा कवर

*101. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूतपूर्व मुख्य मंत्री सहित किसी विशिष्ट व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन.एस.जी.) सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं और किन-किन मानदंडों का पालन किया जाता है;

(ख) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से भी विचार-विमर्श किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन.एस.जी.) सुरक्षा कवर के अंतर्गत किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा अति विशिष्ट व्यक्ति को कुल कितने गार्ड दिए जाते हैं;

(ङ) क्या किसी राज्य के किसी भूतपूर्व मुख्य मंत्री को सौ से अधिक सुरक्षा गार्ड दिए गए थे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) भूत-पूर्व मुख्य मंत्रियों सहित विशिष्ट व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन.एस.जी.) का मोबाइल सुरक्षा कवर, उनके लिए खतरे की आशंका का केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों के परामर्श से किए गए विस्तृत आकलन के आधार पर प्रदान किया जाता है। इस आकलन की आवधिक समीक्षा की जाती है। साधारणतया, संरक्षण प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को 29 सुरक्षा कार्मिकों का एन.एस.जी. कार्य बल प्रदान किया जाता है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) एन.एस.जी. मोबाइल सुरक्षा कवर उन संरक्षित व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्हें अत्यधिक खतरा होता है जबकि प्रत्येक विशिष्ट या अति विशिष्ट संरक्षित व्यक्ति को साधारणतया 29 सुरक्षा कार्मिक का एन.एस.जी. कार्य बल प्रदान किया जाता है।

(ङ) और (च) भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों की है जो उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात करती हैं। इस प्रकार यह सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

[हिन्दी]

विदेश जाने वाले छात्र

*102. **श्री पंकज चौधरी:**

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आपके मंत्रालय के विभिन्न देशों के साथ पारस्परिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा के लिए कुल कितने छात्र विदेश जाते रहे हैं;

(ख) देश में विदेशी शिक्षा संस्थाओं के खुलने के बाद ऐसे छात्रों की संख्या में अनुमानत: कितनी कमी आई है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत उच्चतर शिक्षा हेतु कितने विदेशी छात्र देश में आये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ग) भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 24 देशों (संलग्न विवरण) के साथ शैक्षिक आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न किए हैं। ये .र्यक्रम अन्तर-संस्थागत सम्बन्धों को प्रोत्साहित करने, कार्यशालाओं और सम्मेलनों के आयोजन तथा शिक्षा से सम्बन्धित बेहतर पद्धतियों के आदान-प्रदान के लिए हैं। शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम अन्तर-संस्थागत सम्बन्धों को प्रोत्साहित करते हैं जिससे शिक्षकों और विद्यार्थियों को विदेश जाने की अनुमति भी प्रदान की जाती है किन्तु इन कार्यक्रमों से सम्बन्धित कार्यकलापों में भाग लेने के लिए भारत आने वाले विदेशी विद्यार्थियों अथवा विदेश जाने वाले भारतीय विद्यार्थियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना एकत्र नहीं की जाती है।

शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने वाले भारतीय विद्यार्थियों की कुल संख्या के सम्बन्ध में कुछ सूचना उपलब्ध है। यह अनुमान है कि वर्ष 1999-2000 में 51,414 भारतीय विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश गए थे। वर्ष 2004-05 में यह संख्या बढ़कर 1,40,000 हो गई थी जिनमें से 80,446 भारतीय विद्यार्थी संयुक्त राज्य अमेरिका, 20000 भारतीय विद्यार्थी आस्ट्रेलिया और 16,685 भारतीय विद्यार्थी ब्रिटेन गए थे। भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने वाले विदेशी विद्यार्थियों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 में भारत आने वाले विदेशी विद्यार्थियों की संख्या क्रमश: 9,215, 10,396 और 11,394 थी।

किसी विदेशी शैक्षिक संस्था ने भारत में कोई परिसर स्थापित नहीं किया है और न ही इस प्रकार का कोई साक्ष्य है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कोई कमी आई है।

विवरण

उन देशों की सूची जिनके साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम हैं।

क्रम संख्या	देश का नाम
1.	मंगोलिया
2.	अर्मेनिया
3.	तंजानिया
4.	गुयाना
5.	इजराइल
6.	आस्ट्रेलिया
7.	म्यांमार
8.	हंगरी
9.	सीरिया
10.	उजबेकिस्तान
11.	न्यूजीलैंड
12.	थाईलैण्ड
13.	श्रीलंका
14.	मैक्सिको
15.	ब्राजील
16.	अफगानिस्तान
17.	क्रोशिया

क्रम संख्या	देश का नाम
18.	इक्वाडोर
19.	रवांडा
20.	दक्षिण अफ्रीका
21.	सऊदी अरब
22.	चीन
23.	पुर्तगाल
24.	फ्रांस

इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेजों की निगरानी

***103. श्री वी.के. दुग्मर:**
श्री एन.एस.वी. चित्तन:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रही तकनीकी/व्यावसायिक संस्थाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) द्वारा देश भर में स्वीकृत किए गए नए सरकारी/निजी तकनीकी, व्यावसायिक और प्रबंधन शिक्षा संस्थाओं तथा विभिन्न विधाओं में सृजित अतिरिक्त सीटों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास उनके कार्यकरण, प्रवेश, संकाय की गुणवत्ता और अवसंरचना अनुरूपता आदि के निरीक्षण के लिए कोई निगरानी एजेंसी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा को अधिक संगत और कारगर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) देश में चल रहे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित तकनीकी/पेशेवर संस्थाओं की राज्यवार संख्या विवरण-I में दी गई है। वर्ष 2006-07 के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित नई तकनीकी संस्थाओं और उनकी दाखिला क्षमता का ब्यौरा विवरण-II में तथा मौजूदा तकनीकी संस्थाओं में विभिन्न विषयों में दाखिला क्षमता में वृद्धि/अनुमोदित अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के कारण 2006-2007 में सृजित की गई अतिरिक्त सीटों का ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(ग) से (ङ) देश में तकनीकी शिक्षा पद्धति की समुचित आयोजना और समन्वित विकास को दृष्टिगत रखते हुए एक संसदीय अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की स्थापना की गई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने अनिवार्य घोषणा प्रणाली तैयार की है जिसके तहत इन सभी संस्थाओं को संकाय, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, शुल्क ढांचे और दाखिला प्रक्रिया आदि से संबंधित जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करनी आवश्यक है ताकि छात्र यथानुकूल निर्णय ले सकें। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अपने द्वारा निर्धारित मानकों और मानदंडों का अनुरक्षण और अनुपालन सुनिश्चित करने तथा संस्थाओं द्वारा अपनी अनुपालन रिपोर्ट एवं अनिवार्य योजना में दी गई जानकारी की सत्यता की जांच करने के लिए इन संस्थाओं का समयबद्ध/औचक निरीक्षण करती है।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी राज्य सरकारों को दो समितियां गठित करने का निर्देश दिया है : एक समिति निजी गैर सहायता प्राप्त पेशेवर संस्थाओं द्वारा वसूल किये जाने वाले शुल्क को निर्धारित करने के लिए तथा दूसरी इन संस्थाओं में दाखिलों को विनियमित करने के लिए।

(च) तकनीकी शिक्षा प्रणाली का संवर्धन करने के लिए, जिससे कि यह वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, परिषद ने अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से अनेक कदम उठाए हैं जिनमें उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुरूप मॉडल पाठ्यचर्या तैयार करना, संकाय विकास, तथा अनुसंधान एवं संस्थागत विकास कार्यक्रम शामिल हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा स्थापित राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों के प्रत्यायन के माध्यम से कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली के संवर्धन हेतु उचित कदम उठाने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को सक्षम बनाने के लिए सरकार वार्षिक बजट अनुदानों के माध्यम से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के कार्यकलापों में सहयोग कर रही है। इंजीनियरी संस्थाओं को वेब और वीडियो आधारित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए सरकार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धक अधिगम कार्यक्रम हेतु निधियां प्रदान कर रही है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्थाएं ई-पत्रिकाओं की सुविधा प्राप्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी डिजिटल पुस्तकालय - अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् कन्सोर्टियम की सदस्य भी बन सकती है। सरकार, विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 2003 से तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम चला रही है। इस समय देश के 13 राज्यों में स्थित 128 इंजीनियरी संस्थाएं इस कार्यक्रम का लाभ उठा रही है।

विवरण-I

वर्ष 2006-07 के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थाओं का ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इंजीनियरी		फार्मेसी		एच.एम.सी.टी.		एम.बी.ए./ पी.जी.डी.बी.एम.		एम.सी.ए.		बी.एफ.ए.		आर्कीटेक्चर		कुल	
	एन.ओ. आई.	दाखिला	एन.ओ. आई.	दाखिला	एन.ओ. आई.	दाखिला	एन.ओ. आई.	दाखिला	एन.ओ. आई.	दाखिला	एन.ओ. आई.	दाखिला	एन.ओ. आई.	दाखिला	एन.ओ. आई.	दाखिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
मध्य प्रदेश	87	33494	58	3495	3	180	48	3840	52	2935	0	0	4	140	252	44084
छत्तीसगढ़	15	5320	6	360	0	0	5	360	9	450	0	0	1	40	36	6530
गुजरात	44	16644	50	2820	1	60	38	3075	25	1290	0	0	6	290	164	24179
मिजोरम	0	0	1	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30
सिक्किम	1	498	1	60	0	0	0	0	1	45	0	0	0	0	3	603
उड़ीसा	44	16080	16	925	1	120	37	3178	36	2011	0	0	2	64	136	22378
पश्चिम बंगाल	61	19236	11	685	4	240	25	2445	26	1450	0	0	2	44	129	24100
त्रिपुरा	2	286	1	30	0	0	1	60	1	30	0	0	0	0	5	406
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अरुणावल प्रदेश	1	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	264
अंडमान और निकोबार द्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	5	1150	1	40	0	0	6	337	3	150	0	0	0	0	15	1677

मणिपुर	1	115	0	0	0	0	1	30	0	0	0	0	0	0	2	145
नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	1	60	0	0	0	0	0	0	1	60
झारखण्ड	9	4222	1	60	1	60	7	975	3	180	0	0	1	40	22	5537
बिहार	9	2122	1	15	0	0	10	1050	6	300	0	0	1	22	27	3509
उत्तर प्रदेश	118	43193	68	4065	7	470	111	14175	90	6142	0	0	6	390	400	68435
उत्तराखण्ड	14	4079	9	510	5	360	16	945	12	820	0	0	1	40	57	6754
चंडीगढ़	6	1386	1	98	0	0	0	0	1	42	1	40	1	40	10	1606
हरियाणा	53	15808	18	1106	1	60	36	2615	25	1390	0	0	2	60	135	21039
जम्मू-कश्मीर	6	1941	1	30	0	0	8	440	6	390	0	0	0	0	21	2801
नई दिल्ली	16	6700	5	324	1	90	33	3560	17	945	0	0	5	266	77	11885
पंजाब	47	16953	24	1294	4	240	41	3070	31	1770	0	0	7	280	154	23607
राजस्थान	49	20774	36	2116	3	210	62	4230	19	1110	0	0	3	160	172	28600
हिमाचल प्रदेश	6	1512	3	160	0	0	3	180	0	0	0	0	1	30	13	1882
आन्ध्र प्रदेश	282	117865	106	6252	1	60	222	14945	266	15645	1	40	7	380	885	155187
पांडिचेरी	5	2564	1	60	0	0	2	120	6	300	1	30	0	0	15	3074
तमिलनाडु	247	106613	42	2455	2	120	150	9785	212	11490	0	0	14	470	667	130933
कर्नाटक	127	55406	69	4043	18	1322	91	6952	68	3677	0	0	14	370	387	71770
केरल	94	28985	26	1410	2	120	32	2155	35	1570	0	0	5	160	194	34400
महाराष्ट्र	170	58586	108	6986	10	530	144	15912	52	2643	6	355	32	1227	522	86239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
गोवा	3	794	1	88	0	0	2	210	1	30	1	50	1	30	9	1202
दमन, और दीव, दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	1522	582590	665	39517	64	4242	1132	94704	1003	56805	10	515	116	4543	4512	782916

एन.ओ.आई.: संस्थानों की संख्या

एच.एम.सी.टी.: होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी

एम.बी.ए.: मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन

पी.जी.डी.बी.एम.: पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट

एम.सी.ए.: मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन

बी.एफ.ए.: बेचलर ऑफ फाइन आर्ट्स

विवरण-II

वर्ष 2006-07 के दौरान विभिन्न विषयों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित नई संस्थाओं का ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इंजीनियरी		एम.बी.ए./पी.जी.डी.बी.एम.		एम.सी.ए.		फार्मेसी		एच.एम.सी.टी.	
	एन.ओ.आई.	दाखिला	एन.ओ.आई.	दाखिला	एन.ओ.आई.	दाखिला	एन.ओ.आई.	दाखिला	एन.ओ.आई.	दाखिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मध्य प्रदेश	18	4320	4	240	1	60	9	540	0	0
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	3	180	0	0
गुजरात	5	1200	4	240	0	0	13	780	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सिक्किम	0	0	0	0		0	0	0	0	0
उड़ीसा	2	480	3	180	0	0	2	120	0	0
पश्चिम बंगाल	3	720	2	120	0	0	3	180	0	0
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अंडमान और निकोबार द्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	1	240	0	0	0	0	0	0	0	0
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैण्ड	0	0	1	60	0	0	0	0	0	0
झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	12	2880	16	960	1	60	17	1020	2	120
उत्तराखंड	3	720	1	60	1	60	2	120	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
हरियाणा	3	720	2	120	0	0	3	180	0	0
जम्मू-कश्मीर	1	240	2	120	1	60	0	0	0	0
नई दिल्ली	1	240	0	0	0	0	0	0	0	0
पंजाब	1	240	1	60	0	0	2	120	0	0
राजस्थान	1	240	9	540	0	0	14	840	0	0
हिमाचल प्रदेश	1	120	1	60	0	0	2	120	0	0
आन्ध्र प्रदेश	15	3180	6	360	6	360	30	1800	0	0
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	14	3360	2	120	3	150	3	180	0	0
कर्नाटक	4	960	0	0	0	0	5	300	0	0
केरल	0	0	2	120	0	0	3	180	0	0
महाराष्ट्र	11	2472	12	720	0	0	25	1480	0	0
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन, और दीव, दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	96	22332	68	4080	13	750	136	8140	2	120

विवरण-III

वर्ष 2006-07 के दौरान विभिन्न विषयों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित मौजूदा तकनीकी संस्थाओं में सृजित अतिरिक्त सीटों का ब्यौरा

क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इंजीनियरी		एम.बी.ए./ पी.जी.डी.बी.एम.		एम.सी.ए.		फार्मेसी		एच.एम.सी.टी.	
		एनओआई	दाखिला	एनओआई	दाखिला	एनओआई	दाखिला	एनओआई	दाखिला	एनओआई	दाखिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
केन्द्रीय	मध्य प्रदेश	21	2868	48	3840	52	2935	58	3495	3	180
	छत्तीसगढ़	2	204	5	300	9	450	3	360	0	0
	गुजरात	7	282	38	3075	25	1290	50	2820	1	60
पूर्वी	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0
	उड़ीसा	17	832	7	420	0	0	8	106	0	0
	पश्चिम बंगाल	17	973	2	120	0	0	1	20	1	60
	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	असम	2	45	0	0	0	0	0	0	0	0
	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	झारखण्ड	2	38	2	120	0	0	4	36	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उत्तरी	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	उत्तर प्रदेश	37	3049	19	1380	0	0	7	146	0	0
	उत्तराखण्ड	2	125	1	18	1	45	0	0	0	0
उत्तर-पश्चिम	चण्डीगढ़	2	50	0	0	0	0	0	0	0	0
	हरियाणा	9	1207	1	30	0	0	1	30	0	0
	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	1	60	0	0	0	0
	नई दिल्ली	4	498	5	270	0	0	0	0	0	0
	पंजाब	10	1194	3	120	0	0	3	60	0	0
	राजस्थान	13	1134	5	230	0	0	0	0	1	30
	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दक्षिणी	आन्ध्र प्रदेश	125	12213	22	1230	24	1170	5	33	0	0
	पांडिचेरी	1	90	0	0	0	0	0	0	0	0
	तमिलनाडु	70	6326	3	90	4	280	4	37	0	0
दक्षिण-पश्चिम	कर्नाटक	40	2365	5	180	3	150	6	58	1	20
	केरल	17	1642	2	90	0	0	0	0	0	0
पश्चिमी	महाराष्ट्र	45	3179	30	3061	3	120	8	164	0	0
	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	दमन, और दीव, दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	443	38314	198	14574	122	6500	159	7375	7	350

[अनुवाद]

कपास का आयात

***104. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अमरीका और चीन जैसे देशों में कपास के आयात पर विद्यमान प्रतिबंधों की तरह इसके आयात पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कपास का उत्पादन करने वाले किसानों को उनकी उपज के लिए बाजार में ऊंचे दाम नहीं मिल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो घरेलू बाजार में कपास की आपूर्ति बनाए रखने के लिए की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार घरेलू बाजार में कपास की आपूर्ति बनाए रखने के लिए अमरीका और चीन द्वारा दी जा रही निर्यात राजसहायता की तरह ही राजसहायता प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला): (क) और (ख) 19-4-1994 से कपास का आयात बिना किसी मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रतिबंधों के मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के तहत है और यह नीति अभी तक जारी रखी जा रही है। कच्ची कपास के आयात पर वर्तमान मूल सीमाशुल्क 10% है। किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने के लिए कोई निर्णय नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) कपास उत्पादक अपने उत्पादन का लाभकारी मूल्य प्राप्त कर रहे हैं, जो या तो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) के बराबर होता है या न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होता है। एम.एस.पी. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.), जो खेती के लिए इनपुट की लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.), जो खेती के लिए इनपुट की लागत एवं कपास किसान के उचित लाभ को ध्यान में रखता है, की सिफारिश पर प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्ष दर वर्ष आधार पर एम.एस.पी. निर्धारित करने की इस व्यवस्था से कपास किसानों को निश्चित मूल्य की गारंटी देने में और कपास खेती में उनकी रूचियां बनाए रखने में सहायता मिलती है। घरेलू बाजार में कपास की आपूर्ति बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.सी.) के तत्वाधान में विभिन्न कदम उठाए हैं ताकि कपास का उत्पादन, एवं उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। जैनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (जी.ई.ए.सी.) ने वाणिज्यिक खेती के लिए बी.टी. कपास की 20 किस्में जारी की हैं जिससे घरेलू बाजार की कपास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कपास की अधिक उपज होगी एवं उत्पादन स्तर उच्चतर होंगे। कपास सलाहकार बोर्ड (सी.ए.बी.) ने चालू कपास मौसम 2006-07 के दौरान कपास की 270 लाख गांठों के फसल उत्पादन का अनुमान लगाया है, जो मांग से अधिक है।

(ङ) और (च) निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वस्त्र आयुक्त द्वारा पंजीकरण आवंटन; कच्ची कपास के निर्यात की गुणवत्ता संबंधी प्रमाणन जैसे मात्रात्मक प्रतिबंधों के बिना 2-7-2001 से कपास निर्यात को ओ.जी.एल. के तहत रखा है। वित्तीय वर्ष 2005-06 से सरकार ने कपास के निर्यात के लिए प्रोत्साहन के रूप में 1% शुल्क वापसी घोषित की है। फिलहाल, कपास पर निर्यात सब्सिडी देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जनजातियों का उत्थान/पुनर्वास

***105. श्री रूपचन्द मुर्मू:**
श्री हितेन बर्मन:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अनुमोदन एवं सहायता हेतु राज्य सरकारों से विशेष रूप से पश्चिम बंगाल से जनजातियों के उत्थान/पुनर्वास के लिए राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) राज्य सरकारों को इस संबंध में जारी धनराशियों का ब्यौरा क्या है तथा इन प्रस्तावों को प्रस्ताव-वार किन-किन तिथियों को अनुमोदित किया गया;

(ग) इसके लिए अतिरिक्त सहायता कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान जनजातियों विशेष रूप से प्राचीन जनजातीय समूह तथा आदिम जातियों के विकास और कल्याण पर खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपलब्धियां रहीं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्धिया): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के समाजार्थिक विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। देश में कुल अनुसूचित जनजातीय आबादी के अनुपात में किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजातीय आबादी की प्रतिशतता के आधार पर मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत उस

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को निधियां आबंटित की जाती हैं तथा संगत योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करने तथा निर्मुक्त की गई निधियों की उपयोगिता एवं जहां आवश्यक हो उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की प्रस्तुति के आधार पर निधिया निर्मुक्त की जाती हैं। वर्ष के दौरान प्रस्तावों अनुमोदन किया जाता है तथा निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। पश्चिम बंगाल सहित देश की जनजातियों के विकास व कल्याणार्थ विगत तीन वर्षों में राज्यवार निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) चूंकि सामान्यत: निधियां वार्षिक आधार पर प्रस्ताव हेतु निर्मुक्त की जाती है, इसलिए अतिरिक्त सहायता की कोई गुंजाइश नहीं है। विरल मामलों में, जहां अतिरिक्त सहायता राज्य के लिए बकाया हो जाती है तो इसे आने वाले वर्ष में निर्मुक्त करने हेतु विचार किया जाता है।

(घ) आदिम जनजातीय समूहों के विकासार्थ विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को आबंटित की गई निधियों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के कारण अनुसूचित जनजातियों का समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास हुआ है। आय और रोजगार में वृद्धि, अवस्थापना विकास, शैक्षिक विकास, साक्षरता स्तर में सुधार तथा सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से अनुसूचित जनजातियां लाभ प्राप्त कर रही हैं।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आदिम जनजातीय समूहों के विकास की योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं/ कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	8,138.50	7,086.55	10,688.69
2.	अरुणाचल प्रदेश	602.23	547.54	692.74
3.	असम	3,634.43	3,552.40	9,968.50
4.	बिहार	709.90	485.35	553.57
5.	छत्तीसगढ़	6,672.93	9,062.95	14,101.26
6.	गुजरात	6,672.89	6,939.13	14,579.02
7.	हिमाचल प्रदेश	767.85	939.27	1,135.97
8.	जम्मू-कश्मीर	1,313.22	1,582.43	1,851.95
9.	झारखंड	9,081.57	8,723.72	7,952.70
10.	कर्नाटक	1,880.16	2,912.62	5,216.88

1	2	3	4	5
11.	केरल	479.12	887.61	628.27
12.	मध्य प्रदेश	12,298.86	16,745.30	22,891.10
13.	महाराष्ट्र	6,997.67	7,853.32	8,793.86
14.	मणिपुर	2,080.51	1,688.54	2,775.05
15.	मेघालय	731.67	2,063.18	2,399.28
16.	मिजोरम	680.28	1,424.15	1,557.54
17.	नागालैंड	1,179.49	1,187.58	1,816.03
18.	उड़ीसा	9,721.77	12,164.95	12,401.49
19.	राजस्थान	5,942.65	7,474.81	7,114.83
20.	सिक्किम	201.07	189.50	336.51
21.	तमिलनाडु	578.77	959.57	1,186.99
22.	त्रिपुरा	1,735.30	2,015.97	1,893.84
23.	उत्तर प्रदेश	62.77	215.38	116.81
24.	उत्तरांचल	505.63	412.68	242.23
25.	पश्चिम बंगाल	4,313.46	4,768.41	7,412.87
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2.69	*202.74	7.39
27.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00
28.	दिल्ली	284.76	394.22	82.84
29.	दादरा व नगर हवेली	9.62	0.00	0.00
30.	पंजाब		65.12	100.79
31.	गोवा		12.09	6.04
	कुल	87,279.766	102,557.08	138,505.03

*सुनामी सहायता के रूप में दी गई 200 लाख रुपए की वृद्धि।

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2003-04	2004-05	2005-06
1.	आन्ध्र प्रदेश	192.850	190.805	255.226
2.	बिहार	–	5.000	10.000
3.	छत्तीसगढ़	30.010	264.370	201.000
4.	गुजरात	40.000	116.500	149.790
5.	झारखंड	–	110.000	145.000
6.	कर्नाटक	36.900	25.000	67.400
7.	केरल	–	15.000	5.500
8.	मध्य प्रदेश	284.190	293.212	423.000
9.	महाराष्ट्र	288.000	107.000	140.000
10.	मणिपुर	–	10.000	2.500
11.	उड़ीसा	150.000	55.000	92.598
12.	राजस्थान	10.000	62.500	62.000
13.	तमिलनाडु	10.000	176.500	159.550
14.	त्रिपुरा	85.000	29.813	111.150
15.	पश्चिम बंगाल	11.050	53.170	70.600
16.	उत्तरांचल	–	33.630	7.100
17.	उत्तर प्रदेश	–	2.500	–
18.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	–	200.000	0.400
	कुल	1,138.000	1,750.000	1,902.814

प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान

***106. श्री पी.एस. गढ़वी:**

श्री अनवर हुसैन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों के लिए प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.ई.जी.ई.एल.)

के अन्तर्गत सरकार द्वारा अनुमोदित अनुदानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2006-07 के लिए उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृत किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गुजरात सहित राज्यों को अनुदान राशि कब तक जारी कर दी जाएगी;

(च) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य-वार कितने शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाक शामिल किए गए हैं; और

(छ) एन.पी.ई.जी.ई.एल. के अन्तर्गत एक ब्लाक को शामिल करने के लिए क्या मानदंड हैं तथा यह अपना लक्ष्य पूरा करने हेतु किस प्रकार कार्य करेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (छ) प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.ई.जी.ई.एल.) विशेषकर शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ई.बी.बी.) में बालिका शिक्षा के संवर्धन के लिए सर्व शिक्षा अभियान का एक उप घटक है, जो ऐसे ब्लॉकों में चलाया जाता है, जहां वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है (46.13%) और साक्षरता में लैंगिक अंतराल राष्ट्रीय औसत से अधिक है (21.59%), चूंकि ये शैक्षिक पहलुओं में उच्चतम लैंगिक भेदभाव वाले क्षेत्र हैं।

शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों की संख्या और पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में 28-2-2007 तक इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को संस्वीकृत निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों की संख्या और पिछले तीन वर्षों एवं चालू वित्तीय वर्ष में 28-02-2007 तक प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.ई.जी.ई.एल.) के अंतर्गत राज्यों को भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत निधियां

(रु. लाख में)

क्रम. सं.	राज्य	शामिल शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों की संख्या 2003-04	भारत सरकार द्वारा जारी हिस्सा 2003-04	शामिल शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों की संख्या 2004-05	भारत सरकार द्वारा जारी हिस्सा 2004-05	शामिल शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों की संख्या 2005-06	भारत सरकार द्वारा जारी हिस्सा 2005-06	शामिल शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों की संख्या 2006-07	भारत सरकार द्वारा जारी हिस्सा 2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	109	1629.00	521	3000.00	570	2000.00	661	4383.74
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	12.16	3	4.50	7	4.50	11	33.82
3.	असम *	0	0.00	0	0.00	0	0.00	15	46.37
4.	बिहार	37	689.59	219	1770.00	469	1770.56	495	5544.39
5.	छत्तीसगढ़	131	610.86	99	1189.74	99	1189.76	60	521.71
6.	गुजरात	112	718.51	91	2827.00	91	2454.14	78	302.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	हरियाणा	38	109.59	27	196.55	27	196.55	33	314.95
8.	हिमाचल प्रदेश	7	27.54	7	58.00	7	28.66	6	55.25
9.	जम्मू-कश्मीर	104	319.76	104	54.94	104	568.60	84	34.80
10.	झारखण्ड	194	683.30	277	1068.50	205	1068.50	194	3783.00
11.	कर्नाटक	15	186.00	45	824.48	58	336.95	61	686.93
12.	मध्य प्रदेश	268	7585.78	284	4636.40	284	4636.00	280	6599.46
13.	महाराष्ट्र	96	779.92	23	489.79	27	665.79	36	853.70
14.	मणिपुर *	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	9.24
15.	मेघालय	1	5.63	1	9.62	1	0.00	0	0.00
16.	मिजोरम *	0	0.00	0	0.00	1	7.47	1	31.47
17.	उड़ीसा	154	1912.01	165	2000.00	165	1592.63	168	3442.48
18.	पंजाब	13	87.93	12	40.00	12	90.08	2	0.00
19.	राजस्थान	194	1995.20	170	549.39	180	1484.06	186	671.76
20.	तमिलनाडु	13	309.26	14	489.54	29	370.45	37	852.12
21.	त्रिपुरा	0	0.00	2	2.40	2	6.58	7	24.05
22.	उत्तर प्रदेश	746	3629.23	774	3000.00	764	13824.00	690	11682.00
23.	उत्तराखण्ड	30	88.91	36	470.71	36	241.00	21	263.00
24.	पश्चिम बंगाल	86	310.60	57	538.36	57	718.25	58	670.00

*2001 की जनगणना के पश्चात निधियां प्राप्त कीं, ब्लाक वार आंकड़े इन राज्यों के लिए उपलब्ध हुए।

भारतीय विश्वविद्यालयों का रैंक

***107. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**

श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार केवल कुछ विश्वविद्यालय उच्च रैंक हासिल कर पाते हैं जबिक शेष मध्यम या औसत से कम स्तर के हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोलने संबंधी कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या योजना आयोग ने उच्चतर शिक्षा हेतु निधियों की कटौती करने का प्रस्ताव किया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाए किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कश्मीरी परिवारों का पुनर्वास

***108. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आतंकवाद के कारण जम्मू और कश्मीर से कुल कितने कश्मीरी परिवार विस्थापित हुए;

(ख) क्या सरकार ने विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने हेतु कोई प्रभावी कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर से कश्मीरी परिवारों के पलायन के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग) राज्य में सांप्रदायिक वैमनस्य उत्पन्न करने के आतंकवादियों के इरादों को विफल करने के उद्देश्य से सरकार ने जम्मू और कश्मीर में सीमा पार के आतंकवाद/घुसपैठ रोकने और राज्य में सुरक्षा वातावरण में सुधार करने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा के साथ-साथ और घुसपैठ के संभावित मार्गों के निकट बहु-स्तरीय और बहु-मॉडल तैनाती कर सीमा प्रबंधन सुदृढ़ करना, सीमा पर बाड़ का निर्माण करना, राज्य में घुसपैठ रोकने और आतंकवादियों के विरुद्ध प्रतिकारी कार्रवाई करने के लिए सहक्रियाशील आसूचना प्रवाह हेतु आसूचना और परिचालनात्मक समन्वय में सुधार करना शामिल है। आतंकवाद/घुसपैठ का मुकाबला करने के प्रयासों की सरकार द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है। घाटी में प्रवासियों के पुनर्वास के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) राज्य सरकार ने सुरक्षा पिकेटों के रूप में जम्मू और कश्मीर में अल्पसंख्यक पॉकेटों में सुरक्षा प्रदान की है। इन सुरक्षा पिकेटों में जे.के.पी., आई.आर.पी. और सी.आर.पी.एफ. के कार्मिक शामिल हैं और उनकी संख्या, अल्पसंख्यक पॉकेटों के आकार पर निर्भर करती है।

(ii) राज्य सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों की समस्या की समय-समय पर समीक्षा करने और प्रत्येक समस्या के गुण-दोषों के आधार पर उचित कार्रवाई करने के लिए राज्य के राजस्व, राहत और पुनर्वास मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

(iii) केन्द्र सरकार ने मट्टन और खीर भवानी स्थित उपासना स्थलों का विकास, मॉडल क्लस्टरों में करने के लिए दिसम्बर, 2002 में राज्य सरकार को 10.00 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। इन मॉडल क्लस्टरों में विस्थापित कश्मीरी प्रवासियों को तब तक रखा जा सकता है जब तक वे अपने वर्तमान रिहायशी मकानों की मरम्मत नहीं कर लेते हैं। राज्य सरकार ने उपासना स्थलों की मरम्मत/पुनरुद्धार करने के अतिरिक्त मट्टन में 18 फ्लैटों और खीर भवानी में एक कमरे की 100 कोठरियों का निर्माण किया है।

(iv) कश्मीरी प्रवासियों की वापसी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने 20.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर शेखूपुरा, बदगांव में प्रायोगिक आधार पर 200 फ्लैटों के निर्माण का अनुमोदन किया है।

(v) कश्मीरी प्रवासियों का पुनर्वास करने की योजना तैयार करने हेतु दिसम्बर, 2004 में गठित अंतर-मंत्रालयी टीम ने कई सिफारिशें की हैं जिनमें दो कमरे की कोठरियों का निर्माण करने, रोजगार के अवसर बनाने, प्रवासियों के रहन-सहन की स्थिति में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य सुविधा और अन्य सुविधायें प्रदान करने जैसे कई उपाय शामिल हैं जिन्हें कार्यान्वयन हेतु स्वीकार कर लिया गया है। तदनुसार, राज्य सरकार ने 26-09-2005 को 185.00 करोड़ रुपए की लागत पर जम्मू में दो कमरों की 5242 कोठरियों के निर्माण की मंजूरी जारी की है और जम्मू में तीन

स्थानों पर 1024 सेटों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

(vi) घाटी में पीछे छोड़ी गई प्रवासियों की संपत्तियों का संरक्षण करने, बचाने और उन्हें कस्थम् बिक्री से रोकने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने "जम्मू और कश्मीर प्रवासियों की जंगम संपत्ति (परिरक्षण, अनुरक्षण और कस्थम् विक्रय) अधिनियम, 1997" और "जम्मू और कश्मीर प्रवासी (कार्यवाहियों को रोकना) अधिनियम 1997" अधिनियमित किया है।

[अनुवाद]

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए विधान सभा

***109. श्री मनोरंजन भक्त:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए विधान सभा के गठन की जांच करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विधान सभा का गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

कालीन उद्योग में मंदी

***110. प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्री मो. ताहिर:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कालीन उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा है जैसा कि दिनांक 29 जनवरी, 2007 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योग को मंदी से उबारने हेतु सरकार द्वारा क्रेता-विक्रेता की बैठक कराने की कोई व्यापक योजना बनाई जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विश्व में कालीन उत्पादन में भारत की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या उद्योग के उन्नयन हेतु कालीन उत्पादक क्षेत्रों के लिए कोई योजना बनाई जा रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला): (क) जी, नहीं। अनंतिम निर्यात आकड़ों के अनुसार, भारतीय कालीन उद्योग मंदी के दौर से नहीं गुजर रहा है और उद्योग ने अप्रैल '06 से जनवरी 2007 की अवधि के दौरान निर्यात में वर्ष 2005-06 की इसी अवधि की तुलना में अमरीकी डॉलर के संबंध में 13 प्रतिशत और रुपये के संबंध में 17 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं। वस्तुत:, कालीन निर्यात संवर्दन परिषद ने संयुक्त राज्य अमरीका और लेटिन अमरीकी देशों के बाजारों में भारतीय हस्तनिर्मित कालीन उद्योग की क्षमता का अध्ययन करने के उद्देश्य से कंसल्टेंट (मैसर्स के एस.ए. टेक्नोपेक) के माध्यम से एक अध्ययन कराया था। इस अध्ययन के अनुसार बारत हस्तनिर्मित कालीनों के नम्बर एक पूर्तिकर्त्ता के रूप में उबर कर सामने आया है।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

यूरोपीय बाजारों को निर्यात

***111. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्री काशीराम राणा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत से यूरोपीय बाजारों को किए जाने वाले निर्यात के मूल्य एवं उसकी मात्रा में हाल ही में गिरावट दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय वस्तुओं का यूरोपीय बाजारों में निर्यात बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी नहीं। इसके विपरीत यूरोपीय देशों को किए गए भारतीय निर्यातों के मूल्य में भारी वृद्धि दर्ज हुई है। पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों के दौरान यूरोपीय देशों को किए गए भारतीय निर्यातों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(बिलियन अम. डा.)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (अप्रैल-अक्तूबर)*
ईयू देश	14.44	18.11	22.95	14.72
अन्य यूरोपीय देश	1.22	1.55	1.77	1.08
कुल	15.66	19.66	24.72	15.80

*2005-06 (अप्रैल-अक्तूबर) के लिए संगत आंकड़े 13.58 बिलियन अमरीकी डालर हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ईयू के साथ व्यापार में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदमों में व्यापार मेलों में भागदारी को सुकर बनाना, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना आदि शामिल हैं। सरकार द्विपक्षीय व्यापार में आने वाली बाधाओं का समाधान करने के लिए यूरोपीय आयोग तथा ईयू के सदस्य देशों के साथ लगातार बातचीत भी करती रहती है।

विकलांग बच्चों की शिक्षा

***112 श्री रशीद मसूद:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विकलांग बच्चे उत्तम शिक्षा से वंचित रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए कोई नीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्य हेतु राज्यों को प्रदान की गई धनराशि और सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। सर्व शिक्षा अभियान जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, देशभर में गुणवत्तायुक्त बुनियादी शिक्षा की मांग के प्रत्युत्तर में प्रारंभ किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सामान्य विद्यालयों में विशेष जरूरतों वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अत: सामान्य विद्यालयों में उपलब्ध गुणवत्तायुक्त शिक्षा विकलांग बच्चों के लिए भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा हेतु अनेक प्रकार के दृष्टिकोणों, विकल्पों तथा कार्यनीतियों का समर्थन करता है।

इसके अतिरिक्त, विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम मृदु से सामान्य स्वरूप के विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में समेकित करने का प्रयास करती है।

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय, दीनदयाल उपाध्याय पुनर्वास स्कीम के तहत कई विशेष विद्यालयों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों आदि का भी वित्तपोषण कर रहा है।

(ग) और (घ) सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय ने फरवरी, 2006 में विकलांग व्यक्तियों हेतु एक राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप दिया है। इस नीति के पैरा 48 में विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा का उल्लेख है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी इस नीति के कार्यान्वयन में अपना योगदान दे रहा है। इस नीति का प्रासंगिक सार संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सर्व शिक्षा अभियान (विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा हेतु), विकलांग बच्चों हेतु समेकित

शिक्षा (आई.ई.डी.सी.) और दीनदयाल उपाध्याय विकलांग पुनर्वास जैसी स्कीमों के तहत दी गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः विवरण-II, III तथा IV में दिया गया है।

विवरण-I

IV विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा

48. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक विकलांग बच्चे की सन 2020 तक स्कूलपूर्व, प्राइमरी व माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त पहुंच हो। निम्नलिखित के संबंध में विशेष ध्यान रखा जाएगा:

(i) स्कूलों (भवनों, प्रवेश मार्गों, शौचालयों, खेल के मैदानों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, आदि) को सभी प्रकार के विकलांग बच्चों के लिए बाधामुक्त बनाना तथा उनकी इन स्कूलों तक पहुंच हो;

(ii) शिक्षण का माध्यम और उसकी पद्धति को अधिकांश विकलांगता दशाओं के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूल बनाया जाएगा;

(iii) तकनीकी/अनुपूरक/विशेष्षीकृत शिक्षा व्यवस्था स्कूल में ही अथवा एक सामान्य केन्द्र पर, जहां कुछ स्कूल आसानी से जा सकें, उपलब्ध करायी जाएगी;

(iv) अध्यापन/शिक्षण औजार और सहायक यंत्र जैसे शैक्षिक खिलौने, ब्रेल/टार्किंग पुस्तिकाएं, उपयुक्त सोफ्टवेयर आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। सामान्य पुस्तकालयों, ई. पुस्तकालयों, ब्रेल लाइब्रेरियों एवं टार्किंग लाइब्रेरियों, स्रोत कक्षों आदि की स्थापना करने के लिए सुविधाओं का विस्तार करने हेतु प्रोत्साहन दिए जाएंगे;

(v) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयों और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाया जाएगा तथा उनका विस्तार देश के अन्य भागों में किया जाएगा;

(vi) विकलांग व्यक्तियों द्वारा आपसी बातचीत के लिए संकेत भाषा, वैकल्पिक व अभिवृद्धि संबंधी संप्रेषण माध्यमों को मान्यता दी जाएगी, इन्हें मानकीकृत किया जाएगा और लोकप्रिय बनाया जाएगा;

(vii) विकलांगता क्षेत्रों की सुविधा की दृष्टि से विद्यालयों को ऐसी जगहों पर बनाया जाएगा जहां से यात्रा दूरी कम हो। विकल्प के तौर पर, समुदाय, राज्य एवं गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से व्यवहार्य यात्रा प्रबंध किए जाएंगे;

(viii) माता-पिता अध्यापक परामर्श तथा शिकायत निवारण प्रणाली, स्कूलों में स्थापित की जाएगी;

(ix) प्राइमरी, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा स्तर पर विकलांग बालिकाओं की संख्या और शिक्षा जारी रखने की वार्षिक समीक्षा करने के लिए पृथक व्यवस्था होगी;

(x) अनेक विकलांग बच्चों, जो समावेशी शिक्षा प्रणाली में शामिल नहीं हो सकते हैं, को विशेष स्कूलों से शैक्षिक सेवाएं मिलती रहेंगी। विशेष स्कूलों को प्रौद्योगिकीय विकास पर आधारित समुचित रूप से रिमोडल्ड व रिऑरियंटिड किया जाएगा। ये स्कूल मुख्यधारा की समावेशी शिक्षा में शामिल होने के लिए विकलांग बच्चों को तैयार करने में सहायता भी करेंगे;

(xi) कुछ मामलों में, विकलांगता (इसके प्रकार और गंभीरता), निजी परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के स्वरूप के कारण गृह आधारित शिक्षा प्रदान की जाएगी;

(xii) विभिन्न विकलांगताओं वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पद्धति का विकास किया जाएगा जिसमें उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखा जाएगा। गणित की पढ़ाई, केवल एक भाषा सीखना आदि जैसी कुछ रियायत देकर परीक्षा पद्धति में सुधार किया जाएगा जिससे कि उसे विकलांगों के अनुकूल बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, अधिक समय, कैलकुलेटर का प्रयोग, क्लार्क्स तालिका का प्रयोग, लेखक का प्रोयग आदि जैसी सुविधाएं आवश्यकता के आधार पर प्रदान की जाएंगी;

(xiii) विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में समावेशी शिक्षा के मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे;

(xiv) ज्ञान समाज के युग में, कंप्यूटर अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि प्रत्येक विकलांग बच्चे को कंप्यूटर के प्रयोग का समुचित ज्ञान हो;

(xv) 6 साल तक की आयु के विकलांग बच्चों की पहचान की जाएगी और आवश्यक उपचार किए जाएंगे ताकि ये समावेशी शिक्षा में भाग ले सकेंगे;

(xvi) मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए मनो-वैज्ञानिक पुनर्वास केन्द्रों में शिक्षा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी;

(xvii) अनेक स्कूल विकलांगता के कारण छात्रों का नामांकन नहीं करते हैं। ऐसा मुख्य रूप से स्कूल प्राधिकारियों और शिक्षकों की विकलांग व्यक्तियों की क्षमता के बारे में जागरूकता की कमी के कारण होता है। सभी स्कूलों में शिक्षकों, प्राचार्यों और अन्य कर्मचारियों को जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे;

(xviii) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्तमान में सहायता दिए जा रहे विशेष स्कूल, बढ़ती हुई समावेशी शिक्षा के लिए संसाधन केन्द्र बन जाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय आवश्यकता के आधार पर नए विशेष स्कूल खोलेगा;

(xix) गंभीर शिक्षण कठिनाइयों वाले वयस्कों के लिए वयस्क शिक्षण/फुरसत केन्द्रों को बढ़ावा दिया जाएगा;

(xx) उच्च शिक्षा संस्थाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा। विकलांग छात्रों की शैक्षिक जरूरतों की देखरेख करने के वास्ते विकलांगता केन्द्र स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों, कालेजों और व्यावसायिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्हें विकलांग छात्रों के लिए कैम्पस में कक्षा, छात्रावास, कैफेटेरिया बनाने तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे कि विकलांग छात्र वहां पहुंच सकें; और

(xxi) अध्यापकों के प्रवेश और सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, विकलांग बच्चों के प्रबंध संबंधी मुद्दों पर एक मॉड्यूल शामिल करना।

विवरण-II

विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा के लिये सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्य-वार आबंटन

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित परिव्यय 2003-04	अनुमोदित परिव्यय 2004-05	अनुमोदित परिव्यय 2005-06
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	840.97	487.4	623.46
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.19	16.01	50.06
3.	असम	777.58	214.1	338.66
4.	बिहार	1262.75	1408.1	1349.66
5.	छत्तीसगढ़	318.9	383.8	316.35
6.	गोवा	0	0	18.71
7.	गुजरात	462.47	637.4	930.31
8.	हरियाणा	342.58	341.3	382.89
9.	हिमाचल प्रदेश	109.7	356.3	326.66
10.	जम्मू-कश्मीर	134.96	453.2	456.85

1	2	3	4	5
11.	झारखण्ड	287.81	276.9	270.39
12.	कर्नाटक	834.77	677.5	982.8
13.	केरल	1139.89	1069.8	1047.83
14.	मध्य प्रदेश	401.48	413.8	1137.6
15.	महाराष्ट्र	4450.08	4601	2300.5
16.	मणिपुर	0	20.4	33.82
17.	मेघालय	97.8	103.5	0
18.	मिजोरम	32.18	34.1	0
19.	नागालैण्ड	20.89	20.9	22.43
20.	उड़ीसा	1448.99	1247	1347.05
21.	पंजाब	346.34	304.3	467.44
22.	राजस्थान	335.52	374.6	411.88
23.	सिक्किम	20.5	0	0
24.	तमिलनाडु	756.79	854.5	1016.46
25.	त्रिपुरा	30.26	43.6	145.78
26.	उत्तर प्रदेश	1311.53	2936.3	3149
27.	उत्तरांचल	119.8	89	206.1
28.	पश्चिम बंगाल	744.79	1266.4	1282.48
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11.3	11.3	3.36
30.	चंडीगढ़	2.4	18	17.03
31.	दादरा और नगर हवेली	4.2	4.2	2.1
32.	दमन और दीव	0	1.03	1.44
33.	दिल्ली	0	362.2	12
34.	लक्षद्वीप	0	0.24	0.24
35.	पांडिचेरी	17.44	17.4	28.31
	कुल	16682.86	19045.58	18679.65

विवरण-III

आई.ई.डी.सी. के तहत वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 हेतु व्यय का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2003-04 कुल	2004-05 कुल	2005-06 कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	74.47	113.33	39.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	–		
3.	असम	20.78	39.13	39.61
4.	बिहार	–	2.22	55.29
5.	छत्तीसगढ़	21.24	19.81	7.45
6.	गुजरात	930.9	765.87	690.66
7.	गोवा	3.91		
8.	हरियाणा	203.47	81.75	76.49
9.	हिमाचल प्रदेश	–		
10.	झारखण्ड	3.33		
11.	कर्नाटक	541.48	772.91	
12.	केरल	316.81	349.33	502.86
13.	मध्य प्रदेश	815.21	150.31	1518.50
14.	महाराष्ट्र	98.04	184.75	92.07
15.	मणिपुर	71.97	130.69	18.41
16.	मेघालय	–	1.64	
17.	मिजोरम	19.4	61.46	50.27
18.	नागालैण्ड	27.54	18.54	4.18
19.	उड़ीसा	184.82	215.2	79.99
20.	पंजाब	–		
21.	राजस्थान	39.4	68.76	103.04

1	2	3	4	5
22.	सिक्किम	–		
23.	तमिलनाडु	171.09	320.42	149.87
24.	त्रिपुरा	29.9		
25.	उत्तर प्रदेश	19.53	50.38	50.20
26.	पश्चिम बंगाल	37.66	168.93	598.08
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	14.01	7.85	17.01
28.	दादरा और नगर हवेली	–		
29.	दमन और दीव	–		
30.	चंडीगढ़	3.34		
31.	दिल्ली	195.27	104.81	49.91
32.	पांडिचेरी	3.4	11.72	4.94
	कुल	3846.97	3657.51	4147.96

विवरण-IV

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित दीन दयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किये गये अनुदानों की राशि को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	लाख रु. में 2003-04	लाख रु. में 2004-05	लाख रु. में 2005-06
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1571.02	1666.59	1523.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.32	6.24	6.00
3.	असम	56.18	57.47	73.00
4.	बिहार	181.28	179.22	218.00
5.	चंडीगढ़	10.87	13.39	10.00
6.	छत्तीसगढ़	12.94	20.37	50.00

1	2	3	4	5
7.	दिल्ली	646.69	407.00	332.00
8.	गोवा	24.02	24.69	20.00
9.	गुजरात	91.95	111.22	116.00
10.	हरियाणा	115.70	138.09	104.00
11.	हिमाचल प्रेदश	23.14	28.60	29.00
12.	जम्मू-कश्मीर	4.56	11.40	11.00
13.	झारखण्ड	8.28	19.57	10.00
14.	कर्नाटक	928.96	820.98	904.00
15.	केरल	542.46	542.94	476.00
16.	मध्य प्रदेश	90.22	101.44	137.00
17.	महाराष्ट्र	212.80	159.71	174.00
18.	मणिपुर	77.00	73.40	88.00
19.	मेघालय	70.06	55.61	77.00
20.	मिजोरम	19.90	20.69	20.00
21.	उड़ीसा	378.00	228.27	240.00
22.	पांडिचेरी	7.75	7.81	8.00
23.	पंजाब	109.66	100.84	145.00
24.	राजस्थान	143.24	165.22	152.00
25.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
26.	तमिलनाडु	514.76	527.40	470.00
27.	त्रिपुरा	13.63	13.86	11.00
28.	उत्तर प्रदेश	656.85	619.40	653.00
29.	उत्तरांचल	51.62	53.85	81.00
30.	पश्चिम बंगाल	536.06	556.05	542.00
	कुल	7105.91	6731.32	6680.00

[अनुवाद]

समुद्री सीमाएं

***113. श्री उदय सिंह:**

श्री अधीर चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की समुद्री सीमाओं पर गहन निगरानी रखने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान समुद्री तटीय रेखा पर अतिरिक्त पुलिस स्टेशनों की स्थापना करने और स्पीड बोटों की खरीद के लिए राज्य सरकारों को आबंटित की गई धनराशियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन आबंटनों का पूर्ण उपयोग हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तटीय रेखा पर अपराधों पर कितना अंकुश लगा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) सरकार ने समुद्री क्षेत्रों में गश्त और निगरानी के लिए आधारभूत ढांचों में वृद्धि करने के लिए, वर्ष 2005-06 से 5 वर्षों में कार्यान्वित की जाने वाली, 400 करोड़ रु. का आनावर्ती और 151 करोड़ रु. का आवर्ती व्यय आवंटित करके तटीय सुरक्षा स्कीम का अनुमोदन किया है। वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान तटीय सुरक्षा स्कीम के अधीन तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदत्त सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनुमोदित परिव्यय (लाख रु.)	2005-06 में जारी राशि (लाख रु.)	2006-07 में जारी राशि (लाख रु.)
गुजरात	5842.60	301.00	475.40
महाराष्ट्र	4092.60	219.20	शून्य
गोवा•	1653.50	37.05	65.40
कर्नाटक	2711.90	61.75	शून्य
केरल	4356.00	98.80	21.80
तमिलनाडु	4408.00	309.20	शून्य
आन्ध्र प्रदेश	3267.00	74.10	130.80
उड़ीसा	2722.50	83.37	शून्य
पश्चिम बंगाल	3353.40	119.10	84.80
पांडिचेरी	544.50	शून्य	44.50
लक्षद्वीप	936.80	शून्य	76.00
दमन और दीव	668.35	शून्य	38.35
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2604.00	शून्य	100.04
कुल	37161.15	1303.57	1037.09

चूंकि स्कीम का कार्यान्वयन पांच वर्षों की अवधि के दौरान किया जाना है इसलिए यह प्रत्याशित है कि आवंटित राशि का इस अवधि के दौरान पूरा उपयोग कर लिया जाएगा।

स्कीम का कार्यान्वयन अभी हाल में प्रारंभ किया गया है और इस कार्यान्वयन से तटीय सुरक्षा पर इसका प्रभाव पहले ही अनुभव होने लगा है।

पेटेन्ट नियंत्रक कार्यालय

***114. एडवोकेट सुरेश कुरूप:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पेटेन्ट नियंत्रक कार्यालय से सूचना विशेष रूप से स्वास्थ्य दलों को बगैर किसी शुल्क के देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) पेटेंट नियमावली, 2003 के नियम 134 के साथ पठित, पेटेंट अधिनियम,1970 की धारा 153 में व्यवस्था है कि निर्धारित शुल्क देकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(ग) इस कानून में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय एजेंसी द्वारा अपराधों की जांच

***115. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) ने कतिपय अपराधों की एक सूची तैयार करने की सिफारिश की है, जिनकी जांच सिर्फ किसी केन्द्रीय एजेंसी द्वारा करायी जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आयोग की सिफारिश पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) श्री प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1996 की रिट पिटीशन संख्या 310 में दिए गए निदेश के अनुसरण में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उक्त मामले में "संघीय अपराध और केन्द्रीय एजेंसी द्वारा उनकी जांच-पड़ताल" के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे अपराधों की एक सूची जारी करने की सिफारिश की जिन पर कार्रवाई केवल केन्द्रीय एजेंसी द्वारा ही की जानी होती है। इस समय यह मामला न्याय-निर्णयाधीन है।

सूती वस्त्रों की मांग

***116. श्री ई. पोन्नुस्वामी:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका में सूती वस्त्रों की भारी मांग के बावजूद भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के समान इसके लाभ प्राप्त करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत के पास श्रीलंका और बांग्लादेश की तुलना में बेहतर कुशल कारीगर एवं फैशन डिजायनर हैं; और

(घ) यदि हां, तो भारत से सूती वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और भारतीय कारीगरों की कार्यकुशलता का इष्टतम उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला): (क) जी, नहीं। भारत से संयुक्त राज्य अमरीका का सूती अपैरल उत्पादों का आयात 2635.84 मिलियन अमरीकी डॉलर है जो बंग्लादेश एवं श्रीलंका के उसी वर्ष के लिए क्रमश: 8125.88 मिलियन अमरीकी डॉलर तथा 1131.02 मिलियन अमरीकी डॉलर (5.04% और 2.6%) के हिस्से की तुलना में दिसंबर, 2006 तक संयुक्त राज्य अमरीका के कुल आयात में 6.07% हिस्सा बना हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस प्रकार सरकार में ऐसा कोई तंत्र नहीं है कि कुशल कार्मिक शक्ति और फैशन डिजायनरों का मूल्यांकन किया जाए। तथापि, भारतीय रेशम डिजायनर अपने कौशल के लिए विश्वभर में विख्यात हैं। क्लोदिंग के क्षेत्र में भारत के डिजायन एवं कार्मिक प्रशिक्षण संस्थान श्रीलंका और बंग्लादेश की अपेक्षा बेहतर रूप से सुसज्जित हैं।

(घ) सरकार सूती वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सतत् उपाय करती रही है। इस संबंध में की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलें निम्नलिखित हैं:-

(i) स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

(ii) सरकार ने सिलेसिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है।

(iii) इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए 1-4-1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) लागू कर दी गई है।

(iv) कपास की उत्पादकता एवं गुणता में सुधार के लिए सरकार ने कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.सी.), शुरू किया है। बेहतर कृषि प्रथाओं, गुणवत्ता की बीजों, बाजार अवसंरचना में सुधार तथा जिनिंग एवं प्रेसिंग क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

(v) वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र के उत्पादन आधार के विस्तार के उद्देश्य से "निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना" तथा "वस्त्र केंद्र अवसंरचना विकास योजना" का विलय कर "एकीकृत वस्त्र पार्क योजना" नामक एक नई योजना तैयार की गई है। इस योजना में 2007-08 तक भारत के संभावित विकास केंद्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 25 वस्त्र पार्क सृजित करने की परिकल्पना है।

(vi) वित्तीय शुल्क ढांचा सामान्यत: देश के भीतर विकास एवं अधिकतम मूल्य संवर्धन की स्थिति प्राप्त करने के लिए युक्तिसंगत बना दिया गया है। मानवनिर्मित फिलामेंट यार्न तथा मानवनिर्मित स्टेपल फाइबर पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर समग्र मूल्य वर्धन शृंखला को उत्पाद शुल्क की छूट का एक विकल्प दिया गया है।

(vii) निवेश प्रोत्साहित करने के लिए तथा वैश्विक बाजार में हमारे वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्दिष्ट वस्त्र एवं परिधान संबंधी मशीनों की मदों के आयात पर सीमाशुल्क की रिआयती दर की अनुमति दी गई है। वित्तीय नीति संबंधी उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है।

(viii) परिधान निर्यातकों को उनके पिछले वर्ष के दौरान वास्तविक निर्यात निष्पादन के 3% तक ट्रिमिंग एवं अलंकरण मदों की 21 मदों का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दी गई है।

(ix) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने 20-4-05 से मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टी.यू.एफ.एस. के अधीन 10% की दर पर ऋण संबद्ध पूंजी सहायता योजना शुरू की है।

(x) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की सात शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केंद्र (ए.टी.डी.सी.) डिजायन, व्यापार और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग, विशेषकर अपैरल की कुशल कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम चला रहे हैं।

(xi) पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाएं तैयार की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिधानों/वस्त्रों का पूर्व-परीक्षण करवा सकें।

सुनामी राहत कोषों का उपयोग

***117. श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुनामी प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सुनामी राहत कोषों को भारी धनराशि अनुपयुक्त पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास पैकेज प्रदान करने में अनियमितताएं हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो धनराशि का उपयोग न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) सुनामी प्रभावित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न अवसंरचनात्मक सुविधाओं के पुनर्निर्माण और उनमें सुधार लाने संबंधी निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(च) इस संबंध में प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा राहत और पुनर्वास कार्य समय पर पूरे करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के "सुनामी राहत और पुनर्वास" संबंधी

निष्पादन लेखा परीक्षा में राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज के अधीन राहत प्रदान किए जाने में कतिपय अनियमितताएं बरते जाने की सूचना दी गई है। इस संबंध में अपेक्षित उपचारात्मक और सुधारात्मक उपाय किए गए हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त परामर्श दिए गए हैं। सुनामी प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त लेखा तैयार करने और राहत सहायता संवितरण में पारदर्शिता बरते जाने के लिए समय-समय पर मार्गनिर्देश भी जारी किए गए हैं।

(घ) सुनामी प्रभावित क्षेत्रों के लिए "राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज" के अधीन जारी की गई 1759.05 करोड़ रु. की राशि में से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 1638.84 करोड़ रुपये के व्यय की सूचना दी है जो 93% के लगभग है।

(ङ) और (च) मुख्य क्षेत्रों में दीर्घकालिक पुनर्वासों के लिए सुनामी कार्यक्रम (टी.आर.पी.) के तहत निर्धारित लक्ष्यों की अपेक्षा भौतिक प्रगति का सारांश निम्नवत है:-

क्षेत्र	कुल क्षति	दिसम्बर, 2006 तक किया गया कार्य	शेष कार्य	जनवरी-मार्च, की तिमाही के लिए लक्ष्य	2007-08 के लिए लक्ष्य
आवास (क्षतिग्रस्त/पुनर्निमित किए जाने वाले आवासों की संख्या)	147642	35593	112049	8054	23987
मत्स्य पालन और आजीविका (मरम्मत/प्रतिस्थापित की जाने वाली नावों की संख्या)	53377	50701	2676	71	1526
कृषि और आजीविका (पुन: दावा किए जाने वाले क्षेत्र की हेक्टे. में माप)	20210.17	15844.54	4365.63	280.10	2574.36
सड़क (कि.मी. में)	1157.20	149.02	1007.44	352.26	758.88

शेष लक्ष्य वर्ष 2008-09 में हासिल किए जाने हैं।

(छ) शेष लक्ष्य वर्ष 2008-09 में हासिल किए जाने हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके सुनामी राहत कार्यक्रम के अधीन विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने के लिए योजना आयोग में एक विशिष्ट कोर ग्रुप का गठन किया गया है। इसकी प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है। पुनर्वास उपायों को शीघ्र पूरा किया जाने के विचार से योजना आयोग ने हाल में इसकी मध्यावधि समीक्षा की थी।

[हिन्दी]

शिक्षा के स्तर में एकरूपता

***118. श्रीमती किरण माहेश्वरी:**
श्री गिरधारी लाल भार्गव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर में व्यापक असमानता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर में एकरूपता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) सरकार को इस संबंध में अपने प्रयासों में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (घ) यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदंडों का सभी विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसरण किया जाता है, तथापि प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने तरीके से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के तहत शिक्षा

के मानदंडों का निर्धारण एवं संयोजन करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

[अनुवाद]

आई.आई.एम. और आई.आई.टी. खोलना

***119. श्री बाडिगा रामकृष्णा:**

डा. बाबूराव मिडियम:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) और भारतीय प्रबंध संस्थानों (आई.आई.एम.) की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में प्रत्येक आई.आई.टी. की शाखा की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ओ.बी.सी. के 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने और साथ ही 54 प्रतिशत तक सीटें बढ़ाने के लिए अवसंरचना का विस्तार करने हेतु आई.आई.टी., आई.आई.एम. और अन्य सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को अतिरिक्त निधियां आबंटित करने में असमर्थ है जैसा कि दिनांक 9 फरवरी, 2007 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) भविष्य की आवश्यकता और ओ.बी.सी. के 27 प्रतिशत आरक्षण को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (च) प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद ने सिफारिश की है कि वर्तमान और भावी मांगों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीन और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान देश के दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम भाग में एक-एक संस्थान स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। इन सिफारिशों के आधार पर तीन नये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। ये संस्थान राजस्थान, बिहार और आन्ध्र प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। पूर्वोत्तर में उच्च गुणवत्ता वाली प्रबंधन शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए सरकार ने शिलांग में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। विभिन्न राज्यों में प्रत्येक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की एक शाखा खोलने से संबंधित कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सरकार अगले तीन वर्षों में सीटों की संख्या में 54 प्रतिशत की वृद्धि के साथ-साथ सभी केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए दाखिलों में 27 प्रतिशत आरक्षण को कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयोजनार्थ वर्ष 2007-08 के बजट में सभी केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं हेतु पर्याप्त निधियों का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

मार्बल का आयात

***120. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में राज्यवार कुल कितनी मात्रा में मार्बल का आयात किया गया;

(ख) क्या इसके आयात से स्वदेशी मार्बल उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे आयात के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा स्वदेशी मार्बल उद्योग के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) अपरिष्कृत संगमरमर को आई.टी.सी. (एच.एस.) वर्गीकरण के अध्याय 25 के अंतर्गत तथा परिष्कृत संगमरमर को आई.टी.सी. (एच.एस.) वर्गीकरण के अध्याय 68 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन दोनों श्रेणियों के अन्तर्गत आयातित संगमरमर की कुल मात्रा का अलग-अलग ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। आयात के राज्यवार आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.) द्वारा नहीं रखे जाते।

(ख) से (च) अध्याय 25 के अंतर्गत वर्गीकृत अपरिष्कृत संगमरमर का आयात, आयात हेतु प्रतिबंधित है। सरकार द्वारा अनुज्ञप्तियों पर 1.3 लाख टन की सीमित मात्रा के आयात की अनुमति है। ये आयात इस शर्त के अध्यधीन हैं कि अपरिष्कृत संगमरमर के ब्लॉकों की न्यूनतम आयात कीमत 300 अम. डॉलर प्रति मी. टन से कम नहीं होनी चाहिए और आयातित स्लैब की न्यूनतम कीमत 450 अम. डॉलर प्रति मी. टन से कम

नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आई.टी.सी. (एच.एस.) वर्गीकरण के अध्याय 68 के अंतर्गत वर्गीकृत परिष्कृत संगमरमर उत्पादों का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है। तथापि, ऐसे आयातों की न्यूनतम आयात कीमत 2700 अम. डॉलर प्रति घन मीटर होती है।

सीमित मात्रा में अनुमत्य आयात के मूल्य को समुचित रूप से प्रतिबंधित किया जाता है, ताकि घरेलू तौर पर उत्पादित संगमरमर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। सीमित आयातों की अनुमति महंगे संगमरमर की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए दी जाती है जिसकी पूर्ति घरेलू उत्पादन से नहीं की जा सकती। वर्तमान नीति के अंतर्गत अनुमत्य संगमरमर के सीमित आयात का दुष्प्रभाव घरेलू संगमरमर उत्पादों पर नहीं पड़ता है।

विवरण

संगमरमर का आयात

(मात्रा टन में)

एच.एस.कोड	वस्तु	2003-2004	2004-2005	2005-2006
251511	अपरिष्कृत/मोटे तौर पर तराशा हुआ संगमरमर/ट्रैवरटाइन	26,478.25	33,003.20	31638.31
251512	केवल आरी से/अन्यथा आयाताकार/ वर्गाकार आकृति के ब्लॉक्स/स्लैब में कटा हुआ संगमरमर/ट्रैवरटाइन	37,861.92	48,170.74	91517.5
उप योग (क)		**64,340.17**	**81,173.94**	**123,155.81**
680221	सपाट अथवा एकसमान सतह सहित साधारण रूप से कटा/आरी से कटा संगमरमर ट्रैवरटाइन अथवा एल्बास्टर	32,294.45	53,272.18	57057.26
680291	अन्य संगमरमर ट्रैवरटाइन एवं एल्बास्टर	1,052.76	404.22	1893.24
उप योग (ख)		**33,347.21**	**53,676.40**	**58,950.50**
कुल (क) + (ख)		97,687.38	134,850.34	182,106.31

[अनुवाद]

हॉल मार्किंग योजना

703. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनसामान्य के बीच 'हॉल मार्किंग' योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) सरकार/भारतीय मानक ब्यूरो हॉल मार्किंग स्कीम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में जौहरियों और उपभोक्ताओं के लिए अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उपभोक्ता जागरूकता के लिए समाचार-पत्रों और इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए भी एक साथ प्रचार अभियान शुरू किया गया है। स्वर्ण आभूषणों के लिए हॉल मार्किंग स्कीम फिलहाल स्वैच्छिक स्वरूप की है और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत प्रचालित की जाती है। इस स्कीम का उद्देश्य सोने की शुद्धता के संबंध में

उपभोक्ताओं को तृतीय पक्ष आश्वासन प्रदान करना है। इस स्कीम के तहत जौहरियों को अपने आभूषणों की भारतीय मानक ब्यूरो से मान्यता प्राप्त एसेइंग और हॉल मार्किंग केंद्रों से हॉल मार्किंग करवाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणन चिन्ह लाइसेंस लेना होता है। हॉल मार्किंग केंद्रों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यह सुनिश्चित करने के बाद निर्धारित मापदण्डों पर मान्यता दी जाती है कि केंद्र के पास स्वर्ण आभूषणों की सुरक्षा के अलावा एसेइंग और हॉल मार्किंग के लिए अपेक्षित आधार-ढांचा है। यह मापदण्ड बहुमूल्य धातुओं के नियंत्रण और चिन्हांकन संबंधी कन्वेंशन (वियना कन्वेंशन 1972) की अपेक्षाओं के आधार पर है।

वनों/जानवरों के संरक्षण के लिए भारतीय वन सेवा के अधिकारी

704. श्री जोवाकिम बखला: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन जोनों में पदस्थापित भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को वनों तथा जानवरों के संरक्षण तथा विकास की सीधी जिम्मेवारी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कई अधिकारियों को अपने कार्यभार के संबंध में उपेक्षा, लापरवाही तथा अन्य कदाचारों का दोषी पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है/प्रस्तावित है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (घ) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही सूचना उपलब्ध होगी, इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

वन्य जीवों के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय

705. श्री रनेन बर्मन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्य जीवों के प्रति क्रूरता को रोकने तथा निगरानी करने के लिए स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों का ब्यौरा क्या है तथा कब से ये कार्यालय परिचालन में हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वन्य जीवों के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए प्रत्येक कार्यालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

(ग) प्रत्येक कार्यालय में कितने अधिकारी तथा कर्मचारी पदस्थापित हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कार्यालय के बजटीय प्रावधान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक कार्यालय द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीवों के प्रति क्रूरता को रोकने और निगरानी करने के लिए कोई क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित नहीं किए गए हैं। तथापि, वन्यजीवों के व्यापार से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में चार क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वन्यजीवों के व्यापार से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए स्थापित प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कार्यालय के लिए बजटीय प्रावधान के ब्यौरे सहित, संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(घ) गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान प्रत्येक कार्यालय द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित अधिकारियों और कर्मचारियों का ब्यौरा

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	स्वीकृत मदें	पदासीन अधिकारी
1.	मुम्बई	10	9
2.	चैन्नई	14	12
3.	कोलकाता	13	12
4.	दिल्ली	13	11

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय के लिए बजटीय प्रावधान का ब्यौरा

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	2003-04	2004-05	2005-06
1.	मुम्बई	31.26	53.68	33.98
2.	चैन्नई	35.81	39.34	34.45
3.	कोलकाता	28.68	47.14	30.48
4.	दिल्ली	36.29	49.03	38.96

विवरण-III

गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की गई उपलब्धियों का ब्यौरा

क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई:

1.	गत तीन वर्षों के दौरान जांच की गई कुल खेपों की संख्या	14,160
2.	वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के संदर्भ में पता लगाई गई उल्लंघनाएं	29
3.	निर्यात-आयात नीति के संदर्भ में पता लगाई गई उल्लंघनाएं	67

क्षेत्रीय कार्यालय चैन्नेई:

1.	गत तीन वर्षों के दौरान प्राणि जात एवं वनस्पति जात के संबंध में वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम और साइटस के अंतर्गत निर्यात-आयात खेपों पर किए गए प्री-पोस्ट लदान निरीक्षणों की संख्या	5819

क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता:

1.	गत तीन वर्षों के दौरान एयर पोर्ट/सी-पोर्ट/एफ.पी.ओ. में किए गए निरीक्षण की संख्या	4927
2.	गत तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए आपराधिक मामलों की संख्या	183
3.	गत तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए साइटस निर्यात/आयात/पुन:निर्यात परमिटों की संख्या	102

क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली:

1.	गत तीन वर्षों के दौरान सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत बुक किए गए आपराधिक मामलों की संख्या	63
2.	गत तीन वर्षों के दौरान वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत बुक किए गए आपराधिक मामलों की संख्या	20

[हिन्दी]

भूमि के अधिग्रहण के लिए किसानों की सहमति

706. श्री महेश कनोडीया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गैर-कृषि उद्देश्य के लिए किसानों की भूमि के अधिग्रहण के संबंध में उनकी सहमति प्राप्त करने की कोई मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में किसी प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) भूमि राज्य का विषय है। प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्ट भूमि अधिग्रहण नीति है जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम पर आधारित होती है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण उनकी संबंधित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा किसानों के परामर्श से अधिशासित होता है। भारत सरकार देश में कृषि के बृहत प्रबन्धन के अंतर्गत राज्य भू उपयोग बोर्ड के सुदृढ़ीकरण के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। राज्य भूमि उपयोग बोर्डों का गठन लगभग सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों अथवा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों की अध्यक्षता में किया गया है। राज्य भूमि उपयोग बोर्ड के अधिदेशों में से एक कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए परिवर्तन किए जाने को रोकने हेतु उपयुक्त उपाय करना है।

[अनुवाद]

पर्यटन जोनों हेतु पर्यावरण प्रभाव आकलन

707. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा किसी जोन को पर्यटक जोन घोषित करने के पूर्व पर्यावरण प्रभाव आकलन मंजूरी की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा कोई प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य सरकार से महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित प्रस्तावित न्यू महाबलेश्वर हिल स्टेशन के लिए प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कब तक इसे मंजूर कर दिया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (ध) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तरों को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक क्षेत्र में घरेलू प्रौद्योगिकी का विकास

708. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में उर्वरक क्षेत्र में घरेलू प्रौद्योगिकी विकसित करने के संबंध में अपनी नीति की पुनरीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) उर्वरक क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करने की कोई योजना नहीं है।

केबल नेटवर्क के लिए मानदण्ड

709. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना देश के सभी केबल टी.वी. घरों को डिजीटल नेटवर्क से जोड़ने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा स्वतन्त्र नियामक वाली बाजारोन्मुख टेलीविजन सेवा शुरू करने तथा डिजीटल टेलीविजन की ऊंची लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, डिजिटल कैस को दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता के अधिसूचित क्षेत्रों में कार्यान्वित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने केबल टीवी के डिजिटलीकरण संबंधी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। अन्य मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

प्रस्तावित प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक में प्रसारण के लिए एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करना परिकल्पित है।

[हिन्दी]

इस्पात समिति की सदस्यता

710. श्री बालेश्वर यादव: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार को आर्गेनाइजेशन फॉर इकोनामिक कोआपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओ.ई.सी.डी.) के नियंत्रण वाली इस्पात समिति का सदस्य बनने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार कब तक निर्णय ले लेगी?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ओ.ई.सी.डी की इस्पात समिति की सदस्यता लेने पर कतिपय बहुपक्षीय दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। इस समय इस्पात मंत्रालय विभिन्न स्टेकहोल्डरों और केंद्र सरकार के संबंधित विभागों से परामर्श करके ओ.ई.सी.डी. इस्पात समिति के दिशा-निर्देशों के विभिन्न पहलुओं और उनके संभावित परिणामों पर विचार कर रहा है। सभी संबंधित मुद्दों पर विचार करने के बाद इस संबंध में उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

चीनी मिलों द्वारा अदायगियों में कटौती

711. श्री हितेन बर्मन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश की कई सहकारी चीनी मिलें गन्ने की आपूर्ति करने वाले किसानों की अदायगियों से कटौतियां कर रही हैं तथा कटौती की गई धनराशि को जमा करके इससे आधुनिकीकरण/विस्तार कर रही हैं और बाद में ये अदायगियां ब्याज सहित लौटाने का वायदा कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों के नाम, एकत्रित की गई राशि तथा इनके लौटाने की शर्तों को दर्शाने वाला तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन मिलों का ब्यौरा क्या है जहां गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी राशियों का मिलों के आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए उपयोग किया गया;

(घ) ये कौन-कौन सी मिलें हैं जिन्होंने अब तक जमा पर ब्याज सहित राशि गन्ना उत्पादकों को लौटा दी है तथा वे कौन-कौन सी मिलें हैं जिन्होंने बकाया लौटाने में चूक की है तथा प्रत्येक के पास कितना बकाया है; और

(ङ) चूककर्ताओं के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश की दो सहकारी चीनी मिलों नामत: किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., साथा (अलीगढ़) और किसान सहकारी चीनी फैक्ट्री लि., मझोला (पीलीभीत) ने मिलों के आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए अंश पूंजी के प्रति क्रमश: (2000-01 और 2001-02 के चीनी मौसमों के दौरान) 41.20 लाख रुपये और (1996-97 से 1999-2000 के चीनी मौसमों के दौरान) 140 लाख रुपये एकत्र किए थे। अंश पूंजी लौटाने के लिए कोई शर्त निर्धारित नहीं थी।

(ग) गत तीन चीनी वर्षों के दौरान उपर्युक्त दोनों सहकारी चीनी मिलों में से कोई भी मिल आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए धनराशि का उपयोग नहीं कर सकी क्योंकि वित्तीय संस्थाओं ने मिलों के आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए ऋण मंजूर नहीं किया।

(घ) और (ङ) वित्तीय संस्थाओं द्वारा धनराशि मंजूर नहीं किए जाने को देखते हुए, किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., साथा ने किसानों को उनकी पूरी राशि का ब्याज सहित भुगतान कर दिया है। किसान सहकारी चीनी फैक्ट्री लि., मझोला ने ब्याज सहित एकत्रित राशि, जो 282.40 लाख रुपये बैठती है, की सावधि जमा रसीदें बैंकों में जमा कर दी हैं।

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का पुनरुद्धार

712. श्री पी. मोहन: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एम.एफ.एल.) के पुनरुद्धार के लिए तमिलनाडु सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी हां।

(ख) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम. करूणानिधि ने अपने दिनांक 27-9-2006 और 15-12-2006 के पत्रों के तहत अप्रैल, 2002 से मिश्रित उर्वरकों के मूल्य निर्धारण के संबंध में टैरिफ आयोग की सिफारिशें लागू करने और बाहरी इकाइयों को 50% से अधिक दर पर लाभ देने का केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है। उन्होंने कंपनी की आसन्न बंदी को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने और उसका पुनरुद्धार करने का भी अनुरोध किया था।

(ग) सरकार ने मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एम.एफ.एल.) को बाहरी इकाइयों को मिलने वाला लाभ 30-9-2006 तक अर्थात नई मूल्य निर्धारण योजना (एन.पी.एस.) के चरण-II के समाप्त होने की अवधि तक दिया था। उर्वरक विभाग द्वारा कंपनी के वित्तीय पुनर्गठन की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है ताकि इसके बंद होने की नौबत न आए।

निर्माण कार्यों हेतु पर्यावरणीय मंजूरी

713. श्री नरहरि महतो: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा उत्तर पूर्व राज्यों से निर्माण तथा विकास कार्य संबंधी प्रस्ताव पर्यावरणीय मंजूरी हेतु सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब से ये प्रस्ताव मंजूरी हेतु लंबित है; और

(ग) इन्हें कब तक मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) सिक्किम राज्य और अन्य 7 पूर्वोत्तर राज्यों का कोई भी प्रस्ताव निर्माण कार्यों के लिए पर्यावरणी मंजूरी हेतु लंबित नहीं है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल राज्य के ऐसे 13 प्रस्ताव जनवरी, 2006 से जनवरी, 2007 तक लंबित है। पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करना परियोजना प्रस्तावकों से संतोषजनक सूचना प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर है और इन्हें समयबद्ध रूप से मंजूरी प्रदान किए जाने के सभी प्रयास किए जाते है।

चीनी की उत्पादन लागत

714. श्री एल. राजगोपाल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में चीनी की उत्पादन लागत राज्य-वार कितनी है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में चीनी की उत्पादन लागत अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका चीनी के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है; और

(घ) चीनी की उत्पादन लागत में कमी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) केन्द्रीय सरकार चीनी की उत्पादन लागत के आंकड़े नहीं रखती है। तथापि, केन्द्रीय सरकार चीनी के उत्पादन की जोन-वार इकाई लागत [गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 5क के अधीन एल-फैक्टर] निर्धारित करती है जो विशेषज्ञ निकायों की सिफारिशों के आधार पर निकाली जाती है। एल-फैक्टर अंतिम बार 2003-04 चीनी मौसम के लिए निम्नानुसार निर्धारित किया गया था:-

क्र. सं.	जोन	इकाई लागत 2003-04
1	2	3
1.	पंजाब	1386.94
2.	हरियाणा	1251.46
3.	राजस्थान	1254.62
4.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश	1300.55
5.	मध्य उत्तर प्रदेश	1349.66
6.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	1448.45
7.	उत्तरी बिहार	1455.21
8.	दक्षिणी गुजरात	1221.76
9.	सौराष्ट्र	1464.76
10.	मध्य प्रदेश	1348.39
11.	मध्य महाराष्ट्र	1521.77
12.	दक्षिणी महाराष्ट्र	1497.62
13.	उत्तर महाराष्ट्र	1438.68
14.	उत्तर-पश्चिम कर्नाटक	1486.27
15.	शेष कर्नाटक	1396.18
16.	आंध्र प्रदेश	1413.24
17.	तमिलनाडु व पांडिचेरी	1438.46
18.	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, नागालैंड	1261.51
19.	केरल, गोवा, तटीय कर्नाटक	1456.62
	अखिल भारत	1392.78

(ख) जी, नहीं। जैसाकि उपर्युक्त सारणी में उल्लेख किया गया है, चीनी के उत्पादन की इकाई लागत आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक नहीं है। ऐसे नौ जोन हैं जहां इकाई लागत आंध्र प्रदेश की इकाई लागत से अधिक है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कर्नाटक में पशुओं को होने वाले रोग

715. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में पशुओं को होने वाले रोगों की रोकथाम

करने हेतु केन्द्रीय सहायता दिए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्रियान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक अनुमोदित किए जाने एवं धनराशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (घ) जी, नहीं। राज्य सरकारों से पशु रोगों को रोकने संबंधी कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, "पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण (एल.एच. एंड डी.सी.)" नामक चालू केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत (1) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (ए.एस.सी.ए.डी.) तथा (2) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना (एन.पी.आर.ई.) नामक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए निधियां जारी करने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उक्त दोनों योजनाओं के तहत चालू वित्तीय वर्ष (2006-07) के दौरान कर्नाटक सरकार को उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता का विवरण इस प्रकार है:-

(लाख रुपए में)

योजना का नाम	पुनर्विधित राशि	जारी राशि
(i) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (ए.एस.सी.ए.डी)	4.87	825.00
(ii) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना (एन.पी.आर.ई.)	0.20	30.00

मक्के के मूल्य में कमी

716. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुक्कुट क्षेत्र के संरक्षण हेतु मक्के के मूल्यों में कमी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) 2006-07 के लिए मक्का के न्यूनतम समर्थन मूल्य 27-7-2006 को 540 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए। उनमें कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मक्का के अधिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 31-12-2007 तक शून्य सीमा शुल्क पर मक्का के आयात की अनुमति देने का निर्णय लिया है। तथापि मक्का के उत्पादन तथा उपलब्धता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार तिलहनों, दालों, पॉम तेल तथा मक्का के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। इस स्कीम का मक्का के लिए 15 राज्यों में कार्यान्वयन किया जा रहा है। स्कीम के अन्तर्गत किसानों को बोए जाने वाले बीज की खरीद, आधार वाले बीजों का उत्पादन, प्रमाणित बीजों का उत्पादन तथा वितरण, मिनीकिट का वितरण, ढांचा विकास, यनस्पति संरक्षण रसायनों तथा उपकरणों, वीडीसाईडस, जिप्सम/पायराईट/लाईमिंग/डोलोमाइट/छिड़काव सेट तथा सिंचाई करने वाले पाईप, रिजोबियम कल्चर की सप्लाई/फासफेट सोलुबीलिशिंग बैक्टीरिया आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

प्राणी उद्यानों में बंध्याकरण अभियान

717. श्री रशीद मसूद: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी प्राणी उद्यानों में पशुओं की प्रजनन क्षमता समाप्त करने हेतु बंध्याकरण अभियान चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभियान को चलाने के क्या कारण हैं; और

(ग) अब तक उक्त अभियान से क्या परिणाम प्राप्त हुआ है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोनारायन मीना): (क) जी, नहीं। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने चिड़ियाघर मान्यता नियम, 1992 के अंतर्गत मापदंड और मानक निर्धारित किए हैं जिनमें चिड़ियाघरों में भरपूर प्रजनन क्षमता वाले पशुओं की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि के विरुद्ध उपयुक्त संख्या नियंत्रण उपाय क्रियान्वित करके सुरक्षोपाय किए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हुबली-अंकोला रेलमार्ग हेतु वन का सर्वेक्षण

718. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास हुबली-अंकोला के बीच रेलमार्ग हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि का संयुक्त सर्वेक्षण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सर्वेक्षण कब तक किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा न्यू हुबली-अंकोला रेलवे लाइन के निर्माण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पर्यायरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत प्रस्ताव को गुण दोष के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया था। यद्यपि कुछ संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को ध्यान में रखकर प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया गया था। यह देखा गया था कि मूल रूप से प्रस्ताव से क्षेत्र, जोकि पारिस्थितिकी रूप से संवेदी है, की पारिस्थितिक में बाधा पड़ेगी। इसके अलावा वर्तमान रेलवे लाइन और राष्ट्रीय राजमार्ग का कम उपयोग हो रहा है! तथा रेलवे विभाग द्वारा किसी विकल्प की जांच नहीं की है। इसलिए मंत्रालय ने रेल मंत्रालय को क्षेत्रीय मुख्य यन संरक्षक, बंगलौर के साथ परामर्श करके प्रस्ताव की गहराई से पुनरीक्षा और वन क्षेत्र के प्रयोग को कम करने की सलाह दी है बाद में दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा राज्य सरकार की सिफारिश के बिना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। मंत्रालय ने संशोधित प्रस्ताव/ दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा सुझाए गए संशोधन पर राज्य सरकार की टिप्पणी मांगी है। राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।

वन सलाहकार समिति

719. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "वन सलाहकार समिति" गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यकरण क्या हैं; और

(ग) देश के वन संसाधन का संरक्षण करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) जी हां।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिनांक 12-12-2006 के आदेश के तहत निम्नलिखित सदस्यों के साथ वन सलाहकार समिति का गठन किया है।

(i)	वन महानिदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	–	अध्यक्ष
(ii)	अपर वन महानिदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	–	सदस्य
(iii)	अपर आयुक्त (मृदा संरक्षण) कृषि मंत्रालय	–	सदस्य
(iv)	प्रो. (ख्ययातिप्राप्त) जे.एस. सिंह, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय	–	सदस्य
(v)	श्री एम. कमल नायडू, सेवानिवृत मुख्य वन्यजीव वार्डन	–	सदस्य
(vi)	डा. ए.एस. डोगरा, सेवानिवृत प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब	–	सदस्य
(vii)	वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	–	सदस्य सचिव

यद्यपि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के उक्त आदेश पर 15-12-2006 को रोक लगा दी थी और मामला अभी भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अनुसार केन्द्र सरकार निम्नलिखित के संबंध में उन व्यक्तियों की एक समिति गठित कर सकती है जिस वह सरकार को सलाह देने के लिए उपयुक्त समझती हो:-

(i) धारा 2 के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान करना और

(ii) वन संरक्षक के संबंध में कोई अन्य मामला जिसे इसके द्वारा केन्द्र सरकार को भेजा गया हो।

गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए वनभूमि के प्रयोग को नियमित करने लिए भारत की संसद ने विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को लागू किया है। अधिनियम के अंतर्गत गठित वन सलाहकार समिति गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वनभूमि के वनेतर प्रयोग के प्रस्तावों की जांच करती है और वन और पर्यावरण के प्रस्तावों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने की कतिपय शर्तों पर अनुमोदन प्रदान करने के संबंध केन्द्र सरकार को सलाह देती है। इस समय सलाहकार समिति भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक के कारण विद्यमान नहीं है और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वनभूमि का वनेतर प्रयोग नहीं हो रहा है। वन भूमि के वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावों की जांच की कार्रवाई केवल माननीय न्यायालय द्वारा ऊपर उल्लिखित मामले में अंतिम फैसला देने के बाद ही होगी।

केरल में कृषि की दशाओं में सुधार

720. श्री पी.सी. थामस: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल के इदुक्की एवं अलपुझा जिलों में कृषि की दशाओं में सुधार करने संबंधी विशेष योजना का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु कितना धन आवंटित/जारी/उपयोग किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। कार्य योजना में शामिल है:-

(i) अलापुज्जा जिले में कुटानाद नमी भूमि के संरक्षण तथा विकास हेतु अध्ययन करने और कार्यक्रमों का सुझाव देने के लिए एक बहु-विषयक दल का गठन;

(ii) मिशन मोड में रोपण फसलों के जीर्णोद्धार के लिए कार्यक्रम शुरू करना;

(iii) केरल में नारियल की खेती को पुनर्जीवित करना;

(iv) राज्य में नए मछली पत्तनों का निर्माण; और

(v) इन दो जिलों के सभी पात्र किसानों को संस्थागत ऋण कवरेज।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में पेट्रो रसायन इकाइयों की स्थापना

721. श्री परसुराम माझी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा में पेट्रो रसायन इकाइयों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) अब तक राज्य में विद्यमान इकाइयों के संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड ने समेकित पेट्रोरसायन उत्पादों अर्थात: स्टायरिन 60,000 टन प्रति वर्ष, पॉलीप्रोपाइलिन 680,000 टन प्रति वर्ष एवं पारा-जाइलिन 12,00,000 टन प्रति वर्ष क्षमता के साथ 15 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाली एक ग्रास रूट रिफाइनरी को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव किया है। यह परियोजना 25,600 करोड़ रु. के अनुमानित निवेश से वर्ष 2011-12 तक उड़ीसा के पारादीप में स्थापित की जानी है। द्वितीय चरण में, आई.ओ.सी. तरल क्रैकर इकाई एवं संबद्ध डाउनस्ट्रीम पेट्रोरसायन परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है। तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता अध्ययन जल्दी ही शुरू किए जाने की संभावना है।

(ग) धेनकेनाल, उड़ीसा में केवल एक पेट्रोरसायन इकाई आई.पी.सी.एल. प्रचालन में है। यह इकाई 35,000 टन प्रति वर्ष की संस्थापित क्षमता के साथ पॉलीस्टर स्टेपल फाइबर (पी.एस.एफ.) का विनिर्माण कर रही है।

एन.आई.पी.ई.आर. की स्थापना

722. श्री मधुसूदन मिस्त्री: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के कुछ राज्यों में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजूकेशनल रिसर्च (एन.आई.पी.ई.आर.) जैसे संस्थानों की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये राज्य-वार कहां स्थित हैं; और

(ग) इनकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) भारत में नाइपर जैसे और अधिक संस्थानों की स्थापना की आवश्यकता को महसूस करते हुए रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा औषध क्षेत्र एवं नाइपर, मोहाली से विशेषज्ञों को शामिल करके एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2006 में सौंप दी एवं देश के अन्य भागों में नाइपर जैसे संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की है। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने तदनुसार, नाइपर जैसे संस्थान या इसके केन्द्र स्थापित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तथापि, इस संबंध में सरकार द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) नाइपर जैसे और संस्थान या इनके केन्द्रों की स्थापना 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि में शुरू करने का प्रस्ताव है। योजना आयोग द्वारा अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

राष्ट्रीय जल बोर्ड की बैठक

723. **श्री मिलिन्द देवरा:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 05 जनवरी, 2007 को आयोजित राष्ट्रीय जल बोर्ड की बैठक में सिंचाई परियोजनाओं को आरंभ किए जाने से पूर्व केन्द्रीय जल आयोग, वन संरक्षण अधिनियम जैसे अभिकरणों से पूर्व-मंजूरी एवं पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने को अनिवार्य बनाया गया था, जिसमें कई राज्यों के जल संसाधन सचिवों एवं सिंचाई विशेषज्ञों ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो निर्माणाधीन परियोजनाओं को भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) राज्यों की भविष्य की सिंचाई परियोजनाओं पर इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव): (क) राष्ट्रीय जल बोर्ड (एन.डब्ल्यू.बी.) ने 05 जनवरी, 2007 को आयोजित अपनी 12वीं बैठक में यह पाया कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत ऐसी बहुत सी निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं जो समय पर सहायता प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं जिसका मुख्य कारण ऐसी परियोजनाओं को पूर्व स्वीकृति के बिना प्रारंभ किया जाना है। अतः राष्ट्रीय जल बोर्ड ने सिफारिश की है कि ऐसी परियोजनाओं को तत्काल स्वीकृति दी जानी चाहिए तथा नई परियोजनाओं को सभी संबंधितों से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद प्रारंभ किया जाए। बोर्ड ने यह भी सिफारिश की है कि केन्द्रीय अभिकरण परियोजना प्रस्तावों की जांच और स्वीकृति संबंधी प्रक्रिया में तीव्रता लायेंगे।

(ख) और (ग) उपर्युक्त सिफारिश राज्य सरकारों को समय पर केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में है।

[हिन्दी]

पशु चिकित्सालय/औषधालय खोलना

724. **श्री गणेश सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में कार्यरत अस्पतालों/औषधालयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितना धन उपलब्ध कराया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर उक्त सुविधाओं से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में नए पशु चिकित्सालय/औषधालय खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के सभी गांवों में उक्त अस्पताल/औषधालय कब तक खोले जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) देश में 8,720 पोलीक्लीनिक/अस्पताल, 17,820 औषधालय तथा 25,433 पशुचिकित्सा सहायता केन्द्र (स्टाकमेन केन्द्र/स्वचालित औषधालय) काम कर रहे हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) चूंकि पशुपालन राज्य का विषय है, अतः पशुचिकित्सा अस्पताल/औषधालय खोलने के लिए किसी भी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है। पशुधन की संख्या तथा उपलब्ध संसाधनों पर आधारित किसी खास क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा पशुचिकित्सा अस्पताल/औषधालय खोले जाते हैं।

विवरण

पशुधन संस्थानों का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	पशुचिकित्सा अस्पताल/ पोलीक्लीनिक	पशुचिकित्सा औषधालय	पशुचिकित्सा सहायता केन्द्र/स्टाकमेन केन्द्र/ स्वचालित औषधालय
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	304	1793	2879
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	93	189
3.	असम	26	434	1213
4.	बिहार	29	428	1213
5.	छत्तीसगढ़	208	703	34
6.	गोवा	5	21	52
7.	गुजरात	14	478	589
8.	हरियाणा	620	864	776
9.	हिमाचल प्रदेश	334	1520	14
10.	जम्मू-कश्मीर	303	1585	14
11.	झारखण्ड	405	3	–
12.	कर्नाटक	294	1451	2029
13.	केरल	260	833	26
14.	मध्य प्रदेश	565	1742	72
15.	महाराष्ट्र	43	1390	2113
16.	मणिपुर	55	101	29
17.	मेघालय	4	65	153
18.	मिजोरम	5	35	103
19.	नागालैण्ड	4	27	127
20.	उड़ीसा	13	527	2939
21.	पंजाब	1375	1478	45

1	2	3	4	5
22.	राजस्थान	1437	285	1727
23.	सिक्किम	12	25	58
24.	तमिलनाडु	167	922	2407
25.	त्रिपुरा	15	56	375
26.	उत्तर प्रदेश	1758	268	2289
27.	उत्तरांचल	284	11	599
28.	पश्चिम बंगाल	110	612	3325
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	10	11	7
30.	चंडीगढ़	5	9	1
31.	दादर एवं नगर हवेली	1	0	10
32.	दमन एवं दीव	0	2	3
33.	दिल्ली	49	27	1
34.	लक्षद्वीप	3	6	14
35.	पांडिचेरी	2	15	8
	कुल	8720	17820	25433

स्रोत: राज्य के पशुपालन विभाग (विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2005-06) से अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार।

[अनुवाद]

पोरबंदर में उच्च प्रौद्योगिकी युक्त निगरानी केन्द्र की स्थापना

725. एडवोकेट सुरेश कुरूप: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पोरबंदर में उच्च प्रौद्योगिकी युक्त निगरानी केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां। भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्रों में गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयानों के संचालन की प्रभावी निगरानी, नियंत्रण और प्रबंधन के उद्देश्य से सरकार का जलयान निगरानी प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) इस केन्द्र को पोरबंदर में स्थापित किया जाएगा। प्रारंभिक लागत अनुमानत: 130 लाख रुपए है। केन्द्र का संचालन भारतीय तटरक्षक द्वारा किया जाएगा। इस केन्द्र का उद्देश्य हमारे जल क्षेत्र में अवैध, बिना बताए हुए और अविनियमित मात्स्यिकी को रोकना है।

फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन को सहायता

726. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड से वित्तीय सहायता/ऋण हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी, हां। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (ए.एम. आई.एफ.पी.डी.सी.एल.) ने अपने कर्मचारियों के वेतन/दिहाड़ियों के आवश्यक दायित्व और कारपोरेशन की अन्य सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान सरकार को 10.49 करोड़ रु. की गैर-योजना ऋण सहायता का एक अनुरोध भेजा है।

वित्त मंत्रालय से अनियार्य अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, 20-02-2007 को आवश्यक वित्तीय मंजूरी जारी कर दी गई है।

पेयजल पाइपलाइन को पर्यावरणी मंजूरी

727. श्री पी.एम. गढ़वी:

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने अम्बाजी टाउन के लिए पेय जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाने की अनुमति हेतु सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त पेयजल पाइपलाइनों से संबंधित प्रस्तावों को इस मंत्रालय से पर्यावरणीय मंजूरी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

गन्ने का लाभकारी मूल्य

728. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चीनी की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए गन्ने का उत्पादन पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो देश में गन्ने के उत्पादन और आवश्यकता के बीच अंतर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या देश के गन्ना उत्पादकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। देश में गन्ने का उत्पादन चीनी की स्वदेशी जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ख) गन्ने का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, 23 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कृषि के बृहत प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत गन्ना आधारित फसल प्रणाली के सतत् विकास (एस.यू.वी.ए.सी.एस.) की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम में फील्ड प्रदर्शनों के लिए सहायता, किसानों तथा विस्तार कर्मियों के प्रशिक्षण, फार्म उपकरण/मशीनरी, ताप उपचार संयंत्रों, पौध रोपण सामग्री के उत्पादन और ड्रिप सिंचाई के लिए सहायता की व्यवस्था है।

इसके अलावा उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय रोपण सामग्री के उत्पादन, सिंचाई प्रयोजनों, उन्नत किस्मों की ओर परिवर्तन के लिए किसानों को प्रोत्साहन, रतून प्रबंधन, टिश्यु कल्चर प्रयोगशालाओं आदि के लिए मिल क्षेत्रों में गन्ने के विकास के लिए चीनी विकास निधि (एस.डी.एफ.) से चीनी मिलों को उदार शर्तों पर ऋण प्रदान कर रहा है।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार प्रत्येक चीनी मौसम के लिए गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एस.[illegible].) घोषित करती है। एस.एम.पी. गन्ने के उत्पादन की [illegible] वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों को प्रतिलाभ, कृषि जिन्सों के मूल्यों के सामान्य रुख, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता जिस पर मूल्य चीनी उत्पादकों द्वारा गन्ने से उत्पादित चीनी बेची जाती है और गन्ने से प्राप्त होने वाली चीनी आदि कारकों पर आधारित होती है।

गन्ना किसानों को और अधिक गन्ना उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, 2007-08 चीनी मौसम के लिए एस.एम.पी. 81.18 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है जो प्राप्ति में प्रत्येक 0.1% वृद्धि के लिए 0.90 रुपए के प्रीमियम की शर्त पर 9% की मूल प्राप्ति से जुड़ी है।

गन्ना उत्पादकों को पैकेज

729. श्री हरिसिंह चावड़ा:

श्री वी.के. दुग्मर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गन्ना किसानों को उनकी ऋणग्रस्तता से मुक्त करने तथा आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने हेतु उन्हें समर्थ बनाने के लिए विशेष पैकेज प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी निधियां आवंटित की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) गन्ने का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए गन्ना आधारित फसल पद्धति का कार्यान्वयन वर्ष 2000 से 23 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कृषि की बृहत प्रबंधन प्रणाली में किया जा रहा है। कोई अन्य प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

पी.सी.पी.आई.आर. संबंधी कृतिक बल

730. श्री के.एस. राव:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

श्री मधुसूदन मिस्त्री:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पी.सी.पी.आई.आर.) के संबंध में गठित कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इन्हें कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्रों (पी.सी.पी. आई.आर.) पर एक कार्यदल का गठन त्वरित एवं समन्वित निर्णय लेने एवं पेट्रोलियम, रसायन व पेट्रोरसायन के क्षेत्र में विश्वस्तरीय विकासकर्ताओं व निवेशकों को शामिल करके अपेक्षित पैमाने व स्तर की सुविधाओं सहित निवेश क्षेत्रों के विकास के लिए समुचित नीतिगत रूपरेखा उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। नीति प्रारूप स्तर पर है। स्थानों, निजी भागीदारी एवं अन्य मुद्दों पर अंतिम नीति के अनुरूप ही विचार किया जाएगा।

सेट टॉप बॉक्स की कमी

731. श्री रेवती रमन सिंह:

डा. राजेश मिश्रा:

श्री रशीद मसूद:

श्री जे.एम. आरून रशीद:

श्री एम. अप्पादुरई:

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

श्री अवतार सिंह भड़ाना:

श्री सज्जन कुमार:

श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सी.ए.एस.) को पूरी तरह क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सी.ए.एस./ डिश टी.वी. के माध्यम से एवं सी.ए.एस. के बिना केबल टी.वी. देखने के लिए कितने मासिक प्रभारों का भुगतान किया जाएगा;

(ग) इस पर केबल आपरेटरों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) सरकार द्वारा कितने शहरों में सेट टॉप बॉक्स योजना की शुरुआत की गई है;

(ङ) क्या देश में सी.ए.एस. के अन्तर्गत अपेक्षित सेट टॉप बॉक्स की काफी कमी है;

(च) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(छ) किन-किन कंपनियों द्वारा सेट टॉप बॉक्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (घ) जी, हां। सर्शत पहुंच प्रणाली (कैस) को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नै के अधिसूचित क्षेत्रों में कार्यान्वित कर दिया गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दिनांक 31-08-2006 को न्यूनतम 30 फ्री-टु-एयर चैनल वाली बेसिक सर्विस टियर को देखने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा देय मासिक प्रभारों के रूप में 77/- रु. (कर अतिरिक्त) नियत किया है और पेश किए जाने वाले अतिरिक्त फ्री-टु-एयर चैनलों के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाना होगा। कैस प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ता केवल उन सशुल्क चैनलों के लिए भुगतान करेंगे जिन्हें वे देखते हैं और उसके लिए अधिकतम फुटकर कीमत 5/-रु. प्रति सशुल्क चैनल प्रति माह (कर अतिरिक्त) की दर से नियत की गयी है। उक्त आदेश में सेट टॉप बॉक्सों की किराया स्कीम भी अधिसूचित की गयी है। गैर-कैस क्षेत्रों के लिए दिनांक 1-10-2004 के प्रशुल्क आदेश में व्यवस्था है कि किसी उपभोक्ता द्वारा देय कीमत वही होगी जो कि दिनांक 26-12-2003 को प्रचलित थी लेकिन इसके साथ 7% की आवर्धित राशि का भी भुगतान करना होगा। यदि दिनांक 26-12-2003 के पश्चात् किसी नए सशुल्क चैनल को शुरू किया जाता है, तो शुल्क प्रभारों में वृद्धि का प्रावधान है। डायरेक्ट-टु-होम सेवाओं के संबंध में ट्राई में कोई कीमतें निर्धारित नहीं की हैं। केबल ऑपरेटरों सहित सभी स्टेकहोल्डरों ने कैस स्कीम की कार्यान्वयन प्रक्रिया में भाग लिया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रशन नहीं उठता।

(छ) न तो सरकार ने और न ही ट्राई ने कोई एजेंसी निर्धारित की है जिससे सेट टॉप बॉक्स खरीदे जा सकें और न ही आपूर्तिकर्ताओं की कोई सूची रखी जाती है। तथापि, ट्राई ने दिनांक 23-08-2006 के अपने विनियम में यह निर्धारित किया है कि सप्लाई किए गए सेट टॉप बॉक्सों को सेट टॉप बॉक्सों के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

कृषि उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

732. श्री अमिताभ नन्दी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई.ए.आर.आई.) ने जलबायु परिवर्तन के प्रति कृषि उत्पादन की संवेदनशीलता के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि जलवायु संबंधी परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में चिंताजनक रूप से कमी हो सकती है जिससे देश में खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है; और

(घ) यदि हां, तो खाद्य सुरक्षा तथा जनसंख्या के एक बड़े भाग की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) भारतीय कृषि की अनुकूलता और अतिसंवेदनशीलता पर बदलते जलवायु प्रभाव संबंधी एक नेटवर्क परियोजना भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के समन्वित केन्द्र पर दसवीं पंयवर्षीय योजना के दौरान से चल रही है। परियोजना की अंतरिम वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (2005-06) तैयार की गई है।

(ख) और (ग) यह परियोजना अभी भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कई अनुसंधान संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के 14 सहयोगी केन्द्रों में चल रही है। कोई स्पष्ट निश्चित निष्कर्ष उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, सूखा, बाढ़, लू, पाला, तूफान आदि जैसी तीव्र घटनाओं की प्रबलता में वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश में विशेषरूप से तापमान और वर्षा में कुछ परिवर्तन का संकेत मिला है, जो फसल उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है। भौगोलिक तपन के कारण तापमान में बढ़ोतरी होने से फसल वर्धन प्रक्रिया प्रभावित होगी और इसलिए उत्पादकता पर भी प्रभाव पड़ेगा।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने विभिन्न संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से संभावित रणनीतियों की जांच कर रही है जो बदलते जलवायु के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में उपयोगी सिद्ध हो सके। देश भर में संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों जैसे कि शून्य जुताई पर अनुसंधान तीव्रता से किया गया है। रोपाई की तिथि और उन्नत किस्मों के विकास द्वारा फसल प्रबंधन के समायोजन से ज्यादातर इन नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है।

भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है जैसे (i) बारानी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जलसंभर विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.) (ii) रिवर वैली प्रोजेक्ट और फ्लड प्रोन रिवर (आर.वी.पी. एण्ड एफ.पी.आर.) के आवाह-क्षेत्रों में अपकृष्ट भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण, (iii) ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम (डी.पी.ए.पी.), (iv) डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम (डी.डी.पी.), (v) इंटिग्रेटेड वेस्ट-लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) आदि देश में टिकाऊ कृषि विकास के लिए जल, भूमि, पोषण और कीटनाशियों आदि के कार्यक्षम उपयोग बढ़ाने हेतु संसाधन संरक्षण कार्यक्रम और स्कीमें। इन कार्यक्रमों के अलावा, सरकार ने इस दिशा में अनुसंधान क्रियाकलापों को भी शुरू किया है।

ब्याज परिदान योजना

733. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 2006 में राज्यों के मुख्य मंत्रियों की केन्द्र सरकार के साथ बैठक हुई थी जिसमें किसानों को सस्ते ब्याज पर ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज परिदान योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों में इस योजना के क्रियान्वयन में कतिपय कठिनाइयों का उल्लेख किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) किसानों को 3 लाख रुपए की मूल धनराशि की उच्चतर सीमा तक के फसल ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर पर प्रदान करने के लिए ब्याज अनुदान स्कीम को प्रचालनात्मक बनाने की प्रक्रियाओं पर विचार करने के लिए 8 सितम्बर, 2006 को चुनिंदा राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई।

(ग) और (घ) कुछ राज्य सरकारों ने सहकारी बैंकों के सामने आ रही वित्तीय कठिनाईयों का उल्लेख किया और सहकारी बैंकों की समूची ऋण राशि पर भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान प्रदान करने का अनुरोध किया (नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त समर्थन के अलावा) ताकि किसानों को 7% पर फसल ऋण उपलब्ध कराए जा सकें।

(ड) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) और सहकारी बैंकों को अपने ऋणों पर प्रतिवर्ष 2% का ब्याज अनुदान स्वयं अपने संसाधनों से प्रदान करने और सहकारी बैंकों तथा आर.आर.बी. को नाबार्ड से अपने उधार रियायती दर पर पुनर्वित्त करने का निर्णय लिया है। यह अनुदान वर्ष 2007-08 में भी जारी रहेगा।

[हिन्दी]

दुग्ध एवं डेयरी विकास

734. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर महाराष्ट्र के शोलापुर क्षेत्र में दुग्ध एवं डेयरी विकास की संभावना का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) जी, नहीं। भारत सरकार ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है। तथापि, डेयरी विकास से संबंधित राज्य सरकारों के परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाता है तथा डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों/राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नाबार्ड को केन्द्रीय सहायता दी जाती है। चार योजनाएं नामत: (1) सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (2) सहकारिताओं को सहायता (3) गुणवत्ता तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचा (4) डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूंजी कोष पूरे देश में क्रियान्वित की जा रही हैं।

किसानों के लिए पैकेज का क्रियान्वयन

735. श्री पंकज चौधरी:

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

श्री सुव्रत बोस:

श्री विजय कृष्ण:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आत्महत्या प्रवण जिलों के किसानों के लिए राहत पैकेज के क्रियान्वयन और निधियों के उपयोग की समीक्षा के लिए निगरानी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज लक्षित व्यक्तियों तक पहुंच रहा है;

(घ) यदि हां, तो जारी की गई राशि तथा किसानों को वास्तविक रूप से संवितरित राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने आत्महत्या कर चुके किसानों के आश्रितों/विधवाओं के लिए कोई योजना तैयार की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(छ) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी निधियां आबंटित की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) 31 चिन्हित आत्महत्या संभावित जिलों में किसानों के लिए पुनर्वास पैकेज की मानेटरिंग तीन स्तरों पर की जाती है यथा - भारत सरकार, राज्य और जिला स्तर। भारत सरकार पैकेज के कार्यान्वयन की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करती है। राज्य स्तर पर पैकेज की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समन्वय एवं पर्यवेक्षण समिति द्वारा की जाती है और पैकेज के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति होती है।

(ग) और (घ) जी हां, ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) से (छ) विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में जरूरतमंद ऋणग्रस्त किसानों और उनके परिवारों को खर्च के लिए सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पी.एम.एन.आर.एफ.) से 50 लाख रुपए प्रति जिले की दर से सहायता प्रदान की गई है।

विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	मद	राज्य			
		आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटक	केरल	महाराष्ट्र
1.	ऋण का पुनर्निधारण	6965.80	1224.93	347.02	1384.38
2.	अतिदेय ब्याज की माफी	1810.91	286.65	284.42	784.23
3.	नये ऋण प्रवाह	10419.88	2064.48	1933.20	1843.61
4.	बीज प्रतिस्थापन	47.36	0.87	–	25.46
5.	बागवानी विकास	50.00	44.54	14.63	21.20
6.	लघु सिंचाई	80.00	8.28	6.36	12.18
7.	विस्तार सेवाएं	4.67	–	1.17	3.83
8.	सहायक आय संबंधी क्रियाकलाप	29.98	17.70	5.78	17.49

मत्स्यन, डेयरी एवं पशुपालन का योगदान

736. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

श्री काशीराम राणा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नौवीं एवं दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल सकल घरेलू उत्पाद में मत्स्यन, डेयरी एवं पशुपालन क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन क्षेत्रों को आबंटित धन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त क्षेत्रों के विकास हेतु यह धन पर्याप्त नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इन क्षेत्रों को पर्याप्त धन उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन का अंशदान

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	पशुधन और मात्स्यिकी क्षेत्रों से मौजूदा मूल्य पर जी.डी.पी.	मौजूदा मूल्य पर देश का कुल जी.डी.पी.	मौजूदा मूल्य में कुल जी.डी.पी. में पशुधन और मात्स्यिकी क्षेत्र का अंशदान प्रतिशत (%)
नौवीं योजना			
1997-98	99196	1390148	7.1
1998-99	109263	1598127	6.8
1999-00	113636	1786525	6.4
2000-01	125995	1925416	6.5
2001-02	132409	2100187	6.3
दसवीं योजना			
2002-03	140287	2265304	6.2
2003-04	145201	2549418	5.7
2004-05	154586	2855933	5.4
2005-06	171964	3250932	5.3
2006-07	उपलब्ध नहीं	3717465	उपलब्ध नहीं

टिप्पणी: 1997-98 और 1998-99 के लिए आंकड़े आधार वर्ष 1993-94=100 के साथ राष्ट्रीय लेखों के पुराने क्रम के अनुसार है। 1999-2000 से आगे के आंकड़े आधार वर्ष 1999-2000 के साथ राष्ट्रीय लेखों के नए क्रम के अनुसार है।

(ख) नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन क्षेत्रों को आबंटित की गई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में)

योजना	पशुपालन	डेयरी विकास	मात्स्यिकी
नौवीं योजना	772.02	251.95	649.53
दसवीं योजना	1384.00	361.00	740.00

(ग) और (घ) धन की उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए, समय के साथ-साथ इन क्षेत्रों के लिए आबंटन को बढ़ा दिया गया है जो निम्न प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	किया गया आबंटन	
	2002-03	2006-07
पशुपालन	156.48	415.00
डेयरी विकास	37.02	79.00
मात्स्यिकी	102.00	277.00

[अनुवाद]

श्रमजीवी पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड

737. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री एस.के. खादरवेनथन:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का श्रमजीवी पत्रकारों और गैर पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए वेतन बोर्डों का गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य संघटन एवं विचारार्थ विषय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त दोनों बोर्ड क्रियान्वयन हेतु अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में इसका क्रियान्वयन किस प्रकार किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों के संबंध में मजदूरी दरों के निर्धारण अथवा संशोधन के प्रयोजन के लिए, सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 की धारा 9 और 13 (ग) के अंतर्गत क्रमश: दो वेतन बोर्डों के गठन का निर्णय लिया है। वेतन बोर्डों में शामिल होंगे:

(i) समाचार-पत्र प्रतिष्ठान के संबंध में नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति;

(ii) धारा 9 के अंतर्गत वेतन बोर्ड के लिए श्रमजीवी पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति और अधिनियम की धारा 13 (ग) के अंतर्गत वेतन बोर्ड के लिए गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति;

(iii) चार स्वतंत्र व्यक्ति, उनमें से एक वह व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश हो अथवा रहा हो और जिसे सरकार द्वारा इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जायेगा।

अध्यक्ष सहित समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि और स्वतंत्र सदस्य दोनों वेतन बोर्डों के लिए एक ही होंगे।

(ग) वेतन बोर्डों के गठन की अधिसूचना पणधारियों (स्टेक होल्डर्स) से प्राप्त नामांकनों पर समुचित विचार-विमर्श के पश्चात् की जायेगी।

(घ) जी, हां।

(ङ) संशोधनों, यदि कोई हों, के अध्यधीन, सिफारिशें विभिन्न राज्यों में समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों द्वारा क्रियान्वयन के लिए श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) और विविध प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 की धारा 12 में समाविष्ट उपबंधों के अनुसार सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जायेंगी।

समुद्री पार्क

738. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में कुछ समुद्री पार्क स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अनुसार किसी ऐसे क्षेत्र जिसमें राष्ट्रीय समुद्री पार्क शामिल है, को राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य घोषित करने का अधिकार संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को है। तथापि यदि किसी प्रादेशिक क्षेत्र का जल इसमें शामिल किया जाना हो तो संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्व सहमति लेनी होगी। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त सूचना के अनुसार समुद्री पार्क स्थापित करने के लिए केवल एक प्रस्ताव अण्डमान और निकोबार प्रशासन से प्राप्त हुआ है जो कि रानी झांसी राष्ट्रीय समुद्री पार्क के नाम से जाना जाता है तथा यह अंडमान समुद्र के पूर्वी तट के रिचीज आर्चिपिलागो पर स्थित है यह तीन द्वीपों अर्थात् आउट रैम द्वीप, जॉन लॉरेन्स द्वीप और हेनरी लॉरेन्स द्वीप से घिरा हुआ है और इन द्वीपों के चारों तरफ समुद्र भी है।

(ग) कार्रवाई अण्डमान और निकोबार प्रशासन के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

धाना अभयारण्य में प्रवासी पक्षी

739. श्री मोहन सिंह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के केवलादेव स्थित धाना पक्षी अभयारण्य में बहुत से प्रवासी पक्षी आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यहां पहुंचने वाले पक्षियों की संख्या में निरन्तर कमी आने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इस स्थान को प्रवासी पक्षियों हेतु और अधिक आकर्षित करने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी हां। राजस्थान राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, इस सीजन के दौरान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से प्रवासी पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में सूचना मिली है। इनमें ग्रे लेग गीज, बार हेडेड गीज, रुडी शेलडक, कॉमन टील, विगेन, कॉमन पोचार्ड, टफ्टेड पोचार्ड, गैडवेल शोवेलर, कूट्स, कॉमन क्रेन, ईगल, फॉल्कन, शिक्रा, हैरियरस, व्हाईट टेल्ड लैपविंग और वेडर्स और आरबोरिअल पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं।

(ग) उद्यान में पहुंचने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी आने का मुख्य कारण वहां स्थित नमभूमियों में पानी की कमी है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम - 'राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास', के अंतर्गत, भारत सरकार, राजस्थान सरकार को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण और विकास हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। विभिन्न गतिविधियों, जिनके लिए सहायता मुहैया कराई जाती है उनमें वासस्थलों में वृद्धि करना, खर-पतवार हटाना, नमभूमि का विकास, अवसंरचना विकास आदि शामिल है।

सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य

740. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों ने चालू वर्ष के दौरान देश में सरसों की बहुत अच्छी पैदावार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों को अपनी पैदावार का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरसों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने हेतु सरकार द्वारा की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खरीद एजेन्सियां इस पैदावार को बहुत कम मात्रा में खरीद रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या आने वाली ऋतु में कम कीमत पर सरसों के आयात की सम्भावना है; और

(छ) यदि हां, तो घरेलू किसानों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) देश में सरसों/रेपसीड का उत्पादन वर्ष 2006-07 के लिए 75.68 लाख टन अनुमानित किया गया है। यह 2005-06 में उत्पादित 81.31 लाख टन से कम है।

(ख) से (ङ) वर्ष 2006-07 के लिए सरसों/रेपसीड के न्यूनतम समर्थन मूल्य 1715 रुपए प्रति क्विंटल है। विपणन सूचना के अनुसार, जनवरी,' 2007 के अन्त तक दो प्रमुख विपणनों में सरसों/रेपसीड के थोक मूल्य राजस्थान (हिण्डौन मार्किट) में 1700 रुपए प्रति क्विंटल तथा दिल्ली में 1910 रुपए प्रति क्विंटल के बीच रहे। भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ प्रति वर्ष सरसों/रेपसीड का प्रापण कार्य करने वाली नोडल एजेन्सी है।

रबी वर्ष 2006 के दौरान, नैफेड ने 22.05 लाख मीट्रिक टन सरसों के बीज का प्रापण किया है। नैफेड ने रबी 2007 के लिए सरसों/रेपसीड के लिए प्रापण कार्य करने के लिए भी प्रबन्ध कर लिए हैं।

(च) विदेश व्यापार महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जून, 2006-07 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान, सरसों के बीज का आयात 680 टन रहा। यूनिट मूल्य 19,603.00 रुपए प्रति टन है (1 टन = 1000 किलोग्राम) आयात के मूल्य विपणन बल पर निर्भर है।

(छ) घरेलू किसानों के हितों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार ने पहले ही रबी 2007 सरसों/रेपसीड के लिए 1715 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए हैं। इसने सभी उत्पादित राज्यों में प्रापण कार्यों के लिए भी प्रबन्ध किए हैं।

[अनुवाद]

गेहूं आयात का कीमतों पर प्रभाव

741. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शुल्क मुक्त गेहूं आयात से घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतों पर प्रभाव का आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) सरकार ने 9 सितम्बर, 2006 से निजी व्यापारियों को शुल्क मुक्त ड्यूटी पर गेहूं का आयात करने की अनुमति दी है। गेहूं के आयात से घरेलू उपलब्धता में सुधार हुआ है। तथापि, आयात का गेहूं की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव का ठीक-ठीक आकलन नहीं किया जा सकता है क्योंकि बाजार मूल्य घरेलू मांग, उत्पादन, आयात, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों आदि जैसे मांग और आपूर्ति के अनेक कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं।

उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि

742. श्री जुएल ओराम: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ख) आगामी वर्षों में यूरिया की खपत में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई मूल्य निर्धारण योजना के चरण-III में यूरिया के अतिरिक्त उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए नीति की घोषणा की है। यह नीति गुणानुक्रम अधिप्राप्ति के अध्यधीन प्रोत्साहन प्रणाली प्रारम्भ करके मौजूदा यूरिया इकाइयों की अपनी स्थापित क्षमता का 100% से अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यूरिया के अतिरिक्त उत्पादन के लिए सरकार की पूर्वानुमति लेने की नीति को समाप्त कर दिया गया है। नई/विस्तार परियोजनाओं से सम्बन्धित गुणावगुण और अन्य प्रस्तावों के आधार पर सरकार विदेशों में संयुक्त उद्यमों के साथ दीर्घकालिक वापसी खरीद की व्यवस्था भी करेगी या ऐसी व्यवस्था को प्रोत्साहन भी देगी।

जल संकट

743. श्री अधीर चौधरी:

श्री निखिल कुमार:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में कहा, है कि 'इण्डियाज लार्ज-वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर इज क्रमबलिंग' जैसा कि दिनांक 17 दिसम्बर, 2006 के "द स्टेट्समैन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या भावी जल संकट के मद्देनजर विद्यमान

जल प्रबंध कार्यविधियों में तुरंत परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) स्टेट्समैन में 17 दिसम्बर, 2006 को प्रकाशित समाचार शीर्ष वर्ष 2005 में "इण्डियाज वाटर इकोनामी; ब्रेसिंग फार ए टर्बुलेंट फ्यूचर" नामक शीर्षक से विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट की ओर संकेत करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत के वृहद जल अवसंरचना की स्थिति के संबंध में लेखक के दृष्टिकोणों को भी प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट में भारत में जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर सामान्य चर्चा की गई है तथा इसमें निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में विस्तारपूर्वक विवरण दिया गया है:

(1) परिवर्तनशील भारत की जरूरतों के अनुसार समायोजन करना;

(2) कमी और अत्यधिक अंतर को समायोजित करना;

(3) बढ़ते संघर्षों से निपटना;

(4) मौजूदा अवसंरचना का अनुरक्षण और नवीकरण;

(5) कम सुविधाप्राप्त क्षेत्रों और कम सुविधाप्राप्त सार्वजनिक प्रयोजनों में अवसंरचना निर्माण;

(6) विकास से प्रबंधन और विकास की ओर बढ़ना;

(7) संकटग्रस्त जल भविष्य से निपटने के लिए सरकारी मशीनरी को पुनर्जीवित करना; और

(8) सुधार के लिए एक प्राथमिकता युक्त, क्रमबद्ध, व्यवहारिक समाधान तैयार करना।

जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन संबंधी स्कीमें राज्य सरकारों द्वारा प्रारंभ की जाती हैं। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन के लिए विभिन्न उपाय प्रारंभ किए जाते हैं जिसमें भण्डारणों का सृजन, जल निकायों का पुनरुद्धार, वर्षा जल संचयन, कृत्रिम भूजल पुनर्भरण और बेहतर प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना, आदि शामिल है। राज्य सरकार जल संसाधन के उपयोग के लिए वृहद, मध्यम एवं लघु स्कीमों की तैयारी, आयोजना एवं कार्यान्वयन करती है। भारत सरकार विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराती है। भारत सरकार, जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को भी प्रोत्साहित करती है।

राष्ट्रीय जल नीति में जल क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए विधिवत बल दिया गया है तथा इसे देश में व्याप्त सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को उपयुक्त ध्यान देते हुए कार्यान्वित करना है।

राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना

744. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एन.ए.टी.पी.) वर्ष 2005 में बंद कर दिये जाने के कारण संतोषप्रद स्तर तक पहुंचने में असफल हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या परियोजना अनुसंधान के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित करने में अधिक प्रगति प्राप्त करने में असफल हो गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) यह परियोजना 5 वर्ष (नवम्बर, 1998 से दिसम्बर, 2003) के लिए अनुमोदित की गई थी तथा इसका कार्यकाल 1½ वर्ष बढ़ाने के बाद जून, 2005 में समाप्त की गई। विश्व बैंक तथा भारतीय प्रतिपक्षों द्वारा तैयार की गई मूल योजना अनुसूची के अनुसार परियोजना पूरी की गई। विश्व बैंक ने अपनी कार्यान्वयन समापन रिपोर्ट (आई.सी.आर.) में विकासात्मक उद्देश्यों के अनुसार सभी घटकों में उपलब्धियों की दृष्टि से परियोजना को संतोषजनक माना है।

(ग) और (घ) अनुसंधान में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का विकास करना परियोजना का उद्देश्य नहीं था।

तेंदुओं का भाग जाना

745. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में असम राज्य चिड़ियाघर से एक तेंदुआ भाग गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी घटना की पुनरावृति को रोकने हेतु प्राधिकारियों द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी नहीं। हाल ही में, असम राज्य चिड़ियाघर गुवाहाटी से कोई तेंदुआ नहीं भागा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

फलों तथा सब्जियों की कीमतों में वृद्धि

746. श्री तथागत सत्पथी:

श्री एम. अप्पादुरई:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में देश में फलों तथा सब्जियों की कीमतों में चिन्ताजनक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कीमतों को नियन्त्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) 23 दिसम्बर, 2006 से 10 फरवरी, 2007 (नवीनतम उपलब्ध तारीख) तक फलों तथा सब्जियों के थोक मूल्यों के लिए साप्ताहिक मूल्य सूचकांक की नीचे दी गई गति है, दर्शाती है कि जनवरी, 2007 के अन्तिम सप्ताह से फलों के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है। सब्जियों के मूल्यों में जनवरी, 2007 के मध्य तक गिरावट हुई, तथा इसके बाद अवधि के दौरान वृद्धि हुई जिनके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं।

23-12-2006 से 10-2-2007 को समाप्त सप्ताह के लिए फलों तथा सब्जियों के लिए थोक मूल्य सूचकांक
(1993-94=100)

जिन्स	23-12-2006	30-12-2006	6-1-2007	13-1-2007	20-1-2007	27-1-2007	3-2-2007	10-2-2007
सभी	208.0	208.1	208.2	208.3	208.5	208.8	209.2	209.2
सब्जी	188.1	185.7	185.2	177.9	184.4	185.2	188.2	185.3
फल	268.5	271.1	277.8	276.3	274.8	276.6	276.5	277.6

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

(ख) और (ग) फलों तथा सब्जियों के मूल्यों में हाल ही में हुई वृद्धि का कारण मांग की तुलना में कम विपणन आगम है। मूल्य वृद्धि पर नियन्त्रण करने के लिए कुछेक उपाय मूल्यों तथा विपणन आगमों का नियमित मानीटर करना है। माननीय प्रधानमंत्री ने भी राज्य सरकारों को मूल्य वृद्धि में नियन्त्रण के लिए उपाय करने के लिए लिखा है।

इस्पात की बिक्री हेतु नेटवर्क विस्तार

747. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की बिक्री हेतु नेटवर्क विस्तार करने का निर्णय लिया है जैसा कि दिनांक 15 जनवरी, 2007 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे ग्रामीण जनसंख्या को कितना लाभ होने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) सैं , (ग) जी, हां। वितरण नेटवर्क को व्यापक बनाने और देश में इस्पात की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई. एन.एल.) देश के विभिन्न जिलों में अपने डीलर नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं।

दिनांक 1-1-2007 की स्थिति के अनुसार सेल ने 529 जिलों में 651 डीलरों (70 जिलों में लंबित आशय पत्रों को शामिल करते हुए) को डीलरशिप की पेशकश की है। शेष डीलरों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। डीलरशिप देते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के योग्य कार्मिकों को तरजीह दी जाती है।

दिनांक 1-1-2007 की स्थिति के अनुसार आर.आई.एन.एल. ने 99 डीलरों को जिला स्तर की डीलरशिप की पेशकश की है। जिला स्तर की डीलरशिप देते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के कार्मिकों को तरजीह दी जाती है। अब तक नियुक्त किए गए कुल डीलरों में 35 डीलर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के हैं।

अपने ही क्षेत्र में आम उपयोग की इस्पात मदों की बढ़ी हुई उपलब्धता से ग्रामीण जनसंख्या को फायदा होने की उम्मीद है।

वृहत रसायन औद्योगिक सम्पदा की स्थापना

748. प्रो. एम. रामदास: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वृहत रसायन औद्योगिक सम्पदा (एम.सी.आई.ई.) की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किए सलाहकारों ने स्थल अध्ययन रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(घ) उक्त एम.सी.आई.ई. का संगठनात्मक तथा अवसंरचना का गठन कैसा है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (घ) रसायन व पेट्रोरसायन विभाग ने वृहत रसायन औद्योगिक परिसरों (एम.सी.आई.ई.) की स्थापना के लिए संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। उक्त संकल्पना को पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पी.सी.पी. आई.आर.) का रूप दिया गया है जिसके लिए एक कार्यदल का गठन त्वरित एवं समन्वित निर्णय लेने एवं पेट्रोलियम, रसायन व पेट्रोरसायन के क्षेत्र में विश्वस्तरीय विकासकर्ताओं व निवेशकों को शामिल करके अपेक्षित पैमाने व स्तर की सुविधाओं सहित निवेश क्षेत्रों के विकास के लिए समुचित नीतिगत रूपरेखा उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। नीति प्रारूप स्तर पर है। स्थानों, संगठन, अवसंरचना तंत्र एवं अन्य मुद्दों पर अंतिम नीति के अनुरूप ही विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों का उपयोग

749. श्री राजेश मिश्रा:
श्री जे.एम. आरून रशीद:
श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री सज्जन कुमार:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में चिदम्बरम (तमिलनाडु) में पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के संबंध में वैज्ञानिकों की एक गोष्ठी आयोजित हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस गोष्ठी में तथ्य का ब्यौरा क्या है तथा किस निर्णय पर पहुंचे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को चिदम्बरम, तमिलनाडु में पारि-मैत्री ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग के संबंध में हुए वैज्ञानिकों के ऐसे किसी सेमीनार की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि ऋण राहत आयोग

750. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में कार्यरत कृषि ऋण राहत आयोग से संबंधित राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) वे राज्य कौन-कौन से हैं जहां चालू वर्ष के दौरान और निकट भविष्य में उक्त आयोग की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि ऋण राहत आयोग आज की स्थिति अनुसार देश में प्रचालन नहीं कर रहा है।

(ख) केरल विधान सभा ने केरल किसान ऋण राहत आयोग अधिनियम, 2006 बनाया है।

कर्नाटक में चावल की खरीद

751. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में पिछले छह माह के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) द्वारा चावल की कुल कितनी मात्रा खरीदी गयी;

(ख) खरीद का अगला मौसम शुरू होने तक एफ.सी.आई. द्वारा राज्य से चावल की कितनी मात्रा को खरीदे जाने की संभावना है;

(ग) वे जिले कौन-कौन से हैं, जहां एफ.सी.आई. द्वारा चावल का भंडारण किया जा रहा है तथा उसकी मात्रा कितनी है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य के निजी गोदामों में चावल के भंडारण के लिए एफ.सी.आई. ने कितने भंडारण शुल्क का भुगतान किया; और

(ङ) राज्य में भंडारण के खर्च को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि गत छः महीनों के दौरान उन्होंने कर्नाटक में 13,932 मी.टन लेवी चावल की वसूली की है और खरीफ विपणन मौसम, 2006-07 के अंत तक राज्य में 10,000 मी.टन और चावल की वसूली किए जाने की संभावना है।

(ग) जिन जिलों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल का भंडारण किया जा रहा है उनके नाम तथा वहां रखी गई मात्रा नीचे दी गई है:-

1.	मांड्या	6021 टन
2.	मैसूर	378 टन
3.	शिमोगा	7533 टन

(घ) और (ङ) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में निजी गोदामों को किसी भंडारण प्रभार का भुगतान नहीं किया गया। गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में खाद्यान्नों के भंडारण के लिए कोई निजी गोदाम किराए पर नहीं लिया गया। भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय भण्डारण निगम/राज्य भांडागारण निगम से किराए पर लिए गए गोदामों में से कुछेक उनके द्वारा निजी पार्टियों से किराए पर लिए गए थे। भारतीय खाद्य निगम ने यह भी सूचित किया है कि वसूल किए गए चावल के स्टाक को भारतीय खाद्य निगम के स्वयं के गोदामों में भंडारित किया जाता है और अत्यंत आवश्यकता होने पर जब स्वयं के भांडागार पर्याप्त/उपलब्ध नहीं होते हैं तभी राज्य भांडागारण निगम/केन्द्रीय भण्डारण निगम के गोदामों को किराए पर लिया जाता है। भंडारण स्थान की समय-समय पर समीक्षा की जाती है जहां आवश्यकता नहीं होती है वहां गोदाम स्थान को किराए से हटा लिया जाता है।

वेम्बानाड झील का संरक्षण

752. डा. के.एस. मनोज:
श्री वरकला राधाकृष्णन:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार द्वारा राज्य में रामसर में स्थित वेम्बानाड झील के संरक्षण से संबंधित कोई परियोजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी नहीं, चूंकि नमभूमि की हाल ही में राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पहचान की गई है, केरल सरकार को इसके दीर्घावधि संरक्षण हेतु वृहत प्रबंधन कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए सलाह दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उत्पादन में कमी

753. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में देश में कृषि उत्पादन में उत्पाद-वार कितनी मात्रा में वृद्धि/कमी दर्ज की गई; और

(ख) कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) देश में पिछले तीन वर्षों से प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान प्रमुख कृषि उत्पादवार मात्रा में, पंजीकृत वृद्धि/कमी नीचे दी गई है:

(मात्रा मिलियन टनों में)

उत्पाद	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*	वृद्धि/कमी		
					2003-04 से 2004-05	2004-05 से 2005-06	2005-06 से 2006-07
खाद्यान्न	213.19	198.36	208.59	209.17	-14.83	10.23	0.58
तिलहन	25.19	24.35	27.98	23.62	-0.83	3.62	-4.36
गन्ना	233.86	237.09	281.17	315.53	3.23	44.08	34.36
कपास #	13.73	16.43	18.50	20.96	2.70	2.07	2.47

* 05-02-2007 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान

170 किलोग्राम प्रत्येक की मिलियन गांठें।

(ख) देश में अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वृहत प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित योजनाएं चावल आधारित फसल बुआई प्रणाली क्षेत्रों (आई.सी.डी.पी.-चावल), गेहूं आधारित फसल बुआई प्रणाली क्षेत्रों (आई.सी.डी.पी. गेहूं) तथा मोटे अनाज आधारित फसल बुआई प्रणाली क्षेत्रों (आई.सी.डी.पी. मोटे अनाज) को सम्मिलित कर अक्तूबर, 2000 से वृहत कृषि प्रबंधन प्रणाली लागू की जा रही है। स्कीम के अंतर्गत उन्नत/संकर उत्पादन प्रौद्योगिकी, एकीकृत कीट प्रबंधन प्रौद्योगिकी स्थानांतरण, कृषि उपकरण, छिड़काव सिंचाई प्रणाली प्रचालन, विविध प्रतिस्थापित तथा प्रमाणित बीजों के उत्पादन के प्रचार हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

तिलहनों एवं दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम "तिलहन, दालों, पाम ऑयल एवं मक्का की एकीकृत स्कीम एवं मक्का (आई.एस.ओ.पी.ओ.एम.) 1 अप्रैल, 2004 से लागू की जा रही है। इस स्कीम के तहत भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच 75:25 के आधार पर बोए जाने वाले आकार/प्रमाणित बीजों के उत्पादन उत्तम बीज उत्पादन के लिए क्रैश कार्यक्रम तथा मिनीकिट, आधारभूत विकास एवं एकीकृत कीट प्रबंधन के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में गन्ना आधारित फसल बुआई प्रणाली का दीर्घकालीन विकास (एस.यू.बी.सी.ए.एस.) लागू की जा रही है। स्कीम का मुख्य बल क्षेत्र प्रदर्शनों के द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकी का किसानों तक स्थानांतरण, किसानों को प्रशिक्षण, कृषि उपकरणों की आपूर्ति तथा बीज उत्पादन को प्रोत्साहन एवं कीट नियन्त्रण के उपायोग पर है।

कपास उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार ने 2000-01 से प्रौद्योगिकी मिशन लागू की है। इस मिशन के अंतर्गत 15 वर्ष से कम अवधि वाले किस्मों/हाईब्रीड बीजों का उत्पादन तथा वितरण, प्रदर्शनियों के द्वारा प्रौद्योगिकियों का हस्तान्तरण, किसानों एवं एक्टेंशन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण, पौधा संरक्षण उपायों, जिनमें एकीकृत कीट प्रबंधन प्रदर्शनियों सहित छिड़काव मशीन, फेरोमोन ट्रेपस, जैव-एजेन्ट के साथ साथ सरल बचत यंत्र जैसे छिड़कने वाले यंत्र तथा ड्रिप सिंचाई की प्रणाली की आपूर्ति के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

कच्छ वनस्पति क्षेत्रों को नष्ट किया जाना

754. श्रीमती प्रिया दत्त: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई शहर में गोल्फ कोर्स और क्रीड़ा-स्थलों

के निर्माण के लिए लगभग 1000 एकड़ कच्छ वनस्पति क्षेत्र को नष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) मंत्रालय ने मुम्बई में मलाड क्रीक के किनारे मैसर्स ऊषा मधु हाऊसिंग विकास कोरपोरेशन लिमिटेड द्वारा गोल्फ कोर्स की स्थापना के लिए 4 जुलाई 1996 को मंजूरी प्रदान की थी। बाद में मंत्रालय को गैर-सरकारी संगठनों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए कि गोल्फ कोर्स को विकसित करने वाला विकासक कच्छ वनस्पति को नष्ट कर रहा था। गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिवेदनों को ध्यान में रखकर और स्थल निरीक्षण करने के बाद 27 सितम्बर, 2002 को मंजूरी पत्र निलंबित कर दिया था। इस निलम्बन आदेश को विकासक यू.एम.एच.डी.सी. ने, मुम्बई हाई कोर्ट में चुनौती दी है और इस समय मामला न्यायाधीन है। मंत्रालय ने किसी क्रीडा स्थल की स्थापना के लिए, जिसमें कच्छ वनस्पति का नुकसान शामिल है, कोई मंजूरी प्रदान नहीं की है।

सार्क द्वारा क्षेत्रीय खाद्य बैंक की स्थापना

755. श्री नवीन जिन्दल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के देश दिसम्बर 2006 में हुई अपनी बैठक में एक क्षेत्रीय खाद्य बैंक की स्थापना करने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) क्या खाद्य बैंक के कार्यकरण के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) खाद्य बैंक और इसकी शाखाएं कब तक कार्य करना शुरू करेंगी;

(ङ) क्या खाद्य बैंक के क्रियाकलापों हेतु सार्क विकास निधि का उपयोग किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) विदेश मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार नवम्बर, 2005 में ढाका में सम्पन्न 13वें सार्क सम्मेलन की बैठक के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय खाद्य बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किया था। सार्क क्षेत्रीय खाद्य बैंक की स्थापना के संबंध में दिनांक 14 दिसम्बर, 2006 को इस्लामाबाद में संपन्न सार्क कृषि/खाद्य मंत्रियों की बैठक में विचार विमर्श किया गया था। इस बैठक में सार्क खाद्य बैंक की स्थापना के बारे में दृष्टिकोण पत्र को अंतिम रूप प्रदान किया गया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) और (च) विदेश मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार सार्क विकास निधि ने अभी तक काम करना शुरू नहीं किया है।

[हिन्दी]

बंधुआ बाल मजदूर

756. श्री टेक लाल महतो: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 01 जनवरी, 2006 से आज की तारीख तक कुल कितने बंधुआ बाल मजदूरों को राज्य-वार मुक्त कराया गया;

(ख) इन बच्चों के पुनर्वास के लिए किए गए प्रबन्धों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे बच्चों की कुल संख्या कितनी है जो पुनर्वास न किए जाने के कारण रिमान्ड होम में दयनीय परिस्थितियों में रहने को विवश हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 में बंधुआ बाल मजदूर और बंधुआ वयस्क मजदूर के बीच कोई अन्तर नहीं किया गया है। 01 जनवरी, 2006 से 28 फरवरी, 2007 तक मुक्त कराये गए और पुनर्वासित बंधुआ श्रमिकों की संख्या 165 है। तथापि, सरकार जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं से हटाये गए सभी कामकाजी बच्चों के पुनर्वास के लिए अलग से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन.सी.एल.पी.) स्कीम चला रही है। इस स्कीम के अंतर्गत बाल श्रमिक सर्वेक्षण के माध्यम से कामकाजी बच्चों की पहचान की जाती है, उन्हें कार्य से हटाया जाता है और विशेष ब्रिज स्कूलों में डाला जाता है जिससे उन्हें शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में शामिल होने का वातावरण मिल सके। इन विशेष स्कूलों में औपचारिक शिक्षा के अलावा उन्हें 100/- रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति, पोषणाहार, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वास्थ्य जांच प्रदान किये जाते हैं।

[अनुवाद]

बाढ़ नियंत्रण

757. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे राज्य कौन-कौन से हैं जहां पर लगभग हर वर्ष बाढ़ आने की आशंका रहती है;

(ख) बाढ़ से प्रभावित राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश को चालू वर्ष के दौरान अब तक घोषित तथा जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषकर आंध्र प्रदेश में लगभग हर वर्ष बाढ़ आने की आशंका को कम से कम करने और देश के अन्य भागों में बाढ़ की समस्या से निपटने हेतु अर्थोपाय सुझाने के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति से अब तक क्या सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) उन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और

(च) देश में बाढ़ से निपटने के लिए केन्द्र सरकार की सामान्य नीति का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव): (क) असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य में लगभग प्रति वर्ष बाढ़ की अधिक संभावना रहती है।

अन्य राज्य भी जो कभी-कभी बाढ़/जल निकास संकुलता से प्रभावित होते हैं उनमें अरूणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान शामिल हैं।

(ख) वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान, बाढ़ प्रबंधन से संबंधित विभिन्न योजना स्कीमों के तहत केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को 81.337 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है जिसमें कृष्णा डेल्टा में जल निकास प्रणाली के सुधार के लिए आंध्र प्रदेश को जारी की गई 95.00 लाख रु. की राशि शामिल है। इसके अतिरिक्त, सी.आर.एफ./एन.सी.सी.एफ. के तहत वर्ष 2006-07 के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को 4565.425 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार को जारी की गई 538.54 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

(ग) जी, नहीं। विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के संबंध में बाढ़ को कम करने संबंधी तौर तरीकों पर सुझाव देने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) राष्ट्रीय जल नीति वर्ष 2002 में अपनाई गई थी जिसमें बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन संबंधी पहलुओं को भी दर्शाया गया है; जिसमें प्रभावी बाढ़ प्रबंधन के उपाय के रूप में प्रत्येक बाढ़ प्रवण बेसिन के लिए मास्टर योजना तैयार करने, जल भण्डारण परियोजनाओं में उपयुक्त बाढ़ कुशल प्रदान करना, तटबंधों और डाइक जैसे बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निर्माण और क्षति को कम करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी, बाढ़ प्लेन जोनिंग और बाढ़ प्रूफिंग जैसे गैर-संरचनात्मक उपाय भी शामिल हैं। राष्ट्रीय जल नीति के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार को प्रचालनात्मक कार्रवाई योजना के साथ राष्ट्रीय जल नीति तैयार करनी है।

मक्का के आयात शुल्क में छूट देना

758. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मक्का के आयात शुल्क में छूट देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे इसके कुक्कुट उद्योग को किस हद तक फायदा होगा;

(घ) क्या कुक्कुट क्षेत्र की रक्षा के लिए मक्का के मूल्यों में कमी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) भारत सरकार ने 31-12-2007 तक शून्य शुल्क पर ओ.जी.एल. के तहत मक्का आयात को अनुमति देने का निर्णय लिया है। इससे मक्का आयात कम लागत पर किया जा सकेगा। इस उपाय का लाभ कुक्कुट उद्योग द्वारा वास्तविक रूप से आयातित मक्के की मात्रा पर निर्भर करेगा।

(घ) और (ङ) मक्के के विपणन मूल्य का नियंत्रण सरकार द्वारा नहीं किया जाता है।

[हिन्दी]

बी.टी. कॉटन के बीज

759. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

श्री वी.के. दुम्मर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में बी.टी. कॉटन के बीजों को कपास की खेती के लिए उचित पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार किस सीमा तक;

(ग) सरकार द्वारा बी.टी. कॉटन की मांग के अनुसार इसकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कपास के उत्पादन में हुई राज्यवार वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) देश के विभिन्न क्षेत्रों की जैव सुरक्षा और उपयुक्तता के आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की आनुवांशिक इंजीनियरी अनुमोदन समिति (जी.ई.ए.सी.) द्वारा केवल बी.टी. कपास को ही देश में वाणिज्यिक कृषि के लिए आनुवांशिक संशोधित फसल के रूप में अनुमोदित किया गया है। बी.टी. कपास की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार निम्न प्रकार से है:-

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

राज्य	खरीफ-2002	खरीफ-2003	खरीफ-2004	खरीफ-2005
आन्ध्र प्रदेश	3762	5400	70400	330000
मध्य प्रदेश	1470	13200	85119	134639
गुजरात	9031	41200	124463	149317
महाराष्ट्र	12280	21600	159600	488000
कर्नाटक	2160	3000	33906	27909
तमिलनाडु	370	7600	11856	17800
पंजाब	–	–	–	72000
हरियाणा	–	–	–	12000
राजस्थान	–	–	–	2281
कुल	29073	92000	492544	1233946

खरीफ 2006-07 के दौरान बीटी. कपास फसल के अन्तर्गत लगभग 34.40 लाख हैक्टेयर क्षेत्र होने का अनुमान लगाया गया है। नौ राज्यों में बीटी. कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि होने से इसकी उपयुक्तता और किसानों में इसकी स्वीकार्यता दर्शाता है।

(ग) और (घ) भारत में बीटी. कपास बीज निजी कम्पनियों द्वारा उत्पादित और विपणन किया जाता है। राज्य सरकारों ने बीटी. कपास बीजों के प्रयोग के कारण उत्पादों में 15 से 30% की बढ़ोतरी सूचित की है। कपास उत्पादक के राज्यों में क्षेत्र, उत्पादन और उत्पाद के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)		उत्पादन (लाख गांठें)	लिंट उत्पाद (कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर))
	बीटी कपास	कुल कपास		
2002-03	0.29	76.70	86.24	191
2003-04	0.92	75.98	137.29	307
2004-05	4.92	87.87	164.29	318
2005-06	12.34	86.77	184.99	362
2006.07 (अनन्तिम)	34.40	91.98	209.66	389

मध्य प्रदेश में मुर्गीपालन क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना

760. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में विशेषकर ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर में मुर्गी पालन क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 340.00 लाख रुपए की सहायता की मांग करने वाला कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने तथा धनराशि जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) प्राप्त प्रस्तावों में जबलपुर, ग्वालियर, सागर तथा रीवा स्थित राज्य कुक्कुट फार्मों में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 68-68 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मांगी गई है। इन सभी प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया था तथा राज्य को धनराशि की पहली किश्त अक्तूबर, 2006 में जारी कर दी गई थी।

राजस्थान को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के शेष हिस्से को जारी करना

761. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:
श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) के अंतर्गत खरीफ, 2005 के प्रभावित किसानों को मुआवजे के भुगतान के लिए केन्द्र का 26.13 करोड़ रु. का शेष हिस्सा जारी करने के राजस्थान के अनुरोध पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) के अंतर्गत खरीफ 2005 के लिए राजस्थान के किसानों के दावों से सम्बन्धित केन्द्र सरकार के हिस्से की कोई राशि बकाया नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

अत्यधिक शीत और अपर्याप्त/भारी वर्षा से प्रभावित रबी फसल

762. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री संतोष गंगवार:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक शीत और अपर्याप्त/भारी वर्षा की वजह से रबी फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसके परिणामस्वरूप हुई हानि के संबंध में कोई आकलन करवाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और फसल-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) दिसम्बर, 2006 से 12 जनवरी, 2007 के अंतिम सप्ताह के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में दस दिनों से ज्यादा शीत लहर की स्थिति रही है। यह सिन्धु-गंगा के मैदानी भागों में गेहूं जैसी प्रमुख फसल के लिए लाभकारी थी। हाल ही में हुई एक समान वर्षा ने कुछ संवेदनशील फसलों से संबंधित छोटे नुकसानों को सही किया है। तथापि दिसम्बर, 2006 के पहले पखवाड़े से फरवरी, 2007 के पहले पखवाड़े तक फैली सूखे की स्थिति ने हिमाचल प्रदेश में गेहूं, बाजरा, दलहन, सब्जियों और तिलहनों को प्रभावित किया है।

(ख) और (ग) हिमाचल प्रदेश में सूखे की स्थिति के कारण विभिन्न फसलों के लगभग 350627 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रभावित होने की सूचना मिली है।

(घ) और (ङ) बीजों पर राजसहायता प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा आपदा राहत कोष से 3.00 करोड़ रु. की धनराशि की निर्मुक्ति की गई।

[अनुवाद]

उर्वरकों का आयात

763. श्री अनिल बसु: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक आयात किए गए नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश (पी और के) उर्वरकों की मात्रा और उनके आयात पर कितनी लागत आयी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में उत्पादित उक्त उर्वरकों पर कितनी लागत आयी है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त उर्वरकों के आयात हेतु और देश की उर्वरक उत्पादक कम्पनियों को कितनी राजसहायता दी गयी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) यूरिया के अलावा अन्य उर्वरकों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अंतर्गत किया जाता है। यूरिया का आयात राज्य व्यापार उद्यमों के जरिए ही करने की अनुमति है और प्रत्यक्ष कृषि उपयोग के लिए आयात सरकार द्वारा किया जाता है। विगत तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष (आज की तारीख तक) के दौरान सरकार द्वारा किए गए यूरिया का वर्षवार आयात और अमेरिकी डॉलर में भारित औसत लागत एवं भाड़ा मूल्य नीचे दिया गया है:-

वर्ष	मात्रा लाख मी.टन में	प्रति मी.टन अमेरिकी डॉलर में भारित औसत लागत एवं भाड़ा मूल्य
2003-04	शून्य	–
2004-05	06.41	237.88
2005-06	07.31	258.56
2006-07 (आज की तारीख तक)	28.65	248.85

उपर्युक्त के अलावा, सरकार ने यूरिया उठान समझौते (यू.ओ.टी.ए.) के अंतर्गत दीर्घावधि पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य पर वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान सुर, ओमान से दानेदार यूरिया का भी आयात किया है। वर्ष 2005-06 के दौरन सुर, ओमान से 155.23 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन के भारित औसत लागत एवं भाड़ा मूल्य पर 13.25 लाख मी.टन तथा वर्ष 2006-07 (23-02-2007 तक) में 169.45 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन के भारित औसत मूल्य पर 16.64 लाख मी.टन दानेदार यूरिया का आयात किया था।

अन्य सभी उर्वरकों का आयात स्वतंत्र रूप से करने की अनुमति है। आयातक इन उर्वरकों का आयात अपनी वाणिज्यिक आवश्यकताओं के अनुरूप करते हैं। तथापि, सरकार रियायत योजना के अंतर्गत इन उर्वरकों पर रियायत का भुगतान कर रही है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (23-02-07 तक) के दौरान आयात किए गए डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. का ब्यौरा तथा उक्त अवधि के दौरान इन उर्वरकों पर रियायत/राजसहायता के भुगतान के लिए औसत मानकीकृत सुपुर्दगी मूल्य निम्नानुसार है:-

वर्ष	आयातित डी.ए.पी.		एम.ओ.पी.	
	मात्रा लाख मी.टन में	मूल्य रुपए/ मी.टन में	मात्रा लाख मी.टन में	मूल्य रुपए/ मी.टन में
2003-04	7.34	11484	25.80	7277
2004-05	6.44	13747	34.09	10065
2005-06	24.38	15075	45.78	11049
2006-07 (23-02-07 तक)	27.87	15107	30.40	11017

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में स्वदेशी यूरिया और डी.ए.पी. का औसत सुपुर्दगी मूल्य निम्नानुसार है:-

(प्रति मी. टन रुपए)

वर्ष	स्वदेशी यूरिया	स्वदेशी डी.ए.पी.
1	2	3
2003-04	9145	11484
2004-05	9963*	13747
2005-06	10363*	15075
2006-07	10363*	15107*

*अनंतिम

(ग) सरकार द्वारा यूरिया का आयात राज्य व्यापार उद्यमों के जरिए किया जाता है और इसका विभिन्न बंदरगाहों पर निर्दिष्ट हैण्डलिंग एजेंटों द्वारा रखरखाव और वितरण किया जाता है। यूरिया की सुपुर्दगी लागत और पूल निर्गम मूल्य (अधिकतम खुदरा मूल्य में से वितरण मार्जिन को घटाकर) के बीच के अंतर को सरकार द्वारा आयातित यूरिया पर राजसहायता के रूप में वहन किया जाता है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उर्वरकों पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राजसहायता/ रियायत नीचे दर्शाई गई है:-

(करोड़ रुपए में)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (संशोधित अनुमान)
आयातित यूरिया पर निवल राजसहायता	शून्य	493.91	1201.43	2703.54
स्वदेशी यूरिया	8521.00	10243.15	10460.17	11400.37
नियंत्रणमुक्त स्वदेशी पी एण्ड के उर्वरक	2606.00	3977.00	4499.20	5698.10
नियंत्रणमुक्त आयातित पी एण्ड के उर्वरक	720.00	1165.18	2097.00	2650.00

[हिन्दी]

कृषि उपकरणों पर राज सहायता

764. श्री रघुराज सिंह शाक्य:

श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को राजसहायता प्राप्त दरों पर कृषि उपकरणों को मुहैया कराने का है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसके लिए राज्य-वार कितनी निधियां आबंटित की गयी ;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत लाए गए करोड़ों रुपयों के कृषि उपकरणों का उपयोग कुछ राज्यों में नहीं हो पाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके समुचित उपयोग हेतु राज्य सरकारों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां, सरकार कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं के आधार पर वृहद् कृषि प्रबंधन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत किसानों को रियायती दरों पर कृषि उपकरण प्रदान कर रही है।

(ख) वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित वित्तीय परिव्यय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा उपकरणों की खरीद की जा रही है और उनको लाभानुभोगी किसानों को वितरित किया जा रहा है। विभाग को उनकी अनु-उपयोगिता के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वित्तीय परिव्यय (लाख रुपये में)			
		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	398.84	500.00	2099.56	2342.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.00	0.00	250.00	554.50
3.	असम	68.05	0.00	174.80	130.00
4.	बिहार	269.40	414.75	767.98	999.80
5.	छत्तीसगढ़	78.00	150.00	249.50	300.00
6.	गोवा	10.00	13.50	42.70	41.00
7.	गुजरात	422.22	169.50	199.65	403.97
8.	हरियाणा	85.00	140.00	126.00	799.94
9.	हिमाचल प्रदेश	103.12	45.50	108.55	365.50
10.	जम्मू-कश्मीर	43.00	417.30	205.70	100.20

1	2	3	4	5	6
11.	झारखण्ड	100.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	313.00	450.00	1400.00	1789.56
13.	केरल	50.00	50.00	0.00	25.00
14.	मध्य प्रदेश	361.10	566.07	225.93	317.78
15.	महाराष्ट्र	50.00	50.00	200.00	880.00
16.	मणिपुर	50.00	50.00	289.58	150.00
17.	मेघालय	75.55	45.00	111.15	97.15
18.	मिजोरम	15.00	10.00	42.07	539.00
19.	नागालैण्ड	60.00	30.00	100.00	117.00
20.	उड़ीसा	593.65	106.17	693.35	768.39
21.	पंजाब	40.00	54.00	33.00	312.31
22.	राजस्थान	158.00	55.00	581.57	1252.00
23.	सिक्किम	37.60	28.70	0.00	27.00
24.	तमिलनाडु	121.00	150.00	250.00	516.00
25.	त्रिपुरा	0.00	2.50	286.85	184.62
26.	उत्तर प्रदेश	284.00	30.00	740.30	147.65
27.	उत्तरांचल	18.30	23.00	123.00	605.70
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	246.00	316.80	515.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12.50	6.00	0.00	0.00
30.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा व नगर हवेली	5.00	0.00	9.20	0.00
32.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3.30	4.00	0.00	17.00
33.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	3840.63	3806.99	9627.29	14298.70

[अनुवाद]

केरल में चंदन के वृक्षों वाले क्षेत्रों की सुरक्षा

765. श्री पी. करुणाकरन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल के मारायूर में चंदन के वृक्षों वाले क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी हां। राज्य वन विभाग, केरल सरकार ने केरल में मारायूर में चंदन के वृक्षों वाले क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु 18.91 करोड़ रुपए की लागत का एक प्रस्ताव दिया है।

(ख) प्रस्तावित परियोजना के प्रमुख कार्यक्रम में निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं:-

(i) चंदन के वृक्षों की सुरक्षा हेतु कार्यक्रम।

(ii) अवसंरचना और स्टाफ की सुविधाओं का विकास करना।

(iii) सहभागी वन प्रबंधन (पी.एफ.एम.) का विकास/ग्राम समुदायों को सहायता।

(iv) निजी भूमियों सहित मारायूर में और उसके आस-पास चंदन के संसाधन का विकास करना।

(v) चंदन की सुरक्षा के विषय में शिक्षा, व्याख्या व जागरुकता देना।

(vi) मारायूर में चंदन के डिपुओं में सुधार करना।

(vii) चंदन की लकड़ी की वैल्यू एडिशन व इसकी मार्केटिंग करना।

(viii) मानीटरी और विकास।

(ग) केरल राज्य वन विभाग द्वारा भेजा गया प्रस्ताव, केन्द्रीय प्रायोजित समेकित वन सुरक्षा स्कीम (आई.एफ.पी.एस.) के दिशानिर्देश और लागत मानदंडों के अनुरूप नहीं है। प्रस्ताव अपने वर्तमान स्वरूप में अनुमोदित नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार

766. श्री वी.के. थुम्मर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) में व्याप्त भ्रष्टाचार के परिणामस्वरूप किसानों के हितों को नजरअंदाज किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार के कितने मामलों का पता लगाया गया है तथा कितने अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है;

(घ) जिम्मेदार ठहराए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार रोकने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों हेतु लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने सहित आवश्यक पग उठाता है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के खिलाफ पता लगाये गये भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या और की गई कार्रवाई संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किए गए उपचारात्मक उपाय संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के खिलाफ पता लगाये गये भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या

क्र.सं.	अनियमितता का स्वरूप	2004	2005	2006
1.	अवैध उपहार स्वीकार करना/आय से अधिक सम्पत्तियां	8	4	11

क्र.सं.	अनियमितता का स्वरूप	2004	2005	2006
2.	अमानत में खयानत/दुर्विनियोजन	18	34	79
3.	बेकार स्टाक का दुर्विनियोजन/गोदामों का निर्माण	15	13	6
4.	घटिया स्टाक की खरीदारी	480	1026	569
5.	हैंडलिंग और ढुलाई ठेके देना	12	12	3
6.	मार्गस्थ/भंडारण हानियां	583	901	1195
7.	प्रशासनिक त्रुटियां/विविध	103	155	141
	जोड़	1219	2145	2004

पिछले तीन वर्षों के दौरान जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के मामलों में निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:-

क्र.सं.	लगाए गए दंड का स्वरूप	2004	2005	2006
1.	बर्खास्तगी/सेवा मुक्त करना/अनिवार्य सेवा निवृत्ति	37	44	79
2.	रैंक घटाना	39	30	30
3.	समय वेतनमान में कमी करना	361	313	318
4.	वेतन वृद्धि रोकना	168	118	216
5.	भारतीय खाद्य निगम को हुई हानि की वेतन से रिकवरी	1346	886	1731
6.	प्रोन्नति रोकना	6	5	2
7.	निंदा	489	307	382
8.	चेतावनी जारी की गई/दोषमुक्त करके मामले बंद कर दिए	412	248	323
	जोड़	2858	1951	3081

विवरण-II

भारतीय खाद्य निगम द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किए गए उपचारात्मक उपाय

(i) डिपु निरीक्षण मानीटरिंग सैल की स्थापना करना।

(ii) `संवेदनशील पदों से असंवेदनशील पदों पर अधिकारियों का रोटेशन करना।

रोटेट किए गए कर्मचारियों की संख्या

2004	–	1268
2005	–	3670
2006	–	1750

(iii) निम्नलिखित के संबंध में अधिकारियों की निगरानी:-

(क) सहमति सूची-82 (श्रेणी-1, 2 अधिकारी)

(ख) संदेहास्पद निष्ठा वालों की सूची-442 (श्रेणी-1, 14 अधिकारी)

(iv) निम्न की पहचान करना:-

(क) उच्च हानि वाले भंडारण डिपु

(ख) मार्गस्थ हानियों वाले उच्च हानि वाले रेल शीर्ष

(ग) बार-बार घटिया/खराब गुणवत्ता के चावल की वसूली करने वाले डिपु/केंद्र (उदाहरण के लिए फरीदकोट का मुक्तसर केंद्र, पंजाब)

(v) उपर्युक्त प्रचालनात्मक केंद्रों की गहन जांच।

(vi) कम्प्यूटरों का उपयोग, ई.सी.एस. के जरिए भुगतान, नकद में भुगतान पर प्रतिबंध।

(vii) यांत्रिक तौल सेतुओं का इलेक्ट्रानिक तौल सेतुओं में उन्नयन (617 में से 315 का उन्नयन कर दिया गया है)।

औषध मूल्य नियंत्रण

767. श्री संतोष गंगवार:

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

श्री जसुभाई धानाभाई बारड:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार औषध मूल्यों की प्रभावी निगरानी और प्रवर्तन हेतु औषध मूल्य नियंत्रण कानून अधिनियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप औषधियों के मूल्य किस हद तक कम होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) राष्ट्रीय औषध नीति, 2006 के प्रारूप में, अन्य बातों के साथ-साथ, औषध मूल्यों की प्रभावी निगरानी एवं कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) को सुदृढ़ करने के लिए एक पृथक औषध (मूल्य विनियमन एवं नियंत्रण) अधिनियम पेश करने का प्रस्ताव किया गया है। यह नीति मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई थी। मंत्रिमंडल ने 11-1-2007 को आयोजित अपनी बैठक में इस नीति पर विचार किया। यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) द्वारा इस मामले पर विचार किया जाए। अब मंत्रियों का एक समूह गठित ।केया गया है।

बाघ/हाथी परियोजनाओं हेतु निधियां

768. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और अब तक परियोजना बाघ तथा परियोजना हाथी के अंतर्गत राज्यों को राज्यवार कुल कितनी निधियां जारी की गयी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यों द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी तथा इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को वाल्मीकि बाघ परियोजना हेतु जारी धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बाघ स्कीम परियोजना और हाथी स्कीम परियोजना के अंतर्गत जारी धनराशि और व्यय का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पछले वर्ष के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति के आधार पर वर्ष के दौरान राज्य से यथा प्राप्त बाल्मीकि बाघ रिजर्व की वार्षिक प्रचालन योजना को 106.663 लाख रुपये की राशि के लिए स्वीकृत किया गया था जिसमें बाघ परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 93.9455 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता शामिल है। वर्ष के दौरान जारी केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त का उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य से प्राप्त किया जाना है।

(घ) ब्यौरा पहले ही संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

I. बाघ स्कीम परियोजना

क्र. सं.	राज्य	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		जारी की गई	व्यय	जारी की गई	व्यय	जारी की गई	व्यय	जारी की गई	व्यय
1.	आन्ध्र प्रदेश	22.89	22.85	15.00	37.86	45.92	35.00	35.00	*
2.	अरुणाचल प्रदेश	68.75	66.29	35.00	55.79	149.10	140.85	237.3725	
3.	असम	75.00	79.95		107.85	80.00	97.10	87.431	
4.	बिहार	50.00	66.41	85.00	42.71	3.48	73.23	37.1454	
5.	छत्तीसगढ़	80.25	91.52	27.75	8.42	1.22	32.01	10.00	
6.	झारखण्ड	35.99	33.84	72.50	70.81	153.00	149.97	267.817	
7.	कर्नाटक	269.32	198.45	486.29	432.52	427.76	388.84	109.00	
8.	केरल	120.68	80.18	105.75	97.01	105.00	58.53	155.967	
9.	मध्य प्रदेश	1103.40	950.52	609.93	674.40	709.13	784.92	759.236	
10.	महाराष्ट्र	628.19	666.59	255.95	208.26	303.07	313.76	229.51	
11.	मिजोरम	67.56	70.08	94.34	110.86	61.00	69.83	115.16	
12.	उड़ीसा	151.91	65.50	116.44	149.95	80.00	104.65	150.25	
13.	राजस्थान	158.33	189.85	79.00	163.80	269.80	196.71	100.876	
14.	तमिलनाडु	35.00	102.53	80.00	95.91	90.00	89.72	85.165	
15.	उत्तर प्रदेश	173.59	162.99	175.22	[illegible]0	152.69	162.88	160.295	
16.	उत्तरांचल	200.91	188.29	200.12	214.99	147.18	141.30	75.00	
17.	पश्चिम बंगाल	225.17	211.49	325.49	313.94	217.19	232.14	177.30	

टिप्पणी: कुछ राज्यो में जारी की गई राशि की तुलना में व्यय अधिक है जो राज्य का हिस्सा शामिल किए जाने कारण है।

II. हाथी स्कीम परियोजना

क्र. सं.	राज्य	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		जारी की गई	व्यय	जारी की गई	व्यय	जारी की गई	व्यय	जारी की गई	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	55.00	47.271	48.00	46.964	60.00	54.164	64.774	*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	61.00	61.497	59.00	74.588	71.50	73.33	53.00	
3.	असम	134.10	130.35	130.00	110.50	40.00	99.65	70.00	
4.	झारखण्ड	93.00	92.38	105.96	132.532	75.00	95.74	50.00	
5.	कर्नाटक	149.660	157.5	186.22	179.19	168.00	139.32	167.82	
6.	केरल	188.280	167.11	167.40	156.403	170.00	194.14	169.40	
7.	मेघालय	64.00	59.64	70.00	62.73	30.00	41.63	61.55	
8.	नागालैण्ड	42.00	56.00	29.00	29.00	48.00	48.00	52.45	
9.	उड़ीसा	116.100	76.17	137.96	150.46	114.00	71.19	108.94	
10.	तमिलनाडु	117.00	107.30	84.00	104.36	112.00	113.16	110.00	
11.	उत्तरांचल	129.00	109.74	138.90	113.20	137.70	136.82	94.00	
12.	पश्चिम बंगाल	119.950	107.43	148.54	142.02	181.00	205.91	160.89	
13.	त्रिपुरा	16.00	16.00	17.00	–	–	–	–	
14.	उत्तर प्रदेश	–	–	12.00	11.50	00.00	00.00	6.20	
15.	छत्तीसगढ़							45.00	
16.	हरियाणा							50.00	

*चालू वित्तीय वर्ष के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य के पास लंबित है।

[अनुवाद]

आई.डी.पी.एल. का पुनरुद्धार

769. श्री गुरूदास दासगुप्त: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इँडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आई.डी.पी.एल.) की विभिन्न इकाइयों का पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आई.डी.पी.एल.) की सभी इकाइयों को पुनरूज्जीवित करने का निर्णय ले लिया है। आई.डी.पी.एल. के पुनरुद्धार के लिए पुनर्वास योजना का प्रारूप सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन हेतु बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) को सौंप दिया गया है। बी.आर.पी.एस.ई. की सिफारिशें प्रतीक्षित हैं।

जमाखोरी हेतु अभियोजन

770. डा. के. धनराजू: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के अंतर्गत जमाखोरी और चोरबाजारी जैसे अनैतिक व्यापार-व्यवहारों के निवारण हेतु पिछले तीन वर्षों के

दौरान प्रत्येक वर्ष और आज तक प्रत्येक राज्य में वर्षवार और राज्यवार कितने व्यक्तियों को निरुद्ध किया गया है; और

(ख) केंद्र सरकार द्वारा उक्त कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और 23-2-2007 तक चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत राज्य सरकारों द्वारा वर्षवार किए गए नजरबंदी आदेश इस प्रकार हैं:-

राज्य का नाम	2004	2005	2006	2007 (23-02-2007 तक)
गुजरात	63	101	85	9
असम	11	–	–	–
तमिलनाडु	1	7	74	2
उड़ीसा	–	2	1	–
महाराष्ट्र	–	1	1	–
योग	75	111	161	11

राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर आम जनता को आवश्यक वस्तुओं की तुरंत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की सलाह दी जाती रही है।

[हिन्दी]

जल की कमी

771. **श्री काशीराम राणा:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अधिशेष जल वाले तथा जल की कमी वाले राज्यों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा जल की कमी वाले राज्यों की आवश्यकता के अनुरूप जल का वितरण करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) जल के इष्टतम वितरण हेतु वर्तमान में राज्यवार कौन-सी परियोजनाएं चल रही हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय (तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय) और केन्द्रीय जल आयोग ने जल संसाधनों के विकास के लिए वर्ष 1980 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन.पी.पी.) तैयार की थी जिसमें जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल के अंतर बेसिन अंतरण की योजना है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में दो घटक अर्थात हिमालयी नदी विकास घटक और प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक शामिल हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रस्तावों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तकनीकी अध्ययन करने हेतु जल संसाधन मंत्रालय के तहत वर्ष 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का गठन किया गया था। विभिन्न अध्ययनों के आयोजन के आधार पर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए 30 संपर्कों (प्रायद्वीपीय घटक के तहत 16 एवं हिमालयी घटक के तहत 14) की पहचान की है। इनमें से प्रायद्वीपीय घटक के तहत 14 संपर्कों और हिमालयी घटक के तहत 2 संपर्कों (भारतीय भाग) को पहले से ही पूरा कर लिया गया है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने राज्यवार कोई जल संतुलन अध्ययन नहीं किये हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रायद्वीपीय घटक में से एक संपर्क अर्थात केन-बेतवा संपर्क के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने के लिए 25 अगस्त, 2005 को केन्द्र सरकार और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों के बीच एक

समझौता ज्ञापन (एन.ओ.यू.) हस्ताक्षर किया गया था। तत्पश्चात, उक्त संपर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का दायित्व राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को सौंपा गया जिसके जून, 2008 तक पूरा किए जाने की योजना है।

(ग) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत नियोजित कोई परियोजना प्रचालन में नहीं है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रस्तावों का कार्यान्वयन संबंधित राज्यों के बीच सहयोग एवं सहमति पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

गुजरात में उर्वरक संयंत्र की स्थापना

772. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात के जामनगर जिला में इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको) के साथ संयुक्त उद्यम में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सेलम इस्पात संयंत्र

773. श्री के. सुब्बारायण: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सेलम इस्पात संयंत्र में खनन का एक पूर्ण समेकित संयंत्र विस्तारित अथवा स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक किए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) और (ख) सेलम इस्पात संयंत्र के विस्तार को 1,553 करोड़ रुपए की इंडीकेटिव लागत पर सेल बोर्ड द्वारा सिद्धांततः अनुमोदित कर दिया गया है। विस्तार योजना में 180,000 टन वार्षिक (टी.पी.ए.) बेदाग इस्पात स्लैबों का उत्पादन करने के लिए स्टील मेल्टिंग शॉप स्थापित करने और कोल्ड रोलिंग मिल की क्षमता को बढ़ाकर 1,46,000 टी.पी.ए. कोल्ड रोल्ड स्टेनलैस स्टील उत्पादित करने की परिकल्पना की गई है। इस समय सेलम इस्पात संयंत्र में खनन सहित एक पूर्ण समेकित एकीकृत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) सेलम इस्पात संयंत्र की विस्तार योजना को वर्ष 2009 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

बल्क ड्रग्स के उत्पादन हेतु लक्ष्य

774. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बल्क ड्रग्स के उत्पादन के लिए वर्ष-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा उपलब्धियां हासिल की गईं;

(ख) क्या सरकार का उक्त ड्रग्स के उत्पादन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो 2006-07 के दौरान निर्धारित और 2007-08 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (घ) देश में दवा व संबंधित मदों के निर्माण में भारी संख्या में इकाइयां संगठित व लघु दोनों ही क्षेत्रों में चल रही है। फार्मा उद्योग के विकास के लिए अधिकांशतः अनुसंधान व विकास हेतु सरकार अपनी ओर से कतिपय वित्तीय व गैर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।

भारतीय फार्मा उद्योग की बढ़ोतरी का रूझान यह दर्शाता है कि विगत तीन वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि काफी अच्छी रही है, जैसा कि अधोलिखित रूझान से प्रतीत होता है:

फार्मा उद्योग के उत्पादन में वृद्धि

(रु. करोड़ में)

वर्ष	बल्क ड्रग्स	फार्मूलेशन
1	2	3
2002-03	6529.00	24185.00

1	2	3
2003-04*	7729.00	27692.00
2004-05*	9034.00	31946.00

*अनुमानित

इन आंकड़ों में गैर संगठित क्षेत्र का उत्पादन शामिल नहीं है जोकि उत्पादन का अनुमानत: 35% अतिरिक्त है।

(स्रोत: बी.डी.एम.ए. बल्क ड्रग इंडस्ट्री एट ए ग्लांस 2006)

एफ.एम. स्टेशन शुरू किया जाना

775. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक समाचार कंपनियों/समूहों ने देश के विभिन्न भागों में एफ.एम. स्टेशन शुरू करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो मंजूरी हेतु लंबित आवेदनों की भाषा-वार संख्या कितनी है तथा ऐसे समूहों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन आवेदनों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) निजी एजेंसियों के जरिए एफ.एम. रेडियो प्रसारण सेवा के विस्तार के लिए जुलाई, 2005 में एक नीति अधिसूचित की गई थी। सरकार ने इस स्कीम के तहत देश भर के 91 शहरों में 337 चैनलों के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं जिनमें से 280 चैनल की सफल बोलियां लगाई गई थीं। जांच के पश्चात् 245 चैनलों के परिचालन हेतु विभिन्न कंपनियों को आशय पत्र जारी किए गए थे और सभी सफल बोलीदाताओं के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सफल बोलीदाताओं में समाचारपत्र के समूह/कंपनियां शामिल हैं। अनापत्ति प्रमाणपत्र देने के लिए कोई भी आवेदन लंबित नहीं है।

एलॉय इस्पात संयंत्र की 'बैकवर्ड इंटीग्रेशन'

776. श्री सुनील खां: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एलॉय इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इकाई में 'बैकवर्ड इंटीग्रेशन' कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितनी लागत आएगी?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) और (ख) इस समय सेल का एलॉय इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इकाई में, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चीनी का निर्यात

777. श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री संतोष गंगवार:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2007 के दौरान चीनी का निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) इस संबंध में अब तक कितने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) इस प्रस्तावित निर्यात के मद्देनजर घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने तथा इसकी कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

केरल में दूसरा टाइगर रिजर्व

778. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल राज्य सरकार से राज्य में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) जी हां। केरल और तमिलनाडु राज्य सरकार

से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर केरल और तमिलनाडु में आने वाली परम्बीकुलम-अन्नामलाई बाघ रिजर्व के लिए "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन प्रदान किया गया है।

कृषकों को मुआवजा देने संबंधी समिति

779. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उन किसानों को मुआवजा देने के लिए एक समिति गठित की गई थी, जो महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू के कारण पक्षियों के मारे जाने से प्रभावित हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने किसानों की हानि को पूरा करने तथा मानक बनाने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या अनुवर्ती कर्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (घ) जी, नहीं। केन्द्र सरकार ने किसानों को मुआवजा देने के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया है। तथापि, एविएन इंफ्लूएंजा नियंत्रण कार्यक्रम के दौरान मारे गए पक्षियों के लिए किसानों को मुआवजा देने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। मुआवजा के रूप में प्रति ब्रायलर पक्षी 30 रुपए प्रति लेयर पक्षी 40 रुपए तथा प्रति चूजा 10 रुपए का भुगतान दिया गया है। उक्त राशि की हिस्सेदारी भारत सरकार तथा राज्य सरकार के बीच (50:50 के आधार पर) की जाती है। देश में हाल ही में बर्ड फ्लू के फैलने से संचालन के दौरान मारे गए सभी पक्षियों के लिए मुआवजा दिया गया था।

नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट अथॉरिटी

780. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट अथॉरिटी नामक एक सरल, सस्ती तथा तीव्र उपभोक्ता न्याय प्रणाली बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी विशेषताएं क्या हैं एवं प्रस्तावित न्यायालय का कार्यक्षेत्र क्या है; और

(ग) इससे क्या लाभ मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने का एक प्रस्ताव अन्य मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया है। यह प्राधिकरण अन्य बातों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के एक वर्ग को प्रभावित करने वाले और व्यापक रूप से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले बेईमान विनिर्माताओं द्वारा अपनाई जाने वाली सभी प्रकार की अनुचित व्यापार पद्धतियों से संबंधित शिकायतों पर निर्णय देगा। प्रस्ताव प्रारंभिक स्तर पर है।

[हिन्दी]

एम.ई.एल. में ठेका श्रमिक

781. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के चन्द्रपुर में स्थित महाराष्ट्र इलैक्ट्रो-स्मेल्ट लिमिटेड (एम.ई.एल.) में पिछले तीस सालों से काम कर रहे ठेका श्रमिक अभी भी अस्थायी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एम.ई.एल. प्रबंधन द्वारा उन्हें स्थायी बनाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) और (ख) महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड (एम.ई.एल.) ने कतिपय कार्य ठेकों के जरिए आउटसोर्स किए हुए हैं। जिन ठेकेदारों को कार्य सौंपे जाते हैं वे सौंपे गए कार्यों को ठेके की दरों, निबंधन तथा शर्तों के अनुसार निष्पादित करने के लिए अपने संबंधित संगठनों में श्रमिकों को नियुक्त करते हैं। ठेका श्रमिक उन ठेकेदारों के कर्मचारी होते हैं जिनके नियंत्रणाधीन वे कार्य करते हैं। उनकी नौकरी के निबंधन और सेवा शर्तें संबंधित ठेकेदारों के संगठनों द्वारा शासित होती हैं। इस प्रकार, ठेका श्रमिकों को एम.ई.एल. द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त नहीं किया जाता है अपितु उन्हें ठेका कार्य के अनुसार अनुबंध पर रखा जाता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। उपर्युक्त स्पष्ट की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निर्धारित अवधि के लिए रोजगार

782. श्री तरित बरण तोपदार: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्धारित अवधि के लिए रोजगार संबंधी दिनांक 10 दिसम्बर, 2003 की अधिसूचना को निरस्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) सरकार ने औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की अनुसूची और दिनांक 10-12-2003 की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 936 (अ) द्वारा औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम, 1946 से जुड़े मॉडल आदेशों में "निर्धारित अवधि के रोजगार वाले कामगार" शामिल करने के लिए औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम, 1946 में संशोधन किया था। जुलाई, 2004 में उपर्युक्त संशोधन की समीक्षा की गई थी और प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करते हुए दिनांक 10-12-2003 की अधिसूचना को निरस्त करने के उद्देश्य से दिनांक 30-09-2004 को एक मसौदा आशय अधिसूचना जारी की गई थी। यह मामला विचाराधीन है।

टाइगर रिजर्वों में गांव

783. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न टाइगर रिजर्वों में स्थित गांवों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इन गांवों को टाइगर रिजर्वों से बाहर पुन: बसाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बाघों के लिए संरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बाघ रिजर्वों में स्थित गांवों का राज्यवार विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। चल रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत गांवों को पुन: बसाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। विभिन्न राज्यों में जून, 2005 तक 80 गांवों को पुन: बसाया गया है। इसके अलावा भारतीय वन्यजीव संस्थान को समय सीमा के भीतर देश के अन्य संरक्षित क्षेत्रों के अलावा बाघ रिजर्वों के कोर क्षेत्रों का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ व्यावसायिक एजेंसियों के माध्यम से मॉडल अनैच्छिक गांव पुनस्थापना/पुनर्वास पैकेज तैयार करने के लिए कार्रवाई की गई है।

(घ) बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य	बाघ रिजर्व में गांवों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	149
2.	अरुणाचल प्रदेश	2
3.	असम	175
4.	बिहार	20
5.	छत्तीसगढ़	56
6.	झारखंड	164
7.	कर्नाटक	59
8.	केरल	4
9.	मध्य प्रदेश	448
10.	महाराष्ट्र	65
11.	मिजोरम	61
12.	उड़ीसा	65
13.	राजस्थान	52
14.	तमिलनाडु	16
15.	उत्तर प्रदेश	37

1	2	3
16.	उत्तरांचल	25
17.	पश्चिम बंगाल	89
	कुल	1487

विवरण-II

बाघ संरक्षण के लिए हाल ही में सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयास नीचे दिए अनुसार हैं:-

1. बाघ रिजर्व राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके वर्षा ऋतु के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी छिपे शिकार को रोकने की गतिविधियों को सुदृढ़ करना जैसा कि उनके द्वारा प्रस्तावित है। अर्थात् संप्रेषण/बेतार सुविधाओं की सुदृढ़ता के साथ साथ स्थानीय लोगों सहित भूतपूर्व सैनिकों/होम गार्डों को शामिल करके एंटीपोचिंग दल को तैनात करना।

2. माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा गठित बाघ टास्क फोर्स की तत्काल सिफारिशों का कार्यान्वयन जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 में संशोधन शामिल हैं।

3. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 04-9-2006 से गठित किया गया है जिससे बाघ संरक्षण इनके द्वारा बेहतर किया जा सकेगा जैसे कि बाघ संरक्षण प्रबंधन में मानकों की सुनिश्चितता, रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना को तैयार करना, संसद में वार्षिक/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन करना और बाघ संरक्षण फाऊंडेशन की स्थापना।

4. भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से भूगौलिक सूचना प्रणाली क्षेत्र में तालुका विस्तार पर देश में बाघ पर्यावासों की स्थिति का आकलन।

5. चारों ओर के/बफर क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को शामिल करके रिजर्व विशेष पुर्नरुद्धार कार्यनीतियां तैयार करने के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण के साथ मिलकर बाघ रिजर्वों (10 कि.मी. तक की परिधि दूरी) के चारों और वन आच्छादन स्थिति का तुलनात्मक आकलन।

6. सुरक्षित क्षेत्रों पर वर्ल्ड कमीशन के फ्रेमवर्क से अपनाए गए 45 पैरामीटरों के आधार पर स्वायत्त विशेषज्ञों के पैनल द्वारा बाघ रिजर्वों का आकलन जिसकी गठन समीक्षा इन्टरनैशनल यूनियन फार कन्सरवेंजन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिर्सोस द्वारा की गई है और संसद में प्रस्तुत की गई है।

7. भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर अखिल भारतीय बाघ आकलन प्रक्रिया (वास-स्थल मानीटरिंग के अलावा अन्य मुख्य शिकारी एवं सहभक्षी) में संशोधन।

8. पड़ोसी बाघ रेंज देशों के साथ द्विपक्षीय प्रयास।

9. स्थानीय लोगों के लाभों के लिए पारि-पर्यटन मार्गनिर्देश तैयार करने और प्रबंधन के लिए बाघ रिजर्व के कोर क्षेत्रों के चारों ओर पारि-विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना।

10. व्यवहार्य एजेंसी के माध्यम से ग्राम पुनर्वास पैकेज बढ़ाने के लिए प्रयास करना।

उक्त के अतिरिक्त वन्यजीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य उपाय इस प्रकार से हैं:-

11. वन्यजीवों (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के उपबंधों के अंतर्गत वन्यजीवों के अवैध शिकार एवं वाणिज्यिक दोहन के लिए इन्हें वैधानिक सुरक्षा मुहैया कराई गई है।

12. वन्यजीवों की अनेक दुर्लभ और खतरे में पड़ी प्रजातियों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची में शामिल करके इन्हें अत्याधिक सुरक्षा प्रदान की गई है।

13. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है और इसे और अधिक कड़ा बनाया गया है। अपराधों के मामले में सजा को बढ़ाया गया है। अधिनियम में वन्यजीव अपराध में प्रयुक्त किसी भी उपस्कर, गाड़ी या हथियार का जब्त करने का भी प्रावधान है।

14. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा दायर करने की शक्तियां प्रदान की गई है।

15. भारत सरकार ने वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के मुख्य निर्यात और व्यापार केन्द्रों में क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

16. राज्यों को विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत जैसे कि बाघ परियोजना, हाथी परियोजना और वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए राज्यों की क्षमता और अवसंरचना को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

17. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा जनवरी, 2002 में एक राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002-16 अपनाई गई है। योजना में देश में वन्यजीवों के सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए कार्यनीति तैयार की गई हैं।

18. भारत ने जैव विविधता संरक्षण और वन्य वनस्पति जाति और प्राणी जाति के अवैध व्यापार पर नियंत्रण संबंधित अनेक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों पर हस्ताक्षर किए है।

19. वन्यजीवों के सीमापार व्यापार पर नियंत्रण के लिए नेपाल और चीन के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

20. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मामलों को निपटाने के लिए बाघ वाले देशों का एक विश्व बाघ फोरम तैयार किया गया है।

[हिन्दी]

प्रोजेक्ट टाइगर की समीक्षा

784. श्री बालेश्वर यादव: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में बाघों के संरक्षण के लिए चलाई जा रही प्रोजेक्ट टाइगर योजना की समीक्षा की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सि संबंध में अब तक क्या प्रगति की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) बाघ परियोजना की समीक्षा माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा गठित बाघ टास्क फोर्स द्वारा की गई। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, बाघ संरक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए उक्त टास्क फोर्स की तत्काल सिफारिशों का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम में हाल के किए गए संशोधन भी शामिल हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राणिकरण का गठन 4 सितम्बर, 2006 को हो चुका है। उपर्युक्त के अलावा सभी बाघ रिजर्वों का स्वतंत्र विशेषज्ञों के पैनल द्वारा मूल्यांकित किए गए हैं जो कि भारतीय परिस्थितियों में संरक्षित क्षेत्रों पर विश्व आयोग द्वारा विकसित मानदण्डों (45) आधारित है। इन्टरनेशनल यूनियन फार कन्जरवेशन आफ नेचर एण्ड नेचुरल रिर्सोसिस द्वारा मूल्यांकन की गहन समीक्षा की गई।

[अनुवाद]

ए.ए.वाई. का कार्यान्वयन

785. श्री सुव्रत बोस: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना की विशेषताएं क्या हैं;

(ग) अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत से इसके अतर्गत लक्षित और वास्तविक लाभार्थियों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(घ) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार कितना खाद्यान्न वास्तव में उठाया गया तथा कितनी मात्राों में खाद्यान्न की आपूर्ति की गई;

(ङ) क्या गरीब परिवारों आदि में बच्चों तथा महिलाओं में

अत्यधिक कुपोषण तथा भूखे रहने की घटनाओं को कम करने में अंत्योदय अन्न योजना की वितरण प्रणाली की प्रभाविकता की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए इस योजना की कोई समीक्षा की गई है; और

(च) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) अंत्योदय अन्न योजना की प्रमुख विशेषताओं सहित इसके ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-IV, V और VI में दिया गया है।

(ङ) सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं कराया गया है।

तथापि, ओ.आर.जी. सेन्टर फार सोशल रिसर्च, नई दिल्ली द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना का एक मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना काफी हद तक सफल रही है और इसके अधीन लगभग 85% परिवार चावल का उठान कर रहे हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने और इसमें सुधार करने के लिए कई पग उठा रही है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है जिसमें केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की वसूली, भंडारण, भारतीय खाद्य निगम के प्रमुख वितरण केन्द्रों तक इनकी ढुलाई करने और राज्य सरकारें लाभार्थियों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने तथा सम्पूर्ण देश में फैली 4.89 लाख उचित दर दुकानों के विशाल नेटवर्क के जरिए खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए जिम्मेदार हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सर्वोत्तम क्रियान्वयन के लिए केन्द्र और राज्य सरकारें इस संबंध में निकट समन्वय से कार्य करती हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुपूरक स्वरूप की है और यह एक औसत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के खाद्यान्नों की कुल जरूरत के लगभग 50% को पूरा करती है। इसके अलावा कई कल्याण योजनाएं भी हैं जिनमें उद्दिष्ट लाभार्थियों को एक जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाते हुए खाद्यान्नों का वितरण किया जाता है। 35 किलोग्राम प्रति माह की दर से जारी की जाने वाली वर्तमान मात्रा 5.5 व्यक्तियों के औसत परिवार की कुल आवश्यकता के लगभग 50% को पूरा करती है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन 1-3-2000 की स्थिति के अनुसार महापंजीयक के आबादी अनुमानों के आधार पर 1993-94 के लिए योजना आयोग के गरीबी अनुमानों के आधार पर अनुमानित परिवारों की संख्या अथवा राज्य सरकारों द्वारा जारी राशन कार्डों की संख्या, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है। यह प्रक्रिया सम्पूर्ण देश में एक समान रूप से अपनाई जाती है।

महिला एवं बाल विकास विभाग की एकीकृत बाल विकास योजना को सम्पूर्ण देश में 1975 से क्रियान्वित किया जा रहा है जिसके अधीन जो बच्चों एवं महिलाओं को पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से 6 सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा और पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा मुहैया कराने के अलावा 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु समूह के बच्चों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अनुपूरक पोषण प्रदान किया जाता है। वर्तमान में 7.8 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र 5.4 करोड़ बच्चों तथा 1.1 करोड़ गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अनुपूरक पोषण प्रदान कर रहे हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

अंत्योदय अन्न योजना की प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा

(i) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की प्रक्रिया इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि देश में कुल आबादी का लगभग 5% भाग 2 जून की रोटी से वंचित रहता है। आबादी के इस वर्ग को भुखमरी ग्रस्त कहा जा सकता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आबादी की इस श्रेणी के प्रति और अधिक केंद्रित और लक्षित करने के लिए एक करोड़ निर्धनतम परिवारों के लिए दिसम्बर, 2000 में 'अंत्योदय अन्न योजना' शुरू की गयी थी।

(ii) अंत्योदय अन्न योजना में राज्य के अंदर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कवर किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से एक करोड़ निर्धनतम परिवारों की

पहचान करने और उन्हें 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की अत्यधिक राजसहायताप्राप्त दरों पर खाद्यान्न प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह अपेक्षित होता है कि वे डीलरों और खुदरा विक्रेताओं के मार्जिन सहित वितरण लागत और ढुलाई लागत वहन करें। इस प्रकार, इस स्कीम के अधीन सम्पूर्ण खाद्य राजसहायता उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जा रही है।

(iii) निर्गम का मानदंड जो प्रारंभ में 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति मास था, उसे 1 अप्रैल, 2002 से बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति मास कर दिया गया है।

अंत्योदय परिवारों की पहचान और खाद्यान्न आवंटित करना

(i) अंत्योदय परिवारों की पहचान करने और इन परिवारों को अलग प्रकार के राशन कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। दिस्तारित अंत्योदय अन्न योजना के अधीन अंत्योदय अन्न योजना और अतिरिक्त अंत्योदय परिवारों की पहचान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। पहचान किए गए परिवारों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी किए गए अंत्योदय अन्न योजना के अलग प्रकार के राशन कार्डों के आधार पर उन्हें इस योजना के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन किया जा रहा है।

योजना का विस्तार

योजना के प्रारंभ से इसका तीन बार विस्तार किया गया है। प्रथम विस्तार 5 जून, 2003 को, दूसरा विस्तार अगस्त, 2004 को और तीसरा विस्तार 12 मई, 2005 को किया गया तथा प्रत्येक बार योजना के तहत 50 लाख और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की वृद्धि की गई। इस समय लगभग 2.5 करोड़ परिवारों को योजना के तहत कवर किया जा रहा है। इस वृद्धि के साथ कुल अनुमानित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के 38% से अधिक परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना के अधीन कवर किया गया है।

22-2-2007 की स्थिति के अनुसार अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 234.105 लाख परिवारों को कवर किया गया है।

इस योजना में निम्नलिखित प्राथमिकता प्राप्त समूहों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है:-

(1) वे परिवार जिनकी मुखिया विधवा अथवा असाध्य रोगी या अपंग व्यक्ति अथवा 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु के व्यक्ति और जिनकी जीविका का सुनिश्चित साधन नहीं है या जिन्हें सामाजिक समर्थन प्राप्त नहीं है।

(2) विधवाएं अथवा असाध्य रोग ग्रस्त व्यक्ति या 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु के व्यक्ति या अकेली महिला अथवा अकेला पुरुष जिन्हें कोई पारिवारिक अथवा सामाजिक समर्थन प्राप्त नहीं है या जिनकी जीविका का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है।

(3) सभी आदिम आदिवासी परिवार।

(4) ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे किसान, कुम्हार, मोची, बुनकर, लोहार, बढ़ई, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले जैसे ग्रामीण दस्तकार/कर्मकार और अनौपचारिक क्षेत्र में दिहाड़ी आधार पर जीविका अर्जित करने वाले मालवाहक कुली, रिक्शाचालक, हथठेला चालक, फल और फूल विक्रेता, सपेरे, कबाड़ी मोची जैसे व्यक्ति, असहाय और इसी प्रकार की अन्य श्रेणियों के परिवार।

विवरण-II

पहचान किए गए परिवारों की सूची का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(आंकड़े लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	6.228		3.117	2.991	3.242		15.578

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.151			0.150	0.079		0.380
3.	असम	2.815				2.760	1.430	7.005
4.	बिहार	10.000				5.003	9.131	24.134
5.	छत्तीसगढ़	2.874		1.439	1.380	1.496		7.189
6.	दिल्ली	0.320			0.235			0.555
7.	गोया	0.073			0.037	0.035		0.145
8.	गुजरात	3.250			1.626	1.561	1.661	8.098
9.	हरियाणा	1.118		0.091	0.606		1.109	2.924
10.	हिमाचल प्रदेश	0.787			0.395		0.789	1.971
11.	जम्मू-कश्मीर	1.129			0.564	0.542	0.322	2.557
12.	झारखण्ड	3.665			3.603			7.268
13.	कर्नाटक	4.762	0.035	2.400	2.303	2.497		11.997
14.	केरल	2.382		1.192			2.384	5.958
15.	मध्य प्रदेश	6.324		3.164	3.037		3.120	15.645
16.	महाराष्ट्र	10.017			9.821			19.838
17.	मणिपुर	0.255				0.249		0.504
18.	मेघालय	0.281			0.140	0.135	0.146	0.702
19.	मिजोरम	0.105		0.051	0.050	0.055		0.261
20.	नागालैण्ड	0.189		0.096	0.091	0.099		0.475
21.	उड़ीसा	5.055			2.530	2.428	2.632	12.645
22.	पंजाब	0.717				0.671	0.406	1.794
23.	राजस्थान	3.726				3.629	1.924	9.279
24.	सिक्किम	0.067		0.032			0.066	0.165
25.	तमिलनाडु	7.143		0.312	3.730	7.461		18.646
26.	त्रिपुरा	0.452			0.227			0.679

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	उत्तर प्रदेश	16.371		8.191	7.861	8.522		40.945
28.	उत्तरांचल	0.763				0.382	0.367	1.512
29.	पश्चिम बंगाल	7.939			3.973	2.887		14.799
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.043						0.043
31.	चण्डीगढ़	0.021						0.021
32.	दादरा और नागर हवेली	0.028				0.009	0.015	0.052
33.	दमन और दीप	0.006				0.009		0.015
34.	लक्षद्वीप	0.004						0.004
35.	पाण्डिचेरी	0.090	0.038		0.065	0.129		0.322
	जोड़	99.150	0.073	20.085	45.415	43.880	25.502	234.105

विवरण-III

अंत्योदय अन्न योजना के अधीन (सामान्य और अतिरिक्त) पहचान किए गए परिवारों का ब्यौरा

(आंकड़े लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1-3-2000 की स्थिति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की संख्या	अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की अनुमानित					पहचान किए गए अंत्योदय अन्न योजना परिवारों और जारी किए गए राशन कार्ड				
			सामान्य	प्रथम विस्तार	*द्वितीय विस्तार	**तृतीय विस्तार	जोड़	सामान्य	प्रथम विस्तार	द्वितीय विस्तार	तृतीय विस्तार	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	40.63	6.228	3.117	2.991	3.242	15.578	6.228	3.117	2.991	3.242	15.578
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.99	0.151	0.077	0.073	0.079	0.380	0.151	0.077	0.073	0.079	0.380
3.	असम	18.36	2.815	1.408	1.352	1.465	7.040	2.815	1.408	1.352	1.430	7.005
4.	बिहार	65.23	10.000	5.003	4.802	5.205	25.010	10.000	5.003	4.802	4.329	24.134
5.	छत्तीसगढ़	18.75	2.874	1.439	1.380	1.496	7.189	2.874	1.439	1.380	1.496	7.189
6.	दिल्ली	4.09	0.626	0.315	0.301	0.326	1.568	0.320	0.235			0.555
7.	गोवा	0.48	0.073	0.037	0.035	0.039	0.184	0.073	0.037	0.035		0.145
8.	गुजरात	21.20	3.250	1.626	1.561	1.691	8.128	3.250	1.626	1.561	1.661	8.098
9.	हरियाणा	7.89	1.209	0.606	0.581	0.629	3.025	1.209	0.606	0.581	0.528	2.924
10.	हिमाचल प्रदेश	5.14	0.787	0.395	0.378	0.411	1.971	0.787	0.395	0.378	0.411	1.971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	जम्मू-कश्मीर	7.36	1.129	0.564	0.542	0.587	2.822	1.129	0.564	0.542	0.322	2.557
12.	झारखण्ड	23.94	3.665	1.841	1.762	1.911	9.179	3.665	1.841	1.762		7.268
13.	कर्नाटक	31.29	4.797	2.400	2.303	2.497	11.997	4.797	2.400	2.303	2.497	11.997
14.	केरल	15.54	2.382	1.192	1.144	1.240	5.958	2.382	1.192	1.144	1.240	5.958
15.	मध्य प्रदेश	41.25	6.324	3.164	3.037	3.291	15.816	6.324	3.164	3.037	3.120	15.645
16.	महाराष्ट्र	65.34	10.017	5.011	4.810	5.215	25.053	10.017	5.011	4.810		19.838
17.	मणिपुर	1.66	0.255	0.127	0.122	0.132	0.636	0.255	0.127	0.122		0.504
18.	मेघालय	1.83	0.281	0.140	0.135	0.146	0.702	0.281	0.140	0.135	0.146	0.702
19.	मिजोरम	0.68	0.105	0.051	0.050	0.055	0.261	0.105	0.051	0.050	0.055	0.261
20.	नागालैण्ड	1.24	0.189	0.096	0.091	0.099	0.475	0.189	0.096	0.091	0.099	0.475
21.	उड़ीसा	32.98	5.055	2.530	2.428	2.632	12.645	5.055	2.530	2.428	2.632	12.645
22.	पंजाब	4.68	0.717	0.359	0.345	0.373	1.794	0.717	0.359	0.345	0.373	1.794
23.	राजस्थान	24.31	3.726	1.865	1.790	1.940	9.321	3.726	1.839	1.790	1.924	9.279
24.	सिक्किम	0.43	0.067	0.032	0.032	0.034	0.165	0.067	0.032	0.032	0.034	0.165
25.	तिमिलनाडु	48.63	7.455	3.730	3.580	3.881	18.646	7.455	3.730	3.580	3.881	18.646
26.	त्रिपुरा	2.95	0.452	0.227	0.217	0.235	1.131	0.452	0.227			0.679
27.	उत्तर प्रदेश	106.79	16.371	8.191	7.861	8.522	40.945	16.371	8.191	7.861	8.522	40.945
28.	उत्तराखंड	4.98	0.763	0.382	0.367	0.397	1.909	0.763	0.382	0.367		1.512
29.	पश्चिम बंगाल	51.79	7.939	3.973	3.813	4.132	19.857	7.939	3.973	2.887		14.799

30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.28	0.043	0.021	0.021	0.022	0.107	0.043			0.043
31.	चण्डीगढ़	0.23	0.035	0.018	0.017	0.018	0.088	0.021			0.021
32.	दादर और नागर हवेली	0.18	0.028	0.013	0.013	0.015	0.069	0.028	0.013	0.011	0.052
33.	दमन और दीव	0.04	0.006	0.003	0.003	0.003	0.015	0.006	0.003	0.003	0.003	0.015
34.	लक्षद्वीप	0.03	0.004	0.003	0.002	0.003	0.012	0.004		-		0.004
35.	पांडिचेरी	0.84	0.128	0.065	0.062	0.067	0.322	0.128	0.065	0.062	0.067	0.322
	जोड़	652.03	99.946	50.021	48.001	52.030	249.998	99.626	49.873	46.515	38.091	234.105

* द्वितीय विस्तार में 50 लाख परिवारों में से राज्यवार विस्तार के लिए 48 लाख परिवारों (गरीबी रेखा से नीचे में से) को चिन्हित कर लिया गया है और जहां कहीं शामिल करने में त्रुटि का पता चला वहां राज्यों द्वारा बाद में शेष दो लाख परिवारों की पहचान की जानी थी।

** तीसरे विस्तार के शेष 2 लाख परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना स्कीम के तीसरे विस्तार में शामिल करके 50 लाख परिवारों की संख्या बढ़ाकर 52 लाख कर दी गई है।

विवरण-IV

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2004-05 (अनंतिम) के लिए चावल और गेहूं का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान				उठान %			
		गरेनी	गरेऊ	अअयो.	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अअयो.	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अअयो.	जोड़
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,230.13	2,266.74	476.248	3973.116	1261.816	1137.642	456.115	2855.573	102.576	50.188	95.773	71.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	31.68	76.68	9.816	118.176	31.61	54.709	8.661	94.98	99.779	71.347	88.223	80.37
3.	असम	650.434	885.14	150.086	1685.66	623.762	521.126	139.178	1284.066	95.899	58.875	92.732	76.18
4.	बिहार	2,219.18	2,291.52	420	4930.704	809.91	10.312	382.079	1202.301	36.496	0.45	90.971	24.38
5.	छत्तीसगढ़	586.635	1,045.80	200.997	1833.432	556.72	42.368	180.399	779.487	94.901	4.051	89.752	42.52
6.	दिल्ली	155.27	996.516	16.51	1168.296	148.735	410.117	13.984	572.836	95.791	41.155	84.7	49.03
7.	गोवा	11.848	118.296	4.112	134.256	नगण्य	नगण्य	5.04	5.04	नगण्य	नगण्य	122.568	3.75
8.	गुजरात	716.567	2,787.56	167.081	3671.212	556.091	93.809	114.301	764.201	77.605	3.365	68.411	20.82
9.	हरियाणा	257.04	1,014.20	71.532	1342.776	217.587	154.641	65.097	437.325	84.651	15.248	91.004	32.57
10.	हिमाचल प्रदेश	134.816	348.9	44.116	527.832	118.553	152.004	41.755	312.312	87.937	43.567	94.648	59.17
11.	जम्मू-कश्मीर	243.008	447.72	66.076	756.804	235.598	292.756	43.508	571.862	96.951	65.388	65.845	75.56
12.	झारखण्ड	801.112	216.3	204.38	1221.792	365.914	20.607	167.666	554.187	45.676	9.527	82.036	45.36
13.	कर्नाटक	987.813	2,070.60	326.463	3384.876	972.701	848.631	300.882	2122.214	98.47	40.985	92.164	62.7
14.	केरल	487.048	1,808.94	165.56	2461.548	493.64	264.047	156.714	914.401	101.353	14.597	94.657	37.15
15.	मध्य प्रदेश	1,326.22	2,535.37	406.254	4267.848	1225.005	22.732	380.325	1628.062	92.368	0.897	93.618	38.15
16.	महाराष्ट्र	2,069.84	4,700.88	674.467	7445.184	1773.019	67.391	598.26	2438.67	85.66	1.434	88.701	32.75

17. मणिपुर	44.084	47.46	11.93	103.474	29.035	18.305	8.631	55.971	65.863	38.569	72.347	54.09
18. मेघालय	60.152	45.024	16.708	121.884	60.389	21.808	16.119	98.316	100.394	48.436	96.475	80.66
19. मिजोरम	21.241	93.84	7.439	122.52	21.644	70.007	70.098	98.749	101.897	74.603	95.416	80.6
20. नागालैण्ड	39.529	122.04	12.551	174.12	42.787	108.915	11.922	163.624	108.242	89.245	94.988	93.97
21. उड़ीसा	1,436.09	1,155.56	260.604	2852.256	1141.878	132.305	240.04	1514.223	79.513	11.449	92.109	53.09
22. पंजाब	166.416	1,473.24	30.12	1669.776	110.983	25.348	22.766	159.097	66.69	1.721	75.584	9.53
23. राजस्थान	708.868	2,763.76	251.672	3724.296	651.375	301.545	230.951	1183.871	91.889	10.911	91.767	31.79
24. सिक्किम	14.076	25.812	4.164	44.052	14.022	18.532	4.058	36.612	99.616	71.796	97.454	83.11
25. तमिलनाडु	1,608.37	3,787.98	434.011	5830.356	1665.081	630.638	424.791	2720.51	103.526	16.648	97.876	46.66
26. त्रिपुरा	100.929	179.232	22.971	303.132	104.67	60.168	21.376	186.214	103.707	33.57	93.056	61.43
27. उत्तर प्रदेश	3,316.04	6,494.46	1,169.14	10979.64	2777.114	7.763	1126.056	3910.933	83.748	0.12	96.315	35.62
28. उत्तरांचल	177.12	333.552	32.052	542.724	178.697	16.772	41.62	237.089	100.89	5.028	129.851	43.69
29. पश्चिम बंगाल	1,618.95	4,089.18	391.595	6099.72	1259.8	924.827	260.473	2445.1	77.816	22.616	66.516	40.09
30. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.43	36.36	1.8	45.59	0.887	2.023	नगण्य	2.91	11.938	5.564	नगण्य	6.38
31. चण्डीगढ़	8.748	75.516	0.888	85.152	0.17	नगण्य	0.191	0.361	1.943	नगण्य	21.509	0.42
32. दादरा और नागर हवेली	5.544	7.14	1.176	13.86	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य
33. दमन और दीव	1.428	9.42	0.252	11.1	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य
34. लक्षद्वीप	0.372	3.708	0.168	4.248	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य
35. पाण्डिचेरी	28.238	13.2	6.874	48.312	2.62	0.085	1.235	3.94	9.278	0.644	17.966	8.16
जोड़	21,272.26	44,367.66	6,059.81	71,699.72	17,451.81	6,431.93	5,471.29	29,355.04	82.04	14.497	90.288	40.942

विवरण-V

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2005-06 (अनंतिम) (दिसम्बर तक) के लिए चावल और गेहूं का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान				उठान %			
		गरेनी	गरेऊ	अअयो.	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अअयो.	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अअयो.	जोड़
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,086.13	2,266.74	620.247	3973.116	1101.87	1507.07	608.56	3217.5	101.449	66.486	98.116	80.98
2.	अरुणाचल प्रदेश	28.56	69.75	12.936	111.246	25.52	43.25	12.4	81.17	89.356	62.007	95.857	72.96
3.	असम	625.416	955.14	175.104	1755.66	595.48	444.58	181.09	1221.15	95.213	46.546	103.419	69.56
4.	बिहार	2,166.65	2,291.52	472.533	4930.704	672.01	25.55	421.06	1118.62	31.016	1.115	89.107	22.69
5.	छत्तीसगढ़	532.812	1,045.80	254.82	1833.432	536.803	52.25	229.189	818.242	100.749	4.996	89.942	44.63
6.	दिल्ली	148.464	996.516	23.316	1168.296	145.19	302.61	22.15	469.95	97.795	30.367	94.999	40.23
7.	गोवा	10.221	118.296	5.739	134.256	3.804	6.103	2.447	12.354	37.217	5.159	42.638	9.2
8.	गुजरात	618.063	2,787.56	258.785	3664.412	471.11	178.29	192.34	841.74	76.224	6.396	74.324	22.97
9.	हरियाणा	242.516	1,014.20	86.056	1342.776	195.25	18.07	76.89	290.21	80.51	1.782	89.349	21.61
10.	हिमाचल प्रदेश	116.648	348.9	62.284	527.832	95.56	179.07	55.6	330.23	81.922	51.324	89.269	62.56
11.	जम्म-कश्मीर	220.335	447.72	88.749	756.804	225.77	346.96	73.09	645.82	102.467	77.495	82.356	85.34
12.	झारखण्ड	700.224	216.3	305.268	1221.792	380.91	21.16	282.63	684.7	54.398	9.783	92.584	56.04
13.	कर्नाटक	876.317	2,035.01	407.752	3319.083	875.69	877.57	378.35	2131.61	99.928	43.124	92.789	64.22
14.	केरल	445.56	1,808.94	207.088	2461.588	436.973	323.932	200.722	961.627	98.073	17.907	96.926	39.07
15.	मध्य प्रदेश	1,195.32	2,535.37	534.141	4264.828	1217.046	153.02	509.58	1879.646	101.818	6.035	95.402	44.07
16.	महाराष्ट्र	1,914.47	4,700.88	829.836	7445.184	1647.21	127.48	736.41	2511.1	86.04	2.712	88.742	33.73

17.	मणिपुर	36.566	47.46	23.078	107.104	33.93	14.89	13.96	62.78	92.791	31.374	60.491	58.62
18.	मेघालय	53.568	45.024	23.292	121.884	54.7	22.61	22.72	100.03	102.113	50.218	97.544	82.07
19.	मिजोरम	18.279	72.02	10.401	100.7	17.65	55.89	10.01	83.55	96.559	77.603	96.241	82.97
20.	नागालैण्ड	35.817	102.4	16.263	154.48	35.61	94.66	16.44	146.71	99.422	92.441	101.088	94.97
21.	उड़ीसा	1,261.91	1,155.56	434.785	2852.256	797.408	109.77	450.493	1357.671	63.191	9.499	103.613	47.6
22.	पंजाब	164.067	1,473.24	32.469	1669.776	71.11	8.84	18.24	98.19	43.342	0.6	56.177	5.88
23.	राजस्थान	593.382	2,763.76	340.018	3697.156	469.57	204.17	300.57	974.31	79.135	7.387	88.398	26.35
24.	सिक्किम	14.076	25.812	4.164	44.052	14.05	24.04	4.32	42.41	99.815	93.135	103.746	96.27
25.	तमिलनाडु	1,397.70	3,787.98	644.679	5830.356	1391.6	1663.797	657.63	3713.027	99.564	43.923	102.009	63.68
26.	त्रिपुरा	95.364	179.232	28.536	303.132	92.77	66.96	28.53	188.26	97.28	37.359	99.979	62.1
27.	उत्तर प्रदेश	2,945.11	6,494.46	1,539.69	10979.252	2560.263	40.166	1438.289	4038.718	86.933	0.618	93.414	36.79
28.	उत्तरांचल	162.413	333.552	46.759	542.724	166.282	53.316	34.615	254.213	102.382	15.984	74.029	46.84
29.	पश्चिम बंगाल	1,447.97	4,089.18	562.571	6099.72	1294.459	1029.41	454.3	2778.169	89.398	25.174	80.754	45.55
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.428	36.36	1.8	45.588	1.81	15.79	0.53	18.13	24.367	43.427	29.444	39.77
31.	चण्डीगढ़	68.748	75.516	0.888	85.152	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य
32.	दादरा और नागर हवेली	5.192	7.14	1.528	13.86	1.67	0.89	0.72	3.28	32.165	12.465	47.12	23.67
33.	दमन और दीव	1.236	9.42	0.444	11.1	0.44	0.15	0.22	0.81	35.599	1.592	49.55	7.3
34.	लक्षद्वीप	0.372	3.36	0.168	3.9	0.47	2.98	0.33	3.78	126.344	88.69	196.429	96.92
35.	पांडिचेरी	22.862	13.2	12.25	48.312	12.53	5.2	7.91	25.64	54.807	39.394	64.571	53.07
	जोड़	19,199.75	44.353.33	8,068.43	71,621.51	15,642.52	8,020.49	7,442.34	31,105.35	81.473	18.083	92.24	43.43

विवरण-VI

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2006-07 (अनंतिम) के लिए चावल और गेहूं का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान				उठान %			
		गरेनी	गरेऊ	अअयो.	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अअयो.	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अअयो.	जोड़
1.	आन्ध्र प्रदेश	789.066	1,645.69	490.716	2925.472	794.193	1107.12	494.634	2395.944	100.65	67.274	100.798	81.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	19.143	46.236	11.979	77.358	15.638	33.19	8.91	57.738	81.69	71.784	74.38	74.64
3.	असम	357.525	706.338	220.662	1284.525	360.886	526.992	199.067	1086.945	100.94	74.609	90.214	84.62
4.	बिहार	1,523.56	1,024.09	472.599	3020.244	313.793	6.64	406.313	726.746	20.596	0.648	85.974	24.06
5.	छत्तीसगढ़	362.266	629.063	219.764	1211.093	346.126	23.964	206.969	577.059	95.545	3.809	94.178	47.65
6.	दिल्ली	111.348	504.899	17.487	633.734	110.145	265.25	17.164	392.559	98.92	52.535	98.153	61.94
7.	गोवा	4.095	69.095	4.581	77.771	3.04	9.93	2.69	15.66	74.237	14.372	58.721	20.14
8.	गुजरात	398.769	1,145.96	213.012	1757.742	365.598	79.392	200.134	645.124	91.682	6.928	93.954	36.7
9.	हरियाणा	169.008	398.467	78.689	646.164	153.235	2.517	74.04	229.792	90.667	0.632	94.092	35.56
10.	हिमाचल प्रदेश	37.15	231.224	56.109	324.483	36.889	175.491	57.448	269.828	99.297	75.897	102.386	83.16
11.	जम्मू-कश्मीर	154.653	355.79	77.16	587.603	161.305	266.789	72.549	500.643	104.301	74.985	94.024	85.2
12.	झारखण्ड	525.168	142.001	228.951	896.12	309.848	10.415	220.743	541.006	59	7.334	96.415	60.37
13.	कर्नाटक	575.52	1,196.42	367.039	2138.975	563.122	645.79	348.371	1557.283	97.846	53.977	94.914	72.81
14.	केरल	303.69	1,204.87	185.766	1694.325	297.284	267.158	185.584	750.026	97.891	22.173	99.902	44.27
15.	मध्य प्रदेश	795.69	837.016	485.889	2118.595	774.656	111.587	455.493	1341.736	97.357	13.332	93.744	63.33
16.	महाराष्ट्र	1,433.31	1,812.97	624.915	3871.202	1200.324	123.76	540.673	1864.757	83.745	6.826	86.519	48.17

17.	मणिपुर	36.414	30.621	15.885	82.92	31.536	10.594	13.873	56.003	86.604	34.597	87.334	67.54
18.	मेघालय	40.131	33.442	17.514	91.087	39.997	28.259	17.131	85.387	99.666	84.502	97.813	93.74
19.	मिजोरम	13.23	29.602	8.19	51.022	13.23	30.834	8.19	52.254	100	104.162	100	102.41
20.	नागालैण्ड	24.084	57.378	14.976	96.438	29.111	55.206	17.988	102.305	120.873	96.215	120.112	106.08
21.	उड़ीसा	874.583	632.797	397.936	1905.316	522.645	101.481	348.222	972.348	59.759	16.037	87.507	51.03
22.	पंजाब	103.671	521.999	43.731	669.401	45.144	33.122	24.472	102.738	43.545	6.345	55.96	15.35
23.	राजस्थान	447.49	1,066.28	288.277	1802.046	386.344	105.635	257.378	749.357	86.336	9.907	89.281	41.48
24.	सिक्किम	9.633	19.394	4.047	33.074	4.3	6.83	1.78	12.91	44.638	35.217	43.983	39.03
25.	तमिलनाडु	944.424	2,816.47	587.358	4348.248	761.482	1144.09	581.711	2487.278	80.629	40.621	99.039	57.2
26.	त्रिपुरा	71.523	129.65	21.402	222.575	59.32	87.959	18.324	165.603	82.938	67.843	85.618	74.4
27.	उत्तर प्रदेश	2,075.24	3,006.59	1,290.14	6371.974	1436.07	219.419	1030.164	2685.653	69.2	7.298	79.849	42.15
28.	उत्तराखंड	137.373	243.54	54.368	435.281	98.597	68.745	32.43	199.772	71.773	28.277	59.649	45.89
29.	पश्चिम बंगाल	1,133.67	2,620.86	466.263	4220.79	836.361	632.533	381.57	1850.464	73.775	24.135	81.836	43.84
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.78	16.112	1.35	21.242	2.23	12.33	0.65	15.21	58.996	76.527	48.148	71.6
31.	चण्डीगढ़	1.879	25.995	0.666	28.54	0.21	नगण्य	0.07	0.28	11.176	नगण्य	10.511	0.98
32.	दादरा और नागर हवेली	3.817	4.957	1.223	9.997	2.54	1.52	0.38	4.44	66.544	30.664	31.071	44.41
33.	दमन और दीव	0.783	6.656	0.477	7.916	0.41	0.2	0.35	0.96	52.363	3.005	73.375	12.13
34.	लक्षद्वीप	0.235	2.67	0.122	3.027	0.24	1.43	0.06	1.73	102.128	53.558	49.18	57.15
35.	पांडिचेरी	16.173	37.4	10.161	63.734	10.19	1.16	5.76	17.11	63.006	3.102	56.687	26.85
	जोड़	13498.094	23,252.54	6979.401	43,730.04	10,086.39	6,197.332	6,231.285	22,514.656	74.722	26.652	89.281	51.486

लेवी चीनी हेतु परिवहन प्रभार

786. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने कुछ समय पूर्व केन्द्र सरकार से लेवी चीनी समान मूल्य कोष योजना के अंतर्गत लेवी चीनी उठाने के संबंध में वास्तविक सड़क परिवहन प्रभार भत्ता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो परिवहन की लागत ज्यादा होने के कारण चीनी के ट्रांसपोर्टरों के सामने आने वाली समस्याओं को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं। केन्द्र सरकार को हाल के महीनों में किसी भी राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि योग्य और कृषि न किये जाने योग्य भूमि

787. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में राज्यवार कृषि योग्य और कृषि न किये जाने योग्य कितनी भूमि है;

(ख) भूमि के कितने हैक्टेयर क्षेत्र पर एक ही फसल और अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और तत्संबंधी राज्यवार पृथक्-पृथक् ब्यौरा क्या है;

(ग) कृषि न किये जाने योग्य भूमि का उपयोग करने के लिए सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन प्रस्तावों को किस प्रकार क्रियान्वित किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) नवीनतम उपलब्धता के अनुसार "भू उपयोग सांख्यकी", 2003-04 में देश में खेती योग्य भूमि का कुल क्षेत्र (अर्थात् शुद्ध बुआई क्षेत्र वर्तमान परती भूमि, पुरानी परती भूमि, कृषि बंजार भूमि, विविध वृक्ष फसलों के अन्तर्गत भूमि का योग), 183.5 मिलियन हैक्टेयर थी। उस वर्ष कृषि न की जाने योग्य भूमि 122.4 मिलियन हैक्टेयर थी। शुद्ध बुआई क्षेत्र के तहत मापी गई एकक फसल के अन्तर्गत आने वाला कुल क्षेत्र 140.9 मिलियन हैक्टेयर रहा, तथा वह एक बार से अधिक बुआई क्षेत्र में अनुसार मापा गया बहु फसलों के अन्तर्गत, 49.8 मिलियन हैक्टेयर था। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भूमि कटाव तथा भू-अवक्रमण पर नियन्त्रण हेतु किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जलाशय विकास, भू-संरक्षण, भू-अभिक्रिया तथा मरूस्थल विकास के माध्यम से खेती के अन्तर्गत विकृत भूमि का सुधार करना है। ये निम्नानुसार है:-

- **वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जलाशय विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.)**

  इसका उद्देश्य भूमि तथा जल संसाधनों को संरक्षण प्रदान करना, वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में उत्पादन को आशान्वित करना तथा विकृत भूमि में सुधार लाना है। मरूस्थल का प्रतिकूल प्रभाव तथा प्रतिकूल मौसम अवस्था को कम करना है।

- **उत्पादकता बढ़ाने के लिए नदी घाटी परियोजना एवं बाढ़ सम्भावित नदी के अवाह-क्षेत्र की विकृत भूमि में भूमि संरक्षण**

  यह केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य भूमि की उत्पादकता बढ़ाना, जलाशयों के गाद (सिल टेशन) को कम करना तथा बाढ़ प्रवृत नदियों में बाढ़ के खतरों को नियन्त्रित करना है।

- **क्षारीय मृदा सुधार (आर.ए.एस.)**

  इसका उद्देश्य क्षार प्रभावित मृदा का सुधार तथा बागवानी विकास, ईंधन लकड़ियां एवं मसाले सहित फसलों की उत्पादकता तथा भूमि में सुधार करना है।

- **सूखाग्रसित क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)**

  इस योजना का उद्देश्य, पशुधन तथा भू-उत्पादकता पर होने वाले सूखे का प्रतिकूल प्रभाव को कम करना है।

- **मरूस्थल विकास कार्यक्रम**

  इस कार्यक्रम का उद्देश्य फसलों, मानव तथा पशु

संख्या पर मरूस्थल का प्रतिकूल प्रभाव तथा प्रतिकूल मौसम अवस्था को कम करना है।

एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना (आई.डब्ल्यू. डी.पी.)

यह कार्यक्रम पणधारियों, जिसमें गरीब किसान तथा अलाभकारी वर्ग शामिल हैं, को उनकी कुल आर्थिक विकास को प्रोन्नत करने हेतु उनकी स्थानीय आवश्यकता के अनुसार योजनाएं तैयार करने की अनुमति प्रदान करता है।

विवरण

वर्ष 2003-04 के लिए एक बार से अधिक बुआई क्षेत्र, निवल बुआई क्षेत्र, कृष्य भूमि और कृषि के लिए अयोग्य भूमि (अनन्तिम)

(हजार हैक्टेयर में)

राज्य/के.शा. प्रदेश	रिपोर्ट किया गया क्षेत्र	एक बार से अधिक बुआई क्षेत्र	कृष्य भूमि	कृषि हेतु अयोग्य भूमि	निवल बुआई क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	27440	2248.1	15789.5	11650.5	10118.3
अरुणाचल प्रदेश	5498	98.9	314.3	5183.7	164.2
असम	7850	1187.6	3224.0	4626.0	2774.5
बिहार	9360	2170.3	6639.5	2720.5	5712.1
छत्तीसगढ़	13790	927.7	5603.9	8186.1	4778.9
गोवा	361	27.2	197.2	163.8	141.5
गुजरात	19008	1689.6	12551.7	6456.3	9621.7
हरियाणा	4374	2854.3	3771.4	602.6	3533.8
हिमाचल प्रदेश	4543	406.4	800.2	3742.8	544.6
जम्मू-कश्मीर	3781	355.2	1050.4	2730.6	746.9
झारखण्ड	7970	465.7	4184.4	3785.6	1769.2
कर्नाटक	19050	1603.7	12908.1	6141.9	9846.6
केरल	3885	764.5	2378.0	1507.0	2189.9
मध्य प्रदेश	30756	4842.7	17361.9	13394.1	14945.4
महाराष्ट्र	30758	4758.0	21180.3	9577.7	17432.4

1	2	3	4	5	6
मणिपुर	1945	0.0	224.3	1720.7	217.4
मेघालय	2227	45.8	1061.1	1165.9	226.6
मिजोरम	2085	0.0	351.5	1733.5	97.6
नागालैण्ड	1583	64.8	644.7	938.3	305.1
उड़ीसा	15571	2841.6	7473.0	8098.0	5795.0
पंजाब	5033	3688.5	4269.6	763.4	4242.8
राजस्थान	34266	4269.6	25638.3	8627.7	17394.4
सिक्किम	672	10.8	152.7	519.3	110.2
तमिलनाडु	13027	626.9	8168.4	4858.6	4689.2
त्रिपुरा	1049	52.5	309.5	739.5	280.0
उत्तरांचल	5689	530.5	1527.3	4161.7	776.2
उत्तर प्रदेश	24417	8973.1	19530.5	4886.5	16812.2
पश्चिम बंगाल	8854	4185.8	6021.7	2832.3	5521.6
अंडमान और निकोबार	746	28.2	23.9	722.1	17.0
चण्डीगढ़	7	1.3	2.2	4.8	1.9
दादरा और नगर हवेली	49	7.1	24.3	24.7	22.7
दमन और दीव	2	1.1	2.0	0.0	2.0
दिल्ली	147	17.5	57.1	89.9	27.0
लक्षद्वीप	3	0.0	2.7	0.3	2.7
पांडिचेरी	49	16.7	31.5	17.5	20.6
अखिल भारत	305843	49761.6	183470.8	122372.2	140882.1

स्रोत: भू-उपयोग आंकड़े एक नजर में - 2003-04

नोट: कृषि हेतु अयोग्य भूमि की गणना रिपोर्ट किए गए कुल क्षेत्र में से कुल कृष्य भूमि को घटाकर की गई है।

समुद्री मछलियों की संख्या का आकलन

788. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **कृषि मंत्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में समुद्री मछलियों की संख्या संबंधी आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय समुद्रीय मत्स्यन अनुसंधान संस्थान (सी.एम. एफ.आर.आई.) ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कब तक प्रकाशित होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सी.एम.एफ. आर.आई.) द्वारा मुख्य भूमि से जुड़े सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए तथा भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफ.एस.आई.) द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए वर्ष 2005 में समुद्री मात्स्यिकों के संबंध में संगणना आयोजित की थी जो कि समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र में लगे गांव/जिलावार लोगों तथा सामग्री की गणना के लिए और मछुआरों की शैक्षिक स्थिति एवं आर्थिक दशा जैसे सक्रिय मत्स्यन कार्यों में अथवा सहायक गतिविधियों में उनके रोजगार, सहकारिताओं में सदस्यता, लिंग अनुपात आदि का पता लगाने के लिए की गई थी।

(ग) से (ङ) जी, हां। सी.एम.एफ.आर.आई. तथा एफ.एस.आई. की रिपोर्टें जारी कर दी गई हैं। रिपोर्टों के अनुसार, भारत में 3322 समुद्री मत्स्यन गांव हैं जिनमें 7.65 लाख घर हैं। कुल जनसंख्या में से 35.75 लाख समुद्री मात्स्यिकी पर निर्भर हैं, 56.76% लोगों ने कुछ शिक्षा प्राप्त की है; 25.23% लोग सक्रिय मत्स्यन में लगे हुए हैं तथा 21.45% लोग मात्स्यिकी संबंधी सहायक गतिविधियों में लगे हुए हैं। देश के मात्स्यिकी क्षेत्र में 59,743 मशीनीकृत नौकाओं, 76,748 मोटरीकृत नौकाओं तथा 1,07,448 गैर मोटरीकृत नौकाओं सहित 2,43,939 नौकाएं लगी हुई हैं।

दिल्ली हेतु पानी

789. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार दिल्ली के सोनिया विहार जल संयंत्र के लिए पानी की कुल मात्रा में से एक अंश को ही जारी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य द्वारा पानी की कम आपूर्ति के क्या कारण बताए गए हैं;

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) दिल्ली में जलापूर्ति को विनियमित करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि 300 क्यूसेक जल के आबंटन की तुलना में उत्तर प्रदेश केवल 105 क्यूसेक जल जारी कर रहा है।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार का कहना कि टिहरी बांध से जारी किया गया जल उनकी अपनी जल संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि बांध निर्माण के पहले संगत अवधि में भागीरथी नदी में प्रवाह सामान्य प्रवाह से कम था।

(घ) और (ङ) उत्तर प्रदेश द्वारा सोनिया विहार जल उपचार संयंत्र के लिए जल जारी करने संबंधी मुद्दे को हल करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान सचिव स्तर पर अनेक अन्तर्राज्यीय बैठकें आयोजित की गई थी। उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली से सोनिया विहार जल उपचार संयंत्र के लिए समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) को अंतिम रूप देने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में, दिल्ली सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक समझौता ज्ञापन मसौदा पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। जल संसाधन मंत्री ने अक्तूबर, 2006 में और सचिव (ज.सं.) ने भी फरवरी, 2007 में उत्तर प्रदेश सरकार से सोनिया विहार जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यू.टी.पी.) के लिए दिल्ली को 300 क्यूसेक जल की पूर्ण मात्रा को जारी करने का अनुरोध किया था ताकि दिल्ली के लोगों की पेय जल संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके।

मजदूर संघों की मांगें

790. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मजदूर संघों ने मंत्रालय को 16 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) श्रमिक संघों की एक प्रायोजक समिति ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा नीतिगत निर्णयों और कार्यवाहियों को शामिल करते हुए 16-सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्रम सं.	मांग	की गई कार्रवाई
1.	कीमत पर नियंत्रण करने के लिए सुदृढ़ और तीव्र उपाय करना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना।	वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के अनुसार, सरकार की मुद्रा-स्फीति-विरोधी नीतियों में कड़ा राजकोषीय और मौद्रिक अनुशासन, गरीबों पर बोझ कम करने हेतु आवश्यक वस्तुओं के उत्पाद शुल्क और आयात शुल्कों को युक्ति संगत बनाना, उदार प्रशुल्क और व्यापार नीतियों के माध्यम से संवेदी मदों का कारगर आपूर्ति-मांग प्रबंधन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना शामिल है।
2.	श्रमिक संघों की आम राय से प्राप्त सुझावों को शामिल करते हुए असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए तत्काल एक व्यापक विधान बनाना। साथ ही खेतिहर मजदूरों के लिए अलग से एक व्यापक विधान होना।	श्रम और रोजगार मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों विभागों, पणधारियों (स्टेक होल्डर) और राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग (एन.सी.ई.यू.एस.) के परामर्श से खेतिहर मजदूरों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए केन्द्रीय विधान अधिनियमित करने और सामाजिक सुरक्षा स्कीम बनाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है।
3.	शहरी बेरोजगारों को कवर करने हेतु शहरी रोजगार गारंटी विधेयक तत्काल अधिनियमित करना।	यह मांग सिफारिशी स्वरूप की है।
4.	भर्ती पर से प्रतिबंध हटाना। श्रम बल को कम करने की प्रक्रिया को रोकना।	वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के अनुसार, भर्ती पर कोई सामान्य प्रतिबंध नहीं है। तथापि नई भर्ती कुल सिविलियन स्टॉफ नफरी के 1% तक सीमित की जा रही है। डी.ओ.पी.टी. के का.ज्ञा. सं. 2/8/2008-पी.आई.सी. दिनांक 16 मई, 2001 के अनुसार, इन योजनाओं को तैयार करते समय यह सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है कि सीधी भर्ती किसी भी मामले में विभाग की कुल संस्वीकृत नफरी के 1% से अधिक न हो। निर्धारित प्रतिबंध शासन अथवा विकास से सुलह किए बिना न्यूनतम वृद्धि को सुविधाजनक बनाने हेतु तैयार किए जाते हैं।
5.	नौकरियों के ठेकाकरण और आउटसोर्सिंग को रोकना।	रोजगार का स्वरूप बाजार अपेक्षाओं पर आधारित होता है। तथापि, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 ठेका श्रमिकों के हितों की सुरक्षा करता है।

क्रम सं.	मांग	की गई कार्रवाई
6.	सांविधिक न्यूनतम मजदूरी, समान मजदूरी, प्रसूति लाभ आदि सहित सभी श्रम कानूनों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करना।	केन्द्र और राज्य दोनों सरकारें, चूंकि समुचित सरकारें हैं, विभिन्न श्रम कानूनों के कारगर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से अपने-अपने संबंधित प्रवर्तन तंत्रों को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास करती हैं।
7.	कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ तत्काल विधान अधिनियमित करना। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों से उनके पूर्ण संरक्षण को सुनिश्चित करना।	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा और अन्यों बनाम राजस्थान सरकार व अन्यों द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 666-70/1992 के मामले में महिला कर्मचारियों का उनके कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कतिपय दिशानिर्देश निर्धारित किया था। इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए अनेक पहल किए गए हैं। सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को इस निर्णय में विनिर्दिष्ट उपबंधों से अवगत करा दिया गया है। उन्हें उक्त निर्णय में दिए गए दिशा-निर्देश लागू करने के लिए कहा गया है। उक्त दिशा-निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर लागू आचार नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 में भी संशोधन कर दिया गया है ताकि उक्त दिशा-निर्देश निजी क्षेत्र के कर्मचारियों पर भी लागू किये जा सकें।
8.	राष्ट्रीयकृत बैंकों, टेलीकॉम, विमान पत्तनों सहित लाभ अर्जित करने वाले और कार्यनीतिक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निजीकरण और विनिवेश पर रोक; बैंकों के आमेलन पर रोक; रक्षा उत्पादन इकाइयों का निगमीकरण नहीं। सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगी सेवाओं का निजीकरण नहीं। सभी बीमार/घाटे में चल रहे किन्तु क्षमतावान अर्थक्षम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुज्जीवन के लिए अनिवार्य उपाय किए जाएं।	वित्त मंत्रालय (विनिवेश विभाग के अनुसार) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में जिनसे वह विभाग संबंधित है, 6-7-2007 से सभी विनिवेश निर्णय और प्रस्ताव पुनःसमीक्षा होने तक रोक दिए गए हैं। वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) के अनुसार बैंकिंग कंपनियां (उपक्रम का अधिग्रहण और स्थानांतरण) अधिनियम की उपधारा 3 (2 ख) (ग) के अनुसार सरकार के पास हर समय राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रदत्त पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत रहेगा। भारत सरकार के पास 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (अन्य सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के रूप में श्रेणीबद्ध) में इक्विटी है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के पास भारतीय स्टेट बैंक एस.बी.आई.) में इक्विटी है और एस.बी.आई. के पास अपने सात सम्बद्ध बैंकों में अधिकांश शेयर हैं। बैंकिंग कंपनियां (उपक्रम का अधिग्रहण और स्थानांतरण) अधिनियम के प्रावधान के अनुसार बैंक पब्लिक ईश्यू के माध्यम से अपनी प्रदत्त पूंजी बढ़ा सकते हैं। सरकार के पास चार राष्ट्रीयकृत बैंकों में 100 प्रतिशत इक्विटी पूंजी हैं। आर.बी.आई. का एस.बी.आई. में 59.73 प्रतिशत हिस्सा है। इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकार का हर समय न्यूनतम 51 प्रतिशत

क्रम सं.	मांग	की गई कार्रवाई
		हिस्सा रहने की अपेक्षा वाले प्रावधान को संशोधित करने के लिए सांविधिक उपबंधों में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है। तथापि, इन बैंकों में क्रमशः आर.बी.आई. और एस.बी.आई. की न्यूनतम हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम न करने के लिए एस.बी.आई. अधिनियम और एस.बी.आई. (सब्सिडियरी) के उपबंध में संशोधन करने के लिए संसद में संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर दिए गए हैं। रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) के अनुसार कोई भी रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (डी.पी.एस.यू.) बीमार नहीं है और लाभ कमाने वाले डी.पी.एस.यू. और साथ ही आयुध कारखानों में निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।
9.	टेलीकॉम क्षेत्र में एफ.डी.आई. बढ़ाने के उपायों पर रोक; रक्षा क्षेत्र में कोई एफ.डी.आई. नहीं; बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में एफ.डी.आई. कैप में कोई वृद्धि नहीं; कोयला, फुटकर और पेंशन क्षेत्रों में कोई एफ.डी.आई. नहीं।	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग) के अनुसार विद्यमान एफ.डी.आई. नीति में निजी क्षेत्र बैंकिंग के लिए ऑटोमेटिक रूट में 74 प्रतिशत (एफ.डी.आई. + एफ.आई.आई.) और पॉवर परियोजनाएं तथा लौह और इस्पात व सीमेंट उत्पादन कार्य-कलापों द्वारा वशवर्ती (कैपटिव) उपभोग के लिए कोयला तथा लिग्नाईट खनन के लिए ऑटोमेटिक रूट में 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति है। रक्षा क्षेत्र के मामले में सरकार के पूर्व अनुमोदन से 26 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति है। फुटकर व्यापार में केवल 'एकल ब्रान्ड वाले उत्पादनों' के मामले में एफ.डी.आई. (51 प्रतिशत तक) की अनुमति है। जहां कहीं भी एफ.डी.आई. की अनुमति दी गई है, वहां वह हमेशा क्षेत्र संबंधी विनियमों के अध्यधीन है।
10.	बैंकिंग विनियमन अधिनियम के संबंध में संशोधन विधेयक वापस लेना।	वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) के अनुसार दिनांक 13-05-2005 को संसद में प्रस्तुत किये गये, बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2005 में अन्य बातों के साथ-साथ मतदान के अधिकार पर लगी रोक को समाप्त करने का प्रावधान है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी बैंकिंग कम्पनी के पांच प्रतिशत या अधिक शेयरों का अर्जन करने या मतदान का अधिकार प्राप्त करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व अनुमोदन प्रदान करने और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने आप को संतुष्ट करने के उद्देश्य से, इस संबंध में वह जैसा उचित समझे वैसी शर्तें लगाने की शक्तियां प्रदान करने हेतु कि किसी बैंकिंग कम्पनी के शेयरों का अर्जन करने वाले व्यक्ति को "उपयुक्त और उचित" समझा जाए और कि अभ्यर्थी शेयर धारण करने या मतदान का अधिकार प्रदान करने हेतु उपयुक्त और उचित बना हुआ है, एक नयी धारा 12 (ख) शामिल की जा रही है। मतदान के अधिकार पर लगी रोक को समाप्त करने का मूलाधार पणधारियों को मतदान का अधिकार प्रदान करना है जो कि उनके द्वारा धारित इक्विटी पूंजी के अनुरूप है। यह कम्पनी कानून के सिद्धान्तों के अनुरूप है।

क्रम सं.	मांग	की गई कार्रवाई
11.	2003 का विद्युत अधिनियम और 2005 की राष्ट्रीय विद्युत नीति की समीक्षा	विद्युत मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में निम्न-लिखित प्रावधान किए गए हैं: "बहुत से राज्यों द्वारा चिन्ता प्रकट किए जाने के कारण विद्युत अधिनियम, 2003 की समीक्षा की जाएगी। राज्य विद्युत बोर्डों को असंग्रहित करने और प्रतिस्थापित करने के लिए 10 जून 2004 के अनिवार्य दिनांक को बढ़ाया जाएगा।" राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के उपरोक्त उपबंधों के अनुसरण में, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 दिनांक 23-12-2005 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, राज्य सरकारों और विभिन्न अन्य पणधारियों के साथ व्यापक परामर्श से और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की सलाह पर भी विचार करने के पश्चात् राष्ट्रीय विद्युत नीति को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के उपबंधों के अंतर्गत दिनांक 12-2-2005 को अधिसूचित किया गया है। फिलहाल नीति की समीक्षा अपेक्षित नहीं है।
12.	सरकारी कर्मचारियों सहित कामगारों और कार्मिकों के लिए हड़ताल का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले तात्कालिक उपाय	माननीय उच्चतम न्यायालय ने टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य के मामले में 2003 की सिविल अपील सं. 5556 में अपने आदेश दिनांक 6-8-2003 में जांच की कि क्या सरकारी कर्मचारियों के पास हड़ताल का मौलिक, सांविधिक या साम्ययुक्त/ नैतिक अधिकार विद्यमान है और कहा कि सरकारी कर्मचारी के पास ऐसा कोई अधिकार विद्यमान नहीं है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (थ) के अनुसार हड़ताल की परिभाषा है "किसी भी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों के निकाय द्वारा एकजुट होकर कार्रवाई करते हुए कार्य का अवसान करना या कार्य को जारी रखने के लिए या रोजगार स्वीकार करने से एक सामूहिक समझबूझ के अंतर्गत संयुक्त रूप से मना करना"। इस प्रकार हड़ताल की अवधारणा में सामान्य रूप से किसी उद्योग में नियोजित व्यक्ति ही कवर होते हैं न कि सरकारी कर्मचारी। अत: औद्योगिक विवाद अधिनियम में परिभाषित हड़ताल शब्द प्रशासनिक कार्यों में लगे सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-22 और 23 के अंतर्गत जनउपयोगी सेवाओं तथा अन्य प्रतिष्ठानों दोनों में ही हड़ताल के अधिकार पर कतिपय प्रतिबंध लगाए गए हैं। किन्तु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत इस तरह हड़ताल के अधिकार से औद्योगिक कामगारों को वंचित नहीं किया गया है।

क्रम सं.	मांग	की गई कार्रवाई
13.	कृषि एवं सिंचाई सुविधाओं में विस्तृत भूमि सुधार लाना तथा सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना।	ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विकास) के अनुसार भूमि तथा इसका प्रबंधन राज्य सरकारों के प्रशासनिक अधिकार में है जबकि इस क्षेत्र में केन्द्र सरकार की परामर्शी एवं समन्वय की भूमिका है। राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार 125.85 लाख बटाईदारों को स्वामित्व अधिकार दिया गया है अथवा 167.16 लाख एकड़ क्षेत्र में उनके अधिकारों को संरक्षित किया गया है। 49.00 एकड़ सीलिंग अधिशेष भूमि को 54.01 लाख लाभार्थियों के बीच वितरित किया गया है। जिसमें 39 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 16 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का हिस्सा है। इसके अलावा 148.55 लाख एकड़ सरकारी परती भूमि तथा 16.57 लाख एकड़ भूदान भूमि को पात्र ग्रामीण गरीब लोगों में वितरित किया गया है। इसके अलावा देश में 1739.01 लाख एकड़ क्षेत्र को समेकित किया गया तथा 3.76 लाख एकड़ असम्बद्ध भूमि को पुनः जनजातियों को उपलब्ध कराया गया है। योजना प्रक्रिया में कृषि में सार्वजनिक निवेश तथा सिंचाई सुविधाओं पर उचित ध्यान दिया जाता है।
14.	कॉर्पोरेट तथा बड़े व्यावसायिक घरानों के चूक-कर्ताओं से एन.पी.ए. तथा भुगतान न की हुई कर राशि वसूल करने हेतु सख्त कार्रवाई किया जाना।	मांग अनुशंसा की प्रकृति का है।
15.	ई.पी.एफ., जी.पी.एफ., सी.एम.पी.एफ., पी.पी.एफ. तथा लघु बचतों पर ब्याज दर में अत्यधिक कटौती को रद्द करना।	जहां तक सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर की घोषणा का संबंध है यह वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 में 9.5 प्रतिशत तथा यह वर्ष 2005-06 में 8.5 प्रतिशत थी। कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने अभी तक वर्ष 2006-07 के लिए ब्याज दर संबंधी सिफारिश सरकार को नहीं भेजी है। अन्य निधियों पर ब्याज दर निर्धारण वित्त मंत्रालय करता है।
16.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) की नयी श्रेणी को रद्द करना तथा सूचकांक समीक्षा समिति की स्थापना करना।	श्रम ब्यूरो ने सरकार के अनुमोदन से दिनांक 9-3-2006 को 2001=100 आधार पर मासिक सूचकांक संबंधी जनवरी, 2006 से लागू होने वाले औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या (सी.पी.आई.-आई.डब्ल्यू.) जारी किया है। वर्तमान में नई श्रेणी को रद्द किया जाना न तो व्यावहारिक है और न ही संभव है। तथापि, अन्य बातों के साथ-साथ इस पर और सुधार की अनुशंसा हेतु सूचकांक समीक्षा समिति गठित कर दी गई है।

रिवलसर चिड़ियाघर को बंद करना

791. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने रिवलसर चिड़ियाघर को बंद करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वन विभाग ने इस चिड़ियाघर के वन्यजीवों और पक्षियों के लिए कोई उचित वन्य जीव पर्यावास अथवा इन्हें छोड़ने के लिए किसी जगह का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सी.जेड.ए.) ने चिड़ियाघर नियम मान्यता, 1992 के अंतर्गत सी.जेड.ए. द्वारा अनुबद्ध की गई शर्तों के पालन करने में असफल रहने पर वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम की धारा 38 एच (6) के अंतर्गत वन्यजीव उद्यान, रिवलसर को मान्यता प्रदान करने के संबंध में 10-5-2006 को आवेदन पत्र रद्द कर दिया था।

(ग) और (घ) हिमाचल प्रदेश सरकार का वन विभाग, रिवलसर स्थित चिड़ियाघर से पशुओं को, क्षेत्र में अन्य मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों में पर्यावास हेतु उचित कदम उठा रहा है।

[हिन्दी]

किसानों को बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य

792. श्री वी.के. दुम्मर:

श्री विजय कुमार खंडेलवाल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसान कृषि पेशे को छोड़ रहे हैं क्योंकि वे अपने उत्पादन का लाभकारी मूल्य पाने में असमर्थ हैं तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) के माध्यम से अपनी लागत पाने में असफल हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) कृषि को लाभकारी बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत दो वर्षों के तथा चालू वर्ष के दौरान कृषि के विकास हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत एवं उपयोग में लाई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) 2003 में "कृषि की कुछ संभावनाएं" नामक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट संख्या 496 के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर 60% किसान परिवारों ने सूचित किया है कि वे कृषि को एक व्यवसाय के तौर पर पसंद करते है। बाकी (40%) किसानों के लिए उनकी असंतुष्टि के कारणों में, 27% इसे लाभदायक नहीं मानते थे तथा 8% सोचते थे यह बहुत ही जोखिमपूर्ण था। सभी किसानों में से केवल 2% इसे सामाजिक महत्ता की कमी के कारण इसे पसंद नहीं करता था। अन्य 3% उपरोक्त के अलावा अन्य कारणों से पसंद नहीं करते थे।

(ग) उत्पादन तथा उत्पादकता के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाना सरकार का निरन्तर प्रयास है। सरकार द्वारा किए गए प्रमुख प्रयासों में चावल, गेहूं तथा मोटे अनाजों के लिए एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.), तिलहनों, दालों, पाम तेल तथा मक्का की एकीकृत स्कीम (आइसोपाम), किसानों को संस्थागत ऋण प्रवाह बढ़ाना, उत्तम निवेशों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना, अधिक मूल्यों वाली फसलों जिसमें बागवानी भी शामिल है, के विविधकरण को बढ़ाना, सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों की सक्षम उपयोगिता को बढ़ाना तथा शुष्क भूमि की स्थिरता/वर्षा प्रभावित कृषि प्रणालियों को प्रोत्साहन देना, कृषि विपणनों में सुधार लाना, राष्ट्रीय वर्षा प्रभावित क्षेत्र प्राधिकरण के गठन सहित किसानों के लिए जोखिम प्रबंधन उपकरणों के व्यापक सेप्कट्रम को स्थान देना आदि हैं।

(घ) 2004-05 से 2006-07 के दौरान कृषि के विकास के लिए जारी की गई तथा उपयोग में लाई गयी राशियां नीचे सारणी में दी गई हैं:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	जारी की गई	उपयोग में लाई गयी
2004-05	2670.00	2676.78
2005-06	4209.32	3828.69
2006-07	4840.00	4900.01 (पूर्वानुमानित)

कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत मूल्य निर्धारण नीति

793. श्री रामदास आठवले: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और उन्हें औद्योगिक वस्तुओं के समान लाने

हेतु एकीकृत मूल्य निर्धारण नीति तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) आज तक इसमें कितनी सफलता मिली है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, कृषि लागत और मूल्य आयोग मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशें करते समय अनेक तथ्यों जिसमें उत्पादन की लागत, निवेश मूल्यों में परिवर्तन, निवेश/पैदावार मूल्य समानता, घरेलू तथा विदेश विपणन मूल्यों की प्रवृति, मांग तथा आपूर्ति स्थित, अन्तर्फसल मूल्य समानता, औद्योगिक लागत ढांचे पर प्रभाव, समान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव तथा जीवनयापन पर प्रभाव सम्मिलित हैं, पर विचार करता है। इसके अलावा कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि क्षेत्र तथा गैर कृषि क्षेत्रों में व्यापार की शर्तों के बारे में सूचकांक संख्या पर भी विचार करता है। ये सूचकांक किसानों द्वारा उनके उत्पादों के लिए प्राप्त मूल्यों की सूचकांक तथा अन्तिम एवं मध्यवर्ती उपभोग हेतु वस्तुओं और पूंजी निर्माण के लिए चुकाई गई कीमतों का अनुपात है। यह सूचकांक वस्तुत: कृषि तथा गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच मूल्यों में सापेक्षिक परिवर्तन मापता है।

[अनुवाद]

केरल में मत्स्यन पोताश्रयों की स्थापना

794. श्री पी.सी. थामस: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने थलाई (कन्नूर जिला), कासरगोड, चेत्तुवाई (त्रिचूर जिला) और चेरुवत्तूर (कासरगोड जिला) में मत्स्यन पोताश्रयों की स्थापना के लिए कुछ प्रस्ताव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत थालाई में मत्स्यन बंदरगाह के निर्माण के लिए केरल सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। केरल सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह चेट्टुवै (त्रिचूर जिला) तथा चेरुवथूर (कासरगोड जिला) में मत्स्यन बंदरगाहह परियोजनाओं के संबंध में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करे तथा भूमि उपलब्धता एवं पर्यावरणीय मंजूरी की पुष्टि करे। जहां तक कासरगोड में मत्स्यन बंदरगाह के निर्माण के लिए प्रस्ताव का संबंध है, केरल सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह पुन: तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

रेड जंगल फाउल

795. श्री रनेन बर्मन:

श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेड जंगल फाउलों के संबंध में कोई गणना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेड जंगल फाउलों की संख्या में तेजी से कमी आई है और अब यह पक्षी संकटापन्न प्रजाति की श्रेणी में आ गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इनके संरक्षण के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है/की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) राष्ट्रीय स्तर पर रेड जंगल फाउल का कोई वैज्ञानिक गणना सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मंत्रालय के पास ऐसी कोई वैज्ञानिक रिपोर्टें नहीं हैं जिसमें यह दर्शाया गया हो कि रेड जंगल फाउल की संख्या में गिरावट आई है अथवा इस पक्षी को संकटापन्न प्रजाति की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया हो। तथापि, रेड जंगल फाउल के अपने प्राकृतिक वास-स्थलों में कम दिखाई देने के आधार पर, रेड जंगल फाउल की संख्या में कुछ कमी प्रतीत होती है।

(घ) सरकार द्वारा रेड जंगल फाउल की सुरक्षा हेतु निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:-

(i) रेड जंगल फाउल के bास-स्थलों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है।

(ii) पंक्षी का शिकार प्रतिबंधित किया गया है।

(iii) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून ने रेड जंगल फाउल के संरक्षण हेतु अनुसंधान परियोजना भी प्रारम्भ की है।

(iv) राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने 19-6-2006 को हुई अपनी बैठक में रेड जंगल फाउल के संरक्षण के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए विशेषज्ञ दल के सृजन का अनुमोदन किया है।

(v) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के संशोधन द्वारा वन्यजीवों से संबंधित अपराधों के लिए दंड बढ़ाया गया है।

(vi) राज्य सरकारों को सुरक्षित क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करने और वास-स्थलों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कृषि उत्कृष्टता केन्द्र

796. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कृषि उत्पादन में सुधार और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), और भारतीय प्रबंध संस्थान की तर्ज पर 'कृषि उत्कृष्टता केन्द्रों' की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए राज्यवार किन-किन स्थानों की पहचान की गई है;

(ग) इनकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) इससे किसानों को क्या लाभ मिलने की संभावना है; और

(ङ) उक्त प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं। देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनुसंधान और शिक्षा का उत्तरदायित्व लेने हेतु कृषि विज्ञान में चार राष्ट्रीय संस्थान नामत: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान और केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान पहले से मौजूद हैं, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

जी.एम. बीज

797. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आनुवंशिक रूप से संवर्धित (जी.एम.) बीजों का मूल्य अधिक होने के कारण जी.एम. फसल की वृद्धि में ठहराव आ गया है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार देश में उगाई जा रही विभिन्न किस्मों की जी.एम. फसलों का फसलवार ब्यौरा क्या है;

(ग) फसलवार, कितने क्षेत्र पर जी.एम. फसल उगाई जाती है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में ऐसी फसलों के तुलनात्मक उत्पादन का राज्यवार और फसलवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार जी.एम. फसल की खेती को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्यवार कितना आबंटन किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (च) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग मंजूरी समिति (जी.ई.एस.सी.) द्वारा अनुमोदित वी.टी. कपास ही केवल अनुवांशिक रूप से संशोधित (जी.एम.) फसल है जिसकी वाणिज्यिक खेती देश में की जा सकती है। अभी तक वी.टी. कपास के 62 संकरो को नौ राज्यों में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित किया गया है। निजी बीज कम्पनियों द्वारा वी.टी. कपास के बीजों का उत्पादन और वितरण किया जाता है। एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार पद्धति आयोग ने निजी बीज कम्पनियों को आदेश दिया है कि वे अपने द्वारा बेचे जाने वाले वी.टी. कपास के बीज पर अत्यधिक ट्रेट वैल्यू न अधिभारित करें। वी.टी. कपास के तहत क्षेत्र में खरीफ 2002 में 29000 है. से खरीफ, 2005 में 12.34 लाख हैक्टेयर तक की वृद्धि हुई है जिसका खरीफ, 2006 में 34.40 लाख हैक्टेयर तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। भारतीय जैव प्रौद्योगिकी संघ लि. में पद्धतियों के पैकेज और वी.टी. कपास से संबंधित कटाई पश्चात निर्मुक्ति की मॉनिटरिंग पर किसानों के प्रशिक्षण और जागरूकता का कार्य सौंपा गया है।

समवर्ती सूची में कृषि

798. श्री विजय कृष्ण:

श्री महावीर भगोरा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि को राज्य सूची से संविधान की समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कौन-कौन सी बाध्यताएं/समस्याएं सामने आ रही हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा प्रस्तुत संशोधित मसौदा राष्ट्रीय किसान नीति में अन्य बातों के साथ-साथ कृषि को राज्य सूची से संविधान की समवर्ती सूची में स्थानान्तरित करने की सिफारिश की गई थी। यद्यपि राज्य सरकारें अपने संगत राज्यों में कृषि के विकास के लिये नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है; फिर भी केन्द्र सरकार कृषि के विकास के लिए राज्य सरकार को विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के जरिये मदद करने के लिए अनुसंधान एवं शिक्षा, ऋण, जोखिम प्रबंध तथा अन्य उपायों के प्रावधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह महसूस किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा वृहत स्तर पर हस्तक्षेप करने के साथ इस क्षेत्र में राज्य सरकारों द्वारा कृषि का बेहतर प्रबंध होता है। अतएव कृषि को राज्य सूची से संविधान की समवर्ती सूची में स्थानान्तरित करने की कोई तात्कालिक आवश्यकता नहीं है।

निधियों का दुरूपयोग

799. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2004-05 की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्टों में निधियों के उपयोग, उनके जारी किये जाने और उनके दुर्विनियोजन किये जाने के संबंध में मंत्रालय पर आक्षेप लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने निधियां अविवेकपूर्ण ढंग से जारी की हैं और उनका पुनर्विनियोजन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्ष 1986 से कतिपय राज्यों से उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी के आलोक में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (च) भारत के महालेखा परीक्षक की मार्च, 2003 को समाप्त रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कुछ राज्यों ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम से नहीं जुड़ी हुई गतिविधियों के लिए निधि को खर्च कर दिया है। उनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों को प्रशासनिक कार्रवाई करनी है। ए.आई.बी.पी. के मानकों के अनुसार केन्द्रीय ऋण सहायता की दी गई पिछली किस्त के संबंध में राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद दी जाती है। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों को मुहैया कराई गई ऋण सहायता की, कार्यक्रम के मानकों में यथाउल्लिखित किस्तों में, भारत सरकार द्वारा ब्याज सहित वसूली की जाती है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	राशि (रुपए करोड़ में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.87
2.	बिहार	30.55
3.	छत्तीसगढ़	1.60
4.	गुजरात	8.23
5.	हरियाणा	44.74
6.	जम्मू-कश्मीर	29.15
7.	कर्नाटक	22.08
8.	केरल	0.36
9.	मध्य प्रदेश	195.37

1	2	3
10.	महाराष्ट्र	366.97
11.	उड़ीसा	3.94
12.	पंजाब	0.50
13.	राजस्थान	27.19
14.	उत्तर प्रदेश	7.54
15.	पश्चिम बंगाल	1.25
	कुल	741.34

[हिन्दी]

श्रम सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण

800. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रम सहकारिताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को न्यूनतम ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए कोई निदेश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में नाबार्ड द्वारा श्रम सहकारिताओं को प्रदान की जा रही सुविधाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। सरकार ने श्रम सहकारी समितियों सहित देश में सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने और विकास करने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार करना, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सहायता तथा बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 का अधिनियमन शामिल है। भारत सरकार श्रम सहकारी समितियों के क्षेत्र में संवर्द्धन और अनुसंधान कार्यकलाप कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय श्रम सहकारी संघ लिमिटेड, (एन.एल.सी.एफ.), नई दिल्ली को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है।

(ख) से (घ) नाबार्ड श्रम ठेकों और वन्य श्रम सहकारी समितियों की कार्यशील पूंजी अपेक्षाओं का वित्तपोषण करने के लिए सहकारी बैंकों को पुनर्वित प्रदान कर रहा है। शीर्ष/प्राथमिक समितियों के लिए पुनर्वित पर प्रभारित ब्याज की दर क्रमश: 8.50% और 8.25% है। यह सुविधा देश में कार्यशील सभी श्रम ठेकों और वन्य श्रम सहकारी समितियों के लिए उपलब्ध है।

संगठित और असंगठित क्षेत्रों में रोजगार

801. श्री हरि सिंह चावड़ा:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री मोहन सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006 के दौरान संगठित और असंगठित क्षेत्र में रोजगार के कुल कितने अवसरों का सृजन किया गया;

(ख) उक्त वर्ष के दौरान संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया;

(ग) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार पुरुषों और महिलाओं की प्रतिशतता कितनी है; और

(घ) असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) रोजगार एवं बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार का पिछला सर्वेक्षण जिसके परिणाम प्रकाशित हैं, वर्ष 2004-05 में किया गया। इन सर्वेक्षणों के अनुसार सामान्य स्थिति आधार पर देश में संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार वर्ष 1999-2000 में लगभग 397.0 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2004-05 में लगभग 459.0 मिलियन हो गया। अत: वर्ष 2000-05 की अवधि के दौरान औसतन प्रतिवर्ष लगभग 12.4 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

(ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 61वें दौर की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004-05 के दौरान देश में सामान्य स्थिति आधार पर बेरोजगारी दरें नीचे दी गई हैं।

	पुरुष	महिला	व्यक्ति
ग्रामीण (%)	1.6	1.8	1.7
शहरी (%)	3.8	6.9	4.5

(घ) केन्द्र सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय के माध्यम से बीड़ी कामगारों, चूना तथा डोलोमाईट खान कामगारों, लोहा अयस्क, क्रोम अयस्क तथा मेग्नीज अयस्क खान कामगारों, अभ्रक खान कामगारों, तथा सिनेमा कामगारों, हेतु पांच कल्याण निधियां चलाती हैं। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; तथा प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961; ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्साधन) अधिनियम, 1970; भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996; भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण (उपकर) अधिनियम, 1996; कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध उपबंध अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 इत्यादि जैसे अनेक कानून प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के संरक्षण एवं कल्याण के लिए भी बनाए गए हैं।

[अनुवाद]

शुष्क और अर्ध-शुष्क भूमि की सिंचाई

802. श्री के.एस. राव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शुष्क और अर्ध-शुष्क सिंचित कृषि योग्य भूमि का राज्यवार क्षेत्र कितना है;

(ख) क्या समुचित जल संचय के अभाव में सिंचाई हेतु बड़ी मात्रा में उपलब्ध जल के बेकार बहने के कारण सूखा पड़ा है और किसानों को कठिनाइयां हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने वर्षा जल की बर्बादी को रोकने के लिए वर्षा जल के संरक्षण और संचयन करने और वर्षा जल प्रबंधन प्राधिकरण और वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थापित करने के संबंध में कोई नीति बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कृषि संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और किसानों को वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) ऐसे राज्य जिनका काफी क्षेत्र शुष्क और अर्धशुष्क है इस प्रकार हैं - आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों के निवल सिंचित क्षेत्र को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा साधारणतया बहुत कम होती है। अत: सामान्य से थोड़ी भी कम वर्षा होने पर सूखे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इसके अलावा बहाव वाले क्षेत्रों में बरसने वाला पानी बहकर बेकार हो जाता है, क्योंकि इसके भण्डारण के लिए कोई प्राकृतिक अवरोध नहीं होता है। भूमिगत जल का दोहन साधारणतया इसकी वार्षिक रिचार्जिंग की दर से अधिक होता है। कई राज्यों में हाल में पड़े सूखे से यह साबित हो जाता है कि भूमिगत जल भण्डार में कमी आयी है। वर्षा जल संग्रहण प्रौद्योगिकी जैसे कि रिसाव वाले तालाब, चेक डेम्स आदि से सूखे की समस्या का सामना करने में मदद मिल सकती है।

(ग) राष्ट्रीय कृषि नीति में पनधारा आधार पर वर्षा जल का संरक्षण करके वर्षापोषित क्षेत्रों के समेकित और समग्र विकास को महत्व दिया गया है। राष्ट्रीय वर्षा पोषित क्षेत्र प्राधिकरण (एन.आर.ए.ए.) की स्थापना के लिये 3-11-2006 को एक सरकारी आदेश जारी कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय वर्षा पोषित क्षेत्र प्राधिकरण उन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सलाह और मार्गदर्शन देगा तथा मानीटरिंग करेगा जिसमें वर्षापोषित क्षेत्रों के सतत और समग्र विकास से संबंधित सभी पहलू को कवर किया गया है। इसमें समुचित और आजीविका पद्धति दृष्टिकोण को भी शामिल किया गया है। इस प्राधिकरण की संरचना द्विस्तरीय है। पहला स्तर शासकीय निकाय का है, जो कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आवश्यक नेतृत्व प्रदान करेगा और यथोचित समन्वय स्थापित करेगा। केन्द्रीय कृषि मंत्री इस शासकीय निकाय के अध्यक्ष होंगे और केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री इसके सह अध्यक्ष होंगे। इसका दूसरा स्तर अधिशासी समिति का होगा जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ और स्टेक होल्डर मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस प्राधिकरण के कार्य इस प्रकार हैं:-

1. एक संदर्शी योजना बनाना, जिसमें वर्षा पोषित कृषि क्षेत्रों के समग्र और सतत विकास के लिये एक राष्ट्रीय रणनीति और मानचित्र की रूपरेखा स्पष्ट की गई होगी।

2. वर्षा सिंचित/बारानी कृषि पद्धति के विकास के लिये विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के समेत विभिन्न

मंत्रालयों की सभी योजनाओं के लिए सामूहिक दिशानिर्देश तैयार करना।

3. देश के वर्षा सिंचित क्षेत्रों में क्रियान्वित किये जा रहे कृषि एवं पनधारा विकास कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करना।

4. विभिन्न राज्यों में ऐसे वर्षा सिंचित क्षेत्रों को अभिज्ञात करना जिन पर प्राथमिकतापूर्वक ध्यान दिये जाने की जरूरत है और राज्यों के साथ परामर्श करके समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिये पनधारा विकास कार्यक्रमों को तैयार करना, भूमिहीन कृषि समुदायों के लिए बहु आयामी फसल, पशुधन, बागवानी, कृषि चारागाह पर विशेष ध्यान देना।

5. आदानों की आपूर्ति में अंतर का पता लगाना, ऋण उपलब्ध कराना, समुचित प्रौद्योगिकी का प्रसार करना और वर्षा सिंचित कृषि से संबंधित अन्य जरूरतों को पूरा करना।

6. अपेक्षित विशेष हस्तक्षेपों की प्राथमिकता निर्धारित करना और उसकी मानीटरिंग करने के लिये क्रियान्वयन एजेन्सियों का मार्गदर्शन करना।

7. वर्षा निर्भर क्षेत्रों में केन्द्र/राज्य सरकारों के कर्मचारियों के क्षमता वर्द्धन के लिए योजनाओं/कार्यक्रमों को तैयार करना।

8. वर्षा निर्भर/बारानी क्षेत्रों से संबंधित राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थानों के लिये कार्य पद्धति सुझाना और प्राथमिकता प्राप्त पनधाराओं के साथ संस्थागत सम्पर्क कायम करना।

9. वर्षा निर्भर क्षेत्रों के विकास के लिये ग्रामीण ऋण के वितरण/बीमा कवर/सुरक्षा कार्यक्रमों की मानीटरिंग करना।

10. अनुसंधान संबंधी कार्यसूची तैयार करना जिसमें चालू कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी शामिल है और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में आवश्यक जानकारी को जिला स्तर से निचले स्तर के कर्मचारियों तक स्थानान्तरित करना।

11. पूर्ण पनधाराओं की कार्य कुशलता का मूल्यांकन करना और चालू कार्यक्रमों का समवर्ती मूल्यांकन करना।

विवरण

राज्यों में सिंचित क्षेत्र का विस्तार और शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में आने वाला भू-भाग

(क्षेत्र लाख हैक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य	निवल सिंचित क्षेत्र
1.	आन्ध्र प्रदेश	36.14
2.	बिहार	34,62
3.	गुजरात	29.94
4.	कर्नाटक	25.15
5.	केरल	3.79
6.	मध्य प्रदेश	44.94
7.	महाराष्ट्र	29.71
8.	उड़ीसा	13.00
9.	राजस्थान	43.72
10.	तमिलनाडु	23.09
11.	उत्तर प्रदेश	122.32

दूध और दूध के पाउडर का उत्पादन और निर्यात

803. श्री अमिताभ नन्दी:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मो. ताहिर:
श्री शिशुपाल एन. पटले:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में दूध का कुल कितना उत्पादन हुआ है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न देशों को दूध और दूध के पाउडर का कितना निर्यात किया गया है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन):

(क) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में दूध का अनुमानित उत्पादन इस प्रकार है:-

वर्ष	दुग्ध उत्पादन (मिलियन टन में)
2003-04	88.1
2004-05	92.5
2005-06	97.1
2006-07*	100.0

*प्रत्याशित

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न देशों को निर्यात किए गए दुग्ध एवं दुग्ध पाउडर तथा उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	निर्यात मात्रा (हजार टन में)	अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रुपए में)
2003-04	6.8872	60.81
2004-05	40.0316	333.10
2005-06	64.8494	567.20
2006-07**	11.6786	96.34

** अगस्त, 2006 तक

मातृत्व लाभों में बढ़ोतरी

804. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं की सभी श्रेणियों को मातृत्व लाभ देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव का क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अदा किए जाने वाले चिकित्सा बोनस को 250/- रुपये से बढ़ाकर 1000/- रुपये करने और अधिनियम में एक संशोधन के माध्यम से चिकित्सा बोनस को समय-समय पर परिशोधित कर अधिकतम 20,000/- रुपये तक करने की शक्तियां केन्द्र सरकार को प्रदान करने संबंधी एक प्रस्ताव इस मंत्रालय में प्रक्रियाधीन है।

पनधारा विकास कार्यक्रम

805. श्री जुएल ओराम:

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजना के दौरान देश में राष्ट्रीय पनधारा विकास योजना के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार कितनी परियोजनाएं शुरू की गईं;

(ख) दसवीं योजना के दौरान इनमें से देश में राज्यवार और वर्षवार कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित की गईं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यों द्वारा राज्यवार और वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित/जारी/उपयोग की गई; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान इसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.) को वृहद् कृषि प्रबंधन मोड में समाहित कर दिया गया है और वर्ष दर वर्ष आधार पर अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के आधार पर कोष राज्य सरकारों को प्रदान किए जाते हैं। दसवीं योजना के विभिन्न वर्षों में वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों के साथ इस स्कीम के तहत शुरू की गई पनधाराओं के राज्य-वार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

दसवीं योजना के दौरान एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. कार्यक्रम की राज्यवार-वर्षवार भौतिक और वित्तीय प्रगति

(क्षेत्र है. में और खर्च लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पनघाराओं की संख्या	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07 (दिसम्बर, 2006 तक)		कुल (संचयी)	
			प्राप्त व्यय	विकसित क्षेत्र	प्राप्त व्यय	विकसित क्षेत्र	प्राप्त व्यय	विकसित क्षेत्र	प्राप्त व्यय	विकसित क्षेत्र	प्राप्त व्यय	विकसित क्षेत्र	प्राप्त व्यय	विकसित क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आन्ध्र प्रदेश	143	88.68	1970	402.72	8949	718.37	15964	449.67	10061	375.75	8053	2035.19	44997
2.	अरुणाचल प्रदेश	45	0.00	0	134.80	2250	184.93	3105	482.47	8055	45.00	750	847.20	14160
3.	असम	203	188.00	4060	100.00	2075	45.00	506	135.13	3180	200.00	3541	668.13	13362
4.	बिहार	74	2.28	0	0.00	0	64.70	1437	219.92	4940	233.83	5200	520.73	11577
5.	झारखंड	200	586.26	4280	975.91	9870	1244.31	12980	1136.93	43680	0.00	0	3943.41	70810
6.	गोवा	27	14.34	0	41.95	670	97.78	2114	202.55	5320	202.07	4429	558.69	12533
7.	गुजरात	450	41.81	0	1255.61	25369	1536.15	34726	918.10	23250	814.45	18099	4566.12	101444
8.	हरियाणा	37	57.63	726	88.72	1455	117.59	2043	165.93	3483	26.69	285	456.56	7992
9.	हिमाचल प्रदेश	37	45.13	44	137.62	1914	274.40	4007	277.75	5144	162.46	3705	897.36	14814
10.	जम्मू-कश्मीर	111	4.53	0	2.41	0	65.72	725	0.65	0	4.00	0	77.31	725
11.	कर्नाटक	568	776.53	5097	1743.76	15467	1717.71	34630	2001.80	40290	315.62	11690	6555.42	107174
12.	केरल	148	6.87	0	138.00	0	808.80	15837	631.99	12400	336.03	5583	1921.69	33820
13.	मध्य प्रदेश	594	1097.98	32817	716.58	22932	1195.99	44824	2018.85	55312	1321.73	30042	6351.13	185927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.	छत्तीसगढ़	185	455.10	10113	705.67	15681	914.44	18681	1601.60	37232	562.78	12506	4239.59	94213
15.	महाराष्ट्र	433	686.95	14225	850.04	17636	1609.34	33389	1399.39	29033	711.32	14758	5257.04	109041
16.	मणिपुर	79	47.50	866	190.00	3462	374.17	6819	724.50	13200	363.00	6050	1699.17	30397
17.	मिजोरम	105	360.00	197	410.00	7082	1097.94	15073	981.00	15955	330.00	7888	3178.94	46195
18.	मेघालय	78	415.00	6917	361.55	6026	369.95	6160	447.70	7462	299.38	4990	1893.58	31555
19.	नागालैण्ड	100	250.00	1100	480.00	7700	631.00	8817	700.00	8224	482.50	4954	2543.50	30795
20.	उड़ीसा	212	373.04	10390	617.80	13644	425.26	9474	828.89	18414	857.50	19067	3102.49	70989
21.	पंजाब	49	0.00	0	68.38	1056	0.00	0	498.71	8300	67.29	1122	634.38	10478
22.	राजस्थान	1138	2524.80	38960	3705.87	84424	3401.61	81714	4878.96	111570	2738.89	59332	17250.13	376000
23.	सिक्किम	32	70.00	942	191.12	2784	265.46	4200	233.35	3156	157.90	2139	917.83	13221
24.	तमिलनाडु	755	1407.07	31268	1525.00	33888	2089.06	46424	1990.16	44227	863.50	19188	7874.79	174995
25.	त्रिपुरा	62	177.00	2415	307.51	4358	336.45	5839	314.56	6313	155.18	2586	1290.70	21511
26.	उत्तर प्रदेश	400	1121.80	9423	948.72	24272	1950.96	34219	1760.74	65128	450.70	36983	6232.92	170025
27.	उत्तरांचल	158	446.88	7433	854.33	13183	1785.22	25770	1148.88	21698	91.89	7177	4327.20	75261
28.	पश्चिम बंगाल	78	29.76	661	64.53	1434	184.39	4097	637.20	14160	0.00	0	915.88	20352
29.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8	24.11	400	45.51	800	51.01	818	28.92	480	1.80	26	151.35	2524
	कुल	6509	11299.05	184304	17064.11	328381	23553.6	474122	26816.3	619667	12171.258	290143	90908.428	1896887

सिंचाई क्षमता

806. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान अब तक कितनी हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का राज्यवार कितना लक्ष्य रखा गया है और इसमें कितनी उपलब्धि हासिल किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में सिंचाई क्षमता के सृजन में असंतुलन है; और

(ग) यदि हां, तो पूरे देश में सिचाई क्षमता के एक समान सृजन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 16.74 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। राज्यवार लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि में मूल्यांकन के समय इस लक्ष्य को संशोधित कर 10.5 मिलियन हेक्टेयर कर दिया गया। मार्च, 2006 तक राज्यवार सृजित सिंचाई क्षमता को भी अनुलग्नक में दर्शाया गया है। दसवीं योजना के प्रथम चार वर्षों में कुल लगभग 7.02 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई जो संशोधित लक्ष्य से 3.48 मिलियन हेक्टेयर कम है।

(ख) और (ग) चरम सिंचाई क्षमता के प्रतिशत की तुलना में सृजित सिंचाई क्षमता में राज्य दर राज्य अंतर होता है। सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की तैयार आयोजना एवं उनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के तहत चालू सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराती है। इस कार्यक्रम के तहत और अधिक परियोजनाओं को शामिल करने के लिए (ए.आई.बी.पी.) के मानदंडों में छूट दी गई और प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। भारत सरकार द्वारा जनवरी, 2005 में कृषि से सीधे जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार के लिए राष्ट्रीय परियोजना नामक एक प्रायोगिक स्कीम को भी अनुमोदित किया गया है।

विवरण

दसवीं योजना के लक्ष्य और मार्च, 2006 के अंत तक सृजित सिंचाई क्षमता का राज्यवार ब्यौरा

(हजार हेक्टेयर)

क्र.सं.	राज्य का नाम	दसवीं योजना के दौरान सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य			मार्च, 2006 तक सृजित सिंचाई क्षमता		
		वृहद एवं मध्यम	लघु	कुल	वृहद एवं मध्यम	लघु	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	739.88	195.40	935.28	296.99	72.96	369.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.00	20.00	24.00	1.20	11.51	12.71
3.	असम	116.10	116.10	232.20	56.27	18.06	74.33
4.	बिहार	948.42	264.60	1,213.02	154.00	42.34	196.34
5.	छत्तीसगढ़	305.00	55.00	360.00	214.50	69.06	283.56
6.	गोवा	26.66	4.54	31.20	11.38	1.71	13.09

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	गुजरात	1,904.00	64.00	1,968.00	1333.13	20.50	1353.63
8.	हरियाणा	119.00	42.50	161.50	66.58	6.72	73.30
9.	हिमाचल प्रदेश	8.00	10.00	18.00	1.10	8.09	9.19
10.	झारखण्ड	315.00	56.93	371.93	23.61	37.18	60.79
11.	जम्मू-कश्मीर	25.00	23.50	48.50	6.68	6.30	12.98
12.	कर्नाटक	999.89	221.29	1,221.18	334.09	31.84	365.93
13.	केरल	90.00	50.00	140.00	50.00	32.00	82.00
14.	मध्य प्रदेश	265.30	125.00	390.30	545.00	84.75	629.75
15.	महाराष्ट्र	1,276.43	1,158.00	2,434.43	255.15	113.00	368.15
16.	मणिपुर	28.15	14.45	42.60	–	13.70	13.70
17.	मेघालय	–	12.50	12.50	–	8.23	8.23
18.	मिजोरम	–	1.66	1.66	–	1.04	1.04
19.	नागालैण्ड	–	9.43	9.43	–	8.21	8.21
20.	उड़ीसा	465.07	132.37	597.44	130.07	130.53	260.60
21.	पंजाब	160.30	–	160.30	32.19	2.52	34.71
22.	राजस्थान	413.80	50.00	463.80	276.65	15.80	292.45
23.	सिक्किम	0.00	5.00	5.00	0.00	2.51	2.51
24.	तमिलनाडु	9.38	9.02	18.40	11.75	11.10	22.85
25.	त्रिपुरा	10.50	32.40	42.90	9.15	25.33	34.48
26.	उत्तर प्रदेश	1,000.76	3,616.80	4,617.56	527.26	1580.19	2107.45
27.	उत्तरांचल	6.20	11.88	18.08	8.68	10.06	18.74
28.	पश्चिम बंगाल	700.00	500.00	1,200.00	71.52	230.16	301.68
	कुल राज्य	**9,936.84**	**6,802.37**	**16,739.21**	**4,416.95**	**2,595.40**	**7,012.35**
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**0.00**	**5.38**	**5.38**	**0.00**	**4.52**	**4.52**
	कुल जोड़	9,936.84	6,807.75	16,744.59	4,416.95	2,599.92	7,016.87

किसानों को शिक्षा

807. **श्री अधीर चौधरी:**

श्री निखिल कुमार:

श्री श्रीचन्द कृपलानी:

श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने देश में कृषि शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करने और इसका उन्नयन करने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या देश में कृषि उत्पादन स्थिर हो गया है और पूर्णत: वर्षा पर निर्भर हो गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में कृषि शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कोई ठोस योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) कृषि शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा राज्यों को राज्य-वार और वर्षवार कितनी धनराशि आबंटित/स्वीकृत की गई है; और

(छ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों की कृषि शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) देश में कृषि शिक्षा को पुन: चमकाने और उन्नयन के लिए वर्ष 2006-07 के दौरान 200.00 करोड़ रु. का अतिरिक्त अनुदान उन राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/समतुल्य विश्वविद्यालयों/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए स्वीकृत किया गया जिनमें प्रायोगिक ज्ञान-हैण्ड्स ऑन ट्रेनिंग, उत्कृष्टता के निच क्षेत्र, मानव संसाधन नियोजन, पाठ्यक्रम नियोजन और पुन:अनुकूलन, कोर्स पाठ्यक्रम तैयार करना, अप्रयुक्त उपस्करों को बदलना और स्नातकोत्तर अनुसंधान और मूलभूत एवं अग्रणी विज्ञान विषयों की सहायता हेतु स्टेट ऑफ आर्ट उपस्करों की खरीद करना तथा सूचना संचार प्रौद्योगिकी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण द्वारा दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने जैसी परियोजनाओं के लिए कृषि संकाय चल रहे हैं।

(ग) जी, नहीं। समग्र कृषि उत्पादन स्थिर नहीं हुआ है। देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 45 प्रतिशत मात्र बारानी क्षेत्रों से आता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) विगत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि विश्वविद्यालयों को आवंटित/स्वीकृत राशि संलग्न विवरण में दर्शायी गई है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष (2007-08) के दौरान कृषि शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और विकास के लिए 290.00 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम/वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6
	राज्य कृषि विश्वविद्यालय				
1.	**असम**				
	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	292.73	188.00	800.00	1282.56
2.	**आन्ध्र प्रदेश**				
	आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	286.91	392.44	352.39	979.97

1	2	3	4	5	6
	श्री वैंक्टेश्वर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, तिरूपति				430.00
3.	**बिहार**				
	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	229.50	161.00	310.00	1348.50
4.	**छत्तीसगढ़**				
	इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	159.00	172.00	440.19	995.90
5.	**गुजरात**				
	सरदार दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, एस.के. नगर	233.00	73.25	225.00	508.20
	आन्नद कृषि विश्वविद्यालय, आन्नद		63.25	224.00	726.00
	नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी		62.25	225.00	652.00
	जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़		62.25	225.00	612.00
6.	**हरियाणा**				
	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	240.67	391.46	658.97	1328.97
7.	**हिमाचल प्रदेश**				
	चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	205.99	182.25	872.64	1156.63
	डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	111.50	152.00	809.80	1538.70
8.	**जम्मू-कश्मीर**				
	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	135.75	156.00	455.00	885.00
	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू	107.68	1591.0	2708.61	3405.39
9.	**झारखण्ड**				
	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	247.00	161.00	640.00	1094.36
10.	**कर्नाटक**				
	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	211.03	347.29	457.21	902.56

1	2	3	4	5	6
	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड	192.26	384.41	370.01	712.87
	कर्नाटक पशु चिकित्सा एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, बीदर		0.00	150.00	432.00
11.	**केरल**				
	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिसूर	244.00	351.50	402.24	1093.00
12.	**मध्य प्रदेश**				
	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	218.50	186.00	646.30	1497.52
13.	**महाराष्ट्र**				
	डा. बाला साहेब सावन्त कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली	110.00	170.00	381.00	600.00
	महाराष्ट्र पशु विज्ञान एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, नागपुर	141.00	393.00	282.70	626.50
	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभणी	153.16	215.25	369.39	687.86
	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी	164.50	162.00	445.00	789.24
	डा. पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, अकोला	134.50	152.00	381.00	927.00
14.	**उड़ीसा**				
	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	153.50	182.00	569.75	1227.00
15.	**पंजाब**				
	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	257.49	578.47	481.39	898.97
	गुरू अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, लुधियाना		0.00	0.00	564.00
16.	**राजस्थान**				
	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	175.50	150.00	416.00	864.00
	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	182.52	441.26	606.39	985.94
17.	**तमिलनाडु**				
	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	214.00	308.00	366.50	999.50

1	2	3	4	5	6
	तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चैन्नई	125.75	150.00	437.00	711.50
18.	**उत्तर प्रदेश**				
	इलाहाबाद कृषि संस्थान (मानद विश्वविद्यालय), इलाहाबाद	53.75	40.00	99.93	130.00
	चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	270.50	169.00	696.45	653.50
	उत्तर प्रदेश पण्डित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, एवं गो-अनुसंधान संस्था, मथुरा	150.50	122.00	229.00	384.00
	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद	179.00	145.00	350.00	591.00
	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ	204.00	114.50	164.00	541.52
19.	**उत्तरांचल**				
	गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	256.87	237.46	828.09	1510.01
20.	**पश्चिम बंगाल**				
	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर	106.05	135.00	371.85	755.80
	उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय, कूच बिहार	109.75	114.00	489.00	576.00
	पश्चिम बंगाल कृषि एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता	175.75	118.00	250.00	300.50
	कुल	**6433.60**	**9174.29**	**19186.80**	**36905.97**
	मानव विश्वविद्यालय				
21.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	76.00	75.00	138.00	216.00
22.	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	58.00	26.00	104.00	442.50
23.	केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई	46.00	52.00	33.00	267.00
24.	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	66.00	47.00	199.00	226.00
	कुल	**246.00**	**200.00**	**474.00**	**1151.50**

1	2	3	4	5	6
	केन्द्रीय विश्वविद्यालय				
25.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	34.00	23.00	54.50	35.00
26.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	34.00	41.00	154.00	117.00
27.	विश्व भारती, श्रीनिकेतन	19.00	21.00	43.00	152.00
28.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय	0.00	0.00	50.00	182.50
	कुल	**87.00**	**85.00**	**301.50**	**359.50**
29.	राष्ट्रीय कृषि संसाधन प्रबंध अकादमी, हैदराबाद	0.00	0.00	0.00	77.00
30.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय	2295.00	2686.00	5476.00	7249.00
	कुल	**2295.00**	**2686.00**	**5476.00**	**7326.00**
	कुल योग	9061.60	12145.29	25438.30	45742.97

छोटे किसानों की उत्पादकता में वृद्धि

808. श्री चन्द्रभूषण सिंह:

श्री परसुराम माझी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छोटे और सीमान्त किसानों के कृषि उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित/स्वीकृत की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए देश में कुछ उत्पादन उन्मुखी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (यथा कृषि का वृहद प्रबन्धन (एम.एम.ए.), तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का की समेकित स्कीम (आइसोपाम), कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.सी.), राष्ट्रीय बागवानी मिशन, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन, सूक्ष्म सिंचाई, विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन) कार्यान्वित की जा रही हैं जिनके परिणामस्वरूप छोटे और मार्जिनल किसानों सहित फार्म समुदाय की फार्म आमदनी बढ़ती है और उनकी स्थिति में सुधार होता है।

(ग) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उपरोक्त केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत आवंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(I) कृषि का वृहद प्रबंधन स्कीम

क्र. सं.	राज्य का नाम	आवंटन 2003-04	आवंटन 2004-05	आवंटन 2005-06	आवंटन 2006-07
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	3400.00	3600.00	3300.00	4210.00

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	400.00	500.00	1420.00	2200.00
3.	असम	700.00	800.00	1720.00	2000.00
4.	बिहार	1800.00	1800.00	1700.00	2170.00
5.	झारखण्ड	1200.00	1400.00	1300.00	1660.00
6.	गोवा	200.00	200.00	200.00	260.00
7.	गुजरात	2300.00	2300.00	2200.00	2810.00
8.	हरियाणा	1600.00	1600.00	1600.00	2040.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1600.00	1600.00	1600.00	2040.00
10.	जम्मू-कश्मीर	1600.00	1600.00	3000.00	4000.00
11.	कर्नाटक	5500.00	5700.00	4700.00	5990.00
12.	केरल	2900.00	2900.00	2400.00	3060.00
13.	मध्य प्रदेश	4400.00	4500.00	3900.00	4980.00
14.	छत्तीसगढ़	1400.00	1800.00	1800.00	2300.00
15.	महाराष्ट्र	8000.00	8200.00	6850.00	8730.00
16.	मणिपुर	600.00	700.00	1600.00	2200.00
17.	मिजोरम	800.00	700.00	1800.00	2500.00
18.	मेघालय	600.00	900.00	1600.00	1800.00
19.	नागालैण्ड	800.00	900.00	1800.00	2500.00
20.	उड़ीसा	2300.00	2300.00	2000.00	2550.00
21.	पंजाब	1500.00	1500.00	1100.00	0.00
22.	राजस्थान	6700.00	6800.00	5800.00	7390.00
23.	सिक्किम	500.00	600.00	1422.00	1900.00
24.	तमिलनाडु	4200.00	4300.00	3600.00	4590.00
25.	त्रिपुरा	800.00	800.00	1700.00	2000.00
26.	उत्तर प्रदेश	6800.00	7000.00	5800.00	7400.00

1	2	3	4	5	6
27.	उत्तरांचल	1400.00	1600.00	1700.00	2170.00
28.	पश्चिम बंगाल	2400.00	2400.00	2500.00	3190.00

(II) राष्ट्रीय बागवानी मिशन

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	आवंटन 2005-06	आवंटन 2006-07
1.	आन्ध्र प्रदेश	8718.01	10029.90
2.	बिहार	8448.16	11531.20
3.	छत्तीसगढ़	5029.15	11192.08
4.	गुजरात	6844.00	8796.00
5.	गोवा	788.06	335.00
6.	हरियाणा	2097.17	4018.43
7.	झारखण्ड	5990.37	8324.93
8.	कर्नाटक	8521.90	13358.80
9.	केरल	7582.53	20230.05
10.	मध्य प्रदेश	5971.00	7427.10
11.	महाराष्ट्र	16128.00	24344.93
12.	उड़ीसा	7499.00	9620.02
13.	पंजाब	6074.20	5974.00
14.	राजस्थान	4102.00	7626.67
15.	तमिलनाडु	7572.00	9304.72
16.	उत्तर प्रदेश	11519.88	12398.11
17.	पश्चिम बंगाल	8451.00	9377.00

नोट: नई स्कीम - 2005-06 में आरम्भ की गई

(III) सूक्ष्म सिंचाई

क्र. सं.	राज्य का नाम	आवंटन 2005-06	आवंटन 2006-07
1.	आन्ध्र प्रदेश	6129.22	19519.68
2.	बिहार	–	4964.20
3.	झारखण्ड	–	459.85
4.	गुजरात	2182.00	8825.74
5.	गोवा	–	24.27
6.	हरियाणा	–	587.78
7.	कर्नाटक	3584.11	4085.92
8.	केरल	3200.00	636.30
9.	मध्य प्रदेश	580.33	981.62
10.	छत्तीसगढ़	–	6065.80
11.	महाराष्ट्र	4808.06	12756.35
12.	उड़ीसा	–	708.52
13.	पंजाब	566.13	602.91
14.	राजस्थान	1048.00	3605.56
15.	तमिलनाडु	4290.96	1200.64
16.	उत्तर प्रदेश	1241.74	–
17.	पश्चिम बंगाल	–	728.96

नोट: नई स्कीम - 2005-06 में आरम्भ की गई

(IV) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	आवंटन 2003-04	आवंटन 2004-05	आवंटन 2005-06	आवंटन 2006-07
1.	अरुणाचल प्रदेश	1220.00	1645.55	1300.00	1400.00
2.	असम	1400.00	871.00	1300.00	1400.00
3.	मणिपुर	638.00	1286.25	1500.00	1700.00
4.	मिजोरम	1089.00	1801.10	1800.00	2000.00
5.	मेघालय	850.00	1395.99	1700.00	2000.00
6.	नागालैण्ड	1256.00	1467.30	1700.00	2000.00
7.	सिक्किम	1000.00	1150.00	1800.00	1800.00
8.	त्रिपुरा	900.00	1111.30	1500.00	1400.00
9.	उत्तराखण्ड	564.72	975.00	1100.00	4000.00
10.	हिमाचल प्रदेश	650.00	1300.00	1100.00	4000.00
11.	जम्मू-कश्मीर	650.00	1233.00	1550.00	3500.00

(V) (क) दलहन, तिलहन, मक्का तथा आयलपाम से संबंधित स्कीमें

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एन.पी.डी.पी.)	उत्पादन कार्यक्रम (ओ.पी.पी.)	त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (ए.एम.डी.पी.)	आयलपाम विकास कार्यक्रम (ओ.पी.डी.पी.)
		आवंटन 2003-04	आवंटन 2003-04	आवंटन 2003-04	आवंटन 2003-04
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	69.00	1218.00	5.00	350.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.00	21.00	15.95	0.00
3.	असम	50.00	104.00	4.44	2.00
4.	बिहार	9.00	27.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
5.	झारखण्ड	9.00	9.00	0.00	0.00
6.	गोवा	1.00	3.00	0.00	10.00
7.	गुजरात	42.00	732.00	2.00	50.00
8.	हरियाणा	61.00	178.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	4.00	10.00	47.27	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	4.00	12.00	5.00	0.00
11.	कर्नाटक	117.00	522.00	4.00	80.00
12.	केरल	3.00	9.00	0.00	6.00
13.	मध्य प्रदेश	336.00	1060.00	20.61	0.00
14.	छत्तीसगढ़	42.00	46.00	10.07	0.00
15.	महाराष्ट्र	212.00	642.00	15.13	0.00
16.	मणिपुर	20.00	72.00	22.30	0.00
17.	मिजोरम	25.00	79.00	29.89	0.00
18.	मेघालय	15.00	24.00	4.30	0.00
19.	नागालैण्ड	35.00	90.00	4.30	0.00
20.	उड़ीसा	33.00	205.00	0.00	6.00
21.	पंजाब	9.00	30.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	269.00	869.00	50.31	0.00
23.	सिक्किम	10.00	50.00	3.00	0.00
24.	तमिलनाडु	69.00	347.00	15.75	90.00
25.	त्रिपुरा	30.00	60.00	15.82	8.00
26.	उत्तर प्रदेश	172.00	298.00	51.20	0.00
27.	उत्तरांचल	13.00	18.00	10.65	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	21.00	131.00	0.00	0.00

*पहले चल रही तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ.पी.पी.), राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एन.पी.डी.पी.), आयलपाम विकास कार्यक्रम (ओ.पी.डी.पी.), और त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (ए.एम.डी.पी.) नामक चार केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का विलय करने के बाद तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का की समेकित स्कीम (आइसोपाम) 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी हुई।

(V) (ख) समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का स्कीम (आईसोपाम)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आवंटन 2004-05	आवंटन 2005-06	आवंटन 2006-07
1.	आन्ध्र प्रदेश	3543.00	2650.00	2750.00
2.	असम	8.00	15.00	30.00
3.	बिहार	290.00	490.00	490.00
4.	गोवा	20.00	33.00	33.00
5.	गुजरात	1883.00	1850.00	1950.00
6.	हरियाणा	559.00	350.00	375.00
7.	हिमाचल प्रदेश	40.00	67.00	75.00
8.	जम्मू-कश्मीर	170.00	285.00	302.00
9.	कर्नाटक	2155.00	1800.00	1900.00
10.	केरल	10.00	15.00	15.00
11.	मध्य प्रदेश	2925.00	2400.00	2500.00
12.	छत्तीसगढ़	625.00	400.00	425.00
13.	महाराष्ट्र	1040.00	1750.00	1850.00
14.	मिजोरम	107.00	90.00	180.00
15.	उड़ीसा	455.00	500.00	525.00
16.	पंजाब	105.00	175.00	175.00
17.	राजस्थान	2000.00	2350.00	2450.00
18.	तमिलनाडु	990.00	1245.00	1345.00
19.	त्रिपुरा	10.00	20.00	40.00
20.	उत्तर प्रदेश	785.00	1065.00	1115.00
21.	पश्चिम बंगाल	260.00	450.00	475.00

*पहले चल रही तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ.पी.पी.), राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एन.पी.डी.पी.), आयलपाम विकास कार्यक्रम (ओ.पी.डी.पी.), और त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (ए.एम.डी.पी.) नामक चार केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का विलय करने के बाद तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का की समेकित स्कीम (आइसोपाम) 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी हुई।

(VI) विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्त 2005-06	निर्मुक्त 2006-07#
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	223.00	467.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	73.00	63.00
3.	असम	160.00	0.00
4.	बिहार	176.00	43.00
5.	झारखण्ड	163.00	157.00
6.	गुजरात	116.00	60.00
7.	गोवा	27.00	0.00
8.	हरियाणा	123.00	116.00
9.	हिमाचल प्रदेश	122.00	183.00
10.	जम्मू-कश्मीर	104.00	0.00
11.	कर्नाटक	180.00	0.00
12.	केरल	80.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	200.00	294.00
14.	छत्तीसगढ़	125.00	110.00
15.	महाराष्ट्र	231.00	383.00
16.	मणिपुर	59.00	0.00
17.	मिजोरम	49.50	75.60
18.	मेघालय	14.00	0.00
19.	नागालैण्ड	61.00	0.00
20.	उड़ीसा	255.00	249.00
21.	पंजाब	159.00	133.00
22.	राजस्थान	231.00	242.00
23.	सिक्किम	39.00	40.00
24.	तमिलनाडु	128.00	263.00
25.	त्रिपुरा	22.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	547.00	0.00
27.	उत्तरांचल	149.00	182.00
28.	पश्चिम बंगाल	92.00	193.00

#अनन्तिम

नोट - राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत राज्य विस्तार कार्ययोजनाओं, उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति और अव्ययित शेष, यदि कोई हो, के आधार पर निर्मुक्तियां की जाती हैं।

(VII) कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.सी. - एम.एम.-II)

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	आवंटन 2003-04	आवंटन 2004-05	आवंटन 2005-06	आवंटन 2006-07
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	385.00	623.62	440.00	1320.00

1	2	3	4	5	6
2.	गुजरात	425.00	750.00	750.00	1200.00
3.	हरियाणा	225.00	225.00	280.00	300.00
4.	कर्नाटक	385.00	486.03	500.00	580.00
5.	मध्य प्रदेश	325.00	607.59	400.00	450.00
6.	महाराष्ट्र	645.00	784.79	786.00	1000.00
7.	उड़ीसा	145.00	80.00	78.00	125.00
8.	पंजाब	5.00	1.00	1.0	10.00
9.	राजस्थान	275.00	719.21	500.00	580.00
10.	तमिलनाडु	225.00	339.41	350.00	245.00
11.	त्रिपुरा	15.00	25.00	50.00	200.00
12.	उत्तर प्रदेश	130.00	80.00	65.00	80.00
13.	पश्चिम बंगाल	45.00	50.00	75.00	80.00

आई.एस.आई. मार्क के दुरुपयोग

809. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री मो. ताहिर:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) तथा उपभोक्ता अनुसंधान और शिक्षा केंद्र द्वारा आई.एस.आई. मार्क वाले उपभोक्ता उत्पादों की जांच करने के लिए हाल ही में छापे मारे गए थे/परीक्षण किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला और कितने छापे मारे गए एवं कितने उत्पादों की जांच की गई और कितने उत्पाद बी.आई.एस. के मानकों पर खरे नहीं उतर पाए;

(ग) चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार आई.एस.आई. मार्क का दुरुपयोग रोकने के लिए एक विपणन निगरानी प्रणाली बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(च) बी.आई.एस. द्वारा निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो नियमित रूप से अपने प्रमाणन चिन्ह स्कीम के तहत लाइसेंसधारियों के बाजार नमूने लेता है और इन नमूनों का भारतीय मानक ब्यूरो से मान्यताप्राप्त/नेशनल बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलीब्रेशन लेब्रोट्रीज से प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के जरिए परीक्षण करवाता है। भारतीय मानक ब्यूरो उन विनिर्माताओं के परिसरों में नियमित रूप से प्रवर्तन छापे भी मारता है जिनके

पास भारतीय मानक ब्यूरो का वैध लाइसेंस नहीं होता और जो आई.एस.आई. चिन्ह का दुरुपयोग करते हैं।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 (31-1-2007 तक) के दौरान आई.एस.आई. चिन्ह के दुरुपयोग की जांच करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 136 छापे मारे गए। 31-1-2007 तक 163 मामलों में अभियोजन चलाए गए जिनमें पूर्व वर्षों के दौरान मारे गए छापों के परिणामस्वरूप चलाए गए अभियोजन भी शामिल हैं।

चालू वित्त वर्ष 2006-07 (31-1-2007 तक) के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो ने स्वतंत्र रूप से 12,464 बाजार नमूने लिए हैं। इनमें से 5,821 बाजार नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है।

(ग) इन नमूनों की विफलता को देखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार 565 लाइसेंसों को 'स्टॉप मार्किंग' के तहत रखा गया और 8 लाइसेंसों को रद्द कर दिया गया।

(घ) और (ङ) आई.एस.आई. चिन्ह के दुरुपयोग की भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा नियमित आधार पर प्रवर्तन छापे मारकर जांच की जाती है। प्रवर्तन गतिविधियों को आगे और मजबूत बनाने के लिए आई.एस.आई. चिन्ह के दुरुपयोग के बारे में सूचना एकत्र करने तथा ऐसे स्थानों पर छापे मारने में सहायता करने के लिए भी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दो बाहरी एजेंसियों को नियुक्त किया गया है।

(च) भारतीय मानक ब्यूरो अपनी परीक्षण और निरीक्षण तथा बाजार निगरानी स्कीम के जरिए यह सुनिश्चित करता है कि इसके लाइसेंसधारी भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार संगत भारतीय मानकों में निर्धारित गुणता विनिर्देशनों का कड़ाई से पालन करें।

इस्पात संयंत्रों की स्थापना

810. श्री अनन्त नायक: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा के अनुसूचित जिलों में कुछ इस्पात संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके फलस्वरूप विस्थापित होने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) और (ख) इस समय सरकार का उड़ीसा के अनुसूचित जिलों में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कुछ निजी कंपनियों ने राज्य के कुछ अनुसूचित जिलों में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	कंपनी का नाम	जिला	स्थान-स्थिति
1.	मै. आधुनिक मैटलिक्स लि.	सुंदरगढ़	चन्द्री हरिहरपुर
2.	मै. डियो माईंस एंड मिनरल्स प्रा. लि.	सुंदरगढ़	बोनाई
3.	मै. ओ.सी.एल. इंडिया लि.	सुंदरगढ़	राजगनपुर
4.	मै. रूंगटा माईंस लि.	सुंदरगढ़	कोमान्डो
5.	मै. जय बालाजी ज्योति स्टील्स लि.	सुंदरगढ़	तानीशार, लाठीकाटा
6.	मै. सुरेन्द्र माईंस इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि.	सुंदरगढ़	बारहामूसा, बोनाई
7.	मै. उड़ीसा स्पंज आयरन लि.	क्योंझर	पलासपंगा
8.	मै. श्री मैटलिक्स लि.	क्योंझर	लोयडाबाडा, बारबिल
9.	मै. पटनायक स्टील एंड एलॉयज लि.	क्योंझर	पूरणापानी, जोडा

क्र.सं.	कंपनी का नाम	जिला	स्थान-स्थिति
10.	मै. दीपक स्टील एंड पावर लि.	क्योंझर	टोपोडीह, बारबिल
11.	मै. बी.के. स्टील एंड पावर लि.	क्योंझर	उलीबुरू, बारबिल
12.	मै. ब्रांड एलायज लि.	क्योंझर	पलासपंगा
13.	मै. स्टरलाइट आयरन एंड स्टील कंपनी लि.	क्योंझर	पलासपंगा
14.	मै उत्तम गाल्वा स्टील्स लि.	क्योंझर	–
15.	मै. क्रैकर्स इंडिया (एलॉयज) लि.	क्योंझर	गोबर्धनपुर

(ग) उद्योगों की स्थापना के परिणामस्वरूप जिन व्यक्तियों के विस्थापित होने की संभावना है उनके पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने पुनर्वास एवं पुनःस्थापन नीति तैयार की है। इस नीति में, जिले हेतु एक पुनर्वास एवं परिसरीय विकास सलाहकार समिति (आर.पी.डी.ए.सी.) बनाए जाने की अथवा विस्थापित व्यक्तियों के लिए उद्योग द्वारा पुनर्वास कार्यक्रम तैयार करने की परिकल्पना की गई है।

जंगली जानवरों से हुई क्षति के लिए बीमा

811. श्री नरहरि महतो: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जंगली जानवरों से हुई क्षति के विरुद्ध बीमा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसे सम्पूर्ण देश में एक समान रूप से क्रियान्वित किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस बीमा योजना के क्रियान्वयन में अब तक की प्रगति का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जंगली जानवरों द्वारा पहुंचाई गई क्षति के लिए बीमा कवर प्रदान करने हेतु मंत्रालय के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों का दुगुना उत्पादन

812. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में खाद्यान्नों के उत्पादन को दुगुना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और उपरोक्त अवधि के दौरान अनाज-वार और वर्ष-वार से ये खाद्यान्न कौन-कौन से हैं और तत्संबंधी उत्पादन लक्ष्य क्या है;

(ग) क्या खाद्यान्नों के उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई वार्षिक वृद्धि दर भी निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो अनाज-वार और वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) सरकार खाद्यान्नों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है जिससे कि बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिये बृहद प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के सभी राज्यों में चावल/गेहूं/मोटे अनाज आधारित फसल पद्धति वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों में समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का (आइसोपाम) योजना चलाई जा रही है।

विभिन्न देशों के साथ समझौता ज्ञापन

813. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में कृषि और कृषि संबंधी क्षेत्रों में विभिन्न देशों के साथ समन्वय के लिए समझौते ज्ञापनों (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कृषि और समवर्गी क्रियाकलापों के क्षेत्र में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का देशवार ब्यौरा

क्र. सं.	देश का नाम	समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षर की तारीख	समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सहयोग के क्षेत्र
1	2	3	4
1.	चिली	20-01-2005	कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण तथा उत्पादन तकनीक व विस्तार का सुधार।
2.	चिली	20-01-2005	पादप और पादप सामग्रियों तथा पशु और पशु उत्पादों में द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित स्वच्छता और पादप स्वच्छता मामले।
3.	भूटान	25-01-2005	कृषि और पशुधन अनुसंधान, विस्तार सेवाएं, बागवानी, कृषि-जैवविविधता, पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी, समेकित कृमि प्रबंधन, कृषि उपकरण और मशीनरी आदि।
4.	ब्राजील	06-07-2005	कृषि प्राकृतिक संसाधनों और पशुपालन का तकनीकी विकास।
5.	अफगानिस्तान	28-08-2005	बागवानी में कृषि अनुसंधान, फसल विज्ञान, मात्स्यिकी, पशु विज्ञान, कृषि विस्तार, कृषि शिक्षा, कृषि इंजीनीयरी तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंध।
6.	इंडोनेशिया	23-11-2005	समुद्री और मात्स्यिकी सहयोग।
7.	फिलीपीन्स	04-04-2006	चावल उत्पादन और प्रसंस्करण, बहुफसलन प्रणाली, शुष्क-भूमि कृषि प्रणालियां, मृदा एवं जल संरक्षण तथा प्रबंधन, कृषि मशीनरी, बागवानी, डेयरी, पशुधन सुधार, मत्स्य उत्पाद, समेकित कृमि प्रबंधन, कपास उत्पादन प्रौद्योगिकी तथा संकर कपास प्रजनन आदि।
8.	चीन	28-03-2006	फसल उत्पादन, पशुपालन, मात्स्यिकी, कृषि प्रसंस्करण और व्यापार, कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार सहित कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र/उप-क्षेत्र।
9.	सूडान	02-06-2006	सस्यपालन, विस्तार सेवाएं, चरागाह, मृदा संरक्षण, मात्स्यिकी, खाद्य प्रसंस्करण, पशुधन और कृषि अनुसंधान।

1	2	3	4
10.	सूडान	02-06-2006	बागवानी में कृषि अनुसंधान, फसल विज्ञान, मात्स्यिकी, पशु विज्ञान, कृषि विस्तार, कृषि शिक्षा, कृषि इंजीनीयरी तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंध।
11.	अर्जेंटीना	05-07-2006	कृषि और पशुधन अनुसंधान।
12.	कनाडा	17-07-2006	पादप स्वास्थ्य।
13.	ब्राजील	12-09-2006	पादप स्वास्थ्य।
14.	ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका	13-09-2006	अनुसंधान और क्षमता निर्माण, कृषि व्यापार, स्वच्छता और पादपस्वच्छता, ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन।
15.	चीन	21-11-2006	कृषि अनुसंधान और शिक्षा।
16.	जोर्डन	01-12-2006	कृषि नीति और अर्थशास्त्र, पादप संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी आदि।

कृषि क्षेत्र को सहायता

814. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) विभिन्न कृषि क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान एन.सी.डी.सी. द्वारा राज्य-वार, वर्ष-वार और क्षेत्र-वार प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2006-07 के लिए एन.सी.डी.सी. द्वारा सहायता हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और इसमें से क्षेत्र-वार और राज्य-वार अब तक कितनी सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कृषि आदानों के वितरण, उत्पादन प्रसंस्करण, विपणन, कृषि उत्पाद के भण्डारण तथा साथ ही डेयरी, पशुधन, कुक्कुट पालन, मात्स्यिकी जैसे समवर्गीय कार्यकलापों के लिए सहकारी समितियों को सहायता दे रहा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा की गई निर्मुक्तियों का राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और विवरण-II के रूप में संलग्न हैं।

(ग) वर्ष 2006-07 हेतु निर्धारित लक्ष्यों तथा 2006-07 के दौरान 24-2-2007 तक उसमें से प्रदत्त धनराशि के क्षेत्रवार और राज्यवार ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-III और विवरण-IV पर दिये गये हैं।

विवरण-I

वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक राज्यवार निर्मुक्तियां

(लाख रुपये में)

राज्य	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	699.74	18472.84	26075.30

1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	1.63	293.67	738.71
असम	0.00	0.00	8.00
बिहार	863.12	1487.78	1338.43
छत्तीसगढ़	2124.55	10660.88	25150.19
गोवा	87.93	45.26	0.00
गुजरात	5055.20	1822.10	17858.83
हरियाणा	2944.54	1003.13	1020.22
हिमाचल प्रदेश	630.17	1188.83	636.04
जम्मू-कश्मीर	257.01	0.00	98.00
झारखण्ड	409.16	0.00	36.53
कर्नाटक	7710.91	2936.88	11649.16
केरल	9657.90	10924.33	19099.60
मध्य प्रदेश	4102.24	7410.94	11793.34
महाराष्ट्र	13642.11	16577.35	20801.94
मणिपुर	0.00	9.36	9.36
मेघालय	235.42	220.18	41.59
मिजोरम	2.56	0.00	311.73
नागालैण्ड	168.37	244.44	334.42
उड़ीसा	605.34	11.31	4.45
पंजाब	0.00	9.74	20199.79
राजस्थान	347.17	1815.41	1926.08
तमिलनाडु	9215.03	14991.91	14659.30
उत्तर प्रदेश	414.89	1505.45	21117.49
उत्तराखंड	1106.57	1783.10	160.93
पश्चिम बंगाल	2243.44	2329.95	4649.22

1	2	3	4
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.00	30.65	0.00
दिल्ली	0.00	2.55	21.25
राष्ट्र स्तरीय समितियां/अन्य	137.28	10294.04	30277.96

विवरण-II

वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक क्षेत्रवार निर्मुक्तियां

(लाख रुपये में)

क्षेत्र	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4
विपणन	18740.72	29621.67	76740.05
कृषि सेवाएं और आदान	132.33	5025.88	837.07
चीनी	15625.33	27442.04	81112.46
कपड़ा	2174.75	12882.89	11703.24
अन्य प्रसंस्करण	1220.01	2930.34	1517.51
आई.सी.डी.पी.	9585.35	9639.40	13294.09
औद्योगिक और सेवा समितियां	0.00	1002.44	13502.88
शीतागार	269.63	884.93	470.74
भण्डारण	1714.90	1414.29	1135.96
उपभोक्ता	317.31	121.27	69.41
मात्स्यिकी	5239.02	5148.78	7179.58
डेयरी और पशुधन	137.88	62.85	25.00
कुक्कुट पालन	0.00	152.77	289.95
हथकरघा	74.15	110.94	348.45
ज.जा. और अ.जा. सह. समितियां	2515.90	5040.62	7013.84
नारियल जटा और रेशम उत्पादन	18.65	341.85	13.82

1	2	3	4
ऋण की अदला-बदली	4655.33	4096.50	14501.36
कंप्यूटरीकरण	112.31	35.31	118.90
संवर्धनात्मक और विकास	128.70	117.31	143.52
कुल	62662.27	106072.08	230017.83

विवरण-III

वर्ष 2006-07 के दौरान (24-2-2007 तक)

क्षेत्रवार लक्ष्य तथा निर्मुक्तियां

(लाख रुपये में)

क्षेत्र	लक्ष्य	निर्मुक्तियां
1	2	3
विपणन	59300.00	150425.14
कृषि सेवाएं और आदान	700.00	170.84
चीनी	56600.00	34710.95
कपड़ा	12400.00	9278.18
अन्य प्रसंस्करण	1520.00	246.61
आई.सी.डी.पी.	18580.00	3446.02
औद्योगिक और सेवा समितियां	10000.00	79594.00
शीतागार	1400.00	333.97
भण्डारण	1100.00	1784.38
उपभोक्ता	500.00	64.19
मात्स्यिकी	11000.00	999.13
डेयरी और पशुधन	450.00	221.50
कुक्कुट पालन	250.00	75.80
हथकरघा	150.00	4618.00
ज.जा. और अ.जा. सह. समितियां	5390.00	1154.66
नारियल जटा और रेशम उत्पादन ऋण की अदला-बदली	260.00	0.00
कंप्यूटरीकरण	300.00	93.21
संवर्धनात्मक और विकास	100.00	18.79
कुल	180000.00	287235.37

विवरण-IV

वर्ष 2006-07 के दौरान (24-2-2007 तक)

राज्यवार लक्ष्य तथा निर्मुक्तियां

(लाख रुपये में)

राज्य	लक्ष्य	निर्मुक्तियां
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	22500.00	23901.50
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00
असम	13.00	7.19
बिहार	720.00	998.85

1	2	3
छत्तीसगढ़	18225.00	55008.35
गोवा	45.00	22.37
गुजरात	12825.00	15164.01
हरियाणा	2700.00	1554.39
हिमाचल प्रदेश	765.00	199.93
जम्मू-कश्मीर	180.00	0.00
झारखण्ड	495.00	153.00
कर्नाटक	8415.00	745.69
केरल	7875.00	15478.01
मध्य प्रदेश	4995.00	1824.85
महाराष्ट्र	28035.00	8979.52
मणिपुर	90.00	0.00
मेघालय	203.00	13.94
मिजोरम	10.00	0.00
नागालैण्ड	315.00	130.32
उड़ीसा	945.00	15018.72
पंजाब	9135.00	0.00
राजस्थान	3375.00	1583.99
सिक्किम	45.00	0.00
तमिलनाडु	11160.00	29527.58
त्रिपुरा	45.00	0.00
उत्तर प्रदेश	15300.00	21740.75
उत्तराखंड	1800.00	2722.26
पश्चिम बंगाल	1890.00	827.33
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	405.00	2.66
पांडिचेरी	450.00	1430.00
राष्ट्र स्तरीय समितियां/ अन्य	27044.00	90200.16
कुल	180000.00	287235.37

जी.एम. किस्मों संबंधी आंकड़े

815. श्री एल. राजगोपाल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जी.एम. किस्मों को विकसित करने वाली कम्पनियों ने खेत परीक्षणों के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल समिति (जी.ई.ए.सी.) को आनुवांशिक रूप से परिष्कृत (जी.एम.) पौधों के पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी आंकड़े पेश नहीं किये है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने भी इस बारे में इस मंत्रालय को नोटिस जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जी नहीं। आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधों के पर्यावरण और स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित आंकड़ों को किसानों के खेती में बड़े पैमाने पर खुले खेतों में आनुवंशिक रूप से संशोधित ऊपज के परीक्षणों के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति को प्रस्तुत करना एक पूर्वापेक्षा है।

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 15-2-2007 के आदेश के तहत संघ सरकार को छह सप्ताह की अवधि के भीतर रिपोर्ट फाइल करने के निर्देश दिए है जिसमें आनुवंशिक रूप से संशोधित उपज के चल रहे फील्ड परीक्षणों के प्रभाव और जैविक परिणाम क्या होंगे इसका उल्लेख करने के लिए कहा है।

(घ) मंत्रालय अपना उत्तर प्रस्तुत करने की कार्रवाई कर रहा है।

[हिन्दी]

उपरि नर्मदा सिंचाई परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी

816. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डिंडोरी (मध्य प्रदेश) जिले को उपरि नर्मदा सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

परती भूमि पर जैव-ईंधन के पौधे लगाना

817. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में परती भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी भूमि पर जैव-ईंधन के पौधों की खेती को बढ़ावा देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय और नेशनल रिमोट सेंसिग एजेंसी द्वारा प्रकाशित भारत परती भूमि एटलस 2005 के अनुसार देश का परती भूमि क्षेत्र 5,52,692.25 वर्ग कि.मी. था।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, 5 लाख हैक्टेयर वन और गैर वन भूमियों पर जटरोफा/पोनगामियां पौधारोपण के लिए बायो-डीजल राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है।

वर्ष 2005-06 के दौरान, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 9 राज्यों में जटरोफा नर्सरियों के लिए 49.00 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी और वर्ष 2006-07 के दौरान शेष राज्यों में नर्सरी कार्यक्रम को चालू रखने के लिए 50.00 करोड़ रु. का बजटी प्रावधान किया गया है।

उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन

818. श्री गुरूदास दासगुप्त: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तिथि में यह मामला किस स्थिति में है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 2 (ङ) के अंतर्गत 'कर्मचारी' की परिभाषा में विस्तार करने संबंधी प्रस्ताव पर राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से टिप्पणियां मांगी गई हैं।

उपभोक्ता शिकायतें

819. डा. के. धनराजू: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान उपभोक्ता शिकायत प्रकोष्ठ को उपभोक्ताओं से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान उपभोक्ता शिकायत प्रकोष्ठ ने कितनी शिकायतों का निपटान किया; और

(घ) उपभोक्ताओं की लंबित शिकायतों के समाधान के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 2005-06 और 2006-07 (31-1-2007

तक) के दौरान प्राप्त हुई और निपटाई गई उपभोक्ता शिकायतों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) उपभोक्ता शिकायत निवारण कक्ष को प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों को उनके निवारण के लिए तत्परता से उपभोक्ता समन्वय परिषद अथवा संबंधित विनिर्माता, कम्पनियों आदि को भेजा जाता है। उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए सरकार द्वारा कंज्यूमर ऑन लाइन रिसोर्सेज एंड एम्पावरमेंट सेंटर (कोर), नेशनल कंज्यूमर हैल्प लाइन और वॉयस की सेवाओं का भी प्रयोग किया जाता है। उपभोक्ता शिकायत निवारण कक्ष लंबित शिकायतों के संबंध में कोर आदि को अनुस्मारक भी भेजता है। उपभोक्ता शिकायत निवारण कक्ष के पास सांविधिक शक्तियां नहीं हैं। इसलिए उपभोक्ता शिकायत निवारण कक्ष और कोर उपभोक्ताओं को उपभोक्ता मंचों अथवा उपभोक्ता अदालतों में जाने की सलाह देते रहे हैं जिनकी स्थापना न सुलझाई गई शिकायतों के निपटान के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत की गई है।

विवरण

वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या तथा वर्ष 2005-06 और 2006-07 जनवरी, 2007 तक उपभोक्ता शिकायत प्रतितोष कक्ष द्वारा निपटाई गई शिकायतों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्राप्त शिकायतों की संख्या		निपटाई गई शिकायतों की संख्या	
		2005-06	2006-07 31 जनवरी, 2007 तक	2005-06	2006-07 31 जनवरी, 2007 तक
1	2	3	4	5	6
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	2	0	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	245	344	65	55
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	8	0	2
4.	असम	99	109	7	11
5.	बिहार	91	116	12	10
6.	छत्तीसगढ़	60	95	26	11
7.	दिल्ली	3979	3414	658	715
8.	गोवा	22	5	1	1
9.	गुजरात	452	410	17	18
10.	हरियाणा	632	821	78	95
11.	हिमाचल प्रदेश	45	40	6	6

1	2	3	4	5	6
12.	जम्मू-कश्मीर	21	28	2	4
13.	झारखण्ड	91	108	17	9
14.	कर्नाटक	485	527	71	59
15.	केरल	120	121	47	31
16.	मध्य प्रदेश	248	389	56	33
17.	महाराष्ट्र	1543	1419	165	104
18.	मणिपुर	8	9	0	2
19.	मेघालय	15	17	1	2
20.	मिजोरम	3	1	0	1
21.	नागालैण्ड	7	4	0	0
22.	उड़ीसा	89	137	21	18
23.	पाण्डिचेरी	7	3	0	0
24.	पंजाब	497	435	67	72
25.	राजस्थान	263	346	74	46
26.	सिक्किम	1	3	0	0
27.	तमिलनाडु	378	333	56	55
28.	त्रिपुरा	0	3	0	1
29.	उत्तर प्रदेश	914	1095	46	44
30.	उत्तरांचल	66	81	2	4
31.	पश्चिम बंगाल	715	627	29	20
32.	अन्य	8	58	2	3
	कुल	11104	11108	1526	1432
	कुल योग		22212		2958

[हिन्दी]

खरीफ फसल की खरीद

820. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों से राज्य-वार गेहूं, चावल, गन्ना और अन्य खरीफ फसलों की कुल कितनी मात्रा की खरीद की गई; और

(ख) इससे राज्य-वार कितने किसान लाभान्वित हुए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राज्यवार वसूली की गई गेहूं, चावल तथा खरीफ की अन्य फसलों की कुल मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है। विभाग गन्ने की वसूली नहीं करता है।

(ख) ये आंकड़े विभाग में नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

गेहूं की वसूली

(रबी विपणन मौसम - अप्रैल से मार्च)

(हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4
बिहार	14	1	–
चंडीगढ़	–	–	–
छत्तीसगढ़	नगण्य	–	–
दिल्ली	2	2	–
गुजरात	–	–	–
हरियाणा	5115	4529	2229
हिमाचल प्रदेश	नगण्य	नगण्य	–
जम्मू-कश्मीर	नगण्य	नगण्य	–
कर्नाटक	–	–	–
मध्य प्रदेश	350	484	नगण्य
महाराष्ट्र	–	–	–
उड़ीसा	–	–	–
पाण्डिचेरी	–	–	–
पंजाब	9240	9010	6946

1	2	3	4
राजस्थान	279	159	2
तमिलनाडु	–	–	–
उत्तर प्रदेश	1740	560	49
उत्तरांचल	55	40	नगण्य
पश्चिम बंगाल	–	–	–
जोड़	16795	14785	9226

नगण्य - 500 टन से नीचे

धावल की वसूली

खरीफ विपणन मौसम - अक्तूबर से सितम्बर

(हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	नगण्य	1		
आन्ध्र प्रदेश	4230	3906	4972	2284
असम	17	नगण्य	1	
बिहार	363	343	524	318
चण्डीगढ़	–	19	13	10
छत्तीसगढ़	2374	2837	3265	2479
दिल्ली	–	–		
गुजरात	–	–		
हरियाणा	1334	1662	2054	1754
हिमाचल प्रदेश	3	2		
जम्मू-कश्मीर	–	1	3	
झारखण्ड	2	1	2	4

1	2	3	4	
कर्नाटक	–	21	48	1
केरल	–	33	94	56
मध्य प्रदेश	112	42	136	70
महाराष्ट्र	308	205	194	92
नागालैण्ड		11		
उड़ीसा	1373	1590	1785	1127
पाण्डिचेरी	–	–		
पंजाब	8662	9106	8855	7699
राजस्थान	41	22	23	10
तमिलनाडु	207	652	926	762
उत्तर प्रदेश	2554	2971	3151	1983
उत्तरांचल	323	316	336	144
पश्चिम बंगाल	925	944	1275	343
जोड़	22828	24685	27657	19137

नगण्य - 500 टन से नीचे

*26-02-07 की स्थिति के अनुसार

मोटे अनाजों की वसूली

(आंकड़े टन में)

राज्य/वर्ष	ज्वार	बाजरा	मक्का	रागी	जोड़
1	2	3	4	5	6
2003-04					
आन्ध्र प्रदेश	4274	2174	270473	–	276921
बिहार	–	–	707	–	707
छत्तीसगढ़	–	–	2863	–	2863
गुजरात	–	1	705	–	706

1	2	3	4	5	6
हरियाणा	–	199121	–	–	199121
कर्नाटक	–	–	15591	–	15591
मध्य प्रदेश	863	87	20310	–	21260
महाराष्ट्र	42980	192	16838	–	60010
राजस्थान	–	44297	29277	–	73574
जोड़	**48117**	**245872**	**356764**	**–**	**650753**
2004-05					
आन्ध्र प्रदेश	–	–	223223	–	223223
छत्तीसगढ़	–	–	10891	–	10891
हरियाणा	–	130122	–	–	130122
कर्नाटक	–	–	380341	48730	429071
मध्य प्रदेश	–	259	1782	–	2041
महाराष्ट्र	11928	4810	14757	–	31495
पंजाब	–	–	227	–	227
	11928	**135191**	**631221**	**48730**	**827070**
2005-06					
आन्ध्र प्रदेश	–	–	593890	–	593890
छत्तीसगढ़	–	–	9218	–	9218
हरियाणा	–	4895	–	–	4895
कर्नाटक	–	–	380323	65712	446035
मध्य प्रदेश	220	–	2788	–	3008
महाराष्ट्र	67258	58	29649	–	96965
जोड़	**67478**	**4953**	**1015868**	**65712**	**1154011**
2006-07 (26-02-2007 की स्थिति के अनुसार)					
महाराष्ट्र	195	–	–	–	195
जोड़	**195**	**–**	**–**	**–**	**195**

[अनुवाद]

कृषि सहकारी ऋण समितियों का कार्य निष्पादन

821. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में राज्य-वार कितनी कृषि सहकारी ऋण समितियां कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त समितियों के कार्य निष्पादन संबंधी कोई आकलन/अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वास्तविक एवं वित्तीय रूप में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपरोक्त समितियों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रो. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा गठित ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं को पुन: जीवित करने से संबंधित कार्यबल ने अन्य बातों के साथ-साथ प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कार्य निष्पादन का आकलन किया है। वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 हेतु प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के वित्तीय निष्पादन को दर्शाने वाले ब्यौरे इस प्रकार हैं:

संकेतक	2000-01	2001-02	2002-03
लाख में चलने वालों की संख्या	46,807	45,292	58,683
हानियों में चलने वालों की संख्या	41,991	43,511	53,626
कुल संचयित हानि (करोड़ रु. में)	2,112	उ.न.	4,595

स्रोत: ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं को पुनर्जीवित करने वाले कार्यबल की रिपोर्ट (2005)

(घ) ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओ को पुनर्जीवित करने संबंधी कार्यबल (अध्यक्ष: प्रो. ए. वैद्यनाथन) द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने वित्तीय, वैधानिक और संस्थागत उपायों को शामिल करते हुए देश में अल्पकालिक सहकारी ऋण संस्थाओं को पुनर्जीवित करने हेतु पैकेज का अनुमोदन किया है। पुन: जीवित करने के पैकेज के अधीन वित्तीय सहायता के प्रावधान को कानूनी और संस्थागत सुधारों से जोड़ दिया गया है।

विवरण

31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार देश में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की राज्यवार संख्या

राज्य	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या
1	2
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	46
आन्ध्र प्रदेश	4512
अरुणाचल प्रदेश	31
असम	809
बिहार	5936
छत्तीसगढ़	1368
गुजरात	9093
हरियाणा	2433
हिमाचल प्रदेश	2089
कर्नाटक	4051
केरल	1796
मध्य प्रदेश	4586
महाराष्ट्र	20984
मेघालय	179
मिजोरम	165
नागालैण्ड	1719
उड़ीसा	4036

1	2
पाण्डिचेरी	52
पंजाब	3985
जम्मू-कश्मीर	807
राजस्थान	5651
झारखण्ड	208
तमिलनाडु	4892
त्रिपुरा	539
उत्तर प्रदेश	8929
पश्चिम बंगाल	18956
उत्तरांचल	446
कुल	108298

स्रोत: एन.ए.एफ.एस.सी.ओ.बी.

ओलावृष्टि के कारण फसल को नुकसान

822. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में विशेषकर उत्तरी राज्यों में हाल में ओलावृष्टि के कारण फसल को नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक राज्य को कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) इस नुकसान के लिए राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

823. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन में शामिल की गई मदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को मिशन के अंतर्गत और अधिक मदें शामिल करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और किन-किन मदों पर विचार किया जाना लम्बित है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) फिलहाल राष्ट्रीय बागवानी मिशन में शामिल किए गए घटक हैं - पौधरोपण सामग्री का उत्पादन, सब्जियों के बीजों का उत्पादन और बीज अवसंरचना, नए बागानों की स्थापना, जीर्ण बागानों का सुधार/प्रतिस्थापन, जल संसाधन सृजन, संरक्षित खेती, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन/समेकित कृमि प्रबंधन को बढ़ावा देना, जैव कृषि अपनाना, मधुमक्खी-पालन के जरिए परागण सहायता, मानव संसाधन विकास, प्रदर्शनों द्वारा प्रसार, कटाई पश्चात प्रबंधन का विकास और मंडी अवसंरचना।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पशु रोगों के लिए सहायता

824. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पशु रोगों की रोकथाम करने के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु राज्य सरकारों विशेषकर कर्नाटक से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्रियान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दी जाएगी और इनके लिए कब तक धनराशि जारी की जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (घ) पशु रोगों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों से कोई विनिर्दिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, "पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एल.एच. एवं डी.सी.)" पर चालू केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत पशु रोगों को नियंत्रित करने के लिए कर्नाटक सरकार सहित राज्यों/संघ शासित

प्रदेशों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। योजना के (1) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (ए.एस.सी.ए.डी.), (2) राष्ट्रीये पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना (एन.पी.आर.ई.) घटकों के अंतर्गत 2005-06 और 2006-07 के दौरान राज्यवार जारी की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 2004-05, 2005-06 और चालू वित्तीय वर्ष (2006-07) के दौरान कर्नाटक सरकार को पुनर्वैधिकृत/जारी की गई धनराशि निम्न प्रकार है:-

(लाख रुपए में)

योजना का नाम	2004-05		2005-06		2006-07	
	पुनर्वैधिकृत	जारी की गई	पुनर्वैधिकृत	जारी की गई	पुनर्वैधिकृत	जारी की गई
(i) एएससीएडी	1.56	451.30	138.11	400.00	4.87	825.00
(ii) एनपीआरई	0.00	40.00	1.91	38.00	0.20	30.00

विवरण

पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (ए.एस.सी.ए.डी.) और राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना (एन.पी.आर.ई.) के अंतर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (ए.एस.सी.ए.डी.) के अंतर्गत जारी की गई धनराशि		राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना (एन.पी.आर.ई.) के अंतर्गत जारी की गई धनराशि	
		2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	500.00	35.00	15.00
2.	बिहार	192.96	0.00	0.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	53.59	400.00	10.00	0.00
4.	गोवा	15.28	30.22	25.00	0.00
5.	गुजरात	293.00	305.00	30.00	0.00
6.	हरियाणा	256.00	150.00	30.00	20.00
7.	हिमाचल प्रदेश	82.30	103.64	22.00	15.00
8.	जम्मू-कश्मीर	200.00	200.00	23.00	5.00

1	2	3	4	5	6
9.	झारखण्ड	50.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	400.00	825.00	38.00	30.00
11.	केरल	150.00	197.23	10.00	8.00
12.	मध्य प्रदेश	275.48	125.00	10.00	25.00
13.	महाराष्ट्र	704.65	985.00	35.00	30.00
14.	उड़ीसा	229.00	225.00	15.00	12.00
15.	पंजाब	0.00	369.97	15.00	0.00
16.	राजस्थान	267.04	257.00	30.00	15.00
17.	तमिलनाडु	999.00	200.00	30.00	25.00
18.	उत्तर प्रदेश	1222.46	0.00	25.00	25.00
19.	उत्तरांचल	103.465	157.80	0.00	0.00
20.	पश्चिम बंगाल	491.775	490.00	45.00	35.00
21.	अरुणाचल प्रदेश	100.65	91.46	35.00	15.00
22.	असम	0.00	0.00	20.00	10.00
23.	मणिपुर	58.33	96.54	10.00	0.00
24.	मेघालय	81.02	97.31	0.00	5.00
25.	मिजोरम	243.68	251.10	20.00	10.00
26.	नागालैण्ड	345.64	310.32	15.00	10.00
27.	सिक्किम	50.86	57.27	0.00	0.00
28.	त्रिपुरा	219.82	142.08	20.00	0.00
29.	एन.सी.टी. दिल्ली	53.63	55.20	10.00	8.00
30.	पांडिचेरी	10.23	18.80	0.00	2.00
31.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	10.83	16.00	3.00	1.00
32.	चंडीगढ़	4.80	5.60	2.00	1.00

1	2	3	4	5	6
33.	दादर य नगर हवेली	0.00	11.40	1.00	1.00
34.	दमन एवं द्वीव	1.71	1.00	1.00	0.00
35.	लक्षद्वीप	12.66	16.00	1.00	1.00

बीटी कपास पर अध्ययन

825. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीटी कपास की खेती शुरू करने पर एक नए अध्ययन में यह उजागर हुआ है कि यह देश के कुछेक क्षेत्रों विशेषकर विदर्भ में वांछित परिणाम हासिल करने में विफल रही है जैसाकि दिनांक 16 फरवरी, 2007 के "द हिंदू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या आरम्भिक आंकड़े यह दर्शाते हैं कि बीटी कपास का उपयोग न करने वाले किसानों की तुलना में इसका उपयोग करने वाले किसानों की निवल आय कम रही; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि कृषि 2002 से 2005 के दौरान विदर्भ क्षेत्र सहित राज्य में किए गए बी.टी. कपास निष्पादन मूल्यांकन के अनुसार राज्य में बी.टी. कपास की औसत उपज 29.54% अधिक थी। इसके अतिरिक्त विदर्भ क्षेत्र में बी.टी. कपास के खराब होने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गेहूं की फसल में फफूंद

826. श्री बालेश्वर यादव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में फफूंद के कारण गेहूं की फसल को नुकसान पहुंच रहा है, जैसाकि दिनांक 25 जनवरी, 2007 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जी, नहीं। भारत में गेहूं पर अफ्रीकी प्रजाति के स्टेम रस्ट फफूंद लगने की सूचना नहीं है। "दैनिक जागरण" में 25-1-2007 को भारत में गेहूं की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की आशंका वाली फफूंद के केन्या से संभावित प्रवेश के संबंध में समाचार-विवरण आया। वर्ष 1999 में केन्या में स्टेम रस्ट के यूजी 99 नामक फफूंद स्ट्रेन की पहचान की गई तथा यह यमन में भी पाया गया। गेहूं अनुसंधान निदेशालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए इस प्रजाति की आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है। सी.आई.एम.एम.वाई.टी. मेक्सिको भी इस प्रजाति की आवाजाही पर नियमित सूचना प्रदान कर रहा है। देश में नाशक कीट और कृमि अधिनियम, 1940 के अधीन सुस्थापित पादप संगरोध विनियामक प्रणाली है जिसके तहत पादप/पादप उत्पादों के आयात को विनियमित/प्रतिबंधित करके फसल नाशक विदेशी कृमियों के प्रवेश और फैलाव को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। संजनन अथवा उपभोग प्रयोजनों के लिए किसी पादप उत्पाद के आयात के लिए पादप संगरोध आदेश के अधीन सुपरिभाषित विनियम हैं। प्रवेश पश्चात संगरोध निरीक्षण भी किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पादप सामग्री किसी भी रोग से मुक्त है। देश में पत्तनों, हवाई-अड्डों और लैण्ड कस्टम स्टेशन्स में फैले 39 पादप संगरोध केन्द्रों के जरिए पादप संगरोध विनियमों को क्रियान्वित किया जाता है। इसके अलावा, केन्द्रीय समेकित कृमि प्रबंध केन्द्रों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा राज्य कृषि विभागों के जरिए आपातकालीन उपाय करने के लिए देश में कृमि और रोगों के उत्पन्न होने की नियमित निगरानी भी की जाती है।

नेफेड द्वारा खरीद

827. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) द्वारा देश में कृषि उत्पादों की खरीद की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में खरीदे गए ऐसे उत्पादों का राज्य-वार, उत्पादवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेफेड द्वारा सोयाबीन की खरीद न किए जाने के संबंध में विदर्भ क्षेत्र के किसानों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इसके परिणामस्वरूप सोयाबीन का उत्पादन करने वाले किसानों द्वारा उठाए गए घाटे का कोई आकलन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (नेफेड) मूल्य समर्थन स्कीम के तहत अधिसूचित तिलहन और दलहन की खरीद के लिए केन्द्रीय नोडल एजेंसी है। वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक तथा वर्तमान वर्ष के दौरान मूल्य समर्थन स्कीम के तहत नेफेड द्वारा अधिप्राप्त तिलहन, दलहन और कपास की अधिप्राप्ति का राज्यवार, उत्पादवार और वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (च) सरकार की जानकारी में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। विदर्भ क्षेत्र सहित महाराष्ट्र राज्य में सोयाबीन की दरें खरीफ 2006 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक थीं। अतएव पी.एस.एस. के तहत सोयाबीन की खरीद के लिए नैफेड का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं था और किसानों को खरीफ, 2006 मौसम के दौरान उनकी सोयाबीन की फसल के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त हुआ।

विवरण

वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक के दौरान मूल्य समर्थन स्कीम के तहत नेफेड द्वारा अधिप्राप्त तिलहन, दलहन और कपास की अधिप्राप्ति का राज्यवार, उत्पादवार और वर्षवार ब्यौरा

क्र. सं.	वर्ष	जिंस/फसल मौसम	राज्य	अधिप्राप्त मात्रा (मी. टन में)	एम.एस.पी. (रु. प्रति क्विंटल)
1	2	3	4	5	6
1.	2003-2004	कोपरा मिलिंग 2003 मौसम	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	824	2840
2.	2003-2004	उड़द खरीफ-2003	आंध्र प्रदेश	4986	1370
			कर्नाटक	18664	
			महाराष्ट्र	34334	
			राजस्थान	34026	
			मध्य प्रदेश	1397	
			गुजरात	19873	
			उत्तर प्रदेश	21700	
			झारखंड	2578	

1	2	3	4	5	6
			बिहार	5250	
			कोलकाता	4986	
			उड़ीसा	2409	
			कुल	**1,52,388**	
3.	2003-04	मूंग खरीफ-2003	आंध्र प्रदेश	2294	1370
			कर्नाटक	14	
			राजस्थान	180	
			कुल	**2488**	
4.	2004-2005	चना रबी-2004	मध्य प्रदेश	155699	1400
			महाराष्ट्र	3717	
			राजस्थान	46306	
			गुजरात	5392	
			आन्ध्र प्रदेश	4067	
			छत्तीसगढ़	43134	
			उत्तर प्रदेश	24225	
			कुल	**282540**	
5.	2004-2005	सरसों बीज रबी-2004	राजस्थान	18491	1600
			छत्तीसगढ़	86	
			कुल	**18577**	
6.	2004-2005	सूरजमुखी बीज रबी-2004	बिहार	2330	1250
7.	2004-2005	कुसुम बीज रबी-2004	मध्य प्रदेश	71	1500
8.	2004-2005	मूंगफली खरीफ-2004	उत्तर प्रदेश	247	1500
9.	2004-2005	उड़द खरीफ-2004	उत्तर प्रदेश	280	1410

1	2	3	4	5	6
10.	2005-2006	सरसों बीज रबी-2005	राजस्थान	1403781	1700
			उत्तर प्रदेश	39623	
			गुजरात	188255	
			मध्य प्रदेश	137509	
			हरियाणा	306275	
			पंजाब	6718	
			दिल्ली	8978	
			छत्तीसगढ़	12159	
			कुल	**2093298**	
11.	2005-2006	तोरिया रबी-2005	मध्य प्रदेश	89	1665
12.	2005-2006	कुसुम बीज रबी-2005	महाराष्ट्र	21458	1550
			कर्नाटक	5971	
			आन्ध्र प्रदेश	4376	
			कुल	**31805**	
13.	2005-2006	सूरजमुखी बीज खरीफ-2005	कर्नाटक	30	1340
14.	2005-2006	चना रबी-2005	मध्य प्रदेश	92322	1425
			महाराष्ट्र	22	
			राजस्थान	4368	
			गुजरात	38	
			छत्तीसगढ़	10502	
			उत्तर प्रदेश	545	
			कुल	**107797**	
15.	2005-2006	मसूर रबी-2005	मध्य प्रदेश	5454	1525

1	2	3	4	5	6
16.	2005-2006	उड़द रबी-2005	उत्तर प्रदेश	529	1410
17.	2005-2006	तिल बीज खरीफ-2005	पश्चिम बंगाल	2196	1500
18.	2005-2006	कपास रबी-2005	गुजरात	13152	1640 और 1960
			पंजाब	4282	1815
			महाराष्ट्र	276	1675
			मध्य प्रदेश	652	1835
			कुल	**18362**	
19	2005-2006	मूंगफली खरीफ-2005	उत्तर प्रदेश	1265	1520
			कर्नाटक	1172	
			आंध्र प्रदेश	1026	
			कुल	**3463**	
20.	2005-2006	कोपरा 2005 मौसम	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	2834	3570
			तमिलनाडु	519	
			केरल	397	
			कुल	**3750**	
21.	2005-2006	कोपरा 2006 मौसम	तमिलनाडु	896	3590
			केरल	2589	
			लक्षद्वीप	2524	
			अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	2778	
			कुल	**8787**	
		बाल कोपरा	कर्नाटक	899	3840
22.	2005-2006	सूरजमुखी बीज खरीफ-2005	कर्नाटक	3121	1500

1	2	3	4	5	6
23.	2005-2006	सोयाबीन खरीफ-2005	छत्तीसगढ़	761	1010
			आन्ध्र प्रदेश	132	
			कुल	**893**	
24.	2006-2007	मूंगफली रबी-2006	उड़ीसा	1160	1520
25.	2006-2007	सूरजमुखी बीज रबी-2006	छत्तीसगढ़	1094	1500
			आन्ध्र प्रदेश	14	
			पंजाब	1947	
			बिहार	1000	
			पश्चिम बंगाल	1187	
			कुल	**5242**	
26.	2006-2007	कुसुम बीज रबी-2006	महाराष्ट्र	32855	1565
			आन्ध्र प्रदेश	6392	
			कर्नाटक	11532	
			कुल	**50779**	
27.	2006-2007	सरसों बीज रबी-2006	राजस्थान	14,18,000	1715
			हरियाणा	4,58,000	
			गुजरात	1,04,000	
			मध्य प्रदेश	2,00,000	
			उत्तर प्रदेश	17,000	
			दिल्ली	3,000	
			पंजाब	4,000	
			छत्तीसगढ़	1,000	
			कुल	**22,05,000**	
28.	2006-2007	सोयाबीन खरीफ-2006	आंध्र प्रदेश	7	1020
29.	2006-2007	तिल बीज खरीफ-2006	पश्चिम बंगाल	377	1550

[अनुवाद]

डेयरी/कुक्कुट पालन उद्यम पूंजी निधि योजना

828. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डेयरी/कुक्कुट पालन उद्यम पूंजी निधि योजना की विशेषताएं क्या हैं; और

(ख) यह किसानों के लिए किस सीमा तक लाभदायक होगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूंजी कोष केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना स्कीम है जिसका क्रियान्वयन नाबार्ड के माध्यम से किया जा रहा है। लाभार्थी को इस योजना के तहत सहायता मांगने के लिए बैंक योग्य परियोजना तैयार करके उसे बैंकों में प्रस्तुत करना होता है जिसकी पहचान पूरे देश में नाबार्ड द्वारा की जाती है। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता की पद्धति निम्नलिखित है:-

(i) उद्यमी का अंशदान	10%
(ii) भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पराक्रमी निधि से ब्याजमुक्त ऋण	50%
(iii) कृषि क्रियाकलापों के लिए लागू ब्याज पर बैंक ऋण	40%

भारत सरकार लाभार्थी द्वारा ऋण के नियमित/समयानुसार भुगतान के मामले में ही 50% की सीमा तक ब्याज घटक पर राजसहायता देती है।

(ख) इस योजना के तहत किसानों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज की प्रभावी दर कृषि क्रियाकलापों के लिए सामान्य ब्याज दर की तुलना में कम है।

कामगारों के विकास के लिए योजना

829. श्री बाडिगा रामकृष्णा:

श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से कुशल कामगारों के लिए एक कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए तथा प्रशिक्षण, अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक कौशल विकास निधि की स्थापना करने का है ताकि उनको प्रशिक्षित किया जा सके अथवा उनकी परीक्षा ली जा सके और उनके विद्यमान कौशल का प्रमाणीकरण किया जा सके जिससे वे विश्व स्तर पर स्वीकार्य हो सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबंधित पक्षों से उनके योगदान के लिए कोई परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (घ) देश में प्रशिक्षण अवसंरचना सुविधाओं में वृद्धि हेतु सरकार के 'कौशल विकास निधि' की स्थापना के प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि पणधारियों (स्टेक होल्डरों) द्वारा इसे प्रोत्साहित नहीं किया गया।

फिर भी, कामगारों को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए देश के विभिन्न भागों में उनके कौशल उन्नयन हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) 500 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में उन्नयन किया जा रहा है।

(ii) 'पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम तथा जम्मू व कश्मीर में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना' नामक योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(iii) अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के कौशल परीक्षण तथा प्रमाणीकरण की एक योजना आरंभ की गई है।

(iv) व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने, उनके कौशलों के परीक्षण तथा प्रमाणीकरण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी से माड्यूलर रोजगारपरक कौशलों पर आधारित कौशल विकास पहल (एस.डी.आई.) नामक एक नई योजना अगले वित्तीय वर्ष से कार्यान्वयन हेतु आरंभ की जानी है।

(v) पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के विकास, प्रशिक्षण की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण, सक्षमताओं के मूल्यांकन तथा कार्य पर ही शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्योग का योगदान लिया जा रहा है।

केरल में कार्डामम हिल रिजर्व

830. श्री पी.सी. थामस: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल ने इडुक्की जिले का कार्डामम हिल रिजर्व (सी.एच.आर.) वनों की श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार का उसमें शामिल भूमि पर अधिकार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ई.एस.आई.सी. चिकित्सा सुविधाओं पर व्यय में वृद्धि

831. श्री एस.के. खारवेनथन:

श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ई.एस.आई.सी. ने चिकित्सा लाभों की सीमा में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ई.एस.आई.सी. ने कर्मचारियों के अंशदान के संबंध में दैनिक मजदूरी सीमा छूट में भी वृद्धि की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे कितने व्यक्तियों को लाभ मिलेगा?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) जी, हां। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 23-12-2006 को आयोजित अपनी 137वीं बैठक में 01-04-2007 से चिकित्सा देखभाल की अधिकतम सीमा को प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष 900 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने का अनुमोदन प्रदान किया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने यह निर्णय भी लिया है कि चिकित्सा स्कीम में सुधार लाने के लिए अनुबंधित सेवा शर्तों को पूरा करने पर संबंधित राज्य सरकार को प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष 50 रुपये प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किये जाएं।

(ग) से (ङ) जी, हां। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 23-12-2006 को आयोजित अपनी 137वीं बैठक में कर्मचारियों के अंशदान के भाग का भुगतान करने से छूट प्रदान करने के लिए औसत दैनिक मजदूरी की सीमा को 50 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये प्रतिदिन करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है और 5.70 लाख के लगभग कर्मचारियों के लाभान्वित होने की संभावना है।

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 का उल्लंघन

832. श्री बाडिगा रामकृष्णा:

श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्यों विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और आई.पी.सी. की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के लिए कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त के समक्ष नियोक्ताओं के खिलाफ राज्य-वार कितने मामले दायर किए गए;

(ख) उपरोक्त मामलों में दोषी नियोक्ताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या न्यायालयों में कतिपय मामले अभियोजन के लिए लंबित हैं अथवा अभियोजन चलाया गया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ये मामले कब से लंबित हैं और इसके लंबित रहने के क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन के लिये संस्वीकृत मामलों और भारतीय दंड संहिता धारा 406/409 के अंतर्गत दर्ज कराई गई शिकायतों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) इस अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत चूककर्ताओं के खिलाफ अभियोजन मामले चलाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय संहिता धारा 406/409 के अंतर्गत उन चूककर्ताओं के खिलाफ पुलिस प्राधिकारियों के पास शिकायतें भी दर्ज करवाई जाती हैं, जो कर्मचारियों का हिस्सा जमा नहीं करवाते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। लंबित मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) लंबित मामलों की स्थिति केस दर केस भिन्न-भिन्न हैं। न्यायालय इसके समक्ष दायर मामलों का विधिवत् प्रक्रिया के अनुसार निपटान करते हैं।

विवरण-I

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अंतर्गत तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत चलाए गए मामले

क्षेत्र	2003-04		2004-05		2005-06	
	धारा 14 के अंतर्गत	धारा 406/ 409 के अंतर्गत	धारा 14 के अंतर्गत	धारा 406/ 409 के अंतर्गत	धारा 14 के अंतर्गत	धारा 406/ 409 के अंतर्गत
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	429	10	1547	18	2105	6
बिहार	0	0	546	4	0	0
छत्तीसगढ़	0	2	0	4	0	0
दिल्ली	10	9	0	10	0	9
गोवा	237	13	133	1	22	0
गुजरात	0	28	90	12	211	33
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
हरियाणा	1	9	55	8	714	7
झारखण्ड	475	1	0	0	0	4
कर्नाटक	570	98	753	244	2070	122
केरल	337	95	362	88	868	68
महाराष्ट्र	1	7	0	5	641	14
मध्य प्रदेश	4	4	0	3	3	2
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	0	10	0	0	12	1
उड़ीसा	80	3	2	0	0	0
पंजाब	111	4	137	6	34	10
राजस्थान	184	28	0	8	1	0

1	2	3	4	5	6	7
तमिलनाडु	294	432	661	179	187	117
उत्तरांचल	24	3	0	1	3	0
उत्तर प्रदेश	4	7	0	2	247	0
पश्चिम बंगाल	78	29	2075	91	887	64
कुल	2839	792	6361	684	8005	457

विवरण-II

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अंतर्गत तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत चलाए गए मामले

क्षेत्र	2003-04		2004-05		2005-06	
	धारा 14 के अंतर्गत	धारा 406/ 409 के अंतर्गत	धारा 14 के अंतर्गत	धारा 406/ 409 के अंतर्गत	धारा 14 के अंतर्गत	धारा 406/ 409 के अंतर्गत
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	2214	254	2363	216	4366	222
बिहार	3957	19	4503	23	4503	23
छत्तीसगढ़	907	3	907	7	907	7
दिल्ली	967	57	967	67	927	76
गोवा	378	83	511	84	525	83
गुजरात	3574	381	3648	393	3859	417
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
हरियाणा	1797	120	1832	123	2546	128
झारखण्ड	2229	1	2142	1	2141	2
कर्नाटक	3734	567	4458	793	5454	914
केरल	2926	1085	2983	1173	3644	1188
महाराष्ट्र	5321	388	5315	393	5610	397
मध्य प्रदेश	4372	109	4372	112	4320	85

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	421	57	421	57	433	57
उड़ीसा	1784	99	1786	99	1786	99
पंजाब	1521	186	1618	191	1615	197
राजस्थान	502	176	502	38	503	34
तमिलनाडु	2996	1480	3613	1497	3738	1313
उत्तरांचल	36	5	36	6	26	5
उत्तर प्रदेश	2696	278	2696	280	2943	280
पश्चिम बंगाल	2792	851	3205	940	4092	1004
कुल	45124	6199	47878	6493	53938	6531

बाट और माप कानून का उल्लंघन

833. श्री के.एस. राव:

श्री एल. राजगोपाल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बाट और माप कानून के उल्लंघन के संबंध में वर्षवार और राज्यवार किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) क्या उपभोक्ताओं के हित की रक्षा के लिए पैक किए गए उत्पादों के नमूनों की जांच के लिए तीसरे पक्ष और उपभोक्ताओं को सशक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बाट और माप के संबंध में एक नया व्यापक कानून अधिनियमित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) बाट तथा माप पर मौजूदा दो कानूनों के स्थान पर एक नया व्यापक कानून बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

गत तीन वर्ष के दौरान बाट तथा माप के कानूनों के उल्लंघन के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रवर्तन प्राधिकारियों से प्राप्त शिकायतों के स्वरूप को दर्शाने वाला वर्ष-वार और राज्य वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	2004-05	2005-06	2006-07 (31-1-2007 तक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना

1	2	3	4	5
		(2) कम तोल/माप	(2) कम तोल/माप	(2) कम तोल/माप
		(3) ऑटो का किराया अधिक वसूलना	(3) ऑटो का किराया अधिक वसूलना	(3) ऑटो का किराया अधिक वसूलना
2.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना
		(2) कम तोल/माप	(2) कम तोल/माप	(2) कम तोल/माप
		(3) पैकेजों पर से मूल्य मिटाना	(3 पैकेजों पर से मूल्य मिटाना	(3) पैकेजों पर से मूल्य मिटाना
		(4) अस्टाम्पित बाट का प्रयोग	(4) अस्टाम्पित बाट का प्रयोग	(4) अस्टाम्पित बाट का प्रयोग
3.	दिल्ली	(1) कम तोल/माप	(1) कम तोल/माप	(1) कम तोल/माप
		(2) पैकेज में रखी वस्तु नियम के तहत उल्लंघन	(2) पैकेज में रखी वस्तु नियम के तहत उल्लंघन	(2) पैकेज में रखी वस्तु नियम के तहत उल्लंघन
		(3) अस्टाम्पित बाट का प्रयोग	(3) अस्टाम्पित बाट का प्रयोग	(3) अस्टाम्पित बाट का प्रयोग
		(4) पैक बंद वस्तु की कम मात्रा	(4) पैक बंद वस्तु की कम मात्रा	(4) पैक बंद वस्तु की कम मात्रा
		(5) पैकेज पर घोषणा के तरीके में कमी	(5) पैकेज पर घोषणा के तरीके में कमी	(5) पैकेज पर घोषणा के तरीके में कमी
		(6) खराब ऑटो रिक्शा मीटर	(6) खराब ऑटो रिक्शा मीटर	(6) खराब ऑटो रिक्शा मीटर
4.	गोवा	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना
		(2) कम तोल/माप	(2) तोल/माप में गैर मानक फीते का प्रयोग	
			(3) पैक बंद वस्तु पर घोषणा न करना	
5.	गुजरात	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना	(1) कम तोल/माप
		(2) कम तोल/माप	(2) पैकेजों पर घोषणा अधूरी/ न करना	(2) पैक बंद वस्तु की कम मात्रा
		(3) पैकेजों पर घोषणा न करना	(3) नकली बाटों का प्रयोग करना	(3) एल.पी.जी. सिलेण्डर वितरण करने वाले व्यक्ति के पास तोल यंत्र न होना
		(4) पैक बंद वस्तु की कम मात्रा	(4) अत्यधिक मरम्मत प्रभार	

1	2	3	4	5
6.	हरियाणा	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना
		(2) कम तोल/माप	(2) कम तोल/माप	(2) कम तोल/माप
		(3) अस्टाम्पित बाट	(3) अस्टाम्पित बाट	(3) अस्टाम्पित बाट
7.	कर्नाटक	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना
		(2) पैक बंद वस्तु की कम मात्रा	(2) पैक बंद वस्तु की कम मात्रा	(2) पैक बंद वस्तु की कम मात्रा
		(3) अधिकतम खुदरा मूल्य को बदलना/मिटाना	(3) अधिकतम खुदरा मूल्य को बदलना/मिटाना	(3) अधिकतम खुदरा मूल्य को बदलना/मिटाना
		(4) पैकेज पर घोषणा न करना	(4) पैकेज पर घोषणा न करना	(4) पैकेज पर घोषणा न करना
		(5) कम तोल/माप	(5) कम तोल/माप	(5) कम तोल/माप
		(6) असत्यापित बाट या माप का प्रयोग	(6) असत्यापित बाट या माप का प्रयोग	(6) असत्यापित बाट या माप का प्रयोग
		(7) परिवर्तित मापों का प्रयोग	(7) परिवर्तित मापों का प्रयोग	(7) परिवर्तित मापों का प्रयोग
		(8) आटो किराया अधिक वसूलना	(8) आटो किराया अधिक वसूलना	(8) आटो किराया अधिक वसूलना
8.	केरल	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना
		(2) कम तोल/माप	(2) कम तोल/माप	(2) कम तोल/माप
		(3) असत्यापित बाट या माप का प्रयोग	(3) असत्यापित बाट या माप का प्रयोग	(3) असत्यापित बाट या माप का प्रयोग/बिक्री
				(4) पैक बंद वस्तु पर घोषणा न करना
				(5) विनिर्माता/मरम्मतकर्ता/डीलरों द्वारा रिकार्ड न रखना
9.	मध्य प्रदेश	(1) कम तोल/माप	(1) कम तोल/माप	(1) कम तोल/माप
		(2) असत्यापित/गैर मानक बाट या माप का प्रयोग	(2) असत्यापित/गैर मानक बाट या माप का प्रयोग	(2) असत्यापित/गैर मानक बाट या माप का प्रयोग
		(3) पैकेजों पर घोषणा न करना	(3) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना	(3) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना

1	2	3	4	5
		(4) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना		
10.	महाराष्ट्र	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना
		(2) पैक बंद वस्तु की कम मात्रा	(2) पैक बंद वस्तु की कम मात्रा	(2) पैक बंद वस्तु की कम मात्रा
		(3) अधिकतम खुदरा मूल्य को बदलना/मिटाना	(3) अधिकतम खुदरा मूल्य को बदलना/मिटाना	(3) अधिकतम खुदरा मूल्य को बदलना/मिटाना
		(4) पैकेज पर घोषणा न करना	(4) पैकेज पर घोषणा न करना	(4) पैकेज पर घोषणा न करना
		(5) कम तोल/माप	(5) कम तोल/माप	(5) कम तोल/माप
		(6) असत्यापित बाट या माप का प्रयोग	(6) असत्यापित बाट या माप का प्रयोग	(6) असत्यापित बाट या माप का प्रयोग
		(7) परिवर्तित मापों का प्रयोग	(7) परिवर्तित मापों का प्रयोग	(7) परिवर्तित मापों का प्रयोग
11.	मेघालय	(1) कम तोल/माप	(1) कम तोल/माप	(1) निर्माण सामग्री की कम मात्रा
		(2) पैक बंद वस्तु की कम मात्रा	(2) पैकेजों पर घोषणा न करना	(2) लाइसेंस के बिना बाट या माप की बिक्री
		(3) पैकेजों पर घोषणा न करना	(3) सकल भार के आधार पर पैकेज की बिक्री करना	(3) निविदा दस्तावेज में अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दर कोट करना
		(4) असत्यापित बाट या माप का प्रयोग		
12.	पाण्डिचेरी	(1) निर्माण सामग्री की कम मात्रा	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना	(1) कम तोल/माप
			(2) कम तोल/माप	
13.		(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना
		(2) कम तोल/माप	(2) कम तोल/माप	(2) कम तोल/माप
14.	तमिलनाडु	(1) पैकेजों पर घोषणा न करना	(1) पैकेजों पर घोषणा न करना	(1) पैकेजों पर घोषणा न करना
		(2) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना	(2) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना	(2) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना
		(3) कम तोल/माप	(3) कम तोल/माप	(3) कम तोल/माप

1	2	3	4	5
15.	उत्तरांचल	(1) कम तोल/माप	(1) कम तोल/माप	(1) कम तोल/माप
		(2) पैक बंद वस्तु की कम मात्रा	(2) पैक बंद वस्तु की कम मात्रा	(2) पैक बंद वस्तु की कम मात्रा
		(3) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना	(3) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना	(3) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना
16.	उत्तर प्रदेश	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना
		(2) कम तोल/माप	(2) कम तोल/माप	(2) कम तोल/माप
		(3) पैक बंद वस्तु की कम मात्रा	(3) पैक बंद वस्तु की कम मात्रा	(3) पैक बंद वस्तु की कम मात्रा
		(4) बाट के स्थान पर पत्थर का प्रयोग करना	(4) बाट के स्थान पर पत्थर का प्रयोग करना	(4) बाट के स्थान पर पत्थर का प्रयोग करना
			(5) पैकेज पर घोषणा के तरीके/ घोषणा का अनुपालन न करना	(5) पैकेज पर घोषणा के तरीके/ घोषणा का अनुपालन न करना
17.	पश्चिम बंगाल	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना	(1) पैक बंद वस्तु का अधिक मूल्य वसूलना
		(2) कम तोल/माप	(2) कम तोल/माप	(2) कम तोल/माप

नोट: अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चण्डीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा नगर और हवेली, दमण और दीव, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा ने अब तक शिकायतों की सूचना नहीं दी है।

उर्वरक संयंत्रों का विस्तार

834. श्री जुएल ओराम: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ उर्वरक संयंत्रों के विस्तार के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और ये कहां-कहां हैं और इस उद्देश्य के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रदान की गई धनराशि में से राज्यवार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) सरकार ने 29 जनवरी, 2004 को यूरिया की नई और विस्तार परियोजनाओं में किए गए निवेश के लिए मूल्य-निर्धारण नीति को अनुमोदित कर दिया है। तद्नुसार, आर.सी.एफ. ने थाल स्थित अपने उर्वरक संयंत्र के विस्तार की संभावना तलाश करने संबंधी एक प्रस्ताव उर्वरक विभाग को प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार, कृभको ने भी गुजरात में हजीरा उर्वरक परियोजना के विस्तार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। निजी क्षेत्र में इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर्स का जगदीशपुर में विस्तार करने का प्रस्ताव है। तथापि, फीडस्टॉक संबंधी कठिनाइयों के कारण इन संयंत्रों को प्रारम्भ नहीं किया जा सका। इसके अलावा, इन संयंत्रों के लिए सरकार से कोई बजट सहायता नहीं दी गई है।

दिल्ली में धूम्रपान

835. श्री प्रहलाद जोशी:

श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार धूम्रपान के दृश्य दिखाने वाली फिल्मों अथवा दूरदर्शन धारावाहिक की स्क्रीनिंग की अनुमति देने से पूर्व अनुपालन किए जाने हेतु दिशा-निर्देशों को जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार तम्बाकू उत्पादों की व्यापार एवं कराधान पद्धति को भी परिवर्तित कर रही है और तम्बाकू उत्पादों हेतु राजसहायता को धीरे-धीरे वापस ले रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्तमान में फिल्मों और दूरदर्शन धारावाहिकों में धूम्रपान के दृश्यों को प्रतबंधित करने का मामला किस चरण में है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय बांस मिशन

836. श्री अनन्त नायक: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय बांस प्रौद्योगिकी मिशन किन-किन राज्यों में शुरू किया गया है;

(ख) उक्त मिशन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय बांस प्रौद्योगिकी मिशन का उन गैर-उत्पादक राज्यों तक विस्तार करने का प्रस्ताव है जहां की स्थितियां बांस उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है;

(ङ) हां, तो तत्संबंधी राज्यवार, विशेषकर उड़ीसा के संदर्भ में ब्यौरा क्या है; और

(च) इस उद्देश्य के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग ने उड़ीसा राज्य सहित देश के सभी 28 राज्यों में राष्ट्रीय बांस मिशन नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की है। इस मिशन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(1) एक क्षेत्र आधारित तथा आंचलिक दृष्टि से विभेदित कार्यनीति के जरिए बांस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना।

(2) उपज में वृद्धि करने के लिए उन्नत प्रजातियों के साथ संभावित क्षेत्रों में बांस के तहत क्षेत्र कवरेज में वृद्धि करना।

(3) बांस और बांस आधारित हस्तशिल्प के विपणन को बढ़ावा देना।

(4) बांस के विकास के लिए पणधारकों के बीच समेकन एवं सहचार्यता स्थापित करना।

(5) पारम्परिक ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी के पूर्ण समेकन के जरिए प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, उसका विकास करना और प्रचार-प्रसार करना।

(6) कुशल तथा अकुशल व्यक्तियों के लिए, विशेष रूप से बेरोजगार युवाओं के लिए, रोजगार के अवसरों का सृजन करना।

(ग) से (च) इस विभाग में राष्ट्रीय बांस मिशन देश में संघ शासित क्षेत्रों को छोड़कर सभी 28 राज्यों में क्रियान्वित की जाएगी और इस प्रकार इस मिशन को बांस का उत्पादन न करने वाले राज्यों में लागू करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपभोक्ता कल्याण निधि

837. श्री जी. करुणाकर रैड्डी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उपभोक्ता कल्याण निधि के पास 31 दिसम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार कुल कितनी कायिक निधि उपलब्ध है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ता कल्याण निधि के उपयोग के संबंध में वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता संगठनों को अनुदान आबंटन की सीमा बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार उक्त निधि से उपभोक्ता संगठनों को अनुदान आबंटन के लिए प्रक्रिया को सरल करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) 31 दिसम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार उपभोक्ता कल्याण कोष में उपलब्ध कुल कार्पस निधि 96,32,43,000/- रुपए है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ता कल्याण कोष के उपयोग के बारे में वर्षवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	उपभोक्ता कल्याण कोष का उपयोग
2003-04	4,18,53,000 रुपए
2004-05	17,42,95,000 रुपए
2005-06	8,51,14,000 रुपए

(ग) से (च) जी, नहीं। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उपभोक्ता कल्याण गतिविधियां चलाने के लिए उपभोक्ता कल्याण कोष स्थापित करने के लिए कहा गया है।

सूखे से निपटने के लिए तंत्र

838. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रति वर्ष सूखे से निपटने के लिए कोई तंत्र बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) यह मुख्यतया संबद्ध राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है कि वे सूखा सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आवश्यक उपाय करें। भारत सरकार वित्तीय और संभार-तंत्र संबंधी समर्थन देकर राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। राज्यों के पास प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आवश्यक उपाय करने के लिए आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) के तहत निधियों की सहज उपलब्धता है। केन्द्र सरकार और संबद्ध राज्य सरकारें इस कोष में 3:1 के अनुपात में योगदान देती हैं। संबद्ध राज्य सरकारें गंभीर प्राकृतिक आपदाओं जिनसे निपटने के लिए सी.आर.ए. पर्याप्त नहीं हैं, के मामले में सभी संगत ब्यौरे देने वाले औपचारिक ज्ञापन प्रस्तुत करके राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन.सी.सी.एफ.) आदि से सी.आर.एफ. के अलावा सहायता की मांग कर सकती हैं।

एफ.सी.आई. को देय राशि

839. श्री किसनभाई वी. पटेल:

श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामाजिक कल्याण योजना के लिए अनाज खरीदने हेतु ली गयी राशि का भुगतान करने से मंत्रालय द्वारा एक बड़ी राशि भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को देय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एफ.सी.आई. को कितनी राशि देय है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस देय राशि को चुकता करने के लिए एफ.सी.आई. को बांड जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इससे एफ.सी.आई. को यह देय राशि किस हद तक चुकता हो जायेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) भारतीय खाद्य निगम का ग्रामीण विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास इन मंत्रालयों की विभिन्न कल्याण योजनाओं के अधीन आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों के लिए बकाया लम्बित है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि 15-2-2007 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास भारतीय खाद्य निगम की देय बकाया राशि रिलीज करने में हुई देरी के कारण ब्याज के रूप में 5840 करोड़ रुपये सहित

16,299 करोड़ रुपये की धनराशि लम्बित है जबकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारतीय खाद्य निगम को 351 करोड़ रुपये की राशि दी जानी है। भारतीय खाद्य निगम ने यह भी सूचित किया है कि इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से धनराशि रिलीज करने में हुई देरी की वजह से ब्याज के 1628 करोड़ रुपये भी लिए जाने हैं।

(ग) और (घ) मंत्रिमंडल ने भारतीय खाद्य निगम को दिनांक 30-4-2005 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रति उनके बकाये के रूप में 16,200 करोड़ रुपये की धनराशि के लिए विशेष प्रतिभूतियां जारी करने की मंजूरी दी थी। भारतीय खाद्य निगम ने तीन भागों में 16,200 करोड़ रुपये तक के विशेष बांड पहले ही प्राप्त कर लिए हैं।

[हिन्दी]

गोई सिंचाई परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति

840. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बडवानी जिले (मध्य प्रदेश) में लोअर गोई सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्ताव पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के बडवानी जिले में लोअर गोई सिंचाई परियोजना के संबंध में पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन किया है। जिस पर इस समय क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ग) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के अनुसार पूर्ण सूचना प्राप्त होने के 105 दिनों के भीतर प्रस्ताव पर निर्णय ले लिया जाना आवश्यक होता है।

[अनुवाद]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन

841. श्री गुरूदास दासगुप्त: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आवश्यक संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन हेतु कतिपय प्रस्तावों के संबंध में आम सहमति बनाने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, इसके बाद उन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

भटके हुए तेंदुए की मृत्यु

842. श्री विजय कृष्ण: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुलुवामा (जम्मू और कश्मीर) में तेंदुए की मृत्यु की कोई घटना केन्द्र सरकार की जानकारी में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 17-01-2007 को एक तेंदुआ चेकी-छोटी पोरा गांव, शोपिअन, पुलवामा जिले में भटक कर आ गया था और उसने चीड़ के पेड़ पर आश्रय लिया था। वन विभाग का फील्ड स्टाफ और हिरपोरा वन्यजीव अभयारण्य का वन्यजीव सुरक्षा स्टाफ तुरन्त घटना स्थल पर पहुंच गया। इसी बीच वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहले से ही इकट्ठे हो चुके थे। पुलिस कर्मियों को भी बुलाया गया था क्योंकि फील्ड स्टाफ भीड़ को अकेला नियंत्रित नहीं कर सकता था। भीड़ के लगातार शोरगुल करने के कारण तेंदुए ने अंततः पेड़ से छलांग लगा दी और भीड़ में दो व्यक्तियों को घायल कर दिया। क्रोधित भीड़ ने तब इस जानवर का पीछा किया और उसे लाठियों और पत्थरों से मार डाला। शव-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार इस जानवर की 'मौत सिर पर लगी चोट और नास छिद्र और मुंह से हुए अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई'। उक्त तेंदुए के शरीर पर गोली का कोई निशान नहीं था।

(ग) भारत सरकार विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों जैसे 'राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास', 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' के अंतर्गत राज्यों को वन्यजीवों की प्रभावी सुरक्षा और संरक्षण के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जिन विभिन्न गतिविधियों के लिए सहायता मुहैया कराई जाती है उनमें बेहतर संचार सुविधाएं विकसित करना, अवसंरचना विकास, पर्यावासों में सुधार करना, वन्यजीवों द्वारा पीड़ित हुए व्यक्तियों को मुआवजा, पशुचिकित्सा परिचर्या, शिक्षा और जागरुकता आदि शामिल हैं।

इसके इतिरिक्त जम्मू और कश्मीर सरकार ने वन्यजीवों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं:

1. मानव-वन्य जीव भिड़ंत की समस्या का समाधान करने के लिए प्रभागीय स्तरों पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाना।
2. प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से लोगों के लिए व्यापक जागरुकता अभियान आयोजित करना।
3. समस्या ग्रस्त गांवों में स्थानीय लोगों को निवारक उपाय अपनाने के संबंध में शिक्षित करने के लिए वन्यजीव कार्मिकों का दौरा।
4. जागरुकता उत्पन्न करने के लिए ग्राम स्तर पर समितियां गठित करना।

ए.पी.एम.सी. का संशोधन

843. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी (ए.पी.एम.सी.) अधिनियम को निरसन या उसमें संशोधन के लिए खुदरा क्षेत्र से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) विभिन्न मंचों से कृषि उत्पाद विपणन विनियमन अधिनियम (ए.पी.एम.सी. अधिनियम) में उपयुक्त संशोधन करके कृषि विपणन में सुधार लाने के लिए समय-समय पर सुझाव प्राप्त हुए हैं। सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से कृषि विपणन में सुधार संबंधी मॉडल कानून तैयार किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित स्थितियों में लागू खुदरा बाजार के लिए प्रावधान शामिल हैं:

"(i) जिसकी स्वयं उत्पादक द्वारा किसी व्यक्ति को चार क्विंटल तक की मात्रा में उसकी घरेलू खपत के लिए बिक्री की जाती है;

(ii) जो हेड लोड द्वारा लाई जाती है:

बशर्ते कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इसमें यथा निर्दिष्ट ऐसी मण्डी के संबंध में तदन्तर्गत कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए इस छूट को वापस ले सकती है;

(iii) जिसकी खरीद अथवा बिक्री व्यापारी द्वारा की जाती है;

(iv) जिसकी खरीद अथवा बिक्री प्राधिकृत उचित मूल्य डीलर द्वारा भारतीय खाद्य निगम, "राज्य जिन्स व्यापार निगम" अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए अनिवार्य जिन्सों के वितरण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य एजेन्सी अथवा संस्था से की जाती है; तथा

(v) सहकारी समिति को ऐसे कृषि उत्पाद का अंतरण ताकि इस प्रयोजनार्थ उनसे अग्रिम प्राप्त किया जा सके।"

राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा अपनाए जाने के लिए उनको उपर्युक्त तर्ज पर मॉडल कानून परिचालित कर दिया गया है क्योंकि यह विषय उनके क्षेत्राधिकार में आता है।

इस्पात की लागत/गुणवत्ता

844. श्री चंद्रकांत खैरे:

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में अन्य देशों की तुलना में इस्पात की कीमतों में ऊंचा होने और गुणवत्ता के घटिया होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस्पात की उत्पादन लागत कम करने के लिए अनुसंधान परियोजनाओं की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) भारत के घरेलू बाजार में इस्पात की कीमत अंतर्राष्ट्रीय कीमत से जुड़ी होती है और आमतौर पर इनमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों के रूख के अनुरूप उतार-चढ़ाव होता है। देश में मांग तथा आपूर्ति के अंतर भी घरेलू बाजार में कीमत में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव को प्रभावित करता है। जहां तक इस्पात की गुणवत्ता का संबंध है भारत अनेक प्रकार के उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्पात उत्पादों की विशाल शृंखला का उत्पादन करता है। कुछ एकीकृत इस्पात उत्पादकों द्वारा उत्पादित इस्पात की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुकाबले की होती है।

(ख) से (घ) सरकार का इस्पात की उत्पादन लागत कम करने के लिए अनुसंधान परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नॉलॉजी (आई.आई.टी.), नेशनल मैटलर्जिकल लेबोरेटरी (एन.एम.एल.) और इस्पात उत्पादकों से सदस्यों को शामिल करते हुए सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति लोहा और इस्पात सैक्टर में अनुसंधान प्रस्ताव प्रायोजित करती है। इसके अलावा प्रमुख इस्पात उत्पादकों द्वारा अपनी आंतरिक प्रयोगशालाओं के जरिए अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलाप किए जाते हैं।

बहुराज्यीय कृषि प्रतिस्पर्धात्मकता परियोजना

845. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रतिस्पर्धात्मक विपणन प्रणाली विकसित करने तथा किसानों के लिए बाजार पहुंच को सुधारने के लिए विश्व बैंक के साथ मिलकर कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या विश्व बैंक ने भारत में प्रतिस्पर्धात्मक विपणन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए बहुराज्यीय कृषि प्रतिस्पर्धात्मकता परियोजना का वित्तपोषण किया है;

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी गई है; और

(ङ) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) अधिक प्रतिस्पर्धात्मक विपणन प्रणाली को बढ़ावा देने और ज्ञान के जरिए किसानों हेतु मण्डी पहुंच में सुधार करने और अधिक प्रभावित उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक की सहायता से बहुराज्य कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना विकसित करने का एक प्रस्ताव है। प्रस्तावित परियोजना कृषि मण्डी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास से संबंधित होगी और प्रथम चरण में इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 3 अथवा 4 राज्यों में विचार किया जाएगा। अन्य राज्यों की सक्रियता पर निर्भर करते हुए बाद में इस परियोजना का विस्तार किया जा सकता है। यह अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक राज्य में परियोजना का आकार अनंतिम रूप से 300.00 करोड़ रुपए का होगा। प्रत्येक राज्य परियोजना को अपने संसाधनों के आधार पर शुरू करेगा और राज्य क्षेत्र में परियोजना के जरिए सतत आधार पर सहायता दी जाएगी।

इस परियोजना को दिसम्बर, 2007 से शुरू करने की परिकल्पना की गई है, बशर्ते योजना आयोग का अनुमोदन हो तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इसकी शर्त स्वीकार की जाएं।

[हिन्दी]

आरक्षित वन क्षेत्र संबंधी नीति

846. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आरक्षित वन क्षेत्र के संबंध में नीति की समीक्षा करने हेतु अनुरोध प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पशुधन नीति

847. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नेशनल प्रोजेक्ट फॉर कैटल एंड बफैलो ब्रीडिंग (एन.पी.सी.बी.बी.) के अंतर्गत सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ख) पशुधन, पशुधन उत्पादों, आहार एवं चारा संसाधनों में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार लाने के लिए एक राष्ट्रीय पशुधन नीति तैयार की गई है। इसका उद्देश्य प्रजनन, पोषण और स्वास्थ्य सेवा के संबंध में और पशुपालन विस्तार कार्यक्रम के जरिए भी आधुनिक प्रौद्योगिकी और प्रबंधन प्रक्रियाओं के बीच बेहतर समन्वय प्रदान करना है। इस नीति का उद्देश्य उक्त क्षेत्रों में भावी कार्यक्रमों को मार्गदर्शन प्रदान करना है।

(ग) सरकार द्वारा वरीयता आधार पर बोवाईन संख्या की आनुवंशिक उन्नयन के लिए अक्तूबर, 2000 से राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस समय, 27 राज्य और एक संघ शासित प्रदेश परियोजना के अंतर्गत भाग ले रहे हैं और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई 90.72 करोड़ रुपए की राशि को शामिल करते हुए इन राज्यों को 384.16 करोड़ रुपए तक की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान परियोजना के अंतर्गत की गई उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धि

क्र. सं.	घटक क्रियाकलाप	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	मोबाइल प्रक्रिया के लिए कृत्रिम गर्भाधान (ए.आई.) केन्द्रों को परिवर्तित/ स्थापित करना	6500	5457	6000	6751	7000	7221	5500	3495
2.	वीर्य स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण/ कृत्रिम गर्भाधान सांडों की प्राप्ति	10	5	14	15	12	13	10	7
3.	वीर्य बैंकों का सुदृढ़ीकरण/ स्थापित करना	16	31	58	47	50	56	60	39
4.	प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित/सुदृढ़ करना	10	17	22	23	28	27	12	12

कृषि क्षेत्र में निवेश

848. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि तथा संबंध क्षेत्रों में निवेश वर्ष 2001-02 के 55,473 करोड़ रुपए से घटकर वर्ष 2006-07 में 51,000 करोड़ रुपए हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कृषि क्षेत्र में निजी तथा सरकारी निवेश बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने में कृषि विज्ञान केन्द्र किस प्रकार सहायक रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा जारी नवीनतम अनुमानों के अनुसार, कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में स्थायी स्थिर मूल्यों (1999-2000 मूल्य) पर सकल पूंजी विनिर्माण के रूप में वर्ष 2001-02 के दौरान निवेश 55,806 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2005-06 के दौरान 64,131 करोड़ रुपए होने पर लगभग 15% बढ़ोतरी हुई है।

(ग) भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में सरकारी एवं निजी निवेश बढ़ाने के लिए शृंखलाबद्ध कदम उठाए हैं जो निम्नानुसार हैं:

- सिंचाई, वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में जलाशय विकास, ग्रामीण सड़क सम्पर्क, ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि।
- कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से प्रत्येक जिले में कृषि विस्तार प्रणाली का पुनर्संक्रियकरण।
- बागवानी एवं फूलोत्पाद के द्वारा कृषि विविधिकरण।
- आधुनिक कृषि विपणनों/विपणन समर्थन प्रणालियों, आकर्षित निवेश द्वारा निजी तथा कार्पोरेट सेक्टरों से ठेका खेती का विकास/सुदृढ़ीकरण।
- किसान परिवारों को फसल ऋण के लिए रियायती दर पर ब्याज के द्वारा और ऋण, बढ़ाने के बारे में बैंकों का पुन:पूर्वाभिमुखीकरण।
- वैज्ञानिक उपलब्धियों का कृषि जंलवायु परिस्थितियों के अनुसार उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु कृषि अनुसंधान का पुनर्संक्रियकरण।

(घ) कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से कृषि में दसवीं योजना के दौरान कृषि अनुसंधान तथा एवं शिक्षा के लिए 5368 करोड़ रुपए के प्रावधान जिसमें किसानों के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण हेतु नए कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है, निवेश प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया गया। प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा कृषि विस्तार प्रणाली को पुनर्संक्रियकरण करते हुए स्वायत्त संस्थानिक व्यवस्थाओं के द्वारा जिला स्तर पर "कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन एजेन्सी" (ए.टी.एम.ए.) के माध्यम से प्रौद्योगिकीय विकीर्णीकरण हेतु और अधिक किसान हितैषी बनाया गया है।

[हिन्दी]

खाण्डवा सिंचाई परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति

849. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश की पुनासा उद्वह सिंचाई परियोजना पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) और (ख) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में पुनासा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के संबंध में पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन किया है। जिस पर इस समय क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ग) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के अनुसार पूर्ण सूचना प्राप्त होने के 105 दिनों के भीतर प्रस्ताव पर निर्णय ले लिया जाना आवश्यक होता है।

[अनुवाद]

हीराकुण्ड जलाशय में गाद

850. श्री जुएल ओराम: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में हीराकुड जलाशय में तेजी से गाद जमा हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो जलाशय से शीघ्र गाद निकालने तथा गाद जमा होने वाली समस्याओं विशेषत: बाढ़ नियंत्रण से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जलाशयों में गाद जमना एक प्राकृतिक घटना है। भारत में 2001 में "जलाशय में गाद जमा होने संबंधी सूचना" में उपलब्ध सूचना के अनुसार 37 वर्षों की अवधि में हीराकुंड जलाशय का सकल भण्डारण 8105 एम.सी.एम. से घटकर 6145.74 एम.सी.एम. हो गया है इस प्रकार इसमें कुल 1959.26 एम.सी.एम. की कमी आई है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	जलाशय का नाम	नदी का नाम	अवरूद्ध होने का प्रथम वर्ष	मूल सकल भण्डारण क्षमता एम.सी.एम. में	वर्तमान सकल भण्डारण क्षमता एम.सी.एम. में	अंतिम सर्वेक्षण तक सकल भण्डारण की कुल क्षति
1.	हीराकुंड	महानदी	1957	8105	6145.74	1959.26 (पिछला सर्वेक्षण 1994 में किया गया)

0.25 हजार क्यूमेक/वर्ग कि.मी./वर्ष के सादन के अभिकल्पित दर की तुलना में प्रेक्षित सादन दर 0.635 हजार क्यूमेक/वर्ग कि.मी./वर्ष है। केवल सक्रिय भण्डारण क्षेत्र में अवसादन के आकलन के लिए वर्ष 2001 में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दूर संवेदी तकनीक का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण किया गया जिसके परिणाम इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	जलाशय का नाम	नदी का नाम	अवरूद्ध होने का प्रथम वर्ष	मूल सकल भण्डारण क्षमता एम.सी.एम. में	वर्तमान सकल भण्डारण क्षमता एम.सी.एम. में	अंतिम सर्वेक्षण तक सकल भण्डारण की कुल क्षति
1.	हीराकुंड	महानदी	1957	5818	4841.58	976.42 (पिछला सर्वेक्षण 2001 में किया गया)

सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन, वित्त-पोषण और उनके अनुरक्षण का मुख्य दायित्व राज्य सरकार का होता है जिसे अपनी प्राथमिकता के आधार पर करते हैं। उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि 743 वर्ग कि.मी. जल क्षेत्र में फैले हीराकुण्ड जलाशय से गाद हटाना व्यवहार्य नहीं है। हीराकुण्ड बांध स्थल में 83400 वर्ग कि.मी. आवाह क्षेत्र अवरूद्ध है। जिसका अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। इस समस्या पर भुवनेश्वर में 21 अगस्त, 2006 को आयोजित राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति की महानदी उप-समिति की चौथी बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की राज्य सरकारों द्वारा इस मामले पर आगे की उचित कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

खाद्यान्नों के आयात/निर्यात पर से प्रतिबंध हटाना

851. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय कृषि मंत्रालय के साथ परामर्श करके खाद्यान्नों के आयात और निर्यात पर लगे प्रतिबंध को साथ-साथ हटाने की योजना बना रही है ताकि घरेलू आपूर्ति को बढ़ाया जा सके जैसाकि दिनांक 21 फरवरी, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कतिपय आवश्यक वस्तुएं अपने आयात मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आवश्यक वस्तुओं की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) 1-10-2004 से केन्द्रीय पूल स्टॉक से गेहूं और चावल का निर्यात रोक दिया गया है। खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन गेहूं के प्राइवेट निर्यात को भी 31-12-2007 तक प्रतिबन्धित कर दिया गया है। तथापि, खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन चावल के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसी प्रकार, 22 जून, 2006 से दालों के निर्यात पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इन प्रतिबन्धों को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। सरकार किसी भी आवश्यक वस्तु का निर्यात/आयात साथ-साथ नहीं करती है। तथापि, परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं के आयात या निर्यात का फैसला लिया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कुछ महत्वपूर्ण उपचारात्मक उपाय नीचे दिए गए हैं:-

(i) घरेलू उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए 55 लाख टन गेहूं के आयात हेतु राज्य व्यापार निगम को ठेका दिया गया।

(ii) गेहूं, दालों और स्किम्ड मिल्क पाउडर के निर्यात पर रोक लगा दी गई है।

(iii) निजी व्यापार को गेहूं और दालों के शुल्कमुक्त आयात हेतु अनुमति दी गई है।

(iv) खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कमी की गई है।

(v) सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन एक केन्द्रीय आदेश जारी किया है, ताकि राज्य सरकारें गेहूं और दालों के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित कर सकें।

(vi) फरवरी और मार्च, 2007 में खुला बाजार बिक्री योजना के अधीन 4 लाख टन तक गेहूं रिलीज करने का निर्णय किया गया।

[हिन्दी]

खाद्य तेल का आयात

852. श्री हंसराज गं. अहीर:

श्री अविनाश राय खन्ना:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के खाद्य तेल उद्योग गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शुल्क मुक्त तेल के आयात के कारण बंदी के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शुल्क में कितनी कमी की गयी है तथा इसके क्या कारण है तथा उक्त अवधि के दौरान कितनी उत्पादन इकाइयां बंद हुई हैं;

(ग) क्या सरकार आयात किए गए तेल से होने वाली प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए घरेलू उद्योग को सहायता दे रही है/देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तेल आयात में कटौती करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) खाद्य तेलों के उत्पादन की कुछ इकाइयों के बंद होने के अनेक कारण हैं जैसे इतनी उत्पादन क्षमता सृजित करना जिसके समानुपात में कच्ची सामग्री उपलब्ध नहीं है, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, उत्पादन का खर्चीला होना, उपभोक्ताओं द्वारा सॉफ्ट तेलों को पसंद किया जाना, श्रीलंका/नेपाल/भूटान से वनस्पति, आदि के अपेक्षाकृत सस्ते शुल्क-मुक्त आयात से प्रतिस्पर्धा होना, आदि।

भारत-नेपाल व्यापार संधि की समीक्षा की गई थी और इसे भारतीय उद्योग की समस्याओं को हल करने के लिए प्रमुख संशोधन शामिल करके 2 मार्च, 2002 को संशोधित किया गया था तथा तद्नुसार इस संधि के अधीन 1 लाख टन की वार्षिक टेरिफ दर कोटे की सीमा तक वनस्पति के शुल्क मुक्त आयात की अनुमित दी गई है।

भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार के अधीन वनस्पति मुक्त सूची के अधीन है। इसे श्रीलंका से शून्य शुल्क पर आयात किया जा रहा है। अब सरकार एक पैकेज पर बातचीत करने में सफल हुई है जिससे बेकरी शार्टनिंग और मारगेरिन सहित वनस्पति की आयात की जाने वाली मात्रा को 2.5 लाख टन प्रति वर्ष के टेरिफ रेट कोटे तक सीमित कर दिया गया ताकि इस संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार घरेलू उद्योग और किसानों को होने वाली क्षति को कम किया जा सके। यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के टेरिफ रेट कोटा व्यवस्था के अनुसार इस जिंस का आयात किया जाए।

वनस्पति तेल उद्योग पर से 25-7-91 से लाइसेंस समाप्त करने के परिणामस्वरूप देश में चालू/बंद पड़ी खाद्य तैल यूनिटों (विशिष्ट रूप से वनस्पति के शुल्क मुक्त आयात आदि के कारण) की सही संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) घरेलू खाद्य तेल उद्योग के हित में किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) कोपरा/नारियल तेल को छोड़कर तिलहनों/खाद्य तेलों की खुले सामान्य लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति दी गई है।

(ii) परिष्कृत तेल/वनस्पति के उत्पादन के लिए आशायित खाद्य ग्रेड के कुछ वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क रियायती दर से लगाया जाता है।

(iii) परिष्कृत तेलों की तुलना में खाद्य ग्रेड के कुछ क्रूड वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क कम रखा गया है ताकि कच्चे माल की उपलब्धता आसान हो सके।

(iv) देश में विलायक निष्कर्षित तेलों के उत्पादन में वृद्धि करने और निष्कर्षणों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खाद्य ग्रेड हेक्सेन पर उत्पाद शुल्क को 32% से कम कर 16% कर दिया गया है।

(v) परिष्कृत खाद्य तेलों/वनस्पति/इंट्रस्ट्रिफाइड वसा, आदि पर उत्पाद शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।

(vi) वनस्पति, बेकरी शार्टनिंग, इंट्रस्ट्रिफाइड वसा, मार्गरीन पर आयात शुल्क को 30% से बढ़ाकर 80% कर दिया गया है।

(vii) नेपाल से वनस्पति के शुल्क-मुक्त आयात को राज्य व्यापार निगम के जरिये मार्गीकृत किया गया है और श्रीलंका से वनस्पति, बेकरी शार्टनिंग व मार्गरीन के शुल्क-मुक्त आयात की विदेश व्यापार महा निदेशालय द्वारा जारी दिनांक 21-11-2006 की आम सूचना संख्या 69 में बताई गई व्यवस्था के अनुसार अनुमति दी गई है।

(viii) 24-1-2007 से क्रूड पाम तेल/क्रूड पामोलिन पर आयात शुल्क 70% से घटाकर 60% और परिष्कृत पामतेल/आर.बी.डी. पामोलिन पर आयात शुल्क 80% से घटाकर 67.5% कर दिया गया है।

(ix) 1-3-2007 से क्रूड और परिष्कृत खाद्य ग्रेड के वनस्पति तेल और उनके खाद्य ग्रेड के अंशों को 4% के विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट दी गई है; और सूरजमुखी तेल, क्रेड और परिष्कृत, दोनों पर आयात शुल्क को क्रमशः 65% से घटाकर 50% और 75% से घटाकर 60% कर दिया गया है।

(x) ताड़ तेल तथा इसके उत्पादों और सोयाबीन तेल के लिए प्रशुल्क मूल्य समय-समय पर निर्धारित किया जाता है।

(ङ) किसानों, संसाधकों और उपभोक्ताओं के हितों में यथासंभव सीमा तक तालमेल बिठाने के लिए मुक्त व्यापार करारों/संधियों सहित खाद्य तेलों पर आयात शुल्क के ढांचे की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

हालोन सिंचाई परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति

853. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हालोन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु 149.330 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग करने संबंधी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) से (ग) मध्य प्रदेश के जिला मंडाला में हालोन सिंचाई परियोजना के लिए हालोन नदी पर बांध के निर्माण के लिए 149.330 हेक्टेयर वनभूमि के वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्ताव की मंत्रालय में जांच की गई थी और प्रस्ताव में कुछ आवश्यक ब्यौरों की कमी पाई गई। राज्य सरकार से यह आवश्यक ब्यौरे

5-6-2005 और 11-10-2006 को मांगे गए थे। मध्य प्रदेश राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958

854. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मणिपुर से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को हटा दिया है जैसा कि दिनांक 6 फरवरी, 2007 के "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी नहीं। इंफाल नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण मणिपुर राज्य को इस समय मणिपुर के राज्यपाल ने 1972 में यथासंशोधित सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत 31 मई, 2007 तक "अशांत क्षेत्र" घोषित किया हुआ है।

[हिन्दी]

भोई और मीणा जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा

855. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1957 में मीणा जाति की जनसंख्या कितनी थी;

(ख) क्या भोई और मीणा जातियां अभी भी अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल हैं;

(ग) मीणा जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का क्या कारण है क्योंकि भोई मीणा और निषाद मल्लाह "विमुक्त जाति" से संबंधित हैं जबकि मीणा विमुक्त जाति से संबंधित नहीं है; और

(घ) इन जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा न प्रदान करने के क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) संविधान के अनुच्छेद 342(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट होती है। मीणा समुदाय अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्ष 1976 तक अधिसूचित नहीं थी। राजस्थान राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा केवल वर्ष 1976 में ही अधिसूचित की गई थी। मीणा समुदाय की 1957 में जनसंख्या उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य में इस समुदाय की जनसंख्या 2,799,422 थी।

(ख) असम, मेघालय और मिजोरम राज्यों में खासी अनुसूचित जनजाति के पर्यायों में से एक पर्याय के रूप में भोई अधिसूचित है। मीणा राजस्थान राज्य में एक अधिसूचित जनजाति है।

(ग) और (घ) किसी समुदाय को "विमुक्त जाति" के रूप में घोषित करने और/अथवा अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित करने के बीच कोई संबंध नहीं है। किसी समुदाय को निम्नांकित मानदंडों के आधार पर अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया जाता है:-

(1) आदिम जनजातीय प्रकृतियों का संकेत,

(2) अनूठी संस्कृति,

(3) भौगोलिक अलगाव,

(4) बृहत स्तर पर अन्य समुदायों के साथ संपर्क में संकोच,

(5) पिछड़ापन।

सीमा सुरक्षा बल के जवानों को मूलभूत सुविधाएं

856. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात जवानों को प्रदान की जा रही मूलभूत सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अर्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों के ड्यूटी के दौरान विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्यूटी के दौरान नि:शक्त होने अथवा उनकी मृत्यु होने की स्थिति में कार्मिकों और उनके आश्रितों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) वाह्य सीमा चौकियों (बी.ओ.पी.) पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों को सामरिक संघर्ष के दौरान सुरक्षा के लिए बंकर प्रदान

किए जाने के अतिरिक्त यथा संभव रहने के लिए स्थान, रसोई एवं भोजनालय, संचार और बिजली जैसी बुनियादी सुख-सुविधायें, स्नानागार/शौचालय ब्लॉक, मौसम विशेष के अनुरूप सुख सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

(ख) ड्यूटी के दौरान नि:शक्त होने अथवा मृत्यु हो जाने की सूरत में अर्द्ध-सैनिक बलों (पी.एम.एफ.) के कार्मिकों और उनके आश्रितों को दिए गए लाभों का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	श्रेणी	अनुग्रह राशि	विधवाओं/आश्रितों के लिए पेंशन संबंधी लाभ
(i)	ड्यूटी करते समय दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु	5 लाख रुपए	कम से कम 2,500/- रुपए के अध्यधीन मृतक कर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम मूल वेतन के 60% के बराबर असाधारण पेंशन और यथा अनुज्ञेय जी.पी.एफ., सी.जी.ई.जी.आई.एस., छुट्टी नकदीकरण, डी.सी.आर.जी. जैसे सेवा के अन्य सभी लाभ
(ii)	हिंसा, समाज विरोधी तत्वों का मुकाबला करने की ड्यूटी के दौरान हुई मृत्यु	5 लाख रुपए	मृतक कर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम वेतन के बराबर उदारीकृत पेंशनरी अवार्ड (एल.पी.ए.) और जी.पी.एफ., सी.जी.ई.जी.आई.एस., छुट्टी
(iii)	(क) दुश्मन के हमले, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर हुई झड़पों के दौरान हुई मौत; और	7.5 लाख रुपए	नकदीकरण, डी.सी.आर.जी. जैसे अन्य सभी पेंशन संबंधी लाभ
	(ख) उग्रवादियों, आतंकवादियों, अलगाववादियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के दौरान हुई मृत्यु		
(iv)	सामान्य मृत्यु	शून्य	सामान्य मृत्यु के मामलों में सी.सी.एस. (पेंशन) नियमों के तहत 7 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर सामान्य पारिवारिक पेंशन दी जाती है बशर्ते जवान ने अपनी मृत्यु से पहले 7 वर्ष से अधिक सेवा की हो। सात वर्ष से कम की सेवा होने पर निकटतम रिश्तेदार को न्यूनतम 1275 रुपए के अध्यधीन वेतन का 30%, आजीवन पेंशन के रूप में मंजूर किया जाता है।

अशक्तता/नि:शक्तता पेंशन

यदि किसी व्यकित की भोजन व्यवस्था बाहर की हो और ड्यूटी के दौरान घायल होने से वह नि:शक्त हो जाता है तो नि:शक्तता पेंशन अनुज्ञेय होती है।

[अनुवाद]

लघु उद्योग क्षेत्र का वैश्वीकरण

857. श्री प्रहलाद जोशी:

श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यापक वैश्वीकरण और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) के आने की वजह से लघु उद्योग या तो हाशिये पर जा रहे हैं अथवा बंद हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इनके हाशिये पर जाने की वजह से सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में अनुमानित कितनी हानि हुई है;

(ग) लघु उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान लघु उद्योगों की वृद्धि दर और जी.डी.पी. में इसके हिस्से का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लघु उद्योगों की वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी के कारक घटकों का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) जी, नहीं। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एम.एस.ई.) क्षेत्र ने उद्यमों की संख्या, उत्पादन तथा नियोजित व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की है।

(ग) व्यापार उदारीकरण के परिणामस्वरूप एम.एस.ई. को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाने में सहायता देने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं - प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण पर विशेष बल दिया जाना, क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से आधारभूत संरचना सहायता, ऋण की और समय पर उपलब्धता, आधुनिक प्रबंध पद्धतियों को अपनाना, इलैक्ट्रॉनिक आधारभूत संरचना एवं अन्य सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) प्रचालनों का उपयोग, वैश्वीकरण की उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने में एम.एस.ई. को सहायता देने के लिए विपणन एवं समय पर सूचना प्रसारित करना। इसके अतिरिक्त, बाउण्ड लेवल तक सीमा शुल्क बढ़ाए जाने, पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने, आयातों में उछाल के मामले में सुरक्षा उपाय किए जाने, इत्यादि के रूप में सुरक्षा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.डी.) अधिनियम, 2006 का अधिनियम किया है और एम.एस.ई. के संवर्धन एवं विकास को सुगम बनाने तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि के लिए "एम.एस.ई. के संवर्धन के लिए पैकेज" की घोषणा की है।

(घ) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005-06 के दौरान एम.एस.ई. क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर तथा सकल घरेलू उत्पाद में उनका अंशदान क्रमशः 12.32% तथा 5.83% था।

(ङ) परिवर्तित हो रहे वैश्वीकृत वातावरण को सफलतापूर्वक अपनाने योग्य बनने में एम.एस.ई. के स्वाभाविक लचीलेपन के अतिरिक्त, सरकार द्वारा उनके संवर्धन एवं विकास के लिए किए गए नीतिगत उपायों में एम.एस.ई. क्षेत्र को उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने में सहायता मिली है।

पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में उद्योग

858. श्री जोवाकिम बखला: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए औद्योगिक विकास निगम द्वारा जिन उद्योगपतियों को भूमि प्रदान की गई थी उनके द्वारा स्थापित और आरम्भ किये गए उद्योगों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): उद्योगों की स्थापना करने के लिये राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा उद्योगपतियों को उपलब्ध कराई गई भूमि संबंधी सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों के लिये दिनांक 1-1-2004 से 31-12-2006 की अवधि के लिये लाइसेंस मुक्त क्षेत्र में दायर किये गये औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन तथा लाइसेंस योग्य क्षेत्र में जारी किये गये आशय-पत्रों/प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या निम्नवत है:-

राज्य	एककों की संख्या	प्रस्तावित निवेश (रुपये करोड़ में)
उड़ीसा	535	153615
पश्चिम बंगाल	1161	41534

[हिन्दी]

राष्ट्रीय महिला आयोग की सामूहिक बलात्कार पर रिपोर्ट

859. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में महिलाओं/लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग (एन.सी.डब्ल्यू.) ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में अपने दलों को भेजा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को ऐसी रिपोर्ट मिल गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 2003 से 2005 तक के दौरान सामूहिक बलात्कार की राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार क्रमशः 402, 393 और 395 घटनायें हुईं।

(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग, सामूहिक बलात्कार के मामलों की या तो स्वतः अथवा प्राप्त शिकायतों के आधार पर समय-समय पर जांच करने के लिए जांच समितियों का गठन करता रहता है और उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित अनेकों राज्यों का दौरा किया है। सामूहिक बलात्कार की घटनाओं का जिक्र "राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10(1) और (4) के अन्तर्गत की जा रही जांच" शीर्षक के तहत आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में भी किया गया है।

(घ) से (ङ) सरकार को सामूहिक बलात्कार के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

चाय बागान

860. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार चाय उत्पादक राज्यों में कितने चाय बागान बन्द पड़े हैं;

(ख) क्या उनके बन्द होने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनके पुनरुद्धार के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 39 चाय बागान बंद पड़े हुए हैं, जिनमें से 2 असम में, 20 केरल में और 17 पश्चिम बंगाल में स्थित हैं।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने बंद पड़े चाय बागानों का गहन अध्ययन करने के लिए तीन विशेषज्ञ समितियों का गठन किया था। विशेषज्ञ समितियों द्वारा चाय बागानों की रूग्णता/बंद होने के जो मुख्य-मुख्य कारण अभिज्ञात किए हैं, उनमें बागानों और कारखानों की खराब स्थिति की वजह से कम पैदावार के कारण बागानों की अंतर्निहित कमजोरी (जो चाय की गुणवत्ता और कीमत प्राप्ति को प्रभावित करती है), बागानों का खराब प्रबंधन, बागान के प्रबंधकों को बार-बार बदला जाना तथा प्रबंधन द्वारा नई इक्विटी की नगण्य प्राप्ति के साथ बैंक के ऋणों पर अत्यधिक निर्भरता शामिल हैं। कुछ बागानों में यह उपेक्षा स्वामित्व संबंधी विवादों, लम्बी मुकदमेबाजी और निधियों को चाय बागानों से हटाकर अन्य कार्यकलापों में लगाए जाने के कारण हुई थी और अनेक मामलों में ऐसा प्रबंधन और बागान कामगारों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण हुआ था।

(घ) भारत सरकार और चाय बोर्ड देश के विभिन्न राज्यों में बंद पड़े चाय बागानों को पुनः खोले जाने के लिए किसी समझौते पर पहुंचने की दृष्टि से बंद पड़े चाय बागानों के प्रबंधनों और उनके बैंकरों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के बीच विचार-विमर्शों को सुकर बना रहे हैं। सरकार बंद पड़े और रूग्ण चाय बागानों के लिए एक पुनर्वास पैकेज भी तैयार कर रही है।

बॉक्साइट के भण्डार

861. श्री रनेन बर्मन: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में राज्य-वार - बॉक्साइट के भण्डार की मात्रा कितनी है;

(ख) विभिन्न राज्यों में स्थित उद्योगों की बॉक्साइट की खपत और मांग कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान बॉक्साइट के आयात-निर्यात अनुपात का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान किन-किन देशों से बॉक्साइट का आयात किया गया और किन-किन देशों को बॉक्साइट का निर्यात किया गया?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1-4-2005 की स्थिति के अनुसार, देश में बॉक्साइट का कुल संसाधन नीचे दिया गया है:-

राज्य	संसाधन (मिलियन टन में)
आन्ध्र प्रदेश	615
बिहार	4
छत्तीसगढ़	150
गोवा	50
गुजरात	186
जम्मू-कश्मीर	2
झारखण्ड	120
कर्नाटक	49
केरल	14
मध्य प्रदेश	134
महाराष्ट्र	127
उड़ीसा	1808
राजस्थान	0.5
तमिलनाडु	25
उत्तर प्रदेश	19
कुल	3303.5

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, स्वदेशी उद्योगों द्वारा 2002-03 से 2004-05 के दौरान बॉक्साइट की कुल खपत नीचे दी गई है:

वर्ष	बॉक्साइट की खपत ('000 टन में)
2002-03	7821
2003-04 (अनन्तिम)	7718
2004-05 (अनन्तिम)	7718

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बॉक्साइट के आयात-निर्यात अनुपात के ब्यौरे निम्नवत हैं:

वर्ष	आयात-निर्यात अनुपात
2005-06	1:52
2004-05	1:19
2003-04	1:24

(घ) भारत बॉक्साइट का रूस, चीन, इरान, उक्रेन, यू.ए.ई. सऊदी अरब, जापान तथा अजरबेजान को निर्यात करता है और चीन, स्वीटजरलैण्ड तथा यू.ए.ई. से बॉक्साइट का आयात करता है।

[हिन्दी]

हुर्रियत नेताओं का पाकिस्तान दौरा

862. श्री कीरेन रिजीजू: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान हुर्रियत नेताओं के पाकिस्तान दौरे सम्बन्धी समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जैसाकि दिनांक 7 फरवरी, 2007 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार के पास उनके हाल ही के पाकिस्तान दौरे के दौरान हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं की पाकिस्तान के राजनेताओं/आतंकवादी संगठनों के साथ हुई बैठकों की विस्तृत जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पाकिस्तान का दौरा करने वाले हुर्रियत नेताओं की कोई जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी हां। प्रश्न में उल्लिखित समाचार, सरकार की जानकारी में आया है। तथापि, रिपोर्ट की पूरी विषय-वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है।

(ग) और (घ) ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस (ए.पी.एच.सी.) (ए) के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, पाकिस्तान के विभिन्न राजनीतिक दलों

के नेताओं, पाक अधिकृत कश्मीर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मौलाना मसूद अजहर के भाई सहित उमर मुजाहिदीन, अल बरक जैसे आतंकवादी संगठनों के नेताओं और जैश-ए-मोहम्मद के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की।

(ङ) और (च) जी नहीं।

[अनुवाद]

भारत और पुर्तगाल के बीच व्यापार

863. श्री नवीन जिन्दल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और पुर्तगाल के बीच व्यापार की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) क्या पुर्तगाल के राष्ट्रपति के एक व्यापार शिष्टमंडल के साथ जनवरी, 2007 में भारत का दौरा किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस दौरे के दौरान दोनों सरकारों के बीच और/अथवा दोनों देशों की निजी कंपनियों के बीच किन्हीं व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके परिणामस्वरूप पारस्परिक व्यापार में अनुमानत: कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) अप्रैल-अक्तूबर, 2006 की अवधि के दौरान भारत और पुर्तगाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार 210 मिलियन अमरीकी डॉलर का हुआ था। वर्ष 2005-06 के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार 281 मिलियन अमरीकी डॉलर का रहा था।

(ख) और (ग) जी, हां। पुर्तगाली राष्ट्रपति महामहिम प्रो. अनिबाल कावाओ सिल्वा ने 10-17 जनवरी, 2007 तक भारत की राजकीय यात्रा की थी। लगभग 15 वर्षों में पुर्तगाल से राष्ट्राध्यक्ष स्तर पर यह पहली यात्रा थी।

पुर्तगाली राष्ट्रपति के साथ चार मंत्री, चार संसद सदस्य, तथा लगभग 70 व्यापारी आए थे।

दिल्ली में पुर्तगाली राष्ट्रपति ने फिक्की, सी.आई.आई., एसोचेम तथा नई दिल्ली स्थित पुर्तगाल औद्योगिक व्यापार एवं पर्यटन संस्थान द्वारा आयोजित भारत-पुर्तगाल व्यापार बैठक को संबोधित किया। पुर्तगाली राष्ट्रपति ने दिल्ली के अतिरिक्त गोवा, मुम्बई तथा बंगलौर की यात्रा की थी।

गोवा में उन्होंने गोवा वाणिज्य एवं उद्योग मंडल द्वारा आयोजित व्यापार मंच को संबोधित किया। मुम्बई में राष्ट्रपति ने आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन में भाग लिया और मुम्बई वाणिज्य मंडल के साथ उपाहार बैठक में शामिल हुए।

उन्होंने बंगलौर में सी.आई.आई. द्वारा आयोजित 13वें भागीदारी शिखर सम्मेलन को भी मुख्य रूप से संशोधित किया और बायोकॉन, विप्रो तथा इंफोसिस के मुख्यालयों का दौरा किया।

फिक्की ने 11 जनवरी को भारत-पुर्तगाल मंच तथा उसके बाद पुर्तगाली कंपनियों के साथ विशिष्ट परस्पर व्यापार बैठक का आयोजन किया।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कृषि एवं ग्रामोद्योग योजनाएं

864. डा. धीरेंद्र अग्रवाल: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस मंत्रालय की झारखंड सहित देशभर में चलाई जा रही प्रायोजित योजनाएं कितनी हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के लिए विशेषकर झारखंड को योजना-वार, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई हैं;

(ग) कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार को किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) सरकार (कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में), खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.), कॅयर बोर्ड और प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के माध्यम से, झारखण्ड सहित देश में निम्नोक्त योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है:-

(i) खादी एवं पॉलिवस्त्र कार्यकलापों के विकास के लिए योजनाएं: इस उद्देश्य के लिए खादी एवं पॉलिवस्त्र कार्यकलापों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्थानिक वित्त प्राप्त करने के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों को, 4% की ब्याज दर पर ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आई.एस.ई.सी.) जारी किए जाते हैं, और के.वी.आई.सी. द्वारा 4% और वास्तविक लेंडिंग दर के अन्तर को कम किया जाता है। खादी/पॉलिवस्त्रों की रिटेल बिक्री पर वर्षभर साधारण छूट के रूप में 10 प्रतिशत की छूट तथा वर्ष में 108 दिनों के लिए 10 प्रतिशत की अन्य विशेष छूट प्रदान की जाती है।

(ii) खादी एवं ग्रामोद्योगों के तहत विविधीकरण एवं विकास तथा विभिन्न के.वी.आई. उत्पादों की पैकेजिंग में सुधार लाने के उद्देश्य से उत्पाद विकास डिजाइन इन्टरवेंशन और पैकेजिंग (पी.आर.ओ.डी.आई.पी.) की योजना आरंभ की गई है।

(iii) देश भर में पहचाने गए 104 क्लस्टरों, जिसमें 29 खादी, 50 ग्राम उद्योग और 25 कॅयर क्लस्टर शामिल हैं, में पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए अक्तूबर, 2005 में पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए फंड की योजना (एस.एफ.यू.आर.टी.आई.) आरंभ की गई है।

(iv) के.वी.आई. कार्यक्रमों को क्लस्टर आधारित तरीके से सामान्य सुविधा सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र (आर.आई.एस.सी.) योजना आने वाली है।

(v) ग्राम उद्योग परियोजनाओं की स्थापना के लिए के.वी.आई.सी. से मार्जिन मनी सहायता और सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ऋण सहित ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) कार्यान्वित किया जा रहा है।

(vi) ग्रामीण क्षेत्रों तथा साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार अवसर सृजित करने के लिए पी.एम.आर.वाई. कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) के.वी.आई.सी. के संदर्भ में विगत तीन वर्षों के दौरान, खादी एवं ग्राम उद्योगों (के.वी.आई.), आई.एस.ई.सी., आर.ई.जी.पी. के तहत प्रदत्त निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार (झारखण्ड सहित) ब्यौरा क्रमशः विवरण-I, विवरण-II, विवरण-III पर दिया गया है। पी.एम.आर.वाई. के संदर्भ में विगत तीन वर्षों के दौरान, प्रदत्त निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार (झारखण्ड सहित) ब्यौरा क्रमशः विवरण-IV पर दिया गया है।

(ग) कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के हितों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं। कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के तहत संबद्ध उद्यमियों की सहायता करने के उद्देश्य से, सरकार (कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में) ने आर.ई.जी.पी. आरंभ की है, जिसके तहत कृषि एवं ग्रामीण उद्योग परियोजनाएं स्थापित करने के लिए मार्जिन मनी अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों में संलग्न इकाइयों को विभिन्न अगले पिछले उद्देश्यों के लिए भी उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कृषि एवं ग्रामीण उद्योग इकाइयों की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के समान प्रकार के उत्पादों की प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा हेतु सहायता करने के लिए अन्य प्रोत्साहनों में ब्रांड बिल्डिंग, मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता, गुणवत्ता नियंत्रण उपाय आदि शामिल हैं। कृषि एवं ग्रामीण उद्योग उत्पादों की विशिष्टता की पहचान करने के लिए तीन विशिष्ट ब्रांड जैसे कि 'देसी आहार', 'खादी', और 'सर्वोदय' की शुरुआत की गई है। मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता को कम पूंजी लागत, कर एवं गैर-कर रियायत को समय-समय पर बढ़ाकर और पहले से ही उपलब्ध विपणन निर्गमों के माध्यम से सस्ती विपणन सुविधाओं, प्रदर्शनियां/समारोह आयोजित करके, आदि के माध्यम से कोशिश करके प्राप्त किया जा सकता है। सरकार ने निर्यातोन्मुखी के.वी.आई. इकाइयों की सहायता करने के लिए के.वी.आई.सी. को सम्वत् निर्यात संवर्धन परिषद् (ई.पी.सी.) का दर्जा भी प्रदान किया है। उत्पादों की गुणवत्ता का सुनिश्चय परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए वित्तीय सहायता विस्तारित करके, उत्पाद विकास, डिजाइन इन्टरवेंशन और पैकेजिंग (पी.आर.ओ.डी.आई.पी.) के लिए योजना आरंभ करके पैकेजिंग में सुधार किया जाता है तथा सामान्य सुविधा सेवाएं, ग्रामीण उद्योग परामर्श सेवाएं (आर.आई.एस.सी.) के रूप में जानी जाने वाली योजना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, के.वी.आई.सी. और कॅयर बोर्ड के माध्यम से क्लस्टर आधारित तरीके से पारंपरिक कार्यकलापों के पुनरूज्जीवन के लिए पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए फंड योजना (एस.एफ.यू.आर.टी.आई.) भी आरंभ की गई है।

(घ) आर.ई.जी.पी., जो ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजित करने के लिए आरंभ की गई थी, 2005-06 के दौरान 5.56 लाख के मुकाबले 5.68 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित करने में सक्षम हुई है। इससे 2005 में 730 करोड़ रु. के संबंध में वाणिज्यिक बैंकों से ग्रामीण उद्योगों को क्रेडिट के प्रवाह के परिवर्धन में भी मदद मिलेगी। कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों

के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप, निम्नोक्त दिए गए विवरण के अनुसार पूर्ववर्ती वर्षों में, 2005-06 के दौरान के.वी.आई. कार्यक्रम का सम्पूर्ण वास्तविक कार्यनिष्पादन उच्चतर पैमाने पर था:-

वर्ष	उत्पादन (करोड़ रु.)			रोजगार (लाख)		
	खादी	ग्रा.उ.	कुल	खादी	ग्रा.उ.	कुल
2004-05	,461.54	10458:89	10920.43	8.64	68.14	76.78
2005-06	468.30	11915.54	12383.84	8.68	74.09	82.77

विगत तीन वर्षों 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान, पी.एम.आर.वाई. के तहत की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रगति विवरण-V पर दी गई है।

विवरण-I

2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योगों के तहत प्रदत्त निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खादी			ग्राम उद्योग		
		2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दिल्ली	449.15	262.94	296.90	794.46	1051.10	307.58
2.	हरियाणा	394.96	325.72	331.92	2008.26	2192.81	1348.76
3.	हिमाचल प्रदेश	214.77	142.34	135.33	873.89	697.68	833.23
4.	जम्मू-कश्मीर	98.35	110.3	102.48	455.07	712.96	786.43
5.	पंजाब	257.16	463.38	226.56	1259.43	2178.85	1871.58
6.	राजस्थान	587.5	607.83	748.64	2916.95	2794.05	3364.09
7.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12.81	0	0	106.56	104.09	149.78
8.	बिहार	251.36	264.52	168.71	681.10	584.70	733.84
9.	झारखण्ड	152.26	121.95	53.47	257.14	182.79	778.86

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	उड़ीसा	16.93	15.39	50.7	903.64	1156.83	975.20
11.	पश्चिम बंगाल	268.37	280.9	88.81	1731.39	2606.58	2395.38
12.	अरुणाचल प्रदेश	22.97	3.84	2	125.72	91.12	182.00
13.	असम	119.78	82.26	65.05	1135.12	1364.83	2948.35
14.	मणिपुर	15.02	8.16	5.01	129.98	177.55	286.93
15.	मेघालय	1.22	3.02	3.02	237.96	299.60	420.86
16.	मिजोरम	2	2	2	225.24	454.66	1142.46
17.	नागालैण्ड	22.02	8.11	6.25	315.39	223.71	248.75
18.	त्रिपुरा	1.71	13.57	1.04	132.28	192.38	164.44
19.	सिक्किम	0	5.09	4.96	369.35	337.61	305.03
20.	आन्ध्र प्रदेश	166.11	162.07	122.52	1547.72	3019.60	4174.51
21.	कर्नाटक	567.53	196.15	462.62	1797.06	1800.68	2402.23
22.	केरल	292.45	310.88	303.7	2763.63	1424.13	1735.84
23.	तमिलनाडु	1280.56	767.70	1850.14	1397.19	1507.99	1604.00
24.	पाण्डिचेरी	0	0	0	4.00	12.28	5.61
25.	गोवा	4.57	6.67	5.83	201.58	279.93	179.70
26.	गुजरात	709.94	619.07	673.29	291.88	767.31	1111.88
27.	महाराष्ट्र	111.46	89.35	214.85	1515.06	2452.80	2516.11
28.	दादर और नगर हवेली	0	0	0	1.20	0	0.00
29.	छत्तीसगढ़	60.93	27.31	60.02	1113.20	1165.16	1179.46
30.	मध्य प्रदेश	125.39	176.6	145.78	1667.44	1710.57	1517.56
31.	उत्तराखंड	277.4	230.82	412.66	1174.78	695.12	675.21
32.	उत्तर प्रदेश	3076.7	3296.52	2422.47	3351.86	4494.43	4941.94
	कुल	9561.38	8604.46	8966.73	31485.53	36733.90	41287.60

विवरण-II

2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र योजना के तहत प्रदत्त निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	0.04	0.00	0.00
2.	दिल्ली	0.38	0.38	0.32
3.	हरियाणा	14.19	7.05	4.09
4.	हिमाचल प्रदेश	28.87	7.03	6.20
5.	जम्मू-कश्मीर	3.33	1.03	1.22
6.	पंजाब	11.05	10.70	9.34
7.	राजस्थान	22.86	11.84	15.35
8.	बिहार	11.13	3.78	3.90
9.	झारखण्ड	3.72	1.43	1.43
10.	उड़ीसा	2.49	1.49	0.00
11.	पश्चिम बंगाल	9.24	8.09	8.30
12.	असम	0.02	0.02	0.02
13.	आन्ध्र प्रदेश	2.04	2.19	2.20
14.	कर्नाटक	13.34	2.20	1.75
15.	केरल	7.53	6.07	6.39
16.	पाण्डिचेरी	0.14	0.04	0.04
17.	तमिलनाडु	35.32	43.03	43.28
18.	गुजरात	42.79	39.01	43.69
19.	महाराष्ट्र	15.85	9.41	9.55

1	2	3	4	5
20.	छत्तीसगढ़	4.22	0.10	0.20
21.	मध्य प्रदेश	24.59	24.59	3.14
22.	उत्तराखण्ड	4.98	2.79	2.61
23.	उत्तर प्रदेश	104.43	87.92	58.65
	कुल	362.55	270.19	221.67

विवरण-III

2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान आर.ई.जी.पी. (मार्जिन मनी) के तहत प्रदत्त निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1675.40	3394.19	3627.58
2.	अरुणाचल प्रदेश	52.77	66.03	126.54
3.	असम	806.83	1277.42	2719.99
4.	बिहार	186.03	281.69	570.54
5.	गोवा	82.98	88.90	103.68
6.	गुजरात	130.34	530.55	883.08
7.	हरियाणा	1938.96	2142.25	1782.18
8.	जम्मू-कश्मीर	362.45	548.55	833.56
9.	हिमाचल प्रदेश	57.11	657.72	889.90
10.	कर्नाटक	1692.17	1063.83	1697.66
11.	केरल	2753.15	1027.95	1603.41
12.	मध्य प्रदेश	1355.07	2125.71	1114.33

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र	873.25	1439.17	1596.48
14.	मणिपुर	41.19	73.66	43.85
15.	मेघालय	121.79	196.03	234.14
16.	मिजोरम	61.10	257.48	995.54
17.	नागालैण्ड	117.20	204.46	286.22
18.	उड़ीसा	784.11	863.05	837.22
19.	पंजाब	819.03	1834.63	837.21
20.	राजस्थान	2890.28	2064.33	2679.91
21.	तमिलनाडु	1362.17	1147.28	1217.13
22.	त्रिपुरा	224.02	214.14	289.95
23.	उत्तर प्रदेश	3415.18	3596.64	2495.99
24.	पश्चिम बंगाल	1593.51	1999.62	2100.06
25.	सिक्किम	127.67	165.78	139.54
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	28.44	4.16	218.87
27.	चंडीगढ़	10.24	21.45	3.63
28.	दादर और नगर हवेली	4.13	0.00	0.00
29.	दिल्ली	12.31	8.09	16.66
30.	लक्षद्वीप	7.42	0.00	16.39
31.	पांडिचेरी	11.38	9.05	12.66
32.	छत्तीसगढ़	1098.00	1000.91	1152.87
33.	झारखण्ड	198.08	320.60	351.12
34.	उत्तराखण्ड	979.70	578.63	617.86
	कुल	26574.46	29239.95	32095.75

विवरण-IV

2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान पी.एम.आर.वाई. के तहत जारी केन्द्रीय निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	191.44	293.34	176.72
2.	असम	58.97	100.71	77.80
3.	अरुणाचल प्रदेश	3.47	5.39	4.54
4.	बिहार	101.54	19.87	0.00
5.	छत्तीसगढ़	36.08	50.84	41.02
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	20.27	53.07	13.38
9.	हरियाणा	68.99	74.20	45.64
10.	हिमाचल प्रदेश	19.48	5.12	15.03
11.	जम्मू-कश्मीर	13.16	0.00	11.71
12.	झारखण्ड	0.00	34.56	0.06
13.	कर्नाटक	148.93	173.19	124.08
14.	केरल	112.21	175.75	176.63
15.	मध्य प्रदेश	149.32	265.38	226.32
16.	महाराष्ट्र	191.31	173.92	128.04
17.	मणिपुर	5.57	4.55	1.23
18.	मेघालय	7.10	8.29	8.22
19.	मिजोरम	3.61	3.24	8.22
20.	नागालैण्ड	1.00	17.12	22.03
21.	उड़ीसा	91.34	147.50	135.46

1	2	3	4	5
22.	पंजाब	78.18	81.45	55.67
23.	राजस्थान	106.01	104.30	109.97
24.	तमिलनाडु	147.94	136.75	155.27
25.	त्रिपुरा	18.23	21.24	22.70
26.	उत्तर प्रदेश	402.53	644.91	422.85
27.	उत्तराखण्ड	25.83	92.76	64.16
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	19.12	29.10
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.06	2.51	0.55
30.	'चंडीगढ़	0.47	1.02	3.98
31.	दमन और द्वीव	0.04	0.03	0.03
32.	दादर और नगर हवेली	0.15	0.20	0.19
33.	लक्षद्वीप	0.12	0.14	0.05
34.	पांडिचेरी	5.37	4.74	0.57
35.	सिक्किम	0.48	0.25	0.89
	कुल	2010.20	2715.43	2082.12

विवरण-V

विगत तीन वर्षों 2003-04, 2004-05 के दौरान पी.एम.आर.वाई. के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार की गई प्रगति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04			2004-05		
		लक्ष्य	बैंकों द्वारा संवितरित (उपलब्धि) मामलों की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार	लक्ष्य	बैंकों द्वारा संवितरित (उपलब्धि) मामलों की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरियाणा	4050	7277	10916	5100	7755	11633
2.	हिमाचल प्रदेश	3200	2862	4293	3000	2853	4280

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	जम्मू-कश्मीर	1150	656	984	2000	639	959
4.	पंजाब	4100	7558	11337	4600	8372	12558
5.	राजस्थान	8100	12769	19154	9100	12919	19379
6.	चण्डीगढ़	300	68	102	300	206	309
7.	दिल्ली	4400	904	1356	4500	819	1229
8.	असम	6600	5844	8766	7500	8256	12384
9.	मणिपुर	1200	520	780	1500	387	581
10.	मेघालय	350	403	605	400	568	852
11.	नागालैण्ड	300	53	80	400	109	164
12.	त्रिपुरा	800	2043	3065	1000	1747	2621
13.	अरुणाचल प्रदेश	200	668	1002	200	440	660
14.	मिजोरम	200	775	1163	200	142	213
15.	सिक्किम	100	30	45	100	32	48
16.	बिहार	14400	9860	14790	16000	10396	15594
17.	झारखण्ड	5350	4774	7161	6500	4804	7206
18.	उड़ीसा	6600	8779	13169	7100	11339	17009
19.	पश्चिम बंगाल	20000	2822	4233	24000	3796	5694
20.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	100	182	273	150	142	213
21.	मध्य प्रदेश	11750	19748	29622	14000	20642	30963
22.	छत्तीसगढ़	4600	3275	4913	6000	3276	4914
23.	उत्तर प्रदेश	22950	40481	60722	26000	42534	63801
24.	उत्तरांचल	1800	5361	8042	2500	6637	9956
25.	गुजरात	8650	6755	10133	10000	6406	9609
26.	महाराष्ट्र	22800	17230	25845	26000	21819	32729

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	दमन और दीव	50	3	5	50	4	6
28.	गोवा	400	116	174	500	45	68
29.	दादर और नगर हवेली	50	0	0	50	22	33
30.	आन्ध्र प्रदेश	18400	17729	26594	21500	22542	33813
31.	कर्नाटक	10800	11929	17894	12000	13931	20897
32.	केरल	16250	14024	21036	17000	16553	24830
33.	तमिलनाडु	19350	12738	19107	20000	16902	25353
34.	लक्षद्वीप	50	17	26	50	4	6
35.	पांडिचेरी	600	294	441	700	329	494
	अखिल भारतीय	220000	218547	327828	250000	247367	371058

2004-05 के दौरान पी.एम.आर.वाई. के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार की गई प्रगति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06*		
		लक्ष्य	बैंकों द्वारा संवितरित (उपलब्धि) मामलों की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार #
1	2	9	10	11
1.	हरियाणा	5303	9563	14345
2.	हिमाचल प्रदेश	3557	2929	4394
3.	जम्मू-कश्मीर	1588	544	816
4.	पंजाब	4083	8043	12065
5.	राजस्थान	9328	13875	20813
6.	चंडीगढ़	351	72	108
7.	दिल्ली	5179	682	1023

1	2	9	10	11
8.	असम	7387	5670	8505
9.	मणिपुर	1418	383	575
10.	मेघालय	361	564	846
11.	नागालैण्ड	363	2375	3563
12.	त्रिपुरा	1193	2032	3048
13.	अरुणाचल प्रदेश	173	447	671
14.	मिजोरम	188	472	708
15.	सिक्किम	66	31	47
16.	बिहार	16003	12072	18108
17.	झारखण्ड	6978	4566	6849
18.	उड़ीसा	6923	12823	19235
19.	पश्चिम बंगाल	24574	4616	6924
20.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	123	150	225
21.	मध्य प्रदेश	13507	20902	31353
22.	छत्तीसगढ़	5429	3463	5195
23.	उत्तर प्रदेश	26248	39984	59976
24.	उत्तराखण्ड	2119	7404	11106
25.	गुजरात	9579	6355	9533
26.	महाराष्ट्र	24614	23684	35526
27.	दमन और दीव	19	14	21
28.	गोवा	486	43	65
29.	दादर और नगर हवेली	27	24	36
30.	आंध्र प्रदेश	20767	21168	31752
31.	कर्नाटक	11046	19057	28586
32.	केरल	18685	21667	32501

1	2	9	10	11
33.	तमिलनाडु	21565	19548	29322
34.	लक्षद्वीप	48	5	8
35.	पांडिचेरी	722	347	521
	अखिल भारतीय	250000	265574	398369

(*अनंतिम, #अनुमानित सृजित रोजगार @ 1.5 प्रति संवितरित मामला)

औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र

865. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कोई योजना तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विशिष्ट कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के हाल ही में औद्योगिक पिछड़ेपन को परिभाषित करने के लिए स्पष्ट प्रयोगाश्रित मानदण्ड का पता लगाने तथा औद्योगिक पिछड़ेपन के मानदण्डों पर सभी जिलों को श्रेणीबद्ध करने हेतु एक व्यापक सर्वेक्षण शुरू करने का योजना आयोग से अनुरोध किया है, ताकि ऐसे क्षेत्रों में आर्थिक विकास के लिए उद्योगों की स्थापना करने के लिए उपयुक्त नीतियां बनायी जा सकें।

(ग) और (घ) उदारीकृत आर्थिक माहौल के अन्तर्गत उद्यमियों द्वारा निवेश संबंधी निर्णय तकनीकी आर्थिक समझ के आधार पर लिए जाते हैं जो क्रमशः अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा अन्य प्रोत्साहनों को प्रदान करके अनुकूल वातावरण सृजित करने में राज्य सरकारों की पहल पर निर्भर होते हैं। केन्द्र सरकार, जहां तक संभव हो, उनके प्रयासों में सहायता करती है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस संबंध में विकास केन्द्र योजना, औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना, पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति पैकेज, विशिष्ट श्रेणी राज्य पैकेज तथा औद्योगिक पार्क योजना क्रियान्वित कर रहा है।

गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि

866. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में सरकार द्वारा महाराष्ट्र सहित राज्यों के लिए, प्रौढ़ शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत, राज्य-वार, जिन गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि प्रदान की गई उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) मानव संसाधन विकास के कार्यक्रमों के संचालन के लिए एन.जी.ओ. और अन्य एजेंसियों के चयन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) क्या कई राज्यों में इन अभियानों के अन्तर्गत प्रदान की गई धनराशियों का उपयोग नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करने की योजना, प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत जन शिक्षण संस्थान की योजना तथा सर्व शिक्षा अभियान की नवाचारी तथा प्रायोगिक योजना के तहत गैर-सरकारी संगठनों की राज्यवार संख्या तथा पिछले तीन वर्षों जिनमें चालू वर्ष भी शामिल है, के दौरान जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण I, II तथा III में दिया गया है।

(ख) विभाग की गैर-सरकारी संगठनों की विभिन्न योजनाओं के तहत वे पंजीकृत सोसायटियां, सार्वजनिक न्यास तथा लाभ न कमाने वाली कंपनियां जो तीन वर्ष से अधिक अवधि से

अस्तित्व में हैं तथा साक्षरता तथा शैक्षिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की क्षमता तथा योग्यता रखती हैं, सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

(ग) और (घ) पहले जारी किए गए अनुदानों का उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बाद ही विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को परियोजनाओं के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

विवरण-I

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करने की योजना के तहत जारी की गई अनुदान राशि					
		2004-05		2005-06		2006-07	
		गैर सरकारी संगठनों की संख्या	जारी किया गया अनुदान	गैर सरकारी संगठनों की संख्या	जारी किया गया अनुदान	गैर सरकारी संगठनों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	01	70.53	01	60.73	01	51.15
2.	असम	03	47.07	01	52.61	02	44.06
3.	बिहार	03	147.29	04	180.74	03	135.13
4.	छत्तीसगढ़	00	0.00	00	0.00	01	25.00
5.	गुजरात	01	51.42	02	47.12	02	49.08
6.	हरियाणा	01	38.56	02	47.32	02	35.41
7.	हिमाचल प्रदेश	01	34.50	01	32.65	01	24.06
8.	जम्मू-कश्मीर	02	26.46	01	34.07	01	36.47
9.	झारखण्ड	01	48.27	01	69.02	01	41.99
10.	कर्नाटक	01	44.05	05	67.87	01	56.04
11.	केरल	01	47.18	01	59.27	01	39.90
12.	मध्य प्रदेश	02	77.22	02	137.40	04	121.08
13.	महाराष्ट्र	02	110.98	02	100.80	02	78.14
14.	मणिपुर	01	2.44	–	–	–	0.00
15.	मेघालय	01	40.81	01	25.23	01	35.00

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	उड़ीसा	109	458.90	01	68.90	02	36.90
17.	पंजाब	01	56.62	01	35.90	01	14.21
18.	राजस्थान	01	66.16	01	62.18	01	57.04
19.	तमिलनाडु	01	51.47	01	72.91	02	61.02
20.	त्रिपुरा	01	26.66	01	15.00	01	15.00
21.	उत्तर प्रदेश	08	125.13	05	86.78	05	71.19
22.	उत्तरांचल	03	44.77	03	55.96	03	46.22
23.	पश्चिम बंगाल	01	70.30	01	65.97	01	124.66
24.	दिल्ली	04	107.03	08	102.81	04	51.46
	कुल	42	1793.82	46	1481.56	43	1250.21

विवरण-II

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्रौढ़ शिक्षा के तहत जनशिक्षण संस्थान की योजना के लिए जारी किया गया अनुदान					
		2004-05		2005-06		2006-07	
		जन शिक्षण संस्थान की संख्या	जारी किया गया अनुदान	जन शिक्षण संस्थान की संख्या	जारी किया गया अनुदान	जन शिक्षण संस्थान की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	09	200.90	10	312.13	09	186.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	01	24.89	01	15.24	01	10.00
3.	असम	03	60.58	03	51.12	03	46.25
4.	बिहार	05	92.51	05	110.56	06	120.45
5.	छत्तीसगढ़	01	16.96	01	21.50	02	25.00

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गोवा	01	16.08	01	26.80	01	23.19
7.	गुजरात	06	130.05	06	166.21	07	150.41
8.	हरियाणा	04	63.96	04	95.41	04	95.16
9.	जम्मू-कश्मीर	01	21.83	01	18.00	01	12.00
10.	झारखण्ड	04	51.43	05	119.11	05	79.78
11.	कर्नाटक	08	157.85	08	200.62	08	178.45
12.	केरल	07	115.44	09	219.66	08	158.48
13.	मध्य प्रदेश	14	259.88	17	413.18	21	375.96
14.	महाराष्ट्र	12	213.07	13	386.42	12	288.70
15.	मणिपुर	02	40.41	03	58.00	02	49.47
16.	मिजोरम	01	15.00	01	18.73	01	18.69
17.	नागालैण्ड	01	12.00	01	24.97	01	23.93
18.	उड़ीसा	09	186.40	09	241.96	12	221.55
19.	पंजाब	02	31.61	02	51.77	02	48.38
20.	राजस्थान	06	144.54	06	182.40	06	143.22
21.	तमिलनाडु	08	168.21	09	230.29	07	138.90
22.	त्रिपुरा	01	12.00	01	16.14	01	10.00
23.	उत्तर प्रदेश	31	533.69	36	934.98	37	804.23
24.	उत्तरांचल	03	44.86	04	77.96	04	74.50
25.	पश्चिम बंगाल	05	118.14	06	155.59	07	150.94
26.	चण्डीगढ़	01	29.78	01	28.61	01	29.30
27.	दिल्ली	01	20.00	01	31.06	02	40.00
	कुल	147	2782.07	164	4208.42	171	3503.13

विवरण-III

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	सर्व शिक्षा अभियान के नवाचारी तथा प्रायोगिक घटक के अन्तर्गत जारी किया गया अनुदान					
		2004-05		2005-06		2006-07	
		गैर सरकारी संगठनों की संख्या	जारी किया गया अनुदान	गैर सरकारी संगठनों की संख्या	जारी किया गया अनुदान	गैर सरकारी संगठनों की संख्या	संस्वीकृति/जारी किया गया अनुदान
1.	आन्ध्र प्रदेश	01	4.17	04	178.28	02	159.54
2.	बिहार	–	–	03	70.55	02	157.66
3.	छत्तीसगढ़	–	–			01	6.07
4.	हरियाणा	–	–	01	10.50	01	5.25
5.	जम्मू-कश्मीर	–	–	01	10.34		
6.	झारखण्ड	–	–	01	15.96		
7.	कर्नाटक	–	–	01	44.85		
8.	मध्य प्रदेश	02	25.22			02	69.93
9.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–
10.	मणिपुर	01	00.87				
11.	नागालैण्ड			01	1.25		
12.	उड़ीसा	04	24.21	04	18.13	03	5.19
13.	राजस्थान			01	7.66		
14.	तमिलनाडु	01	32.37				
15.	उत्तर प्रदेश	04	16.36	03	169.29	01	186.09
16.	उत्तरांचल			01	2.14	01	1.14
17.	पश्चिम बंगाल	02	23.68	04	44.65	01	3.00
18.	दिल्ली	04	43.00	05	51.59	02	5.35
	कुल	19	169.88	30	625.19	16	599.22

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा

867. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एम.फिल और पी.एच.डी. डिग्री धारकों के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) को पुन: आरम्भ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वर्तमान में शिक्षकों की कितनी कमी है; और

(घ) अर्ह अभ्यर्थियों के पूल में वृद्धि के लिए नेट की पुनर्संरचना के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) लेक्चरर नियुक्त करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा केवल स्नातकोत्तर डिग्री धारकों के लिए अनिवार्य है। तथापि, सम्बन्धित विषय में पी.एच.डी. डिग्री धारक अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर स्तर और अवर स्नातक स्तर पर शिक्षण के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा से छूट है। इस प्रकार सम्बन्धित विषय में एम.फिल डिग्री धारक अभ्यर्थियों को केवल अवर स्नातक स्तर पर शिक्षण के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा से छूट है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 31-3-2006 तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 1676 शिक्षण पद तथा 4203 गैर-शिक्षण पद रिक्त हैं।

(घ) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा संबंधी समीक्षा समिति, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा को संशोधित कर रही है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा संबंधी समीक्षा समिति से अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की पुनसंरचना हेतु कदम उठाए जाएंगे।

प्रिवेंशन एण्ड पनिशमेंट ऑफ जीनोसाइड एण्ड क्राइम्स अगेनस्ट ह्यूमिनिटी एक्ट, 2004

868. श्री सुब्रत बोस: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रिवेंशन एण्ड पनिशमेंट ऑफ जीनोसाइड एण्ड क्राइम्स अगेनस्ट ह्यूमिनिटी एक्ट, 2004 संबंधी विधि मसौदे का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है; और

(ग) इस विधान को कब तक लाए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

व्यावसायिक संसाधनों की स्थापना के लिए धनराशि का आवंटन

869. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक व्यावसायिक/प्रोफेशनल संस्थानों की स्थापना के लिए राज्य-वार व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आज की तिथि तक कितने संस्थान कार्यरत हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने संबंधी मौजूदा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत करने के प्रयोजनार्थ राज्यों/संघशासित प्रदेशों को अनुदान दिए जा रहे हैं। व्यावसायिक/पेशेवर संस्थाओं की स्थापना के लिए इस स्कीम के तहत अनुदान देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

[हिन्दी]

नए उद्योगों की स्थापना

870. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेष कर उत्तर प्रदेश में नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर कोई धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इसमें क्या उपलब्धि प्राप्त की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) उदारीकृत आर्थिक

माहौल के अन्तर्गत उद्यमियों द्वारा निवेश संबंधी निर्णय तकनीकी आर्थिक समझ के आधार पर लिए जाते हैं जो क्रमश: अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा अन्य प्रोत्साहनो को प्रदान करके अनुकूल वातावरण सृजित करने में राज्य सरकारों की पहल पर निर्भर होते हैं। केन्द्र सरकार, जहां तक संभव हो, उनके प्रयासों में सहायता करती है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस संबंध में विकास केन्द्र योजना, औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना, पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति पैकेज, विशिष्ट श्रेणी राज्य पैकेज तथा औद्योगिक पार्क योजना क्रियान्वित कर रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि श्रमिकों की मजूदरी में संशोधन

871. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय रेशम बोर्ड में कार्यरत कृषि श्रमिकों की मजदूरी में संशोधन के लिए काफी समय से लंबित मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मांग पर सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है और मजदूरी के कब तक संशोधित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह मामला माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक में न्यायाधीन है। आगे की कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार की जाएगी।

[हिन्दी]

शहरी हाट

872. श्री संतोष गंगवार: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को शहरी हाट स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृत प्रस्ताव का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और निर्माण कार्य कब तक शुरू किया जाएगा/ कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) इस संबंध में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है/किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो प्रस्तावों को अस्वीकृत किए जाने के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) जी हां, वर्ष 2006-07 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा तथा इन प्रस्तावों की स्थिति संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं।

(ङ) वर्ष 2006-07 के दौरान प्राप्त कोई प्रस्ताव अस्वीकृत नहीं किया गया है।

विवरण

क्रमांक	निम्न से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे	राज्य का नाम	अवस्थिति	शामिल राशि	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	मै. बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथारिटी, बिहार	बिहार	पटना	2.00 करोड़ रुपये	उच्च स्तरीय जांच समिति की बैठक में सिद्धांत रूप में अनुमोदित।

1	2	3	4	5	6
2.	झांसी डेवलपमेंट अथारिटी, झांसी, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	झांसी	2.00 करोड़ रुपये	–वही–
3.	तमिलनाडु हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन, चेन्नई	तमिलनाडु	चेन्नई	2.00 करोड़ रुपये	उच्च स्तरीय जांच समिति की बैठक में अनुमोदित। प्रथम किश्त के रूप में 10.00 लाख रु. की राशि एजेंसी को पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है।
4.	दिल्ली टूरिजम एण्ड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि., नई दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली हाट पार्ट-2	2.00 करोड़ रुपये	उच्च स्तरीय जांच समिति की बैठक में अनुमोदित। प्रथम किश्त के रूप में 35.00 लाख रु. की राशि एजेंसी को पहले ही निर्मुक्त की जा चुकी है।
5.	मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी, मेरठ	उत्तर प्रदेश	मेरठ	2.00 करोड़ रुपये	उच्च स्तरीय जांच समिति की बैठक में अनुमोदित

हथकरघा बुनकरों को रियायतें

873. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान हथकरघा बुनकरों को विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में और छूट तथा रियायतें देने के लिए बुनकर सहकारी समितियों और अन्य संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) हथकरघा बुनकरों को दी जा रही छूट-रियायतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के, राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने हथकरघा बुनकर लाभान्वित हुए?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) हथकरघा बुनकरों को लाभ पहुंचाने के लिए हथकरघा सहकारी समितियों सहित विभिन्न हथकरघा बुनकर संगठनों से समय-समय पर अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने 10वीं योजना अवधि के दौरान हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, हथकरघा मार्ग, एकीकृत हथकरघा समूह विकास योजना, प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन निधि योजना आदि जैसी अनेक नई योजनाएं आरंभ की हैं।

(ग) भारत सरकार हथकरघा क्षेत्र के विकास तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाओं के अधीन अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है:-

(i) दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डी.डी.एच.पी.वाई.)।

(ii) कार्यशाला-सह-आवास योजना।

(iii) एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना (आई.एच.टी.पी.)।

(iv) विपणन संवर्धन कार्यक्रम।

(v) हथकरघा निर्यात योजना।

(vi) मिल गेट मूल्य योजना।

(vii) थ्रिफ्ट फंड स्कीम।

(घ) हथकरघा योजनाओं के अंतर्गत गत 3 वर्षों के दौरान लाभान्वित बुनकरों की संख्या का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्रम सं.	राज्य	2003-04	2004-05	2005-06
1.	अरुणाचल प्रदेश	40	340	35474
2.	असम	246283	280623	295682
3.	आन्ध्र प्रदेश	58464	184550	160283
4.	बिहार	544	0	280
5.	छत्तीसगढ़	774	1283	3293
6.	दिल्ली	60	601	2417
7.	गुजरात	5903	3225	20432
8.	गोवा	0	0	0
9.	हरियाणा	100	505	140
10.	हिमाचल प्रदेश	940	600	4985
11.	जम्मू-कश्मीर	1611	400	584
12.	झारखण्ड	40	0	11220
13.	कर्नाटक	35542	71789	66295
14.	केरल	42552	11065	11878
15.	मध्य प्रदेश	370	5860	8434
16.	मणिपुर	40	1323	18928
17.	महाराष्ट्र	768	775	6523
18.	मेघालय	0	0	1071
19.	मिजोरम	40	0	200
20.	नागालैण्ड	11584	0	24893
21.	उड़ीसा	21206	40981	65586
22.	पंजाब	0	12700	0
23.	पांण्डिचेरी	60	0	0
24.	राजस्थान	7675	26294	10526
25.	सिक्किम	0	0	120

क्रम सं.	राज्य	2003-04	2004-05	2005-06
26.	त्रिपुरा	610	340	1077
27.	तमिलनाडु	223405	294162	509623
28.	उत्तर प्रदेश	31848	23127	32897
29.	उत्तरांचल	500	2068	4395
30.	पश्चिम बंगाल	2080	26173	35571
31.	अन्य अभिकरण	160	15353	90
	कुल	693199	1004137	1332897

विपणन संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत बुनकरों को शिल्प मेलों में भागीदारी के माध्यम से सहायता दी जाती है और दिल्ली हाट में प्रतिवर्ष लगभग 1200 बुनकर अपने उत्पादों को बेचने के लिए भाग लेते हैं। हथकरघा बुनकरों को राष्ट्रीय और जिला स्तर पर आयोजित प्रदर्शनियों में अपने उत्पादों को बेचने का अवसर भी दिया जाता है।

[अनुवाद]

नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम के लिए विश्व बैंक सहायता

874. श्री परशुराम माझी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक कुछ राज्यों में नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम का वित्तपोषण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रम किन-किन राज्यों में चलाए गए हैं;

(ग) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को विश्व बैंक द्वारा अब तक कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(घ) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) सरकार ने मल्टी हैजेर्ड रिस्क मैनेजमैंट में साइक्लोन फोरकास्टिंग, ट्रैकिंग एंड वार्निंग सिस्टम, साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन इंवेस्टमैंट्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का उन्नयन करने के उद्देश्य से सभी चक्रवात संभावित तटवर्ती राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों और अंडमान और निकोबार, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और दमण और दीव संघ शासित क्षेत्रों में विश्व बैंक की बाह्य सहायता से कार्यान्वित किया जाने वाला नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट (एन.सी.आर.एम.पी.) तैयार किया है।

संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से कहा गया है कि वे चक्रवात, आश्रय स्थल, तटवर्ती आश्रय स्थल, तटवर्ती आश्रय स्थल की पट्टी पर वृक्षारोपण करने, उष्ण कटबंधी वृक्षों का पुन: वृक्षारोपण करने और तटों से जहाजों तक जाने के रास्तों का निर्माण करने के लिए परियोजना-पूर्व तैयारी कार्य शुरू कर दें। भाग लेने वाले राज्य, इस समय विस्तृत निवेश प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं।

तथापि, विश्व बैंक ने कोई राशि प्रदान नहीं की है और परियोजना का कार्यान्वयन अभी शुरू नहीं हुआ है।

नेट/जे.आर.एफ. छात्रों को प्रमाणपत्र

875. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति परीक्षा देने पर चयनित अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र जारी करने के वर्तमान मानदंड में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या यू.जी.सी. ने दिसंबर, 2006 के महीने में हुई नेट/जे.आर.एफ. परीक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या यू.जी.सी. ने सफल अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र जारी कर दिए हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्र जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र जारी करने के मौजूदा मानदंड में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निठारी कांड के अभियुक्तों पर हमला

876. श्री सज्जन कुमार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निठारी, उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के अपहरण और हत्याओं के अभियुक्तों पर न्यायालय परिसर में वकीलों और असामाजिक तत्वों द्वारा जानलेवा हमला किया गया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों और सुरक्षा-कर्मियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी हां। 25-01-2007 को गाजियाबाद अदालत परिसर के अंदर कुछ अधिवक्ताओं और अन्य लोगों की अनियंत्रित भीड़ ने अभियुक्त पर हमला कर दिया था। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कवि नगर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 309 के तहत एफ.आई.आर. संख्या 36/2007 दर्ज की है।

(ख) और (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं इसलिए अपराध निवारण, उनका पता लगाने, पंजीकरण करने, जांच-पड़ताल करने और अभियोजन चलाने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी राज्य सरकारें मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं और इसलिए उन्हें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे।

जनजातियों की भाषाएं

877. डा. रामेश्वर उरांव: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुल कितनी जनजातियों की अपनी भाषा है;

(ख) इनमें से कितनी भाषाओं की अपनी लिपि है;

(ग) क्या इन भाषाओं को मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इन भाषाओं के नाम क्या हैं और इन भाषाओं को बोलने वाली जनजातियों के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या इन भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या किसी जनजातीय भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है;

(ज) यदि हां, तो क्या कुरूख भाषा को उरांव की अनुसूचित जनजाति की एक करोड़ जनसंख्या द्वारा बोला जा रहा है;

(झ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कुरूख भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का है; और

(ञ) यदि हां, तो कब तक?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 114 में से 89 वर्गीकृत

भाषाओं को जनजातीय भाषा माना जा सकता है। एक विवरण संलग्न है। इन 89 जनजातीय भाषाओं में से 37 भाषाओं की स्थापित लेखन प्रणालियां हैं और विद्यालयों में प्रयोग में लाई जाती हैं। अन्य 34 लेखन की प्रारंभिक अवस्था में हैं लेकिन विद्यालयों में उनके प्रयोग के बारे में कोई सूचना नहीं है। 18 भाषाओं में लेखन पद्धतियों की कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) एम.ए. स्तर तक 10 जनजातीय भाषाएं पढ़ाई जाती हैं - अंगामी (नागालैंड में टेनयीडाई), बोडो (असम), खासी और गारो (मेघालय), मिजो (मिजोरम) और संथाली, मंडारी, खारिया, हो और कुरूख रांची विश्वविद्यालय, झारखंड में) कोकरोबोक एक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाई जाती है, जो त्रिपुरा विश्वविद्यालय में केवल स्नातक के लिए है। उपर्युक्त 11 के अतिरिक्त नागालैंड में आयो, सेमा और लोथा 10वीं स्तर तक पढ़ाई जाती हैं। मणिपुर और असम में हमारा कालेज स्तर तक पढ़ाई जाती है। पाइते, थाडोउ-कुकी और जोऊ भी मणिपुर में मैट्रिक स्तर तक पढ़ाई जाती है।

(ङ) और (च) जी, हां। संथाली और बोडो त्रिभाषा सूत्र की योजना के अंतर्गत केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान के क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों द्वारा पढ़ाई जा रही है। इसके अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय अपनी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत "अनुसंधान और प्रशिक्षण: अनुदान - जनजातीय अनुसंधान संस्थान को अनुदान-सहायता" जनजातीय जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करने के लिए राज्यों के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को निधियां प्रदान की जाती हैं, जिसके अंतर्गत जनजातीय भाषाएं सम्मिलित हो सकती हैं।

(छ) संताली और बोडो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित दो जनजातीय भाषाएं हैं।

(ज) 1991 की जनगणना के अनुसार, ओरियोन जनजाति के कुरूख बोलने वाली जनसंख्या 14,26,618 है।

(झ) और (ञ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जनजातीय भाषाओं के रूप में विचारित भाषाएं

क्र. सं.	जनजातीय भाषा का नाम	लिपि	कुल बोलने वाले
1	2	3	4
1.	आदि	लेखन के प्रारंभिक स्तर में - रोमन लिपि	158409
2.	अनल	लेखन के प्रारंभिक स्तर में - रोमन लिपि	12156
3.	अंगामी	स्थापित लेखन प्रणाली - रोमन लिपि	97631
4.	एओ	स्थापित लेखन प्रणाली - रोमन लिपि	172449
5.	मिली/मिलोडी	लेखन के प्रारंभिक स्तर में - देवनागरी, गुजराती लिपि	5572308
6.	भोटिया	तिब्बती पर आधारित स्थापित लेखन प्रणाली	55483
7.	भूमिज	लेखन के प्रारंभिक स्तर में - देवनागरी लिपि	45302
8.	बोडो/बोरो	स्थापित लेखन प्रणाली - देवनागरी लिपि	1221881
9.	चाखेसंग	चोकरी और खेजा जैसी	30985
10.	चाकरू/चोकरी	स्थापित लेखन प्रणाली - रोमन लिपि	48207
11.	चांग	स्थापित लेखन प्रणाली - रोमन लिपि	32478

1	2	3	4
12.	देवरी	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – असमिया लिपि	17901
13.	दीमासा	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – बंगला लिपि	88543
14.	गदाबा	कोई सूचना नहीं	28158
15.	गांगते	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – रोमन लिपि	13695
16.	गारो	स्थापित लेखन प्रणाली – रोमन लिपि, पहले प्रयुक्त बंगला	675642
17.	गोंडी	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – देवनागरी और द्रविडियन भाषाओं के निकट स्वदेशी लिपि	2124852
18.	हलबी	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – देवनागरी लिपि	534313
19.	हलाम	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – रोमन लिपि	29322
20.	हमार	स्थापित लेखन प्रणाली – रोमन लिपि	65204
21.	हो	लेखन का स्थापित स्तर – देवनागरी लिपि	949216
22.	जटापु	कोई सूचना नहीं	25730
23.	जुआंग	कोई सूचना नहीं	16858
24.	काबुई	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – रोमन लिपि	68925
25.	कारबी/मिकिर	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – रोमन और असमिया लिपि	366229
26.	खांडेशी	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – देवनागरी लिपि	973709
27.	खारिया	लेखन का स्थापित स्तर – देवनागरी लिपि	225556
28.	खासी	लेखन का स्थापित स्तर – रोमन लिपि। पूर्ववर्ती बंगला लिपि	912283
29.	खेजा	लेखन का स्थापित स्तर – रोमन लिपि	13004
30.	खीमंनुंगन	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – रोमन लिपि	23544
31.	खोंड/कोंध	कोई सूचना नहीं	220783
32.	किन्नौरी	कोई सूचना नहीं	61794
33.	किसान	कोई सूचना नहीं	162088
34.	कोच	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – असमिया लिपि	26179
35.	कोडा/कोरा	कोई सूचना नहीं	28200
36.	कोलामी	कोई सूचना नहीं	98281

1	2	3	4
37.	कोम	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – रोमन लिपि	13548
38.	कोंडा	कोई सूचना नहीं	17864
39.	कोंयाक	लेखन का स्थापित स्तर में – रोमन लिपि	137722
40.	कोरकु	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – देवनागरी लिपि	466073
41.	कोरवा	कोई सूचना नहीं	27485
42.	कोया	कोई सूचना नहीं	270994
43.	कुई	कोई सूचना नहीं (उड़िया प्रयोग में हो सकती है)	641662
44.	कुकी	लेखन का प्रारंभिक स्तर – रोमन लिपि	58263
45.	कुरुख/उरांव	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – देवनागरी लिपि। स्वदेशी लिपी भी विद्यमान है	1426618
46.	लाहौली	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – तिब्बती लिपि	22027
47.	लाखेर	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – रोमन लिपि	22947
48.	लालुंग (तिवा)	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – रोमन लिपि और असमिया लिपि	33746
49.	लेपचा	लेखन की स्थापित प्रणाली – तिब्बती लिपि पर आधारित	39342
50.	लियांगमेई	लेखन का स्थापित स्तर – रोमन लिपि	27478
51.	लिम्बू	स्थापित लेखन प्रणाली – तिब्बती लिपि	28174
52.	लोथा	लेखन की स्थापित प्रणाली – रोमन लिपि	85802
53.	लुशाई/मिजो	लेखन की स्थापित प्रणाली – रोमन लिपि	538842
54.	माल्टो	कोई सूचना नहीं	108146
55.	माओ	लेखन की स्थापित प्रणाली – रोमन लिपि	77810
56.	मारम	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – रोमन लिपि	10144
57.	मारिंग	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – रोमन लिपि	15268
58.	मिरी/मिरिंग	लेखन का स्थापित स्तर – रोमन लिपि	390583
59.	मिशमी	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – रोमन लिपि	29000
60.	मोघ	कोई सूचना नहीं	28135
61.	मोन्पा	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – तिब्बती लिपि	43226

1	2	3	4
62.	मुंडा	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – देवनागरी लिपि	413894
63.	मुंडारी	लेखन की स्थापित प्रणाली – देवनागरी लिपि	861378
64.	निकोबारी	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – आशोधित रोमन और देवनागरी लिपि	28261
65.	निस्सी/दाफ्ला	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – रोमन लिपि	173791
66.	नोक्ते	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – रोमन लिपि	30441
67.	पैते	लेखन का प्रारंभिक स्तर – रोमन लिपि	49237
68.	पारजी	कोई सूचना नहीं	44001
69.	पावी	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – रोमन लिपि	15346
70.	फोम	लेखन का स्थापित स्तर – रोमन लिपि	65350
71.	पाथुरी	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – रोमन लिपि	11231
72.	रभा	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – असमिया लिपि, रोमन भी प्रयोग में	139365
73.	रेंगमा	लेखन का प्रारंभिक स्तर – रोमन लिपि	37521
74.	संगताम	लेखन का प्रारंभिक स्तर – रोमन लिपि	47461
75.	संताली	लेखन का प्रारंभिक स्तर – देवनागरी लिपि, बंगाली और उड़ीया लिपियां। अलचिकी भी प्रयुक्त	5216325
76.	सावरा	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – रोमन लिपि और उड़िया लिपि	273168
77.	सेमा	लेखन का स्थापित स्तर – रोमन लिपि	166157
78.	शेरपा	लेखन का स्थापित स्तर – तिब्बती पर आधारित	16105
79.	तांगखुल	लेखन का स्थापित स्तर – रोमन लिपि	101841
80.	तांगसा	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – रोमन लिपि	28121
81.	थाडो	लेखन का स्थापित स्तर – रोमन लिपि	107992
82.	तिबतेन	लेखन का स्थापित स्तर – तिब्बती लिपि	69416
83.	त्रिपुरी	लेखन का स्थापित स्तर – रोमन और बंगला लिपि	694940
84.	वेइफेई	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – रोमन लिपि	26185
85.	वांको	लेखन के प्रारंभिक स्तर में – रोमन लिपि	39600
86.	यीमचुंगरे	लेखन का स्थापित स्तर – रोमन लिपि	47227

1	2	3	4
87.	जेलियांग	जेमी और लियांगमाई जैसी	35079
88.	जेमी	लेखन का स्थापित स्तर - रोमन लिपि	22634
89.	जोउ	लेखन का स्थापित स्तर - रोमन लिपि	15966

सी.आई.आई.एल. की अनुसंधान रिपोर्ट पर आधारित

[अनुवाद]

वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य

878. श्री पी.सी. थामस: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उन्नत अनुसंधान और विकास कार्यों में संलग्न वस्त्र इकाइयों/केंद्रों/संस्थानों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन इकाइयों/केंद्रों/संस्थानों को सरकार द्वारा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी सहायता प्रदान की गई है/किए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) टिके रहने के लिए नवीनता प्रमुख बात है। प्रौद्योगिकी, मशीनरी, उत्पाद अथवा प्रक्रिया में सतत नवीनता विश्व बाजार में उपलब्ध अवसरों का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए उद्योग के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, औद्योगिक अनुसंधान को आज वाणिज्यिक अभियान के रूप में देखा जाता है जिसका औचित्य उद्योग के लिए परिणाम की उपयोगिता से ठहराया जा सकता है। इसलिए, सरकार एक नीतिगत शासन व्यवस्था विकसित करती है जो नवीनता को सहायता देने, अनुसंधान और विकास में निवेश, वस्त्र अनुसंधान संघों (टी.आर.ए.) के मूल अनुसंधान कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करने तथा उद्योग को टी.आर.ए. को उनकी प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता देने में प्रोत्साहित करने पर बल देती है। देश में निम्नलिखितानुसार आठ टी.आर.ए. हैं।

(1) अहमदाबाद वस्त्र अनुसंधान संघ (अटिरा), अहमदाबाद (गुजरात)

(2) बंबई वस्त्र अनुसंधान संघ (बटरा), मुंबई (महाराष्ट्र)

(3) दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (सिटरा) कोयम्बटूर, (तमिलनाडु)

(4) उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (निटरा), गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)

(5) मानव-निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ (मंतरा), सूरत (गुजरात)

(6) सिंथेटिक व आर्ट सिल्क मिल्स अनुसंधान संघ (ससमीरा), मुंबई (महाराष्ट्र)

(7) भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (इजिरा), कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

(8) ऊन अनुसंधान संघ (डब्ल्यू.आर.ए.), थाणे (मुंबई)

अटिरा, बटरा, सिटरा और निटरा कपास और कपास/सिंथेटिक तथा सूती/प्राकृतिक फाईबर मिश्रणों में परामर्श, परीक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास कार्य करते हैं। मंतरा, ससमीरा प्रमुख रूप से सिंथेटिक में कार्य करते हैं। डब्ल्यू.आर.ए. और इजिरा क्रमश: ऊन और पटसन में कार्य करते हैं। टी.आर.ए. उद्योग संवर्धित निकाय हैं और इन्हें विभिन्न अवधियों में स्थापित किया गया है। सरकार इन टी.आर.ए. को दो स्वरूपों में उनके गठन के समय से ही वित्तीय सहायता प्रदान करती जा रही है - (i) कायम रहने के लिए उनके आवर्ती व्यय को पूरा करना और (ii) आर एंड डी परियोजनाएं चलाने के लिए परियोजना संबंधी अनुदानों के लिए। आर एंड डी परियोजनाएं अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा स्वीकृत की जाती हैं। सरकार इन टी.आर.ए. को सौंपे गए किसी परामर्श सेवा संबंधी कार्य के लिए अलग से भी अनुदान

देती है। सरकार किसी अन्य वस्त्र इकाई/केन्द्र/संस्थान को सहायता नहीं देती है।

मालेगांव विस्फोट कांड की जांच

879. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मालेगांव विस्फोट कांड की जांच का कार्य सी.बी.आई. को सौंपने का निर्णय लिया है जैसाकि दिनांक 23 दिसम्बर, 2006 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले को पुन: दर्ज करने से पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आवश्यक अधिसूचना को कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(ङ) जब तक सी.बी.आई. जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई की स्थिति क्या होगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने मालेगांव विस्फोट कांड की जांच करने का कार्य सी.बी.आई. को सौंपने का निर्णय लिया है। सी.बी.आई. को जांच के लिए किसी मामले को भेजना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ग) और (घ) इस संबंध में अपेक्षित सूचना पहले ही जारी कर दी गई है और मामले के दस्तावेज सी.बी.आई. को 21-02-2007 को सौंप दिए गए हैं।

(ङ) इस मामले की चार्जशीट सी.सी. संख्या 23/2006 महाराष्ट्र सरकार की आतंकरोधी स्क्वैड द्वारा 21-12-2006 को विशेष मौका अदालत, मुम्बई में नौ गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी। सी.बी.आई. ने इस मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

छोटे राज्यों का सृजन

880. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रशासन की बेहतरी, कानून और व्यवस्था की स्थिति की देखरेख, जातीय और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण आदि के लिए उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड जैसे छोटे राज्यों को बनाने की अवधारणा से सहमत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कर्नाटक में से अलग राज्य के सृजन के लिए कोई मांगें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) सरकार नये राज्यों के सृजन के मामले के संबंध में कोई भी निर्णय सभी संगत कारकों पर विचार करने के पश्चात् लेती है। संविधान के अनुच्छेद 3 में नये राज्यों के सृजन के लिए कानून अधिनियमित करने की व्यवस्था है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

निर्यात ऋण गारंटी योजना

881. श्री अवतार सिंह भड़ाना: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक निर्यात के लिए स्वीकृत सीमाओं से अधिक वित्तपोषण नहीं कर रहे हैं जबकि बैंक निर्यात ऋण गारंटी योजना के दायरे में आते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा छोटी फार्मा इकाइयों को वित्तीय सहायता के अभाव में निर्यात के बहुत से मामलों पर विचार नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. (ई.सी.जी.सी.) उन वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्यात ऋण गारंटी कवर प्रदान करता है जो भारतीय निर्यातकों को पोत लदान पूर्व तथा पोत लदान के पश्चात् स्तर पर कार्यशील पूंजीगत वित्त प्रदान करते हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पोत लदान पूर्व एवं पोत लदान के बाद निर्यात ऋण सुविधाओं की मंजूरी उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं एवं आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार दी जाती है। निर्यात ऋण गारंटियों का लाभ उठाना पूर्ण रूप से बैंक का निर्णय होता है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों समेत ऐसे अनेक वाणिज्यिक

बैंक हैं जो अपने निर्यात खातों हेतु निर्यात ऋण गारंटी कवर का लाभ नहीं उठाते। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित कोई विशिष्ट मामला जानकारी में नहीं आया है जिसमें ई.सी.जी.सी. स्कीम द्वारा स्वीकृत सीमाओं से अधिक निर्यातों का वित्तपोषण न किया गया हो।

व्यावसायिक शिक्षा

882. श्री मोहन रावले: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसोचैम द्वारा हाल के अध्ययन द्वारा यह बात उजागर की गई है कि भारत व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में शेष विश्व से बहुत पीछे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एसोचैम द्वारा अन्य क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) व्यावसायिक पाठ्यक्रम को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) एसोचैम द्वारा दिनांक 26-1-2007 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 15-25 आयु वर्ग की जनसंख्या में से भारत में केवल 2 प्रतिशत छात्र प्रत्येक वर्ष व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण में नामांकित किए जाते हैं जबकि यूरोप में 80 प्रतिशत छात्र तथा मलेशिया, कोरिया और ताईवान जैसे पूर्वी एशियाई राष्ट्रों में 60 प्रतिशत छात्र नामांकित किए जाते हैं। विज्ञप्ति में यह सुझाव दिया गया है कि भारत को परम्परागत शैक्षिक केन्द्र स्थापित करने पर बल देने के बजाय व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाएं स्थापित करने की आवश्यकता है।

(ग) वर्तमान व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को संशोधित/अद्यतन/प्रतिस्थापित किया जाता है और नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम अर्थव्यवस्था में महसूस की गई जरूरतों के आधार पर शामिल किए जाते हैं।

अपहरण के संबंध में सी.बी.आई. रिपोर्ट

883. श्री रघुनाथ झा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) की रिपोर्ट के अनुसार देशभर में फिरौती के लिए अपहरण करने में 714 गिरोह संलिप्त थे, वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग लड़कियों के अपहरण में माहिर 87 समूह थे और बच्चों का अपहरण करने और उन्हें भिखारी बनाने में 47 गिरोह संलिप्त थे;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सभी गिरोहों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सी.बी.आई. द्वारा पहचाने गए गिरोहों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) दिल्ली और एन.सी.आर. क्षेत्र में सक्रिय गिरोहों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने बच्चों का अपहरण किया गया और इनमें से कितने बच्चों को बचाया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) की रिपोर्ट के अनुसार, 4289 सदस्यों वाले 714 गिरोह फिरौती के लिए अपहरण करने में संलिप्त थे; 359 सदस्यों वाले 87 गिरोह वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों और महिलाओं के अपहरण में संलिप्त थे और 57 सदस्यों वाले 14 गिरोह भिक्षावृत्ति करवाने के लिए छोटे बच्चों का अपहरण करने में संलिप्त थे।

(ख) सी.बी.आई. द्वारा पहचान किए गए सभी ऐसे राज्य वार गिरोहों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं, इसलिए अपराध की रोकथाम करने, उसका पता लगाने, उसे दर्ज करने, उसकी जांच-पड़ताल करने और उसके अभियोजन की जिम्मेवारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को अपराध न्याय प्रणाली में सुधारने के लिए और ज्यादा ध्यान केन्द्रित करने, समाज के सभी कमजोर वर्गों के प्रति अपराधों की रोकथाम करने के लिए यथावश्यक उपाय करने के लिए समय-समय पर सलाह जारी करती है। केन्द्र सरकार भी राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु, अपराधों के नियंत्रण और लोक व्यवस्था को बनाए रखने में उनकी क्षमताओं में वृद्धि करने की दृष्टि से राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना के तहत हथियार, संचार उपकरण, गतिशीलता, प्रशिक्षण और अन्य आधारभूत ढांचे के रूप में, वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है।

(ग) संकलित सूचना के अनुसार, 337 सदस्यों वाले 92 गिरोह दिल्ली में फिरौती के लिए अपहरण करने में संलिप्त थे; 34 सदस्यों वाले 15 गिरोह दिल्ली में वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों/महिलाओं के अपहरण में संलिप्त थे और 4 सदस्यों वाला एक गिरोह दिल्ली में भिक्षावृत्ति के लिए छोटे बच्चों का अपहरण करने में संलिप्त था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए केन्द्रीय रूप से अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

फिरौती के लिए अपहरण करने, वेश्यावृत्ति के लिए छोटी बालिकाओं का अपहरण करने और भिक्षावृत्ति हेतु बच्चों का अपहरण करने में संलिप्त गिरोहों के ब्यौरे

फिरौती

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र/बड़े शहर	गिरोहों की कुल संख्या	सदस्यों की कुल संख्या	अभियोजन शुरू किया गया
1.	असम	38	231	231
2.	बंगलौर	2	16	16
3.	बिहार	365	1,889	1,878
4.	चैन्ने	11	88	88
5.	दिल्ली	92	337	337
6.	गुजरात	55	384	281
7.	हरियाणा	3	45	26
8.	हैदराबाद	3	42	42
9.	झारखण्ड	2	95	95
10.	मणिपुर	1	7	7
11.	महाराष्ट्र	9	40	33
12.	मेघालय	1	3	3
13.	मुम्बई	2	12	12
14.	पंजाब	3	12	12
15.	राजस्थान	2	15	15
16.	तमिलनाडु	2	78	78
17.	त्रिपुरा	73	530	530
18.	उत्तर प्रदेश	42	433	309
19.	पश्चिम बंगाल	8	32	27
	कुल	714	4,289	4,020

वेश्यावृत्ति

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र/बड़े शहर	गिरोहों की कुल संख्या	सदस्यों की कुल संख्या	अभियोजन शुरू किया गया
1.	अहमदाबाद शहर	2	30	30
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	6	6
3.	आन्ध्र प्रदेश	4	10	10
4.	अरुणाचल प्रदेश	2	7	7
5.	असम	25	104	104
6.	साइबराबाद	1	7	7
7.	दिल्ली	15	34	34
8.	हरियाणा	1	3	3
9.	जम्मू-कश्मीर	1	4	4
10.	कर्नाटक	1	2	2
11.	केरल	1	4	4
12.	मेघालय	1	5	5
13.	तमिलनाडु	1	2	2
14.	कोलकाता	1	4	4
15.	मध्य प्रदेश	6	27	27
16.	महाराष्ट्र	12	67	67
17.	मुम्बई	11	39	39
18.	राजस्थान	1	4	4
	कुल	87	359	359

भिक्षावृत्ति

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित/ क्षेत्र/बड़े शहर	गिरोहों की कुल संख्या	सदस्यों की कुल संख्या	अभियोजन शुरू किया गया
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली	1	4	4

1	2	3	4	5
2.	मध्य प्रदेश	1	6	6
3.	महाराष्ट्र	1	4	4
4.	मुम्बई	1	3	3
5.	उड़ीसा	5	23	23
6.	पंजाब	2	10	10
7.	अहमदाबाद	2	4	4
8.	सूरत शहर	1	3	3
	कुल	14	57	57

[हिन्दी]

आतंकवादियों द्वारा जवानों के परिवारों को निशाना बनाया जाना

884. श्री एम. अंजनकुमार यादव:

श्री हरिसिंह चावड़ा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुरक्षा और पुलिस बलों के परिवारों को आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आतंकवादियों द्वारा राज्य-वार जवानों के परिवारों के कुल कितने सदस्यों को मारा गया है;

(ग) क्या सरकार को कश्मीर घाटी की जनता से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि आतंकवादी उन पर खाना और रहने का स्थान देने के लिए दबाव डालते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जम्मू-कश्मीर की जनता को आतंकवादियों द्वारा अपनाए गए दबाव के तरीकों से बचाने के लिए कोई रणनीति बनाई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार जम्मू और कश्मीर के सुदूर क्षेत्रों में रह रहे स्थानीय पुलिस, सी.आर.पी.एफ., बी.एस.एफ. परिवारों के विगत तीन वर्षों के दौरान मारे गए और घायल हुए सदस्यों का ब्यौरा निम्नवत है:-

वर्ष	घायल	मृत
2004	09	28
2005	18	21
2006	08	12
कुल	35	61

(ग) और (घ) घाटी के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आतंकवादियों की यह युक्ति रही है कि वे रात्रि के दौरान आवासीय घरों में जबरन घुस कर खाना तथा आश्रय मांगते हैं। आतंकवादी ग्रुपों की उपस्थिति के बारे में सूचना मिलते ही सुरक्षाबल उस क्षेत्र को घेर लेते हैं और कार्यवाही शुरू कर देते हैं।

(ङ) से (छ) सरकार एक आतंकवादरोधी रणनीति अपना रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ घुसपैठ रोधी एकीकृत गतिशील कार्यवाही, हींटरलैंड में आतंकवादियों के खिलाफ निरंतर कार्यवाही करना और स्थानीय जनता का दिल और मन जितना शामील है। सुरक्षा और आसूचना एजेंसियां राज्य में हिंसा का स्तर नियंत्रित रहे यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार अपनी रणनीति और युक्तियों की समीक्षा करती है। जवानों और उनके

परिवारों की सुरक्षा करने के लिए सभी केंटोनमेंट, ग्रुप सेंटरों और ग्रुपों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध प्रदान किए जाते हैं।

मध्य प्रदेश में हथकरघा क्षेत्र का विकास

885. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस प्रस्ताव को सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) हथकरघा क्षेत्र के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार सहित सभी राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाना निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। दिशा-निदेशों के अनुरूप प्राप्त प्रस्तावों को उनकी गुणावगुण के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। अन्य प्रस्तावों को संबंधित राज्य सरकारों को वापस भेज दिया जाता है। अत: वित्तीय वर्ष अर्थात 2005-06 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार को 89.75 लाख रुपये की राशि अवमुक्त की गई थी।

खनिजों का नियमित परीक्षण

886. श्री पुन्नु लाल मोहले: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य में खनिजों के नियमित निरीक्षण के लिए विशेष अभियान चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, विभिन्न राज्यों में खनिजों के नियमित निरीक्षण के लिए विशेष अभियान चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, खान तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 24 (1) के अंतर्गत भारतीय खान ब्यूरो खानों का नियमित निरीक्षण करता है जिसमें खनिजों के संरक्षण, खनिजों का क्रमबद्ध विकास तथा पर्यावरण की सुरक्षा पर जोर दिया जाता है।

[अनुवाद]

एफ.डी.आई.

887. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006-07 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) के 11 बिलियन डालर के पार कर जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में इसी अवधि के आंकड़ों के साथ क्षेत्र-वार तथा उद्योग-वार तुलना किस प्रकार की जा सकती है; और

(ग) एक संतुलित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इक्विटी पूंजी में होने वाले विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के अंतर्वाह निम्न प्रकार हैं:-

वर्ष	इक्विटी पूंजी अंतर्वाह (बिलियन अमेरिकी डालर)
2003-04	2.22
2004-05	3.22
2005-06	5.55
2006-07 (दिसंबर, 2006 तक)	9.23

अप्रैल, 2003 से दिसंबर, 2006 के दौरान वर्षवार एफ.डी.आई. अंतर्वाह का क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) देश में संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से, सरकार ने घरेलू और विदेशी निवेशकों, दोनों को ही रियायतों की पेशकश की है, जो उत्पाद शुल्क में छूट, आयकर में छूट तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों में औद्योगिक कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए निवेश राजसहायता के रूप में प्रदान की जाती हैं। औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों सहित-भीतरी प्रदेशों तथा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सरकार की प्राथमिकता है।

विवरण

अप्रैल, 2003 से दिसम्बर, 2006 तक वित्तीय वर्ष-वार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह

(राशि मिलियन में)

क्र. सं.	क्षेत्र	2003-04 अप्रैल-मार्च		2004-05 अप्रैल-मार्च		2005-06 अप्रैल-मार्च		2006-07 अप्रैल-दिसम्बर		कुल	
		विदेशी प्रत्यक्ष निवेश रुपये में	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अमरीकी डालर में	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश रुपये में	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अमरीकी डालर में	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश रुपये में	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अमरीकी डालर में	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश रुपये में	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अमरीकी डालर में	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश रुपये में	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अमरीकी डालर में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	धातुकर्मी उद्योग	1,460.60	31.75	8,809.50	192.30	6,808.39	153.04	6,781.08	148.24	23,859.56	525.34
2.	ईंधन (विद्युत तथा तेल शोधनशाला)	5,209.42	113.25	7,590.04	166.43	4,157.06	93.52	8,723.06	191.96	25,679.59	565.15
3.	बॉयलर तथा भाप उत्पादन संयंत्र	1.97	0.04	23.40	0.54	0.00	0.00	149.85	3.25	175.22	3.83
4.	विद्युत के अलावा प्राईम मयूर	0.00	0.00	2.49	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	0.05
5.	विद्युत उपकरण (साफ्टवेयर तथा विद्युत सहित)	24,493.21	532.46	32,805.83	722.37	64,990.63	1,449.07	65,463.78	1,428.74	187,753.46	4,132.65
6.	दूरसंचार	5,319.54	115.64	5,884.06	128.75	30,234.63	678.60	22,166.77	490.24	63,604.99	1,413.23
7.	परिवहन उद्योग	14,171.34	308.07	8,150.97	178.70	9,829.92	222.04	16,773.41	367.83	48,925.64	1,076.65
8.	औद्योगिक मशीनरी	139.26	3.03	407.36	8.89	1,875.21	42.80	739.49	16.25	3,161.32	70.96
9.	मशीन औजार	2,507.48	54.51	507.27	11.04	1,002.51	23.00	1,567.84	34.28	5,585.10	122.83
10.	कृषि मशीनरी	1.09	0.02	0.10	0.00	4,159.70	92.71	1,145.23	25.19	5,306.12	117.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	अर्थमूविंग मशीनरी	0.54	0.01	4.69	0.10	2,313.00	50.87	45.79	0.99	2,364.02	51.97
12.	विविध मैकेनिकल और इंजीनियरिंग	1,000.65	21.75	567.26	12.34	2,262.07	51.26	2,303.36	50.04	6,133.34	135.40
13.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	409.57	8.90	624.62	14.12	1,114.14	25.54	207.20	4.55	2,355.54	53.12
14.	चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण	92.58	2.01	240.53	5.25	67.21	1.53	78.85	1.72	479.18	10.50
15.	औद्योगिक उपकरण	41.59	0.90	49.45	1.08	16.94	0.38	0.00	0.00	107.99	2.36
16.	वैज्ञानिक उपकरण	0.74	0.02	1.37	0.03	4.50	0.10	3.40	0.07	10.01	0.22
17.	उर्वरक	992.85	21.58	619.05	13.46	193.13	4.24	228.23	5.01	2,033.26	44.29
18.	रसायन (उर्वरकों के अतिरिक्त)	936.90	20.37	9,086.75	198.07	19,790.58	446.55	6,719.62	147.13	36,533.84	812 12
19.	फोटोग्राफी कच्ची फिल्म और कागज	13.55	0.29	276.16	6.30	0.00	0.00	126.03	2.72	415.73	9.31
20.	डाईस्टफ	20.00	0.43	54.20	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	74.20	1.61
21.	ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स	5,016.72	109.06	13,429.09	292.07	7,597.02	172.44	7,148.35	157.33	33,191.18	730.90
22.	वस्त्र (रंजित, मुद्रित सहित)	428.45	9.31	1,968.37	43.04	4,146.68	94.33	4,383.37	97.60	10,926.87	244.27
23.	कागज तथा लुग्दी कागज उत्पाद सहित	316.80	6.89	124.14	2.70	1,229.04	27.38	225.68	4.96	1,895.66	41.92
24.	चीनी	2.47	0.05	135.09	2.94	131.04	3.00	703.81	15.74	972.41	21.72
25.	किण्वन उद्योग	78.16	1.70	416.42	9.13	285.74	6.53	198.68	4.30	979.01	21.67
26.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	5,108.53	111.06	1,740.84	38.06	1,829.43	41.74	2,218.33	48.49	10,897.14	239.36
27.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	77.87	1.69	410.32	9.09	540.01	12.31	100.31	2.19	1,128.52	25.26

28.	साबुन, प्रसाधन तथा प्रसाधन सामग्री	0.00	0.00	40.95	0.89	3,884.87	88.51	17.60	0.39	3,943.42	89.79
29.	रबड़ उत्पाद	293.12	6.37	1,841.78	40.06	1,507.73	34.01	837.16	18.08	4,479.80	98.53
30.	चमड़ा, चमड़ा वस्तुएं तथा पिकर्स	321.81	7.00	20.26	0.44	48.88	1.11	351.44	7.71	742.40	16.26
31.	कांच	241.15	5.24	384.74	8.36	35.42	0.81	64.26	1.43	725.56	15.85
32.	सिरेमिक	67.82	1.47	1,230.86	26.79	250.25	5.59	1,985.78	44.48	3,534.71	78.33
33.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	440.40	9.57	7.30	0.16	19,698.17	452.08	9,520.07	209.62	29,665.93	671.43
34.	टिम्बर उत्पाद	5.00	0.11	3.12	0.07	4,656.42	106.85	0.00	0.00	4,664.54	107.03
35.	रक्षा उद्योग	0.00	0.00	2.37	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	0.05
36.	परामर्श सेवाएं	2,571.31	55.90	11,668.34	253.94	2,064.38	46.89	4,874.90	105.99	21,178.93	462.72
37.	सेवा क्षेत्र	12,352.73	268.54	21,055.34	470.62	25,650.44	581.37	173,285.77	3,820.32	232,344.28	5,140.85
38.	होटल तथा पर्यटन	2,268.03	49.31	1,688.49	37.01	3,155.94	71.78	7,532.12	165.64	14,644.58	323.73
39.	व्यापार	1,046.64	22.75	657.23	14.56	1,234.28	27.82	3,646.99	79.97	6,585.14	145.11
40.	विविध उद्योग	13,191.08	286.76	13,997.05	307.71	19,078.29	429.91	71.063.84	1,567.58	117,330.27	2,591.96
41.	शेयरों का अधिग्रहण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42.	अंतर्वाह अग्रिम	18,807.56	408.86	24,851.48	540.25	0.00	0.00	0.00	0.00	43,659.04	949.11
43.	स्टॉक विनिमय	1,725.00	37.50	0.00	0.00	283.71	6.45	0.00	0.00	2,008.71	43.95
	कुल योग	121,173.55	2,634.21	171,378.71	3,758.94	246,127.37	5,546.16	421,381.45	9,270.05	960,061.08	21,209.35

टिप्पण: 1. इस राशि में एस.आई.ए./एफ.आई.पी.बी. मार्ग के तहत प्राप्त अंतर्वाह मौजूदा सेवा का अधिग्रहण और आर.बी.आई. के स्वत: मार्ग से प्राप्त राशि शामिल है।

2. एफ.डी.आई. अनुमोदनों के प्रति ए.डी.आर./जी.डी.आर./एफ.सी.सी.बी. के जरिये अंतर्वाह को शामिल नहीं किया गया है।

3. अंतर्वाह में केवल 'इक्विटी पूंजी संघटक' शामिल है।

[हिन्दी]

न्यायालयिक प्रयोगशालाएं

888. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में न्यायालयिक प्रयोगशालाओं की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आज की तारीख के अनुसार देश में स्थापित न्यायालयिक प्रयोगशालाओं की राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में न्यायालयिक प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा और अधिक न्यायालयिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) गोवा, सिक्किम, पुडुचेरी, दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव और लक्षद्वीप को छोड़कर शेष सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं मौजूद हैं।

(ख) केन्द्र सरकार के स्तर पर

विधि विज्ञान निदेशालय के अधीन

- केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं-3

  (हैदराबाद, चंडीगढ़, कोलकाता में स्थित)

- प्रश्न गत दस्तावेजों के सरकारी परीक्षक-3

  (हैदराबाद, शिमला और कोलकाता में स्थित)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधीन

- केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला-1

  (नई दिल्ली में स्थित)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं-28
- क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं और जिला विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं-45

  मोबाइल विधि विज्ञान यूनिटें-316

  (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।)

(ग) और (घ) राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम के अन्तर्गत निधि, राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नई प्रयोगशालाएं स्थापित किए जाने सहित उपस्करों के प्रापण और प्रयोगशाला भवनों के निर्माण के लिए उपलब्ध कराई जाती है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य स्तर पर

मुख्य/क्षेत्रीय मोबाइल विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं

क्रम सं.	राज्य	मुख्य एफ.एस.एल.	क्षेत्रीय आर.एस.एल. की संख्या	मोबाइल यूनिटों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	6	27
2.	असम	1	शून्य	25
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	शून्य	शून्य
4.	अंडमान निकोबार	1 (मिनी) एफ.एस.एल.	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
5.	बिहार	1	1	शून्य
6.	छत्तीसगढ़	1	2	6
7.	दिल्ली	1	शून्य	10
8.	गुजरात	1	5	शून्य
9.	हरियाणा	1	2	11
10.	हिमाचल प्रदेश	1	शून्य	शून्य
11.	जम्मू-कश्मीर	1	1	14
12.	झारखण्ड	1	शून्य	शून्य
13.	कर्नाटक	1	4	17
14.	केरल	1	2	17
15.	महाराष्ट्र	1	4	11
16.	मध्य प्रदेश	1	3	38
17.	मणिपुर	1	शून्य	शून्य
18.	मिजोरम	1	शून्य	शून्य
19.	मेघालय	1	शून्य	2
20.	नागालैण्ड	1	शून्य	10
21.	उड़ीसा	1	2	19
22.	पंजाब	1	शून्य	शून्य
23.	राजस्थान	1	1	शून्य
24.	तमिलनाडु	1	9	35
25.	त्रिपुरा	1	शून्य	2
26.	उत्तर प्रदेश	1	1	70
27.	उत्तरांचल	1	शून्य	शून्य
28.	पश्चिम बंगाल	1	2	2
	जोड़	28	45	316

निजी सुरक्षा क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर

889. श्री रामजीलाल सुमन:

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान निजी सुरक्षा क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान उक्त क्षेत्र की औसत वृद्धि दर कितनी है;

(ग) क्या देश में उक्त क्षेत्र की वृद्धि की और संभावनाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो आगामी वर्षों में उक्त क्षेत्र की संभावित वृद्धि दर कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) चूंकि निजी सुरक्षा क्षेत्र की वृद्धि दर का कोई सुसंगत आकलन किसी भी एजेंसी द्वारा नहीं किया गया है इसलिए यह जानकारी सरकार के पास नहीं है।

(ग) और (घ) ऐसे किसी आकलन की उपस्थिति में यह निर्धारित करना संभव नहीं है।

राष्ट्रीय पहचान पत्र/स्मार्ट कार्ड

890. श्री महेश कनोडीया:

श्री अनन्त नायक:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सभी नागरिको को राष्ट्रीय पहचान पत्र/ स्मार्ट कार्ड प्रणाली जारी करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रणाली पर कार्य कब तक शुरू तथा समाप्त किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ग) भारत सरकार का देश के नागरिकों को बहु-उद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (स्मार्ट) पत्र एम.एन.आई.सी.) जारी करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट राष्ट्रीय पहचान संख्या (एन.आई.एन.) प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। तथापि, इसकी प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी, दोनों में निहित जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए 12 राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र के चुने हुए क्षेत्रों में 30.95 लाख की जनसंख्या पर एक पायलट परियोजना शुरू की गई है। पायलट परियोजना के तहत पहचान (स्मार्ट) पत्र 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के नागरिकों को जारी किए जाएंगे।

पहचान पत्र तैयार करने और वितरण करने का काम, सरकारी कंपनियों को दिया गया है। उनके द्वारा दी गई संशोधित समय सारणी के अनुसार, पहचान पत्रों के वितरण का काम जून, 2007 तक पूरा कर लिया जाएगा।

पायलट परियोजना से अर्जित अनुभव और सबक को ध्यान में रखने के बाद सरकार का इस योजना को पूरे देश में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

लापता बांग्लादेशी तथा अफगानी नागरिक

891. श्री प्रभुनाथ सिंह:

श्री अमिताभ नन्दी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में एक बड़ी संख्या में बांग्लादेशी तथा अफगानी नागरिक लापता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत-पाक शांति प्रक्रिया के एक भाग के रूप में किए गए विश्वास बहाली उपायों का लाभ उठाते हुए मोहाली (पंजाब) में एक क्रिकेट मैच के बाद 4,742 पाकिस्तानी नागरिक भी लापता हो गए हैं;

(घ) क्या देश में हो रही आतंकवादी गतिविधियों के पीछे इन लापता व्यक्तियों का हाथ है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा लापता विदेशी नागरिकों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, उन बांग्लादेशी राष्ट्रिकों की संख्या जो भारत आए और अपने वीजा की वैध अवधि के भीतर देश से बाहर नहीं निकले अर्थात् जो 31-12-2005 तक यहां ठहरे रहे उनकी संख्या 12,338 है। इसी प्रकार, उन अफगान राष्ट्रिकों की संख्या जो 31-12-2005 तक यहां ठहरे रहे, 11,845 है।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान। उपलब्ध सूचना के अनुसार, मार्च, 2005 के दौरान वाघा जांच चौकी से भारत आए उन

पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की संख्या 2754 है जिनके पास विशेष क्रिकेट वीजा थे और जो मोहाली में भारत-पाक क्रिकेट मैच को देखने के लिए 9 दिन के लिए वैध थे। उनमें से, 11 राष्ट्रिक पाकिस्तान वापिस नहीं गए। लापता हुए पाक क्रिकेट प्रशंसकों की आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ङ) भारत में अवैध रूप से ठहरे हुए विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें उनके देश वापिस भेजने के लिए, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) (ग) के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं। अवैध रूप से ठहरे हुए विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें उनके देश वापिस भेजने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर प्रशासनिक अनुदेश जारी किए जाते हैं।

[हिन्दी]

बाल शिक्षा की स्थिति

892. श्री रामदास आठवले:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान देश में 6-14 वर्ष की आयु समूह वाले स्कूली बच्चों के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जैसा कि शिक्षा की स्थिति संबंधी वार्षिक स्थिति रिपोर्ट में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्कूल जाने वाले कम उम्र के बच्चों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) 15 फरवरी, 2007 तक सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) की राज्य-वार व्यय स्थिति क्या है;

(च) क्या किस्तों के आवंटन के लिए एस.एस.ए. के अन्तर्गत उपयोग प्रमाणपत्र का लम्बित रहना एक समस्या है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दे पर नर्म होने के लिए वित्त मंत्री के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है;

(झ) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह गये बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कोई नीति बनाई है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ञ) सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्यान्वित किया जा रहा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। जुलाई-अक्तूबर, 2005 में एस.आर.आई.-आई.एम.आर.बी. द्वारा किए गए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार 6-14 आयु वर्ग में स्कूल बाह्य बच्चों की अनुमानित संख्या लगभग 1.34 करोड़ है। राज्य सरकारों की रिपोर्ट के अनुसार मार्च/अप्रैल 2006 में यह संख्या कम होकर 70 लाख तक आ गई है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान ऐसे बच्चों की जो अभी भी स्कूल बाह्य हैं, शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संदर्भ-विशिष्ट कार्यनीतियां कार्यान्वित कर रहा है।

वित्त मंत्रालय के कतिपय आदेशों के कारण अगस्त-सितम्बर, 2006 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निधियों की संस्वीकृति में परेशानी हुई थी, परंतु अक्तूबर, 2006 में इसका निदान कर लिया गया था। 19-2-2007 तक सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संस्वीकृत निधियों की स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

क्र सं.	राज्य	जुलाई-अक्तूबर, 2005 के एस.आर.आई.-आई.एम.आर.बी. सर्वेक्षण के अनुसार 6-13 आयु-वर्ग के स्कूल बाह्य बच्चे	राज्यों के आंकड़ों के अनुसार 6-14 आयु-वर्ग के स्कूल बाह्य बच्चे
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार	165	302

1	2	3	4
2.	आन्ध्र प्रदेश	542,665	359,829
3.	अरुणाचल प्रदेश	23,036	38,079
4.	असम	536,220	375,820
5.	बिहार	3,176,624	2,315,362
6.	चंडीगढ़	3,086	0
7.	छत्तीसगढ़	254,736	168,435
8.	दमन और दीव	6,134	147
9.	दिल्ली	84,424	85,402
10.	दादरा और नगर हवेली	0	0
11.	गोवा	1,155	0
12.	गुजरात	380,444	288,850
13.	हरियाणा	174,040	185,823
14.	हिमाचल प्रदेश	4,942	4,967
15.	झारखण्ड	620,945	112,396
16.	जम्मू-कश्मीर	4,777	366,498
17.	कर्नाटक	119,517	160,513
18.	केरल	23,242	18,398
19.	लक्षद्वीप	1,104	0
20.	मध्य प्रदेश	1,085,096	472,242
21.	महाराष्ट्र	529,295	151,083
22.	मणिपुर	67,515	69,005
23.	मेघालय	22,132	109,636
24.	मिजोरम	1,558	4,305
25.	नागालैण्ड	32,406	43,854
26.	उड़ीसा	332,615	603,261

1	2	3	4
27.	पाण्डिचेरी	583	1,724
28.	पंजाब	108,754	79,994
29.	राजस्थान	795,089	134,173
30.	सिक्किम	3,803	6,300
31.	तमिलनाडु	193,418	108,227
32.	त्रिपुरा	5,121	17,305
33.	उत्तर प्रदेश	2,995,208	104,087
34.	उत्तरांचल	116,680	5,612
35.	पश्चिम बंगाल	1,213,205	664,448
	संपूर्ण भारत	13,459,734	7,056,077

विवरण-II

वर्ष 2006-07 (19-2-2007 की स्थिति के अनुसार) के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जारी किए गए अनुदान

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि (रु. लाख में)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	43245.56
अरुणाचल प्रदेश	4109.92
असम	36418.35
बिहार	107744.39
छत्तीसगढ़	50182.20
गोवा	724.12
गुजरात	14806.97
हरियाणा	25647.12
हिमाचल प्रदेश	6250.75
जम्मू-कश्मीर	22083.37
झारखण्ड	51515
कर्नाटक	54206.98
केरल	4382.00
मध्य प्रदेश	110879.68
महाराष्ट्र	52158.56
मणिपुर	9.24
मेघालय	4294
मिजोरम	3441.69
नागालैण्ड	2315.2
उड़ीसा	44010.95
पंजाब	12879.92
राजस्थान	72809.82

1	2
तमिलनाडु	36329.65
त्रिपुरा	5330.01
उत्तर प्रदेश	206654.00
उत्तराखंड	16934.00
पश्चिम बंगाल	61736.80
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	419.62
चंडीगढ़	300
दिल्ली	2930.24
लक्षद्वीप	87.47
कुल	**1054837.58**
राष्ट्रीय घटक	1115.04
सकल जोड़	1055952.62

एन.ई.पी.ए.यू. द्वारा सर्वेक्षण

893.. श्री हेमलाल मुर्मू:

श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (एन.ई.पी.ए.यू.) द्वारा हाल में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि स्कूली शिक्षा के मद्देनजर बिहार 35वें तथा केरल पहले स्थान पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में देश के प्रत्येक राज्य की स्थिति क्या है;

(ग) इस संबंध में इस सर्वेक्षण में क्या मानदण्ड अपनाए गए; और

(घ) इस संबंध में अयोग्य पाये गए इन राज्यों को केन्द्रीय सहायता बंद करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) प्रारंभिक शिक्षा सभी को सुलभ कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये शैक्षिक विकास सूचकांक तैयार किया है। वर्ष 2005-06 के आंकड़ों के संबंध में शिक्षा के प्राथमिक और अपर-प्राथमिक स्तर के लिये समग्र सूचकांक से संबंधित राज्य-वार रैंक संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सुलभता, बुनियादी सुविधाएं, शिक्षक संबंधी संकेतकों और प्रारंभिक शिक्षा परिणामों जैसे चार व्यापक पैरामीटरों के आधार पर शैक्षिक विकास सूचकांक तैयार किया गया है।

(घ) प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से विशेष रूप से उन घटकों जिनमें राज्य बेहतर निष्पादन नहीं कर रहे हैं में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्षमता बढ़ाने संबंधी कार्य किये गये हैं।

विवरण

शिक्षा विकास सूचकांक - राज्य की रैंक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समग्र सूचकांक रैंक (प्राथमिक और अपर-प्राथमिक)
1	2
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	20
आन्ध्र प्रदेश	8
अरुणाचल प्रदेश	33
असम	30
बिहार	35
चण्डीगढ़	5
छत्तीसगढ़	22
दादरा व नगर हवेली	24
दमन व दीव	17
दिल्ली	2

1	2
गोवा	18
गुजरात	13
हरियाणा	23
हिमाचल प्रदेश	7
जम्मू-कश्मीर	16
झारखण्ड	34
कर्नाटक	6
केरल	1
लक्षद्वीप	10
मध्य प्रदेश	29
महाराष्ट्र	12
मणिपुर	21
मेघालय	26
मिजोरम	9
नागालैण्ड	27
उड़ीसा	28
पाण्डिचेरी	4
पंजाब	14
राजस्थान	19
सिक्किम	11
तमिलनाडु	3
त्रिपुरा	25
उत्तर प्रदेश	31
उत्तरांचल	15
पश्चिम बंगाल	32

अपराधों में दिल्ली पुलिसकर्मियों का संलिप्त होना

894. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री हम्मान मोल्लाह:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार/अपराधों के मामलों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान बलात्कार, अपहरण तथा जबरन वसूली सहित इस संबंध में रैंक-वार, अपराध-वार तथा पुलिस स्टेशन-वार दिल्ली पुलिस के कितने कार्मिकों को हिरासत में लिया गया है;

(ग) प्रत्येक कर्मचारी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसे मालमों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) वर्ष 2005 में दर्ज 59 आपराधिक और 27 भ्रष्टाचार मामलों की तुलना में वर्ष 2006 में दिल्ली पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध 84 आपराधिक और 27 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए जो वर्ष 2005 में दर्ज मामलों की तुलना में वर्ष 2006 में पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी को दर्शाता है। वर्ष 2004, 2005 और 2006 के दौरान भ्रष्टाचार, बलात्कार, धोखाधड़ी, चोरी, अपहरण, हत्या इत्यादि के आरोप के संबंध में गिरफ्तार किए गए दिल्ली पुलिस कार्मिकों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। आपराधिक और भ्रष्टाचार संबंधी गतिविधियों में संलिप्त पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में विभागीय कार्रवाई शुरू करना, पद से हटाने, बर्खास्तगी, निलंबन, गिरफ्तारी और कानून के अनुसार अभियोजन करना शामिल हैं।

(घ) दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार रोकने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं:- गश्त ड्यूटी और पुलिस पिकेटों में तैनात कार्मिकों की गतिविधियों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औचक जांच; संदिग्ध चरित्र वाले कार्मिकों पर निगरानी रखना; अपराधिक प्रवृत्ति के कार्मिकों का स्थानांतरण गैर-संवेदनशील पदों पर करना; आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए कार्मिकों के विरुद्ध कड़ी विधिक और विभागीय कार्यवाही करना; पुलिस कार्मिकों के अपराध संबंधी शिकायतों को सीधे ही संयुक्त पुलिस आयुक्त और उससे ऊंचे रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा निपटाया

जाना; पुलिस कार्मिकों पर पूरी नजर रखने के लिए जिलों/यूनिटों में जन-शिकायत सैलों की स्थापना करना; संवेदनशील पदधारित कार्मिकों की आपराधिक गतिविधियों की सतर्कता शाखा द्वारा निगरानी किया जाना; जिलों के पुलिस उपायुक्तों द्वारा शिकायत रजिस्टर रखा जाना; और आम जनता को ई-मेल के माध्यम से भ्रष्ट पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध शिकायत करने की सुविधा प्रदान करना।

विवरण

वर्ष 2004

(I) हत्या/हत्या के प्रयास

पुलिस थाना	ए.सी.पी.	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	ए.एस.आई.	एच.सी.	कांस्टेबल
नरेला	–	–	–	1	–	1
नांगलोई	–	–	–	1	–	–
महरोली	–	–	–	–	–	1
मयूर विहार	–	–	–	–	–	1

(II) जबरन धन उगाही/लूटपाट

पुलिस थाना	ए.सी.पी.	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	ए.एस.आई.	एच.सी.	कांस्टेबल
हौजखास	–	–	–	–	2	1

(III) धोखाधड़ी/चोरी

पुलिस थाना	ए.सी.पी.	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	ए.एस.आई.	एच.सी.	कांस्टेबल
समयपुर बादली	–	–	–	–	1	–
पश्चिम विहार	–	–	–	1	–	–
करोल बाग	–	–	–	–	–	1
लोधी कालोनी	–	–	–	–	–	1
विशेष सैल	–	–	–	1	–	–
न्यू फ्रेंड्स कालोनी	1	–	–	–	–	–

(IV) बलात्कार/छेड़छाड़

पुलिस थाना	ए.सी.पी.	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	ए.एस.आई.	एच.सी.	कांस्टेबल
डाबरी	–	–	–	–	1	–

पुलिस थाना	ए.सी.पी.	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	ए.एस.आई.	एच.सी.	कांस्टेबल
डिफेंस कालोनी	–	–	–	–	1	–
बवाना	–	–	–	–	–	1
विकासपुरी	–	–	–	–	–	3
सिविल लाइन	–	–	–	–	–	1
कोतवाली	–	–	–	–	–	1

(V) अपहरण

पुलिस थाना	ए.सी.पी.	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	ए.एस.आई.	एच.सी.	कांस्टेबल
अम्बेडकर नगर	–	–	–	–	–	–

(VI) घायल

पुलिस थाना	ए.सी.पी.	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	ए.एस.आई.	एच.सी.	कांस्टेबल
भजनपुरा	–	–	–	–	–	1
नजफगढ़	–	–	–	–	1	1
जफरपुर कलां	–	–	–	–	–	1
द्वारका	–	–	–	–	–	1
आदर्श नगर	–	–	–	–	–	1
मॉडल टाउन	–	–	–	–	–	1
प्रीत विहार	–	–	–	–	–	1
जनकपुरी	–	–	1	–	–	–

(VII) विविध भारतीय दंड संहिता

पुलिस थाना	ए.सी.पी.	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	ए.एस.आई.	एच.सी.	कांस्टेबल
शकरपुर	–	–	–	–	1	2
कश्मीरी गेट	–	–	–	–	–	1
चाणक्य पुरी	–	–	–	–	–	1

पुलिस थाना	ए.सी.पी.	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	ए.एस.आई.	एच.सी.	कांस्टेबल
रूप नगर	–	–	–	–	–	1
सिविल लाइन्स	–	–	1	–	2	1+1**
शाहदरा	–	–	1	–	–	–
केश्वपुरम	–	–	–	–	–	1
समयपुर बादली	–	–	1	–	–	–
तिलक मार्ग	–	–	–	–	1	–
रोहिणी	–	–	–	–	–	1
कालकाजी	–	–	–	–	–	1

**चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

(VIII) भ्रष्टाचार

पुलिस थाना	ए.सी.पी.	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	ए.एस.आई.	एच.सी.	कांस्टेबल
सी.बी.आई.	1	3	9	3	1	2
ए.सी.बी.आर.	–	–	4	5	4	12

वर्ष 2005

(I) हत्या/हत्या का प्रयास

पुलिस थाना	ए.सी.पी.	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	ए.एस.आई.	एच.सी.	कांस्टेबल
कंझावला	–	–	–	–	1	1
शाहदरा	–	–	1	1	–	1
न्यू उस्मानपुर	–	–	–	1	–	–
नरेला	–	–	–	–	–	1
शालीमार बाग	–	–	–	–	1	–

(II) जबरन धन उगाही/लूटपाट

पुलिस थाना	ए.सी.पी.	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	ए.एस.आई.	एच.सी.	कांस्टेबल
प्रशांत विहार	–	–	–	–	–	1

(III) धोखाधड़ी/चोरी

पुलिस थाना	ए.सी.पी.	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	ए.एस.आई.	एच.सी.	कांस्टेबल
शास्त्री पार्क मेट्रो	–	–	–	–	–	1
मुखर्जी नगर	–	–	–	–	–	1
सीलमपुर	–	–	–	–	–	1

(IV) बलात्कार/छेड़छाड़

पुलिस थाना	ए.सी.पी.	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	ए.एस.आई.	एच.सी.	कांस्टेबल
सराय रोहिल्ला (रेलवे)	–	–	–	–	–	1

(V) अपहरण

पुलिस थाना	ए.सी.पी.	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	ए.एस.आई.	एच.सी.	कांस्टेबल
–	–	–	–	–	–	–

(VI) घायल

पुलिस थाना	ए.सी.पी.	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	ए.एस.आई.	एच.सी.	कांस्टेबल
सरस्वती विहार	–	–	–	–	–	1
नंद नगरी	–	–	–	–	–	1
आदर्श नगर	–	–	–	–	–	1
मुखर्जी नगर	–	–	–	–	–	1
खजूरी खास	–	–	–	–	1	–

(VII) विविध

पुलिस थाना	ए.सी.पी.	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	ए.एस.आई.	एच.सी.	कांस्टेबल
विवेक विहार	–	–	–	–	1	–
कोतवाली	–	–	–	–	–	1

पुलिस थाना	ए.सी.पी.	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	ए.एस.आई.	एच.सी.	कांस्टेबल
हरि नगर	–	–	–	–	–	1
सब्जी मंडी	–	–	–	–	–	1
राजौरी गार्डन	–	–	–	–	–	1
जे.पी. कलां	–	–	1	–	–	1
प्रशांत विहार	–	1	–	–	–	–
भजनपुरा	–	–	–	–	–	1
सुल्तानपुरी	–	–	–	–	–	1
न्यू उस्मानपुर	–	–	–	–	–	1
महरौली	–	–	1	–	1	1
नंद नगरी	–	–	–	–	–	1
नारायणा	–	–	–	–	–	1
महिपालपुर	–	–	–	–	–	1
वेलकम	–	–	–	–	–	1

(VIII) भ्रष्टाचार

पुलिस थाना	ए.सी.पी.	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	ए.एस.आई.	एच.सी.	कांस्टेबल
सी.बी.आई.	–	1	6	–	–	1
ए.सी.बी.आर.	–	–	4	4	2	6
मानसरोवर पार्क	–	–	1	–	–	–

वर्ष 2006

(I) हत्या/हत्या के प्रयास

पुलिस थाना	ए.सी.पी.	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	ए.एस.आई.	एच.सी.	कांस्टेबल
तिलक नगर	–	–	–	–	–	1
वेलकम	–	–	–	–	–	1
नांगलोई	–	–	–	–	–	1+1**

**चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

(II) जबरन धन उगाही/लूटपाट

पुलिस थाना	ए.सी.पी.	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	ए.एस.आई.	एच.सी.	कांस्टेबल
–	–	–	–	–	–	–

(III) धोखाधड़ी/चोरी

पुलिस थाना	ए.सी.पी.	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	ए.एस.आई.	एच.सी.	कांस्टेबल
आई.जी.आई.ए.	–	–	–	–	1	–

(IV) बलात्कार/छोड़छाड़

पुलिस थाना	ए.सी.पी.	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	ए.एस.आई.	एच.सी.	कांस्टेबल
प्रशांत विहार	–	–	1	–	–	–
राजौरी गार्डन	–	–	1	–	–	–

(V) अपहरण

पुलिस थाना	ए.सी.पी.	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	ए.एस.आई.	एच.सी.	कांस्टेबल
–	–	–	–	–	1	–

(VI) घायल

पुलिस थाना	ए.सी.पी.	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	ए.एस.आई.	एच.सी.	कांस्टेबल
–	–	–	–	–	–	–

(VII) विविध भारतीय दंड संहिता

पुलिस थाना	ए.सी.पी.	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	ए.एस.आई.	एच.सी.	कांस्टेबल
बवाना	–	–	–	1	–	2
शकरपुर	–	–	–	–	–	1
डाबरी	–	–	–	–	–	1
रोहिणी	–	–	–	–	–	1

पुलिस थाना	ए.सी.पी.	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	ए.एस.आई.	एच.सी.	कांस्टेबल
मुखर्जी नगर	–	–	–	–	1	–
वसंत विहार	–	–	–	–	–	1
गोकुल पुरी	–	–	–	–	–	1
मोती नगर	–	–	–	–	–	1
जफरपुर कलां	–	–	–	1	–	–
आनंद पर्वत	–	–	–	–	1	–
नरेला	–	–	–	–	–	1
लोधी कालोनी	–	–	–	–	–	1
आई.जी.आई.ए.	–	–	1	–	–	1
पार्लियामेंट स्ट्रीट	–	–	–	–	–	1
गीता कालोनी	–	–	1	–	–	–
अलीपुर	–	1	–	–	–	–
प्रशांत विहार	–	–	1	–	–	–
कंझावला	–	–	–	–	–	1
नंद नगरी	–	–	–	–	–	1
न्यू उस्मानपुर	–	–	–	1	–	–
सरोजनी नगर	–	–	–	–	–	1
नजफगढ़	–	–	–	–	1	–
दरियागंड	–	–	–	–	1	–
आदर्श नगर	–	–	–	–	–	1
चाणक्यपुरी	–	–	–	–	2	–
मॉडल टाउन	–	–	–	–	–	1

(VIII) भ्रष्टाचार

पुलिस थाना	ए.सी.पी.	इंस्पेक्टर	सब-इंस्पेक्टर	ए.एस.आई.	एच.सी.	कांस्टेबल
सी.बी.आई.	1	1	2	3	2	1
ए.सी.बी.आर.	–	–	1	4	3	2

[अनुवाद]

स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन

895. श्री पी. करूणाकरन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार सहित राज्य सरकारों ने स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन (सी.एल.ए.एस.एस.) के सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता की मांग करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो केरल सहित राज्य-वार धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने देश में 1993-98 के दौरान स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए "स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन" स्कीम शुरू की थी तथा स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन की इस स्कीम को वर्ष 2001-02 में संशोधित किया था। स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन की संशोधित स्कीम तथा "शैक्षिक प्रौद्योगिकी" स्कीम को मिलाकर दिसम्बर, 2004 में स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की एक नई स्कीम शुरू की गई है। केरल सरकार सहित 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु इस विभाग से संपर्क किया है।

(ख) और (ग) स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी स्कीम शुरू किए जाने से अब तक 30 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी वित्तीय सहायता के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। केरल राज्य हेतु 625 लाख रु. की राशि संस्वीकृत की गई है तथा 312.50 लाख रु. की राशि जारी की गई है।

विवरण

स्कूलों की संख्या जिनके लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई वित्तीय संस्वीकृति, संस्वीकृत की गई राशि, जारी की गई राशि

क्र. सं.	संघ/राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित स्कूलों की संख्या	संस्वीकृत राशि (रु. लाख में)	पिछले वर्षों में खर्च न की गई शेष राशि का समायोजन (रु. लाख में)	जारी की गई राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6
1.	कर्नाटक	480	2400.00	–	1200.00
2.	नागालैण्ड	200	1206.00	–	762.80
3.	गोवा	230	1150.00	–	292.50
4.	सिक्किम	103	621.09	–	270.00
5.	दमन और दीव	15	75.00	8.70	25.00
6.	राजस्थान	100	500.00	446.74	53.26
7.	बिहार	180	900.00	225.00	–
8.	जम्मू-कश्मीर	140	844.20	90.00	–

1	2	3	4	5	6
9.	मध्य प्रदेश	230	1150.00	575.00	–
10.	पंजाब	200	1000.00	500.00	–
11.	उड़ीसा	200	1000.00	500.00	–
12.	अरुणाचल प्रदेश	154	928.62	19.50	444.81
13.	मिजोरम	60	306.18	–	150.00
14.	हरियाणा	100	500.00	19.50	480.50
15.	उत्तराखण्ड	25	150.75	–	75.00
16.	केरल	125	625.00	–	312.50
17.	तमिलनाडु	125	625.00	310.40	2.10
18.	पश्चिम बंगाल	200	1000.00	–	393.17
19.	आन्ध्र प्रदेश	200	1000.00	299.72	200.28
20.	छत्तीसगढ़	100	500.00	2.30	247.70
21.	गुजरात	150	750.00	11.25	–
22.	महाराष्ट्र	200	1000.00	337.50	–
23.	उत्तर प्रदेश	200	1000.00	500.00	–
24.	पांडिचेरी	25	125.00	12.80	34.47
25.	दिल्ली	75	375.00	134.60	40.53
26.	चंडीगढ़	20	100.00	14.80	35.20
27.	लक्षद्वीप	12	60.00	21.60	8.40
28.	दादर और नगर हवेली	6	30.00	6.56	–
29.	त्रिपुरा	125	753.75	–	376.88
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12	60.00	30.00	–
	कुल	3992	20735.59	4065.97	5405.10

बन्द किए गए उद्योग

896. श्री अब्दुल मन्नान हुसैन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में बन्द पड़े उद्योगों/फैक्ट्रियों का पुनरुद्धार करने तथा उन्हें पुन: खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन उद्योगों/फैक्ट्रियों का पुनरुद्धार करने/उन्हें पुन: खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) भारत सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशिष्ट उपबंध) अधिनियम, 1985 (एस.आई.सी.ए.) नामक विशेष कानून बनाया है जो रुग्णता तथा संभावित जीव्यक्षम एककों के पुनरूज्जीवन करने अथवा अजीव्यक्षम एककों के बन्द होने का निर्धारण करेगा। औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) एस.आई.सी.ए. के उपबंधों के तहत बोर्ड के साथ पंजीकृत रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरूज्जीवन पर विचार करता है।

बी.आई.एफ.आर. से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 01 जनवरी, 2004 से 31 दिसंबर, 2006 तक के दौरान बोर्ड के पास 697 मामले पंजीकृत किये गये थे। इसी अवधि के दौरान 129 मामलों की पुनरूज्जीवन के लिए सिफारिश की गई थी और 228 मामले पुनरूज्जीवित किये गये थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान पुनरूज्जीवित किये गये रुग्ण उद्योगों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

उद्योगों के विकास को सुविधाजनक बनाने तथा तेजी लाने के लिए नीतिगत व्यवस्था प्रदान करने के अलावा रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरुज्जीवन के लिए किये गये उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) की स्थापना करना तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को वित्तीय सहायता के लिए दिशा-निर्देश जारी करना; रुग्ण इकाइयों का स्वस्थ इकाइयों के साथ समामेलन करना शामिल है। बी.आई.एफ.आर. के पास पंजीकृत इकाइयों के पुनरूज्जीवन के लिए जहां कहीं संभव होता है, पुनर्वास योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी का पुन:निर्माण, प्रवर्त्तकों द्वारा नयी निधियों को लगाना, सार्वजनिक क्षेत्र के एककों के लिए सरकारी सहायता, अन्य कंपनियों के साथ विलय, वित्तीय संस्थानों, बैंकों तथा सरकार द्वारा बकाया देनदारी का पुन:निर्धारण करके छूट तथा रियायतों को प्रदान करना तथा प्रबंधन में परिवर्तन सम्मिलित है।

विवरण

दिनांक 01 जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर, 2006 के दौरान बी.आई.एफ.आर. द्वारा पुनरूज्जीवित किये गये मामलों की राज्य-वार सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	एककों की संख्या		
		2004	2005	2006
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	6	11
2.	असम	–	–	1
3.	छत्तीसगढ़	1	1	–
4.	दिल्ली	–	6	10
5.	गोवा	1	–	2
6.	गुजरात	3	6	11

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	3	1	3
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	2
9.	झारखण्ड	–	–	1
10.	कर्नाटक	2	5	9
11.	केरल	1	3	3
12.	मध्य प्रदेश	1	2	–
13.	महाराष्ट्र	5	21	22
14.	उड़ीसा	–	1	2
15.	पाण्डिचेरी	1	1	–
16.	पंजाब	1	4	7
17.	राजस्थान	2	4	3
18.	तमिलनाडु	2	6	19
19.	उत्तराखण्ड	1	–	3
20.	उत्तर प्रदेश	–	5	4
21.	पश्चिम बंगाल	2	4	10
	कुल	29	76	123

घरेलू नौकरानियों को प्रताड़ित तथा शोषित करना

897. श्री के.एस. राव: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तथा राष्ट्रीय महिला आयोग को प्लेसमेंट एजेन्सियों द्वारा प्रदत्त घरेलू नौकरानियों को प्रताड़ित तथा शोषित किए जाने के संबंध में कई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पंजीकृत प्लेसमेंट एजेन्सियों की संख्या कितनी है तथा लाइसेंस की निबंधन एवं शर्तों के मद्देनजर उनके कार्यकरण के अनुवीक्षण की क्या प्रणाली उपलब्ध है;

(घ) क्या सरकार का विचार निर्धारित मानदण्डों के अंतर्गत घरेलू नौकरानी/सहायक उपलब्ध कराने के लिए प्लेसमेंट एजेन्सियों के कार्य एवं कार्यकरण को नियंत्रित करने तथा साथ ही पुनर्वास की प्रणाली प्रदान करने, अनुवीक्षण अवसंरचना की स्थापना तथा पुलिस प्रमाणन को अनिवार्य बनाने के लिए प्रावधान तथा नौकरानी के रूप में नियुक्त लड़कियों के रिकार्ड रखने के लिए एक कानून बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) राष्ट्रीय महिला आयोग ने सूचित किया है कि आयोग के पास ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तथापि, आयोग ने नियोजन अभिकरणों (प्लेसमैंट एजेंसियों) द्वारा घरेलू नौकरानियों को नौकरी पर लगाने के मुद्दे का स्व-प्रेरणा से

संज्ञान लिया है और जनवरी 2007 में विभिन्न संबंधित लोगों के साथ एक प्रारम्भिक बैठक भी की है।

(घ) और (ङ) नियोजन अभिकरणों (प्लेसमैंट एजेंसियों) के कार्य और कार्य करने के तरीके को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने हेतु, आयोग संबंधित लोगों के साथ इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर रहा है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों में पूंजी निवेश

898. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान तथा चालू वर्ष में बंद किए गए लघु उद्योगों की राज्य-वार एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार (यूटी) संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार इन बंद किए गए उद्योगों मे कितनी पूंजी निवेश की गई तथा सभी लघु उद्योगों में कितनी पूंजी निवेश की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन बंद उद्योगों में नियोजित कर्मचारियों की राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(घ) लघु उद्योग क्षेत्र की सहायता हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनकी संख्या कितनी है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लघु उद्योगों को सरकार द्वारा दिए गए कुल अनुदान/राज सहायता का योजना-वार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कई योजनाओं की मौजूदगी के बावजूद सरकार लघु उद्योगों के बंद होने को रोक नहीं पा रही है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) लघु उद्योगों को वर्षवार बंद करने की सूचना का केन्द्रीय तौर पर अनुरक्षण नहीं किया जाता है। वर्ष 2001-02 के संदर्भ में लघु उद्योगों की तृतीय अखिल भारतीय गणना के परिणामों के अनुसार, 31-03-2001 तक पंजीकृत 22,62,401 लघु उद्योग इकाइयों में से 39 प्रतिशत (8,87,427) इकाइयों को बंद पाया गया था। इन बंद इकाइयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वितरण संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ख) और (ग) तृतीय अखिल भारतीय गणना के परिणामों के आधार पर वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान सभी लघु उद्योगों द्वारा किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निर्धारित निवेश की हमारी अनुमानित राशि (अद्यतन रूप से उपलब्ध) संलग्न विवरण-II में दी गई है। बंद किए गए लघु उद्योगों में निवेशित पूंजी तथा नियोजित व्यक्तियों से सम्बन्धित सूचना का केन्द्रीय तौर पर अनुरक्षण नहीं किया जाता है।

(घ) और (ङ) लघु उद्योगों का संवर्धन तथा विकास मुख्यत: राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। इस सम्बन्ध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देने और उनके प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार लघु उद्योगों के संवर्धन तथा विकास हेतु अनेक योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित करती है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं:- (i) मुख्यत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/संस्थाओं के माध्यम से ऋण की उपलब्धता को सुकर बनाना, (ii) (क) प्रौद्योगिकी उन्नयन, (ख) विपणन, (ग) एकीकृत आधारभूत संरचना विकास, (घ) क्लस्टरों का व्यापक आवश्यकता आधारित विकास, के लिए सहायता, और (iii) उद्यमिता विकास।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के संवर्धन तथा विकास को सुकर बनाने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया है। यह अधिनियम 2 अक्तूबर, 2006 से प्रभावी हुआ है।

लघु उद्योग की प्रौन्नति तथा विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा विशिष्ट योजनाओं के तहत प्रदत्त सहायता के अतिरिक्त, विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र लघु उद्योग को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता अथवा सब्सिडी प्रदान की जाती है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना के तहत विनिर्दिष्ट उप-क्षेत्रों/उत्पादों में सुस्थापित तथा सुधरी हुई प्रौद्योगिकी को समाहित करने के लिए 100 लाख

रुपये तक संस्थागत वित्त पर 15 प्रतिशत अपफ्रंट पूंजीगत सब्सिडी;

(ii) अधिकतम 75,000/-रुपये के अधीन लागत की 75% सीमा तक आई.एस.ओ. 9000/14001 (अथवा इसके समकक्ष) प्रमाणन हासिल करने हेतु प्रभारों की प्रतिपूर्ति;

(iii) लघु उद्योगों के लिए पर्फारमेन्स एवं क्रेडिट रेटिंग स्कीम के तहत अधिकतम 40,000 रुपये के अधीन 75 प्रतिशत तक लघु उद्योगों से रेटिंग एजेंसियों द्वारा वसूल किए जाने वाले प्रभारों को सस्ता बनाना।

(iv) लघु उद्योग निर्यातकों के लिए विपणन विकास सहायता (एम.डी.ए.) योजना के तहत लघु उद्योग इकाइयों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें ये शामिल हैं:-

1. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए वैयक्तिक निर्यातकों को आने-जाने के हवाई भाड़े की लागत के 90% तक प्रतिपूर्ति;

2. किसी वित्तीय वर्ष में 15,000/-रुपये तक सीमित ओवरसीज प्रचार सामग्री के उत्पादन की लागत के 25 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता;

3. विशिष्ट बाजार अध्ययन आरंभ करने और पाटन रोधी मामलों को आरंभ करने/निपटाने के लिए 2 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता, कुल लागत के 50 प्रतिशत तक सीमित अथवा एक लाख रुपए, जो भी कम हो; और

4. बार कोडिन्ग पंजीकरण प्राप्त करने के लिए लघु उद्योग इकाइयों द्वारा प्रदत्त एककालिक पंजीकरण फीस के 75% की प्रतिपूर्ति।

केन्द्र सरकार द्वारा लघु उद्योगों को प्रदत्त अनुदानों/सब्सिडी का योजनावार तथा राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार ब्यौरे का केन्द्रीय तौर पर अनुरक्षण नहीं किया जाता है।

(च) से (ज) इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप लघु उद्योग क्षेत्र ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन तथा निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देना जारी रखना है और समूचे औद्योगिक क्षेत्र की अपेक्षा लगातार उच्चतर विकास दरें दर्ज कर रहा है।

विवरण-I

पंजीकृत लघु उद्योगों की तृतीय अखिल भारतीय जनगणना 2001-02 के अनुसार बंद की गई लघु उद्योग इकाइयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बंद इकाइयों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	38582
2.	अरुणाचल प्रदेश	248
3.	असम	10338
4.	बिहार	20525
5.	छत्तीसगढ़	27830
6.	गोवा	2327
7.	गुजरात	39159
8.	हरियाणा	27546
9.	हिमाचल प्रदेश	6509
10.	जम्मू-कश्मीर	22709
11.	झारखण्ड	13822
12.	कर्नाटक	46611
13.	केरल	74832
14.	मध्य प्रदेश	65649
15.	महाराष्ट्र	54243
16.	मणिपुर	1226
17.	मेघालय	1908
18.	मिजोरम	1313
19.	नागालैण्ड	129
20.	उड़ीसा	9708

1	2	3
21.	पंजाब	82731
22.	राजस्थान	36847
23.	सिक्किम	155
24.	तमिलनाडु	127185
25.	त्रिपुरा	1077
26.	उत्तर प्रदेश	122282
27.	उत्तरांचल	12100
28.	पश्चिम बंगाल	26080
	राज्य-जोड़	**833671**

1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	515
2.	चंडीगढ़	1405
3.	दादर एवं नगर हवेली	423
4.	दमन एवं द्वीव	454
5.	दिल्ली	8357
6.	लक्षद्वीप	16
7.	पांडिचेरी	2586
	संघ राज्य-जोड़	**13756**
	अखिल भारतीय-जोड़	8,87,427

विवरण-II

वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान लघु उद्योगों द्वारा किए गए अनुमानित निर्धारित निवेश (अद्यतन रूप से उपलब्ध) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्धारित निवेश (रुपये करोड़ में)		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
01.	जम्मू-कश्मीर	1421	1496	1577
02.	हिमाचल प्रदेश	790	795	826
03.	पंजाब	12398	12697	12966
04.	चण्डीगढ़	537	563	582
05.	उत्तरांचल	1619	1697	1795
06.	हरियाणा	8285	8446	8586
07.	दिल्ली	7361	7587	7782
08.	राजस्थान	7388	7829	8308
09.	उत्तर प्रदेश	19530	20792	22212

1	2	3	4	5
10.	बिहार	2960	3089	3224
11.	सिक्किम	12	13	13
12.	अरुणाचल प्रदेश	33	34	37
13.	नागालैण्ड	336	379	459
14.	मणिपुर	389	404	417
15.	मिजोरम	132	140	149
16.	त्रिपुरा	345	329	333
17.	मेघालय	154	164	176
18.	असम	1227	1287	1364
19.	पश्चिम बंगाल	6008	6210	6411
20.	झारखण्ड	664	696	734
21.	उड़ीसा	2114	2126	2211
22.	छत्तीसगढ़	2172	2239	2317
23.	मध्य प्रदेश	3828	4037	4244
24.	गुजरात	12283	13058	13804
25.	दमन एवं द्वीव	2740	3089	3576
26.	दादर एवं नगर हवेली			
27.	महाराष्ट्र	30998	34260	36386
28.	आन्ध्र प्रदेश	13178	13614	14019
29.	कर्नाटक	9256	9724	10241
30.	गोवा	705	729	777
31.	लक्षद्वीप	10	11	12
32.	केरल	7689	7039	7172
33.	तमिलनाडु	13005	13440	14662
34.	पाण्डिचेरी	604	636	685
35.	अंडमान एवं निकोबार	49	51	55
	अखिल भारतीय	170219	178699	188113

[अनुवाद]

कार उद्योग

899. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले कुछ वर्षों से कार उद्योग का विस्तार हो रहा है तथा उत्पादन बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सड़कों पर भारी भीड़-भाड़ के कारण कुछ वर्षों के लिए कार उत्पादन रोकने अथवा उत्पादन क्षमता पर लगाम लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी हां। पिछले पांच वर्षों के दौरान ऑटोमोटिव उद्योग के सवारी वाहन खण्ड में संख्या के रूप में 15% की औसत वृद्धि दर प्रदर्शित हुई है।

(ख) जी, नहीं। कारों का विनिर्माण औद्योगिक लाइसेंसिंग से मुक्त है और क्षमता विस्तार के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय शिक्षा मेला

900. श्री अबु अयीश मंडल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में 'शिक्षा मेले' आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) जनवरी 2007 के दौरान आयोजित 'भारतीय शिक्षा मेले' को आयोजित करने पर सरकार को मिली प्रशंसा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों के इन मेलों से विभिन्न संस्थानों के लिए उम्मीदवार भर्ती करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2007 में ऐसे किसी 'भारत शिक्षा मेले' का आयोजन नहीं किया गया है।

(घ) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा की स्थिति

901. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की स्थिति की रैंकिंग तैयार की थी जैसा कि दिनांक 5 जनवरी 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा रैंकिंग की बैलेंसशीट में सबसे नीचे कौन-कौन से राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र हैं; और

(घ) इन राज्यों की रैंकिंग ऊपर लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा के मुख्य मानदण्डों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रैंकिंग करने हेतु एक शैक्षिक विकास सूचकांक तैयार किया गया है। वर्ष 2005-06 के आंकड़ों के अनुसार, शिक्षा के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के समेकित सूचकांक पर राज्यवार रैंकिंग संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) वर्ष 2005-06 के शैक्षिक विकास सूचकांक में सबसे नीचे के चार राज्य प्रारंभिक स्तर पर बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल हैं तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश हैं।

(घ) सर्व शिक्षा अभियान के तहत इन राज्यों को निधियों के आवंटन में प्राथमिकता दी जाती है इसके अलावा प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं के माध्यम से इन राज्यों का विशेष रूप से उन घटकों, जिनमें इन राज्यों का निष्पादन अच्छा नहीं है, के संबंध में क्षमता निर्माण शुरू किया गया है।

विवरण

शैक्षिक विकास सूचकांक राज्यों की रैंकिंग

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समेकित रैंकिंग सूचकांक (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक)
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20
आन्ध्र प्रदेश	8
अरुणाचल प्रदेश	33
असम	30
बिहार	35
चंडीगढ़	5
छत्तीसगढ़	22
दादरा और नगर हवेली	24
दमन और द्वीव	17
दिल्ली	2
गोवा	18
गुजरात	13
हरियाणा	23
हिमाचल प्रदेश	7
जम्मू-कश्मीर	16
झारखण्ड	34
कर्नाटक	6
केरल	1
लक्षद्वीप	10
मध्य प्रदेश	29
महाराष्ट्र	12
मणिपुर	21
मेघालय	26
मिजोरम	9
नागालैण्ड	27
उड़ीसा	28
पाण्डिचेरी	4
पंजाब	14
राजस्थान	19
सिक्किम	11
तमिलनाडु	3
त्रिपुरा	25
उत्तर प्रदेश	31
उत्तराखंड	15
पश्चिम बंगाल	32

विदेशी विश्वविद्यालय

902. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नवम्बर, 2006 में हुए भारतीय आर्थिक सम्मेलन के दौरान विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कार्य करने की अनुमति देने के लिए एक विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने शैक्षिक संस्थानों, अस्पतालों आदि सहित विभिन्न संगठनों में एच.आई.वी./एड्स/टी.बी. रोगियों को भेद-भाव से बचाने के लिए एक विधेयक लाने की भी घोषणा की है;

(ग) यदि हां, तो इसमें अन्य किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई तथा उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) इन विधेयकों के कब तक लाये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) सरकार भारत

में विदेशी विश्वविद्यालयों को चलाये जाने के संबंध में कानून बनाने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(ख) सरकार द्वारा प्रस्तावित मसौदा एच.आई.वी./एड्स विधेयक पर विभिन्न राज्य सरकारों तथा एजेंसियों के साथ परामर्श किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रस्तावित कानून अभी विचार किये जाने के प्रारंभिक चरण में हैं और, इसलिए इनमें शामिल किये जाने वाले मुद्दों के ब्यौरे अथवा विधेयकों को पेश किये जाने के संभावित समय के बारे में जानकारी अभी नहीं दी जा सकती।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी समिति

903. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

डा. चिन्ता मोहन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) उक्त समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और आज तक कुल कितनी बैठकें हुई हैं; और

(घ) उक्त समिति द्वारा रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) ऐसी कोई समिति सरकार द्वारा गठित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

अंगोरा ऊन के लिए एकीकृत विकास कार्यक्रम

904. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंगोरा ऊन के लिए कोई "एकीकृत विकास कार्यक्रम" शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में ऊन के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निजी प्रजनन फर्मों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर एकीकृत ऊन सुधार कार्यक्रम के अधीन "अंगोरा ऊन विकास परियोजना" कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) अंगोरा विकास परियोजना सतत आजीविका विकल्प के रूप में अंगोरा का विकास संवर्धित करने तथा किसानों के लिए अंगोरा से मूल्यवर्धन बढ़ाने के लिए शुरू की गयी थी। इस परियोजना में जर्म प्लाज्म केन्द्रों की स्थापना, सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना, परियोजना विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करना, डिजायन विकास एवं उत्पाद विविधीकरण, वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम द्वारा उत्पादन एककों एवं स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा खरगोश पालन, ऊन उत्पादन तथा घरेलू स्तर पर प्रसंस्करण क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना एवं कच्ची अंगोरा ऊन, ऊन मिश्रित यार्न तथा परिष्कृत उत्पादों के कार्यक्रम का विपणन करना शामिल है। इस परियोजना के तहत वर्ष 2000-01 से अब तक 327 अभिज्ञात परिवारों को लाभ प्रदान किया गया है।

(ग) इस परियोजना में विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को ग्रेडिंग, कार्डिंग एवं ऊन के मिश्रण में प्रशिक्षण देने के लिए एक सामान्य सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.) की स्थापना की परिकल्पना है। इस सुविधा का ऊन उत्पादकों द्वारा इन क्षेत्रों में उनके उत्पाद के प्रसंस्करण के लिए भी उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक केन्द्र को 25% सहायता अर्थात प्रत्येक सामान्य सुविधा केन्द्र को 3 लाख रु. प्रदान करने का प्रस्ताव है। ऐसे सामान्य सुविधा केन्द्र का निर्माण गैर सरकारी संगठन एवं निजी प्रजनक के लिए खुला है।

नवोदय विद्यालयों के अध्यापकों को पेंशन

905. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नवोदय विद्यालयों के अध्यापकों के लिए पेंशनकारी योजना शुरू करने हेतु अध्यापक संगठन से एक प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने नवोदय विद्यालय समिति में पेंशन स्कीम शुरू करने की पहले जांच की थी लेकिन इसे उचित नहीं पाया गया।

उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना

906. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च शिक्षा क्षेत्र के सामने आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए एक उच्च शिक्षा परिषद् का गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मेधावी और प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति शुरू करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद गठित करने सम्बंधी दिशा-निर्देश परिचालित किए हैं। आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने उच्चतर शिक्षा परिषद गठित की है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने दो छात्रवृत्तियां अर्थात् (i) अवर स्नातक स्तर पर सामान्य तथा ऑनर्स पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को योग्यता आधारित स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति और (ii) शैक्षिक सत्र 2005-06 से अपने माता-पिता की इकलौती बालिका संतान के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम शुरू की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी है। छात्रवृत्ति की दर दो वर्ष की अवधि (10 माह प्रतिवर्ष) के लिए 2000 रुपए प्रतिमाह है।

[हिन्दी]

कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल

907. श्री शिशुपाल एन. पटले:

श्री रामकृपाल यादव:

श्री राजनरायन बुधौलिया:

श्री मो. ताहिर:

प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान संगठित क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं की संख्या के बारे में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो देश में इस समय बिहार सहित राज्यवार और स्थानवार कुल कितने कामकाजी महिला हॉस्टल कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में कामकाजी महिला हॉस्टलों की कमी के संबंध में कोई राज्य-वार अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने आगामी पंचवर्षीय योजना में वर्षवार और राज्यवार ऐसे हॉस्टल खोले जाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, जैसाकि दिनांक 5 फरवरी, 2007 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो आगामी पंचवर्षीय योजना में राज्यवार, स्थानवार और वर्षवार कुल कितने हॉस्टल खोले जाएंगे; और

(च) प्रत्येक महिला हॉस्टल पर राज्यवार और वर्षवार कुल कितना व्यय होने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) श्रम और रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 31-12-2001 की स्थिति के अनुसार संगठित क्षेत्र में 50.34 लाख महिलाएं कार्यरत थीं।

(ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अब तक देश में 874 कामकाजी महिला होस्टल स्वीकृत किये हैं। उन होस्टलों की राज्य-वार और स्थान-वार सूची, जिनका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, मंत्रालय की वेबसाइट www.wcd.nic.in. पर उपलब्ध है।

(ग) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों से अनुरोध किया है कि वे अपने-अपने राज्यों के नगरों/शहरों/कस्बों में कामकाजी महिला होस्टलों की आवश्यकता का जिला-वार सर्वेक्षण करायें।

(घ) से (च) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किसी राज्य अथवा स्थान का विशिष्ट हवाला दिए बिना, पूरे देश में

हर वर्ष 40 नए हॉस्टलों को स्वीकृत करने हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 500 करोड़ रुपए के परिव्यय की मांग की है।

[अनुवाद]

पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु प्रस्ताव

908. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री नरहरि महतो:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2006-07 के दौरान पुलिस बल को आधुनिक बनाने के लिए धनराशि स्वीकृत करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा राज्यों को धनराशि उपलब्ध कराने हेतु क्या मापदंड अपनाया गया है और इस आधुनिकीकरण योजना में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की कितनी हिस्सेदारी है;

(घ) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश को अपनी हिस्से की धनराशि जारी कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और आन्ध्र प्रदेश को उक्त धनराशि कब तक जारी कर दी जाएगी;

(छ) क्या सरकार को अन्य राज्य सरकारों से भी ऐसे प्रस्ताव मिले हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार ऐसे प्रस्ताव किस-किस तिथि को प्राप्त हुए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार से राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण (एम.पी.एफ.) योजना-2006-07 के तहत, कुल 80.00 करोड़ रुपए की (केन्द्रीय अंशदान-60 करोड़ रुपए और राज्य का अंशदान 20 करोड़ रुपए), अपनी वार्षिक योजना प्रस्तुत की। राज्य से नक्सलवाद से निपटने और बड़े शहरों की पुलिस व्यवस्था के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस योजना में शामिल घटकों में शस्त्र और गोलाबारूद, आवासीय और गैर-आवासीय भवनों का निर्माण, विधिविज्ञान संबंधी उपकरण, आधारभूत ढांचा संबंधी प्रशिक्षण, आवाजाही इत्यादि शामिल हैं।

(ग) एम.पी.एफ. योजना के तहत, राज्यों को, "क" और "ख" श्रेणियों में, क्रमश: केन्द्रीय वित्तपोषण के 100% और 75% के साथ, वर्गीकृत किया गया है। जम्मू और कश्मीर तथा सात पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा को उनके द्वारा विद्रोह, उग्रवाद या आतंकवाद का सामना किए जाने को देखते हुए "क" श्रेणी के राज्यों में वर्गीकृत किया गया है और शेष 20 राज्य "ख" श्रेणी में आते हैं। निधियों के आबंटन का निर्णय अन्य पैरामीटरों जैसे कि पुलिस स्टेशनों की संख्या, अपराध दर, पूर्व में जारी निधियों के उपयोग इत्यादि के आधार पर किया जाता है।

(घ) से (च) 60.00 करोड़ रुपए के केन्द्रीय आबंटन में से, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार को अब तक पुलिस आवास, हथियारों, बड़े शहरों की पुलिस संरचना इत्यादि के लिए 58.44 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है।

(छ) और (ज) सरकार को सभी राज्यों से एम.पी.एफ. योजना के तहत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रस्तावों की प्राप्त तिथि के संबंध में राज्य-वार ब्यौरे विवरण के अनुरूप हैं।

विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	प्रस्ताव के प्राप्त होने की तिथि	वर्ष 2006-07 के लिए केन्द्रीय आबंटन (रु. करोड़ में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	04-07-2006	63.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	21-07-2006	13.00

1	2	3	4
3.	असम	21-07-2006	54.00
4.	बिहार	21-07-2006	36.00
5.	छत्तीसगढ़	24-07-2006	31.23
6.	गोवा	10-08-2006	1.00
7.	गुजरात	12-06-2006	40.00
8.	हरियाणा	24-07-2006	17.00
9.	हिमाचल प्रदेश	14-07-2006	3.00
10.	जम्मू-कश्मीर	04-10-2006	82.00
11.	झारखण्ड	12-06-2006	32.00
12.	कर्नाटक	27-07-2006	59.00
13.	केरल	05-07-2006	23.00
14.	मध्य प्रदेश	27-07-2006	40.00
15.	महाराष्ट्र	26-07-2006	76.00
16.	मणिपुर	21-07-2006	20.00
17.	मेघालय	03-08-2006	8.00
18.	मिजोरम	03-08-2006	10.00
19.	नागालैण्ड	21-07-2006	22.00
20.	उड़ीसा	04-08-2006	23.00
21.	पंजाब	21-07-2006	15.00
22.	राजस्थान	14-07-2006	39.00
23.	सिक्किम	21-07-2006	3.00
24.	तमिलनाडु	18-06-2006	55.00
25.	त्रिपुरा	21-07-2006	16.00
26.	उत्तर प्रदेश	25-07-2006	89.77
27.	उत्तरांचल	25-07-2006	5.00

1	2	3	4
28.	पश्चिम बंगाल	09-07-2006	24.00
	कुल		900.00 (*)

(*) इसके अलावा, विभिन्न राज्यों के लिए संशोधित प्राक्कलनों - 2006-07 में 167.13 करोड़ रु. की अतिरिक्त धनराशि आबंटित की गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का विद्यालयों पर सर्वेक्षण

909. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) ने सरकारी विद्यालयों में अवसंरचना और शिक्षा स्तर के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है, जिसमें विभिन्न संस्थाओं में मौजूदा दयनीय स्थिति को उजागर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा 30 सितम्बर, 2002 को संदर्भ तिथि मानते हुए करवाए गए सातवें अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण के तहत विद्यालयों में अवसंरचना एवं सुविधाएं जैसे - भवन का प्रकार, कमरों की कुल संख्या, निर्मित क्षेत्र, पेयजल की व्यवस्था, खेल के मैदान, ब्लैकबोर्ड, फर्नीचर तथा अनुषांगिक सुविधाओं आदि की उपलब्धता को शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा करवाये गये एक अन्य सर्वेक्षण सर्व शिक्षा अभियान के तहत बुनियादी उपलब्धि सर्वेक्षण से संबंधित है जो कक्षा-III के समापन पर भाषा तथा गणित विषयों में, कक्षा-V के समापन पर भाषा, गणित तथा पर्यावरण अध्ययन विषयों में और कक्षा VII/VIII के समापन पर भाषा, गणित तथा समाज विज्ञान विषयों में करवाए गए थे।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने 7वें अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण से संबंधित 'अनन्तिम आंकड़े' जून, 2005 में जारी किए हैं। परिषद आंकड़ों का संकलन करती है जो भारत में स्कूल शिक्षा की स्थिति को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों का उपयोग स्कूलों में शैक्षिक मानदंडों में सुधार करने के लिए किया जाता है।

औद्योगिक विकास केन्द्र

910. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में राज्यवार विशेषकर कर्नाटक में खोले गए औद्योगिक विकास केन्द्रों (आई.डी.सीज) का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा देश में औद्योगिक विकास केन्द्रों को उपलब्ध कराई गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में खोले जाने वाले ऐसे केन्द्रों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) लघु उद्योग मंत्रालय, एकीकृत अवसंरचना विकास (आई.आई.डी.) योजना को प्रशासित करता है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में अनुमोदित आई.आई.डी. केन्द्रों के संबंध में राज्य-वार सूचना विवरण-I में दी गई है। उक्त अवधि के दौरान कर्नाटक में कोई आई.आई.डी. केन्द्र नहीं खोला गया है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान आई.आई.डी. केन्द्रों को जारी की गई निधियों के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) आई.आई.डी. योजना मांग आधारित है तथा आई.आई.डी. केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा पहल की जानी होती है।

विवरण-I

स्वीकृत आई.आई.डी. केन्द्रों की राज्य-वार संख्या

राज्य	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
असम	कामरूप, जोरहट	नलबाड़ी	धीमाजी, लखीमपुर	–
छत्तीसगढ़	महासमंद	कावर्धा	–	–
हरियाणा	बरही	–	–	–
जम्मू-कश्मीर	–	–	कठुआ	–
केरल	–	–	पाथनमथिट्टा	–
महाराष्ट्र	–	सतारा	–	–
मध्य प्रदेश	नीमच, कटनी,	– टीकमगढ़, मुरैना	–	–
मिजोरम	–	–	–	चमफाई
नागालैंड	–	–	कोहिमा	–
उड़ीसा	–	–	–	बालासोर
राजस्थान	कच्छ, करौली, पार्ल,	अलवर बारन, भरतपुर	–	–
तमिलनाडु	त्रिचिरापल्ली, सेलम	–	–	–
त्रिपुरा	–	नार्थ त्रिपुरा	–	–
उत्तरांचल	–	देहरादून, हरिद्वार, उद्यम सिंह नगर	–	–
पश्चिम बंगाल	–	–	–	टंगरा

विवरण-II

आई.आई.डी. केन्द्रों को जारी निधियां

(रुपये लाख में)

राज्य	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	27.60	45.40	18.38	–

1	2	3	4	5
असम	200.00	484.40	784.00	536.00
छत्तीसगढ़	–	–	110.52	–
हरियाणा	–	65.53	518.97	123.16
हिमाचल प्रदेश	42.41	–	–	–
जम्मू-कश्मीर	–	–	–	200.00
कर्नाटक	–	66.66	–	–
केरल	170.00	274.57	176.96	68.92
महाराष्ट्र	–		78.00	–
मध्य प्रदेश	128.00	70.16	–	66.66
मिजोरम	90.00	80.00	24.8	182.65
नागालैण्ड	–	–	199.54	–
राजस्थान	–	96.43	97.16	–
तमिलनाडु	138.61	65.38	59.81	40.80
उत्तराखंड	–	300.00	–	–
उत्तर प्रदेश	293.38	71.87	–	–
पश्चिम बंगाल	–	–	–	30.00

इंजीनियरिंग वस्तुओं, रत्नों और आभूषणों की मांग

911. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी बाजारों में इंजीनियरिंग वस्तुओं, रत्नों और आभूषणों की मांग में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2006-07 के दौरान देश के व्यापार घाटे और निर्यात में बढ़ोत्तरी हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) वर्ष 2006-07 के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(च) व्यापार घाटे को कम करने और इन मदों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) पिछले दो वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष की अप्रैल-सितम्बर तक की अवधि के दौरान इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात निम्नानुसार रहा है:-

(करोड़ रु. में)

2004-05	2005-06	2006-07
69,181.67	84,943.73	59,053.67

पिछले दो वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष की अप्रैल-अक्तूबर तक की अवधि के दौरान रत्न एवं आभूषणों का निर्यात निम्नानुसार रहा है:-

(मिलियन अम. डा. में)

2004-05	2005-06	2006-07
13,761.77	15,546.58	9132.31

(ग) और (घ) जी, हां। चालू वर्ष (अप्रैल से दिसम्बर) के लिए उपलब्ध व्यापार संबंधी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार व्यापार घाटा, पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 32 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 42 बिलियन अमरीकी डॉलर का रहा था। चालू वर्ष के दौरान व्यापार घाटे में वृद्धि मुख्यत: अपरिष्कृत तेल की उच्च कीमत तथा पूंजीगत वस्तुओं तथा कच्ची सामग्री/मध्यवर्ती उत्पादों के आयात में हुई उच्च वृद्धि जो विनिर्माण क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि को बनाए रखने हेतु अपेक्षित है, के कारण हुई है। सरकार इस स्थिति के प्रति सतर्क है परंतु व्यापार घाटे को रोकने के लिए आयातों को कृत्रिम रूप से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इससे मुद्रास्फीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(ङ) वर्ष 2006-07 के लिए कोई क्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(च) सरकार द्वारा विदेश व्यापार नीति (2004-09) के वार्षिक पूरक अंक में निहित नीतियों सहित, समय-समय पर नीतिगत उपायों की घोषणा की जाती है। इन उपायों का उद्देश्य भारत के तुलनात्मक लाभ तथा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उभर रही स्थिति के अनुरूप निर्यात वृद्धि की वर्तमान दर को बढ़ाना तथा उसे बनाए रखना है।

इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद (ई.ई.पी.सी.) तथा रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी.जे.ई.पी.सी.), जो इन क्षेत्रों के प्रतिनिधि निकाय हैं, विज्ञापनों तथा प्रचार एवं अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकों के आयोजन के जरिए अपने उत्पादों का संवर्धन कर रहे हैं। सरकार, वाणिज्य विभाग की बाजार विकास सहायता (एम.डी.ए.) तथा बाजार पहुंच पहल (एम.ए.आई.) स्कीमों के तहत इन निर्यात संवर्धन परिषदों को उनके कार्यकलाप हेतु सहायता उपलब्ध कराती है।

कृषि निर्यात जोन के संबंध में नीति

912. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कृषि निर्यात जोन नीति की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) कृषि निर्यात जोन नीति की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के कारणों का पता लगाने और उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने की दृष्टि से विद्यमान कृषि निर्यात जोनों (ए.ई.जेड्स) के निष्पादन का समग्र मूल्यांकन किया गया है।

(ग) ए.ई.जेडों में 1717.95 करोड़ रु. के निवेश और 11821 करोड़ रु. मूल्य के निर्यातों की परिकल्पना की गयी है। आज की तारीख तक वास्तविक निवेश एवं निर्यात क्रमश: 820.08 करोड़ रु. और 5340.08 करोड़ रु. के हुए हैं। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(आंकड़े करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य	एईजेड परियोजनाएं	वास्तविक निर्यात	वास्तविक निवेश	संभावित निर्यात	संभावित निवेश
1	2	3	4	5	6	7
1.	पश्चिम बंगाल	6	85.65	59.28	1464.75	355.31
2.	कर्नाटक	4	1162.25	91.04	397.75	46.33

1	2	3	4	5	6	7
3.	उत्तरांचल	4	3.49	14.30	124.59	47.60
4.	पंजाब	3	1523.83	49.48	2863.65	60.48
5.	उत्तर प्रदेश	4	19.96	23.24	1307.32	130.99
6.	महाराष्ट्र	8	1051.15	365.32	535.74	161.98
7.	आन्ध्र प्रदेश	5	492.00	53.72	767.03	172.51
8.	जम्मू-कश्मीर	2	368.48	19.58	383.14	122.28
9.	त्रिपुरा	1	0.00	7.62	31.64	15.66
10.	मध्य प्रदेश	5	75.42	60.80	1631.95	196.45
11.	तमिलनाडु	4	33.90	28.78	356.64	75.68
12.	बिहार	1	5.87	20.10	154.00	12.13
13.	गुजरात	3	151.65	19.42	708.39	78.8
14.	सिक्किम	2	0.00	1.15	121.68	56.92
15.	हिमाचल प्रदेश	1	0.00	0.00	170.00	57.07
16.	उड़ीसा	1	1.76	0.00	143.97	6.03
17.	झारखण्ड	1	0.00	0.00	81.70	7.09
18.	केरल	2	212.00	3.10	320.00	56.11
19.	असम	1	2.17	3.15	40.83	17.53
20.	राजस्थान	2	0.00	0.00	216.7	41.00
	कुल		5340.07	820.08	11821.47	1717.95

(स्रोत: एपीडा)

आसियान के साथ सम्झौता

913. श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और आसियान के सदस्य देश करार हुए उत्पादों की सूची पर सहमत नहीं हो पाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या फिलिपीन्स में एक शिखर वार्ता हुई थी, जिसमें भारत और आसियान के सदस्य देशों ने मुक्त व्यापार संधि पर चर्चा करने के लिए भाग लिया;

(घ) यदि हां, तो इस शिखर वार्ता में हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मुक्त व्यापार समझौते पर भारत और आसियान देशों के बीच बहुत अधिक मतभेद हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में शिखर वार्ता में क्या सहमति बनी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (च) आसियान तथा भारत के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सी.ई.सी.ए.) से संबंधित कार्यढांचा करार पर बाली, इण्डोनेशिया में दिनांक 8 अक्तूबर, 2003 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारत-आसियान मुक्त व्यापार करार (एफ.टी.ए.) पर वार्ताएं अभी चल रही हैं। तथापि, कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई है।

आसियान-भारत शिखर बैठक सेबू, फिलीपिंस में दिनांक 14 जनवरी, 2007 को आयोजित की गई थी, जिसमें टैरिफ में कमी के तौर-तरीकों और नकारात्मक सूची के आकार पर विचार-विमर्श किया गया था। इस बैठक के दौरान नकारात्मक सूची को अंतिम रूप प्रदान किया गया था।

भारत-आसियान मुक्त व्यापार करार (एफ.टी.ए.) के लिए वार्ताएं अभी चल रही हैं और दोनों पक्ष नकारात्मक सूचियों, संवेदनशील सूचियों और दोनों पक्षों द्वारा प्रदत्त टैरिफ रियायतों के तौर-तरीकों सहित प्रस्तावित करार के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।

जिला स्तरीय प्रदर्शनियां

914. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ने वर्ष 2006-07 के दौरान ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के अंतर्गत सहायता प्राप्त उद्यमियों द्वारा विनिर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शनियों का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कौन-कौन से और कितने जिलों में प्रदर्शनियां आयोजित की गईं;

(ग) क्या के.वी.आई.सी. ने वर्ष 2007-08 के दौरान प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश में जिलों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रदर्शनियों का आयोजन करने के लिए राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कुल कितना व्यय किया गया/होने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महादीर प्रसाद): (क) जी, हां। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ने ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) उद्यमियों को "फारवर्ड बैकवर्ड" सहयोग के भाग के रूप में वर्ष 2006-07 के दौरान अब तक 18 जिला स्तरीय प्रदर्शनियों का आयोजन किया है।

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान के.वी.आई.सी. द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रदर्शनियों की राज्य-वार सूची विवरण-I में प्रस्तुत है।

(ग) और (घ) जी, हां। के.वी.आई.सी. द्वारा जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों सहित विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (यू.टी.), जहां वर्ष 2007-08 के दौरान आर.ई.जी.पी. के तहत प्रदर्शनियां आयोजित की जानी हैं, के जिलों की अंतरिम कुल संख्या निर्धारित कर दी गई हैं। तथापि, के.वी.आई.सी. के फील्ड कार्यालयों द्वारा अभी जिलों के नामों का पता लगाया जाना है, जो कि संबंधित राज्यों में आर.ई.जी.पी. की आवश्यकता तथा सम्भाव्यता के मद्देनजर किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में होने वाली जिला स्तरीय प्रदर्शनियों की कुल संख्या सहित किए जाने वाले सम्भावित व्यय संबंधी अंतरिम सूची विवरण-II में प्रस्तुत है।

विवरण-I

वर्ष 2006-07 के दौरान के.वी.आई.सी. द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रदर्शनियों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्यों के नाम	जिलों के नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम
2.	कर्नाटक	तुमकुर
3.	केरल	एरनाकुलम
		तिरूवनंतपुरम
4.	तमिलनाडु	विरूद्धुनगर
		मदुरै
5.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू
		उधमपुर

क्र.सं.	राज्यों के नाम	जिलों का नाम
6.	पंजाब	पटियाला
7.	छत्तीसगढ़	मिलाई
		सरगुजा
		बिलासपुर
		जगदलपुर
8.	मणिपुर	काकिल्ग
9.	नागालैंड	कोहिमा
10.	मिजोरम	आइजॉल
11.	उत्तराखंड	पौड़ी गढ़वाल
		नैनीताल

विवरण-II

2007-08 के दौरान होने वाले व्यय और आर.ई.जी.पी. के तहत आयोजित की जाने वाली राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जिला स्तरीय प्रदर्शनियों की अंतरिम सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रदर्शनियों की कुल संख्या	राशि (लाख रु.)
1	2	3	4
1.	चंडीगढ़	1	1.00
2.	दिल्ली	4	4.00
3.	हरियाणा	8	8.00
4.	हिमाचल प्रदेश	8	8.00
5.	जम्मू-कश्मीर	6	6.00
6.	पंजाब	12	12.00
7.	राजस्थान	26	26.00
8.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	2.00
9.	बिहार	16	16.00
10.	झारखण्ड	8	8.00
11.	उड़ीसा	10	10.00
12.	पश्चिम बंगाल	20	20.00
13.	अरुणाचल प्रदेश	6	6.00
14.	असम	10	10.00
15.	मणिपुर	6	6.00
16.	मेघालय	6	6.00
17.	मिजोरम	4	4.00
18.	नागालैण्ड	6	6.00
19.	त्रिपुरा	4	4.00
20.	सिक्किम	4	4.00
21.	आन्ध्र प्रदेश	20	20.00
22.	कर्नाटक	16.	16.00
23.	केरल	10	10.00
24.	लक्षद्वीप	1	1.00
25.	पांडिचेरी	1	1.00
26.	तमिलनाडु	24	24.00
27.	गोया	2	2.00
28.	गुजरात	18	18.00
29.	महाराष्ट्र	26	26.00
30.	छत्तीसगढ़	12	12.00
31.	मध्य प्रदेश	20	20.00
32.	उत्तराखण्ड	12	12.00
33.	उत्तर प्रदेश	46	46.00
	कुल	375	375.00

[हिन्दी]

तांबे का उत्पादन

915. श्री टेक लाल महतो: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में तांबा उत्पादन यूनिटें बंद पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसी बंद पड़ी यूनिटों के रखरखाव और कर्मचारियों की मजदूरी पर वहन किए जा रहे खर्चे का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा घाटशिला तांबा यूनिट सहित इन बंद पड़ी तांबा उत्पादन यूनिटों को पुन: खोलने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इन यूनिटों को खोले जाने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) से (ङ) खान मंत्रालय, विभिन्न राज्यों में बंद पड़ी तांबा उत्पादक यूनिटों के बारे में केन्द्रीय रूप से कोई सूचना नहीं रखता है। जहां तक खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मै. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के स्वामित्व में घाटशिला तांबा इकाई का संबंध है; यह इकाई चालू है।

[अनुवाद]

रूग्ण जूट मिलें

916. प्रो. एम. रामदास: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को कितनी रूग्ण जूट मिलें सौंपी गई हैं;

(ख) क्या ये मिलें प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने की पात्र हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) जूट उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए जे.एम.डी.सी. प्रोत्साहन योजना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस योजना के अंतर्गत कितनी मिलें लाभान्वित हो चुकी हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) वर्तमान में 36 रुग्ण पटसन मिलें हैं जिनमें से 31 मिलों के मामले औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को भेजे गए हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, टी.यू.एफ.एस. के अधीन सहायता प्राप्त करने के लिए मिल की वित्तीय पृष्ठभूमि अच्छी होना अपेक्षित है और इसलिए जिस रुग्ण पटसन मिल का मामला बी.आई.एफ.आर. को भेजा गया हो वह इस योजना के तहत कोई वित्तीय सहायता प्राप्त करने की हकदार नहीं है।

(घ) पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए जे.एम.डी.सी. प्रोत्साहन योजना मौजूदा पटसन मिलों में प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन सुकर बनाने, अपर्याप्त पटसन प्रसंस्करण सुविधाओं वाले पटसन उत्पादक क्षेत्रों में नई मिलों में नयी आधुनिकीकृत प्रौद्योगिकी को शामिल करने तथा गैर पटसन उत्पादक राज्यों में स्थित नई मिलों की स्थापना के लिए 8 जुलाई, 2002 से लागू है। इस योजना का उद्देश्य अपने स्रोतों से अथवा बैंक के वित्तपोषण से निवेशित राशि पर 15/20% प्रोत्साहन प्रदान कर पटसन उद्योग में प्रौद्योगिकी के उन्नयन और/अथवा आधुनिकीकरण के लिए एक नई पटसन मिलों की स्थापना के लिए पूंजी निवेश को सुकर बनाना है। यह योजना प्रारंभ में तीन वर्षों के लिए प्रभावी थी जिसे बाद में 7 जुलाई, 2005 से आगे अगले तीन वर्षों के लिए अथवा पटसन प्रौद्योगिकी मिशन के शुरू होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया गया।

(ङ) इस योजना के अधीन लाभान्वित होने वाली मिलों की कुल संख्या 1 मार्च, 2007 तक 47 है।

चाय का निर्यात/उत्पादन

917. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पुनर्निर्यात के लिए आयात की गई चाय खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और नियमों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या पर्याप्त उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) सरकार ने चाय (वितरण

एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश 2005 जारी किया है जिसमें चाय हेतु कड़े मानक निर्धारित किए गए हैं तथा यह शर्त रखी गयी है कि आयातित या निर्यातित सभी प्रकार की चाय के लिए उक्त आदेश में निर्धारित विनिर्देशनों के अनुरूप होना अपेक्षित है, जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं।

(ग) चाय की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 में बोर्ड के अधिकारियों अथवा चाय बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित/प्राधिकृत किसी निरीक्षण अभिकरण को उक्त आदेश में निर्धारित चाय की गुणवत्ता संबंधी मानकों के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ चाय परेषणों से नमूने एकत्र करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन उपायों द्वारा गुणवत्ता युक्त चाय का निर्यात/आयात सुनिश्चित किया जाता है।

लघु खानें

918. श्री अमिताभ नन्दी: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्य-वार कितनी लघु खानें प्रचालनरत हैं;

(ख) इन लघु खानों का देश के राष्ट्रीय खनिज उत्पादन में क्या योगदान है;

(ग) ऐसी लघु खानों द्वारा विभिन्न राज्यों में स्थानीय निवासियों को कितना रोजगार उपलब्ध कराया जाता है; और

(घ) सरकार का विचार इन खानों के खराब पर्यावरण संबंधी प्रबंधन और सुरक्षा परिस्थितियों को किस प्रकार नियंत्रित करने का है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 1988 के अनुसार खानों को श्रेणी 'क' अथवा श्रेणी 'ख' की खानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी 'क' की खानें वे हैं जहां प्रचालन पूर्णतया यंत्रीकृत हैं अथवा जहां औसत रोजगार की कुल संख्या एक सौ पचास अथवा भूमिगत कार्यों में पचहत्तर से अधिक है अथवा कोई ऐसी खान जहां कोई भी खनन प्रचालन भारी मशीनों की सहायता से किया जाता है। इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाली अन्य सभी खानों को श्रेणी 'ख' खानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2005-06 में, श्रेणी 'ख' खानों ने गैर-ईंधन, गैर-परमाणु प्रमुख खनिजों के उत्पादन के कुल मूल्य में 18% का योगदान दिया। श्रेणी 'ख' की रिपोर्टिंग खानों का राज्य-वार ब्यौरा तथा उनके औसत दैनिक रोजगार का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

राज्य	रिपोर्टिंग खानों की संख्या	औसत दैनिक रोजगार
आन्ध्र प्रदेश	305	4762
असम	2	79
बिहार	6	68
छत्तीसगढ़	61	2273
गोवा	19	925
गुजरात	387	7488
हरियाणा	1	3
हिमाचल प्रदेश	25	429
जम्मू-कश्मीर	3	89
झारखण्ड	109	2613
कर्नाटक	196	3932
केरल	31	643
मध्य प्रदेश	231	3994
महाराष्ट्र	76	1579
मेघालय	4	253
उड़ीसा	137	8754
राजस्थान	228	2896
सिक्किम	1	29
तमिलनाडु	149	2485
उत्तर प्रदेश	18	753
उत्तराखण्ड	30	1059
पश्चिम बंगाल	9	258
कुल	2028	45364

(घ) खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 1988 के प्रावधान, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु रक्षोपाय निर्धारित करते हैं। जहां तक खनन में सुरक्षा परिस्थितियों का संबंध है, इस बारे

में श्रम मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, प्रत्येक खान के मालिक, अभिकर्त्ता और प्रबंधक के लिए खान अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना अपेक्षित है, जिसका निरीक्षण खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा किया जाता है और इन प्रावधानों का अनुपालन न किए जाने के मामले में, खान प्रबंधन के खिलाफ विधि-अनुसार कार्रवाई की जाती है।

पोस्को को खनन पट्टा

919. श्री तथागत सत्पथी: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पोस्को से उड़ीसा में इस्पात संयंत्र का खनन पट्टा देने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या इस्पात मंत्रालय ने अपनी कुद्रेमुख परियोजना हेतु इसी प्रकार के पट्टे की भी मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

निजी शिक्षा

920. श्री अनन्त नायक: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केवल निजी शिक्षा के लिए एक विनियामक बोर्ड का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कॉटन की खपत

921. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कॉटन की वर्ष-वार कुल कितनी घरेलू खपत हुई है;

(ख) क्या आगामी वर्षों में कॉटन की खपत में वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2006-07 और 2007-08 में कॉटन का अनुमानत: कितना उत्पादन और उपयोग हुआ है; और

(घ) इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) पिछले तीन कपास वर्षों (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान देश में कपास की कुल घरेलू खपत निम्नलिखितानुसार है:-

(लाख गांठ में, प्रत्येक गांठ 170 कि.ग्रा.)

कपास वर्ष (अक्तू.-सितं.)	कपास की खपत		
	मिल का खपत एस.एस.आई. एवं गैर एस.एस.आई.	गैर मिल खपत	कुल योग
2004-05	180.55	14.48	195.03
2005-06*	202.00	15.00	217.00
2006-07*	220.00	15.00	235.00

*अनुमानित (स्रोत: कपास सलाहकार बोर्ड)

(ख) और (ग) जी, हां। घरेलू वस्त्र उद्योग का तकुएं में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी उन्नति के माध्यम से उन्नयन के जरिए विस्तार हो रहा है जिससे आने वाले वर्षों में कपास की खपत में वृद्धि हो सकती है। कपास की अनुमानित उत्पादन एवं खपत नीचे दी गई है:-

(लाख गांठ में, प्रत्येक गांठ 170 कि.ग्रा.)

कपास वर्ष (अक्तू.-सितं.)	कपास उत्पादन	कपास की खपत		
		मिल का खपत एस.एस.आई. एवं गैर एस.एस.आई.	गैर मिल खपत	कुल योग
2006-07	270.00	220.00	15.00	235.00
2007-08	284.00*	236.00*	15.00	251.00

*11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के लिए वस्त्र एवं पटसन संबंधी कार्यकारी समूह के अनुमान के अनुसार।

(घ) भारत सरकार ने देशी कपास के उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार तथा मिशन मॉड पद्धति में कृषि लागत में कमी करने के उद्देश्य से 2000 में कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया। 2003-04 से सरकार ने वैश्लस थोरेनजाइसिस (बीटी) कपास लेना वाणिज्यिक रूप से जारी कर दिया है जो कि कपास की उपज में सुधार लाने के लिए कीटरोधक है।

सुलभ इंटरनेशनल

922. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक गैर-सरकारी संगठन 'सुलभ इंटरनेशनल' को काली सूची में डाल दिया है जैसा कि दिनांक 5 फरवरी, 2007 के 'नवभारत टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने इसे अन्य सरकारी कार्यालयों में भी क्रियान्वित करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी हां। दिल्ली नगर निगम ने मै. सुलभ इंटरनेशनल को सौंप गए अनेक जन-सुविधा परिसरों को संतोषजनक रूप से प्रचालित, अनुरक्षित और व्यवस्थित न किए जाने के कारण काली सूची में डाल दिया है।

(ग) और (घ) जी नहीं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की ओर से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु प्रस्ताव

923. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अनेक प्रस्तावों को जल्दबाजी में स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्वीकृत और लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा घरेलू उद्योग को ध्यान में रखते हुए लम्बित प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) का कोई भी प्रस्ताव जल्दबाजी में स्वीकृत नहीं किया है। पिछली तिमाही में, संगत प्रकारकों पर उचित रूप से विचार किए जाने के पश्चात्

स्वीकृत किए गए एफ.डी.आई. प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामले में एक उदार और निवेशक अनुकूल नीति लागू की हुई है, जिसके अनुसार स्वत: मार्ग के तहत अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में 100% तक एफ.डी.आई. की अनुमति है और इसके लिए सरकार के पूर्व अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं होती। सरकार के पूर्वानुमोदन की जरूरत वाले प्रस्तावों पर, ऐसे प्रस्तावों सहित जहां विदेशी निवेशक का किसी घरेलू कंपनी के साथ मौजूदा सहयोग समझौता है, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा समयबद्ध रूप से और अंतरमंत्रालयीय परामर्शों के जरिये विचार किया जाता है।

विवरण

अक्तूबर, 2006 से दिसंबर, 2006 तक एफ.आई.पी.बी. द्वारा अनुमोदित किए गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) का देश-वार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	देश का नाम	अनुमोदनों की संख्या, वित्तीय	अनुमोदित किए गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि (रुपए में)	अनुमोदित एफ.डी.आई. के प्रतिशत के रूप में
1	2	3	4	5
1.	आस्ट्रिया	1	0.44	0.00
2.	बरमुडा	1	0.91	0.01
3.	डेनमार्क	1	0.00	0.00
4.	फ्रांस	3	3.48	0.03
5.	जर्मनी	1	0.50	0.00
6.	इटली	3	4,005.75	29.96
7.	जापान	6	73.02	0.55
8.	कोरिया (दक्षिण)	2	103.40	0.77
9.	मलेशिया	2	2.24	0.02
10.	मॉरीशस	8	2,339.36	17.49
11.	अनिवासी भारतीय	7	4.80	0.04
12.	नीदरलैंड्स	4	3.29	0.02
13.	सिंगापुर	5	756.00	5.65
14.	स्पेन	1	0.00	0.00
15.	श्रीलंका	1	0.00	0.00

1	2	3	4	5
16.	स्वीडन	1	27.20	0.20
17.	स्विटजरलैंड	1	0.50	0.00
18.	यू.के.	2	55.83	0.42
19.	सं.रा. अमेरिका	6	824.67	6.17
20.	इंगित न किया गया देश	2	1,091.10	8.16
21.	जोर्डन	1	0.00	0.00
22.	विदेशी संस्थागत निवेशक	3	4,080.00	30.51
	कुल जोड़	62	13,372.50	

अफ.आई.पी.बी. द्वारा अक्तूबर, 2006 से दिसम्बर, 2006 के दौरान अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.)

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	पंजीकरण संख्या और तारीख	भारतीय कम्पनी का नाम और पता	विदेशी सहयोगी का नाम और पता	विदेशी इक्विटी (रुपये में)	विदेशी इक्विटी का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
			देश: आस्ट्रिया		
1.	169, 28 अगस्त, 2006	प्राणसा इंटरप्राईजेज, मार्फत एच.सी. साह एंड एसोसिएट, 48-सी, गोवलिया टैंक रोड, 11/4, महाबीर जैन विद्या, प्रथम तल, मुम्बई-400 036	मोस्ट डार्फर, जीएमबीएच, आस्ट्रिया	0.44	74.00
		स्थान: ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) अनुमोदन सं. (तारीख): 206 (31 अक्तूबर, 2006)		विनिर्माण की मद: निम्नलिखित कार्यकलाप करने के लिए: स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से कच्चा माल और अन्य सामग्रियां प्राप्त करना	
		कुल वित्तीय मामले : 1 कुल विदेशी इक्विटी करोड़ रुपये में : 0.44			
			देश: बरमुडा		
2.	67, 06 मार्च 2006	मैनड्रीन ओरिएण्टल लिमिटेड, मार्फत जे. सागर एसोसिएट्स, 84-ई, लेन सी/6, ऑफ सेंट्रल	मैनड्रीन ओरिएण्टल लिमिटेड बरमुडा	0.91	100.00

1	2	3	4	5	6
		एवेन्यू, सैनिक फार्म, नई दिल्ली-110 062			
		स्थान: राज्य का नाम दर्शाया नहीं गया (राज्य का नाम दर्शाया नहीं गया) अनुमोदन सं. (तारीख): 201 (31 अक्तूबर, 2006)		विनिर्माण की मद: होटल और पर्यटन उद्योग में प्रबंधन सेवाएं और तकनीकी परामर्शदात्री सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य करना तथा और पर्यटन उद्योग परियोजनाओं आदि का विकास, कार्यान्वयन, भाग लेना तथा और निवेश करना आदि	
		कुल वित्तीय मामले : 1 कुल विदेशी इक्विटी करोड़ रुपये में : 0.91			
			देश: डेनमार्क		
3.	522 03 अगस्त, 1994	हेडिलवर्ग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 208, वेलाचेरी मेन रोड, पल्ली करनई, चेन्नई-601 302	हेडिलवर्ग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, 2 होलवर्गस गेट, डीके--1099 कापनहेगन के डेनमार्क	0.00	0.00
		स्थान: चेन्नई (तमिलनाडु) अनुमोदन सं. (तारीख): 435 (30 नवम्बर, 2006) विनिर्माण की वस्तु में संशोधन परिवर्धन विलोप के कारण संशोधन		विनिर्माण की मद: प्रदर्शन/ओपन हाउसों, प्रदर्शनियों, सेमिनार, मुद्रण प्रौद्योगिकी में क्लासरूम पाठ्यक्रम आदि आयोजित करने के लिए पूर्णकालिक आधार पर प्रिंट मीडिया एकेडमी, संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने और चलाने का व्यापार	
		कुल वित्तीय मामले : 1 कुल विदेशी इक्विटी करोड़ रुपये में : 0.00			
			देश: फ्रांस		
4.	4, 23 मई, 2006	फेण्डी इंटरनेशनल एस.ए. मार्फत ठक्कर एंड टक्कर, ए-320, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली	फेण्डी इंटरनेशनल एस.ए.	0.00	51.00
		स्थान: ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) अनुमोदन सं. (तारीख): 204 (30 नयम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: फेण्डी उत्पादों का खुदरा व्यापार	
5.	167, 25 अगस्त, 2006	एकोर एस.ए. फ्रांस मार्फत इकॉनामिक लाज प्रैक्टिक 405-406, चौथा तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाराखम्भा लेन, नई दिल्ली-110001	एकोर एस.ए., फ्रांस सधे और अपने संबद्ध एकोर सर्विसेज पार्टिसिपेसन्स एस.ए.एस. (एएसपी)	2.07	100.00

1	2	3	4	5	6
		स्थान: ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) अनुमोदन सं. (तारीख): 217 (30 नवम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: मेसर्स रायल इमेजेज डायरेक्ट मार्केटिंग प्रा.लि. (आरआईडी) वर्तमान में कस्टमर लायल्टी, इंसेंटिव एंड मर्जेटाईजिंग प्रोग्राम्स; चैनल इंसेंटिव प्रोग्राम्स और इम्प्लाई मोटिवेशन्स प्रोग्राम्स के क्षेत्र में सीआरएम सेवाएं उपलब्ध कराने में लगा हुआ है।	
6.	168, 28 अगस्त, 2006	एक्सोटेक प्लास्टिक प्रा.लि. 1102 मूथा रोड, पिरनगुट, पुणे मार्फत एसकेपी क्रास बार्डर काउण्टर प्रा.लि., 12-ए, सुलेमान, च, 4 बैटर स्ट्रीट, अपोलो, मुम्बई	एमजीआई, काउटीयर एस.ए., फ्रांस	1.41	50.00
		स्थान: पुणे (महाराष्ट्र) अनुमोदन सं. (तारीख): 203 (31 अक्तूबर, 2006)		विनिर्माण की मद: प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग और ट्रक उद्योग के लिए पार्ट डेकोरेटिंग तथा स्माल इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइसेस से व्यापार में लगे।	
		कुल वित्तीय मामले : 3 कुल विदेशी इक्विटी करोड़ रुपये में : 3.48			
			देश: जर्मनी		
7.	453, 29 जुलाई, 1998	कृष्णा बायसेन एक्जास्ट्स प्रा. लि. (अब यह वायसेल इंडिया लि. के नाम से जाना जाता है), गांव हबीबपुर, नोयडा, दादरी रोड, सूरजपुर, ग्रेटर नोयडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	फ्राउनहरिच वायसेन जीएनबीएच, इंटरनेशनल बेलाईलीगंजन, जर्मनी	0.50	50.00
		स्थान: बैंगलोर (शहरी), (कर्नाटक) अनुमोदन सं. (तारीख): 422 (30 नवम्बर, 2006) पूंजी संरचना के कारण संशोधन		विनिर्माण की मद: सभी प्रकार के इंटरनल कम्बुशन इंजनों के लिए मफलर सहित एक्जास्ट सिस्टम कम्पलीट, एक्जास्ट साइलेंसर्स कैटलिटिक कन्वर्टर्स और पाइपिंग	
		कुल वित्तीय मामले : 1 कुल विदेशी इक्विटी करोड़ रुपये में : 0.50			
			देश: इटली		
8.	9, 11 अगस्त, 2006	रिनोग्रेगीवो अर्जेन्ट्रीज, एसपीए मार्फत मेसर्स केआर चावला एंड कम्पनी, सातवां तल, कैलाश बिल्डिंग, 26 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001	रिनोग्रेगीवो अर्जेन्ट्रीज, एसपीए वाया टेंगलियामेंटो, 5-35030, सेल्वाजेनो, इटली	0.00	51.00
		स्थान: राज्य का नाम दर्शाया नहीं गया (राज्य का नाम दर्शाया नहीं गया) अनुमोदन सं. (तारीख): 9 (31 अक्तूबर, 2006)		विनिर्माण की मद: सभी प्रकार के सिल्वर वेयर और फिनिश्ड प्रोडक्ट आदि सहित अन्य सबंद्ध उत्पाद की बिक्री के लिए खुदरा व्यापार	

1	2	3	4	5	6
9.	11, 11 अक्तूबर, 2006	एरमेनेगिल्डो जेग्ना होल्डी टाला, एसपीए, 135 मैरीन ड्राइव, मुम्बई-400 020	एरमेनेगिल्डो जेम्ना होल्डी टाला, एसपीए, इटली	5.75	51.00
		स्थान: राज्य का नाम दर्शाया नहीं गया (राज्य का नाम दर्शाया नहीं गया) अनुमोदन सं..(तारीख): 11 (31 अक्तूबर, 2006)		विनिर्माण की मद: विपणन के लिए भारत में 'सिगल ब्रांड' जेग्ना खुदरा बिक्री केंद्र की स्थापना	
10.	34, 18 जनवरी, 1997	फिएट इंडिया आटोमोबाईल लि., 34, मेकर चैम्बर 6, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021	फिएट आटो एसपीए इटली	4,000.00	0.00
		स्थान: पुणे (महाराष्ट्र) अनुमोदन सं. (तारीख): 188 (31 दिसम्बर, 2006) पूंजी संरचना में परिवर्तन के कारण संशोधन		विनिर्माण की मद: यात्री कारें	
		कुल वित्तीय मामले : 3 कुल विदेशी इक्विटी करोड़ रुपये में : 4005.75			
			देश: जापान		
11.	166, 24 अगस्त, 2006	होंडा मोटर कम्पनी लि. मार्फत होंडा सिएल कार्स, इंडिया, प्लाट नं. ए-1, सेक्टर 40/4 सूरजपुर कासना रोड, ग्रेटर नोयडा, औद्योगिक विकास क्षेत्र	होंडा मोटर कम्पनी लि. (होंडा) जापान	15.00	100.00
		स्थान: दिल्ली (दिल्ली) अनुमोदन सं. (तारीख): 214 (30 नवम्बर, 2006)		स्पेयर पार्ट्स आपरेशन्स, एक्सपोर्ट आपरेशन्स, अदर्स स्टटजिक बिजनेस का प्रबंधन और नियंत्रण, आयोजन और प्रबंधन	
12.	172, 31 अगस्त, 2006	ओसीएस ओवरसीज कूरियर सर्विस के. लि. मार्फत डीएसके लीगल, 2 पालम मार्ग, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110 057	ओवरसीज कूरियर सर्विसेज कं. लि., जापान	8.40	76.00
		स्थान: दिल्ली (दिल्ली) अनुमोदन सं. (तारीख): 197 (31 अक्तूबर, 2006)		विनिर्माण की मद: जर्नल कैरियर कूरियर, बैगेज ट्रांसपोर्टर्स, फारवर्डिंग एंड क्लीयरिंग, एजेंट्स तथा भारत और विदेश में कूरियर सेवाओं के पैकिंग और रीपैकिंग एजेंट	
13.	180, 07 सितंबर, 2006	एनएसके लि. मार्फत एसआर बाटलीबाय एंड कम्पनी, दूसरा तल, द कैपिटल	एनएसके लि. टोकियो अथवा इसके संबद्ध/सहायक नामितियों	41.25	75.00

1	2	3	4	5	6
		कोड एल.एस.सी. फेस-3, ओल्फ पामे मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-10067	के द्वारा		
		स्थान: चेन्नई (तमिलनाडु) अनुमोदन सं. (तारीख): 194 (31 अक्तूबर, 2006)		विनिर्माण की मद: एचयूओबी यूनिट-1, मैग्नेटिक क्लच बीयरिंग (एमसीडी) और बालबीयरिंग का विनिर्माण	
14.	191, 18 सितंबर, 2006	संवर्धना मदरसंन फाईनेंस लि. मार्फत प्राइसवाटर हाउस कूपर, 11-ए सुचेता भवन, दूसरा तल, विष्णु दिगम्बर मार्ग, पर नई दिल्ली	एनीस्टइवाता कार्पोरेशन जापान इसके संबद्ध/ सहायकों द्वारा	0.51	51.00
		स्थान: राज्य का नाम दर्शाया नहीं गया (राज्य का नाम दर्शाया नहीं गया) अनुमोदन सं. (तारीख): 221 (30 नवम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: स्प्रे गन्स, स्प्रे गन, स्प्रे प्रिंटिंग, इक्वीपमेंट, पेंट कोटिंग इक्विपमेंट आदि का विपणन और बिक्री। इन उत्पादों का थोक व्यापार	
15.	207, 27 सितंबर 2006	टटसूनो कार्पोरेशन, जापान मार्फत मयूर बत्रा एंड कम्पनी, 7, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110 001	टटसूनो कार्पोरेशन, जापान	5.62	100.00
		स्थान: महाराष्ट्र (महाराष्ट्र) अनुमोदन सं. (तारीख): 218 (30 नवम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: गैसोलीन डिसपेंसिंग पम्पों/ डिसपेंसरों आदि सहित गैसोलाइन स्टेशनों के लिए सामान्य उपकरणों का विनिर्माण	
16.	213, 12 अक्तूबर, 2006	ओरिक्स कार्पोरेशन, जापान मार्फत एजेडबी एंड पार्टनर्स एक्प्रेस टावर्स, 23वां तल नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400 021	ओरिक्स कार्पोरेशन, जापान	2.24	49.00
		स्थान: ग्रेटर (मुम्बई) (महाराष्ट्र) अनुमोदन सं. (तारीख): 231 (30 नवम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: निवेश प्रबंधन और परामर्श-दात्री सेवाएं उपलब्ध कराना (फंड और नॉनफंड आधारित गैर बैंकिंग वित्तीय गतिविधियां)	
		कुल वित्तीय मामले : 6 कुल विदेशी इक्विटी करोड़ रुपये में : 73.02			
		देश: कोरिया (दक्षिण)			
17.	198, 20 सितंबर 2006	मंडो कार्पोरेशन, कोरिया मार्फत कोचर एंड कम्पनी एस-454, ग्रेटर कैलाश 2, नई दिल्ली-110 048	मंडो कार्पोरेशन, कोरिया	103.40	100.00

1	2	3	4	5	6
		स्थान: चेन्नई (तमिलनाडु) अनुमोदन सं. (तारीख): 228 (30 नवम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: भारम में हुंडई मोटर इंडिया लि. और अन्य आटोमोबाईल विनिर्माताओं के लिए कालम एसेस्टिड इलेक्ट्रानिक पावर स्टीलिंग (सी.इपीएस) सिस्टम्स का विनिर्माण विपणन, वितरण और बिक्री। मैनुअल और/अथवा पावर स्टीलिंग प्रणालियों का आयात और जोड़ना (एसेम्बल) और बिक्री	
18.	458, 29 जून, 1997	हनिल लीयर इंडिया प्रा. लि. सीट प्लाट: प्लाट नं. ए 6 और ए 7 शिपकाट इंडस्ट्रियल पार्क, थंडालम, श्रीपेरेम्बुदूर, ताल्लुक कांचीपुरम् जिला तमिलनाडु-602105	हनिल इहवा कं. लि. साउथ कोरिया	0.00	0.00
		स्थान: चेंगलपट्टु (तमिलनाडु) अनुमोदन सं. (तारीख): 500 (30 नवम्बर, 2006) अनुमोदन पत्र की किसी शर्त के विलोपन/संशोधन के कारण संशोधन		विनिर्माण की मद: आटोमोटिव कम्पोनेन्ट्स, डेशपैड, डोरट्रिम, हेडलाइनर, फ्लोरकारपेट, स्पेयर ह्वील कवर (हार्ड बोर्ड का बना) जूट फेल्ट	
		कुल वित्तीय मामले : 2 कुल विदेशी इक्विटी करोड़ रुपये में : 103.40			
			देश: मलेशिया		
19.	230, 20 अक्तूबर, 2006	मिटको लबुआन कं. लि., मलेशिया मार्फत बीएमआर एंड एसोसिएट्स 70 ग्रेट ईस्टर्न सेंटर प्रथम तल नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019	मिटको लबुआन कं. लि., मलेशिया और/या इसकी संबद्ध/ग्रुप कंपनियां	2.24	100.00
		स्थान: दिल्ली (दिल्ली) अनुमोदन सं. (तारीख): 277 (30 नवम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: विभिन्न उत्पादों जिनमें रसायन, पोलिमर और अन्य सामान्य मर्चेंटाइज शामिल हैं सहित, केवल इन तक सीमित नहीं का कैश एंड कैरी थोक व्यापार	
20.	565, 06 जून, 1995	स्पाइस कम्युनिकेशंस लि., डी-1, सेक्टर-3, नोएडा-201 301	टेलीकाम मलेशिया बरहैंड, मलेशिया (उनकी पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी टीएमआई इंडिया लि., मारीशस के माध्यम से)	0.00	73.78
		स्थान: राज्य का नाम दर्शाया नहीं गया (राज्य का नाम दर्शाया नहीं गया) अनुमोदन सं. (तारीख): 847 (31 दिसम्बर, 2006) विदेशी तकनीकी सहयोगकर्ता में परिवर्तन के कारण संशोधन		विनिर्माण की मद: सेलुलर मोबाइल फोन सेवा मुहैया कराना	
		कुल वित्तीय मामले : 2 कुल विदेशी इक्विटी करोड़ रुपये में : 2.24			

1	2	3	4	5	6
			देश: मारीशियस		
21.	140, 21 जुलाई, 2006	इस्सार टेलीकाम इंवेस्टमेंट्स लि., इस्सार हाउस, 11 केके मार्ग, महालक्ष्मी मुम्बई-400 034	इस्सार कम्युनिकेशंस लि. मारीशियस	230.00	99.14
		स्थान: ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) अनुमोदन सं. (तारीख): 234 (30 दिसम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: टेलीकाम कम्पनियों में निवेश की गतिविधियों को चलाना	
22.	160, 18 अगस्त, 2006	केएसके एनर्जी वेंचर्स लि., दूसरा तल, सोनी अपार्टमेंट, 19 रिबेलो रोड, बांद्रा (वेस्ट), मुम्बई-400 050	केएसके एनर्जी वेंचर पीएलसी (केपीवीपी)	318.06	100.00
		स्थान: हैदराबाद (ट्विन सिटीज) (आन्ध्र प्रदेश) अनुमोदन सं. (तारीख): 200 (31 अक्तूबर, 2006)		विनिर्माण की मद: भारत के विभिन्न राज्यों में मल्टीपल प्लांटों के संवर्धन, विकास करने, स्थापित करने और निवेश करने का व्यापार और पावर जनरेटिंग कम्पनियों में अनुप्रयाह निवेश	
23.	203, 22 सितंबर, 2006	एईएस ओपीजीसी होल्डिंग, चौथा तल, लेसकैसकेट्स बिल्डिंग, इडीथ कावेल स्ट्रीट, पोर्टलुइस, मारीशियस	एईएस ओपीजीसी होल्डिंग, मारीशियस और/अथवा किसी अन्य ग्रुप, और एईएस कार्पोरेशन, यूएसए से संबद्ध किसी अन्य कम्पनी	1650.00	100.00
		स्थान: छत्तीसगढ़ (छत्तीसगढ़) अनुमोदन सं. (तारीख): 239 (31 दिसम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: 36 गणराज्य में ग्रीनफिल्ड कोल आधारित पावर जनरेशन प्लांट बनाने के लिए और कैप्टिव खपत के लिए कोयले का खनन करने हेतु डब्ल्यूओएस को स्थापित करना	
24.	209, 03 अक्तूबर, 2006	पैसिफिका इंफ्रास्ट्रक्चर कं. प्रा.लि. मार्फत प्राइसवाटर हाउस कूपर, 11ए सुचेता भवन, दूसरा तल, विष्णु दिगम्बर मार्ग, पर नई दिल्ली	पीएसी (ओएमआर) वेंचर्स मारीशियस (पैसिफिक मारीशियस)	62.49	100.00
		स्थान: अहमदाबाद (गुजरात) अनुमोदन सं. (तारीख): 235 (31 दिसम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: आईटी पार्क के निर्माण के लिए ई-लाइट्स टेक्नो पार्क प्राइवेट लि. में डाउनस्ट्रीम निवेश बनाए रखना तथा विदेश प्रत्यक्ष विदेश नीति के अनुसरण में लगी उन अन्य भारतीय कम्पनियों में डाउनस्ट्रीम निवेश बनाए रखना जो रीयल स्टेट क्षेत्र में काम कर रही हैं।	

1	2	3	4	5	6
25.	217, 13 अक्तूबर, 2006	ई-सिटी इन्फोटेक डेवलपर्स प्रा.लि., मार्फत बीएमआर एंड एसोसिएट्स 70 ग्रेट ईस्टर्न सेंटर प्रथम तल, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	हार्स-शू कैपिटल, मारीशियस	0.01	100.00
		स्थान: ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) अनुमोदन सं. (तारीख): 230 (30 नवम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: दूरसंचार अवसंरचना प्रोवाइडर की गतिविधियों को चलाना - कैटेगरी 1 (आईपी-1) - डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यापार और अधिग्रहण, विकास करके, निर्माण करके, धारण करके लीजिंग और प्रबंध करके तथा मल्टी टेनेंटिंग कम्युनिकेशंस सेवाएं मुहैया कराना	
26.	233, 18 अक्तूबर, 2006	डिशनेट वायरलेस लि. मार्फत हमीरचंद एंड मंगलदास एंड सुरेश ए श्राफ एंड कम्पनी, 216 ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, फेस 3, नई दिल्ली-110 020	ग्लोबल कम्युनिकेशंस सर्विसेस होल्डिंग लि. (जीसीएसएचएल) (मेसर्स एयरसेल लि. के माध्यम से)	29.80	74.00
		स्थान: चेन्नई (तमिलनाडु) अनुमोदन सं. (तारीख): 210 (31 अक्तूबर, 2006)		विनिर्माण की मद: यूमिफाईड एसएस सर्विसेस आदि में वायरलेस इंटरनेट सेवाएं और सीएमटीज को हाथ में लेना	
27.	224, 18 अक्तूबर, 2006	एयरसेल सेलुलर लि. मार्फत हमीरचंद एंड मंगलदास एंड सुरेश ए श्राफ एंड कम्पनी, 216 ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, फेस 3, नई दिल्ली-110 020	एलोबल कम्युनिकेशंस सर्विसेस होल्डिंग्स लिमिटेड, मारीशियस (मेसर्स एयरसेल लि. के माध्यम से)	49.00	73.99
		स्थान: चेन्नई (तमिलनाडु) अनुमोदन सं. (तारीख): 209 (31 अक्तूबर, 2006)		विनिर्माण की मद: सेलुलर मोबाइल टेलीफोनी सेवाएं	
28.	240, 07 नवम्बर, 2006	इस्सार स्पेसटेल प्रा. लि. मार्फत संदीप कथूरिया-वीपी कार्पोरेट रेग्युलेटरी, सी-48, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-2, नई दिल्ली-110 020	हचिसन टेलीकाम (इंडिया) लि., मारीशियस	0.00	58.15
		स्थान: जम्मू और कश्मीर (जम्मू और कश्मीर) अनुमोदन सं. (तारीख): 222 (31 दिसम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सर्विसेस और यूनिफाइड एसएस सर्विस प्रोवाइडर	

कुल वित्तीय मामले : 8 कुल विदेशी इक्विटी करोड़ रुपये में : 2339.36

1	2	3	4	5	6
			देश: अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.)		
29.	1, 09 जनवरी, 2006	एसटीआर एसोसिएट्स एंड कम्पनी, 189-बी/बी-4, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली	यलित केरम	0.39	50.00
		स्थान: दिल्ली (दिल्ली) अनुमोदन सं. (तारीख): 1 (30 नवम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: फीचर फिल्मों के राइट्स की खरीद और बिक्री	
30.	2, 09 जनवरी, 2006	श्री गणेश पिक्चर्स, 189-बी/बी-4, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली-110 029	सुशील देवेत्त	0.38	50.00
		स्थान: दिल्ली (दिल्ली) अनुमोदन सं. (तारीख): 2 (30 नवम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: फीचर फिल्मों के राइट्स की खरीद और बिक्री	
31.	3, 09 जनवरी, 2006	लक्ष्य इंटरटेनमेंट्स प्रा.लि. 189-बी/बी-4, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली-110029	सुशील देवेत्त	0.39	50.00
		स्थान: दिल्ली (दिल्ली) अनुमोदन सं. (तारीख): 3 (30 नवम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: फीचर फिल्मों के राइट्स की खरीद और बिक्री	
32.	4, 09 जनवरी, 2006	लक्ष्य इंटरटेनमेंट्स प्रा.लि. 189-बी/बी-4, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली-110029	ललित केरम	0.38	50.00
		स्थान: दिल्ली (दिल्ली) अनुमोदन सं. (तारीख): 4 (30 नवम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: फीचर फिल्मों के राइट्स की बुटिंग और बिक्री	
33.	11, 06 फरवरी, 2006	इंटरनेशनल स्पेशलिटी इंग्रीडिएंट्स एस-39, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110 027	लखविन्दर पाल सिंह	3.00	60.00
		स्थान: दिल्ली (दिल्ली) अनुमोदन सं. (तारीख): 11 (30 नवम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: तरल बाह्य और ओरल आदि के रूप में विभिन्न खुराकों के रूप में फार्मास्युटिकल्स फार्मुलेशंस आदि का विनिर्माण	
34.	21, 11 अगस्त, 2006	अडवेंटिटि वीटीओ (इंडिया) प्रा.लि. एडवेंटिटि हाउस, सी-2, वागले इंडस्ट्रियल इस्टेट, एमआईडीसी, थाणे (वेस्ट) मुम्बई-400 604	मि. निकेत पाटनकर, 13, लार्क्सपुर ड्राइव, डेंटइन न्यूजर्सी-08810, यूएसए	0.26	14.88
		स्थान: ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) अनुमोदन सं. (तारीख): 21 (31 अक्तूबर, 2006)		विनिर्माण की मद: नालेज प्रोसेसिंग आउट-सोर्सिंग सर्विसेस एंड ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग	

1	2	3	4	5	6
				आउटसोर्सिंग सर्विसेस के लिए एडवेंटियरी बीओपी इंडिया लि. के इक्विटी शेयरों को रेजीडेंट ट्रस्ट के ट्रस्टियों से नॉनरेजीडेंट इंडियन्स को वितरण के जरिए अंतरण	
35.	23, 26 अक्तूबर, 2006	कोअर प्रोजेक्ट टेक्नालाजिज लि. मार्फत बाजला, अय्यर एंड एसोसिएट्स 302-ए, पूनम चैम्बर्स, डा. एनए बसन्त रोड, वर्ली, मुम्बई-400 018	शेखर अय्यर, 570, ग्रुप लाइन ड्राइव, मैरिएटा जार्जिया, यूएसए, एनआरआई	0.00	24.00
		स्थान: गुड़गांव (हरियाणा) अनुमोदन सं. (तारीख): 23 (31 दिसम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: इंटरप्राइस कम्प्यूटिंग सर्विसेस, इंक यूएसए में 24 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी का अधिग्रहण	
		कुल वित्तीय मामले : 7 कुल विदेशी इक्विटी करोड़ रुपये में : 4.80			
		देश: नीदरलैंड			
36.	10, 18 अगस्त, 2006	मितसुयी आटोमोटिव इंवेस्टमेंट बी-बी मार्फत मयूर बत्रा एंड कं. 7, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110 001	मितसुयी आटोमोटिव इंवेस्टमेंट बी-बी	0.00	51.00
		स्थान: दिल्ली (दिल्ली) अनुमोदन सं. (तारीख): 10 (30 नवम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: भारत में टोएटा द्वारा निर्मित कारों के खुदरा व्यापार का व्यवसाय करना	
37.	153, 10 अगस्त, 2006	रीड एल्सीवियर ओवरसीज बीबी मार्फत मुल्ला एंड मुल्ला एंड क्रैगीब्ल्युएंट कारोई मुल्ला हाउस, 51 महात्मा गांधी रोड, फोर्ट मुम्बई-400 001	रीड एल्सीवियर ओवरसीज बीबी नीदरलैंड	1.53	50.00
		स्थान: ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) अनुमोदन सं. (तारीख): 202 (31 अक्तूबर, 2006)		विनिर्माण की मद: प्रकाशन और सूचना गतिविधियां	
38.	163, 21 अगस्त, 2006	डाईजियो हाईलैंड्स होल्डिंग बीबी, नीदरलैंड मार्फत मेसर्स कार्पोरेट लॉ जीआर, 1106-1107, 11वां तल, कैलाश बिल्डिंग, 26 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001	डाईजियो हाईलैंड्स होल्डिंग बीबी, नीदरलैंड	1.75	50.00

1	2	3	4	5	6
		स्थान: जालंधर (पंजाब) अनुमोदन सं. (तारीख): 207 (31 अक्तूबर, 2006)		विनिर्माण की मद: बाद में बनी विदेशी शराब का विनिर्माण जिसमें डिस्टलिंग, डैक्टीफाइंग और फारमैंटेड सामग्रियों में से स्प्रिट की ब्लैंडिंग, इथाइल अल्कोहल उत्पादन शामिल है	
39.	178, 05 सितम्बर, 2006	ओवरचर सर्विसेस यूरोप बीबी नीदरलैंड मार्फत आर्चर एंड एंगेल के-4, साउथ एक्सटेशन 2, नई दिल्ली-110 049	ओवरचर सर्विसेस यूरोप बीबी नीदरलैंड	0.01	100.00
		स्थान: ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) अनुमोदन सं. (तारीख): 196 (31 अक्तूबर, 2006)		विनिर्माण की मद: भारत में इंटरनेट टेलीफोनी और संचार सेवाएं मुहैया कराना	
		कुल वित्तीय मामले : 4 कुल विदेशी इक्विटी करोड़ रुपये में : 3.29			
			देश: सिंगापुर		
40.	164, 21 अगस्त, 2006	जीएफके हेल्थ केयर एशिया मार्फत मेसर्स डीएसके लीगल, 2, पालम मार्ग, बसन्त विहार, नई दिल्ली-110 057	जीएफके हेल्थ केयर एशिया, प्रा. लि., सिंगापुर	0.50	100.00
		स्थान: कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) अनुमोदन सं. (तारीख): 198 (31 अक्तूबर, 2006)		विनिर्माण की मद: विपणन और बिक्री आदि के क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ता अनुसंधान करने के व्यवसाय में लगे	
41.	171, 28 अगस्त, 2006	उदावाल्ट लिडिसने कम्पनी (साउथ ईस्ट एशिया) प्रा. लि. मार्फत आरएसएम एंड कम्पनी, एनबिट आरएसएम हाउस, 449 सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400 013	उदावाल्ट लिडिसने कम्पनी (साउथ ईस्ट एशिया) प्रा. लि. सिंगापुर या तो सीधे अपने निदिष्ट व्यक्तियों सहायकों या संबद्ध व्यक्तियों के द्वारा	1.00	100.00
		स्थान: ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) अनुमोदन सं. (तारीख): 215 (30 नवम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: भारत से अपलिंकी अनुमति के साथ बच्चों को लक्ष्य बनाकर जर्नल इंटरटेनमेंट चैनल की धारिता और उसका परिचालक करने की गतिविधियों को चलाना	
42.	179, 07 सितम्बर, 2006	सालीटेयर कैपिटल इंडिया एस-38, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली-110 048	सालीटेयर कैपिटल इंवेस्टमेंट पीटीई लि. सिंगापुर	511.50	100.00

1	2	3	4	5	6
		स्थान: राज्य का नाम दर्शाया नहीं गया (राज्य का नाम दर्शाया नहीं गया) अनुमोदन सं. (तारीख): 199 (31 अक्तूबर, 2006)		विनिर्माण की मद: प्रेस नोट 2 (2005 शृंखला) के अंतर्गत अनुमत स्थावर सम्पदा गतिविधियों में डाउनस्ट्रीम निवेश करना	
43.	226, 18 अक्तूबर, 2006	डीएफएस वेंचर, सिंगापुर (पी) लि. सिंगापुर मार्फत प्राइस वाटर हाउस कूपर, 11-ए सुचेता भवन, दूसरा तल, विष्णु दिगम्बर मार्ग, पर नई दिल्ली	डीएफएस वेंचर, सिंगापुर (पी) लि. सिंगापुर और/अथवा इसकी सहायक कम्पनियां अथवा सहयोगी कम्पनियां		
		स्थान: दिल्ली (दिल्ली) अनुमोदन सं. (तारीख): 225 (30 नवम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: भारत में दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्यूटी फ्री दुकानों के व्यवसाय को करना	
44.	227, 18 अक्तूबर, 2006	डीएफएस वेंचर, सिंगापुर (पी) लि. सिंगापुर मार्फत प्राइस वाटर हाउस कूपर, 11-ए सुचेता भवन, दूसरा तल, विष्णु दिगम्बर मार्ग, पर नई दिल्ली	डीएफएस वेंचर, सिंगापुर (पी) लि. सिंगापुर और/अथवा इसकी सहायक कम्पनियां अथवा सहयोगी कम्पनियां	225.00	100.00
		स्थान: ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) अनुमोदन सं. (तारीख): 226 (30 नवम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: भारत में मुम्बई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्यूटी फ्री दुकानों के व्यवसाय को करना	
		कुल वित्तीय मामले : 5 कुल विदेशी इक्विटी करोड़ रुपये में : 756.00			
		देश: स्पेन			
45.	3, 02 मई 2006	लाडरो कामर्शियल एसए मार्फत अमर अग्रवाल, मेसर्स एसपीए एजेंसीज (आई) प्रा.लि. 164/3, लाडो सराय, नई दिल्ली-110 030	लाडरो कामर्शियल एसए	0.00	52.00
		स्थान: राज्य का नाम दर्शाया नहीं गया (राज्य का नाम दर्शाया नहीं गया) अनुमोदन सं. (तारीख): 3 (31 अक्तूबर, 2006)		विनिर्माण की मद: 'लाडरा' के नाम से और उसेक रटाइल के तहत सिंगल ब्रांड उत्पा के विपणन के लिए खुदरा बुटिकों का नेटवर्क स्थापित करना	
		कुल वित्तीय मामले : 1 कुल विदेशी इक्विटी करोड़ रुपये में : 0.00			
		देश: श्रीलंका			
		डेमरो फर्निचर प्रा. लि: 150 (पुराना नं. 319) आरकोट रोड कोडम्बक्कम, चेन्नई-600 024	डेमरो एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	0.00	51.00

1	2	3	4	5	6
		स्थान: चेन्नई (तमिलनाडु) अनुमोदन सं. (तारीख): 6 (31 अक्तूबर, 2006)		विनिर्माण की मद: नोक डाउन फर्निचर आदि सहित डेमरो ब्रांड उत्पाद का खुदरा व्यापार	
		कुल वित्तीय मामले : 1 कुल विदेशी इक्विटी करोड़ रुपये में : 0.00			
			देश: स्वीडन		
47.	206 26 सितंबर, 2006	वोल्वो बस कार्पोरेशन, मार्फत एजेडबी एंड पार्टनर 67-4, चौथा क्रास, लावेले रोड, बैंगलौर-560 001	वोल्वो बस कार्पोरेशन, स्वीडन	27.20	70.00
		स्थान: बैंगलोर (शहरी) कर्नाटक अनुमोदन सं. (तारीख): 219 (30 नवम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: वोल्वो बस कार्पोरेशन आदि के डिजाईन पर आधारित बस और कोच बाडीज का विकास उनको बनाना विनिर्माण निर्यात और बिक्री के व्यापार को करना	
		कुल वित्तीय मामले : 1 कुल विदेशी इक्विटी करोड़ रुपये में : 27.20			
			देश: स्विटजरलैंड		
48.	173, 01 सितम्बर, 2006	रोफिमा होल्डिंग एजी. मार्फत लिटल एंड कम्पनी सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, महात्मा गांधी रोड, मुम्बई-400 023	रोफिमा होल्डिंग एजी, स्विटजरलैंड	0.50	100.00
		स्थान: महाराष्ट्र (महाराष्ट्र) अनुमोदन सं. (तारीख): 208 (31 अक्तूबर, 2006)		विनिर्माण की मद: सीलिंग लॉकिंग, लेबलिंग आदि के विनिर्माण का उप ठेकेदारी का व्यापार	
		कुल वित्तीय मामले : 1 कुल विदेशी इक्विटी करोड़ रुपये में : 0.50			
			देश: यूनाईटेड किंगडम		
49.	214, 12 अक्तूबर, 2006	इंगा एडवाइजर्स प्रा. लि. ए-404, नीलम सेंटर, हिंद साइकिल रोड, वर्ली, मुम्बई-400 030	कोलिंग्स स्टीवर्ट लि., यूके	5.83	50.00
		स्थान: ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) अनुमोदन सं. (तारीख): 232 (31 दिसम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: मर्जर और इक्वीजिशन आदि के लिए नॉनफंड बेस्ड इंवेस्टमेंट बैंकिंग, एडवाइजरी सर्विसेस के तहत गतिविधियां चलाना	
50.	225, 18 अक्तूबर, 2006	स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंवेस्टमेंट्स एंड लोन्स (आई) लि., 90 महात्मा गांधी रोड, पहला तल, कोर्ट, मुम्बई	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, यूके (एससीबी)	50.00	100.00

1	2	3	4	5	6
		स्थान: ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) अनुमोदन सं. (तारीख): 211 (31 अक्तूबर, 2006)		विनिर्माण की मद: एनबीएफसी गतिविधियां	
		कुल वित्तीय मामले : 2 कुल विदेशी इक्विटी करोड़ रुपये में : 55.83			
			देश: यूएसए		
51.	106, 02 अप्रैल, 2006	ब्राईट स्टार कार्पोरेशन, यूएसए मार्फत अन्स्र्ड एंड यंग प्रा. लि., 18वां तल, एक्सप्रेस टावर, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400 021	ब्राईट स्टार कार्पोरेशन, यूएसए या तो प्रत्यक्ष रूप से या इसकी सहायक कम्पनियों/सहयोगियों में से किसी के द्वारा	0.00	0.00
		स्थान: ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) अनुमोदन सं. (तारीख): 88 (31 दिसम्बर, 2006) निर्माण की वस्तु में संशोधन/परिवर्धन/विलोपन के कारण संशोधित		विनिर्माण की मद: अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों मेसर्स ब्राइट स्टर टेलीकाम इंडिया प्रा. लि. के माध्यम से कैश एंड कैरी आधार पर थोक व्यापार करना	
52.	156, 14 अगस्त, 2006	हिल्टन इंटरनेशनल कम्पनी, यूएसए मार्फत लुथरा एंड लुथरा 103, अशोका इस्टेट, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110 001	हिल्टन इंटरनेशनल कम्पनी, यूएसए	773.10	26.00
		स्थान: राज्य का नाम दर्शाया नहीं गया (राज्य का नाम दर्शाया नहीं गया) अनुमोदन सं. (तारीख): 236 (31 दिसम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: हिल्टन के तहत होटल और सर्विस्ड एपार्टमेंट्स	
53.	185, 11 सितंबर, 2006	बीकमैन हेलिक्स इंडिया कंसल्टिंग प्रा. लि., मार्फत प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्रा. लि., 11-ए, सुचेता भवन, दूसरा तल, विष्णु दिगम्बर मार्ग, पर नई दिल्ली	बीकमैन हेलिक्स इंडिया पार्टनर्स एलएलसी, यूएसए	45.00	100.00
		स्थान: दिल्ली (दिल्ली) अनुमोदन सं. (तारीख): 216 (30 नवम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: स्थावर सम्पदा क्षेत्र में लगी भारतीय कम्पनियों में डाउनस्ट्रीम निवेश	
54.	205, 26 सितंबर, 2006	नैब्स इंक पांडिचेरी, 16/4ए, सैकेण्ड स्ट्रीट, पशुमपोन नगर मुलाकुलम, पांडिचेरी-605010	नैब्स इंक, न्यूयार्क यूएसए	5.00	100.00
		स्थान: पांडिचेरी (पांडिचेरी) अनुमोदन सं. (तारीख): 220 (30 नवम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: लघु उद्योग क्षेत्र से प्राप्त की गई वस्तुओं की खरीद फरोख्त	

1	2	3	4	5	6
55.	216, 13 अक्तूबर, 2006	फाक्स चैनल्स (इंडिया) प्रा. लि. स्टार हाउस, डा. ई. मोसेस रोड, महालक्ष्मी, मुम्बई-400 011	फाक्स इंटरनेशनल चैनल्स (यूएस) इंक यूएसए	1.57	100.00
		स्थान: दिल्ली (दिल्ली) अनुमोदन सं. (तारीख): 229 (30 नवम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: गैर 'समाचार और सम-सामयिक खबरों' के टेलीविजन चैनलों के टेलीविजन प्रसारण व्यवसाय को करना। इसकी गतिविधियों में खरीदना/लाइसेंसिंग कन्टेंट, इन हाउस कार्यक्रमों का सृजन, एग्रीगेटिंग कंटेंट और मेकिंग चैनल भी शामिल है किन्तु यह इन तक सीमित नहीं है	
56.	624, 13 अक्तूबर, 2006	याहू येव सर्विस इंडिया प्रा. लि. मार्फत आर्चर एंड एंजल, के-4, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-2, नई दिल्ली-110 049	याहू इंक, यूएसए	0.00	0.00
		स्थान: बैंगलोर (शहरी) (कर्नाटक) अनुमोदन सं. (तारीख): 543 (30 नवम्बर, 2006) अनुमोदन पत्र में किसी शर्त के विलोपन/संशोधन के कारण संशोधन		विनिर्माण की मद: कम्प्यूटर साफ्टवेयर और साफ्टवेयर सेवाएं	
		कुल वित्तीय मामले : 6 कुल विदेशी इक्विटी करोड़ रुपये में : 824.67			
		देश: अनिर्दिष्ट देश			
57.	47, 06 फरवरी, 2004	आईसीआईसीआई वेंचर फंड्स मैनेजमेंट कम्पनी लि., आईसीआईसीआई बैंड टावर्स 8वां तल, साउथ टावर, बांद्रा, कुर्ला काम्पलेक्स, मुम्बई-400 051, भारत	एनआरआई, पीआईओ, और अन्य विदेशी निवेशक	1,090.00	75.00
		स्थान: बैंगलोर (शहरी) (कर्नाटक) अनुमोदन सं. (तारीख): 193 (31 दिसम्बर, 2006) इक्विटी में वृद्धि के कारण संशोधन		विनिर्माण की मद: एनबीएफसी	
58.	202, 22 सितंबर, 2006	शान्ता बायोटेक्नीक्स लि., तीसरा तल, शेरनी चैम्बर, रोड नं. 7 बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500 034	एचई शेख घासानी शंकर, डा. मार्क ग्लासे, डा. मिखिल मेकनाइट, स्मित जा, मेडिविका, डेविड पोवेल, ओल्गा, प्रोडोनाविक	1.10	88.19

1	2	3	4	5	6
		स्थान: हैदराबाद (ट्विन सिटीज) (आन्ध्र प्रदेश) अनुमोदन सं. (तारीख): 213 (30 नवम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: रीकम्बीनेंट-डीएनए आधारित बायोटेक उत्पादों और अन्य बायो जेनरिक्स के अनुसंधान, विकास, विनिर्माण और विपणन संबंधी गतिविधियों को चलाना	
		कुल वित्तीय मामले : 2 कुल विदेशी इक्विटी करोड़ रुपये में : 1091.10			
		देश: जार्डन			
59.	554, 16 सितम्बर, 1998	आर्मेक्स इंडिया प्रा. लि., प्लाट नं. ए 60/61, एमआईडीसी, फर्स्ट रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई-400 093	आर्मेक्स इंटरनेशनल लि. जार्डन	0.00	0.00
		स्थान: ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) अनुमोदन सं. (तारीख): 569 (30 नवम्बर, 2006) अनुमोदन पत्र की किसी शर्त के विलोपन/संशोधन के कारण संशोधन		विनिर्माण की मद: आर्मेक्स इंडिया के घरेलू/स्थानीय उपभोक्ता अपने संबंधितों/पार्टियों को भारत के बाहर सामान भेजेंगे	
		कुल वित्तीय मामले : 1 कुल विदेशी इक्विटी करोड़ रुपये में : 0.00			
		देश: विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ.आई.आई.)			
60.	199, 20 सितम्बर, 2006	अरबर इंफ्रास्ट्रक्चर वेंचर कैपिटल लि. स्किल हाउस, 209 बैंक स्ट्रीट, क्रास लेन, फोर्ट, मुम्बई	अनिवासी भारतीय और विदेशी निवेशक	2,484.00	90.00
		स्थान: ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) अनुमोदन सं. (तारीख): 237 (31 दिसम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: उन क्षेत्रों/सेक्टरों में निवेश करना जिनमें 100 प्रतिशत तक स्वत: निवेश की अनुमति है जैसे कि शहरी अवसंरचना क्षेत्र जिसका मुख्य जोर रिहायशी और वाणिज्यिक परिसरों के निर्माण पर है जिसमें व्यापारिक केंद्रों, आईटी पार्कों और कार्यालय शामिल है	
61.	201, 21 सितंबर, 2006	पोनिनसुला रिएलिटी फंड मार्फत आरएसएम एंड कम्पनी, तीसरा तल हेबिटेट इंडिया टायर 1 ई-3, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110 016	विभिन्न समुद्रपारीय निवेशक जैसे कि प्रतिष्ठित संस्थानिक निवेशक गैर आवासीय व्यक्ति जिनमें अनिवासी भारतीय, विदेशी कार्पोरेट आदि भी शामिल हैं	1,596.00	100.00

1	2	3	4	5	6
		स्थान: ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) अनुमोदन सं. (तारीख): 238 (31 दिसम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: विकास परियोजनाओं के निर्माण में निवेश जो भारत सरकार की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीतियों और अन्य मान्य सभी कानूनों और नियमों के अनुरूप हैं में निवेश	
62.	243, 09 नवम्बर, 2006	रिलायंस टेलीक़ाम लि., एच ब्लाक, पहला तल, धीरूभाई अम्बानी नालेज सिटी, नवी मुम्बई-400 710	मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस लि. के माध्यम से विदेशी संस्थागत निवेशक अनिवासी भारतीय	0.00	74.00
		स्थान: ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) अनुमोदन सं. (तारीख): 224 (30 नवम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: दूरसंचार का व्यवसाय	

कुल वित्तीय मामले : 3 कुल विदेशी इक्विटी करोड़ रुपये में : 4080.00

[हिन्दी]

माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण

924. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रारंभिक शिक्षा 'सर्वशिक्षा' की तर्ज पर माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर चुके लोगों को माध्यमिक शिक्षा देने के लिए क्या योजना अपनाए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार सभी राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार हेतु एक केन्द्रीय योजना तैयार करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सभी राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को राज्य-वार इस संबंध में कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ज) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (च) इस समय माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में विकलांग बच्चों के लिये एकीकृत शिक्षा, विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं के लिये भोजन और छात्रावास संबंधी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की स्कीम (बालिका छात्रावास स्क्रीम) जैसी विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों कार्यान्वित की जा रही हैं। बस्तियों के आसपास ही माध्यमिक विद्यालय सुलभ कराने, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और बालक-बालिकाओं के मध्य असमानता दूर करने के उद्देश्य से पूरे देश में सभी को माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने संबंधी स्कीम को कार्यान्वित करने के लिये संकल्पना संबंधी पेपर तैयार किया गया है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अवैध खनन

925. श्री जुएल ओराम:
श्री सुनील खां:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी राज्य सरकारों से अवैध खनन

को रोकने के लिए नियम बनाने और कृतिक बल गठित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न राज्यों द्वारा अभी तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके बाद से विभिन्न राज्यों में अवैध खनन किस सीमा तक रूका है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, हां।

(ख) अभी तक 14 राज्यों ने एम.एम.डी.आर. अधिनियम 1957 की धारा 23-ग के अंतर्गत नियम बनाये हैं और 19 राज्यों ने टास्क फोर्स का गठन किया है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-7-2005 से 31-12-2006 की अवधि के लिए राज्य सरकारों ने प्रमुख/गौण खनिजों के अवैध खनन के 40495 मामलों का पता लगाया है जिसमें 14577.11 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है तथा 1180 एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं और अदालतों में 6415 मामले दायर किए गए हैं जिनमें से 5531 मामलों का निर्णय किया जा चुका है और दण्ड के तौर पर 53.36 करोड़ रुपये वसूल किये गये हैं।

संवेदनशील क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

926. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ क्षेत्रों में कुछ देशों द्वारा किए जा रहे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है जैसाकि दिनांक 14 फरवरी, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार आ रही भारी धनराशि की जांच करने के लिए विद्यमान व्यवस्था में कोई तंत्र नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या उच्च स्तरीय सचिवों के पैनल ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से कुछ क्षेत्रों में निगाह रखने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो संवेदनशील क्षेत्र के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा स्क्रिनिंग स्तर पर ही सुरक्षा चिंताओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) सरकार को दिनांक 14 फरवरी, 2007 के दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित समाचार के बारे में जानकारी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलू सरकार की सर्वोपरि चिन्ता के विषय हैं।

(ग) सरकार ने एक उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) नीति की शुरुआत की है जिसके अन्तर्गत अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वत: मार्ग के तहत एफ.डी.आई. की अनुमति दी गई है और किसी पूर्व सरकारी अनुमोदन की जरूरत नहीं है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का हस्तांतरण अथवा निर्गम) विनियमन, 2000, जिसमें एफ.डी.आई. नीति सम्मिलित है, उन देशों को दर्शाती है जहां से निवेश की अनुमति नहीं है। पूर्व सरकारी अनुमोदन चाहने वाले प्रस्तावों पर एक अन्त:मंत्रालयीय निकाय विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) द्वारा विचार किया जाता है जो सुरक्षा से संबंधित मामलों सहित सभी कारकों को ध्यान में रखता है।

(घ) और (च) राष्ट्रीय सुरक्षा की संवेदनशीलता के सभी मुद्दों का उचित रूप से निरन्तर ध्यान रखा जाता है।

आसियान के साथ मुक्त व्यापार

927. डा. टोकचोम मैन्या: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसियान के साथ मुक्त व्यापार की बातचीत में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आसियान के साथ इस समय कितने रुपयों का व्यापार किया जाता है;

(घ) आसियान के साथ मुक्त व्यापार हो जाने के बाद रुपयों के संदर्भ में कितना व्यापार होने का अनुमान है;

(ङ) क्या म्यांमार से होकर आसियान के साथ सड़क और डाक संपर्क स्थापित करने के लिए कोई काम चल रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) आसियान आर्थिक

मंत्रियों (ए.ई.एम.) - भारत के बीच विचार-विमर्श सेबू, फिलिपीन्स में 11 जनवरी, 2007 को आयोजित किए गए थे, जिसके बाद उसी स्थान पर 14 जनवरी, 2007 को आसियान-भारत शिखर बैठक का आयोजन किया गया था। इन बैठकों के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि किसी एफ.टी.ए. पर बातचीत करने हेतु दोनों पक्षों को आगे और विचार-विमर्श करने की जरूरत होगी।

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान आसियान को भारत के निर्यात 45,641,788 रुपए और आयात 66,040,888 रुपए के हुए थे।

(घ) चूंकि कोई अंतिम सहमति नहीं बनी है इसलिए व्यापार की मात्रा का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

एफ.सी.आर.ए. से सम्बन्धित नया कानून

928. श्री नकुल दास राई: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम (एफ.सी. आर.ए.) से सम्बन्धित विद्यमान कानून के स्थान पर नया कानून आ गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस कानून में गैर-सरकारी संगठनों के लिए अधिनियम, 1961 की धारा 11(5) में अन्तर्निहित दिशा निर्देश के समान किन्हीं निवेश दिशा निर्देशों का उपबंध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इसके किसी अन्य गैर-सरकारी संगठन जो एफ.सी.आर.ए. के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है विलय या आमेलन हो जाने पर एफ.सी.आर.ए. से पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों को गृह मंत्रालय से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) विदेशी अभिदाय विनियमन विधेयक, 2006 को राज्य सभा में 18-12-2006 को प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक को राज्य सभा द्वारा विचार किए जाने हेतु स्थायी समिति को भेज दिया गया है। इस विधेयक की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(i) विदेशी अभिदाय या विदेशी आतिथ्य को विनियमित, स्वीकार और उपयोग करने और राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि के लिए इसके उपयोग पर रोक लगाने के लिए कानून का समेकन करना;

(ii) विदेशी अभिदाय प्राप्त करने में राजनैतिक दल न होने पर भी राजनैतिक स्वरूप वाले संगठनों पर रोक लगाना;

(iii) किसी भी इलेक्ट्रोनिक माध्यम से श्रव्य समाचार या श्रव्य दृश्य समाचारों या समसामयिक विषयों के निर्माण या उसके प्रसारण में लगे संगठनों को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाना;

(iv) किसी भी प्रकार के सट्टा व्यापार के लिए विदेशी अभिदाय के उपयोग पर रोक लगाना;

(v) प्रशासनिक व्यय को विदेशी अभिदाय की प्राप्ति के पचास प्रतिशत हिस्से तक सीमित रखना;

(vi) विदेश में रह रहे संबंधियों से प्राप्त विदेशी निधियों को शामिल न करना;

(vii) विधेयक के अंतर्गत पंजीकरण या पूर्व अनुमति के लिए मना करने के आधारों की सूचना देने हेतु प्रावधान करना;

(viii) अनुवीक्षण के सुदृढ़ीकरण हेतु संबंधित एजेंसियों द्वारा भेजी गई विदेशी धनराशियों के प्राप्त होने पर सूचना के आदान-प्रदान हेतु प्रबंध करना;

(ix) पांच वर्ष तक पंजीकरण वैध रहने और उसके बाद आगे के लिए एक बार में केवल पांच वर्ष के लिए पंजीकरण किया जाना;

(x) नियत जांच-पड़ताल के पश्चात् ही पंजीकरण को निलंबित करने और रद्द करने के लिए व्यवस्था करना और सुनवाई के लिए उचित अवसर देना;

(xi) कतिपय अपराधों के प्रशमन हेतु प्रावधान करना।

(ग) से (ङ) मौजूदा कानून में गैर सरकारी संगठनों के लिए किसी भी प्रकार के निवेश संबंधी दिशानिर्देशों की व्यवस्था नहीं

है। तथापि मसौदा विधेयक में, किसी प्रकार के सट्टा व्यापार के लिए विदेशी अभिदाय के इस्तेमाल को रोकने हेतु प्रस्ताव किया गया है।

(च) और (छ) मौजूदा कानून के अंतर्गत, कोई भी संगठन, जो विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियमन (एफ.सी.आर.ए.) के अधीन दर्ज नहीं है, विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय से पूर्व अनुमति मांग सकता है।

नया निवेश

929. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नए निवेश के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्वीकृति और अनुमोदन संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने का है ताकि बड़े निवेश और उच्च विकास के मार्ग में आने वाले अवरोधों को समाप्त किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नए निवेश में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) भारत सरकार विभिन्न मंचों पर उद्योगों के साथ बातचीत करती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और भारत सरकार द्वारा किए गए अध्ययनों में ढांचागत सुविधाओं की तंगी, कर व्यवस्था और सरकारी सेवाएं प्रदान करने की गुणवत्ता के साथ-साथ कुछ राज्य सरकारों के विशिष्ट मुद्दों को निवेश कार्यान्वयन की चुनौतियों के तौर पर उजागर किया गया है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने इन चिंताओं के समाधान हेतु निरंतर चलाई जाने वाली कई पहलें आरंभ की हैं। निवेश और उच्चतर विकास के रास्ते में आने वाली प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए उठाए गए कुछ प्रमुख कदम हैं - ई-गर्वनेंस एम.सी.ए.-21, निवेश नीति का उदारीकरण, राज्य सरकारों द्वारा एकल खिड़की प्रणाली व्यवस्था लागू करना, कर सुधार जिसमें शामिल हैं ऑनलाइन फाइल करना, बड़े करदाता इकाई, आयकर और कार्पोरेट कर के भुगतान के लिए एकल खिड़की, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क दस्तावेजों को ऑनलाइन करने के लिए आई.सी.ई. गेट, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 सामाजिक और भौतिक बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए की गई प्रमुख पहलें हैं - राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन, भारत निर्माण (ग्रामीण विकास के लिए), सर्व शिक्षा अभियान (शिक्षा के लिए), दूरसंचार क्षेत्र में निजी भागीदारी की नीति, राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम, नागर विमानन में सरकारी निजी साझेदारी, व्यवहार्यता अंतराल फंडिंग हेतु इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंस लि. की स्थापना और विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 इनके फलस्वरूप, सकल घरेलू उत्पाद में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है और यह 2004-05 में 7.5% से बढ़कर 2006-07 में 9.2% हो गयी। इसके अलावा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के तौर पर निवेशों में भी आकर्षक वृद्धि हुई जो 2003-04 में 28% से बढ़कर 2005-06 में 33.8% हो गई।

[हिन्दी]

ऑन लाइन पंजीकरण

930. चौ. मुनव्वर हसन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्ष 2007-08 और 2008-09 की बोर्ड परीक्षा हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने वाले शिक्षा संस्थानों का ऑन लाइन पंजीकरण की शुरुआत कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षिक सत्र 2007-08 से बोर्ड से संबंधन प्राप्त करने के लिये आवेदनों को ऑन लाइन प्राप्त करना शुरू कर दिया है। इसके बाद, शैक्षिक वर्ष 2008-09 से आवेदनों के पंजीकरण के लिये ऑन लाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है।

(ख) शैक्षिक सत्र 2007-08 और 2008-09 के लिये संबद्धन हेतु आवेदनों के ऑन लाइन पंजीकरण का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

उन स्कूलों की राज्य-वार संख्या जिनसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2007-08 के लिये ऑन लाइन आवेदन प्राप्त किये हैं

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	27
2.	अंडमान व निकोबार	3
3.	असम	25
4.	अरुणाचल प्रदेश	11
5.	बिहार	70
6.	चण्डीगढ़	10
7.	छत्तीसगढ़	30
8.	दिल्ली	57
9.	विदेशी विद्यालय	13
10.	गुजरात	41
11.	हरियाणा	151
12.	हिमाचल प्रदेश	27
13.	जम्मू-कश्मीर	7
14.	झारखंड	29
15.	कर्नाटक	56
16.	केरल	241
17.	मध्य प्रदेश	105
18.	महाराष्ट्र	59
19.	मणिपुर	7
20.	मिजोरम	1
21.	नागालैण्ड	2
22.	उड़ीसा	17
23.	पंजाब	118
24.	राजस्थान	104
25..	सिक्किम	1
26.	तमिलनाडु	26
27.	त्रिपुरा	2
28.	उत्तर प्रदेश	227
29.	उत्तराखण्ड	46
30.	पश्चिम बंगाल	16
	कुल	1529

विवरण-II

उन स्कूलों की राज्य-वार संख्या जिनसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2008-09 के लिये ऑन लाइन आवेदन प्राप्त किये हैं

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	19
2.	अंडमान व निकोबार	3
3.	असम	6
4.	अरुणाचल प्रदेश	4
5.	बिहार	20
6.	चण्डीगढ़	4
7.	छत्तीसगढ़	6
8.	दिल्ली	42

1	2	3
9.	विदेशी विद्यालय	10
10.	गुजरात	13
11.	हरियाणा	25
12.	हिमाचल प्रदेश	6
13.	जम्मू-कश्मीर	6
14.	झारखंड	13
15.	कर्नाटक	22
16.	केरल	37
17.	लक्षद्वीप	1
18.	मध्य प्रदेश	14
19.	महाराष्ट्र	10
20.	मणिपुर	5
21	उड़ीसा	8
22.	पंजाब	20
23.	राजस्थान	18
24.	तमिलनाडु	10
25.	उत्तर प्रदेश	64
26.	उत्तराखंड	10
27.	पश्चिम बंगाल	8
	कुल	404

[अनुवाद]

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता

931. श्री सुनील खां: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं और बच्चों के विकास को प्राथमिकता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) जी, हां। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को न्याय, बाल अधिकारों की सुरक्षा तथा आई.सी.डी.एस. स्कीम के विस्तार पर विशेष बल के साथ महिलाओं और बच्चों का समग्र विकास प्रमुख क्षेत्र होंगे।

केरल में केन्द्रीय गुप्तचर विद्यालय

932. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से केरल में केन्द्रीय गुप्तचर विद्यालय की इकाई की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस इकाई की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) केरल में केन्द्रीय जासूसी प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित करने के लिए केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस मामले की जांच की गई और यह निर्णय लिया गया कि विस्तृत अध्ययन के बिना केरल में केन्द्रीय जासूसी प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित करना व्यवहार्य नहीं होगा।

[हिन्दी]

पालना योजना

933. श्री देविदास पिंगले:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री ब्रजेश पाठक:
श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री मो. ताहिर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में निराश्रित/उपेक्षित बालिकाओं के लिए 'पालना योजना' शुरू करने का है जैसाकि दिनांक 19 फरवरी, 2007 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी बालिकाओं के संबंध में कोई आकलन कराया है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार ऐसी बालिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(घ) क्या उक्त योजना के सभी ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) सरकार ने 'समेकित बाल संरक्षण स्कीम' का प्रस्ताव किया है, जिसके विभिन्न घटकों में 'क्रैडिट बेबी स्कीम' अथवा 'पालना' भी शामिल हैं। प्रस्तावित समेकित बाल संरक्षण स्कीम को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में चलाए जाने पर विचार किया जा रहा है।

(ख) से (च) प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की राष्ट्रीय औसत संख्या का वर्ष 1991 में 945 से कम होकर वर्ष 2001 में 927 पर आ जाना, समस्या की गंभीरता दर्शाता है। समेकित बाल संरक्षण स्कीम में प्रत्येक जिले में 'पालना शिशु स्वागत केंद्र' स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। ये पालना शिशु स्वागत केंद्र परित्यक्त शिशु प्राप्त करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वाधार, गृहों, अल्पावास गृहों और जिला बाल संरक्षण एककों में स्थापित किए गए पालना केंद्रों से संबद्ध किए जाएंगे। ये पालना शिशु स्वागत केंद्र शिशुओं के लिए सभी आधारभूत सुविधाओं से संपन्न राज्य दत्तक ग्रहण अभिकरण के परिसर में चलाए जायेंगे। इन स्वागत केंद्रों का मूल उद्देश्य परित्यक्त बालिकाएं प्राप्त करके, उनका दत्तक ग्रहण कराए जाने तक उनकी स्नेहपूर्वक यथोचित देखभाल करना होगा। प्रत्येक राज्य दत्तक-ग्रहण अभिकरण ऐसे परित्यक्त शिशु प्राप्त करने के लिए अपने परिसर में भी पालना स्थापित करेगा।

प्याज का निर्यात

934. श्री ब्रजेश पाठक:

श्री मो. ताहिर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विदेशी मुद्रा की हुई हानि का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) बढ़ती हुई कीमतों के कारण वर्ष 2005 में कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता का आकलन किया गया था। इस मामले में किसी कार्रवाई को उचित नहीं समझा गया था क्योंकि वर्ष में निर्यात पहले ही कम थे जबकि प्रतिकूल मौसमी दशाओं के बावजूद इस वस्तु की आपूर्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं थी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एसबेसट्स खनन

935. श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खान ब्यूरो ने राजस्थान के एसबेसट्स खान श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) एसबेसट्स खानों को पट्टे पर देने तथा पट्टे के नवीकरण पर लगे प्रतिबंध को कब तक हटा दिया जाएगा?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (घ) 'राजस्थान में एस्बेस्ट्स खानों और प्रोसेसिंग संयंत्रों में प्रदूषण स्तर का अध्ययन' नामक एक एस एण्ड टी परियोजना पर मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) ने कार्य किया था। इस अध्ययन में यह सिफारिश की गई थी कि

कार्य परिवेश में प्रदूषण स्तर संबंधी रक्षोपाय लागू करने के अध्यधीन, खनन पट्टे प्रदान करने और उनका नवीकरण करने तथा खनन का विस्तार करने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाया जा सकता है।

सभी स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके, इस अध्ययन की सिफारिशों की जांच की गई है। कुछ स्टेकहोल्डरों ने सुझाव दिया है कि उपयुक्त रक्षोपायो के साथ एस्बेस्टस खनन की अनुमति दी जा सकती है। आई.बी.एम. से कहा गया है कि वह केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और खान सुरक्षा महानिदेशालय के परामर्श से इन रक्षोपायों को तैयार करे। फिलहाल, एस्टेस्टस के खनन पर लगे प्रतिबंध को हटाया नहीं गया है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

936. श्री आत्मा सिंह गिल: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्डों के अंतर्गत सभी राज्यों में गठित समाज कल्याण बोर्डों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य समाज कल्याण बोर्ड चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सभी योजनाओं के अंतर्गत संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनो को उचित रूप से अनुदान का आवंटन करता रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड सहित राज्य समाज कल्याण बोर्डों द्वारा राज्यवार कितने अनुदान को मंजूरी दी गई तथा किन-किन संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान दिया गया एवं किन-किन योजनाओं के अंतर्गत अनुदान किया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा अनियमितताओं के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत राज्य समाज कल्याण बोर्डों के कार्य निष्पादन की केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा राज्य सरकारों की निरीक्षण टीमों द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ख) जी, हां। राज्य समाज कल्याण बोर्ड संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों को सभी स्कीमों के अंतर्गत सही तरीके से अनुदान/धनराशि का आबंटन कर रहे हैं।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(घ) राज्य समाज कल्याण बोर्डों में नियुक्त क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा सहायता-प्राप्त संस्थाओं का नियमित रूप से दौरा किया जाता है तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का प्रबोधन किया जाता है। चूककर्त्ता गैर-सरकारी संगठनों तथा क्षेत्रीय अधिकारियों को दोषी पाए जाने/गलत रिपोर्ट देने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

अमरीका को सूती वस्त्रों का निर्यात

937. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रीलंका आदि जैसे पड़ोसी देशों की तुलना में संयुक्त राज्य अमरीका को किए जाने वाले सूती वस्त्रों के निर्यात में कोई कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अमरीका को किए जाने वाले सूती वस्त्रों के निर्यात में बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं। पिछले तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका से यूएसए को सूती वस्त्रों के निर्यात संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए अनुसार हैं:-

(मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में)

	2004	2005	2006
1	2	3	4
भारत	1613.40	2306.67	2635.84

1	2	3	4
बांग्लादेश	1239.17	1684.55	2185.88
श्री लंका	895.14	1062.57	1131.02

स्रोत: यूएस वाणिज्य विभाग (वस्त्र एवं अपैरल का कार्यालय)

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय वस्त्र उद्योग उभरती हुई वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके, इसके लिए उसे सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सरकार कई उपाय करती रही हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) प्रतिस्पर्धी निचले स्तर के वस्त्र उत्पादों के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए कपास की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने **कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी)** शुरू किया है। इस मिशन में कपास बाजार यार्डों के उन्नयन और जिनिंग एवं प्रैसिंग कारखानों के आधुनिकीकरण के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करने और प्रदूषण कम करने में सफलता हासिल की है।

(2) संगठित एवं असंगठित दोनों में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन को सुकर बनाने के लिए **प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)** शूरू की गई थी। वस्त्र उद्योग के लक्षित उप-क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ाने के लिए इस योजना को और अधिक अच्छा बनाया गया है। आयात पर सीमा शुल्क कम करके मशीनों की लागत और भी कम कर दी गई है।

(3) वस्त्र प्रसंरकरण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के तहत 20-4-2005 से 10% की दर से ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना शुरू की है।

4. लघु वस्त्र एवं पटसन औद्योगिक एककों के लिए सरकार ने ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना (सीएलसीएस) 13-1-2005 से 12% से बढ़ाकर 15% कर दी है।

(5) विद्युतकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण को सुकर बनाने के लिए उच्च **प्रौद्योगिक बुनाई पार्क, विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, समूह कार्यशाला योजना और 20% की दर पर ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना** जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। साथ ही सरकार ने 13-01-05 से 20% पूंजी सब्सिडी योजना-टीयूएफएस के तहत मशीनरी लिए पूंजी सीमा 60.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 100.00 लाख रुपए कर दी है।

(6) वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानकों को पूरा करने वाले अपने वस्त्र एककों की स्थापना करने के लिए विश्व श्रेणी की अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए अगस्त, 2005 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित **'एकीकृत वस्त्र पार्क योजना'** (एसआईटीपी) नामक एक योजना शुरू की गई है।

(7) बजट 2004-05 में, मानव निर्मित फाइबर एवं फिलामेंट यार्न को छोड़कर समस्त वस्त्र क्षेत्र को उत्पाद शुल्क से वैकल्पिक छूट प्रदान की गई थी। बजट 2005-06 में, पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न पर केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर (सेनवेट) 24% से घटाकर 16% कर दिया गया है। वित्तीय प्रभारों में इन संशोधनों का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए और अधिक निवेश आकर्षित करना है।

(8) कोटा पश्चात व्यवस्था में अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अत्याधुनिक मशीनरी का आयात सुकर बनाने के लिए बजट, 2005-06 में, वस्त्र मशीनों पर सीमा शुल्क कम कर 10% कर दिया गया है जिसमें सूची 49 में दर्शायी गयी 23 मशीनें शामिल नहीं हैं, जिन पर 15% आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) है। 5% का रिआयती शुल्क अधिकतर मशीनरी मदों पर 5% ही है।

(9) बजट 2005-06 में निटिंग एवं निटवियर की 30 मदें अनारक्षित कर दी गई हैं इससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए बड़े आकार की आधुनिकीकृत एककों की स्थापना करना सुकर होगा।

(10) सरकार ने बैंकों को वस्त्र क्षेत्र के लिए 8-9% की ब्याज दर पर ऋण देने की अनुमति प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से सितम्बर, 2003 से ऋण पुनर्गठन योजना शुरू की है।

(11) निचले स्तर पर बढ़ती हुई कुशल कार्मिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार मौजूदा अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजाइन केन्द्रों (एटीडीसी) को सुदृढ़ बनाने तथा नए एटीडीसी खोलने के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

(12) सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है।

(13) सरकार ने सिले-सिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है ताकि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाया जा सके।

(14) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना उद्योग के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित व्यावसायिकों को शामिल करके मूल्य वर्द्धन की संकल्पना के प्रति उद्योग को संवेदनशील बनाने के लिए अग्रणी भूमिका प्रदान करने के लिए की गई है। इसके फलस्वरूप, उद्योग की सेवा में लगे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित व्यावसायिकों की मांग बढ़ी है।

हीरों का व्यापार

938. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान हीरों के कुल कारोबार के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अच्छी गुणवत्ता वाले हीरों के उत्पादन के लिए सरकार का हीरा डिजाइन संस्थान की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) देश में प्रसंस्कृत अधिकांश हीरों का निर्यात किया जाता है। वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 (अगस्त, 2006 तक) के दौरान राज्यवार निर्यात कारोबार निम्नानुसार रहा है:-

क्र.सं.	राज्य	निर्यात का मूल्य (हजार रुपए में)		
		2004-05	2005-06	2006-07 (अगस्त, 06 तक)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	64	352	–
2.	बिहार	–	742	–
3.	दमन एवं दीव	–	843	–
4.	दिल्ली	3102	3911	166
5.	गोवा	–	33573	–
6.	गुजरात	93353	1351	563

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	–	–	114
8.	कर्नाटक	9536	588	1605
9.	केरल	–	1577	–
10.	मध्य प्रदेश	241	–	–
11.	महाराष्ट्र	464688733	513212155	189839927
12.	मेघालय	137	–	–
13.	पंजाब	–	5201	–
14.	राजस्थान	278135	330056	249028
15.	तमिलनाडु	25741	13782	2096
16.	उत्तर प्रदेश	1136	784	1559
17.	उत्तराखंड	–	3939	–
18.	पश्चिम बंगाल	1766	15109	–
19.	अविनिर्दिष्ट	963231	481298	10232
	कुल	466065175	514105261	190105290

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) इस समय भारतीय हीरा संस्थान, सूरत, भारतीय रत्न एवं आभूषण संस्थान, मुम्बई, भारतीय रत्न विज्ञान संस्थान, मुम्बई और भारतीय रत्न विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, देश में हीरों के प्रसंस्करण में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे किसी संस्थान की स्थापना हेतु सरकार का विशिष्ट अनुमोदन अपेक्षित नहीं होता है।

मानव संसाधन विकास पर 'प्लॉन पैनल कट्स'

939. श्री मनोरंजन भक्त: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मानव संसाधन विकास योजनाओं पर निगरानी समिति की सिफारिश के अनुसार 'प्लान पैनल कट्स' के बारे में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) संसद द्वारा 2007-08 हेतु योजनागत बजट का अनुमोदन किये जाने पर ओवरसाइट समिति की सिफारिशों के अनुसार दाखिला क्षमता में विस्तार हेतु संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे जैसा कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए दाखिले में आरक्षण हेतु केन्द्रीय विधान के तहत प्रावधान किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

असम की समस्या

940. श्री अनवर हुसैन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवाद की समस्या से निपटने का दृष्टिकोण शुद्ध सैनिक समाधान की अपेक्षा बहुआयामी होना चाहिए था, जैसा कि दिनांक 13 जनवरी, 2007 को 'हिंदुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) प्रतिबंधित संगठनों के वर्ष 1979 से वजूद में आने के पश्चात् राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) सरकार की नीति वार्ता आयोजित करने, सामाजिक-आर्थिक-विकास कार्यक्रम अपनाने, पुलिस/सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण करने तथा निर्दोष लोगों के जान और माल, सम्पत्ति की रक्षा करने में बलों की सहायता से आतंकवादियों की गतिविधियों का मुकाबला करने की है।

(ग) सरकार ने राज्य की सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक समस्याओं के हल के लिए अनेक कार्रवाईयां की है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ तीन आतंकवादी गुटों अर्थात यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक सोलिडिरिटी (यू.पी.डी.एस.), दीमा हलम दाओगाह (डी.एच.डी.) तथा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड (एन.डी.एफ.बी.) के साथ अभियान निलंबित करना; केन्द्रीय सहायता हेतु असम का वर्गीकरण विशेष वर्ग राज्य के रूप में करना; गैर व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल से 1998-99 से 2006-07 के बीच 247 परियोनजाओं हेतु 1187 करोड़ रुपए की मंजूरी शामिल है। असम राज्य में, भारत के संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत तीन स्वायत्तशासी परिषदों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। बोडो लैंड प्रदेशीय क्षेत्रीय जिले हेतु सामाजिक-आर्थिक आधारभूत ढांचे के लिए विशेष पैकेज भी प्रदान किया गया है।

अनुसूचित जनजातियों की सूची में जातियों का शामिल किया जाना

941. श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री संतोष गंगवार:
श्री जोवाकिम बखला:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनूसूचित जनजाति की सूची में किसी समुदाय अथवा जाति विशेष को शामिल करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं तथा कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से अनुसूचित जनजातियों की सूची में विभिन्न जातियों तथा समुदायों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्यवार ये जनजातियां कौन-कौन सी हैं;

(घ) आज की स्थिति के अनुसार सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजातियों की अनुसूची में शामिल की गई जातियों का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए निर्धारित मानदंड हैं:-

(1) आदिम विशेषताओं के संकेत

(2) अनूठी संस्कृति

(3) भौगोलिक अलगाव

(4) सामान्य रूप से समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच, और

(5) पिछड़ापन

अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने और सूचियों से बाहर करने के दावों का निर्णय करने के लिए जून, 1999 में सरकार द्वारा अनुमोदित तौर-तरीके के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किए जाने के लिए उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करने वाले समुदायों पर विचार किया जाता है।

(ख) से (घ) जी, हां। मंत्रालय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में विभिन्न समूहों और समुदायों के समावेशन, निष्कासन, आशोधन आदि के लिए भिन्न राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और अन्य एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय में प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। प्राप्त हुए प्रस्तावों को अनुमोदित तौर-तरीकों के अनुसार प्रक्रियान्वित किया गया है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोई समुदाय शामिल नहीं किया गया है।

विवरण

प्रस्तावों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्तावों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	95
2.	अरुणाचल प्रदेश	24
3.	असम	113
4.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2
5.	बिहार	35
6.	झारखंड	43
7.	चंडीगढ़	17
8.	दिल्ली	1
9.	दादर व नगर हवेली	3
10.	दमन व दीव	2
11.	गोवा	13
12.	गुजरात	14
13.	हरियाणा	4
14.	हिमाचल प्रदेश	14
15.	जम्मू-कश्मीर	11
16.	कर्नाटक	54
17.	केरल	59
18.	लक्षद्वीप	1
19.	मध्य प्रदेश	35
20.	छत्तीसगढ़	11
21.	मणिपुर	28
22.	मेघालय	17
23.	महाराष्ट्र	90
24.	मिजोरम	7
25.	नागालैण्ड	24
26.	उड़ीसा	88
27.	पाण्डिचेरी	11
28.	पंजाब	13
29.	राजस्थान	18
30.	सिक्किम	8
31.	तमिलनाडु	70
32.	त्रिपुरा	12
33.	उत्तर प्रदेश	37
34.	उत्तरांचल	22
35.	पश्चिम बंगाल	20
	कुल	1016

*अभ्यावेदन पर जाति/समुदाय-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु आरक्षण

942. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोइली समिति की सिफारिशों के मद्देनजर सरकार का विचार सभी प्रमुख कॉलेजों में सायंकालीन पारी शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे ओबीसी आरक्षण नीति के क्रियान्वयन में किस प्रकार सहायता मिलेगी;

(ग) क्या इस कदम की हर तरफ आलोचना हो रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में संभावित समस्या को सुलझाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) निरीक्षण समिति की सिफारिशों के मद्देनजर 'क्षमता विस्तार' संबंधी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तथा केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 का प्रावधान संबंधित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

पाटनरोधी शुल्क

943. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा पाटन को रोकने के लिए क्या प्रतिबद्धताएं निर्धारित की गई है तथा इस संबंध में जानकारी संपर्क तथा जांच के लिए क्या तंत्र विकसित किया गया है;

(ख) पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में कितने मामलों की जांच की गई;

(ग) कितने मामलों में पाटनरोधी प्रशुल्क लगाया गया है;

(घ) क्या सरकार पाटन को रोकने के लिए उपाय करने जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) पाटन/सब्सिडी से होने वाली व्यापार विकृति और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के प्रभाव को समाप्त करने के लिए पाटनरोधी/सब्सिडीरोधी जांच करने और जहां कहीं भी उचित हो, केन्द्र सरकार को पाटनरोधी अथवा प्रतिसंतुलनकारी उपाय लागू करने की सिफारिश करने के लिए सरकार ने पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डी.जी.ए.डी.) की स्थापना की है। घरेलू उद्योग द्वारा पाटन एवं क्षति का आरोप लगाते हुए प्रस्तुत आवेदनों पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा उसके तहत बनाई गई नियमावली के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाती है। यदि डी.जी.ए.डी. सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के तहत नियुक्त सीमाशुल्क आयुक्त अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त इस आशय की सूचना से संतुष्ट हो कि पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा दोनों के बीच कारणात्मक संबंध की मौजूदगी के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं तो वह स्वत: भी जांच शुरू कर सकता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान जांच के लिए शुरू किए गए पाटनरोधी मामलों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	मामलों की संख्या
2004	10
2005	11
2006	10
2007	3

(ग) वर्ष 1994 से आज की तारीख तक 156 मामलों में पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है। उक्त शुल्क इस समय 93 मामलों में लागू है।

(घ) और (ङ) पाटनरोधी जांच पाटन, क्षति तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का आरोप लगाते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर शुरू की जाती है। डी.जी.ए.डी. द्वारा पाटन की मौजूदगी एवं मात्रा की जांच की जाती है, पाटित वस्तु की पहचान की जाती है और जहां उचित होता है, लगाए जाने वाले पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करते हुए केन्द्र सरकार को अनंतिम और/या अंतिम जांच परिणाम प्रस्तुत किए जाते हैं।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए कार्यालयों की स्थापना

944. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए कार्यालयों की स्थापना के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के कितने नए कार्यालयों की देश में स्थापना की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर पंजाब के जिलों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के कुछ कार्यालयों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो स्थान-वार तथा राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 14 (1) में चार क्षेत्रीय समितियों के कार्यालय कानपुर, चेन्नई, मुम्बई और कोलकाता में स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम की धारा 14 (2) के अनुसार परिषद यदि इसे आवश्यक समझती है, तो ऐसी अन्य क्षेत्रीय समितियां, जो उपयुक्त समझी जाएं, स्थापित कर सकती है। इस अधिनियम के लागू होने के तद्नुपरान्त परिषद ने निम्नलिखित नए क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किए हैं:-

1. केन्द्रीय क्षेत्रीय समिति जिसका कार्यालय भोपाल में है।
2. उत्तर पश्चिमी क्षेत्रीय समिति जिसका कार्यालय चंडीगढ़ में है।
3. दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रीय समिति जिसका कार्यालय बंगलौर में है।
4. दक्षिण मध्य क्षेत्रीय समिति जिसका कार्यालय हैदराबाद में है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, परिषद ने एक नई दक्षिण मध्य क्षेत्रीय समिति स्थापित की है जिसका कार्यालय हैदराबाद में है। इस समय पंजाब के जिलों सहित देश में किसी अन्य क्षेत्रीय समिति/कार्यालय को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

समुद्री भोज्य पदार्थों का निर्यात

945. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय देशों द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के बावजूद भारत के समुद्री भोज्य पदार्थों के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006-07 के दौरान इसके निर्यात से देशवार कितनी धनराशि अर्जित की गई तथा समुद्री भोज्य पदार्थों के निर्यात में कर्नाटक का हिस्सा कितना है; और

(ग) जिन देशों ने हमारे निर्यातों पर पाटनरोधी शुल्क लगा रखा है उन्हें ये शुल्क हटाने के लिए तैयार करने हेतु सरकार की कार्य योजना क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। भारत से समुद्री खाद्य के समग्र निर्यात में वृद्धि हो रही है। वर्ष 2006-07 (दिसम्बर, 2006 तक) के दौरान समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्यात 1393.06 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य का हुआ और इसमें कर्नाटक स्थित पत्तनों से निर्यातित समुद्री खाद्य का हिस्सा 1.81 प्रतिशत था। वर्ष 2006-07 (दिसम्बर, 2006 तक) कुछ प्रमुख देशों को किए गए समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात का मूल्य निम्नवत रहा था:-

मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर (अनन्तिम)

देश	समुद्री निर्यात	इसमें से कर्नाटक स्थित पत्तनों से निर्यात	% हिस्सा
जापान	235.69	5.77	2.45
यूएसए	239.39	1.71	0.71
यूरोपीय संघ	452.84	3.14	0.69
चीन	189.60	9.75	5.14
दक्षिण पूर्व एशिया	101.60	3.79	3.73
मध्य पूर्व	55.02	0.48	0.87

(ग) इस मामले में डब्ल्यू.टी.ओ. के विवाद निपटान तंत्र के अन्तर्गत शुरू किए गए परामर्शों के अलावा इसे भारत-अमरीका व्यापार नीति मंच में भी उठाया गया है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) तथा भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक एसोसिएशन (एस.ई.ए.आई.) भी भारतीय श्रिम्प उद्योग के हितों की रक्षा कर रहे हैं।

भारतीय रेसम संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन

946. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेशम संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम. आई.एस.) के बारे में कार्य कर रहे प्रमुख दल ने अपने दस्तावेज सौंप दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो दस्तावेज कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) से (ग) जी, हां। केंद्रीय रेशम बोर्ड (सी.एस.बी.) ने "भारतीय रेशम के लिए प्रौद्योगिकी मिशन" नामक एक दस्तावेज प्रस्तुत किया है, जिसे सरकार ने संतोषजनक नहीं पाया है और उसे राज्य सरकारों से परामर्श कर उसमें संशोधन करने के लिए सी.एस.बी. को लौटा दिया गया है।

[हिन्दी]

सिक्कों को पिघलाना

947. श्री सज्जन कुमार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस को हाल ही में भारत के सिक्के पिघलाने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2006 के दौरान सिक्के पिघलाने के पांच मामले दर्ज किए थे। इन मामलों में सलिप्त 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। पांच मामलों में से तीन मामलों में विचारण लंबित है और शेष दो मामलों में जांच पड़ताल प्रगति पर है। वर्ष 2007 के दौरान (15 फरवरी तक) ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

छात्रों द्वारा स्कूल बीच में ही छोड़ देने की दर

948. श्री परसुराम माझी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान खनिज संपन्न राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के छात्रों द्वारा स्कूल बीच में ही छोड़ देने की दर में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ग) वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जनजातीय छात्रों द्वारा स्कूल बीच में ही छोड़ देने की दर का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन दरों से अधिकतर राज्यों में स्कूल बीच में ही छोड़ देने की दरों में वृद्धि होने का कोई संकेत नहीं मिलता।

विवरण

अनुसूचित जनजाति के कक्षा 1-5, कक्षा 1-8 और कक्षा 1-10, 2002-03 तक के छात्रों द्वारा स्कूल बीच में ही छोड़ देने की दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कक्षा 1-5			कक्षा 1-8			कक्षा 1-10		
		लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	63.29	68.71	65.82	78.59	84.34	81.09	84.70	89.32	86.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	43.92	44.99	44.41	67.12	64.28	65.85	72.47	75.06	73.62
3.	असम	59.49	52.88	56.72	68.49	73.42	70.60	76.52	74.19	75.52
4.	बिहार	66.60	65.39	66.13	82.43	85.57	83.73	89.01	90.24	89.89
5.	छत्तीसगढ़*	–	–		–	–	–	–	–	–
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	36.13	43.10	39.32	58.26	67.04	62.30	78.45	82.33	80.22
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	16.23	21.70	18.95	26.79	37.43	31.90	32.36	50.54	41.10
10.	जम्मू-कश्मीर	43.48	39.16	41.76	73.79	79.29	76.14	79.59	80.62	79.95
11.	झारखण्ड*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	1.79	10.77	6.13	52.73	56.65	54.53	63.87	64.96	64.36
13.	केरल	2.20	5.96	4.01	33.63	40.03	36.73	58.16	49.71	54.11
14.	मध्य प्रदेश	51.90	50.51	51.30	65.56	70.16	67.47	78.56	87.42	82.15
15.	महाराष्ट्र	28.79	40.23	34.21	61.03	66.43	63.54	71.90	82.12	76.66
16.	मणिपुर	37.57	52.74	45.23	62.70	61.56	62.18	78.54	78.54	78.54
17.	मेघालय	61.42	59.29	60.36	81.11	80.30	80.71	87.05	86.74	86.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	मिजोरम	55.90	54.90	55.43	59.89	56.34	58.20	76.89	73.37	75.23
19.	नागालैण्ड	37.38	37.01	37.21	42.81	44.19	43.47	67.72	67.91	67.81
20.	उड़ीसा	58.03	53.50	56.28	77.45	79.12	78.12	84.38	85.84	84.97
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	50.61	59.87	54.31	52.58	73.17	60.27	78.44	87.24	81.17
23.	सिक्किम	48.52	38.69	43.84	73.20	64.03	68.89	87.21	85.32	86.34
24.	तमिलनाडु	27.24	21.01	24.41	56.98	54.36	55.80	74.43	77.48	75.79
25.	त्रिपुरा	58.08	61.31	59.60	78.45	80.33	79.31	85.31	87.22	86.17
26.	उत्तर प्रदेश	31.19	30.02	30.69	36.97	36.45	36.75	47.38	69.01	56.36
27.	उत्तरांचल*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	53.70	59.26	55.54	60.73	42.42	55.81	61.76	75.86	67.16
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	19.34	15.34	17.56	35.55	26.59	31.42	62.92	54.72	59.40
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादर व नगर हवेली	23.21	41.31	31.52	47.96	67.99	56.86	78.55	81.69	79.86
32.	दमन व दीव	6.13	1.41	4.01	28.83	48.94	38.94	64.83	71.43	67.57
33.	दिल्ली	68.75	71.43	70.04	72.30	72.55	72.42	76.67	74.51	75.89
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.92	20.34	25.47
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	भारत	50.82	52.10	51.37	66.86	71.17	68.67	78.35	82.97	80.29

*स्कूल बीच में छोड़ देने की दरें संबंधित मूल राज्य के साथ संयुक्त रूप से दर्शाई गई हैं।

अनुसूचित जनजाति के कक्षा 1-5, कक्षा 1-8 और कक्षा 1-10, 2003-04 तक के छात्रों द्वारा स्कूल बीच में ही छोड़ देने की दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कक्षा 1-5			कक्षा 1-8			कक्षा 1-10		
		लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	63.29	68.47	65.76	76.80	82.49	79.33	82.81	87.57	84.83
2.	अरुणाचल प्रदेश	48.58	48.37	48.48	68.07	68.12	68.09	75.88	77.70	76.69
3.	असम	61.30	53.20	57.80	71.80	75.26	73.25	77.92	75.63	76.94
4.	बिहार	62.28	59.51	61.22	81.71	84.39	82.84	88.14	90.41	89.05
5.	छत्तीसगढ़*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	36.18	43.10	39.35	66.45	68.66	67.41	80.21	82.93	81.45
8.	हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	10.87	10.79	10.83	14.07	26.69	20.29	44.65	48.31	46.41
10.	जम्मू-कश्मीर	43.48	39.16	41.76	41.77	50.35	45.45	73.07	77.65	75.03
11.	झारखंड*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	4.88	4.96	4.92	53.81	56.80	55.19	59.62	63.92	61.61
13.	केरल	6.13	9.46	7.75	33.49	37.54	35.45	56.86	49.71	53.43
14.	मध्य प्रदेश	35.26	38.91	36.89	56.80	61.61	58.80	71.23	79.28	74.51
15.	महाराष्ट्र	34.42	42.82	38.38	59.12	65.14	61.91	70.51	82.44	76.18
16.	मणिपुर	38.77	54.99	46.96	62.11	60.91	61.56	78.98	78.98	78.98
17	मेघालय	56.76	54.43	55.60	76.32	76.21	76.27	87.22	86.12	86.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	मिजोरम	55.57	54.82	55.21	64.58	62.59	63.64	71.90	66.98	69.55
19.	नागालैंड	35.36	34.49	34.95	60.88	57.58	59.34	66.81	67.90	67.33
20.	उड़ीसा	59.58	63.19	61.20	76.49	76.56	76.52	83.30	84.01	83.58
21.	पंजाब	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	राजस्थान	52.19	38.31	47.80	70.42	79.63	74.00	78.77	87.04	81.53
23.	सिक्किम	25.25	-1.13	12.60	58.18	40.44	49.74	76.94	71.79	74.52
24.	तमिलनाडु	16.82	12.00	15.37	48.76	3.54	32.73	66.68	55.08	61.49
25.	त्रिपुरा	58.06	61.25	59.56	79.75	82.04	80.82	85.71	87.38	86.47
26.	उत्तर प्रदेश	25.68	19.40	23.11	34.03	31.75	33.07	46.01	60.69	52.11
27.	उत्तरांचल*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	67.76	51.55	62.41	84.89	78.68	83.05	80.72	71.60	78.80
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.58	5.47	2.97	24.16	28.02	26.03	60.10	41.60	51.52
30.	चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	दादर व नगर हवेली	28.17	45.01	35.99	43.54	65.37	53.42	76.77	82.78	79.45
32.	दमन और दीव	-3.88	3.48	-0.41	26.01	38.65	31.81	76.41	77.06	76.69
33.	दिल्ली	78.66	82.72	80.62	79.62	81.42	80.49	77.81	79.81	78.83
34.	लक्षद्वीप	0.00	1.10	3.03	-10.68	8.12	-1.38	48.04	37.55	42.98
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	भारत	49.13	48.67	48.93	69.04	71.43	70.05	77.92	81.16	79.25

*स्कूल बीच में छोड़ देने की दरें संबंधित मूल राज्य के साथ संयुक्त रूप से दर्शाई गई हैं।

अनुसूचित जनजाति के कक्षा 1-5, कक्षा 1-8 और कक्षा 1-10, 2004-05 तक के छात्रों द्वारा स्कूल बीच में ही छोड़ देने की दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कक्षा 1-5			कक्षा 1-8			कक्षा 1-10		
		लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	51.27	56.94	54.04	76.57	81.46	78.81	81.16	85.11	82.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	47.91	47.74	47.83	68.03	66.58	67.37	73.38	74.89	74.05
3.	असम	58.65	50.15	54.98	74.17	77.41	75.53	78.15	75.89	77.18
4.	बिहार	59.16	62.99	60.82	76.27	76.10	76.20	88.02	90.29	88.96
5.	छत्तीसगढ़*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	50.04	47.26	48.80	64.47	70.19	67.08	72.45	76.61	74.36
8.	हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	0.11	6.67	3.40	11.55	22.48	17.01	37.84	43.07	40.35
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	79.49	71.79
11.	झारखंड*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	9.42	6.36	7.97	44.39	51.28	47.56	62.38	64.09	63.17
13.	केरल	4.43	4.25	4.34	21.11	23.51	22.26	55.40	50.18	52.87
14.	मध्य प्रदेश	17.36	7.35	13.07	45.37	51.44	48.04	74.57	80.22	76.92
15.	महाराष्ट्र	28.24	36.98	32.35	54.86	62.43	58.42	73.57	83.64	78.26
16.	मणिपुर	46.12	56.27	51.00	57.69	56.53	57.16	72.27	72.07	72.18
17.	मेघालय	54.17	47.36	50.80	70.68	68.40	69.55	82.00	82.87	82.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	मिजोरम	50.77	48.68	49.79	68.39	63.85	66.28	69.21	63.80	66.64
19.	नागालैंड	39.71	37.71	38.78	44.78	40.81	42.93	68.66	68.86	68.75
20.	उड़ीसा	58.67	58.54	58.62	80.18	79.88	80.06	83.00	83.61	83.24
21.	पंजाब	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	राजस्थान	53.72	59.51	56.22	66.27	73.74	69.14	70.24	83.80	75.30
23.	सिक्किम	30.51	18.27	24.47	52.14	36.05	44.49	73.02	61.74	67.72
24.	तमिलनाडु	12.41	10.00	11.67	44.12	23.74	35.31	65.00	53.13	59.68
25.	त्रिपुरा	57.27	60.59	58.84	79.83	83.11	81.40	85.09	87.06	85.99
26.	उत्तर प्रदेश	27.13	16.29	22.70	23.14	23.50	23.29	50.42	57.41	53.32
27.	उत्तरांचल*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	48.93	47.71	48.40	81.06	73.01	78.47	89.55	83.41	87.90
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	7.34	7.94	7.62	24.76	20.67	22.87	55.92	47.09	51.85
30.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	दादर व नगर हवेली	25.35	42.31	33.34	50.82	69.10	59.01	70.10	79.13	74.11
32.	दमन व दीव	1.69	0.80	1.28	38.20	38.42	38.30	76.51	81.34	78.94
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.72	33.61	23.37
34.	लक्षद्वीप	1.03	8.24	4.50	0.00	0.00	0.00	19.05	19.08	19.07
35.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	भारत	42.55	42.04	42.32	64.97	67.09	65.87	77.75	80.66	78.97

*स्कूल बीच में छोड़ देने की दरें संबंधित मूल राज्य के साथ संयुक्त रूप से दर्शाई गई हैं।

इंजीनियरिंग कॉलेजों का गिरता स्तर

949. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों विशेषकर दक्षिणी राज्यों में चल रहे बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज योग्यता प्राप्त कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या एम.ई. और एमटेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

950. श्री हंसराज ग. अहीर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सेवा क्षेत्र में विदेशी निवेश के प्रभाव के संबंध में सरकार द्वारा कोई समझौता किया गया है;

(ग) देश के आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र का क्या योगदान है;

(घ) क्या सेवा क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति देने के निर्णय का विरोध हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो विरोध के मुख्य बिन्दु क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, हां।

(ख) सेवा क्षेत्र में विदेशी निवेश के प्रभाव के बारे में सरकार द्वारा कोई समझौता नहीं किया गया है।

(ग) आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 के अनुसार सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2002-03 तथा 2006-07 के बीच पिछले पांच वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में समग्र औसत विकास का 68.6% है। वर्ष 2006-07 के दौरान सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में 55.1% योगदान है।

(घ) और (ङ) नीतिगत मामलों पर निर्णय लेने से भिन्न-भिन्न विचार पैदा हो सकते हैं। सरकार उन विभिन्न मुद्दों पर भी ध्यान देने का प्रयास करती है जिन्हें निर्णय लेने की सतत् प्रक्रिया में तर्कसंगत पाया जाता है।

आपदा प्रबन्धन संस्थान, भोपाल

951. श्री कृष्ण मुरारी मोघे: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आपदा प्रबन्धन संस्थान, भोपाल का विकास करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) शुरू में मध्य प्रदेश सरकार से आपदा प्रबंधन संस्थान (डी.एम.आई.), भोपाल में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के संकाय का सृजन करने और बाद में उक्त संकाय को सुदृढ़ बनाने तथा भूकंप आपदाओं के प्रशमन तथा प्रबंधन के लिए संस्थान को "उत्कृष्ट केन्द्र" के रूप में नामित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए दुर्घटना कमान प्रणाली पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डी.एम.आई., भोपाल को एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में नामित करने का प्रस्ताव भी अग्रेषित किया है।

आपदा प्रबंधन का संकाय, जिसमें एक प्रोफेसर, अनुसंधान, अधिकारी और निजी सहायक था, के परिचालन के लिए वित्तीय सहायता, एक योजना के तहत, जिसे मई, 2002 तक कृषि मंत्रालय द्वारा और इसके बाद जिसे गृह मंत्रालय द्वारा जारी रखा गया था, सभी राज्यों के लाभ के लिए परिचालित किया गया था, डी.एम.आई. भोपाल को दी गई थी। संकाय को सुदृढ़

बनाने के व्यय को पूरा करने के लिए अगस्त, 2004 में संकाय की केन्द्रीय सहायता राशि में वृद्धि की गई थी। इस समय संस्थान, प्रोफेसर के एक पद और सहयोगी/सहायक प्रोफेसरों के तीन पदों के वेतन संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए सहायता का उपयोग कर रहा है। सितम्बर, 2005 में गृह मंत्रालय ने दुर्घटना कमान प्रणाली में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डी.एम.आई., भोपाल को भी क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में नामित किया है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

[अनुवाद]

बाल्को द्वारा वन भूमि का अतिक्रमण

952. श्री सुव्रत बोस: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने बाल्को प्रबंधन, छत्तीसगढ़ द्वारा राजस्व के दुरुपयोग तथा वन भूमि के अतिक्रमण की जानकारी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विनिवेश के समय बाल्को को कुल कितना भू-क्षेत्र आबंटित किया गया था; और

(घ) इस भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

हथकरघा बुनकर

953. श्री वी.के. दुग्मर:

श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवीनतम हथकरघा गणना के अनुसार वर्तमान में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में बुनकरों की कुल कितनी संख्या है;

(ख) हथकरघा बुनकरों के लिए वित्तीय पैकेज तैयार करने हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) हथकरघा बुनकरों को प्रदान की गई/प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश में नवीनतम हथकरघा जनसंख्या के अनुसार बुनकरों की संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) और (ग) प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति द्वारा हथकरघा क्षेत्र के लिए अनुशंसित वित्तीय पैकेज जो सरकार के विचाराधीन है, की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

(i) प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों का व्यवहार्य, पूरी तरह से व्यवहार्य तथा गैर व्यवहार्य इकाईयों के रूप में पुनर्संरचना/श्रेणीकरण किया गया है। प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को श्रेणीबद्ध करने के लिए वृहत्त मानदंड तैयार किए गए हैं।

(ii) शीर्ष तथा प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों (व्यवहार्य तथा पूरी तरह से व्यवहार्य) के तुलनपत्र का विशुद्धिकरण करना तथा सरकार से पर्याप्त निधि सहयोग देना।

(iii) संयुक्त देनदारी समूह की अवधारणा को अपनाकर हथकरघा समूहों में सहकारी क्षेत्र/गैर व्यवहार्य/निष्क्रिय प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों/कमजोर सहकारी ढांचे के क्षेत्रों में बुनकरों को हथकरघा बुनकर समूह में बुनकरों को संगठित करना।

(iv) 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार बुनकरों/ प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों/शीर्ष समितियों के बकाया ब्याज और बकाया ऋणों को माफ करना।

(v) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और भारत सरकार के बैंकों की ओर से 7% ब्याज की दर से हथंकरघा बुनकरों/समितियों की ऋण आवश्यकताओं का वित्तपोषण करना।

(vi) हथकरघा क्षेत्र से जुड़े अभिकरणों को इक्विटी, संवर्धक तथा विकास सहायता प्रदान करने के लिए

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में **हथकरघा विकास एवं इक्विटी निधि (एच.डी.ई.एफ.)** की स्थापना करना। भारत सरकार 50.00 करोड़ रुपये का आरंभिक अंशदान कर सकती है। नाबार्ड निदेशक मंडल द्वारा तय किया गया 10 करोड़ के आरंभिक अंशदान और वार्षिक अंशदान कर सकता है। अन्य बैंक और राज्य सरकारों को भी बाद में निधि में अंशदान करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

(vi) मास्टर बुनकरों को बैंकों के माध्यम से बुनकर विकास और उन्हें वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं हेतु उत्प्रेरक के रूप में उनकी भूमिका को पहचानते हुए तंत्र में लाया जाना आवश्यक है।

(vii) प्रमुख दावा धारकों अर्थात् भारत सरकार, राज्य सरकार तथा नाबार्ड द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाला समझौता ज्ञापन।

(घ) भारत सरकार, हथकरघा क्षेत्र के उत्पादन, उत्पादकता, तथा कुशलता बढ़ाने और बुनकरों की दक्षता को प्रोन्नत करके और आधारीय संरचना, निवेश और विपणन सहयोग देकर उनकी आय और समाजार्थिक स्थिति में वृद्धि करने के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। मुख्य विकासीय योजनाएं इस प्रकार हैं:- दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, (डी.डी.एच.पी.वाई.), एकीकृत हथकरघा समूह विकास योजना, विपणन प्रोत्साहन कार्यक्रम, मिल गेट मूल्य योजना, कार्यशाला-सह-आवास योजना, बुनकर कल्याण योजना और हथकरघा निर्यात योजना। इसके अतिरिक्त वर्ष 2005-06 में एकीकृत हथकरघा समूह विकास योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना और स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई हैं जबिक वर्ष 2006-07 में हथकरघा मार्क योजना तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना आरंभ की गई हैं।

विभिन्न हथकरघा योजनाओं के अंतर्गत गत 3 वर्षों के दौरान अवमुक्त की गई राशि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	अवमुक्त की गई राशि (करोड़ रुपये में)
2003-04	206.42
2004-05	230.35
2005-06	254.87

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	बुनकरों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	228007
2.	अरुणाचल प्रदेश	30134
3.	असम	1259878
4.	बिहार	45424
5.	छत्तीसगढ़	10130
6.	दिल्ली	2977
7.	गोवा	14
8.	गुजरात	21350
9.	हरियाणा	5076
10.	हिमाचल प्रदेश	47901
11.	जम्मू-कश्मीर	20773
12.	झारखण्ड	26718
13.	कर्नाटक	71238
14.	केरल	32093
15.	मध्य प्रदेश	12882
16.	महाराष्ट्र	38985
17.	मणिपुर	425580
18.	मेघालय	#
19.	मिजोरम	#
20.	नागालैण्ड	81827
21.	उड़ीसा	104676
22.	पाण्डिचेरी	3155
23.	पंजाब	5956
24.	राजस्थान	37348

क्र.सं.	राज्य का नाम	बुनकरों की संख्या
25.	सिक्किम**	**
26.	तमिलनाडु	319600
27.	त्रिपुरा	137669
28.	उत्तर प्रदेश	221127
29.	उत्तरांचल	9077
30.	पश्चिम बंगाल	270911
	कुल अखिल भारत	3470506

मेघालय और मिजोरम से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

** सिक्किम के बारे में बुनकरों की संख्या संबंधी आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अध्यापक महाविद्यालयों को मान्यता

954. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) ने स्व वित्त पोषित प्राथमिक अध्यापक महाविद्यालयों को मान्यता देने हेतु कोई उदार नीति अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) द्वारा स्व वित्त पोषित प्राथमिक शिक्षक प्रमाणपत्र महाविद्यालयों को मान्यता देने के लिए संबंधित राज्य से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' लेना आवश्यक है;

(ग) क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अनेक राज्यों विशेषकर गुजरात में अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना स्व वित्त पोषित प्राथमिक 'अध्यापक प्रमाणपत्र' महाविद्यालयों को मान्यता दे रही है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने महाविद्यालयों को बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र के मान्यता दी गई तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर राज्य-वार कितने महाविद्यालयों को मान्यता दी गई;

(च) क्या इससे विभिन्न राज्यों विशेषकर गुजरात में प्रशिक्षित अध्यापकों में गंभीर बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है; और

(छ) यदि हां, तो भविष्य में इस समस्या को रोकने हेतु केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं/पाठ्यक्रमों की मान्यता के लिए स्व-वित्तपोषित और सरकारी संस्थाओं के मामले में कोई भेद नहीं है।

(ख) एन.सी.टी.ई. अधिसूचना संख्या 9-18/2002/एन.सी.टी.ई. दिनांक 13-11-2002 में निर्धारित किया गया है कि शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण के लिए मान्यता प्राप्त करने हेतु और/अथवा दाखिले की संख्या में बढ़ोतरी प्राप्त करने के लिए संस्था को संबद्ध राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र का अनापत्ति प्रमाणपत्र देना होगा। अनापत्ति प्रमाणपत्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के पृष्ठांकन के बिना आए आवेदन को एन.सी.टी.ई. पर संबद्ध क्षेत्रीय समिति द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अधिसूचना सं. एफ. 53-3/2003-एन.सी.टी.ई. (एन एंड एस) दिनांक 1-1-2004 के द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनापत्ति प्रमाणपत्रों की आवश्यकता में 5-1-04 से 4-1-07 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए इन मामलों में छूट दी गई है: एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसी बी.एड. संस्थाएं जो प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम आरंभ कर रही हैं, मौजूदा ऐसी प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा संस्थाएं जो पाठ्यक्रमों में दाखिलों की संख्या बढ़ाना चाहती हैं और कोई ऐसी अन्य संस्था जो स्कूल-पूर्व अध्यापक शिक्षा/नर्सरी अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण आरंभ करना चाहती है।

एन.सी.टी.ई. ने अब अधिसूचना सं. एफ. 49-42/2005-एन.सी.टी.ई. (एन एंड एस) दिनांक 13-1-2006 द्वारा नए विनियम भी जारी किए हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र के साथ लिखित संसूचना की प्रति भी संबद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन को भेजी जाएगी। संसूचना प्राप्त होने पर राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन 60 दिनों के अंदर क्षेत्रीय समिति के कार्यालय के आवेदनों पर अपनी सिफारिशें भेजेंगी। यदि सिफारिशें नकारात्मक

हैं तो राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन उसके विस्तृत कारण/आधार बताएंगे जिसे क्षेत्रीय समिति आवेदन का निर्णय लेते समय ध्यान में रख सकें। यदि 60 दिनों के निर्धारित समय में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से कोई संसूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जाएगा कि संबद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(ग) गुजरात में संस्थाओं की अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता के संबंध में स्थिति वही है जो देश के अन्य राज्यों में है।

(घ) और (ङ) मार्च, 2006 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में जिसमें गुजरात भी शामिल है एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। जनवरी, 2006 के एन.सी.टी.ई. विनियमों के पहले आवेदन करने वाली सभी संस्थाओं के लिए या तो अनापत्ति प्रमाणपत्र अथवा संबद्ध राज्य से पृष्ठांकन प्रस्तुत करना आवश्यक था, सिवाय उन संस्थाओं के जो जनवरी, 2004 की अधिसूचना द्वारा कवर होते थे, जहां कुछ मामलों में अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई थी।

(च) एन.सी.टी.ई. द्वारा विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षित शिक्षकों में बेरोजगारी समस्या के संबंध में कोई आकलन नहीं किया गया है। तथापि क्षेत्रीय समितियों के कार्यालय में प्राप्त आवेदनों पर एन.सी.टी.ई. द्वारा समय-समय पर बनाए गए एन.सी.टी.ई. अधिनियमों, नियमों और विनियमों के संगत प्रावधानों के आलोक में सख्ती से विचार किया जाता है।

(छ) संस्थाओं के वितरण को, आवश्यकता के आधार पर युक्तिसंगत बनाने हेतु एन.सी.टी.ई. को निजी और सरकारी अध्यापक शिक्षा संस्थाओं का राज्य-वार, स्थान-वार मानचित्रण करने के लिए कहा जाएगा।

विवरण

एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	के अनुसार		
	2003-2004	2004-2005	2005-2006
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	02	02	02
आन्ध्र प्रदेश	393	414	437
अरुणाचल प्रदेश	02	03	07
असम	28	39	68
बिहार	28	30	38
चंडीगढ़	06	07	07
छत्तीसगढ़	41	50	59
दादरा और नगर हवेली	–	–	–
दमन और दीव	02	02	04
दिल्ली	53	67	76

1	2	3	4
गोवा	04	06	08
गुजरात	338	442	585
हरियाणा	71	87	92
हिमाचल प्रदेश	45	47	50
झारखण्ड	20	27	57
कर्नाटक	280	771	1102
केरल	171	319	428
लक्षद्वीप	–	–	–
मध्य प्रदेश	166	220	240
महाराष्ट्र	592	645	881
मणिपुर	06	06	14
मेघालय	09	10	11
मिजोरम	04	04	04
नागालैण्ड	07	07	07
उड़ीसा	87	87	88
पाण्डिचेरी	07	13	72
पंजाब	49	68	138
राजस्थान	123	129	211
सिक्किम	04	04	04
तमिलनाडु	156	325	719
त्रिपुरा	05	07	09
उत्तराखंड (उत्तरांचल)	*	14	49
उत्तर प्रदेश	457	651	782
पश्चिम बंगाल	43	47	57

*उत्तर प्रदेश राज्य के आंकड़ों में वर्ष 2003-04 के लिए के उत्तराखंड राज्य (उत्तरांचल) के आंकड़े भी शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र शान्ति मिशन पर महिला दल

955. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

श्रीमती निवेदिता माने:

श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अर्द्ध सैनिक बलों का एक महिला दल लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र शान्ति मिशन पर तैनात किया जा रहा है जैसा कि दिनांक 19 जनवरी, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कार्मिकों के जीवन की रक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) 105 महिलाओं और 20 पुरुषों की एक छोटी टुकड़ी 30-1-2007 को लाइबेरिया में संयुक्त राज्य के शांति अभियान के लिए पहले ही तैनात कर दी गई है।

(ग) (i) उक्त टुकड़ी के सदस्यों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया गया है ताकि वे किसी भी आकस्मिकता का सामना कर सके और उन्हें परिष्कृत शस्त्र, उन्नत शारीरिक संरक्षक और बुलेट प्रूफ जाकेट एवं बुलेट प्रुफ वाहन भी प्रदान किए गए हैं।

(ii) संयुक्त राष्ट्र यथा अपेक्षानुरूप उन्हें मिशन क्षेत्र में सुरंग-रोधी वाहन उपलब्ध कराता है।

(iii) निरोधक उपाय के रूप में उनका टीकाकरण किया गया है। इस टुकड़ी को दवाओं, जीवन-रक्षक दवा और उपकरणों से सुसज्जित एक चिकित्सा दल उपलब्ध कराया गया है।

[हिन्दी]

ऑटो उद्योग

956. प्रो. महादेवराव शिवनकर:

श्री शिशुपाल एन. पटले:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ऑटो कलपुर्जों के आयात में कमी करने हेतु घरेलू क्षेत्र में वाहनों के विनिर्माण तथा ऑटो कलपुर्जों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऑटो कलपुर्जों का आयात इनके निर्यात से अधिक है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार वाहन विनिर्माण के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों को आमंत्रित कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या घरेलू ऑटो कलपुर्जा विनिर्माण उद्योग को सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई कार्य-योजना तैयार की जा रही है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यह योजना कब तक तैयार किये जाने और लागू किये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) सरकार ने ऑटोमोटिव मिशन प्लान (ए.एम.पी.) 2006-2016 तैयार किया है, जिसे 29-01-2007 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। ए.एम.पी. 2006-2016 में "जी.डी.पी. के 10% से अधिक ऑटोमोबाइलों की डिजाइन तथा विनिर्माण हेतु विश्व में पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरने तथा वर्ष 2016 तक 25 मिलियन लोगों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने" की परिकल्पना की गई है।

(ग) आयात-निर्यात के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, यह देखा जाता है कि भारत से ऑटो संघटकों के निर्यातों का मूल्य पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए आयातों से अधिक है।

(घ) और (ङ) ऑटोमोटिव उद्योग लाइसेंस मुक्त है तथा ऑटोमोटिव क्षेत्र में स्वत: प्रणाली के तहत 100% एफ.डी.आई. तक की अनुमति भी है।

(च) और (छ) ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2006-2016 में अनुसंधान एवं विकास के संवर्धन, अवसंरचना को सुदृढ़ करने, मानव संसाधन विकास, उत्पाद एवं निर्यात हेतु मांग में वृद्धि तथा पर्यावरणीय एवं सुरक्षा संबंधी ध्येय की परिकल्पना की गई है ताकि ऑटो संघटक उद्योग सहित ऑटोमोटिव उद्योग को बेहतर बनाया जा सके।

(ज) ए.एम.पी. की परिकल्पना को समयबद्ध ढंग से कार्यान्वित करने के उपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव में विदेशी धन का उपयोग

957. श्री निखिल कुमार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई उम्मीदवारों और राजनैतिक दलों ने हाल ही में विधानसभा चुनावों में विदेशी धन खर्च किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे उम्मीदवारों और राजनैतिक दलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 1976 के अधीन भारत के विभिन्न गैर सरकारी संगठन सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक अथवा धार्मिक क्षेत्रों में सत्यनिष्ठा से किए जाने वाले कार्यकलापों के लिए विदेशी स्रोतों से विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। उक्त अधिनियम के अंतर्गत विदेशी धन प्राप्त करने के लिए पंजीकरण अथवा पूर्वानुमोदन गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों के पूर्ववर्त और उनकी गतिविधियों की उचित जांच किए जाने के पश्चात दिया जाता है। विदेशी धन विधिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और उसकी जांच और निरीक्षण किया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत राजनीतिक दल विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।

महिला साक्षरता

958. श्री के. सुब्बारायण:

श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष महिला साक्षरता से संबंधित तुलनात्मक स्थिति का कर्नाटक सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा तैयार की जा रही तथा लागू की जा रही नई योजनाओं का कर्नाटक सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित तथा जारी की गई;

(घ) इन पर राज्य-वार कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई; और

(ङ) महिलाओं की राष्ट्रीय गरीबी तथा निरक्षरता का अनुपात क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) देश में साक्षरता संबंधी आंकड़ों को दसवर्षीय आधार पर भारत के महापंजीयक द्वारा संकलित किया जाता है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता संबंधी दरों का राज्यवार संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) महिला साक्षरता की कोई नई योजना प्रतिपादित नहीं की गई है। संपूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर साक्षरता अभियान कार्यक्रम तथा सतत् शिक्षा कार्यक्रम की राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा वित्तपोषित योजनाओं में महिला तथा पुरुष दोनों को शामिल किया गया है। संपूर्ण साक्षरता अभियान में 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षरों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने, उत्तर साक्षरता अभियान कार्यक्रम में नव-साक्षरों के शैक्षिक कौशलों को सुदृढ़ करने तथा सतत शिक्षा कार्यक्रम में जीवन पर्यन्त शैक्षिक अवसर प्रदान करने का प्रावधान है। विभिन्न साक्षरता कार्यक्रमों के अन्तर्गत 597 जिलों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा झारखंड में लगभग 52 लाख महिलाओं को शामिल करके विशेष महिला साक्षरता कार्यक्रम आरंभ किया है। जैसा कि कुछेक राज्यों ने बताया है कि महिला साक्षरता दर में सुधार करने के लिए विशेष कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। राजस्थान राज्य में 'महिला शिक्षण शिविर' आयोजित किए गए हैं जिसके तहत विशेष रूप से 15 दिनों के शिविरों में महिलाओं को शिक्षा प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों में इस प्रकार के लगभग 17000 शिविर लगाए गए जिनसे 4.28 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई।

कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा आरंभ किए गए 'कलिके गलिके' (पढ़ो और कमाओ), पुनश्चेतना (नवीकरण कार्यक्रम), लघु साक्षरता परियोजना, साक्षर सम्मान, छात्रों के माध्यम से शिक्षा तथा शिविर आधारित साक्षरता कार्यक्रमों में क्रमश: 3,08,631, 100497, 21435, 13329, 180500 तथा 165000 महिलाओं को शामिल किया गया।

(ग) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों को निधियां जारी नहीं की जाती हैं बल्कि जिला/राज्य स्तरीय पंजीकृत सोसायटियों तथा स्वैच्छिक एजेंसियों को सीधे ही प्रदान की जाती हैं। इस कार्यक्रम में निधियों का राज्यवार आबंटन नहीं

किया जाता तथा कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त होने वाले परियोजना प्रस्तावों के आधार पर अनुदान राशि जारी की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन एजेंसियों को जारी की गई राशि का राज्यवार विवरण-II दिया गया है।

(घ) विभिन्न साक्षरता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जारी की गई निधियों को परियोजना के लिए अनुमोदित समय-अवधि के दौरान प्रयुक्त किया जाना होता है तथा खर्च न की गई शेष राशि को यदि कोई हो तो साक्षरता कार्यक्रम के अगले चरण में आगे ले जाया जाता है/समायोजित किया जाता है अथवा परियोजना अवधि के समाप्त होने पर उसे वापिस करना होता है।

(ङ) निर्धन महिलाओं के निर्धनता अनुपात के पृथक अनुमान उपलब्ध नहीं है। यद्यपि 2001 की जनगणना के अनुसार 35.16% की राष्ट्रीय निरक्षरता दर की तुलना में महिलाओं की निरक्षरता दर 46.3% है।

विवरण-I

महिला साक्षरता दर का तुलनात्मक विवरण
(वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	महिला साक्षरता दर
1	2	3
	भारत	**53.7**
1.	आन्ध्र प्रदेश	50.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	43.5
3.	असम	54.6
4.	बिहार	33.1
5.	छत्तीसगढ़	51.9
6.	गोवा	75.4
7.	गुजरात	57.8
8.	हरियाणा	55.7
9.	हिमाचल प्रदेश	67.4
10.	जम्मू-कश्मीर	43.0
11.	झारखण्ड	38.9
12.	कर्नाटक	56.9
13.	केरल	87.7
14.	मध्य प्रदेश	50.3
15.	महाराष्ट्र	67.0
16.	मणिपुर	60.5
17.	मेघालय	59.6
18.	मिजोरम	86.7
19.	नागालैण्ड	61.5
20.	उड़ीसा	50.5
21.	पंजाब	63.4
22.	राजस्थान	43.9
23.	सिक्किम	60.4
24.	तमिलनाडु	64.4
25.	त्रिपुरा	64.9
26.	उत्तर प्रदेश	42.2
27.	उत्तराखंड	59.6
28.	पश्चिम बंगाल	59.6
29.	चण्डीगढ़	76.5
30.	दिल्ली	74.7
31.	पाण्डिचेरी	73.9
32.	दमन और दीव	65.6
33.	अंडमान और निकोबार	75.2
34.	दादरा और नगर हवेली	40.2
35.	लक्षद्वीप	80.5

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन योजना के तहत जारी किए गए अनुदानों की स्थिति

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई अनुदान राशि		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2466.87	1124.60	2485.82
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.00	147.97	100.44
3.	असम	109.57	184.23	103.73
4.	बिहार	873.65	1168.67	1048.37
5.	छत्तीसगढ़	37.67	546.24	387.33
6.	गोवा	12.14	16.08	26.80
7.	गुजरात	1749.54	742.57	1121.58
8.	हरियाणा	101.61	446.25	461.88
9.	हिमाचल प्रदेश	87.97	40.65	70.02
10.	जम्मू-कश्मीर	350.39	153.09	158.96
11.	झारखण्ड	175.84	220.84	1169.97
12.	कर्नाटक	1451.01	2774.54	2071.06
13.	केरल	657.46	742.16	498.70
14.	मध्य प्रदेश	2125.51	3199.81	635.50
15.	महाराष्ट्र	507.26	591.14	3314.32
16.	मणिपुर	168.60	172.88	157.80
17.	मेघालय	50.91	194.11	33.35
18.	मिजोरम	31.70	15.00	18.73
19.	नागालैण्ड	168.42	152.68	24.97
20.	उड़ीसा	795.43	791.77	669.47

1	2	3	4	5
21.	पंजाब	76.29	48.02	470.26
22.	राजस्थान	2204.11	2332.96	972.20
23.	सिक्किम	7.50	0.00	36.60
24.	तमिलनाडु	1062.84	1846.28	1268.76
25.	त्रिपुरा	76.43	344.86	31.14
26.	उत्तर प्रदेश	2120.67	2335.75	3206.66
27.	उत्तराखण्ड	113.26	287.49	891.64
28.	पश्चिम बंगाल	4077.72	1753.03	2017.65
29.	चण्डीगढ़	67.24	149.06	28.61
30.	दिल्ली	203.31	127.03	133.87
31.	पाण्डिचेरी	32.63	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
33.	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00
34.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
35.	लक्षद्वीप	11.74	11.74	17.01

पंजाब में आई.एस.आई. गतिविधियां

959. श्री किशनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.एस.आई. पंजाब में उग्रवाद को पुन: शुरू करने का प्रयास कर रही है जैसा कि दिनांक 27 दिसम्बर, 2006 के 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हाल ही में आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है तथा उनसे हथियार, गोलाबारूद एवं विस्फोटक जब्त किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में आई.एस.आई. गतिविधियां के सम्बन्ध में श्वेत पत्र लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक सार्वजनिक कर दिये जाने की सम्भावना है; और

(च) देश में आई.एस.आई. की ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बी.के.आई.), खालिस्तान कमांडो फोर्स/पंजवार (के.सी.एफ./पी.), खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (के.जेड. एफ.) और इंटरनेशनल सिख यूथ फैडरेशन (आई.एस.वाई.एफ.) जैसे सिक्ख उग्रवादी गुटों के महत्वपूर्ण नेताओं को पाकिस्तान में अभी भी शरण मिली हुई है।

(ख) और (ग) 23 दिसंबर, 2006 को परमजीत सिंह धाडी और उसके दो सहयोगियों, जो सभी आई.एस.वाई.एफ./आर.

जालंधर, पंजाब के सदस्य हैं, की गिरफ्तारी से 11 कि.ग्रा. आर.डी.एक्स., 11 डिटोनेटर, 4 हथगोले, 11 टाइमर डिवाइसेज, 4 मैग्जीनों के साथ पिस्तौल, 100 कारतूस आदि बरामद किए गए हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त भाग "घ" के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

(च) सरकार, सीमा पार की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाकर, आसूचना तंत्र को चुस्त बनाकर, उग्रवादियों और आई.एस.आई./राष्ट्र विरोधी तत्वों की योजनाओं को निष्क्रिय करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों के बीच निकट संपर्क और समन्वय स्थापित कर, आधुनिक अधुनातन हथियारों और संचार प्रणाली से पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन कर, शासकीय गुप्त बात अधिनियम के तहत जासूसी तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई आदि कर आई.एस.आई. की गतिविधियों से निपटने के लिए सुसमन्वित और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाती रही है।

[हिन्दी]

खनन विवाद

960. श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री गिरधारी लाल भार्गव:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खनन विवादों के पंचाट हेतु अलग से एक स्वायत्तशासी निकाय गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निकाय कब तक गठित हो जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) से (ग) खनन विवादों के पंचाट का मुद्दा, राष्ट्रीय खनिज नीति के एक भाग के रूप में सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम

961. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश सहित राज्यों को किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक तौर पर चावल प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को किशोरियों जिन्हें वर्तमान में 6 किलो चावल दिया जा रहा है को 9 किलो ज्वार या रागी प्रदान किये जाने हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार देश के अभिनिर्धारित 51 जिलों में किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आन्ध्र प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न (चावल या गेहूं) प्रदान कर रही है। वर्ष 2006-07 में खाद्यों का राज्य-वार आबंटन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

विवरण

वर्ष 2006-07 में किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्यान्नों का राज्य-वार आबंटन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटित खाद्यान्न (2006-07)	
		चावल	गेहूं
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	9350	
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.2	
3.	असम	253.6	
4.	बिहार		550
5.	छत्तीसगढ़	900	
6.	गोवा	92.8	
7.	गुजरात	643.3	

1	2	3	4
8.	हरियाणा		604.16
9.	हिमाचल प्रदेश	1200	792.47
10.	जम्मू-कश्मीर	136.1	
11.	झारखण्ड		654.86
12.	कर्नाटक	6030	
13.	केरल	501	
14.	मध्य प्रदेश		600.49
15.	महाराष्ट्र	1299	
16.	मणिपुर	200	
17.	मेघालय	37.1	
18.	मिजोरम	90	
19.	नागालैण्ड	590	
20.	उड़ीसा	1950	
21.	पंजाब		752.35
22.	राजस्थान	500	1539.86
23.	सिक्किम	100	
24.	तमिलनाडु	4100	
25.	त्रिपुरा	1420	
26.	उत्तर प्रदेश	500	1012.47
27.	उत्तरांचल	390	
28.	पश्चिम बंगाल	10140	
29.	अण्डमान व निकोबार	190	
30.	चण्डीगढ़		112.78
31.	दमन व दीव		
32.	दादर व नगर हवेली	350	
33.	दिल्ली		159.56
34.	लक्षद्वीप	6.2	
35.	पाण्डिचेरी	24.7	
	कुल	41000	6779

निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता

962. श्री हितेन बर्मन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता देने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार देश में राज्य-वार कार्य कर रहे विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ग) मान्यता जारी रखने हेतु किन-किन निजी विश्वविद्यालयों का उचित रूप से निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षणों की तिथियां क्या हैं; और

(घ) विशेषरूप से पश्चिम बंगाल में सभी निर्धारित शर्तों का पालन करने वाले तथा उनका पालन न करने वाले विश्वविद्यालय कौन-कौन से हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत समावेशन के विचारार्थ निजी विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2003 (निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा उनके मानकों का अनुरक्षण) में निर्धारित मानदण्डों तथा शर्तों को पूरा करना होता है। इसके अलावा प्रो. यशपाल मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों को भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ध्यान में रखा जाता है।

(ख) 28-2-2007 की स्थिति के अनुसार मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है:-

1.	गुजरात	3
2.	हिमाचल प्रदेश	1
3.	पंजाब	1
4.	त्रिपुरा	1

5.	उत्तर प्रदेश	2
6.	उत्तरांचल	3

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) वर्ष 2006-07 के दौरान पश्चिम बंगाल के किसी भी निजी विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

मान्यता को जारी रखने के संबंध में निरीक्षण की तारीखों के साथ उन निजी विश्वविद्यालयों की सूची जिनका निरीक्षण किया गया है

क्र.सं.	निजी विश्वविद्यालयों का नाम	निरीक्षण की तारीख
1.	धीरूभाई अम्बानी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फारमेशन एण्ड कम्यूनिकेशन, गांधी नगर, गुजरात	21 अगस्त, 2004
2.	निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अहमदाबाद, गुजरात	15 मई, 2004
3.	गणपत यूनिवर्सिटी, मेहसाणा, गुजरात	17 और 18 अक्तूबर, 2005
4.	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जालन्धर, पंजाब	17 और 18 अक्तूबर, 2006
5.	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्टस ऑफ इण्डिया (आई.सी.एफ.ए.आई.), अगरतला, त्रिपुरा	14 और 15 जुलाई, 2006
6.	इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	2 सितम्बर, 2004
7.	यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एण्ड एनर्जी स्टडीज, देहरादून, उत्तरांचल	21 मई, 2004
8.	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्टस ऑफ इण्डिया (आई.सी.एफ.ए.आई.) देहरादून, उत्तरांचल	20 मई, 2004

[हिन्दी]

विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा गैर-विशेष आर्थिक क्षेत्र में असमानता

963. श्री रामजीलाल सुमन:

डा. चिन्ता मोहन:

श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की प्रोत्साहन नीति के कारण विशेष आर्थिक क्षेत्रों में चल रही औद्योगिक इकाइयों तथा गैर-विशेष आर्थिक क्षेत्रों में चल रही औद्योगिक इकाइयों में कोई असमानता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान सरकार द्वारा उक्त दोनों श्रेणी के उद्योगों हेतु सरकार द्वारा दिए गए वित्तीय प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है;

(घ) दिसम्बर, 2006 को देश में चल रही औद्योगिक इकाइयों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ङ) समग्र औद्योगिकीकरण में विशेष आर्थिक क्षेत्रों का किस सीमा तक प्रभाव पड़ता है;

(च) क्या विशेष आर्थिक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) विशेष आर्थिक जोन (एस.ई.जेड.) में प्रचालनरत औद्योगिक इकाइयां दिनांक 10 फरवरी,

2006 से लागू एस.ई.जेड. अधिनियम, 2005 के उपबंधों जिनमें वित्तीय प्रोत्साहनों के एक विशेष पैकेज की पेशकश की गई है, द्वारा शासित होती हैं। तथापि जहां घरेलू इकाइयां अपने उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करती हैं, वहीं एस.ई.जेड. इकाइयों के लिए अपनी घरेलू निकासियों पर आयात शुल्कों का भुगतान करना अपेक्षित होता है।

(ग) वित्त विधेयक, 2007 के साथ प्रस्तुत राजस्व अधित्याग विवरण के अनुसार वर्ष 2005-06 के दौरान एस.ई.जेडों को प्रदत्त छूटों में अधित्यक्त राजस्व 1070 करोड़ रुपये था, जबकि गैर एस.ई.जेड. उद्योगों से संबंधित विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के अन्तर्गत अधित्यक्त राजस्व की राशि 36520 करोड़ रुपये थी।

(घ) दिनांक 31 दिसम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार 1016 एस.ई.जेड. इकाइयां प्रचालनरत थीं। आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 में नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार संगठित विनिर्माण क्षेत्र में 1,29,074 कारखाने कार्यरत थे।

(ङ) एस.ई.जेड. अधिनियम के कार्यान्वयन के पहले वर्ष के दौरान एस.ई.जेडों में 13,435 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और 18,457 अतिरिक्त रोजगारों का सृजन हुआ है।

(च) और (छ) विशेष आर्थिक जोनों के विकास एवं निषिद्ध क्षेत्रों अर्थात हथियार तथा गोला-बारूद, विस्फोटकों, रक्षा वायुयान तथा जंगी जहाजों, परमाणु पदार्थों, स्वापक एवं मनःप्रभावी पदार्थों तथा खतरनाक रसायनों, अल्कोहलयुक्त पेयों के आसवन तथा ब्रूइंग; सिगरेट/सिगार तथा विनिर्मित तम्बाकू विकल्पों को छोड़कर एस.ई.जेडों में इकाइयों की स्थापना हेतु विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति है।

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की समीक्षा

964. श्री रामदास आठवले:
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:
श्री बालेश्वर यादव:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या माननीय प्रधान मंत्री ने इस योजना की नियमित समीक्षा हेतु सभी राज्य सरकारों को जनवरी 2007 में निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) निर्देशों का पालन न करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित करके तथा समय-समय पर मंत्रालय के अधिकारियों के क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से समेकित बाल विकास सेवा स्कीम (आई.सी.डी.एस.) के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) आई.सी.डी.एस. स्कीम के कार्यान्वयन की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए, माननीय प्रधान मंत्री ने सभी मुख्य मंत्रियों को सम्बोधित पत्र में उन्हें उनके राज्यों में इस स्कीम का विस्तृत मूल्यांकन करने के पश्चात् अपने स्तर पर संस्थानीकृत समीक्षा प्रक्रिया प्रारम्भ करने; अल्पसंख्यक समुदाय बाहुल्य तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में कार्यक्रम की स्थिति में सुधार पर विशेष बल देने; इन केन्द्रों के कार्यकरण का प्रबोधन एवं पर्यवेक्षण करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को पर्याप्त रूप से सशक्त बनाने; सम्बन्धित अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाने तथा इस क्षेत्र में हुई प्रगति संबंधी तिमाही आधार पर रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

(ङ) और (च) अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उक्त पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

राजीव गांधी शिशु गृह

965. श्री मो. ताहिर:
श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में क्रेचेज (बालगृह) की राज्य-वार आवश्यकता को पूरा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के संबंध में वर्ष 2006-07 हेतु घोषित सभी योजनाएं चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने चालू वर्ष की पहली छमाही के लिए राज्यों से व्यय तथा योजनाओं के सम्बन्ध में राज्य-वार ब्यौरा प्राप्त किया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) राजीव गांधी राष्ट्रीय बाल गृह योजना के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितने बाल-गृह खोले गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा सभी राज्यों में राज्य समाज कल्याण बोर्डों के माध्यम से शिशुगृह खोले जाते हैं। भारतीय बाल कल्याण परिषद् तथा भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के माध्यम से भी पूरे देश में शिशुगृह खोले जाते हैं।

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए किसी नयी स्कीम की घोषणा नहीं की गयी।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम के अंतर्गत अब तक स्वीकृत शिशुगृहों की कुल संख्या 30,902 है, जिसमें पहली शिशुगृह स्कीमों के अंतर्गत खोले गए शिशुगृह भी शामिल हैं।

सैनिकों के लिए आवासीय क्वार्टर

966. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए आवासीय क्वार्टर का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास सीमा की रखवाली करने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों की संख्या में वृद्धि करने का भी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्तावों का कब तक क्रियान्वयन किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) सीमा पर तैनात किये जाने वाले सी.पी.एफ. कर्मिकों को बैरक आवास प्रदान किए जाते हैं। बल कार्मिकों और पृथक परिवारों के लिए पारिवारिक आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बटालियन मुख्यालय में और उच्च संरचनाओं में प्रदान किए जाते हैं।

(ग) सीमा रक्षक बल की नफरी में वृद्धि, सीमा पर आवश्यकता का आकलन करने के पश्चात समय-समय पर की जाती है।

(घ) और (ङ) प्रश्न पैदा नहीं होता है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना

967. श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एन.आई.टी.) की स्थापना के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) देश में चल रहे ऐसे संस्थानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान राज्यों में कुछ एन.आई.टी. खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ चुने गए स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन संस्थानों की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है;

(च) क्या ज्ञान आयोग के बारे में हाल ही के विवाद से ऐसे शैक्षणिक संस्थाओं के स्तरोन्नयन एवं विकास में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) वर्ष 2003 में भारत सरकार ने 17 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को अपने नियंत्रण में लेने तथा उन्हें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। तत्पश्चात सम्बद्ध राज्य सरकारों के अनुरोध पर

बिहार कालेज, पटना, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, रायपुर तथा त्रिपुरा इंजीनियरिंग कालेज, अगरतला नामक तीन और इंजीनियरी कालेजों को क्रमश: वर्ष 2004, 2005 तथा 2006 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्तरोन्नत किया गया। इस समय देश में निम्नलिखित राज्यों में प्रत्येक राज्य में एक इंजीनियरी कालेज के हिसाब से कुल 20 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान चलाए जा रहे हैं:- आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।

(ग) से (ङ) मणिपुर प्रौद्योगिकी संस्थान, इम्फाल को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में परिणत करने के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया। सरकार के पास अन्य कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च) से (ज) सरकार इस प्रकार के किसी विवाद से अवगत नहीं है।

समझौतों का उल्लंघन

968. श्री जीवाभाई ए. पटेल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत और विदेशी कम्पनियों के बीच संविदात्मक दायित्व के उल्लंघन के मामलों को रोकने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन कम्पनियों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसे उल्लंघनों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 8 (1) (ख) के अंतर्गत यदि विदेश व्यापार महानिदेक के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि किसी व्यक्ति अर्थात् भारतीय कम्पनी/फर्म ने ऐसे तरीके से निर्यात अथवा आयात किया है जो किसी अन्य देश के साथ भारतीय व्यापार संबंधों की दृष्टि के गंभीर रूप से प्रतिकूल है अथवा आयात और निर्यात में लगे अन्य व्यक्तियों के हितों के प्रतिकूल है अथवा उससे देश की प्रतिष्ठा अथवा माल की बदनामी हुई है, तो महानिदेशक रिकार्ड मांग सकता है अथवा उस व्यक्ति से कोई सूचना प्राप्त कर सकता है जो उस व्यक्ति को ऐसे आधार पर लिखित में सूचना देकर प्राप्त की जाएगी जिस पर आयातक अथवा निर्यातक कोड (आई.ई.सी.) संख्या निलंबित अथवा रद्द करने का प्रस्ताव है और उसे आदेश में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए लिखित, निलंबित अभ्यावेदन करने का अवसर देगा अथवा उस व्यक्तिय को प्रदान की गई आई.ई.सी. संख्या रद्द करेगा।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों (कैलण्डर वर्ष 2004, 2005 और 2006) के दौरान ब्रिलियंट इंटरनेशनल, मुम्बई के केवल एक मामले में एक महीने की अवधि के लिए आई.ई.सी. संख्या निलंबित की गई थी। आई.ई.सी. संख्या को रद्द करने से यह सुनिश्चित होता है कि कम्पनी/फर्म कोई आयात और/अथवा निर्यात सौदा करने के योग्य नहीं है।

[अनुवाद]

कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के लिए नई योजनाएं

969. श्री मोहन रावले: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण जनसंख्या के समुत्थान के लिए कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों हेतु नई योजनाएं आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के लिए किस सीमा तक लाभकारी होगा?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) जी, हां। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में नई योजनाओं का ब्यौरा एवं लाभ वियरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. **खादी बुनकरों एवं कारीगरों के लिए वर्कशेड-कम-हाउसिंग योजना:** यह योजना वस्त्र मंत्रालय के तहत कार्यान्वित की जाने वाली एक योजना से पूर्णतया मिलती जुलती है।

2. **खादी उद्योग एवं कारीगरों की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए योजना:** इसका उद्देश्य खादी उत्पादों, तैयार वस्त्रों, मुसलिन खादी के लिए बढ़ा हुआ मूल्य वर्धन देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में 'ए प्लस' तथा 'ए' वर्गों के 200 खादी संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना,

सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करना, कारीगरों के कौशल उन्नयन सहित उन्हें बेहतर मजदूरी सुनिश्चित करने के अलावा आवश्यकता आधारित डाइंग और प्रिंटिंग सुविधाएं प्रदान करना है।

3. **कमजोर संस्थानों के लिए नर्सिंग फंड सहित खादी संस्थानों की आधारभूत संरचना के विकास के लिए पैकेज:** इस योजना में खादी के उत्पादन में बढ़ोतरी लाने और रोजगार को विस्तृत बनाने के लिए हथकरघों और चरखों को बदलने की परिकल्पना की गई है। योजना में बिक्री निर्गमों का नवीनीकरण भी शामिल है।

4. **आर.ई.जी.पी. का पुनर्गठन:** यह योजना एक व्यापक प्रस्ताव बनने जा रही है जो प्रमुख रोजगार सृजन योजना अर्थात् पी.एम.आर.वाई. और आर.ई.जी.पी. को मिलाने की इच्छुक है।

5. **कॅयर उद्योग के लिए पुनरूज्जीवन, आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन:** योजना के दो घटक हैं। प्रथम भाग पुनरूज्जीवन एवं आधुनिकीकरण है। हस्क के प्रयोग में बढ़ोतरी करना, हस्क को कॅयर उत्पादों में बदलने की बेहतर दरें और लगभग 50,000 नए कारीगरों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना इसके कुछ लक्ष्य हैं।

दूसरा भाग में 5 मेगा क्लस्टरों, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा प्रत्येक में एक, का संवर्धन करना है।

शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रत्यायन

970. श्री अधीर चौधरी:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री निखिल कुमार:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के अध्यापकों, छात्रों, इनकी अवसंरचनाओं एवं इनके शैक्षणिक माहौल का आकलन अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि दिनांक 12 फरवरी, 2007 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने आकलन एवं प्रत्यायन हेतु ग्रेडिंग प्रणाली को परिवर्तित कर वर्तमान नाइन-प्वाइंट स्केल के स्थान पर चार ग्रेड वाली प्रणाली करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में यू.जी.सी. द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) देश के विभिन्न भागों में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल (एन.ए.ए.सी.) द्वारा बगैर प्रत्यायन के चल रहे कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और उच्च अध्ययन संस्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार/यू.जी.सी. द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एन.ए.ए.सी.) द्वारा मूल्यांकन और प्रत्यायन के मौजूदा संरचना की फिलहाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारत सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने अब तक 130 विश्वविद्यालयों और 3075 कालेजों का मूल्यांकन और प्रत्यायन किया है, जिसके संबंध में ब्यौरे एन.ए.ए.सी. की वेबसाइट www.naacindia.org पर देखे जा सकते हैं।

[हिन्दी]

इंजीनियरिंग संस्थान

971. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री नवीन जिन्दल:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थानों का औचक निरीक्षण यह जानकारी जुटाने के लिए करती है कि क्या ये इंजीनियरिंग संस्थान मानदण्डों के अनुरूप चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा कितने निरीक्षण किए गए;

(ग) कितने इंजीनियरिंग संस्थानों के बारे में यह पाया गया कि ये विहित मानदण्डों के अनुसार नहीं चल रहे हैं; और

(घ) ऐसे संस्थानों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी हां। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् तकनीकी शिक्षा संस्थाओं के औचक/नियत निरीक्षण आयोजित करता है ताकि परिषद द्वारा या मूल्यांकन समिति की टिप्पणियों के आधार पर निर्धारित मानदंडों का अनुसरण सुनिश्चित किया जा सके। वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान आयोजित निरीक्षणों की संख्या क्रमशः 1058 और 359 थी।

(ग) और (घ) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मानदंडों का उल्लंघन की गई संस्थाओं की संख्या क्रमशः 77 और 38 थी जिन्हें 'दाखिला क्षमता कम करना' या 'कोई दाखिला नहीं' श्रेणी या "सशर्त अनुमोदन श्रेणी" में रखा गया।

[अनुवाद]

पैलेडियम ट्रेड

972. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सफेद धातु के रूप में पैलेडियम के बाजार में आने के परिणामस्वरूप आने वाले वर्षों में विश्व आभूषण बाजार में स्वर्ण आभूषण नहीं के बराबर दिखाई देंगे;

(ख) क्या देश में आभूषण बनाने के लिए पैलेडियम का कारोबार एवं उपयोग किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो देश में वर्तमान में इसका अनुमानित स्टॉक कितना है; और

(घ) पैलेडियम का अनुमानित वार्षिक टर्न ओवर कितना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) आभूषण विनिर्माण हेतु वैकल्पिक धातु के रूप में पैलेडियम की मांग में हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि हो रही है। आज की स्थिति के अनुसार विश्व बाजार में लगभग 1.2 प्रतिशत आभूषण पैलेडियम से बनाए जाते हैं। विश्व आभूषण बाजार में सोने और हीरे के आभूषणों का प्रभुत्व बना हुआ है।

(ख) से (घ) आभूषण विनिर्माण हेतु देश में पैलेडियम के उपयोग के संबंध में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है। पिछले तीन वर्षों के लिए पैलेडियम के आयात एवं निर्यात संबंधी आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	पैलेडियम का आयात			पैलेडियम का निर्यात		
	2004-05	2005-06	2006-07 (अगस्त, 2007 तक)	2004-05	2005-06	2006-07 (अगस्त, 2007 तक)
मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में	6.97	6.28	7.81	0.34	0.02	0
मात्रा हजार किग्रा. में	1.56	1.00	0.79	0.14	उ.न.	0

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा छात्रों का मूल्यांकन

973. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनेस्को की आगामी ई-9 मंत्रिस्तरीय समीक्षा बैठक के लिए छात्रों के आकलन के संबंध में राष्ट्रीय शैक्षिक एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) की हाल की सिफारिशों से स्कूल में छात्रों के निष्पादन आकलन की प्रक्रिया अधिक सक्षम होने की संभावना है जैसा कि दिनांक 8 जनवरी, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.सी.ई.आर.टी. ने छात्रों के निष्पादन का आकलन करने के लिए खाका तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) ने 28 से 30 नवम्बर,

2006 तक शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अध्ययन मूल्यांकन के बारे में एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था ताकि मूल्यांकन संबंधी नवाचारी अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं तथा राष्ट्रीय स्तर के अनुभवों का आदान-प्रदान किया जा सके। एन.सी.ई.आर.टी., राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा-2005 में परिकल्पित दृष्टिकोण के आधार पर प्राथमिक स्तर पर अध्ययन मूल्यांकन के बारे में एक स्रोत पुस्तक विकसित कर रहा है। एन.सी.ई.आर.टी. ने शिक्षा में भाषाएं, गणित, पर्यावरण अध्ययन, कला, शिल्प और सौंदर्यशास्त्र तथा पाठ्यचर्या, जो स्रोत पुस्तक का एक अभिन्न अंग होंगे, के मामलों में पांच उप-समूहों का गठन किया है।

(ग) और (घ) प्रारूप स्रोत पुस्तक के जून, 2007 में क्षेत्र-प्रशिक्षण के लिए तैयार हो जाने की संभावना है और तत्पश्चात, क्षेत्र में प्राप्त प्रतिक्रियाओं से इसे और उत्तम बनाया जाएगा। इसके पश्चात, राज्य शिक्षा विभाग द्वारा इसे अपनाए जाने/अनुकूलन के लिए दिशानिर्देशों का विकास किया जाएगा।

[हिन्दी]

दिल्ली की मतदाता सूची में बांगलादेशी

974. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री संतोष गंगवार:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांगलादेशी नागरिकों की पहचान करने तथा किसी भी चुनाव में मतदान करने से उन्हें वर्जित करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितने बांगलादेशी नागरिकों की पहचान कर उनके नामों को मतदाता सूची से हटाया गया है; और

(ग) बांगलादेशी नागरिकों को मतदान से वर्जित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) भारत के चुनाव आयोग के अनुसार माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने चेतन दत्त बनाम भारत संघ और अन्य की रिट याचिका (सी) संख्या 3170 तथा राम बिलास और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य की रिट याचिका संख्या 2925 में दिनांक 28-9-2005 को पारित अपने आदेश में भारत के चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि आयोग ऐसी कौन सी विधि अपनाएगा जिससे कि मतदाता सूची में केवल भारतीय नागरिकों के ही नाम विद्यमान हो। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी राष्ट्रिकों की पहचान करना और उनका प्रत्यावर्तन करना एक सतत् प्रक्रिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली को पहचान किए गए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्रत्यावर्तित विदेशी राष्ट्रिकों की सूची समय-समय पर विदेशी राष्ट्रिक क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त होती है। इसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी, एफ.आर.आर.ओ. से प्राप्त ऐसे विदेशी राष्ट्रिकों के नामों को यदि ये मतदाता सूची में शामिल हैं तो उनको मतदाता सूची से हटाने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ करता है। अभी तक एफ.आर.आर.ओ., दिल्ली द्वारा पहचान किए गए 226 बांग्लादेशी राष्ट्रिकों के नामों को उपयुक्त प्रक्रिया अपनाने के पश्चात विभिन्न पंजीकरण अधिकारियों द्वारा दिल्ली में मतदाता सूचियों से हटा दिया गया है।

कृषि निर्यात क्षेत्र

975. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
डा. एम. जगन्नाथ:
डा. चिन्ता मोहन:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि निर्यात क्षेत्रों (ए.ई.ज़ेड.) को स्वीकृति/मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन कृषि निर्यात क्षेत्रों (ए.ई.जेड.) का ब्यौरा क्या है जिनको स्वीकृति/मंजूरी दी गई है लेकिन जिन्होंने कार्य आरंभ नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 20 राज्यों में 60 कृषि निर्यात जोनों (ए.ई.जेड.) को स्वीकृति प्रदान की गई है। यद्यपि कुछ जोनों में निवेश एवं निर्यात नहीं किए जा रहे हैं तथापि विकास कार्यकलाप किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग चाय के मामलें में समझौता-ज्ञापन पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। सभी ए.ई.जेडों का कार्य निष्पादन निम्नानुसार रहा है:-

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	ए.ई.जेड. परियोजना	वास्तविक निर्यात	वास्तविक निवेश	अनुमानित निर्यात	अनुमानित निवेश
1	2	3	4	5	6	7
1.	पश्चिम बंगाल	अनन्नास	0.20	54.50	127.00	35.59
		लीची	3.30	0.93	27.85	10.44
		आलू	3.72	0.15	381.00	36.65
		आम	74.00	3.58	103.15	31.18
		सब्जियां	4.43	0.12	152.00	28.80
		दार्जिलिंग चाय	0.00	0.00	673.75	212.65
2.	कर्नाटक	खीरा	960.19	87.34	35.25	10.95
		गुलाबी प्याज	182.06	0.13	50.00	6.10
		पुष्प	20.00	3.57	312.50	29.28
		वनीला	0.00	0.00	0.00	5.90
3.	उत्तरांचल	लीची	2.45	3.72	38.20	8.70
		पुष्प	0.04	10.19	28.28	13.76
		बासमती चावल	0.00	0.39	14.54	6.33
		औषधीय एवं सुगंधित पौधे	1.00	0.00	43.57	18.81
4.	पंजाब	सब्जियां	0.03	35.75	129.00	26.77
		आलू	2.80	8.46	393.75	10.41
		बासमती चावल	1521.00	5.27	2340.90	23.30
5.	उत्तर प्रदेश	आलू	7.00	0.97	555.50	10.42
		आम और सब्जियां	0.47	13.95	170.82	44.71
		आम	12.49	7.85	71.00	36.11
		बासमती चावल	0.00	0.47	510.00	39.75
6.	महाराष्ट्र	अंगूर तथा अंगूरी मदिरा	287.00	110.17	68.47	3.50

1	2	3	4	5	6	7
		आम (अल्फांसो)	123.00	36.86	145.59	35.12
		केसरी आम	12.17	3.43	44.19	18.56
		पुष्प	18.00	168.00	75.00	17.89
		प्याज	588.00	38.33	154.49	32.24
		अनार	20.24	1.53	48.00	14.98
		केला	0.02	6.99	52.55	13.45
		संतरा	2.72	0.01	77.28	26.24
7.	आन्ध्र प्रदेश	आम का गूदा व ताजी सब्जियां	426.44	38.19	252.00	53.68
		आम और अंगूर	18.29	12.74	59.69	57.21
		आम	2.75	2.65	48.59	17.89
		खीरा	44.52	0.14	313.00	20.05
		मिर्च	0.00	0.00	93.75	23.68
8.	जम्मू-कश्मीर	सेब	55.18	5.44	292.74	85.35
		अखरोट	313.30	14.14	90.40	36.93
9.	त्रिपुरा	जैविक अनन्नास	0.00	7.62	31.64	15.66
10.	मध्य प्रदेश	आलू, प्याज और लहसून	15.99	42.64	126.19	49.45
		बीज मसाले	38.43	4.55	85.10	31.93
		गेहूं (दुरम)	21.00	4.71	1155.00	86.42
		मसूर एवं चना	0.00	0.00	235.75	18.65
		संतरे	0.00	8.90	29.91	10.0
11.	तमिलनाडु	पुष्प	33.40	22.47	158.76	24.85
		पुष्प	0.50	5.50	109.88	15.88
		आम	0.00	0.81	85.00	24.60
		काजू	0.00	0.00	0.00	10.35
12.	बिहार	लीची, सब्जियां, एवं शहद	5.87	20.10	154.00	12.13

1	2	3	4	5	6	7
13.	गुजरात	आम और सब्जियां	1.65	5.77	92.64	33.72
		मूल्यवर्धित प्याज	150.00	13.67	234.25	35.08
		तिल	0.00	0.00	381.50	10.0
14.	सिक्किम	पुष्प तथा चेरी काली मिर्च	0.00	1.15	45.08	32.31
		अदरक	0.00	0.00	76.60	24.61
15.	हिमाचल प्रदेश	सेब	0.00	0.00	170.00	57.07
16.	उड़ीसा	अदरक और हल्दी	1.76	0.00	143.97	6.03
17.	झारखण्ड	सब्जियां	0.00	0.00	81.70	7.09
18.	केरल	बागवानी उत्पाद	212.00	3.10	163.00	29.87
		औषधीय पौधे	0.00	0.00	157.00	26.24
19.	असम	ताजा एवं प्रसंस्कृत अदरक	2.17	3.15	40.83	17.53
20.	राजस्थान	धनिया	0.00	0.00	55.20	12.63
		जीरा	0.00	0.00	161.50	28.37
		कुल	5340.07	820.08	11821.47	1717.95

(स्रोत: एपीडा)

(घ) लक्ष्य की प्राप्ति में आई कमी के कारणों का पता लगाने और उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने की दृष्टि से विद्यमान कृषि निर्यात जोनों (ए.ई.जेड) के कार्य निष्पादन का समग्र मूल्यांकन किया गया है। निष्कर्षों के आधार पर एक कार्य योजना बनाई गई है जिसमें राज्य स्तर पर समन्वय समिति और निगरानी समिति का गठन करना और ए.ई.जेड के लिए नोडल एजेंसियों को नामांकित करना शामिल है।

[अनुवाद]

घरेलू हिंसा अधिनियम

976. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) घरेलू हिंसा अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने स्वयं के नियम बनाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों ने इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की पुष्टि की है। बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर तथा पंजाब की सरकारों ने सूचित किया है कि इस बारे में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(ख) और (ग) अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा इसके अंतर्गत नियम बनाने का प्रावधान नहीं है।

शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण

977. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों ने सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों हेतु द्विवर्षीय प्रशिक्षण अवधि निर्धारित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं। प्रारंभिक सेक्टर में सी.एड. और डी.एड. जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और सी.पी.एड. और एम.पी.एड. जैसे कुछ अन्य कार्यक्रम पहले से ही दो वर्ष की अवधि के हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने गुणवत्तापरक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए विभिन्न मानकों और प्रतिमानकों को निर्दिष्ट करने हेतु विनियम बनाएहैं प्रत्येक अध्यापक शिक्षण संस्थान को अध्यापक शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं, शिक्षण और अन्य संकायों, प्रशिक्षण सुविधाओं आदि के संबंध में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्दिष्ट प्रतिमानकों और स्तरों को पूरा करना होता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक अध्यापक शिक्षा कायक्रम के लिए विशिष्ट प्रतिमानकों और स्तरों का निर्धारण किया गया है, जिनमें किसी विशिष्ट अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को चलाने के लिए विभिन्न आवश्यकताओं जैसे कार्यक्रम की अवधि, कार्य दिवस, अर्हता, प्रवेश-प्रक्रिया, शिक्षक प्रशिक्षकों की अर्हता, सेवा के निबंधन और शर्तों, अवसंरचनात्मक अनुदेशात्मक और अन्य सुविधाओं का ब्यौरा दिया गया है।

कर्नाटक हथकरघा विकास निगम को सुदृढ़ किया जाना

978. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक हथकरघा विकास निगम के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए किसी परियोजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना की कुल लागत कितनी है;

(ग) इसमें राज्य सरकार और केन्द्र सरकार का हिस्सा कितना है; और

(घ) इसमें सरकार द्वारा निर्धारित, स्वीकृत एवं जारी की गई/जारी की जाने वाली संभावित राशि का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी हां।

(ख) से (घ) कर्नाटक हथकरघा विकास निगम को दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के हथकरघा संगठन संघटक को सुदृढ़ करने के अंतर्गत 40.00 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत जिसमें केन्द्र तथा राज्य प्रत्येक का 20.00 करोड़ रुपये का अंश है, वाली एक परियोजना स्वीकृत की गई है। 20.00 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अंश में से 10.00 करोड़ रुपये की राशि मई, 2005 में राज्य सरकार के माध्यम से निगम के पक्ष में अवमुक्त की जा चुकी है। इसी प्रकार, राज्य सरकार ने भी निगम को अपना समान अंश अवमुक्त कर दिया है। शेष राशि को अवमुक्त करने पर तभी विचार किया जाएगा जब निगम योजना के अंतर्गत इस प्रयोजन हेतु निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा कर लेगा।

अपराध मैपिंग प्रणाली

979. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में अपराध मैपिंग प्रणाली आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रणाली का ब्यौरा एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) देश में अपराधों को रोकने में ऐसी प्रणाली के किस हद तक सहायक होने की संभावना है; और

(घ) ऐसी प्रणाली की स्थापना के लिए राज्यों को संभावित रूप से प्रदान किए जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

आपदा प्रबंध समन्वय

980. श्री एस. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपदा एवं इसके पश्चात् की स्थिति का प्रभावी प्रबंधन करने हेतु राष्ट्रीय समन्वय मंच गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कमियों से उबरने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या मंच के कार्यकलापों का समन्वय करने हेतु तट-रक्षक को नोडल एजेंसी बनाने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) आपदाओं का प्रभावी प्रबंधन सुकर बनाने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर संस्थागत तंत्र का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर इनमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) शामिल है जिसे आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनायें और दिशानिर्देश निर्धारित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है; राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एन.ई.सी.) है जिसे एन.डी.एम.ए. की नीतियों और योजनाओं को कार्यान्वित करने तथा देश में आपदा प्रबंधन के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है; और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान की योजना बनाने और उसका संवर्धन करने, आपदा प्रबंधन की नितियों, निवारण तंत्रों और प्रशमन उपायो से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के सूचना आधार का प्रलेखीकरण और विकास करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सरकार ने अधिनियम के उपबंधों के अनुसार एन.डी.एम.ए., एन.ई.सी. और एन.आई.डी.एम. का गठन किया है।

(घ) से (च) जी नहीं। तथापि, भारतीय तट रक्षक, अभी भी समुद्र में तेल प्रदूषण दूर करने के लिए नोडल एजेंसी और राष्ट्रीय तेल प्रवाह आपदा आकस्मिकता योजना के लिए केन्द्रीय समन्वय प्राधिकरण है।

उपकर समाप्त करना

981. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिले-सिलाए परिधानों पर वस्त्र समिति उपकर को समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उपकर को समाप्त करने से वस्त्र उद्योग विशेषकर सिले-सिलाए परिधानों की विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता में कितना सुधार होने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में वस्त्र उद्योग की सहायता के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने अधिसूचना संख्या 52(ई) दिनांक 7-1-2007 द्वारा सिले सिलाए परिधानों पर वस्त्र समिति उपकर लगाये जाने से छूट दे दी है।

(ग) वस्त्र उपकर की कुल वसूली में सिले सिलाए परिधानों का अंशदान लगभग 33% रहा है। वस्त्र समिति उपकर से छूट दिए जाने से भारतीय वस्त्र उद्योग पर कर एवं उपकर के भार को युक्तिसंगत बनाये जाने और कोटा पश्चात् व्यवस्था में वैश्विक बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाये जाने की संभावना है।

(घ) वस्त्र उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों में निम्नलिखित शामिल है:-

(1) निवेश आकर्षित करने और आधुनिकीकरण के लिए राजकोषीय शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाना।

(2) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) को सुदृढ़ बनाना और इसका विस्तार विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा और हथकरघा क्षेत्रों तक करना।

(3) किफायती उत्पादन के लिए लघु उद्योग क्षेत्र की परिधि से बुने हुए सिलेसिलाए परिधान, निटिंग और हौजरी का अनारक्षण।

(4) संभावित विकास केन्द्रों में अवसंरचना विकसित करने के लिए दो योजनाओं अर्थात निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना और वस्त्र केन्द्र अवसंरचना विकास योजना (टी.सी.आई.डी.एस.) को मिलाकर एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एस.आई.टी.पी.) शुरू करना।

(5) हस्तशिल्प और हथकरघा समूहों को सुदृढ़ बनाने के लिए समूह आधारित दृष्टिकोण अपनाना।

(6) उपयुक्त कीमतों पर बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश में यार्न भंडारों की स्थापना।

(7) कपास जो वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल है, की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन सुदृढ़ करना।

(8) पटसन क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास का संवर्द्धन करने के लिए पहली व्यापक राष्ट्रीय पटसन नीति की घोषणा।

[हिन्दी]

लौह अयस्क की आपूर्ति

982. डा. धीरेंद्र अग्रवाल: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु इस्पात विनिर्माण कंपनियों को लौह अयस्क की आपूर्ति नहीं मिल पा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्हें झारखंड में लौह अयस्क की खानें पट्टे पर दी गई हैं;

(घ) इन खानों के विस्थापितों के हित के लिए सामाजिक एवं आर्थिक दायित्वों को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ङ) इन मानदंडों के समुचित अनुपालन पर निगरानी रखने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) और (ख) लौह अयस्क की आपूर्ति मार्केट फोर्सेस द्वारा संचालित होती है और विभिन्न क्षेत्रों के लौह अयस्क की उपलब्धता के आंकड़े खान मंत्रालय में केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते।

(ग) राज्य खनिजों के स्वामी होने के नाते, खनिज रियायतें प्रदान करते हैं। खान मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन केवल खान तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों जिसमें लौह अयस्क भी शामिल है, के संबंध में अपेक्षित होता है। झारखंड में लौह अयस्क के लिए खनन पट्टा मंजूर करने हेतु खान मंत्रालय द्वारा 1-1-2004 से 28-2-2007 तक जिन आवेदकों के पक्ष में पूर्व अनुमोदन दिया गया है, उनके नाम निम्नानुसार हैं:-

(i) मै. बालाजी इन्डस्ट्रीयल प्रॉडक्ट्स लि.

(ii) मै. निरंजन हाई-टेक लि.

(iii) मै. ए.एम.एल. स्टील एण्ड पावर प्रा. लि.

(iv) मै. प्रसाद ग्रुप रिर्सोसेस प्रा. लि.

(v) मै. रूंगटा माइन्स लि.

(vi) मै. इलैटोरस्टील कार्स्टिंग लि.

(vii) मै. सनफ्लैग आयरन एण्ड स्टील कं. लि.

(viii) मै. बालमुकुंद स्पंज एण्ड आयरन लि.

(घ) और (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सरकार ने परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास की राष्ट्रीय नीति 2003 (एन.पी.आर.आर. 2003) बनाई है। यह नीति विस्थापित लोगों/हटाये गये लोगों को दिए जाने के लिए न्यूनतम प्रावधान निर्धारित किये गये हैं और ये मैदानी क्षेत्रों में 500 अथवा अधिक परिवारों अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में 250 अथवा अधिक परिवारों को एक मुश्त में विस्थापित करने वाली परियोजनाओं, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम ब्लाकों तथा भारत के संविधान की अनुसूची V तथा VI में उल्लिखित क्षेत्रों पर लागू होगी। नीति में परिकल्पित पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास अनुदान तथा लाभ परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए लागू हैं। विकासात्मक परियोजनाओं के कारण विस्थापित परिवारों के पुनर्वास तथा स्थानान्तरण संबंधी सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

दिल्ली में पशुवध गृह का निर्माण

983. श्री टेक लाल महतो: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत गाजीपुर में आधुनिक पशु वध गृह निर्मित करने का है;

(ख) इसके कब तक चालू होने की संभावना है; और

(ग) इस पर कुल कितना धन व्यय होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) जी हां। दिल्ली नगर निगम, 200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर गाजीपुर, दिल्ली में एक आधुनिक बूचड़खाने का निर्माण कर रहा है। बूचड़खाने के वर्ष 2007 के अंत तक चालू हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

औद्योगिक वृद्धि

984. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान वर्ष की प्रत्येक तीनों तिमाही के दौरान क्षेत्र-वार कितनी औद्योगिक वृद्धि दर्ज की गई है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तुलनात्मक संगत वृद्धि कितनी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) वर्तमान वर्ष (2006-07) की प्रत्येक 3 तिमाहियों (अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर, अक्तूबर-दिसम्बर) के दौरान और अन्तिम 3 वर्षों की इसी अवधि के दौरान (क्षेत्रवार) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के द्वारा मापी गई औद्योगिक वृद्धि संबंधी ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

तिमाही क्षेत्र-वार औद्योगिक वृद्धि दर (प्रतिशत में)

	खनन	विनिर्माण	विद्युत	समग्र उद्योग
2003-04				
तिमाही 1	5.6	6.0	4.2	5.7
तिमाही 2	2.9	7.6	1.8	6.6
तिमाही 3	4.4	8.0	4.2	7.3
2004-05				
तिमाही 1	5.7	8.1	5.9	7.7
तिमाही 2	4.6	9.3	9.6	9.0
तिमाही 3	4.9	10.0	3.8	9.1
2005-06				
तिमाही 1	4.3	11.2	7.7	10.4
तिमाही 2	-2.1	7.8	2.0	6.5
तिमाही 3	-0.8	8.1	4.8	7.1
2006-07				
तिमाही 1	3.6	11.7	5.3	10.5
तिमाही 2	2.6	13.0	8.1	11.8
तिमाही 3	5.6	10.8	9.2	10.2

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देना

985. श्री नवीन जिन्दल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने की संभावना के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देते हुए ज्यादा रोजगार क्षमता सृजित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) देश के ग्रामीण क्षेत्र में कृषीय उद्योग सहित, ग्रामीण उद्योग का विकास एवं संवर्धन करने के लिए, सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) का कार्यान्वयन कर रहा है। आर.ई.जी.पी. के तहत, आवेदक-उद्यमियों द्वारा तैयार किये गए परियोजना प्रस्तावों के आधार पर ग्रामीण उद्योगों की स्थापना की जाती है, जिसके लिए के.वी.आई.सी. तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा उन्हें तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तथापि, इस कार्यक्रम के तहत, ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने संबंधी गुंजाइश के लिए अलग से मूल्यांकन नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त सरकार ने देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान करने के लिये, एक अध्ययन हेतु योजना आयोग से एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का अनुरोध किया है ताकि इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के द्वारा रोजगार सृजन किया जा सके। आर.ई.जी.पी. के तहत वर्ष 2002-03 से वर्ष 2006-07 के दौरान सृजित रोजगार निम्नवत हैं:

वर्ष	सृजित रोजगार (संख्या में)
1	2
2002-03	361,005
2003-04	471,458
2004-05	530,025
2005-06	567,676
2006-07*	257,091

*31-1-2007 की स्थिति के अनुसार

आतंकवादियों के निशाने पर परमाणु अनुसंधान केन्द्र

986. श्री अमिताभ नन्दी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु अनुसंधान केन्द्र आतंकवादी गुटों के निशाने पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के इन महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) इस आशय की सूचना मिली है वे आतंकवादी गुटों के लक्ष्य बन सकते हैं।

(ख) इसका ब्यौरा प्रकट करना लोक-हित में नहीं है।

(ग) सरकार ने ऐसे प्रतिष्ठानों को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लोक हित में जिनका ब्यौरा प्रकट नहीं किया जा सकता है।

झींगा निर्यात

987. श्री अनन्त नायक: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय झींगा निर्यातकों पर संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों से हो रही कठिनाईयों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय झींगा निर्यातकों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय श्रिम्प निर्यातकों पर पाटनरोधी शुल्क से संबंधित मुद्दों पर भारत-अमरीका व्यापार नीति मंच में चर्चा की

गई है और संबंधित सीमाशुल्क बंध पत्र के मुद्दे पर डब्ल्यू.टी.ओ. के विवाद निपटान तंत्र के अंतर्गत अमरीका से परामर्श किया गया है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) और भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक एसोसिएशन (एस.ई.ए.आई.) भी भारतीय श्रिम्प उद्योग के हितों की रक्षा कर रहे हैं।

जिला उद्योग केन्द्र

988. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जिला उद्योग केन्द्रों का पुनरुद्धार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में वर्ष 2007-08 हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2005 द्वारा किया गया सर्वेक्षण

989. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2005 द्वारा भारतीय पुलिस के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भारतीय पुलिस पर तैयार की गई कोई रिपोर्ट, गृह मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

कपास हेतु विपणन अवसंरचना में सुधार

990. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने टेक्नोलाजी मिशन आन काटन के अंतर्गत विपणन अवसंरचना में सुधार करने और जिनिंग एवं प्रेसिंग कारखानों का आधुनिकीकरण करने हेतु कोई धनराशि संस्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निर्णय लेने हेतु कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सी.सी.आई.) को अधिकार देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.सी.) के तहत लघु मिशन-III (विपणन अवसंरचना में सुधार) और लघु मिशन-IV (जिनिंग एवं प्रैसिंग कारखानों का आधुनिकीकरण) के लिए अखिल भारतीय आधार पर, न कि राज्य-वार और संघ शासित क्षेत्र वार, निधियां स्वीकृत करती है। परियोजनाएं पहले आओ आधार पर स्वीकृत की जाती हैं बशर्ते वे स्वीकृति के लिए शर्तें पूरी करती हों। लघु मिशन-III एवं IV के तहत कृषि उत्पाद बाजार समितियां (ए.पी.एम.सी.) को जारी की गई निधियों के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	राज्य	2003-04			2004-05			2005-06		
		ल.मि.-III	ल.मि.-IV	कुल	ल.मि.-III	ल.मि.-IV	कुल	ल.मि.-III	ल.मि.-IV	कुल
1.	पंजाब	–	–	–	55.88	–	55.88	57.12	55.80	112.92
2.	हरियाणा	253.26	–	253.26	61.58	–	61.58	67.89	–	67.89
3.	राजस्थान	65.26	–	65.26	38.06	–	38.06	45.66	–	45.66
4.	मध्य प्रदेश	109.59	–	109.59	122.05	–	122.05	280.90	23.57	304.47
5.	गुजरात	438.57	1355.88	1794.45	128.72	551.68	680.40	234.00	529.80	763.80
6.	आन्ध्र प्रदेश	437.00	20.00	457.00	286.43	54.00	340.43	57.43	99.59	156.89
7.	कर्नाटक	124.89	40.00	164.89	108.64	2.70	111.34	18.97	0.00	18.97
8.	तमिलनाडु	125.21	0.00	125.21	46.19	0.00	46.19	14.54	31.00	45.54
9.	उड़ीसा	22.70	0.00	22.70	53.33	20.00	73.53	43.06	0.00	43.06
10.	महाराष्ट्र	322.79	475.79	798.58	214.74	928.89	1143.63	683.69	355.72	1039.41
	कुल	**1899.27**	**1891.67**	**3790.94**	**1115.82**	**1557.27**	**2673.09**	**1503.13**	**1095.48**	**2598.61**
	आकस्मिक			118.07	–		90.32			127.15
	कुल योग			3909.01	–		2763.71			2725.76

2006-07 के दौरान रिलीज की गई राशि	लघु मिशन-III	980.53
(31 जनवरी 2007 तक)	लघु मिशन-IV	1541.71
	आकस्मिक	103.59
	कुल	2625.83

(ग) और (घ) जी नहीं। भारत सरकार ने कपास में एम.एस.पी. अभियान चलाने के लिए भारतीय कपास निगम लि. (सी.सी.आई.) को प्रमुख एजेंसी के रूप में नामित किया है। जैसे ही कपास की कीमतें एम.एस.पी. स्तर को छूते हैं, तो सी.सी.आई. को भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के कपास खरीदना होता है। कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य संबंधी आयोग (सी.ए.सी.पी.), कृषि मंत्रालय, की सिफारिशों पर की जाती है।

हिन्दी प्रसार सभा के माध्यम से हिन्दी को बढ़ावा

991. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों/राज्यों विशेषकर तमिलनाडु में हिन्दी भाषा को हिन्दी प्रसार सभा के माध्यम से लोकप्रिय बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उपरोक्त सभा द्वारा राज्य-वार कुल कितने छात्रों का नामांकन किया गया है; और

(घ) अगले तीन वर्षों हेतु राज्य-वार क्या अनुमान लगाया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, जो कि मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, हिन्दी के प्रसार हेतु स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है। स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में चेन्नई, तिरूचिरापल्ली, एर्नाकुलम, धारवाड़ तथा हैदराबाद स्थित दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की सभी शाखाओं को उनके विभिन्न हिन्दी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। सभा की विभिन्न शाखाओं को जारी अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) सभा की विभिन्न शाखाओं में नामांकित विद्यार्थियों को कुल राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) स्कीम के अंतर्गत वर्ष-दर-वर्ष आधार पर स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया जाता है। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, चेन्नई ने अगले वित्त वर्ष अर्थात् 2007-2008 हेतु अपनी संबंधित शाखाओं के माध्यम से हिन्दी के प्रसार तथा विकास हेतु विभिन्न नई स्कीमों का प्रस्ताव किया है।

विवरण-I

हिन्दी के प्रसार हेतु स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, चेन्नई को उसकी विभिन्न शाखाओं को जारी अनुदान

(राशि रु. में)

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की विभिन्न शाखाएं	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की विभिन्न शाखाओं को पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी अनुदान		
	2004-2005	2005-2006	2006-2007
1	2	3	4
1. चेन्नई			
(i) पी.जी. केन्द्र	35,30,560	36,09,200	39,10.360
(ii) सिटी स्कीम	14,00,550	17,58,750	21,28,950
(iii) राष्ट्रीय अनुसंधान पुस्तकालय	1,44,600	2,10,000	1,91,100

1	2	3	4
(iv) ऊटी	–	1,67,550	3,78,900
2. तिरूचिरापल्ली	37,51,050	42,23,850	48,67,800
(i) पांडिचेरी	1,66,350	1,67,250	2,41,500
3. एर्नाकुलम	17,36,821	20,18,582	22,24,604
(i) लक्षद्वीप	78,375	1,21,571	1,26,075
4. धारवाड़	50,60,475	54,33,000	55,37,400
(i) गोवा	3,51,650	3,44,700	3,73,200
5. हैदराबाद	38,31,690	42,07,815	43,48,920

विवरण-II

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, चेन्नई की विभिन्न शाखाओं में पिछले तीन वर्षों के दौरान नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या का ब्यौरा

(राशि रु. में)

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की विभिन्न शाखाएं	सभा की प्रत्येक शाखा में पिछले तीन वर्षों के दौरान नामांकन विद्यार्थियों की संख्या		
	2004-2005	2005-2006	2006-2007
1. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, चेन्नई	32,939	35,824	37,101
2. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, तिरूचिरापल्ली	1,25,397	1,20,078	78,312
3. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, एर्नाकुलम	14,019	14,123	7,213
4. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, कर्नाटक, धारवाड़	77,179	72,216	76,816
5. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	25,639	47,202	42,228

[हिन्दी]

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा विद्युत एवं जल कनेक्शन

992. चौ. मुनव्वर हसन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा नई दिल्ली में डी.आई.जेड. एरिया, गोल मार्किट सहित सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को विद्युत एवं जल कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अतिक्रमण भूमि पर निर्मित

क्लस्टर्स एवं जी-प्वाइंट के आवासों में रहने वाले लोगों को विद्युत एवं जल कनेक्शन उपलब्ध कराने से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है; और

(ग) विद्युत एवं जल के स्थायी कनेक्शन प्रदान कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा क्षेत्र में पता लगाए गए 38 झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टरों में अस्थायी विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने का मानदंड अपनाया गया है। क्लस्टरों को कोई व्यक्तिगत जल कनेक्शन उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं, परन्तु आवश्यकता के आधार पर सार्वजनिक नल/हैंड पम्प स्थापित किए गए हैं।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को इन क्लस्टरों के निवासियों से कोई राजस्व प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि इनको अभी तक कोई विद्युत और जल कनेक्शन प्रदान नहीं किए गए हैं तथा वह सार्वजनिक नल से जल आपूर्ति के लिए प्रभार की वसूली नहीं करती।

(ग) चूंकि ये झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर अस्थायी हैं, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने उनको केवल अस्थायी विद्युत कनेक्शन और नलकूपों/हैंड पम्प के जरिए जल उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

नो हैबिटेशन जोन

993. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर प्रभावी निगरानी हेतु 150 गज का "नो हैबिटेशन जोन" बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सीमा-पार से किए जा रहे अपराधों की रोकथाम करने में अन्तर्ग्रस्त गांवों की जनसंख्या का पुनर्वास करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) जी हां। चूंकि बांग्लादेश राइफल्स, भारत-बांग्लादेश सीमा से 150 गज के अंदर सीमा पर बाड़ का निर्माण करने का विरोध कर रही है इसलिए सीमा सुरक्षा बल ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके ऐसे क्षेत्रों में बाड़ का निर्माण करने के लिए लगभग 90,000 जनसंख्या वाले 149 गांवों का पुनर्निर्धारण करने का सुझाव दिया है। ऐसे गांवों के पुनर्वास/पुनर्निर्धारण करने के लिए भारत सरकार के पास इस समय न तो कोई स्कीम है और न ही शुरू करने की कोई योजना है।

[हिन्दी]

बंद उद्योग

994. श्री देवीदास पिंगले:
श्री शिशुपाल एन. पटले:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चालू वर्ष में देश के कुछ क्षेत्रों में उद्योग गत दो वर्षों के दौरान विद्युत की कमी के कारण ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो बंद पड़े ऐसे लघु तथा बड़े उद्योगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश से कुछ उद्योगों को अन्य राज्यों में स्थानांतरित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्योग-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे उद्योगों को चालू रखने के लिए कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) औद्योगिक बिजली की कमी उन कारणों में से एक है जो देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक विकास को बुरी तरह प्रभावित करती है।

(ख) श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो, शिमला औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक एककों के बन्द होने संबंधी सूचना एकत्र करता है। श्रम ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2004 के दौरान 193 एककों तथा वर्ष 2005 के दौरान 82 एककों को स्थायी रूप से बन्द कर दिया गया था। राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) औद्योगिक एककों की पुन:स्थापना करना एक सतत् प्रक्रिया है। उद्योगों को कच्चे माल की बेहतर उपलब्धता, विद्युत, अवसंरचना आदि जैसे विभिन्न कारणों के लिए पुन:स्थापित

किया जाता है। उद्योगों की पुन:स्थापना करने संबंधी सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ङ) और (च) ऐसे उद्योगों को जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार की कोई विशिष्ट योजनाएं नहीं हैं। उद्योगों के विकास को सुविधाजनक बनाने तथा तेजी लाने के लिए नीतिगत व्यवस्था प्रदान करने के अलावा रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरूज्जीवन के लिए किये गये उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) की स्थापना करना तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को वित्तीय सहायता के लिए दिशा-निर्देश जारी करना; रुग्ण इकाइयों का स्वस्थ इकाइयों के साथ समामेलन करना शामिल है। बी.आई.एफ.आर. के पास पंजीकृत इकाइयों के पुनरूज्जीवन के लिए जहां कहीं संभव होता है, पुनर्वास योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी का पुन:निर्माण प्रवर्त्तकों द्वारा नयी निधियों को लगाना, सार्वजनिक क्षेत्र के एककों के लिए सरकारी सहायता, अन्य कंपनियों के साथ विलय, वित्तीय संस्थानों, बैंकों तथा सरकार द्वारा बकाया देनदारी का पुन:निर्धारण करके छूट तथा रियायतों को प्रदान करना तथा प्रबंधन में परिवर्तन सम्मिलित है।

विवरण

बंद किए गये औद्योगिक एककों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	2004		2005	
		सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–
2.	आन्ध्र प्रदेश	–	1	–	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–
4.	असम	–	–	–	–
5.	बिहार	–	1	–	–
6.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–
7.	चण्डीगढ़	–	–	–	–
8.	दादर एवं नगर हवेली	–	–	–	–
9.	दमन एवं द्वीव	–	–	–	–
10.	गोया	–	1		2
11.	गुजरात	–	32	–	7
12.	हरियाणा	–	4	–	2
13.	हिमाचल प्रदेश	–	1	–	–

1	2	3	4	5	6
14.	जम्मू-कश्मीर	–	1	–	–
15.	झारखण्ड	–	3	–	1
16.	कर्नाटक	–	9	–	8
17.	केरल	–	8	–	1
18.	लक्षद्वीप	–	–	–	–
19.	मध्य प्रदेश	–	–	–	–
20.	महाराष्ट्र	–	–	–	–
21.	मणिपुर	–	–	–	–
22.	मेघालय	–	–	–	–
23.	मिजोरम	–	–	–	–
24.	नागालैण्ड	–	–	–	–
25.	एनसीटी दिल्ली	–	–	–	–
26.	उड़ीसा	–	2	–	–
27.	पाण्डिचेरी	–	–	–	–
28.	पंजाब	–	–	–	1
29.	राजस्थान	–	1	–	–
30.	सिक्किम	–	–	–	–
31.	तमिलनाडु	–	–	–	–
32.	त्रिपुरा	1	99	–	45
33.	उत्तर प्रदेश	5	22	1	13
34.	उत्तराखंड	–	–	–	–
35.	पश्चिम बंगाल	–	2	–	–
	योग	6	187	1	81

[अनुवाद]

जनजातियों के कल्याण हेतु निधियां

995. श्री दुष्यंत सिंह:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा जनजातीय लोगों के कल्याण हेतु प्रायोजित प्रत्येक योजना में केन्द्र का हिस्सा कितना है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से जनजातीय कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं इनसे बेहतर परिणामों को प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार के हिस्से में वृद्धि करने का अनुरोध किया है जैसाकि दिनांक 19 फरवरी, 2007 के "दि हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के समाजार्थिक विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय की प्रत्येक योजना के अंतर्गत केन्द्र का अंशदान निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	योजना का नाम	केन्द्रीय शेयर (%)
1.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	100
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान	100
3.	अनुसूचित जनजातीय छात्रों की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक तथा प्रतिमा उन्नयन की योजना	100
4.	अनुसूचित जनजातीय लड़कियों तथा लड़कों के छात्रावास की योजना	50
5.	जनजातीय क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना	50
6.	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को अनुदान	50
7.	कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना तथा अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान	
	(क) गैर-सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान	90
	(ख) कोचिंग एवं सम्बद्ध	100
8.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	100
9.	जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर	100
10.	आदिम जनजातीय समूहों का विकास	100
11.	लघु वन उत्पादों के लिए राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगमों को सहायता-अनुदान	100
12.	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगमों को समर्थन	
	(क) एनएसटीएफडीसी	100
	(ख) राज्य जनजातीय विकास निगम	49

क्र.सं.	योजना का नाम	केन्द्रीय शेयर (%)
13.	अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	100
14.	जनजातियों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान	100

(ख) से (घ) 13 फरवरी, 2007 को आयोजित जनजातीय विकास/कल्याण के प्रभारी राज्य सचिवों की समीक्षा बैठक और 14 फरवरी, 2007 को नई दिल्ली में आयोजित जनजातीय कल्याण/विकास के प्रभारी राज्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान कुछ राज्य सरकारों ने जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय अंशदान में वृद्धि करने का अनुरोध किया था। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषण की पद्धति का निर्णय योजना योग द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

सोने की खानें

996. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ राज्यों में सोने की नई खानें पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सोने के सबसे बड़े भंडार राजस्थान में पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रति वर्ष निकाले जाने वाले सोने का अनुमानित मूल्य कितना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) और (ख) भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में सोने की कोई नई खानें नहीं पाई गई हैं। तथापि, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) ने क्षेत्रीय गवेषण के आधार पर, आंध्र प्रदेश (अनंतपुर, कुड्डापाह जिले), झारखण्ड (रांची, पश्चिम सिंहभूम जिले), कर्नाटक (तुमकुर, धारवाड़ जिले) और राजस्थान (बांसवाड़ा जिला) में सोने के कुछ उत्तम खनिज-सम्भावित स्थलों की पहचान की है।

(ग) और (घ) जी.एस.आई. ने राजस्थान के भूकिया क्षेत्र (जिला बांसवाड़ा) में 1.97 ग्राम/टन के औसत ग्रेड और 94.39 टन के धातु अंश के साथ 47.90 मिलियन टन उत्तम स्वर्ण अयस्क संसाधनों का अनुमान लगाया है।

(ङ) इस चरण में आकलन नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

घुसपैठ रोकने के लिए उद्यतन प्रौद्योगिकी

997. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सीमापार से घुसपैठ रोकने तथा आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए सीमा सुरक्षा बल को ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जी.आई.एस.) प्रौद्योगिकी तथा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) से सुसज्जित करने का है जैसा कि दिनांक 21 फरवरी, 2007 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अद्यतन प्रौद्योगिकी अस्त्रों और अस्त्र प्रणाली के संचालन के लिए बी.एस.एफ. जवानों को प्रशिक्षित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां।

(ख) ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) का प्रापण कर लिया गया है और बटालियन स्तर तक इसे जारी कर दिया गया है तथा ज्योग्राफिक इन्फार्मेशन सिस्टम (जी.आई.एस.) चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) आधुनिक प्रौद्योगिकी, हथियार और हथियार प्रणाली का संचालन करने के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बुनियादी और सेवाकालीन पाठ्यक्रमों के दौरान सीमा सुरक्षा

बल के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण, ख्यातिप्राप्त शैक्षणिक संस्थानों/प्रतिष्ठानों द्वारा भी प्रदान किया जाता है।

नवोदय विद्यालय

998. श्री रघुनाथ झा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज तक कितने जवाहर नवोदय विद्यालयों को मंजूरी दी गई है और इनमें से कितने कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) मंजूरी प्राप्त जवाहर नवोदय विद्यालयों को यथाशीघ्र कार्यशील बनाया जाना सुनिश्चित करने हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) अस्थायी भवनों में कार्यरत जवाहर विद्यालयों का ब्यौरा क्या है और इन्हें स्थायी भवनों में स्थानांतरित करने हेतु क्या उपाए किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) अब तक 565 जवाहर नवोदय विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 26 ने अभी कार्य करना आरंभ नहीं किया है।

(ख) संबंधित राज्य सरकार प्राधिकरणों को विद्यालय आरम्भ करने के लिए अस्थायी भवन प्रदान करने और विद्यालयों के लिए स्थायी भवनों के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थान प्रदान करने के लिए नियमित रूप से आग्रह किया जा रहा है।

(ग) इस समय 139 जवाहर नवोदय विद्यालय अस्थायी बवनों में चल रहे हैं। 109 जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए भवनों के निर्माण कार्य की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। संबंधित राज्य सरकारों से भूखंड उपलब्ध न होने की वजह से शेष 30 जवाहर नवोदय विद्यालयों के निर्माण कार्य हेतु संस्वीकृति नहीं दी जा सकी।

कम्प्यूटर शिक्षा

999. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार सभी केन्द्रीय विद्यालयों में पांचवीं कक्षा और उसके आगे कम्प्यूटर शिक्षा देने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) सभी केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा III और उससे आगे की कक्षाओं में छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा पहले ही प्रदान की जा रही है।

कताई मिलें

1000. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश सहित देश में कताई मिलों (स्पिनिंग मिल्स) और प्रसंस्करण इकाइयों को संगठित करने वाली सहकारी क्षेत्र को, इक्विटी और ऋण मुहैया कराने हेतु संस्थागत और वित्तीय व्यवस्थाओं के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मानव अंगों का व्यापार

1001. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय कम्पनियां इंटरनेट के माध्यम से अन्य देशों को मानव अंगों का व्यापार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय कम्पनियां मनुष्य के मांस और अंगों से बने व्यंजनों की इंटरनेट के माध्यम से मूल्य-तालिका भी रखती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इंटरनेट पर ऐसी चीजों के संबंध में निगरानी रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु बनाए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ग) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई घटना नहीं लाई गई है।

(घ) और (ङ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू और राज्य सरकारों द्वारा अपनाए गए मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के अनुसार मानव अंगों का व्यापार करना एक दंडनीय अपराध है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लागू सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुसार इलैक्ट्रानिक रूप में ऐसी किसी सामग्री को प्रकाशित अथवा प्रसारित करना "जो कामोत्तेजक हो अथवा विषयासक्त रुचि की पूर्ति करती हो अथवा इसका प्रभाव ऐसा है कि जो व्यक्तियों के चरित्र को बिगाड़ता हो और उनको भ्रष्ट करता हो" भी एक दंडनीय अपराध है। इसके अतिरिक्त भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II - राज्य सूची के अनुसार "लोक स्वास्थ्य" और "पुलिस" राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अत: मानव अंगों में व्यापार सहित सभी अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण करने और जांच करने तथा अपराधियों पर अभियोजन चलाने का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों का है।

दोहा दौर की वार्ता

1002. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन के "दोहा दौर की वार्ता" पर अग्रसर होने हेतु वाणिज्य मंत्रियों की एक बैठक/वार्ता पुन: आयोजित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त वार्ता हेतु क्या कार्यसूची निर्धारित की गयी है;

(ग) क्या यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देश अपनी कृषि राज-सहायता घटाने पर सहमत हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने विकसित और विकासशील देशो से इस संबंध में सूचना हासिल की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) महानिदेशक, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) ने दिसम्बर, 2006 के बाद उसके कार्यकलापों से संबंधित व्यापार वार्ता समिति (टी.एन.सी.) के अध्यक्ष की हैसियत से महापरिषद की दिनांक 7 फरवरी, 2007 को आयोजित बैठक में दोहा कार्यक्रम के अंतर्गत समग्र मुद्दों पर वार्ताओं की पूर्णबहाली की सूचना दी थी। ये वार्ताएं दिनांक 24 जुलाई, 2006 को स्थगित कर दी गई थी।

सदस्यों के बीच विशेष रूप से घरेलू सहायता तथा कृषि बाजार पहुंच, जो वार्ताओं के पूर्ववर्ती स्थगन के समय प्रमुख मुद्दे थे, के संबंध में कुछेक विकसित सदस्य देशों की स्थिति की लोचशीलता ज्ञात करने के उद्देश्य से अनौपचारिक तौर पर द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय बातचीत चल रही है। वार्ताओं के अंतिम परिणाम सहित वार्ताओं के सभी क्षेत्रों में उनके प्रत्येक चरण में अपने हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत भी रचनात्मक सहयोग कर रहा है और अपने डब्ल्यू.टी.ओ. भागीदारों के साथ अधिकारी तथा मंत्री, दोनों स्तरों पर बैठक कर रहा है। इस चरण में डब्ल्यू.टी.ओ. सदस्यों के वाणिज्य मंत्रियों के बीच कोई बैठक आयोजित करने का कार्यक्रम नहीं है।

कृषि सब्सिडियों में कटौती के प्रश्न पर यूरोपीय संघ, अमरीका अथवा किसी अन्य विकसित अथवा विकासशील सदस्य देश द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है अथवा सहमति व्यक्त नहीं की गई है। इस संबंध में भावी वार्ताएं जिन सिद्धांतों एवं तत्वों के आधार पर चल रही हैं, उन्हें नवम्बर, 2001 के दोहा मंत्रिस्तरीय घोषणा पत्र में निर्धारित किया गया था जिनकी परिकल्पना महापरिषद के दिनांक 1 अगस्त, 2004 ("जुलाई कार्यढांचा") के कार्यढांचा निर्णय तथा दिसम्बर, 2005 के हांगकांग मंत्रिस्तरीय घोषणा पत्र में की गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय एकता परिषद् (एन.आई.सी.) का पुनरुद्धार

1003. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय एकता परिषद् (एन.आई.सी.) के पुनर्गठन और पुनरुद्धार हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) मौजूदा राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन दिनांक 2-2-2005 के माध्यम में किया गया था और पुनर्गठित राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक 31-8-2005 को सम्पन्न हुई।

[हिन्दी]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षण संकायों की कमी

1004. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रयोगशालाओं और अनुसंधानकर्ताओं की संख्या में हो रही लगातार कमी के क्या कारण हैं;

(ख) भारतीय औद्योगिकी संस्थानों में शिक्षण संकाय के सदस्यों की संख्या में भारी कमी के क्या कारण हैं जसकी वजह से अंतरिक्ष अनुसंधान परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं; और

(ग) ये अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र कौन से हैं जहां इंजीनियरों की अनुपलब्धता की वजह से अनुसंधान कार्य रूका पड़ा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए सुविकसित भौतिक आधारभूत सुविधाएं तथा सरकारी एजेंसियों और उद्योगों से पी.एच.डी. करने हेतु अनुसंधान तथा प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं करने के लिए भी विकसित प्रयोगशालाएं हैं। तथापि, अधिकांश भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में शिक्षण/अनुसंधान सुविधाओं की कमी है। तथापि इंजीनियरों की अनुपलब्धता की वजह से अन्तरिक्ष विभाग की कोई अनुसंधान परियोजना या केन्द्र बन्द नहीं हुआ है।

किरायेदारों का सत्यापन

1005. श्री सज्जन कुमार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मकान किराया पर देने से पहले किरायादारों का सत्यापन कराने हेतु दिल्ली पुलिस ने कोई अनुदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन मकान मालिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जिन्होंने किरायादारों का सत्यापन कराये बिना मकान किराये पर दे रखा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी हां। मकानों को किराये पर देने से पहले किरायेदारों के सत्यापन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत सं. 11900-999/सी. एंड टी./ए.सी.-IV/पी.एच.क्यू. दिनांक 21-2-2007 के द्वारा एक निषेधात्मक आदेश जारी किया है। उन मकान मालिकों/किरायेदारों के खिलाफ जिन्होंने मकानों को किराये पर देने से पहले पुलिस को सूचित नहीं किया, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा वर्ष 2006 में कुल 444 मामले और वर्ष 2007 (25 फरवरी तक) में 359 मामले दर्ज किए गए हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली-मुम्बई औद्योगिकी कॉरीडोर

1006. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली-मुम्बई कॉरीडोर से लगे क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार तथा मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेन्ट ऑफ जापान ने भारत के प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान 13 दिसंबर, 2006 को "दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर" की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के ब्यौरे तैयार नहीं किए गए हैं क्योंकि यह अभी अवधारणात्मक चरण में ही है। दिल्ली-मुंबई कॉरीडोर से लगे क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ाने के लिए, केन्द्र सरकार से अपेक्षित मदद के साथ संबंधित राज्य सरकारें विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही हैं। दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर की स्थापना करने का सरकार का प्रस्ताव इस दिशा में एक कदम है।

रेडियो स्टेशन स्थापित करना

1007. श्री अनवर हुसैन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ज्ञान दर्शन हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में और अधिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने हेतु इग्नू का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इग्नू द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में चिन्हित किए गए स्थानों के नाम क्या हैं; और

(ग) ऐसे स्टेशनों के कब तक चालू होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने सूचना दी है कि 11वीं योजनावधि के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र स्थित अगरतला, आइजॉल, गैंगटोक, इम्फाल, ईटानगर तथा कोहिमा में नए रेडयो स्टेशन स्थापित करने की उनकी योजना है।

[हिन्दी]

देश में विदेशी निवेश

1008. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 के दौरान अब तक विदेशी कम्पनियों/उद्यमियों द्वारा देश में निवेश की गयी विदेशी निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान कुछ कम्पनियों को उनके निवेश हेतु प्रतिबंधित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कितनी विदेशी कम्पनियों/उद्यमियों को आगामी वर्षों में अपने उद्योग स्थापित करने हेतु अनुमति दी गई है तथा इसके लिए क्या समय सीमा दी गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) वर्ष 2006-07 के दौरान (दिसंबर, 2006 तक) 9.23 बिलियन अमेरिकी डालर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) रहा है।

(ख) और (ग) पूर्व सरकारी अनुमोदन चाहने वाले सभी प्रस्तावों पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) द्वारा विचार किया जाता है। उन प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गाय था जो प्रस्ताव मौजूदा एफ.डी.आई. नीति के अनुसार थे। जबकि नीति की सीमा से बाहर वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत किया गया था।

(घ) मौजूदा नीति अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वत: मार्ग के तहत एफ.डी.आई. की अनुमति देती है अर्थात् कोई पूर्व सरकारी अनुमोदन अपेक्षित नहीं है। जहां पूर्व अनुमोदन अपेक्षित था वहां पर सरकार ने वर्ष 2006-07 (दिसंबर, 2006 तक) 139 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया है। प्रदान किये गये अनुमोदनों के क्रियान्वयन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

आंगनवाड़ी केन्द्र

1009. श्री रशीद मसूद:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से प्राप्त आंगनवाड़ी केन्द्रों की प्रगति रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत जारी निधियों का निजी एजेन्सियों द्वारा लेखा-परीक्षा कराने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय ने समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई.सी.डी.एस.) के क्रियान्वयन में हुई गम्भीर खामियों की जांच करने हेतु एक समिति नियुक्त की है;

(ङ) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(च) क्या सरकार का विचार वर्ष 2008 तक आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 14 लाख करने की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ज) कौन से राज्य समेकित बाल विकास सेवा योजना के क्रियान्वयन में पिछड़े रहे हैं तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं। राज्य के राजकोष से विभिन्न स्कीमों पर किए गए व्यय की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक करते हैं।

(घ) और (ङ) यद्यपि ऐसी कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है, तथापि, उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 196/2001 (पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ एवं अन्य) की प्रगति का मानीटरन करने के लिए आयुक्त की नियुक्ति की है। उच्चतम न्यायालय ने आयुक्त की रिपोर्टों, संघ/राज्य सरकारों के निवेदनों के आधार पर आई.सी.डी.एस. स्कीम के संबंध में समय-समय पर कतिपय निर्देश जारी किए हैं।

(च) और (छ) 14 लाख बस्तियों को लाभान्वित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या में वृद्धि करने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में और प्रत्येक बस्ती में एक कार्यशील आंगनवाड़ी केंद्र प्रदान करने के बारे में सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में उल्लिखित प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए समेकित बाल विकास सेवा स्कीम का दो बार विस्तार किया गया है। दो बार किए गए विस्तार के परिणामस्वरूप आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं, आंगनवाड़ी केंद्रों और लघु आंगनवाड़ी केंद्रों की कुल संख्या 31-3-2004 तक की स्थिति के अनुसार, 5652, 7.59 लाख और 10,886 से बढ़कर क्रमशः 6291, 10.53 लाख और 36847 हो गई है।

उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन के अगले चरण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे आई.सी.डी.एस. स्कीम से लाभान्वित न हो पाई उन बस्तियों की जनसंख्या सहित सूची प्रदान करें, जिन्हें अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्रों/लघु आंगनवाड़ी केंद्रों की आवश्यकता होगी। उनसे यह भी कहा गया है कि वे उक्त सूची तैयार करते समय आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों की बस्तियों को अभिनिर्धारित करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय बहुल बस्ती छूट न जाए।

इसके अतिरिक्त, आई.सी.डी.एस. स्कीम को सर्वसुलभ बनाने के लिए मौजूदा जनसंख्या मानकों की समीक्षा की जा रही है और नए जनसंख्या मानक तय हो जाने पर आई.सी.डी.एस. स्कीम को सर्वसुलभ बनाने हेतु अतिरिक्त आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं/आंगनवाड़ी केंद्रों/लघु आंगनवाड़ी केंद्रों की आवश्यकता के आकलन का कार्य किया जाएगा।

(ज) उच्चतम न्यायालय के 13-12-2006 के आदेशानुसार बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश नामक 9 राज्य आई.सी.डी.एस. के कार्यान्वयन के क्षेत्र में अन्य राज्यों से पिछड़ रहे हैं। इन राज्यों के मुख्य सचिवों को विशेष रूप से यह निर्देश दिया गया है कि वे न्यायालय के समक्ष उपस्थिति होकर इस स्कीम के पूर्ण कार्यान्वयन संबंधी आदेशों का अनुपालन न किए जाने के कारण बताएं।

आई.सी.डी.एस. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से चलाई जा रही केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है। 9 अभिनिर्धारित राज्यों सहित देशभर में इस स्कीम की सेवाओं को और अधिक कारगर बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे हाल ही में संस्वीकृत आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों को यथाशीघ्र प्रचालित करें।
- भारत सरकार ने आई.सी.डी.एस. स्कीम के मौजूदा मानीटरन एवं पर्यवेक्षण तंत्र में सुधार के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र व्यावसायिक संगठन/संस्था के माध्यम से इस स्कीम का मानीटरन करने के लिए राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान में केंद्रीय मानीटरन एकक स्थापित किया है। इस मानीटरन एकक के साथ-साथ मौजूदा मानीटरन तंत्र भी कार्य करता रहेगा।

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में राष्ट्र-स्तरीय मानीटरन समिति का गठन भी आई.सी.डी.एस. स्कीम के संपूर्ण कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि सेवाएं लक्ष्यित वर्गों तक कारगर ढंग से पहुंचाई जाएं और आई.सी.डी.एस. स्कीम के समग्र ढांचे के अंतर्गत ही इसके उद्देश्यों की पूर्ति भी कर दी जाए।

[अनुवाद]

पशमीना शॉल

1010. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने जम्मू व कश्मीर में तैयार होने वाले पशमीना शॉलों के भारतीय पेटेण्ट को चुनौती दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) क्राफ्ट डिवैलपमेन्ट इंस्टिट्यूट, श्रीनगर द्वारा एक भौगोलिक सूचक (जी.आई.) के तौर पर कश्मीर पशमीना के पंजीकरण हेतु दायर किए गए आवेदन के विरोध में प्रेजीडेन्ट, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, रावलपिंडी, पाकिस्तान की ओर से एक विरोध दायर किया गया है।

(ग) भौगोलिक सूचकों के पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर 'वस्तुओं का भौगोलिक सूचक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999' में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है, जो एक अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के हैंडलूम क्लस्टर

1011. **श्री कृष्णा मुरारी मोघे:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के "हैंडलूम क्लस्टर्स" को विशेष आर्थिक जोन बनाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) "आभासी विशेष आर्थिक जोनों" की कोई अवधारणा नहीं है और इसलिए ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दहेज अधिनियम में संशोधन

1012. **श्री रामदास आठवले:**
श्री अबु अयीश मंडल:
श्री रेवती रमन सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दहेज अधिनियम के दुरुपयोग के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अनिवासी भारतीयों ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 498 क के दुरुपयोग के विरुद्ध कोई शिकायतें दर्ज करायी हैं;

(ग) यदि हां, तो कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं तथा कुल कितने मामले फर्जी पाए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) क्या इस उपबंध के विरुद्ध अपना पक्ष रखने हेतु एक वेबसाइट 498 ओ.आर.जी. भी बनाया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार को भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 498क को और प्रभावी बनाने हेतु इसमें संशोधन करने के संबंध में विभिन्न राज्यों/संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ज) यदि हां, तो आज की तिथि तक सरकार द्वारा संगठन और राज्यवार कुल कितने सुझाव/सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(झ) सरकार की प्रत्येक सुझाव/सिफारिश पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ग) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग किए जाने में वृद्धि हुई है। अनुच्छेद 498 क केवल भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) का एक अनुच्छेद है न कि कोई दहेज प्रतिषेध अधिनियम। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2003, 2004 और 2005 के दौरान भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 498 क के तहत दर्ज मामलों की संख्या क्रमश: 50703, 58121 और 58319 थी।

(घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं इसलिए अपराध की रोकथाम करने, उसका पता लगाने, उसे दर्ज करने, उसकी जांच पड़ताल करने और उसके अभियोजन की जिम्मेवारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को अपराध न्याय प्रणाली में सुधारने के लिए और ज्यादा ध्यान केन्द्रित करने तथा समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अपराधों की रोकथाम करने के लिए यथावश्यक उपाय करने हेतु समय-समय पर सलाह जारी करती है।

(ङ) से (च) इस संबंध में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

(छ) से (झ) सरकार, भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 498 क में संशोधन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त करती रही है। दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2003 में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क को शमनीय करने का प्रस्ताव किया गया था लेकिन सरकार द्वारा इस विधिक प्रावधान की प्रभावकता को बनाए रखने के लिए महिला संगठनों के अनुरोध पर इस प्रस्ताव को समाप्त कर दिया गया।

[अनुवाद]

धागे की कीमत में बढ़ोतरी

1013. **श्री एस.के. खादरवेनथन:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को धागे की कीमतों में हुई अचानक वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप बुनकरों को हो रही परेशानियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बुनकरों को राज-सहायता दरों पर धागा मुहैया कराने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) धागे के मूल्य में पिछले 6 महीनों में स्थिरता बनी हुई है।

(ग) और (घ) भारत सरकार, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एन.एच.डी.सी.), भारत सरकार का उपक्रम के माध्यम से पात्र हथकरघा बुनकर संगठनों को विनिर्माणकारी स्थल पर उपलब्ध मूल्य पर सभी प्रकार के धागे उपलब्ध कराने के लिए, 1992-93 से मिल गेट मूल्य योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत धागे को 383 धागा डिपो के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है जिनमें 273 धागा डिपो वर्ष 2006-07 में खोले गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वर्कशेड-कम-हाउसिंग स्कीम

1014. श्री मोहन रावले: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान वर्कशेड-कम-हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत आवासीय इकाइयों का राज्य-वार और संघ क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया;

(ग) राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार शेष आवासीय इकाइयों का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त योजना पर कुल कितना व्यय हुआ/होने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) गत 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष वर्कशेड-कम-हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत आवासीय इकाइयों को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण-I संलग्न है। चालू वित्त वर्ष 2006-07 में कोई नई इकाईयों को मंजूरी नहीं दी गई है। पहले से मंजूर 33,151 इकाईयों को पूरा करने के लिए दूसरी किस्त अवमुक्त की जा चुकी है।

(ख) गत 3 वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष में वर्कशेड-कम-हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत निर्मित इकाईयों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) भारत सरकार ने मंजूर की गई इकाईयों के निर्माण कार्य को तेज करने और इन्हें पूरा करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया है।

(घ) गत 3 वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान उक्त योजना पर किया गया कुल व्यय निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	वर्ष	किया गया व्यय
1.	2003-04	1797.10 लाख रुपये
2.	2004-05	1500.00 लाख रुपये
3.	2005-06	1444.24 लाख रुपये
4.	2006-07 (28-2-07 तक)	1250.00 लाख रुपये

विवरण-I

वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक के दौरान वर्कशेड-कम-हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत इकाईयों की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्य का नाम	2003-04 संस्वीकृत नई इकाईयों की संख्या	2004-05 संस्वीकृत नई इकाईयों की संख्या	2005-06 संस्वीकृत नई इकाईयों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1435	–	803

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	200	2150
3.	असम	3000	4285	–
4.	छत्तीसगढ़		136	209
5.	हिमाचल प्रदेश	–	–	612
6.	कर्नाटक	3115	–	
7.	केरल	1383	364	89
8.	मध्य प्रदेश	–	108	104
9.	मणिपुर	–	1323	3963
10.	मेघालय	–	–	558
11.	मिजोरम	–	–	–
12.	नागालैण्ड	3920	–	6590
13.	उड़ीसा	–	687	841
14.	राजस्थान	630	630	–
15.	तमिलनाडु	7685	4275	1084
16.	त्रिपुरा	550	–	860
17.	उत्तर प्रदेश	–	–	–
18.	उत्तरांचल	–	–	108
	कुल	21,718	12,008	17,971

विवरण-II

वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक के दौरान वर्कशेड-कम-हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत निर्मित इकाईयों की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्य का नाम	2003-04 निर्मित इकाईयों की संख्या	2004-05 निर्मित इकाईयों की संख्या	2005-06 निर्मित इकाईयों की संख्या	2006-07 निर्मित इकाईयों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1004	1314	190	2728

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	1075	–
3.	असम	2732	265	–	–
4.	छत्तीसगढ़	–	134	206	–
5.	हिमाचल प्रदेश	637	–	700	–
6.	कर्नाटक	1536	2362	917	–
7.	केरल	1313	364	45	182
8.	मध्य प्रदेश	–	108	52	–
9.	मणिपुर	–	662	1981	–
10.	मेघालय	88	–	279	–
11.	मिजोरम	–	–	300	–
12.	नागालैण्ड	3920	–	3033	5340
13.	उड़ीसा	–	344	421	74
14.	राजस्थान	630	630	–	315
15.	तमिलनाडु	2153	1897	1383	542
16.	त्रिपुरा	275	275	430	
17.	उत्तर प्रदेश	544	–	–	
18.	उत्तरांचल	215	–	75	
	कुल	15047	8355	11087	9181

सर्व शिक्षा अभियान हेतु बजटीय परिव्यय

1015. श्री रवि प्रकाश वर्मा:

प्रो. एम. रामदास:

श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) हेतु बजटीय परिव्यय को कम कर रहा है जैसा कि दिनांक 11 जनवरी, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं;

(घ) क्या शिक्षण गुणवत्ता और शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण सर्व शिक्षा अभियान की प्रभावशीलता घटी है; और

(ङ) यदि हां, तो सर्व शिक्षा अभियान की प्रभावशीलता सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) 28-2-2007 को प्रस्तुत किए गए बजट प्रस्तावों के अनुसार वर्ष 2007-08 के लिए सर्व शिक्षा अभियान हेतु 10671 करोड़ रु. प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2006-07 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए बजट अनुमान 11000 करोड़ रु. था

सर्व शिक्षा अभियान को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसकी विशेष उपलब्धि यह है कि 6-14 आयु वर्ग के स्कूल बाह्य बच्चों की संख्या में काफी कमी आई है। शिक्षक संबंधी मामलों सहित स्कूलों के पर्यवेक्षण में गांवों और शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका में वृद्धि हो रही है।

लापता बच्चे

1016. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लापता बच्चों का पता लगाने हेतु यूनीसेफ की सहायता से एक वेबसाइट बनाने के लिए एक फास्ट ट्रैक प्रोपोजल तैयार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को चरणबद्ध तरीके से देश के शेष हिस्सों में विस्तारित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या देश में प्रत्येक पुलिस स्टेशन को इस योजना के दायरे में लाने तथा पुलिस के लिए देश में लापता हुए प्रत्येक बच्चे के संबंध में दर्ज की गयी रिपोर्ट की पूर्ण जानकारी वेबसाइट पर देना आवश्यक बनाने हेतु सरकार की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार देश में भारी संख्या में लापता बच्चों से संबंधित अभूतपूर्व स्थिति से निपटने के लिए क्या अन्य उपाय करने का है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) जी, हां। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय गुमशुदा बच्चों के लिए राष्ट्रीय खोज प्रणाली विकसित कर रहा है। यह कार्य इस प्रयोजनार्थ चलाए जा रहे मौजूदा स्थानीय वेबसाइटों को समेकित करके किया जा रहा है।

(घ) प्रस्तावित प्रणाली का उद्देश्य सभी गुमशुदा बच्चों के बारे में सूचना को वेबसाइट पर उपलब्ध कराना है।

(ङ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी लिखा है कि वे गुमशुदा बच्चों का जिला-वार ब्यौरा एकत्र करने की एक प्रणाली तैयार करें और ऐसे बच्चों की तलाश करने के लिए आवश्यक छानबीन/अनुवर्ती कार्रवाई भी करें।

वालमार्ट और भारती इंटरप्राइजेज के बीच समझौता

1017. श्री हंसराज गं. अहीर:
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के खुदरा बाजार में व्यापार करने के उद्देश्य से वालमार्ट और भारती इंटरप्राइजेज ने किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या असंगठित खुदरा क्षेत्र और छोटे विनिर्माताओं पर पड़ने वाले इसके प्रतिकूल प्रभाव का आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अनेक देशों में मानवाधिकार और मजदूरों के शोषण के विरुद्ध वालमार्ट पर पाबंदी लगाने संबंधी सूचना पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार खुदरा डीलरों और इस क्षेत्र से जुड़े कामगारों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर उक्त समझौते को रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) मै. भारती इन्टरप्राइजेज (आई) प्रा. लि. द्वारा अपने दिनांक 18 जनवरी, 2007 के पत्र के जरिये दी गई सूचना के अनुसार फर्म कैश एण्ड कैरी थोक कार्यों के लिए बुनियादी सुविधाओं, जैसे कि कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स (संभार तंत्र), खरीद और व्यापार-प्रचार, के लिए वालमार्ट के साथ मिलकर काम कर रही है।

(ख) और (ग) प्राप्त किए गए अभ्यावेदनों के प्रत्युत्तर में, सरकार ने असंगठित खुदरा व्यापार क्षेत्र पर संगठित खुदरा व्यापार के प्रभाव का विस्तृत मूल्यांकन करने के लिए एक नामी अनुसंधान संगठन को कार्य सौंपने का फैसला किया है।

(घ) से (च) भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति किसी निगमित कंपनी के जरिये ही दी जाती है। इन कंपनियों को भारतीय कानूनों के अनुरूप कामकाज करना होता है। भारतीय कानूनों में मानवाधिकारों और श्रम कानूनों सहित कानून का उल्लंघन करने की दशा में उपयुक्त कार्यवाही का विधान मौजूद है। अब तक उपर्युक्त के अनुरूप, सरकार के संज्ञान में कोई भी उल्लंघन नहीं लाया गया है।

स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन

1018. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिलाओं के अशिष्ट रूप वाले भड़काऊ विज्ञापनों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) अधिनियम का उल्लंघन रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा रखे जा रहे आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2003 से 2005 के दौरान स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत देश में रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या
2003	1043
2004	1378
2005	2917

(ख) से (घ) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम 1986 में संशोधन का प्रस्ताव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के विचाराधीन है। प्रस्ताव में "महिलाओं का अशिष्ट रूपण" तथा 'विज्ञापन' शब्दों की परिभाषाओं में संशोधन करने और इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए सजा में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

(ङ) स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम 1986 की धारा 3 में महिलाओं का अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापन निषिद्ध हैं। इस अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, धारा 3 के उल्लंघन के लिए कारावास और जुर्माने का दण्ड दिया जा सकता है। अधिनियम की धारा 5 राज्य सरकारों को राजपत्रित अधिकारियों को अन्य बातों के साथ-साथ तलाशी लेने तथा महिलाओं के अशिष्ट रूपण वाले दस्तावेज को जब्त करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार प्रदान करती है।

'कानून' व 'व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के उल्लंघन सहित महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार से संबंधित मामलों का निवारण, अभिज्ञात एवं अन्वेषण आदि मूलत: राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, भारत सरकार राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह देती रही है कि वे महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अपराधों के निवारण हेतु आवश्यक उपाय करें।

बाल सुधार गृह

1019. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न बाल सुधार गृहों में रखे गये बच्चों के साथ अकसर यौनाचार और दुर्व्यवहार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत वर्ष किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राज्य द्वारा चलाए जा रहे सुधार गृहों में आधे बच्चे शराब तथा नशीली दवाओं के आदी पाये गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा इस

प्रयोजनार्थ संसद द्वारा अधिनियमित नये मॉडल कानून की तर्ज पर संबद्ध कानून में संशोधन किए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है; और

(ज) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (घ) देश भर के किशोर गृहों में अवयस्कों का बड़े पैमाने पर यौन शोषण किए जाने और उनसे दुर्व्यवहार किए जाने की कोई जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को नहीं मिली है। तथापि, हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली में 17 जनवरी, 2007 को प्रकाशित समाचार के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन किशोर गृहों में रह रहे अवयस्कों का बड़े पैमाने पर यौन शोषण किए जाने और उनसे दुर्व्यवहार का आरोप लगा रही जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार और दिल्ली स्थित दो किशोर गृहों से जवाब मांगा है। उक्त समाचार में उस सर्वेक्षण का उल्लेख भी किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि दिल्ली में राज्य द्वारा चलाए जा रहे पर्यवेक्षण गृहों में लगभग आधे बच्चे अतीत में व्यसनी रहे हैं। तथापि, बाल-II हेड पर्यवेक्षण गृह में मूल्यांकन के अनुसार, 120 उपस्थिति किशोरों में व्यसनी बच्चों की संख्या 3-4 से ज्यादा नहीं थी।

(ङ) और (च) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 दिनांक 23-08-2006 को अधिसूचित किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस अधिनियम की आदर्श नियमावली में परिवर्तनों के सुझाव देने के लिए समिति गठित कर दी है। यह समिति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मौजूदा नियमावलियों में संशोधन के कार्य में उनकी सहायता करेगी।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठता।

लौह अयस्क का निर्यात

1020. श्री अनन्त नायक: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोहे का उड़ीसा से निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके निर्यात में लगे सभी व्यापारियों को लाइसेंस जारी कर दिये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकारी तथा निजी क्षेत्र में लौह अयस्क के निर्यात के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा में उत्पादित तथा वहां से निर्यातित लौह अयस्क से संबंधित अनन्य आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि पारादीप, हल्दिया तथा विशाखापत्तनम स्थित पत्तनों पर प्राप्त कार्गो का भंडारण/मिश्रण बिहार तथा झारखंड जैसे पड़ोसी राज्यों के लौह अयस्क के साथ किया जाता है और इस प्रकार उसकी पहचान समाप्त हो जाती है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के लिए पारादीप, हल्दिया तथा विशाखापत्तनम स्थित पत्तनों से निर्यातित लौह अयस्क का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(मात्रा मिलियन टन में)

पत्तन	2003-04	2004-05	2005-06 (अन.)
पारादीप	5.48	9.05	9.66
हल्दिया	3.74	4.97	7.58
विशाखापत्तनम (एन.एम.डी.सी. की बैलाडिला खानों के लौह अयस्क को छोड़कर)	1.20	1.48	1.79

(स्रोत: एमएमटीसी)

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) विदेश व्यापार नीति के अनुसार 64 प्रतिशत तक के लौह तत्व वाला लौह अयस्क मुक्त रूप से निर्यात योग्य है। 64 प्रतिशत से अधिक लौह तत्व वाले लौह अयस्क का निर्यात विनिर्दिष्ट राज्य व्यापार उद्यमों अर्थात एम.एम.टी.सी. लि. के जरिए किया जाता है। तथापि, एम.एम.टी.सी. के प्रयासों में सहायता करने की दृष्टि से सरकार घरेलू मांग को पूरा करने के बाद निजी खान मालिकों/पट्टाधारकों द्वारा लाइसेंस पर 64 प्रतिशत से अधिक लौह तत्व वाले लौह अयस्क फाइन्स के निर्यात की भी अनुमति दे रही है।

चांदी के जरी के काम को बढ़ावा

1021. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कटक में चांदी के जरी के काम की देश भर में प्रसिद्धि से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी के जरी के काम की जबर्दस्त मांग है; और

(ग) यदि हां, तो देश में तथा देश से बाहर विदेशी मुद्रा कमाने के लिए चांदी के जरी के काम को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, उड़ीसा राज्य सरकार तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय द्वारा देश तथा विदेश में चांदी के जरी के काम के संवर्धन के लिए निम्नोक्त कदम उठाए गए हैं:

(i) चांदी की जरी के कारीगरों का वित्तपोषण हस्तशिल्प कारीगरों के पुनर्वास संबंधी स्कीम योजना (आर.एच.ए.) तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के तहत किया जाता है।

(ii) भारतीयों के साथ-साथ विदेशी क्रेताओं के लिए कारीगरों को, राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों तथा भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भागीदारी के लिए प्रायोजित किया जाता है।

(iii) चांदी के जरी के काम को देश के महत्वपूर्ण शहरों में हस्तशिल्प मदों के प्रदर्शनी गृहों में स्थायी रूप से प्रदर्शित किया जाता है।

(iv) विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) की बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना तथा कला तथा शिल्प के विकास हेतु राज्य संस्थान, भुवनेश्वर के तहत डिजाइन विकास तथा निपुणता उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

[हिन्दी]

व्यापार केन्द्र

1022. **श्री ब्रजेश पाठक:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में व्यापार केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ये केन्द्र कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) जी, हां। व्यापार केन्द्रों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) चेन्नई तथा बंगलौर स्थित व्यापार केन्द्रों की स्थापना क्रमश: जनवरी, 2001 और सितम्बर, 2004 में की गई थी।

(ii) गुवाहाटी में व्यापार केन्द्र निर्माणाधीन है और वर्ष 2007 के दौरान कार्य पूरा हो जाने की संभावना है।

(iii) श्रीनगर तथा भोपाल में व्यापार केन्द्रों की स्थापना अभी प्रारंभिक प्रस्ताव के चरण में है।

[अनुवाद]

असम में 'डी' मतदाता

1023. **श्री अनवर हुसैन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में धर्मवार कुल कितने 'डी' मतदाता हैं;

(ख) 'डी' मतदाता बनाने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या बीस वर्ष से लंबी अवधि से 'डी' मतदाताओं की नागरिकता की जांच की गई है, जिसके चलते भारतीय नागरिक 'डी' मतदाताओं के अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 2006 में असम राज्य में 1,59,513 "डी" मतदाता थे। "डी" मतदाताओं का कोई क्षेत्र-वार आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

(ख) से (घ) असम में "डी" मतदाताओं की अवधारणा, अर्हक तारीख के रूप में 1-1-1997 के संदर्भ में निर्वाचक नामावली 1997 में किए गए गहन संशोधन के बाद शुरू की गई थी। उन व्यक्तियों के नाम, जिनकी भारतीय नागरिकता संदिग्ध/विवादित है और जिनके मामलों को उनकी नागरिकता के स्टेटस का निर्धारण करने के लिए अधिकरण को भेजा गया है और जिनमें अधिकरण का अंतिम निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें निर्वाचक नामावली में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है लेकिन निर्वाचक नामावली के संबंधित भाग में उनके नाम के सामने शब्द "डी" लिखा गया है। संबंधित अधिकरण से अंतिम निर्णय प्राप्त होने पर संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ई.आर.ओ.), निर्वाचक नामावली से या तो उसमें ऐसे व्यक्तियों के नाम हटा देगा या उसमें रहने देगा। अधिकरण द्वारा नागरिकों के स्टेटस का निर्धारण करना, एक निरंतर प्रक्रिया है इसलिए यह सही नहीं है कि "डी" मतदाताओं की नागरिकता का सत्यापन 20 से अधिक वर्षों से नहीं किया गया है।

नियंत्रण रेखा पर कार्यसमूह की रिपोर्ट

1024. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमापार संबंध सुदृढ़ करने पर कार्यसमूह सहित विभिन्न कार्यसमूहों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्यसमूहों की सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, नियंत्रण रेखा के पार से संबंध सुदृढ़ करने वाले कार्य समूह ने जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि सिफारिशों के ब्यौरे केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

विश्वविद्यालयों में जल प्रबंधन तथा जल संचयन पाठ्यक्रम

1025. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों में जल प्रबंधन तथा जल संचयन पर पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है:

(ख) यदि हां, तो क्या पाठ्यक्रम के सिलेबस को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सिलेबस को अंतिम रूप देने के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को वाटर शेड प्रौद्योगिकी और प्रबन्धन में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मॉडल पाठ्यचर्या के साथ दिसम्बर, 2004 में एक परिपत्र जारी किया जिसमें कैरियर उन्मुख कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत इस पाठ्यक्रम के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

समेकित अवसंरचना विकास केन्द्र

1026. **श्री कृष्णा मुरारी मोघे:** क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से विशेषरूप से मध्य प्रदेश से समेकित अवसंरचना विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा कब तक ये प्रस्ताव मंजूर कर दिए जाएंगे?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से ग) जी, हां। एकीकृत आधारभूत संरचना विकास (आई.आई.डी.) योजना के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रस्ताव को निश्चित कराया जाना तथा इसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा आकलित कराया जाना अपेक्षित है। आई.आई.डी. स्कीम के तहत मंत्रालय में गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति (एच.पी.सी.) सिडबी द्वारा आकलित रिपोर्ट की प्राप्ति के उपरांत प्रस्तावों पर विचार करती है। सरकार को समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से आई.आई.डी. केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य-वार अनुमोदित केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इसके अलावा उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 27-2-07 को 3 प्रस्तावों पर विचार किया गया तथा उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई जिनमें से एक प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार का है तथा दो प्रस्ताव पश्चिम बंगाल सरकार के हैं।

विवरण

राज्य	जिला, जहां स्थित हैं	अनुमोदित केन्द्रों की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	कुरनूल, रंगारेड्डी, नेल्लोर, चित्तूर, कृष्णा	5
असम	दारांग, नौगांव, काचर, सिवसागर, कामरूप, जोरहाट, नलबाड़ी, धेमाजी, लखीमपुर	9
छत्तीसगढ़	महासमुंद, कबीरधाम	2
गुजरात	जूनागढ़	1
हरियाणा	सिरसा, यमुनानगर, सोनीपत	3
हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	1
जम्मू-कश्मीर	उधमपुर, कठुआ	2
कर्नाटक	बेलगाम, बीजापुर, कोलार, बगलकोट	4
केरल	त्रिवेंद्रम, कन्नूर, मल्लपुरम, एरनाकुलम, कसरगोड, त्रिचुर, पाथननथिट्टा, वायनाड	8
महाराष्ट्र	येवतमाल, सतारा	2
मध्य प्रदेश	सतना, मंदसौर, खरगौन, कटनी, सागर, नीमच, टीकमगढ़, मोरेना	8
मिजोरम	लंगलेई, छमपेई	2
नागालैंड	कोहिमा	1
उड़ीसा	खुर्दा, रायगढ़, जगतसिंहपुर, बालासोर	4

1	2	3
पंजाब	होशियारपुर, मुक्तसर, लुधियाना	3
राजस्थान	जोधपुर, नागौर, टोंक, उदयपुर, करौली, पालि, बारां, भरतपुर, अलवर	9
तमिलनाडु	मदुरै, कोयम्बत्तूर, थिरूमुदिवक्कम, कत्तूर अवडी, एम.जी.आर. जिला, थिरूवेल्लोर, तिरूचिरापल्ली, सेलम	7
त्रिपुरा	उत्तरी त्रिपुरा	1
उत्तरांचल	देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर	3
उत्तर प्रदेश	एटा, मथुरा, उन्नाव, भदोही, बागपत, बाराबंकी, गाजियाबाद, चंदौली	8
पश्चिम बंगाल	टंगरा (कोलकाता)	1
	कुल	84

[अनुवाद]

एच.सी.एल. की निगमित योजना

1027. श्री मोहन रावले: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एच.सी.एल. ने अपनी निगमित योजना, सरकार की मंजूरी हेतु प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंजूरी प्रदान की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कब तक मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अवसंरचना में कमी

1028. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अवसंरचना की काफी कमी है तथा इसमें अत्यधिक निवेश की नितांत आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के लोगों से अवसंरचना, कृषि, ऊर्जा तथा सामाजिक क्षेत्रों में अपने ज्ञान, विशेषज्ञता तथा वित्त के उपयोग हेतु जोरदार अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अनिवासी भारतीयों से सरकार को क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) भारतीय अर्थव्यवस्था के उच्च वृद्धि दर के नये चरण की शुरुआत के साथ, अवसंरचना क्षेत्र में निवेश की आवश्यकता भी बढ़ गई है।

(ख) और (ग) सरकार ने अप्रवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) द्वारा निवेश सहित, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) को बढ़ाने के लिये कई कदम उठाये हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, एफ.डी.आई. संभाव्यता वाले देशों में डेस्टीनेशन इण्डिया कार्यक्रम आयोजित करना तथा प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित करना शामिल है। इन कार्यक्रमों के दौरान दर्शाये गए भारत में निवेश अवसरों में अवसंरचना क्षेत्र शामिल है। प्रवासी भारतीय दिवस, 2007 के दौरान अप्रवासी भारतीयों से भारत में निवेश करने का अनुरोध किया गया।

(घ) एन.आर.आई. द्वारा निवेश सहित, एफ.डी.आई. अंतर्वाह वर्ष 2003-04 में 2.22 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2005-06 में 5.55 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। वर्ष

2006-07 (अप्रैल-दिसम्बर, 2006) के दौरान एफ.डी.आई. अंतर्वाह 9.27 बिलियन अमरीकी डालर रहा है। एन.आर.आई. द्वारा निवेश संबंधी पृथक आंकड़े सरकार द्वारा केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन

1029. श्री हंसराज ग. अहीर
श्री सुब्रत बोस:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुलिस महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों का दिल्ली में सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा किए गए मुद्दों तथा इसमें लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) नवंबर, 2006 में नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों/ पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन आयोजित किया गया जहां राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कि देश में समग्र आंतरिक सुरक्षा स्थिति, संगठित अपराध, तटीय सुरक्षा, पुलिस सुधारों इत्यादि से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और उचित निर्णय/ सिफारिशें की गई।

(ग) राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार एक बहु आयामी दृष्टिकोण अपनाती है। सरकार ने जो उपाय किए हैं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ घुसपैठ रोकने हेतु सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, केन्द्र और राज्य दोनों में सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार और उपकरण सुनिश्चित करना, सुसमन्वित आसूचना के आधार पर आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त देश में सुरक्षा स्थिति की वैश्विक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग प्राप्त करने हेतु कदम भी उठाए गए हैं।

[अनुवाद]

परिवहन राजसहायता योजना

1030. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिवहन राजसहायता योजना का क्रियान्वयन देश के पर्वतीय, सुदूर तथा दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत किसी स्थान के चयन के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह योजना चुनिंदा क्षेत्रों के लिए लागू है जिनमें पूर्वोत्तर (सिक्किम सहित) के आठ राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला, संघ शासित प्रदेश अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप सम्मिलित हैं जो पहाड़ी, दूरस्थ तथा अगम्य हैं। यह योजना सभी औद्योगिक एककों (बागवानी, तेल शोधनशाला तथा विद्युत उत्पादन एककों को छोड़कर) के लिए लागू है। इस योजना के अन्तर्गत एकक के स्थापना स्थल से विनिर्दिष्ट रेलशीर्ष/पत्तन तक और विलोमत: कच्चा माल तथा तैयार माल लाने ले जाने के लिए परिवहन लागत की 90 प्रतिशत तक राजसहायता अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाती है।

अल्यूमिनियम का निर्यात

1031. श्री अनन्त नायक: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल अल्यूमिनियम कंपनी लि. (नालको) अल्यूमिनियम का निर्यात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को अल्यूमिनियम का निर्यात किया जा रहा है;

(ग) किस दर पर इसका निर्यात किया जा रहा है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अल्यूमिनियम के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ङ) वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, हां।

(ख) पिछले पांच वर्षों में नालकों ने निम्नलिखित देशों को अल्युमिनियम का निर्यात किया है:

(i) बहरीन

(ii) मलेशिया

(iii) बांग्लादेश

(iv) सिंगापुर

(v) चीन

(vi) श्रीलंका

(vii) इंडोनेशिया

(viii) ताईवान

(ix) ईरान

(x) जापान

(xi) कोरिया

(xii) यूएई

(xiii) वियतनाम

(ग) एल्यूमीनियम के निर्यात की दर आमतौर से औसत लंदन मेटल एक्सचेंज (एल.एम.ई.), कोटिशनल अवधि (क्यू.पी.) के नकद निपटान मूल्य तथा जमा प्रीमियम जिसको प्रत्येक ठेके में अंतिम रूप दिया जाता है पर आधारित होता है। इस प्रकार जिस दर से एल्युमीनियम का निर्यात किया जाता है वह औसत एल.एम.ई.क्यू.पी. का नकद निपटान मूल्य तथा अलग-अलग ठेके में प्रीमियम पर निर्भर करती हुई भिन्न-भिन्न होती हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान एल्युमीनियम के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि निम्नवत है:-

वित्तीय वर्ष	अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रु. में)
2003-04	894.50
2004-05	1078.62
2005-06	883.31

(ङ) नालको द्वारा वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के लिए निश्चित आन्तरिक लक्ष्यों के ब्यौरे निम्नवत हैं:

वित्तीय वर्ष	अल्यूमीनियम के निर्यात के लिए लक्ष्य (एम.टी.)	अल्यूमीनियम के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जन के लिए लक्ष्य (करोड़ रुपये में)
2006-07	1,20,000	1056.00
2007-08	1,05,000	1227.35

[हिन्दी]

राज्यों में क्लस्टर विकास

1032. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार सहित कुछ राज्य सरकारों ने इन्टिग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत क्लस्टर विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है तथा राज्यवार एवं संघ राज्य क्षेत्रवार इसे कब तक अनुमोदित कर दिया जाएगा; और

(ग) इन क्लस्टर के लिए राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार कितना आबंटन किया गया?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) इन्टिग्रेटेड कलस्टर डेवलपमेंट स्कीम वर्ष 2005-06 के दौरान आरंभ की गई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। मध्य प्रदेश सहित भिन्न-भिन्न राज्यों भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान 20 कलस्टर अभिनिर्धारित किए गए थे। कलस्टर विकास योजना को विभिन्न कार्यान्वयक अभिकरणों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों और संबंधित बुनकर सेवा केन्द्र के परामर्श से 2006-07 में 100 कलस्टरो का चयन किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश के 3 कलस्टर शामिल हैं। इस समय इन कलस्टरों का नैदानिक अध्ययन जारी है। नैदानिक अध्ययन के आधार पर कलस्टर विकास योजना तैयार की जाएगी।

(ग) चुने गए 20 कलस्टरों के राज्यवार ब्यौरे और प्रथम वर्ष की कार्य योजना के लिए किए गए बजटीय आबंटन संलग्न विवरण में दिए गए हैं:-

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	कलस्टर का नाम	प्रथम वर्ष (2006-07) के लिए बजटीय आबंटन (लाख रुपये में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	चिराला	16.85
		मधुवरम	15.90
2.	असम	विजयनगर	16.25
3.	बिहार	भागलपुर	17.55
4.	हिमाचल प्रदेश	कुल्लु	19.05
5.	कर्नाटक	गड़ग	16.70
6.	केरल	त्रिवेन्द्रम	21.25
7.	मध्य प्रदेश	चंदेरी/ग्वालियर	22.55
8.	मणिपुर	इम्फाल	21.50
9.	उड़ीसा	सोनपुर	15.85
		बारगढ़	16.50
10.	तमिलनाडु	तिरुवन्नमलार	11.35
		त्रिचि	20.90
		कुरिंजिपाड़ी	14.80
11.	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी	15.75
		मुबारकपुर	14.70
		बिजनौर	19.20
		याराणसी	22.15
12.	पश्चिम बंगाल	बर्दवान	14.90
		नाडिया	19.00

[अनुयाद]

रिक्त पद

1033. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गृह मंत्रालय के विदेश प्रभाग की कुछ संवर्ग बाह्य पदों को निम्नतम 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रति नियुक्ति के आधार पर भरा जाता है और जिसमें दो वर्षों का विस्तार किया जाता है जोकि अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के अध्यधीन होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन संवर्गों में कुल कितने पद रिक्त हैं;

(घ) प्रत्येक वर्ग की अनुमोदित संख्या कितनी है;

(ङ) क्या इन अधिकारियों को गृह मंत्रालय में अधिकतम पांच वर्षों की अवधि से ज्यादा संवर्ग बाह्य पदों पर रहने की अनुमति दी जाती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी हां।

(ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5-1-1994 के का.ज्ञा.सं. 2/29/91-स्था. (वेतन II) में निहित अनुदेशों के अनुसार ऐसे संवर्ग-वाह्य पद, प्रतिनियुक्ति के आधार पर सामान्यतया 3 वर्ष की अवधि के लिए भरे जाते हैं जिसमें इस अवधि को लोक हित में मंत्रालय के सचिव के अनुमोदन से चौथे वर्ष तक और प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से पांचवें वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(ग) और (घ) गृह मंत्रालय के एफ.सी.आर.ए. में संवर्ग बाह्य पदों की स्वीकृत संख्या 12 है (सहायक निदेशक के 06 पद और लेखाकारों के 06 पद)।

(ङ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन से लोकहित में प्रतिनियुक्ति की अवधि को पांच वर्ष के बाद भी बढ़ाया जा सकता है।

(च) केवल एक अधिकारी, लोक हित में सहायक निदेशक के पद पर पांच वर्ष के बाद भी कार्य कर रहा है क्योंकि इस समय सहायक निदेशक के अन्य पद खाली हैं। रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाएं

1034. श्री सी.एच. विजयशंकर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई शैक्षिक संस्थान जैसे केन्द्रीय विद्यालय और कर्नाटक राज्य में स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा अर्थात् कन्नड़ नहीं पढ़ाई जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की संरचना में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के प्रावधान हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) कर्नाटक राज्य में स्थित केन्द्रीय विद्यालय प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी और हिन्दी पढ़ाते हैं क्योंकि ये विद्यालय मुख्य रूप से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के स्थानांतरणीय बच्चों के लिए बनाए गए हैं।

परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी ने सूचित किया है कि कर्नाटक में उनके स्कूल अंग्रेजी माध्यम के स्कूल होने की वजह से अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में तथा हिन्दी द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ा रहे हैं।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा-2005 में भाषा शिक्षा पर निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए गए हैं:-

(i) भाषा शिक्षण बच्चों को दी गई भाषाओं की संख्या के रूप में ही नहीं बल्कि ऐसी नीतियां तैयार करने के रूप में भी बहुभाषी होना आवश्यक है जिन्हें संसाधन के रूप में बहुभाषाई शिक्षण कक्ष के रूप में प्रयोग किया जाए।

(ii) बच्चों की मातृभाषा (भाषाओं) को स्कूलों में अध्ययन का माध्यम बनाया जाना चाहिए।

(iii) यदि स्कूल में उच्च स्तरों पर बच्चे की मातृभाषा (भाषाओं) में शिक्षण हेतु प्रावधान नहीं है तो भी प्राथमिक स्कूल शिक्षा मातृभाषा (भाषाओं) के माध्यम से ही पढ़ाई जाए। यह अनिवार्य है कि बच्चे की मातृभाषा (भाषाओं) को उपयुक्त सम्मान दिया जाए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अनुसार "भाषायी दृष्टि से अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों की प्राथमिक स्तर की शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षण हेतु उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य और राज्य की प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण प्रयास करेगा।"

(iv) बच्चे प्रारम्भ से बहुभाषायी शिक्षा प्राप्त करेंगे। त्रिभाषा फार्मूला बहुभाषीयी देश के लिए बहुभाषायी अभिव्यक्तिशील योग्यताओं के संवर्द्धन के लिए उसकी मूल भावना में कार्यान्वित करना आवश्यक है।

(v) गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में बच्चे हिन्दी सीखते हैं। हिन्दी भाषी राज्यों के मामले में बच्चे अपने क्षेत्र में न बोली जाने

वाली भाषा सीखते हैं। इन भाषाओं के अलावा संस्कृत को भी आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए।

(vi) बाद के स्तरों पर प्राचीन और विदेशी भाषाओं का अध्ययन भी शुरू किया जाए।

बलात्कार की परिभाषा

1035. एडवोकेट सुरेश कुरूप:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बलात्कार की परिभाषा के दायरे में अन्य प्रकार के यौन उत्पीड़नों को शामिल करने हेतु बलात्कार की वैधानिक परिभाषा में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) भारत के विधि आयोग ने "बलात्कार कानूनों की समीक्षा" पर अपनी 172वीं रिपोर्ट में "बलात्कार" शब्द को "यौन उत्पीड़न" से बदलने और इसे लिंग-भेद रहित बनाने हेतु भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में इस अपराध के क्षेत्र को विस्तृत बनाने के लिए बदलाव की सिफारिश की है। राष्ट्रीय महिला आयोग (एन.सी.डब्ल्यू.) ने भी अलग से सरकार को इसी विषय पर एक गैर-सरकारी विधेयक भेजा है और सिफारिश की है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में "बलात्कार" शब्द को "यौन उत्पीड़न" से बदला जाए और उसमें निर्धारित अपराध के क्षेत्र को बढ़ाया जाए।

(ग) चूंकि आपराधिक कानून, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है और इन कानूनों को कार्यान्वित करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है इसलिए भारतीय दंड संहिता, 1860 में संशोधन करने के लिए उनकी टिप्पणियां भी मांगी गई हैं। इनमें संसद में एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना और उसे पारित करना भी शामिल है जिसके लिए कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

राजस्थान कैडर के आई.पी.एस.

1036. श्री जयवंत सिंह बिश्नोई: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने पदों को राजस्थान कैडर के आई.पी.एस. अधिकारियों में से भरा जाता है;

(ख) वर्तमान में ऐसे कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है; और

(घ) राजस्थान कैडर के कुल कितने आई.पी.एस. अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं तथा वे कब से प्रतिनियुक्ति पर हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) भारत सरकार में भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) के अधिकारियों के पद, विभिन्न संवर्गों के पैनल में रखे गए उन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाते हैं जिन्होंने केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया होता है। ये पद किसी विशिष्ट संवर्ग के लिए निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

इस समय राजस्थान संवर्ग के 17 आई.पी.एस. अधिकारी, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। केन्द्र में उनकी नियुक्ति की तारीखें, संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं।

विवरण

केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान संवर्ग के आई.पी.एस. अधिकारी

क्र. सं.	नाम	प्रतिनियुक्ति की तारीख
1	2	3
	सर्व/श्री	
1.	डा. जी.एस. राजागोपाल, (राज:71)	1-11-2004
2.	एम.एल. शर्मा, (राज:72)	29-12-2003
3.	के.एस. बैंस, आई.पी.एस. (राज:76)	24-2-1986
4.	एच.सी. मीणा, (राज:76)	29-12-2004
5.	सुरेश चौधरी, (राज:79)	31-1-2005
6.	एस.एन. जैन, (राज:80)	11.3.2002
7.	कृष्ण कुमार शर्मा, (राज:82)	14-5-2003

1	2	3
8.	सुधीर प्रताप सिंह, (राज:83)	3-12-2001
9.	ए.के. मिश्रा, (राज:87)	27-12-1999
10.	पंकज कुमार सिंह, (राज:88)	12-7-1999
11.	भगवान लाल सोनी (राज:88)	31-5-2004
12.	डा. रवि प्रकाश मेर्हदा, (राज:90)	12-5-2006
13.	डी.सी. जैन (राज:91)	4-9-2002
14.	राजेश निरवान (राज:92)	16-8-2004
15.	टी. गुइते (राज:92)	4-3-2004
16.	बिजु जॉर्ज जोसफ के. (राज:95)	9-9-2002
17.	सुस्मित बिश्वास (राज:95)	12-1-2001

[अनुवाद]

निर्यात संवर्धन परिषद में उत्पादों का पंजीकरण

1037. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्यात संवर्धन परिषद (ई.पी.सी.) में उत्पादों के पंजीकरण हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) निर्यात संवर्धन परिषद में पंजीकृत उत्पादों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) उत्पादों का रजिस्ट्रेशन विदेश व्यापार नीति 2004-09 के पैराग्राफ 2.43 और विदेश व्यापार नीति 2004-09 की प्रक्रिया पुस्तिका (खण्ड-I) के पैराग्राफ 3.12 के अनुसार निर्यात संवर्धन परिषदों से किया जाता है।

निर्यात संवर्धन परिषदों की सूची विदेश व्यापार नीति 2004-09 की प्रक्रिया पुस्तिका (खण्ड-I) के परिशिष्ट-2 में दी गई है। परिशिष्ट-2 वैबसाइट: http://dgft.gov.in पर पहले ही उपलब्ध है।

विनिर्माण क्षेत्र

1038. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जुलाई-दिसम्बर 2006 के दौरान भारत के विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार सर्वाधिक धीमी गति से हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस क्षेत्र की वृद्धि दर बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) जी, नहीं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में मापी गई विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि जुलाई-दिसम्बर, 2006 में 11.8 प्रतिशत थी जो जुलाई-दिसम्बर, 2005 में 7.9 प्रतिशत थी। यह वृद्धि पिछले दशक में प्राप्त की गई सबसे अधिक वृद्धि थी।

(ग) सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां लागू की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक क्षमता को लाइसेंसमुक्त करना, प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्यों पर निविष्टियों की सुविधाजनक प्राप्ति की व्यवस्था करने के लिए विदेशी व्यापार तंत्र का उदारीकरण, सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की दरों का यौक्तीकरण तथा कमी करना, बेहतर अवसंरचना सहायता एवं उदार एफ.डी.आई. तंत्र आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

राम जन्मभूमि संबंधी लिबरहान आयोग

1039. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किए जाने से संबंधित घटनाक्रम की जांच के लिए न्यायमूर्ति एम.एस. लिबरहान की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त आयोग के कार्यकाल को अनेक बार बढ़ाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त आयोग पर आज की तिथि तक कितना व्यय हुआ है; और

(च) आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) जी हां। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद संरचना के विध्वंस के बारे में 6 दिसम्बर, 1992 को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद परिसर में घटी घटनाओं से संबंधित सभी तथ्यों और परिस्थितियों तथा इससे संबंधित घटनाक्रम की जांच करने के लिए 16 दिसम्बर, 1992 को न्यायमूर्ति एम.एस. लिब्राहन की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया था। प्रारम्भ में आयोग का कार्यकाल 3 महीने का था जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया है। अब सरकार ने आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2007 तक बढ़ाया हुआ है।

(ङ) दिसम्बर, 2006 तक आयोग पर 686.25 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं।

(च) आयोग के बढ़े हुए कार्यकाल में सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

नारी निकेतन

1040. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नारी निकेतन और संरक्षण गृहों को चलाने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि केन्द्र और राज्यों में नारी निकेतन निर्धारित स्तर के हैं और निर्धारित नियमों के अनुसार चल रहे हैं;

(घ) क्या सरकार को इन संरक्षण गृहों और नारी निकेतनों में रहने वाली महिलाओं के विरुद्ध दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और यातना के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की कठिन परिस्थितियों में जीव-यापन करने वाली महिलाओं के लिए अल्पावास गृह तथा स्वाधार आश्रय गृह चलाने के लिए सहायता देने की स्कीमें हैं। इन स्कीमों का ब्यौरा मंत्रालय के वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध हैं। सरकार कोई नारी निकेतन नहीं चला रही है।

(ग) स्कीम के मानकों के अनुसार, अल्पावास गृह और स्वाधार आश्रय गृह चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने का प्रावधान है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

व्यावसायिक शिक्षा

1041. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आई.सी.टी.ई.) के देश में व्यावसायिक शिक्षा के अवसर संबंधी सर्वेक्षण से यह पता चला है कि कुछ राज्य स्थान उपलब्धता के संदर्भ में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से पीछे चल रहे हैं और इन राज्यों से नामांकन में वृद्धि करने, नई शाखाओं को आरंभ करने और नए निजी संस्थानों को खोलने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए पत्र लिखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने शैक्षणिक अवसरों के संदर्भ में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने हेतु राज्य सरकारों से अपने राज्यों को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार डिग्री स्तरीय तकनीकी पाठ्यक्रमों में 18 राज्यों की नामांकन क्षमता प्रति लाख आबादी पर 68 सीटों की राष्ट्रीय औसत से कम है और डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी पाठ्यक्रमों में 16 राज्यों की नामांकन क्षमता प्रति लाख आबादी पर 31 सीटों की राष्ट्रीय औसत से कम है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा यथानुमोदित तकनीकी शिक्षा में डिप्लोमा स्तरीय सीटों के संदर्भ में जिन राज्यों के पास राष्ट्रीय औसत से कम नामांकन क्षमता है वे इस प्रकार हैं: बिहार, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, नागालैंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली और जम्मू व कश्मीर। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा यथानुमोदित

तकनीकी शिक्षा में डिग्री स्तरीय सीटों के संदर्भ में जिन राज्यों के पास राष्ट्रीय औसत से कम नामांकन क्षमता है वे है: नागालैंड, मिजोरम, बिहार, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और मध्य प्रदेश।

मानव संसाधन विकास मंत्री ने ऐसे 12 बड़े राज्यों जहां तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में दाखिला क्षमता राष्ट्रीय औसत से कम है, के मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजकर यह अनुरोध किया है कि वे तत्काल कार्रवाई करके कार्यक्रम शुरू करें ताकि वे राष्ट्रीय औसत के समकक्ष नामांकन क्षमता प्राप्त कर सकें। सुझाए गए उपचारी उपाय हैं - विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में नई संस्थाओं की स्थापना, मौजूदा संस्थाओं में दाखिला क्षमता में वृद्धि, विशेषकर उदीयमान क्षेत्रों में नई विधाएं एवं नए पाठ्यक्रम शुरू करना, अच्छी गुणवत्ता वाली गैर-सरकारी एवं विश्वसनीय संस्थाओं की स्थापना हेतु प्रोत्साहन देना, मौजूदा संस्थाओं में अवसंरचना तथा संकाय विकास का सुदृढ़ीकरण एवं माध्यमिक शिक्षा में सुधार और विस्तार।

राष्ट्रीय औसत के समकक्ष दाखिला क्षमता प्राप्त करने के लिए इन राज्यों द्वारा किए जा रहे अथवा प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा केन्द्र सरकार को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

जनजातीय लोगों का कल्याण

1042. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रभारी राज्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है;

(ख) यदि हां, तो चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में अधिक जनजातीय संसाधनों का सृजन करने और जनजातीय लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 14 फरवरी, 2007 को जनजातीय कल्याण विकास के प्रभारी राज्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में 13 राज्यों के जनजातीय कल्याण/विकास के प्रभारी मंत्रियों ने भाग लिया था। डा. वी.एल. मुंगेकर, सदस्य, योजना आयोग ने भी सम्मेलन को संबोधित किया था। राज्य मंत्रियों ने अपने राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने अपने संबंधित राज्यों में जनजातियों के कल्याण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में भी बताया।

(ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने संबंधित राज्यों में कम से कम अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ विशिष्ट जनजातीय उपयोजनाएं (टी.एस.पी.) तैयार करने और निधियां आबंटित करने के लिए राज्यों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत सरकार के सेक्टोरल मंत्रालयों/विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने नियमित कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों को शामिल करेंगे। केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों से जनजातीय उपयोजना के अधीन अपनी निधियों का 8% (देश में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के बराबर) आबंटन करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं को समर्थन प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए संसद में प्रस्तुत अनुदान-मांगों के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए 1719.71 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय प्रस्तावित किया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए यह राशि 1656.90 करोड़ रुपए थी।

[हिन्दी]

सीमा विवाद संबंधी आयोग

1043. श्री हंसराज गं. अहीर:

डा. अरुण कुमार शर्मा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों के बीच मौजूदा सीमा विवाद का पूर्वोत्तर राज्यों सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है और विवादित क्षेत्र कौन-कौन से हैं तथा इनकी भूगौलिक स्थिति क्या है और ये विवाद कब शुरू हुए तथा इसके कारण क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा सीमा विवाद का समाधान निकालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और ऐसे विवादों को कब तक सुलझा लिया जाएगा;

(ग) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछेक राज्यों के बीच सीमा विवाद के संबंध में कोई आयोग गठित किया है;

(घ) यदि हां, तो उनको सौंपे गए कार्यों और विचारार्थ विषय का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त आयोग द्वारा अपनी कार्यवाही कब तक शुरू करने की संभावना है और इसकी अंतिम रिपोर्ट को प्रस्तुत किए जाने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) इस संबंध में एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 25-9-2006 के निर्णय के द्वारा एक स्थानीय आयोग की नियुक्ति असम-नागालैंड और असम-अरुणाचल प्रदेश की भू-सीमाएं अभिज्ञात करने के लिए की है। न्यायालय ने आयोग को अपना जवाब एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इस आयोग ने दिनांक 27-10-2006 से अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।

विवरण

(क) उपलब्ध सूचना के अनुसार अधिकांश सीमा विवाद, निम्नलिखित राज्यों के बीच भू-भाग के संबंध में किए गए दावों और प्रति-दावों से उत्पन्न हुए हैं:

महाराष्ट्र-कर्नाटक-केरल

कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद, महाराष्ट्र में कर्नाटक से सटे हुए कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को कर्नाटक में स्थानांतरित करने के कर्नाटक के दावे और कर्नाटक में मराठी भाषी क्षेत्रों को महाराष्ट्र में स्थानांतरित करने के महाराष्ट्र के दावे से संबंधित है। कर्नाटक ने केरल के कसरगोड के तालुका का भी दावा किया है। यह विवाद 1956 से चला आ रहा है। केरल ने कर्नाटक का दावा स्वीकार नहीं किया है। सीमा विवाद हल करने की दृष्टि से संघ सरकार द्वारा गठित महाजन आयोग की सिफारिशों पर महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने परस्पर विरोधी रुख अपनाया हुआ है।

पंजाब-हरियाणा

पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद 1966 से चला आ रहा है। यह विवाद चंडीगढ़ को पंजाब में और पंजाब की फजिल्का तहसील के एक भाग को हरियाणा में स्थानांतरित किए जाने के बारे में है।

उडीसा-आन्ध्र प्रदेश

उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि आन्ध्र प्रदेश के साथ उनका सीमा विवाद उड़ीसा के गंजम, गजपति, रायगढ़ और कोरापुट जिलों के 59 गांवों से संबंधित है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उड़ीसा के साथ उनका विवाद आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम जिलों में स्थित गांवों से संबंधित है। इनमें से किसी भी राज्य सरकार ने अपना सीमा विवाद निपटाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध नहीं किया है।

उड़ीसा-झारखंड

1984 से उड़ीसा, झारखंड (भूत-पूर्व बिहार) के कुछ गांवों अर्थात् उड़ीसा में मयूरभंज जिले से सटे नेदा और नौगांव पर और 1992 से क्योंझर जिले से सटे चंपुआ, जगन्नाथपुर, कंकड़पट, पुरुषोत्तमपुर और लिमितुर गांवों पर दावा करता रहा है। उड़ीसा ने सराइकेला और खरसुआन के भूत-पूर्व राजघरानों का विलय झालखंड में करने का दावा किया था। किसी भी राज्य सरकार ने अपना सीमा विवाद निपटाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध नहीं किया है।

उड़ीसा-छत्तीसगढ़

उड़ीसा का छत्तीसगढ़ (पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश) के साथ विवाद उड़ीसा के नौपाडा जिले के भाई सदराहा, छोटकेन्दु बहारा और सिरिगिद्धि नामक तीन गांवों के बारे में 1988 से है। किसी भी राज्य सरकार ने अपने सीमा विवाद के हल के लिए केन्द्र सरकार से सम्पर्क नहीं किया है।

उड़ीसा-पश्चिम बंगाल

उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा विवाद उड़ीसा के बालासौर जिले के संकाभंगा तथा मयूरभंज जिले के बनकनाल, न्यूहमालिया, भुरुसानी, पुरुनापानी नामक पांच गांवों के बारे में है। किसी भी राज्य सरकार ने अपने सीमा विवाद के हल के लिए केन्द्र सरकार से सम्पर्क नहीं किया है।

उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश

इनके बीच विवाद देहरादून जिले के चकराता तहसील के पंडरानु, सरनजंगल, कथानगद, सिलासुखदा, पटालाजंगल, पासीधर और लोकलांग पिलर जो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के समीप है, से संबंधित है। किसी भी राज्य सरकार ने अपने सीमा विवाद के हल के लिए केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहा है।

आन्ध्र प्रदेश-महाराष्ट्र

आन्ध्र प्रदेश से उपलब्ध सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले के राजुरा ताल्लुक के समीपवर्ती आदिलाबाद जिले

के 14 गांवों से संबंधित विवाद 1990 से है। किसी भी राज्य सरकार ने अपने सीमा विवाद के हल के लिए केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहा है।

आन्ध्र प्रदेश-कर्नाटक

आन्ध्र प्रदेश से उपलब्ध सूचना के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले के रायादुर्ग ताल्लुक के ओबुलापुरम, एच. सिद्धपुरम, माईपनागुदी तथा एच. होशाहल्ली गांवों तथा कर्नाटक के बेल्लारी ताल्लुक और जिले में 1963 से विवाद है। किसी भी राज्य सरकार ने अपने सीमा विवाद के हल के लिए केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहा है।

आन्ध्र प्रदेश-तमिलनाडु

आन्ध्र प्रदेश से उपलब्ध सूचना के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश के सुल्लुरपेट तालुक, नैलोर जिले तथा तमिलनाडु के पोन्नेरी ताल्लुक, चेंगल पेट्टु, एम.जी.आर. जिले के बीच अन्तर राज्य सीमा के बारे में विवाद 1997 से चल रहा है। किसी भी राज्य सरकार ने अपने सीमा विवाद के हल के लिए केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहा है।

आन्ध्र प्रदेश-पुंडुचेरी

आन्ध्र प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार संघ शासित क्षेत्र पुंडुचेरी के साथ लगे आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित "यानम" नामक एक गांव की सीमा का सीमांकन किया जाना है। किसी भी राज्य सरकार ने अपने सीमा विवाद के समाधान के लिए केन्द्रीय हस्तक्षेप के लिए नहीं कहा है।

असम-मेघालय

असम और मेघालय के बीच कोई मुख्य सीमा विवाद नहीं है और किसी भी समस्या को दोनों राज्यों के बीच आपसी विचार-विमर्श से सुलझाया जा सकता है। दोनों राज्य सरकारों में से किसी ने भी अपने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए केन्द्रीय हस्तक्षेप के लिए नहीं कहा है।

असम-अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश ने इतिहास के आधार पर असम के भूभाग का दावा किया है। असम सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में एक मामला दायर किया है उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 25-9-2006 के अपने निर्णय में, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा की पहचान हेतु न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्ति) एस.एन. वरिआवा की अध्यक्षता में एक स्थानीय आयोग की नियुक्ति की है।

असम-नागालैंड

नागालैंड ने ऐतिहासिक आधार पर असम के भूभाग के कतिपय क्षेत्रों का दावा किया है। असम सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में एक मामला दायर किया है। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 25-9-2006 के अपने निर्णय में, असम और नागालैंड के बीच सीमा की पहचान हेतु न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस.एन. वरिआवा की अध्यक्षता में एक स्थानीय आयोग की नियुक्ति की है।

(ख) केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों के सीमा विवादों के समाधान हेतु समय-समय पर प्रयास किए हैं हालांकि अनिवार्य रूप से यह संबंधित राज्य सरकारों का कार्य है कि वे अपने विवादों को विचार-विमर्श और आपसी समायोजन से सुलझाएं। केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र-कर्नाटक-केरल सीमा विवाद के समाधान हेतु अक्तूबर 1966 में महाजन आयोग का गठन किया। चंडीगढ़ की एवज में हरियाणा को दिए जाने वाले पंजाब के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अभी तक तीन आयोगों की नियुक्ति की जा चुकी है। भारत सरकार ने विगत में असम और नागालैंड के बीच सीमा विवाद के समाधान के लिए प्रयास किए हैं लेकिन सभी प्रयास असफल रहे हैं।

[अनुवाद]

रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय राहत

1044. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए कई घोषणाएं की हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक घोषणा के अंतर्गत कुल कितनी राशि प्रदान की गई; और

(ग) किन-किन संस्थानों को राहत दी गई तथा आज की तारीख तक इनमें से प्रत्येक को कितनी धनराशि दी गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) लघु तथा मझौले उपक्रम (एस.एम.ई.) एककों के लाभार्थ क्रेडिट तथा ऋण पुनःसंरचना तंत्र को बेहतर बनाने सहित उद्योगों के विकास को सुविधाजनक बनाने तथा तेजी लाने के लिए नीतिगत व्यवस्था प्रदान करने के अलावा रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरुज्जीवन के लिए किये गये उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) की स्थापना

करना तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को वित्तीय सहायता के लिए दिशा-निर्देश जारी करना; रुग्ण इकाइयों का स्वस्थ इकाइयों के साथ समामेलन करना शामिल है। बी.आई.एफ.आर. के पास पंजीकृत इकाइयों के पुनरुज्जीवन के लिए जहां कहीं संभव होता है, पुनर्वास योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी का पुन:निर्माण, प्रवर्त्तकों द्वारा नयी निधियों को लगाना, सार्वजनिक क्षेत्र के एककों के लिए सरकारी सहायता, अन्य कंपनियों के साथ विलय, वित्तीय संस्थानों, बैंकों तथा सरकार द्वारा बकाया देनदारी का पुन:निर्धारण करके छूट तथा रियायतों को प्रदान करना तथा प्रबंधन में परिवर्तन सम्मिलित है।

कृषि उत्पादों का निर्यात

1045. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कतिपय कृषि उपजों के निर्यात पर निर्यात मूल्य क्रेडिट करने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार निर्यातकों के माल के निर्यात के बदले उन्हें मशीनरी तथा कच्चा माल खरीदने की अनुमति देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) सरकार ने फलों, सब्जियों, फूलों, लघु वनोत्पादों, दुग्ध, कुक्कुट तथा उनके मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यातों का संवर्धन करने के लिए 1 सितम्बर, 2004 को विशेष कृषि उपज योजना शुरू की है। 1 अप्रैल, 2006 से इस योजना का नाम बदलकर विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना रख दिया गया है। जिन कृषि मदों का निर्यात इस योजना के तहत लाभ का पात्र है, उनकी सूची विदेश व्यापार नीति 2004-06 की क्रियाविधि पुस्तिका (खण्ड-I) की परिशिष्ट 37 क में दी गई है। परिशिष्ट 37 क में शामिल उत्पादों के निर्यात उक्त निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य के 5 प्रतिशत के समतुल्य शुल्क ऋण स्क्रिप के पात्र हैं।

(ख) और (ग) योजना के तहत जारी शुल्क ऋण स्क्रिप का उपयोग पूंजीगत वस्तुओं सहित निविष्टियों या वस्तुओं का आयात करने के लिए किया जा सकता है जो अन्यथा निर्यात एवं आयात मदों के आई.टी.सी. (एच.एस.) वर्गीकरण के तहत मुक्त रूप से आयात योग्य हैं। तथापि, विदेश व्यापार नीति 2004-09 की क्रियाविधि पुस्तिका (खण्ड-I) की परिशिष्ट 37 ख में सूचीबद्ध मदों की अनुमति विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना के तहत जारी स्क्रिप का उपयोग करते हुए आयात करने के लिए प्रदान नहीं की जाती है।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा बुधवार, 7 मार्च, 2007 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 7 मार्च, 2007/16 फाल्गुन, 1928 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

दिनांक 5-3-2007

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	प्रो. महादेवराव शिवनकर श्री अनन्त नायक	81
2.	श्री अब्दुल रशीद शहीन	82
3.	श्रीमती नीता पटैरिया श्री कैलाश मेघवाल	83
4.	श्री गिरधारी लाल भार्गव श्रीमती किरण माहेश्वरी	84
5.	श्री बाडिगा रामकृष्ण	85
6.	श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव श्री कैलाश मेघवाल	86
7.	श्री रामदास आठवले डा. एम. जगन्नाथ	87
8.	श्री सर्वे सत्यनारायण	88
9.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	89
10.	श्री ई. पोन्नुस्वामी	90
11.	श्री हंसराज गं. अहीर	91
12.	श्री एस.के. खारवेनथन	92
13.	श्री मो. ताहिर श्री राजीव रंजन सिंह "ललन"	93
14.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	94
15.	श्री अबु अयीश मंडल	95
16.	श्री सुव्रत बोस	96
17.	श्री रघुनाथ झा	97
18.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	98
19.	श्री विजय कृष्ण	99
20.	श्री असादूद्दीन ओवेसी श्री चंद्रकांत खैरे	100

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

दिनांक 5-3-2007

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	731, 749
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	730, 790, 843, 851
3.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	736
4.	अहीर, श्री हंसराज गं.	781, 827, 846, 852
5.	अप्पादुरई, श्री एम.	731, 746, 775
6.	आठवले, श्री रामदास	793
7.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	767
8.	बर्मन, श्री हितेन	711
9.	बर्मन, श्री रनेन	705, 795
10.	बसु, श्री अनिल	763
11.	बखला, श्री जोवाकिम	704
12.	भडाना, श्री अवतार सिंह	731, 749

1	2	3
13.	भगोरा, श्री महावीर	798
14.	भक्त, श्री मनोरंजन	726
15.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	761
16.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	709, 783
17.	बोस, श्री सुब्रत	735, 785
18.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	757, 807
19.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	729, 801
20.	चौधरी, श्री पंकज	735
21.	चौधरी, श्री अधीर	743, 807
22.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	769, 818, 841
23.	देवरा, श्री मिलिन्द	723, 789
24.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	734, 820
25.	धनराजू, डा. के.	770, 819
26.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	741
27.	दत्त, श्रीमती प्रिया	754
28.	गढ़वी, श्री पी.एस.	727
29.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	747, 779, 809
30.	गांधी, श्रीमती मेनका	745
31.	गंगवार, श्री संतोष	762, 767, 777
32.	जिन्दल, श्री नवीन	755
33.	जोशी, श्री प्रहलाद	718, 787, 835
34.	कनोडीया, श्री महेश	706
35.	करूणाकरन, श्री पी.	765
36.	खैरे, श्री चंद्रकांत	786, 844
37.	खां, श्री सुनील	776
38.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	792
39.	खन्ना, श्री अविनाश राय	852
40.	खारवेनथन, श्री एस.के.	737, 796, 831
41.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	807
42.	कृष्ण, श्री विजय	735, 798, 842
43.	कृष्णादास, श्री एन.एन.	753
44.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	725
45.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारू	761
46.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	772, 844
47.	महतो, श्री नरहरि	713, 811
48.	महतो, श्री सुनिल कुमार	792
49.	महताब, श्री भर्तृहरि	738
50.	महतो, श्री टेक लाल	756
51.	माझी, श्री परसुराम	721, 808
52.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	731, 735
53.	माने, श्रीमती निवेदिता	747, 779, 809
54.	मनोज, डा. के.एस.	752
55.	मसूद, श्री रशीद	717, 731
56.	मेघवाल, श्री कैलाश	791, 795, 832
57.	मिश्रा, डा. राजेश	731, 749
58.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	722, 730

1	2	3
59.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	760, 816, 840, 849, 853
60.	मोहन, श्री पी.	712
61.	मो. ताहिर, श्री	803, 809
62.	मुर्मू, श्री हेमलाल	764, 768
63.	नन्दी, श्री अमिताभ	732, 803
64.	नायक, श्री अनन्त	810, 836
65.	निखिल कुमार, श्री	743, 807
66.	ओराम, श्री जुएल	742, 805, 834, 850
67.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	799
68.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	719, 731, 804, 823
69.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	731, 735
70.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	708, 843
71.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	740
72.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	758, 814, 839, 845
73.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	728, 800
74.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	707, 806
75.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	740, 762, 803, 809
76.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	767
77.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	740, 805
78.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	752
79.	राजगोपाल, श्री एल.	714, 815, 833
80.	रामदास, प्रो. एम.	748
81.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	780, 829, 832, 848
82.	राणा, श्री काशीराम	736, 771
83.	राव, श्री के.एस.	730, 802, 833
84.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	757, 813, 838
85.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	715, 812, 824, 837
86.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	835
87.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	716, 758, 817
88.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	759, 805
89.	सज्जन कुमार, श्री	731, 749
90.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	737, 829
91.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	750
92.	सत्पथी, श्री तथागत	746
93.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	791
94.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	764
95.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	730, 790, 825, 845
96.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	762, 803, 809
97.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	751
98.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	744, 808
99.	सिंह, श्री दुष्यंत	774, 821, 822

1	2	3
100.	सिंह, श्री गणेश	724
101.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	747, 809
102.	सिंह, श्री मोहन	739, 801
103.	सिंह, श्री रेवती रमन	731
104.	सिंह, श्री सुग्रीव	758, 814, 839, 845
105.	सुब्बारायण, श्री के.	773
106.	सुगावनम, श्री ई.जी.	703, 737, 788, 828, 847
107.	थामस श्री पी.सी.	720, 794, 830
108.	ठुम्मर, श्री वी.के.	729, 759, 766, 792
109.	तोपदार, श्री तरित बरण	782
110.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	731
111.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	797, 831
112.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	727, 733
113.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	801
114.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	778
115.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	851
116.	यादव, श्री बालेश्वर	710, 784, 826
117.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	740, 762
118.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	777

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका
दिनांक 6-3-2007

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री दलपत सिंह परस्ते	101
2.	श्री पंकज चौधरी श्री कैलाश नाथ सिंह यादव	102
3.	श्री वी.के. थुम्मर श्री एन.एस.वी. चित्तन	103
4.	श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	104
5.	श्री रूपचन्द मुर्मू श्री हितेन बर्मन	105
6.	श्री पी.एस. गढ़वी श्री अनवर हुसैन	106
7.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड श्रीमती निवेदिता माने	107
8.	श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी	108
9.	श्री मनोरंजन भक्त	109
10.	प्रो. महादेवराव शिवनकर श्री मो. ताहिर	110
11.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा श्री काशीराम राणा	111
12.	श्री रशीद मसूद	112
13.	श्री उदय सिंह श्री अधीर चौधरी	113
14.	एडवोकेट सुरेश कुरूप	114
15.	श्री बालासोवरी बल्लभनेनी	115
16.	श्री ई. पोन्नुस्वामी	116
17.	श्री एस.के. खारवेनथन श्री किसनभाई वी. पटेल	117
18.	श्रीमती किरण माहेश्वरी श्री गिरधारी लाल भार्गव	118
19.	श्री बाडिगा रामकृष्णा डा. बाबू राव मिडियम	119
20.	श्री जसवंत सिंह बिश्नोई	120

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका
दिनांक 6-3-2007

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	906, 926, 970, 977, 997
2.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	864, 894, 982
3.	अहीर, श्री हंसराज गं.	888, 950, 1017, 1029, 1043
4.	अप्पादुरई, श्री एम.	923, 991
5.	आठवले, श्री रामदास	892, 964, 1012
6.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	922, 989, 1019
7.	बर्मन, श्री हितेन	962
8.	बर्मन, श्री रनेन	861
9.	बखला, श्री जोवाकिम	858, 941
10.	भडाना, श्री अवतार सिंह	881
11.	भक्त, श्री मनोरंजन	939
12.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	960

1	2	3
13.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	1036
14.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	867
15.	बोस, श्री सुब्रत	868, 952, 1029
16.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	907
17.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	909, 1009
18.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	884
19.	चिन्ता मोहन, डा.	903, 963, 975, 1039
20.	चौधरी, श्री अधीर	970
21.	देवरा, श्री मिलिन्द	879
22.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	873, 898, 964
23.	गढ़वी, श्री पी.एस.	954
24.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	955
25.	गंगवार, श्री संतोष	872, 941, 974
26.	गिल, श्री आत्मा सिंह	936
27.	हसन, चौधरी मुनव्वर	930, 992
28.	हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान	896
29.	हुसैन, श्री अनवर	940, 1007, 1023
30.	जगन्नाथ, डा. एम.	904, 975
31.	झा, श्री रघुनाथ	883, 998
32.	जिन्दल, श्री नवीन	863, 971, 985
33.	जोशी, श्री प्रहलाद	857
34.	कनोडीया, श्री महेश	890
35.	करूणाकरन, श्री पी.	895
36.	खैरे, श्री चंद्रकांत	866, 959
37.	खां, श्री सुनील	925, 931
38.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमा	924
39.	खन्ना, श्री अविनाश राय	865, 944, 1004
40.	खारवेनथन, श्री एस.के.	966, 1013
41.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	856, 943, 1002, 1019
42.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	908
43.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	1035
44.	'ललन' श्री राजीव रंजन सिंह	889, 903, 975, 1039
45.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारू	935
46.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	938, 999
47.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	880
48.	महतो, श्री नरहरि	908
49.	महतो, श्री सुनिल कुमार	864, 968, 982
50.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	892, 960, 967
51.	महताब, श्री भर्तृहरि	921, 975, 988, 1021
52.	महतो, श्री टेक लाल	915, 983
53.	माझी, श्री परशुराम	874, 948
54.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	859, 974
55.	माने, श्रीमती निवेदिता	955
56.	मसूद, श्री रशीद	1009

1	2	3
57.	मेघवाल, श्री कैलाश	937, 953, 1024, 1035
58.	मैन्या, डा. टोकचोम	927
59.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	885, 951, 1011, 1026, 1032
60.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	886
61.	मो. ताहिर, श्री	907, 933. 934, 965
62.	मोल्लाह, श्री हन्नान	894
63.	मंडल, श्री अबु अयीश	900, 1012
64.	मुर्मू, श्री हेमलाल	893, 967
65.	नन्दी, श्री अमिताभ	891, 918, 986
66.	निखिल कुमार, श्री	957, 970
67.	नायक, श्री अनन्त	890, 920, 987, 1020, 1031
68.	ओराम, श्री जुएल	925
69.	उरांव, डा. रामेश्वर	877
70.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	898, 908, 913, 981
71.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	871, 946, 1006, 1042
72.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	859
73.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	941, 1000
74.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	894, 968
75.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	854, 959, 1010, 1024
76.	पाठक, श्री ब्रजेश	933, 934, 965, 996, 1022
77.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	1017
78.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	907, 933, 956, 965, 994
79.	पिंगले, श्री देविदास	933, 994
80.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	922, 989, 1019
81.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	870
82.	राई, श्री नकुल दास	928
83.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	924
84.	रामदास, प्रो. एम.	916, 1015
85.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	857, 961, 1037
86.	राव, श्री के.एस.	897
87.	राघले, श्री मोहन	882, 969, 1014, 1027
88.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	869, 945, 1003, 1025, 1044
89.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	929
90.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	860, 949
91.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	912, 980
92.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	909, 1009
93.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	971
94.	रिजीजू, श्री कीरेन	862
95.	सज्जन कुमार, श्री	876, 947, 1005

1	2	3
96.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	908, 978, 1009, 1016, 1041
97.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	1043
98.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	905, 976
99.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	917, 990
100.	सत्पथी, श्री तथागत	919
101.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	887, 912, 984, 1019, 1040
102.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	914
103.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	893, 967
104.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	875
105.	शिवाजीराव, अधलराव पाटील	906, 926, 977, 980, 995
106.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	907, 933, 956, 1008
107.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	910, 958
108.	सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी	892, 963
109.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	898, 971
110.	सिंह, श्री चन्द्रभान	855, 942, 1001
111.	सिंह, श्री दुष्यंत	995, 1015
112.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	955
113.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	891
114.	सिंह, श्री रेवती रमन	899, 972, 1012, 1038
115.	सिंह, श्री सुग्रीव	959, 1010, 1024
116.	सुब्बा, श्री एम.के	913
117.	सुब्बारायण, श्री के.	958
118.	सुमन, श्री रामजीलाल	889, 963
119.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	932
120.	थामस, श्री पी.सी.	878
121.	तुम्मर, श्री वी.के.	953
122.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	859
123.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	911, 979, 1018, 1030, 1045
124.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	954
125.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	953
126.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	901, 973, 1015, 1028, 1033
127.	विजयशंकर, श्री सी.एच.	1034
128.	यादव, श्री एम. अंजन कुमार	884
129.	यादव, श्री बालेश्वर	964
130.	यादव, श्री राम कृपाल	907
131.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	902, 993

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका दिनांक 5-3-2007

कृषि	:	82, 83, 84, 85, 90, 91, 93, 97
रसायन और उर्वरक	:	
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	98
पर्यावरण और वन	:	86, 87, 88, 94, 96, 99
सूचना और प्रसारण	:	95
श्रम और रोजगार	:	89, 92
संसदीय कार्य	:	
इस्पात	:	
जल संसाधन	:	81, 100.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका दिनांक 5-3-2007

कृषि	:	706, 715, 716, 720, 724, 725, 728, 729, 732, 733, 734, 735, 736, 740, 744, 746, 750, 753, 758, 759, 760, 761, 762, 764, 779, 787, 788, 792, 793, 794, 796, 797, 798, 800, 802, 803, 805, 807, 808, 812, 813, 814, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 836, 838, 843, 845, 847, 848
रसायन और उर्वरक	:	708, 712, 721, 722, 730, 742, 748, 763, 767, 769, 772, 774, 834
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	703, 711, 714, 741, 751, 755, 766, 770, 777, 780, 785, 786, 809, 819, 820, 833, 837, 839, 851, 852
पर्यावरण और वन		704, 705, 707, 713, 717, 718, 719, 726, 727, 738, 739, 745, 749, 752, 754, 765, 768, 778, 783, 784, 791, 795, 811, 815, 816, 817, 830, 840, 842, 846, 849, 853
सूचना और प्रसारण		709, 731, 775, 835
श्रम और रोजगार		373, 756, 782, 790, 801, 804, 818, 829, 831, 832, 841
संसदीय कार्य		
इस्पात	:	710, 747, 773, 776, 781, 810, 844
जल संसाधन	:	723, 743, 757, 771, 789, 799, 806, 850

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका दिनांक 6-3-2007

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग		
वाणिज्य और उद्योग	:	111, 114, 120
गृह	:	101, 108, 109, 113, 115, 117
मानव संसाधन विकास	:	102, 103, 106, 107, 112, 118, 119
खान	:	
लघु उद्योग	:	
वस्त्र	:	104, 110, 116
जनजातीय कार्य	:	105
महिला और बाल विकास		

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका दिनांक 6-3-2007

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	864, 914, 969
वाणिज्य और उद्योग	:	858, 860, 863, 865, 870, 881, 887, 896, 899, 902, 910, 911, 912, 913, 917, 923, 926, 927, 929, 934, 938, 943, 945, 950, 956, 963, 968, 972, 975, 984, 985, 987, 988, 994, 1002, 1006, 1008, 1010, 1011, 1020, 1022, 1028, 1030, 1037, 1038, 1044, 1045
गृह	:	854, 856, 859, 862, 868, 874, 876, 879, 880, 883, 884, 888, 889, 890, 891, 894, 903, 908, 922, 928, 932, 940, 947, 951, 955, 957, 959, 966, 974, 979, 980, 983, 986, 989, 992, 993, 997, 1001, 1003, 1005, 1012, 1023, 1024, 1029, 1033, 1035, 1036, 1039, 1043
मानव संसाधन विकास		866, 867, 869, 875, 882, 892, 893, 895, 900, 901, 905, 906, 909, 920, 924, 928, 930, 939, 942, 944, 949, 954, 962, 967, 970, 971, 973, 977, 991, 998, 999, 1004, 1007, 1015, 1025, 1034, 1041
खान		861, 886, 915, 918, 919, 925, 935, 952, 960, 982, 1000, 1027, 1031
लघु उद्योग	:	857, 898, 1017, 1021, 1026
वस्त्र	:	871, 872, 873, 878, 885, 904, 916, 921, 937, 946, 953, 978, 981, 990, 1000, 1013, 1014, 1032
जनजातीय कार्य	:	855, 877, 941, 948, 995, 1042
महिला और बाल विकास	:	897, 907, 931, 933, 936, 961, 964, 965, 976, 1009, 1016, 1018, 1019, 1040

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी लोक सभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के
प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित